Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीयता के मुखर स्वर

खण्ड-२ (भाग-२)

पं० प्रकाशवीर शास्त्री

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

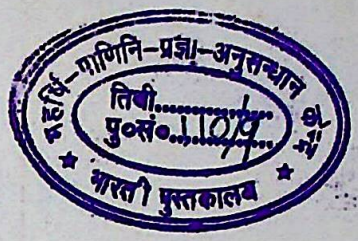

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीयता के मुखर स्वर

पं० प्रकाशवीर शास्त्री

(संसद में दिए गए भाषण)

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महर्षि-पाणिनि-प्रज्ञा-अनुसन्धान केन्द्र
तिथी.....
पु०सं०...110.....
भारती पुस्तकालय

राष्ट्रीयता के मुखर स्वर

पं० प्रकाशवीर शास्त्री

पं० प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा २-८-१९६० से २-४-१९७० तक लोक सभा में दिए गए भाषणों का माननीय लोक सभा अध्यक्ष की अनुमति से प्रकाशन।
[१ अगस्त १९७४ से १७ नवम्बर १९७७ तक राज्य सभा के भाषण]

स्मृति ग्रन्थ : खण्ड-२

भाग-२

—: सम्पादक :—

दत्तात्रेय तिवारी अशोक कौशिक

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्मृति ग्रन्थ समिति

डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी
अध्यक्ष

प्रो० ज्ञानप्रकाश चोपड़ा
वरिष्ठ सदस्य

श्री शान्तिलाल सूरी
उपाध्यक्ष

श्री शान्ति प्रकाश बहल
कोषाध्यक्ष

श्री रामनाथ सहगल
मंत्री

प्रकाशक :
वेद प्रतिष्ठान
आर्य समाज (अनारकली)
मन्दिर मार्ग,
नई दिल्ली-११०००१

संस्करण २००२

मूल्य : ५०१ रु.

मुद्रक :
मयंक प्रिन्टर्स
६४, नाईवाला, करोल बाग,
नई दिल्ली-११०००५,
दूरभाष : ५७८३४०९, ५७५१३३०

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारती पुस्तकालय

अनुक्रम
भाग–२

१. **विदेश नीति** १–७४

राष्ट्रहित में विदेश नीति में परिवर्तन जरूरी ५

अरब राष्ट्रों की विश्वसनीयता ६

कांग्रेस सरकार की असफल विदेश नीति ११

प्रवासी भारतीयों से विशेष सम्पर्क १५

पड़ोसी देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध १८

इण्डोनेशिया : रामायणी संस्कृति २०, प्रवासी भारतीय २०, सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् २१, अरब देशों का रुख २२, कुरान का पाठ २३, राजदूतों का मापदण्ड २४, सं.रा. में हिन्दी को मान्यता मिले २४

त्रुटिपूर्ण विदेश–नीति २६

सुरक्षा परिषद २७, राजनीति प्रवाह है २८, श्री अप्पा पंत २९, व्यापार सम्बन्ध २९, भारतवंशी ३०, शिक्षण में सहयोग ३१, प्रवासी भवन बने ३१, हिन्दी का प्रचार ३२

अस्थिर विदेश नीति ३४

चीन का रवैया ३५

इजराइल का प्रश्न ३६

मंगला बांध पर बधाई की निन्दा ३८

चेकोस्लोवाकिया पर रूसी हमले की निन्दा ३९

तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व अस्वीकार्य ४१

नेफा और लद्दाख की स्थिति ४७

नेफा की पराजय और राजनीतिज्ञों की भूमिका ४८

चीन से वार्ता भारतीय स्वाभिमान के विरुद्ध ६१

बैंक आफ चाइना की भारत विरोधी गतिविधियां ६५

चीन के विरुद्ध राष्ट्र का संकल्प ७०

क्या सरकार ने संकल्प छोड़ दिया ७०, साम्प्रदायिकों के पीछे कौन ? ७१, राज्यों में विवाद पर चिन्ता ७२, संघीय परिक्षाओं में हिन्दी लाएं ७३

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

२. पाकिस्तान ७५-१५०

पाकिस्तान जन्मजात शत्रु देश ७५

हिन्दुओं का नरमेध ७६

कम्युनिस्ट मुस्लिमपरस्त ७९

हम मारने की नहीं मरने की स्थिति में हैं ८२

पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं का पलायन ८५

पाकिस्तानी युद्धोन्माद का जवाब दिया जाय ९१

अंग्रेजी पत्रों का देश विरोध ९२

पाकिस्तान के साथ बातचीत युद्ध भूमि में हो ९५

भारत सरकार कायर है ९६

पाकिस्तानी सांप की कमर तोड़ो ९९

बटवारा धरती का हुआ है १००, पाकिस्तान को खत्म करना ही होगा १०२, खोखली विदेश नीति १०३

पाकिस्तान से दौत्य सम्बन्ध तोड़ दिया जाय १०५

पाकिस्तान में हिन्दुओं का भीषण नरमेध ११०

भारत में घुसपैठ ११२

ताशकन्द समझौता देश के संविधान का उल्लंघन ११४

पाकिस्तान के प्रति हमारी आत्मघाती नीति ११८

भय बिन होत न प्रीत १२२

रक्षामंत्री दंभ न करें १२३, पाकिस्तान के पास मिग विमान १२४, ईरान से पाक को सहायता १२४, रूस-पाक सम्पर्क १२५

भारतीय मुसलमान मानसिकता बदलें १२७

मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विरोध १२८

लाहौर ढाका रेल लाइन का विरोध १३०

पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों का अपहरण १३१

पाकिस्तान के प्रति भारत का अहिंसा व्रत १३३

पाक को हथियार देने पर अमरीका की कठोर भर्त्सना १३४

१९७७ में पुनः आपत्ति १३५

शिमला समझौते से पाकिस्तान को ही लाभ १३६

उर्दू के नाम पर साम्प्रदायिकता फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण १३७

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उर्दू को सम्प्रदाय विशेष से जोड़ना अनुचित १३७, 'सरस्वती' के नाम पर साम्प्रदायिकता १३८

मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्त्वों पर निगरानी १४०

अनिवार्य सेवाएं बाधित न हों १४०, केन्द्रीय कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण १४०, पाक नागरिकों का उल्लेख नहीं १४१, दंगों के पीछे किसका हाथ? १४१, कश्मीर में धन का सदुपयोग हो १४२, सेवाओं में प्रान्तीय कोटा तय हो १४२, अरेबिक अंकों की अनुपादेयता १४३, सतर्कता विभाग अधिक सतर्क बने १४३, क्षेत्रीय विकास परिषदें १४४, स्वतंत्रता दिवस पर मातम १४४, जमीयत की साम्प्रदायिकता १४५

पाकिस्तान के साथ रेल सम्बन्ध अनुचित १४७

छोटे स्टेशनों की उपेक्षा १४८, तीसरी श्रेणी में सुविधाएं बढ़ें १४८, गाड़ियों के समय में अनियमितताएं १४९, हिन्दी का प्रयोग बढ़े १४९

३. **राजधर्म** १५१-१९८

स्वस्ति प्रजाभ्य : १५१

१९६२ की पराजय चीन का नहीं भारत सरकार का विश्वासघात १५२

अर्थनीति की असफलता १५२, विदेशनीति की असफलता १५३, सरकार का विश्वासघात १५३, भ्रष्टाचार की लहर १५४, भ्रष्टाचार उच्चस्तर पर व्याप्त १५५, मंत्री न्याय क्यों नहीं करते १५६, केन्द्र की दुर्बलता १५६, अवैध पाकिस्तानियों को शरण १५७

सरकार शासन के सभी मोर्चों पर असफल १५९

खाद्य स्थिति का संकट १५९, अकाल की स्थिति में क्या होगा ? १६०, उपाय क्या है? १६०, देश की आर्थिक नीति १६१, कश्मीर के लिए दृढ़नीति हो १६२, पंजाबी सूबे का विरोध १६३, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ? १६३

स्वयं कांग्रेस ने ही शास्त्री सरकार की निन्दा की है १६५

मुझे मेरे चापलूस मित्रों से बचाओ १६६, खाद्यान्न संकट संभव १६६, कृषि सम्बन्धी एक मंत्रालय हो १६७, खाद्य क्षेत्र समाप्त हो १६७, खोखली विदेश नीति १६७, भ्रष्टाचार की समस्या १६८, प्रधानमंत्री निवास को नेहरू निवास बनाना अनुचित १६९

मिजो विद्रोह सारे पूर्वोत्तर की समस्या १७०

सीमाओं से टकराती मिजो पहाड़ियां १७०, पृथक देश का आन्दोलन १७०, सेवा समाप्ति के बाद भी वेतन जारी १७१, गड़बड़ी में पाकिस्तानी हाथ १७१, मिजो लोगों से भेदभाव १७२, विद्रोह को सख्ती से दबाया जाय १७३, सरकार की उपेक्षा १७४, मिजो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगाएं १७४, नागाओं के आगे न झुकें १७५, शास्त्री जी का उत्तर १७५

रेलों में सुरक्षा व्यवस्था १७७

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रेलों में सुरक्षा की व्यवस्था हो १७७, रेलवे बुक स्टालों पर अश्लील साहित्य १७७, तेज शटल चलाई जाय १७८, भारतीय भाषाओं का प्रयोग १७९, अनुपयोगी डीजल कारखाना १७९, गार्डों का वेतन बढ़े १८०

जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक धोखा है १८२

अध्यादेश क्यों? १८२, नैतिकता का तकाजा क्या है? १८३, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत हो १८४, न्यायालय की गरिमा को ठेस १८५, चुनाव से पूर्व सरकार त्यागपत्र दे १८६, विरोधी दलों के नाम पर स्वार्थ सिद्धि १८६

हिंसात्मक घटनाओं की तह तक पहुंचना आवश्यक १८८

घटनाओं की तह तक पहुंचें १८९, जयप्रकाश जी पर आरोप निराधार १९०, रे को लिखे पत्र का कारण १९२, एल० एन० मिश्रा की उपेक्षा १९२

लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना अनुचित १९४

लोकसभा का काल क्यों बढ़ाया जाय? १९४, परिवार नियोजन जरूरी १९५, विकास की गति तीव्र हो १९६, केवल लोक सभा का काल न बढ़ाएं १९८

४. अर्थव्यवस्था १९९–४२९

इस्पात औद्योगिक प्रगति की रीढ़ २००

इस्पात उद्योग के लिए सुझाव २००, भ्रष्ट नियुक्तियां २००, इंण्डेण्ट में देरी २०२, कार्यालय नहीं पोस्ट आफिस २०२, बदलाव सौदे २०३, भ्रष्टाचार का अड्डा २०४

सरकारी उद्यमों में बढ़ते घाटे २०६

अर्थनीति में आकाशीय परिवर्तन २०६, सरकार अपने व्यय पर संतुलन रखे २०७, असैनिक व्यय में वृद्धि २०८, निर्वाचनों में व्यय की सीमा २०९

देश की योजना को ग्रामोन्मुखी बनाया जाय २१०

बेरोजगारी की समस्या और पंचवर्षीय योजनाएं २१०, मंत्रालयों में समन्वय आवश्यक २११, अपनी भाषा में कारोबार हो २११, नैतिक स्तर गिर रहा है २१२, मूल्य नियंत्रण पर ध्यान दें २१२, परिवहन सुविधाओं का अभाव २१३, आयात नियन्त्रित किया जाय २१३, कृषि उत्पादन और उपकरण २१४, प्रान्तीयता बढ़ रही है २१५

भूमि अधिग्रहण और जन भावनाएं २१६

नए कारखाने गांवों को उजाड़ देते हैं २१६, किसानों की हिस्सेदारी हो २१७

योजना पर अन्धाधुन्ध खर्च रोका जाय २१८

हिन्दी भाषा की उपेक्षा २१८, सरकारी अपव्यय रोका जाय २१९, अन्धाधुन्ध खर्च २२०, सरकार की लालफीताशाही २२०, परिवार नियोजन २२१, समान विवाह संहिता २२१, बढ़ती बेरोजगारी २२२, कृषि नीति व्यावहारिक बने २२२

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारी खर्च पर नियंत्रण हो २२४

कमरतोड़ महंगाई और टैक्स २२४, सरकार का पातालफोड़ कुंआ २२४, डेपुटेशन की बीमारी २२५, देश का ऋणों पर भारी बोझ २२६, कालेधन की समस्या २२७, महंगाई भत्तों की समस्या २२७, नए उद्योग २२८, भारतीय इंजीनियरों को महत्त्व दें २२८, मूल्यों पर नियंत्रण जरूरी २२९

सीमेण्ट 'डिकंट्रोल' और ग्रामीण जनता २३१

सीमेन्ट का अभाव और महंगाई २३१, असंतुलित वितरण २३२, डिकन्ट्रोल से महंगाई बढ़ी २३३, उत्पादन लक्ष्य प्राप्त क्यों नहीं किया? २३४

सरकारी उद्योगों को लाभप्रद बनाया जाय २३५

आयात-निर्यात के आंकड़े २३५, सरकारी उद्योगों में लाभ की कमी २३६, सरकार खर्चों में कटौती करे २३७, त्याग को स्वयं प्रारम्भ करें २३८, विदेशी मुद्रा की स्थिति २३८, असफल विदेश नीति २३९

स्वर्ण नियंत्रण योजना से बेकारी बढ़ेगी २४०

स्वर्ण नियंत्रण असफलंता की प्रतिक्रिया २४०, सोने की तस्करी का मूल्य क्या है? २४१, सोने के प्रति अनुराग प्राचीन काल से है २४२, सोना विपत्ति-काल का धन २४२, चौदह कैरट सोना नहीं चलेगा २४३, सोने में अन्य धातुओं का मिश्रण २४४, बेरोजगारी बढ़ेगी २४५, वित्तमंत्री का राजहठ २४७

स्वर्ण नियंत्रण कानून हत्यारा कानून २४८

स्वर्ण नियन्त्रण : हत्यारा कानून २४८, देश में ३ लाख स्वर्णकार २४९, सेल्सटैक्स में कमी २४९, सोने की तस्करी नहीं रुकी २५०, भावों में लगातार वृद्धि २५१, गोल्ड बांड का तमाशा २५२, कंगाल सरकार २५२, सरकार आन्दोलन के लिए विवश करती है २५३, वित्तमंत्री ने चुनावी भाषण दिया २५५, सरकार स्वयं आलोचना करवाती है २५६

रूस और भारत की आर्थिक नीति २५८

रूसी मुद्रा और रुपये की कीमत २५८

लाठी-गोली का शासन स्थिर नहीं रह सकता २५९

७ नवम्बर की घटना २५९, सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है २६०, इंदिरा जी के अशोभनीय तर्क २६१, लाठी-गोली की सरकार २६२, शासन में सरकार की पकड़ ढीली २६२

देश की संस्कृति एवं बिरला परिवार २६४

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध २६५, रिपोर्ट परस्पर विरोधी २६५, आयोग स्वयं भ्रमित २६६

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारी भ्रष्टाचार से अरबों रुपयों की हानि २६८

वित्त मंत्रालय विदेशी ऋण का विवरण दे २६८, ग्रामों में सुविधाओं का विस्तार हो २६९, टैक्नीकल कालेज गांवों में खुलें २६९, टैक्सों की वसूली ठीक नहीं २७०, कृषि सम्पत्ति पर कर क्यों? २७१, गन्ना सस्ता क्यों? २७२, साइनबोर्ड टैक्स २७२

लाभांश पर रोक मध्यम वर्ग पर करारी चोट २७४

कागजी करेंसी की बहुतायत २७४, मध्यम वर्ग पर प्रहार २७५, सरकारी धन से निजी उद्योग २७५, छोटी कम्पनियों पर दुष्प्रभाव २७६, काला धन रोका जाय २७७, छापे धोखाधड़ी २७७, बड़ी मछलियां भी पकड़ो २७८

सरकारी धन के दुरुपयोग का ज्वलन्त उदाहरण २८२

सरकार द्वारा कम्युनिज़्म को प्रोत्साहन २८२, सरकार का जहांगीरी इंसाफ २८३, लिंक हाऊस में अवैध लिंक २८४, यह कौन सी रीति है? २८४

महंगाई पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम आवश्यक २८६

सुरसा के मुंह जैसी बढ़ती महंगाई २८६, महंगाई राष्ट्रीय प्रश्न है २८८, देशद्रोहियों को सख्त दण्ड दें २८९, मुद्रास्फीति पर रोक लगे २९०, निर्भयता की शिक्षा २९१, व्यापारी सरकार से एक कदम आगे २९२, आयातित तेल २९२, वितरण व्यवस्था में सुधार हो २९३, सुपर बाजार २९३, आयात को उदार बनाएं २९४

५. **कृषि** २९५–३३०

केरल का खाद्य संकट प्रशासन की उपेक्षा का परिणाम २९६

भूमि अधिग्रहण विधेयक किसानों के लिए घातक ३०१

किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला ३०१, मौलिक अधिकार का उल्लंघन ३०२, किसानों पर दोहरी मार ३०२

खाद्यान्नों के क्षेत्र समाप्त किए जायं ३०४

किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिया जाय ३०८

किसानों को चीनी मिलों से उनका बकाया दिलाया जाय ३११

बाढ़ और सूखे के लिए समन्वित योजना बने ३१४

सूखे की समस्या ३१७

किसान को उत्पादन का उचित मूल्य मिले ३२१

ग्रामों की उपेक्षा ३२१, किसान की चिन्ता नहीं ३२२, न्यूनतम मूल्य ३२३, किसानों को लाभ क्यों नहीं ३२३, गेहूं का मूल्य ३२४, गन्ना उपकर कहां गया? ३२६, चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण ३२६

गुड़ वादा व्यापार पर रोक हटे ३२९

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुड़ के वायदा सौदे ३२९

६. **सेना** ३३१–३६३

बाह्वोर्मे बलमस्तु ३३१

नृत्यगान की होड़ में देश सैन्यकरण को भुला बैठा ३३२

कृष्णा मेनन का आश्वासन ३३२, अनेक विदेशों के उदाहरण ३३२, दिल्ली जाने वालो कहना नेहरू सरकार से ३३३, डॉ. मुंजे को साधुवाद ३३४

सीमाओं की सुरक्षा में असमर्थ सरकार हटे ३३५

सीमाओं की रक्षा सेना को सौंपें ३३५, नेता अदूरदर्शी हैं ३३५, देशद्रोही तत्त्वों पर कटाक्ष ३३६

रक्षा प्रयत्नों में दलीय नीति को कोई स्थान नहीं ३३८

रक्षा तैयारियों पर विचार करें ३३८, अंडमान की सुरक्षा ३३९, पाक कश्मीर खाली करे ३३९, रावी पंजाब का भाग बने ३४०

चीनी सेना को खदेड़कर तिब्बत पर अधिकार करें ३४१

समझौते की भावना का पाक द्वारा अनादर ३४१, रक्षा नीति स्वयं की हो ३४२, भाषणबाजी से नहीं चलेगा ३४२, पाक-चीन सांठ-गांठ ३४३, चीन से अपनी धरती मुक्त करायें ३४३, कश्मीर की स्थिति पर विचार करें ३४४, सैनिक गुप्तचर-विभाग में त्रुटि ३४४, परमाणु बम शामक अस्त्र तो बनाइए ३४४, एन.सी.सी. प्रशिक्षण अपर्याप्त ३४५

रक्षा व्यवस्था में आत्मनिर्भरता आवश्यक ३४६

पाकिस्तान की नौ और वायु सेना ३४६, भारत की स्थिति क्या है? ३४७, युद्ध में जीते मेज पर हारे ३४८, रक्षा व्यवस्था के लिए धन की सीमा नहीं ३४८, रक्षा तैयारियों में आत्म-निर्भर बनें ३४८, सर्वभेदी रक्षापंक्ति बनाएं ३४९, सैनिक गुप्तचरता को बढ़ाया जाय ३५०, सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार ३५१

विद्रोही नागाओं से वार्ता बंद करें ३५२

सरकार की भूलें ३५२, एक के बाद एक भूलों का तांता ३५२, नागालैंड में शान्ति सेना? ३५३, सहनशीलता की भी सीमा है ३५४

रक्षा व्यय में कटौती आत्मघाती ३५५

बिक्रीकर की समस्या ३५६, कृषि उत्पादों का मूल्य ३५७, अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो ३५८, शराब पर कर लगे ३६०, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारें ३६१, प्रवासी भारतीयों से सम्बन्ध ३६१

अणुबम का निर्माण आवश्यक ३६३

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अणुबम बनाने के कट्टर समर्थक ३६३

७. **असम में पाकिस्तानी घुसपैठ** ३६७-४३२

असम में सात लाख पाकिस्तानी ३६७, भेदभाव का आरोप मिथ्या ३६८, मंत्रियों पर खर्च वृद्धि ३६९, वृहदाकार मंत्रिमंडल ३६९, अंग्रेजी का सौतिया डाह ३७०, दिल्ली की दुरवस्था ३७०, विदेशी शासकों की प्रतिमायें ३७१

बिजली की आपूर्ति और उद्योग ३७२

आर्थिक हानि ३७२, अतिरिक्त कल-पुर्जे साथ खरीदें ३७३, केन्द्र राज्य संबंध ३७४

असम में फखरुद्दीन अली की संदिग्ध भूमिका ३७६

फखरुद्दीन अहमद का असत्य कथन ३७६, संख्या वृद्धि का रहस्य क्या है ३७७, फखरुद्दीन अहमद से पूछा जाय ३७८, घुसपैठियों के साथ मानवीयता? ३७९, असम मंत्रिमंडल में पंचमांगी ३७९

उत्तर प्रदेश का विकास ३८०

साम्प्रदायिक दंगे ३८०, बाढ़ का प्रकोप ३८०, शिक्षकों का न्यून वेतन ३८१, राजनीतिक पीड़ितों की पैंशन ३८२, अस्पताल व परिवहन व्यवस्था ३८२

देश में व्यापक अराजकता और वामपंथी ३८३

विवश मुख्य-मंत्री ३८३, पश्चिमी बंगाल में अराजकता ३८३, राज्यों में राजद्रोह ३८४, चीन के निर्देश ३८५, सेना में घुसपैठ की योजना ३८५, पाकिस्तान से भी धन व अस्त्र ३८६, सरकार चुप क्यों? ३८६, सप्तसूत्री सुझाव ३८७

प. बंगाल में राष्ट्रपति शासन का स्वागत ३८८

क्रान्तिकारियों के प्रदेश में देशद्रोह ३८८, माओत्से तुंग राष्ट्रपति ३८९, मार्क्सिस्टों के बम कारखाने ३८९, देशद्रोहियों के बारे में सोचने का समय ३९०

पश्चिमी बंगाल के अराजक तत्त्व ३९१

चीनी शस्त्र और चीनी नोट ३९१, राजभवन को राजनीति में लपेटा ३९२, वे विनाशकारी शक्तियां ३९२, पुलिस में प्रवेश की जांच हो ३९३, विश्व विद्यालयों पर दृष्टि रखें ३९४, पश्चिमी बंगाल के हिन्दी शिक्षक ३९४

सिक्किम का भारत में विलय स्वागत योग्य ३९५

भारतीय संसद में सिक्किम का प्रतिनिधित्व ३९५, भारतीय प्रतिनिधि का स्वागत ३९६, चीन की ताल पर थिरकने वाले भारतीय ३९६, नेपाल के भारत में विलय का प्रस्ताव ३९७, सिक्किम में नेपाली बहुमत ३९७, पर्यटन को बढ़ाया जाय ३९८

अण्डमान निकोबार का नाम बदलना राष्ट्रीय भावना के अनुरूप ४००

नेता जी का पुण्य स्मरण ४००, अण्डमान में नेताजी का सम्मान ४०१, द्वीप के

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निवासियों का ध्यान रखा जाय ४०२, पर्यटन उद्योग की संभावनाएं ४०२, पराधीनता की स्मृति से मुक्ति पायें ४०३, सिंगापुर में नेताजी का स्मारक

भाषावार प्रान्त रचना भारी भूल ४०५

पंजाबी सूबा ४०५, पंजाबी सूबे की मांग साम्प्रदायिक है ४०५, सरदार पटेल की स्पष्टोक्ति ४०६, मंत्री साम्प्रदायिकता से ऊपर उठें ४०७, सिखों का प्रतिनिधित्व ४०८, भूलों की पुनरावृत्ति न की जाय ४०८

भाषाई राज्यों से देश के छिन्न भिन्न होने का खतरा ४१०

परस्पर आत्मीयता का अभाव ४१०, राज्यों में विवाद ४११

पंजाबी सूबे की मांग घातक ४१२

पंजाब की एकता ४१२, हिन्दू सिख एक हैं ४१३, सारे सिख विभाजन के समर्थक नहीं ४१३, पारिवारिक सम्बन्धों में दरार न पड़े ४१४, पूजा स्थलों से राजनीति ४१५

पंजाबी सूबे का आधार भाषा नहीं पंथ ४१६

भारत सरकार की अदूरदर्शिता ४१६, तारासिंह सिख राज्य के लिए सक्रिय ४१७, भाषा की नहीं पंथ की मांग है ४१८, देश के इतिहास में काला दिन ४१९, मातृभाषा का प्रश्न ४२०, पंजाबी सूबा बनने से मिला क्या? ४२१, लिपि में विकल्प हो ४२१, चण्डीगढ़ दोनों की राजधानी रहे ४२२, देश को पांच भागों में विभक्त करें ४२३, प्रारम्भ में राष्ट्रपति शासन हो ४२३

पंजाब के विभाजन का सूत्रपात ४२५

सरकार की दृष्टि में संसद महत्वहीन ४२५, पं. नेहरू पंजाब विभाजन के विरुद्ध थे ४२६, मुख्य और गृहमंत्री भी विभाजन के विरुद्ध थे ४२७, राष्ट्रीय एकता की उपेक्षा ४२७, देवनागरी की मान्यता यथावत रहे ४२८, भाषा सम्बन्धी आंकड़े सांप्रदायिक आधार पर नहीं ४२८, धर्मस्थलों से राजनीतिक आन्दोलन न चले ४२९

देश को पांच प्रशासनिक क्षेत्रों में विभक्त किया जाय ४३०

८. और अन्त में..... ४३३–४३५

विश्वविद्यालयों में अनुशासन पर बल ४३३, विश्व विद्यालयों में अनुशासन हीनता ४३४

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेश नीति

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेश नीति

किसी भी देश की विदेश नीति उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का दर्पण होती है। इससे देश के साथ किन देशों के सम्बन्ध घनिष्ठ हैं, किनके साथ उदासीन श्रेणी है तथा कौन से देश शत्रुभाव रखते हैं; इसका आभास मिलता है। विदेश नीति व्यवहार के लिए तात्कालिक भी हो सकती है परन्तु दीर्घगामी स्तर पर इसका सर्वोपरि मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित ही होता है।

विदेश नीति के बारे में हमारे पूर्ववर्ती नीतिकारों का मत है कि राष्ट्र के लिए जो भी खतरे हैं उनमें एक खतरा पड़ोसी राजा होता है। 'अत्यासन्नाश्च राजानः', इसी प्रकार चाणक्य ने कहा है, 'अनन्तरः प्रकृतिः शत्रुः' जिस देश के साथ हमारे देश की सीमा सटी है, वह हमारा शत्रु है। हमारे देश के लए यह शत-प्रतिशत ठीक बैठती है। पाकिस्तान, चीन इसके आधुनिक उदाहरण हैं।

विदेश नीति के दो आधार हैं आभ्यन्तर और वाह्यान्तर। चाणक्य ने विस्तार से बताया है कि विदेशों में राजदूत किस प्रकार के रखें और गुप्तचर व्यवस्था कैसी हो। विदेश नीति षड्गुण्यपरक—संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। इसी छह को साम, दाम, दण्ड भेद में अभिव्यक्त किया गया है। हमारे इतिहास में संधि की भूल से कई अनर्थ हुए हैं। पृथ्वीराज का गौरी के साथ तथा स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की पाकिस्तान व चीन के साथ। ये संधियां सदा भारत के विपरीत गई हैं। इसका मुख्य कारण शत्रु की चाल को न समझकर उस पर अत्यधिक विश्वास करना है। कहा है— 'हस्तगतमपि शत्रुं न विश्वसेत्।'

राजनीति में विश्वास की रेखा बड़ी क्षीण होती है। पारस्परिक हानि-लाभ, जोड़-तोड़ एवं विभिन्न समीकरण के कारण राजनीति को अपना रंग बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए चाणक्य ने 'पुंश्चली हि राजनीति'—राजनीति की तुलना वेश्या से की है जो सभी को प्यार का नाटक करती है पर किसी को प्यार नहीं करती। इसके विपरीत वह सबसे घृणा करती है। राजनीति की इस चंचलता के कारण चाणक्य को यह भी कहना पड़ा कि जिस पर आप विश्वास करते हैं उस पर भी विश्वास न करें। जिस पर आपको विश्वास नहीं उसका विश्वास करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता पर— 'विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत' अविश्वास से उत्पन्न भाव मूल को ही नष्ट कर देता है— 'विश्वासात भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति।

विदेश नीति के लिए सरकार की आंखें विदेश स्थित उसके राजदूत होते हैं। 'दूत मुखाः वै राजनः', 'चार चक्षवः हि राजानः', 'दूरस्थमपि चार चक्षुः पश्यति राजा' अर्थात् राजदूत और गुप्तचर राजा की आँखें हैं' अर्थात् इनके माध्यम से ही वह विदेशों की कूटनीति को समझ, देख सकता है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रहित में विदेश नीति में परिवर्तन जरूरी

शास्त्री जी की देश की विदेश नीति पर पैनी नजर थी। विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर १८ मार्च १९६३ को हुई बहस इसका प्रमाण है। उन्होंने मित्र और उदासीन देशों में अन्तर करते हुए तथा पाकिस्तान और कश्मीर के सम्बन्ध में व्यावहारिक नीति अपनाने पर बल दिया।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने किसी भी गुट में सम्मिलित न होने की अपनी नीति बहुत पूर्व घोषित की थी। किसी भी गुट विशेष में सम्मिलित न होने की नीति का आधार यह था कि भारत स्वतन्त्र रूप से तटस्थ रह कर अपनी राजनीतिक समस्याओं का समाधान और विकास करना चाहता है। परन्तु जब से चीन का भारतीय सीमाओं पर आक्रमण हुआ है, उस समय से भारत की तटस्थ नीति को कसौटी पर कसा जाना जरूरी है। जहां तक भारत की सामान्य जनता का सम्बन्ध है, वह भारत की इस तटस्थ नीति की समर्थक है। किन्तु इस तटस्थ नीति के भी समर्थक दो प्रकार के हैं। एक तो कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टों से सहानुभूति रखने वाले हैं, दूसरे में बाकी सारा देश।

लगभग सारे देश की विचारधारा यह है कि हमें अपनी तटस्थता को सुरक्षित रखते हुए अपनी विपत्ति और संकट को टालने के लिये दूसरे देशों से जिस प्रकार से भी सम्भव हो, सहायता लें। लेकिन कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट समर्थक हमारी तटस्थता की नीति को ऐसी कसौटी पर कसना चाहते हैं जिसका परिणाम यह हो कि पश्चिमी देशों की जो सहानुभूति इस संकट काल में हमारे साथ बनी है वह किसी प्रकार से हिल जाय। आज अगर हम अपने संकट निवारण के लिये दूसरे देशों से सहायता लेते हैं तो यह तो एक तात्कालिक समस्या है। हमारी तटस्थता की नीति को ऐसे आधारों पर कसना जिनसे जो देश हमें सहायता देना चाहते हैं उनका ध्यान हम से हट जाय, यह एक प्रकार से भारत के साथ ही अन्याय करना नहीं होगा बल्कि उन देशों को समर्थन देना होगा जो हमारी स्वतन्त्रता को खतरे में डालना चाहते हैं।

जहां तक रूस और चीन के पारस्परिक मतभेद का सम्बन्ध है, मेरी अपनी निश्चित राय यह है कि रूस और चीन के साधनों में मतभेद हो सकता है, किन्तु साध्य में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। मोटी सी भाषा में दोनों में इस विषय में तो भिन्नता हो सकती है कि भारतवर्ष में जो साम्यवाद फैले वह चीन के झंडे के नीचे फैले या रशिया के झंडे के नीचे। लेकिन भारतवर्ष में साम्यवाद का प्रचार या प्रसार हो इस विषय में दोनों एक हैं। लेकिन जहां तक अमरीका और ब्रिटेन का सम्बन्ध है, वे यह चाहते हैं कि भारत जहां अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करे वहां साथ ही भारत में साम्यवाद का प्रचार न हो। भारत स्वतन्त्र रूप से रहकर जिस प्रकार अब तक अपनी नीतियों का विकास करता आया है उसी प्रकार भविष्य में भी अपनी नीतियों का विकास करे। भारतीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करना हमारे लिये कहीं अधिक हितकर होगा जो किसी राजनीतिक स्वार्थ विशेष को मस्तिष्क में न रख कर हमें सहयोग देना चाहता हो।

रूस की ओर से जो सहयोग हमें तीन या चार मिग विमानों का अब तक प्राप्त हुआ है उसमें भी हमें यह स्थिति देखनी होगी कि तीन या चार मिग विमानों से हम भारतीय स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकेंगे या नहीं, जब कि हमको उस देश का सामना करना है जिसके पास लगभग तीन हजार विमान बतलाये

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाते हैं। और जो उसके पास राकेट या प्रक्षेपणास्त्र हैं वह भी बहुत बड़ी संख्या में हैं।

हम रूस के इतने अंश में आभारी हैं कि उन्होंने काश्मीर की समस्या पर सुरक्षा परिषद में हमारा समर्थन कर भारतीय जनता की सहज सहानुभूति प्राप्त की, लेकिन ऐसे संकट के समय में जब कि हमारे देश की सीमाओं पर आक्रमण हुआ और हमारी स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो गया, उस समय हाथ खींच लेने को और विरोधी को सहयोग देने की प्रवृत्ति को भारतीय जनता स्वीकार नहीं कर सकती।

मैं वैदेशिक नीति के संबंध में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हम अपनी विदेश नीति को व्यक्ति प्रधान न बनाएं। अगर नेपाल में कोयराला की सरकार है तो नेपाल के साथ हमारी सरकार का रुख दूसरा है और जब उसके स्थान पर दूसरी सरकार आ गयी तो हमारा काम करने का और वक्तव्य देने का ढंग दूसरा हो गया। बर्मा में ऊ नू की सरकार थी तो हमारे संबंध अच्छे थे लेकिन ने विन की सरकार वहां आ गयी तो हमारे सोचने का ढंग दूसरा हो गया। जब तिब्बत पर चीन का आक्रमण हुआ तो इस देश के बड़े-बड़े नेताओं ने कहा कि यह चीन का अन्दरूनी मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब हम उसके अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सके तो नेपाल में चाहे राजतंत्र रहे या प्रजातंत्र रहे हमको क्यों उसकी चिन्ता करनी चाहिये और क्यों इस प्रकार नेपाल से जो हमारे सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंध हैं उनको खराब कर देना चाहिये? यह नीति भारत के हित में अच्छी नहीं रही।

हमें इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की नेपाल यात्रा से भारत और नेपाल के संबंधों में जो कटुता उत्पन्न हो गयी थी उसको दूर करने में बड़ी सहायता मिली। मेरा अपना विचार है कि जहां भारत और नेपाल के भौगोलिक संबंध निकट के रहें वहां नेपाल के साथ हमको अपना सांस्कृतिक संबंध भी और घनिष्ठ करना चाहिये। ऐसा भारत के बड़े हित में होगा।

भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनमें पाकिस्तान के विषय में तो मुझे यह विश्वास नहीं होता कि जितनी सद्भावना और प्रेम उससे समझौता करने के लिये भारत ने प्रदर्शित किया है उतनी ही सद्भावना पाकिस्तान भारत के साथ भी प्रदर्शित करेगा। किन्तु इतना अवश्य है कि वह देश जिनकी स्वतंत्रता प्राप्ति में हमने मदद दी है, उनके बारे में अपनी विदेश नीति को कसौटी पर कसते समय हम सोचें कि उनके संबंध में हमसे कोई भूल तो नहीं हो गयी है जिसके कारण वे देश हमसे अलग होते जा रहे हैं और अपने मन में कटुता लेकर बैठे हैं। अगर ऐसा है तो हमें अपनी वैदेशिक नीति पर फिर से विचार करके उसमें परिवर्तन करना चाहिये जो कि आज देश की परिस्थितियों को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान स्थितियों में हमें इन देशों के साथ केवल राजनीतिक संबंध ही नहीं बढ़ाने चाहिये वरन् हमको इनके साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंध भी दृढ़ करने चाहियें, और साथ ही साथ उनके साथ अपने सांस्कृतिक संबंध भी बढ़ाने चाहियें। कुछ समय पहले हमने अपने देश में बुद्ध जयन्ती मनायी थी केवल इसीलिए कि हम अपने पड़ोसी देशों की भावनाओं को अपनी ओर मोड़ सकें। जिससे भारत को उनका हार्दिक समर्थन प्राप्त हो। जब उस समय हम यह कदम उठा सकते थे तो आज हमको इस प्रकार के सांस्कृतिक पग उठाने में क्यों आपत्ति होनी चाहिये?

कोलम्बो प्रस्तावों के संबंध में मैने पहले भी निवेदन किया था कि मुझे विश्वास नहीं कि चीन कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेगा, और अगर कोलम्बो प्रस्तावों को चीन स्वीकार कर भी लेता है तो उन पर वह टिका रहेगा इस संबंध में कैसे विश्वास किया जा सकता है? लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ही

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वयं यह मान गए हैं तथा चीन और हमारे समाचार पत्र भी यह कहते हैं कि चीन ने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए हैं। अब वे ६ तटस्थ राष्ट्र जिन्होंने कोलम्बो प्रस्तावों को बनाया था, क्यों नहीं स्पष्ट भाषा में चीन को हमलावर घोषित करते? लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन ६ राष्ट्रों में से चार की सहानुभूति हमारे साथ नहीं है। जब चीन कोलम्बो प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो भारतवर्ष भी अब स्वतंत्र है कि क्या निर्णय ले और कैसे उस लक्ष्मण रेखा को लांघे। सरकार आज भी कहती है कि नेफा में हमारा असैनिक प्रशासन ही रहेगा, सेना यहां नहीं जाएगी। लेकिन जब चीन ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है तो हमको भी अपनी सेना नेफा क्षेत्र में बढ़ानी चाहिये और लद्दाख की भी अपनी चौकियों पर पूरा अधिकार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह नीति और परिस्थिति दोनों की ही मांग है। चीन कोलम्बो प्रस्तावों को अस्वीकार करके अपनी कूटनीतिक विजय दिखाना चाहता है और दुनिया को भारत की कूटनीतिक पराजय दिखाना चाहता है। चीन की शांति प्रस्तावों के पीछे सद्भावना नहीं है। वह शांति के नाम से भारत पर कूटनीतिक विजय प्राप्त करना चाहता है और भारत का समर्पण कराना चाहता है। लेकिन हम इस समर्पण के लिये तैयार नहीं हैं।

इसके साथ ही साथ मैं नम्र निवेदन करूंगा कि चीन और पाकिस्तान के समझौते के संबंध में भी प्रधान मंत्री जी कल बहस का उत्तर देते समय विशेष प्रकाश डालें। काश्मीर के प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने अभी तीन चार दिन पहले एक वक्तव्य दिया था कि चीन और पाकिस्तान का सीमा संबंधी जो समझौता हुआ है और जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ गुप्त समझौता हुआ है। अगर बख्शी गुलाम मुहम्मद को इस बात की जानकारी है तो यह असम्भव है कि हमारे प्रधान मंत्री जी को उसकी जानकारी न हो। अगर वह जानकारी संसद को देना देश के हित के विरुद्ध न हो तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री जी सदन को वह जानकारी अवश्य दें।

चीन के विदेश मंत्री श्री च्येन पी ने एक वक्तव्य में कहा है कि श्रीमती भंडारनायके और कोलम्बो राष्ट्रों ने चीन को अपने प्रस्तावों का जो स्पष्टीकरण दिया है वह उससे भिन्न है जो उन्होंने भारत को दिया है। इसलिये मैं यह भी चाहूंगा कि कल हमारे प्रधान मंत्री जी चीन के विदेश मंत्री के इस वक्तव्य के संबंध में अपना स्पष्टीकरण अवश्य दें जिससे पता तो चले कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर चीन के विदेश मंत्री का वक्तव्य सही है तो यह बात न हमारे हित में है और न चीन के हित में है।

अभी प्रधान मंत्री जी ने अपनी मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान एक दो स्थानों पर कहा किदेश को यह नहीं मान लेना चाहिये कि लड़ाई दूर हो गयी, ज्यों-ज्यों गरमियां आ रही हैं लड़ाई की सम्भावना बढ़ रही है और कोई नहीं कह सकता कि कब लड़ाई आरम्भ हो जाय। मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार भोपाल और रायपुर में कहा उसी कें अनुसार देश को इस संकट की ओर से सदा सतर्क बनाए रहें और ऐसा न हो कि हम पर अचानक हमला हो जाए तब हम नए सिरे से तैयारी करना प्रारम्भ करें।

एक और बात की ओर मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा। सदन के कतिपय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि विदेशों में हमारे राजदूत भारतीयों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि वे वहां के निवासियों से अपने कर्त्तव्य का पालन ठीक तरह से करते होंगे। यह शिकायत विरोधी सदस्यों या विरोधी पार्टियों की ही नहीं लेकिन शासनारूढ़ दल के सदस्यों का भी यह व्यक्तिगत अनुभव है कि हमारे राजदूतों ने उनके साथ अच्छा

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यवहार नहीं किया। विदेशों में जितने भारत के राजदूत हैं उनमें अधिकांश सिविल सर्विस के जनता से संबंध न रखने वाले लोग हैं। मैं यह नहीं कहता कि सिविल सर्विस के सभी लोग खराब हैं। उनमें अच्छे भी हैं। उदाहरण के लिए श्री छागला अमरीका में रह कर अच्छा काम कर रहे हैं। अतः ऐसे लोगों को इन पदों पर भेजना चाहिये जिनका जनता से भी सम्पर्क रहा हो और जो जनता की कठिनाइयों से परिचित हों।

इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में हमने कंधा लगाया था लेकिन इंडोनेशिया के हमारे राजदूत ने हमको वहां जो हमारे प्रति भावना थी उसकी सूचना तक नहीं दी और उसका पता हमको उस समय लगा जब कि जकार्ता में एशियन गेम्स के समय हमारे विरुद्ध आन्दोलन हुआ। हमारे राजदूतों को विदेशों में सतर्क रहना चाहिये।

पाकिस्तान के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है उसके संबंध में सरकार की ओर से कहा गया था कि कलकत्ता की बातचीत अन्तिम बातचीत होगी। बहुत सम्भव है कि ऐसा कहने का आधार यह हो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी यह कहा था। लेकिन अब यह बातचीत कलकत्ता में समाप्त नहीं हुई और कराची के लिये उसका पांचवां दौर रखा गया है। इसके अतिरिक्त कलकत्ता की कान्फ्रेंस में असम में जो पाकिस्तानी नागरिक आ गए हैं उनका प्रश्न पाकिस्तान की ओर से उठाया गया जब कि यह समस्या हमारी थी। यह सवाल हमारी ओर से उठाया जाना चाहिये था। इसी प्रकार राजस्थान की सीमा पर भी ऐसी समस्यायें हैं और बंगाल की सीमा पर भी आक्रमण और डकैतियों की समस्या है। इन तमाम चीजों को वहां उठाना चाहिये था।

मैं एक बात यह विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जिम्मेदार व्यक्ति और नेता काश्मीर समस्या के संबंध में जो वक्तव्य दें वे ऐसे न होने चाहिये कि जो देश के लिए अहितकर हों। श्री तय्यवजी ने काश्मीर के संबंध में यह वक्तव्य दिया है कि काश्मीर का एक तिहाई भाग जो पाकिस्तान के पास है उसके विकास के लिए काश्मीर का कुछ दूसरा भाग भी हमको पाकिस्तान को देना चाहिये। जब एक जिम्मेवार व्यक्ति ऐसा वक्तव्य देता है तो उसका परिणाम देश के लिये अच्छा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री को इसकी जानकारी होगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में ये शब्द कहे गए हैं :

> "अनुभव किया गया है कि केवल अंग्रेजी भाषा में ही सामग्री का वितरण करना पर्याप्त नहीं।"

विदेश मंत्रालय की अपनी ऐसी सम्मति है। लेकिन इसी पैराग्राफ में दूसरे भाग में यह भी लिखा है कि १९६२ के अंतिम दो महीनों में भारत चीन सीमा विवाद पर अधिकतर अंग्रेजी भाषा में ३१ पुस्तिकाएं निकाली गईं। चूंकि भारतीय जनता भारतीय भाषाओं से परिचित है इसलिये मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी इस चीज को देखें कि विदेश मंत्रालय में भारतीय भाषाओं का सम्मान अवश्य होना चाहिये। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अरब राष्ट्रों की अविश्वसनीयता

१५ जुलाई १९६७ को विदेश मंत्रालय पर बहस के समय शास्त्री जी ने विदेश नीति के तीनों आधारों पर उसे पूर्णतः असफल बताया। तटस्थता की नीति को भी अप्रासंगिक बताते हुए उन्होंने कहा कि अरब राष्ट्र पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ हुए युद्धों में भारत की कसौटी पर खरे मित्र सिद्ध नहीं हुए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, वैदेशिक नीति का आधार प्रमुख रूप से तीन कसौटियां होती हैं। पहला आधार है रक्षा की स्थिति, दूसरा आधार है आर्थिक सम्बन्ध और तीसरा आधार है जो भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं उनके हितों की रक्षा। हमारी वैदेशिक नीति इन तीनों कसौटियों में सफल रही है। इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि जहां तक हमारी रक्षा व्यवस्था का सम्बन्ध है वैदेशिक नीति या कूटनीति रक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार सहायक नहीं हो सकती है। पिछले दो संघर्षों में हमारी वैदेशिक नीति बुरी तरह असफल रही है। वह इस बात की परिचायक थी कि पिछले बीस वर्षों में वैदेशिक नीति में किसी प्रकार की त्रुटि रही है।

जहां तक हमारे आर्थिक सम्बन्धों का प्रश्न है सबसे बड़ा उदाहरण विदेश नीति की असफलता का यह है कि १९५१ में जो दूसरे देशों को हमारा निर्यात होता था १९६५-६६ में उस निर्यात में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इससे भी पता चलता है कि हमारी विदेश नीति आर्थिक सम्बन्धों का विस्तार करने में किसी प्रकार भी अधिक सहायक नहीं हो सकी है।

जहां तक दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों के हितों की सुरक्षा का सम्बन्ध है अभी कल परसों ही अदन से हमारे देश के कुछ नागरिक निकाले गये। कल ही विदेश मंत्री से यह पूछा गया था कि उनके वहां से हटाये जाने का कारण क्या है? तो केवल यह कह कर उन्होंने बात को समाप्त कर दिया कि कुछ यहूदियों के ऊपर हमले हो रहे थे उससे भयभीत हो कर उन्होंने अपने परिवार यहां भेज दिये। मैं समझता हूं कि विदेश मंत्री का इससे अधिक सफेद झूठ कुछ और नहीं हो सकता है। कल जो बम्बई में ६८६ व्यक्ति पहुंचे हैं उन्होंने यह कहा है कि तीन दिन के अन्दर नब्बे बार तो वहां पर गोलियां चलाई गई हैं। बैंकों से हमारा सम्बन्ध बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। कारोबार हमारा बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है। सड़कों पर हम सुरक्षित नहीं निकल सकते हैं। स्त्रियों और पुरुषों ने रो-रो कर अपनी जो दर्दनाक घटनायें बताईं उनको दो बड़ी न्यूज एजेंसीज पी.टी.आई. और यू.एन.आई. ने समाचारपत्रों तक पहुंचाया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीयों की स्थिति न सिर्फ अदन में बल्कि दक्षिण अफ्रीका में, श्रीलंका आदि में क्या है। भारतीयों के साथ क्या-क्या घटनायें वहां घट रही हैं। एक-एक देश का उदाहरण दे कर मैं अपने कथन को उधर नहीं मोड़ना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन तीनों क्षेत्रों में, रक्षा व्यवस्था में, आर्थिक सम्बन्धों के सुधार में तथा प्रवासी भारतीयों की दूसरे देशों में रक्षा करने में हमारी विदेशनीति सर्वथा सफल रही है।

विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता यह होती है कि वह अपने हितों की रक्षा कूटनीतिक क्षेत्रों में

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी अधिक से अधिक करे। इस समय हमारी सीमाओं पर दो सबसे बड़े शत्रु हैं एक चीन है और दूसरा पाकिस्तान है। चीन चूंकि शक्ति के उन्माद में है इसलिए चीन के जो सहयोगी राष्ट्र थे वे चीन विरोधी होते जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के वे अंग जो चीन के समर्थक थे, उदाहरण के लिये जापान की कम्युनिस्ट पार्टी, वे भी चीन के शक्ति उन्माद में होने से चीन-विरोधी हो चुके हैं। हांगकांग में चीन विरोधी भावनायें भड़क रही हैं। वर्मा में भड़क रही हैं। इंडोनेशिया की घटनाओं से हम परिचित हैं। कम्बोडिया जो चीन का सबसे बड़ा समर्थक था आज उसकी स्थिति भी चीन विरोधी हो चुकी है। श्याम आदि कई देशों में चीन के विरुद्ध बहुत बड़ी घृणा फैली हुई है। एक स्पष्ट सवाल मैं विदेश मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि चीन के विरुद्ध इन देशों में जो घृणा फैली हुई है भारत ने उस घृणा का क्या लाभ उठाया है? भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता यह होनी चाहिये कि इस स्थिति में हम उन्हें निकट ला पाते। हमें चाहिये था कि हम इससे लाभ उठाते। मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह स्पष्ट भाषा में हमें बतायें कि इतनी बड़ी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिये भारतीय विदेश नीति किन अर्थों में सफल हुई है?

विदेश मंत्रालय में जो हमारा चीन विभाग है आज तक चीन के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये उसने अपनी आंखों पर या तो ब्रिटेन का चश्मा लगाया हुआ है या अमरीका का या रूस का लगाया हुआ है। जो चीन सम्बन्धी विभाग विदेश मंत्रालय में हैं भारत की अपनी नीति क्या है चीन के सम्बन्ध में इसके बारे में वह अपने मस्तिष्क को स्पष्ट नहीं कर पाया है। और चीन के सम्बन्ध में कोई निर्णय भी अभी तक किसी प्रकार का वह नहीं ले पाया है।

मैं इसको बहुत ज्यादा बलवती भाषा में तो नहीं कह सकूंगा या इसकी बलवती भाषा में तो आग्रह नहीं कर सकूंगा कि भारत ने जो तटस्थता की नीति अपनाई है वह क्यों नहीं ताइवान और फारमोसा के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध रखती? लेकिन इस बात को मैं बलवती भाषा में कहना चाहता हूं कि आज चीन की आन्तरिक स्थिति से परिचित होने के लिये जो द्वार या खिड़कियां हैं, जिनसे चीन की स्थिति को पढ़ा जा सकता है उसमें फारमोसा भी एक है। आप भले ही फारमोसा के साथ राजनीतिक सम्बन्ध न रखें, लेकिन उसके साथ अपने सम्बन्धों को इतना काट कर भी आप न रखें कि फारमोसा के माध्यम से जो चीन की घरेलू स्थिति का पता चल सकता है या उसके माध्यम से आप अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं उसकी सर्वथा उपेक्षा हो। यह हमारी विदेश नीति की कुशलता होनी चाहिये कि अगर हमने उनसे राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रखे हैं तो और कई इस प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं जिनके द्वारा हम उनसे मैत्री रख सकते हैं।

कुछ सदस्यों के साथ मुझे अभी फारमोसा जाने का अवसर मिला। वहां जा कर मैंने चीन के सम्बन्ध में जानकारी ली। भारतीयों के प्रति जो उनके विचार थे उनको जानने की भी कोशिश की। आज वहां के सबसे बड़े नेता जनरल च्यांग काई शेक हैं। उन्होंने हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में बड़ा योग दिया था। एक हमारे साथी ने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आप काश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद् में या संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा साथ देते ? यह जब उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने उस समय उसी भाषा में उत्तर दिया कि हमारे सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में कैसा पार्ट आपने अदा किया है इसको भी आपने कभी सोचा है? आप हमसे समर्थन की आशा करते हैं तो हमारे प्रति आपकी नीति क्या रही है क्या इसको भी आप ने कभी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जानने की कोशिश की है? राजनीतिक सम्बन्धों की बात को आप छोड़िये। जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि हमने उनसे पूछा कि कांश्मीर के सम्बन्ध में आपकी नीति क्या है तो उन्होंने कहा कि मैं काश्मीर को कोई समस्या ही नहीं मानता हूं। मैंने भारत के विभाजन के पूर्व ही पंडित नेहरू को पत्र लिखा था कि हिन्दुस्तान का विभाजन भारत को ही नहीं दुनिया को भी बहुत महंगा पड़ेगा और आज भी मेरी स्पष्ट नीति यह है कि काश्मीर की समस्या कुछ नहीं है अगर इस दीवार को बीच में से हटा दिया जाये। उन्होंने कहा कि न केवल भारत और पाकिस्तान लेकिन जहां-जहां भी दुनिया में इस प्रकार के देशों का बंटवारा हुआ है वहां की स्थायी शान्ति सदा के लिये समाप्त हो गई है। मेरा निवेदन यह है कि जिन की आज भी भारत के प्रति इतनी हित भावना है उनसे राजनीतिक सम्बन्ध आप भले ही न रखें लेकिन दूसरे प्रकार के सम्बन्धों को तोड़ कर रखें तो कोई बुद्धिमत्ता की नीति प्रतीत नहीं होती है।

जहां तक पश्चिम एशिया की नीति का सम्बन्ध है अरब और इजराइल के संघर्ष में मेरी स्पष्ट राय यह है कि भारत की विदेश नीति पिछले बीस वर्षों में व्यक्ति विशेष को आधार मान कर चलती रही है। पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में जो हम ने अपनी नीति निर्धारित की है उसका एक बहुत बड़ा आधार व्यक्ति पूजा थी। पंडित नेहरू ने अपने समय में नासिर साहब के साथ अपने किसी प्रकार के सम्बन्ध रखे थे। लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थीं। लाल बहादुर जी के समय की परिस्थितियां अलग थीं और आज के समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आज भी हम श्री नेहरू और कर्नल नासर के सम्बन्धों को लेकर पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में पुरानी घिसी-पिटी नीति के साथ चिपटे रहें यह भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिये संगत बात प्रतीत नहीं होती है। हम देख चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष में कर्नल नासर ने और इजिप्ट के लोगों ने पाकिस्तान को हमलावर तक कहने का साहस नहीं किया और न ही चीन को कहने का किया। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में भी हम देख चुके हैं कि अरब राष्ट्रों ने किस प्रकार पाकिस्तान की कमर पर आ कर उसका समर्थन किया। हम देख चुके हैं कि भारत सुरक्षा परिषद् का उम्मीदवार बन कर जब खड़ा हुआ तो अरब राष्ट्रों का उस समय किस प्रकार का रुख था? ऐसे समय में उस व्यक्ति पूजा के आधार पर अपनी उसी पुरानी नीति पर चिपटे रहना कोई समझदारी और बुद्धिमत्ता की बात प्रतीत नहीं होती। मेरा निवेदन है कि इस संम्बन्ध में भारत सरकार को फिर से सोचना चाहिये।

यों भी भारत की विदेश नीति का मूल आधार सह-अस्तित्व है जबकि अरब राष्ट्र सहअस्तित्व की नीति का विरोध करना, धर्म समझते हैं। ऐसी स्थिति में भारत की विदेश नीति अरब राष्ट्रों के साथ किस प्रकार मेल खा सकती है। आप यह भी देखें कि जो प्रस्ताव भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपस्थित किया था उसका क्या परिणाम हुआ? जो उसका रूप बना वह भारत की पचास करोड़ जनता के अन्दर ग्लानि उत्पन्न करने वाला था। इन सब बातों को देख कर हम को अपनी भूल का सुधार करना चाहिये था। सुधार का उपाय यही हो सकता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में और सुरक्षा परिषद् में स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करें कि स्वेज नहर को अन्तर्राष्ट्रीय नहर बनाया जाये जिससे आगे चल कर इस प्रकार की कठिनाइयां हमारे मार्ग में तथा दूसरे देशों के मार्ग में बार-बार उपस्थित न हों।

जहां तक विदेश सेवा में सुधार का सम्बन्ध है, मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि श्री जवाहर लाल नेहरू के समय में एन.आर. पिल्ले कमेटी बनी थी और जिसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है और कुछ

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुझाव भी दिये हैं। उसके प्रकाश में विदेश सेवा में कहां-कहां और किस-किस रूप में सुधार आया है। मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्री अपने उत्तर में इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत दें कि इतने अनुभवी लोगों की जो कमेटी बनी थी उसने क्या अपने सुझाव दिये थे? क्यों नहीं उसके सुझावों को अब तक पार्लियामेंट के सामने लाया गया और उसके आधार पर आपने विदेश सेवा में क्या परिवर्तन किये हैं?

अध्यक्ष जी, आप को कष्ट होगा पिछले साल की इस घटना को सुन कर। इस घटना को जब मैंने सुना मेरा तो सिर लज्जा के साथ झुक गया। थाईलैंड के महाराज के एक राजगुरु हैं। थाई देश का धर्म बौद्ध धर्म है। उनके जो राजगुरु हैं वह शैव धर्म के मानने वाले हैं। कभी उनकी पुरानी पीढ़ियां दक्षिण भारत से जा कर श्याम में बसी थीं। वह अपनी मातृभूमि की यात्रा करने के लिए यहां पर आना चाहते थे और उसी आधार पर थाईलैंड के महाराज की उन्होंने अनुमति ली कि मैं भारत जाना चाहता हूं। थाईलैंड में जो हमारे राजदूत थे उन्होंने भी यह कहा कि उनके भारत जाने का परिणाम थाई महाराज के परिवार पर अच्छा पड़ने वाला था, सारे श्याम पर अच्छा पड़ने वाला था। लेकिन भारत सरकार ने तीन महीने लगातार इस बात के विचार में लगा दिये कि थाईलैंड महाराज के जो राजगुरु हैं उनको भारत आने दिया जाय या न आने दिया जाय। बाद में जब वह स्वयं रुक गये तो कहा गया कि हमको उनके आने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की जो छोटी-छोटी भूलें होती हैं विदेश में इनका कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। उससे पहले भी दो पार्टियां थाईलैंड की यहां आ रही थीं। एक खेलने के लिये आ रही थी, दूसरा सांस्कृतिक दल था। जब वह पार्टी थाईलैंड के एयर पोर्ट पर आ गई तब हमारे राजदूत ने यह संदेश भेजा कि वह पार्टी हिन्दुस्तान नहीं जा सकती। उसकी भारत के खिलाफ कितनी भयंकर प्रतिक्रिया हुई इसका अनुमान यहां हम नहीं लगा सकते। मैंने उसका एक कार्टून देखा था कि थाईलैंड की टीम भारत आने के लिये हवाई जहाज पर तैयार खड़ी है, इधर एअर इन्डिया का हवाई जहाज तैयार खड़ा है, लेकिन भारतीय राजदूत हाथ हिला कर कह रहे हैं कि नहीं, भारत जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी घटना यह थाईलैंड के महाराज के राजगुरु के साथ घटी। हमको इन देशों के साथ राजनैतिक सम्बन्धों के अतिरिक्त सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने चाहिए थे और इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिये था।

भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जब दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की यात्रा करके भारत आये तो आने पर सबसे पहली बात उन्होंने यह कही कि इन देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों की घनिष्ठता जितनी बढ़ सके उतनी बढ़ानी चाहिये। लेकिन विदेश मंत्रालय ने आज तक इसकी आवश्यकता नहीं अनुभव की।

अंतिम बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह है प्रवासी भारतीयों के संबंध में। जो प्रवासी भारतीय आज बड़ी संख्या में दूसरे देशों में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जीवित थे तो मेरे पास फिजी के प्रवासी भारतीयों की ओर से एक पत्र आया। उसमें उन्होंने लिखा था कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तो भारतीय कांग्रेस का जो कार्यालय था उस में प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष विभाग खुला था और हमारे हितों की रक्षा के लिए वहां से आवाज उठायी जाती थी। लेकिन जब से देश स्वतंत्र हुआ भारत सरकार को रूस से सम्पर्क बढ़ाने की, अमेरिका से सम्पर्क बढ़ाने की तो इच्छा है लेकिन हम प्रवासी भारतीयों की जो यहां पर हैं, जो भारत का अपने को

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अंग मानते हैं, भारत के दुख-सुख को अपना दुख-सुख मानते हैं, उनकी चिन्ता नहीं। चीन के साथ संघर्ष में उन्होंने करोड़ों रुपया इकट्ठा करके भेजा, पाकिस्तान के साथ संघर्ष में पैसा भेजा, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है? भारत सरकार उससे सर्वथा अपरिचित है, कोई ध्यान नहीं दे रही है।

उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा जो मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को भेजा और पंडित जी ने अपनी मृत्यु के ठीक एक दिन पहले देहरादून से उस पत्र का उत्तर भेजा। फिजी के लोगों ने लिखा था कि अगर भारत सरकार नई दिल्ली में हमको स्थान दे दे तो हम एक प्रवासी भारतीय भवन बनाना चाहते हैं। जिसके माध्यम से हम प्रवासी भारतीय भारत सरकार तक अपनी कठिनाइयां पहुंचा सकेंगे। देहरादून से पंडित जी ने यह लिखा कि मुझे यह सुझाव बड़ा पसन्द है और मैं दिल्ली पहुंचते ही मेहरचंद खन्ना से कहूंगा कि वह प्रवासी भारतीयों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें। परन्तु मेहरचन्द खन्ना ने पंडित जी के आश्वासन देने के बाद भी जगह नहीं दी, जब कि वह कई लाख रुपया लगा कर दिल्ली में प्रवासी भारतीय भवन बनाना चाहते थे।❑

जिस समय हमारे देश में विभाजन की मांग बल पकड़ रही थी, तो मुस्लिम लीग से यह पूछा गया कि क्या वह किसी शर्त पर विभाजन की मांग छोड़ सकती है। महादेव देसाई ने अपनी डायरी में यह घटना लिखी है कि मि. जिन्ना की ओर से जो तेरह शर्तें गांधीजी के पास आईं, इनमें से एक शर्त यह थी कि आजाद हिन्दुस्तान में मुसलमानों को गौकुशी की खुली छूट रहेगी। महादेव देसाई लिखते हैं कि गांधी जी ने यह कहकर उन शर्तों का पर्चा वापस कर दिया कि 'मैं गाय की गर्दन पर छुरी रख कर हिन्दुस्तान की आजादी नहीं लेना चाहता हूं।'

मैंने यह पृष्ठभूमि इसलिये बताई है, ताकि गाय की रक्षा के आन्दोलन को नया न माना जाये। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के पराधीन भारत में ये शब्द थे कि गाय के प्रश्न को लेकर हिन्दू ज्यादा जोश में न आयें, जिस दिन देश स्वतंत्र होगा, उसी दिन एक कलम से गो-हत्या को रोक दिया जायेगा और भारतवर्ष में पहला कानून जो बनेगा, वह गोवध-बन्दी का होगा।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कांग्रेस सरकार की असफल विदेश नीति

२४ नवम्बर १९६७ को सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर शास्त्री जी ने सरकार की नीति की कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के साथ ले-देकर समझौता करने की बात करती है जिसे स्वाभिमानी देश कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। इस सरकार को अब सत्तारूढ़ रहने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक से लेकर श्री अजय मुकर्जी की सरकार को पदस्थ करने और फिर अपदस्थ करने तक श्री हुमायूं कबिर का जो राजनैतिक रोल रहा है उसकी अधिकांश प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनसे कि मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। लेकिन इस बात से भी मैं सहमत नहीं हो सकता कि कल श्री हुमायूं कबिर के भाषण के समय जो संसद के कुछ सदस्यों का रोल रहा वह भी संसद के गौरव के अनुकूल नहीं माना जा सकता है। मेरे कांग्रेसी मित्र हर्ष ध्वनि करने के साथ इस बात पर भी विचार करें कि कल श्री एन.सी. चटर्जी के बोलने के समय जो उनका रोल रहा वह भी संसद के गौरव के अनुकूल नहीं माना जा सकता है। हम इस बात पर गम्भीरता से ध्यान दें कि इस समय चौथे आम निर्वाचनों के बाद देश के आठ राज्यों में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के अतिरिक्त उतना बड़ा मजबूत विरोधी दल देश में कोई दूसरा नहीं है कि जो कांग्रेस का स्थान ले सके। जो मद्रास में या एक-आध और राज्यों में जैसे हैं कि वहां का शासन उनके विकल्प के रूप में ले लें। इसीलिये, कई-कई दलों की मिली-जुली सरकारें बनीं। लेकिन कई-कई दलों की मिली-जुली सरकारें बनने के साथ हमारे सत्तारूढ़ पक्ष के भाइयों को यह सोचना चाहिये कि इस समय हमारा देश जनतंत्र की दृष्टि से परीक्षा के मोड़ पर है। अगर संसद, जो जनतंत्र का सबसे बड़ी संरक्षण करने वाली संस्था है, वहां इस प्रकार का कोई व्यवहार हुआ कि जिससे जनतंत्र के मूल सिद्धान्तों को आघात पहुंचे तो यह भी कल को सोच लिया जाये कि जनतंत्र के विनाश में कहीं हमारा अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार का योगदान न हो जाये जो कल को विरोधी पक्ष के लोगों को भी पश्चात्ताप करना पड़े और सत्तारूढ़ दल के लोगों को भी पश्चात्ताप करना पड़े।

जहां तक अपने देश में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का सम्बन्ध है, इसके दो पक्ष हैं। एक कानूनी पक्ष और दूसरा व्यवहार पक्ष। जहां तक कानून पक्ष का सम्बन्ध है, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने में उसमें किसी प्रकार की दुर्बलता रही हो? हरियाणा मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में जो कानून पक्ष है, उसमें भी किसी प्रकार की दुर्बलता हो सकती है? लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रिमंडलों को अपदस्थ करने का व्यावहारिक पक्ष है, उसमें कम से कम मेरी और मेरे सहयोगियों की दो रायें नहीं हैं। जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं, उनको ध्यान में रखते हुए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता था। परन्तु साथ ही साथ मेरे कांग्रेसी मित्र इस बात को भी ध्यान में रखें कि देश धीरे-धीरे चिन्तन की उस धारा के ऊपर पहुंच रहा है कि कांग्रेसी सरकार जो केन्द्र में पदारूढ़ है, वह धीरे-धीरे अपने कार्यों से इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहती है जिससे गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का आपस में

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मतभेद बढ़ा कर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी जाये जो आगे चल कर फिर उनके अपने अनुकूल वातावरण बने। अगर ऐसी परिस्थिति आई अप्रत्यक्ष रूप से भी तो यह सरकार के लिये भी शोभाजनक नहीं होगी और जनतन्त्र के लिये भी शोभाजनक नहीं होगी।

इस देश के अन्दर कोई मजबूत विरोधी दल न बनने देने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है। जब किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनी तो उस पार्टी के साथ इनका क्या व्यवहार रहा? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के साथ उसने क्या व्यवहार किया? आल इंडिया जनसंघ के प्रेजिडेण्ट श्री मौलिचन्द्र शर्मा के साथ उसने क्या व्यवहार किया। मैं नहीं चाहता हूं कि एक-एक का नाम लेकर वह अध्याय खोलूं। पर अब मुझे पता लगा है कि स्वतंत्र पार्टी के दो प्रमुख व्यक्तियों के साथ कांग्रेस बातचीत कर रही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा, और अपने देश में कोई मजबूत विरोधी दल न बनने पाया तथा देश में जनतन्त्र हिला या डिगा, तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही होगी।

जिन प्रांतों में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल हैं, उनमें से एक का ही उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जिस समय मध्य प्रदेश के अन्दर द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार थी, ग्वालियर राज्य में ग्वालियर राजमाता के प्रभाव से सारी सीटें वहां जीती गईं। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों से जब कहा जाता कि ग्वालियर राज्य में अन्न का अभाव है, ग्वालियर राज्य के अन्दर चीनी का अभाव है, तो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी लोगों से कहते कि तुम राजमाता से जाकर गेहूं की बोरी ले लो। राजमाता ही चीनी की बोरी देंगी। आज मध्य प्रदेश में जब डी.पी. मिश्र की सरकार नहीं रही तो केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य था कि जो केन्द्रीय सरकार के काम वहां पर चल रहे थे, उनको बीच में न रोकती। उज्जैन से लेकर गुना तक की एक रेलवे लाइन बन रही थी। लेकिन गोविन्द नारायण सिंह की सरकार बनने के बाद उस उज्जैन-गुना लाइन का काम रोक दिया गया। शिवपुरी-ग्वालियर रेलवे लाइन जो चल रही थी, उसको बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ आई.सी.एस. और आई.पी.एस. अफसरों के सम्बन्ध में कहा था कि केन्द्रीय सरकार उन्हें वापस ले ले, हम अपने ढंग से शासन चलाना चाहते हैं। लेकिन वैसा नहीं किया गया। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक संस्थान खोले जा रहे थे, उनके प्रति भी यही असहयोग का रुख है। फिर गवर्नमेंट यहां बैठ कर कहे कि नहीं, हम जनतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, देश में जनतंत्र का विकास करना चाहते हैं, तो कौन उसके इस प्रकार की दम्भोक्तियों से सहमत हो सकेगा?

आज सबसे बड़ी बात यह है कि जनतंत्र की निर्णायक घड़ी आ गई है। देश बीस साल पुराने कांग्रेसी शासन से मुक्ति चाहता है, यह निर्णय जनता ने ले लिया है। आप को चाहिये था कि आप जनता के निर्णय का स्वागत कर लें न कि जनता के निर्णय को गिराने के लिये अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर आयें।

जहां तक अविश्वास प्रस्ताव के उस अंश का सम्बन्ध है, श्री मधोक के इस कथन से मैं सहमत हूं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में कोई शब्द होता तो मैं और सहयोगी कभी उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में किसी विशेष बात का उल्लेख नहीं है। इसलिये हमने उसका समर्थन करने का निश्चय किया है।

अब जहां तक इस देश की विदेश नीति का, देश की आर्थिक नीति का, गृह नीति का सम्बन्ध है, जो

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि हमारी नीतियों की मूल आधार मानी जाती हैं, यहां पर हमारे वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई बैठे हैं, उनको याद होगा कि अभी जुलाई महीने में जब संसद का अधिवेशन चल रहा था तब उनसे पूछा गया था कि हमारे देश पर दुनिया के दूसरे देशों का कितना कर्जा है, उन्होंने ६ जुलाई १९६७ को जवाब दिया था कि ४७ अरब, ९७ करोड़ और ७७ लाख रुपयों का कर्जा है। उसके बाद जो दूसरे देशों से संधियां हुई हैं, दूसरे देशों से कर्जों के समझौते हुए हैं, अगर हम उनको भी मिलालें तो यह देश दूसरे देशों का ५० अरब रुपयों का कर्जदार बन चुका है। अगर दूसरे शब्दों में कह दूं तो आज मां की गोद में खेलने वाला बच्चा भी दूसरे देशों का १०० रु. से ज्यादा का कर्जदार है। यह तो इस देश की आर्थिक प्रगति और विकास का नमूना है।

इसके साथ ही घर की स्थिति क्या है; हमें इस अधिवेशन में बतलाया गया कि हमारा आयकर जो बकाया है वह ५ अरब के लगभग है। जिस देश के ऊपर ५० अरब रु. का कर्जा है उसमें ५ अरब रु. करों में बकाया हैं, जिसके लिये देश को दूसरे देशों को २ अरब रु. के लगभग सूद की शक्ल में देना होता है। क्या इस देश की आर्थिक पुष्टि का यही नमूना है?

जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, मैं इसके सम्बन्ध में विस्तार से नहीं कहना चाहता। लेकिन इससे बड़ा देश की वैदेशिक नीति की अस्थिरता का प्रमाण और क्या होगा कि श्री छागला के विदेश मंत्री के पद से हटने के बाद अभी तक किसी को विदेश मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सका है। अगर यह कहा जाये कि प्रधान मंत्री इस समय विदेश मंत्री का पद सम्भाल रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रधान मंत्री इतनी समर्थ थीं कि विदेश विभाग सम्भाल लें, तो श्री छागला की नियुक्ति विदेश मंत्रालय में करने की आवश्यकता क्या थी? सच्चाई यह है किप्रधान मंत्री की दृष्टि में जो विदेश मंत्री हैं, परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है, और जिनके अनुकूल परिस्थितियां हैं, और अनेक व्यक्ति इस तरह के हैं, प्रधान मंत्री के मन में उनके प्रति अनुकूल स्थिति नहीं है। हमारे विदेश मंत्रालय की अस्थिरता तो यहां तक है कि लन्दन में आठ महीनों से हाई कमिश्नर का स्थान खाली पड़ा रहा। लन्दन प्रमुख स्थानों में है, उस पर यदि अस्थिर विदेश नीति के कारण किसी व्यक्ति की नियुक्ति न हो सके तो क्या यह मजबूत विदेश नीति की पुष्टि का प्रमाण है?

इसी प्रकार भारत के पड़ोसी देशों के साथ जिस ढंग से वैदेशिक संबंध होने चाहियें, खास कर दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों से, जो हमारे सम्बन्ध हैं, क्या यह विदेश नीति की पुष्टि का प्रमाण है?

जहां तक हमारी गृह नीतियों का सम्बन्ध है, मैं बहुत अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन एक बात सरकार को चेतावनी देकर कान खोल कर कहना चाहूंगा, और वह यह कि पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री भुट्टो के उस बयान को असाधारण समझ कर न छोड़ दिया जाये जो उन्होंने असम के संबंध में कहा है। जब वह पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पद पर थे तब वह असम के सम्बन्ध में क्यों नहीं बोले? पाकिस्तान सरकार इतने दिन तक असम के सम्बन्ध में चुप क्यों रही? अब असम के अन्दरूनी वातावरण को अपने अनुकूल समझ कर श्री भुट्टो ने यह नारा देश को भी और दुनिया को भी दिया कि विभाजन के समय में असम के सम्बन्ध में कोई विशेष नीति निर्धारित नहीं हो सकी थी उसके सम्बन्ध में फिर से विचार हो। श्री सी.सी. देसाई कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ले-दे की भावना से समझौता कर लिया जाये, ले-दे की भावना के साथ पाकिस्तान के साथ कोई मध्यम मार्ग निकाला जाये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वतन्त्र पार्टी की नीति यह हो सकती है कि ले-दे की नीति निर्धारित की जाये या ले-दे की नीति से पाकिस्तान के साथ कोई समझौता कर लिया जाये, **लेकिन जिसको इस देश के गौरव के साथ, इस देश की परम्पराओं के साथ प्यार है, वह भारत की एक इंच धरती भी पाकिस्तान को देकर पाकिस्तान के साथ समझौता करना कदापि स्वीकार नहीं कर सकता।**

आखिर इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के साथ ले-दे की नीति से समझौता कर लिया जाये? अगर ले-दे का अभिप्राय यह है कि काश्मीर तश्तरी में रख कर पाकिस्तान को दे दें, अगर श्री सी.सी. देसाई के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा भुट्टो ने कहा है, असम के सम्बन्ध में हम फिर से चर्चा करें, तो मैं कहना चाहता हूं कि असम भी आज ऐसी खतरनाक स्थिति में आ गया है कि वह फिर देश का दूसरा काश्मीर बनने जा रहा है। असम में जो ज्वालामुखी फूटने वाला है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार पर है। असम के मुख्यमंत्री आज परेशान फिर रहे हैं कि किसी तरह असम का विभाजन न हो, असम के पर्वतीय नेताओं को उभारा गया कि तुम जा कर यह कहो। प्रधानमंत्री वहां जा कर आश्वासन दे आती हैं, गृह मंत्री जा कर अस्थिर और डांवाडोल स्थिति बनाने वाले वक्तव्य दे आते हैं। उस सीमावर्ती प्रदेश के एक ओर चीन बैठा हुआ है और दूसरी ओर पाकिस्तान बैठा हुआ है। आज भारत सरकार की गलत नीति ने उस सीमावर्ती प्रदेश को एक समस्या बना कर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अगर इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव न लाया जाये तो क्या किया जाये? आज जिस सरकार की विदेश नीति असफल हो चुकी है, जिस सरकार की आर्थिक नीति दुर्बल हो चुकी है, जिस सरकार की गृह नीति सर्वथा असफल हो चुकी है, उस सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ❑

एक बात बड़ी विचित्र कही जाती है कि अगर हम गोवध को बन्द कर दें तो उसका दुष्परिणाम यह होगा कि सूखी गायों और बूढ़े बैलों का भार देश पर आकर पड़ेगा। मेरे पास विस्तृत समय नहीं है कि जिससे मैं विस्तार से समझाऊं लेकिन मेरा अपना एक सुझाव है। गांधी जी के एक शिष्य थे सतीशचन्द्र दास। उन्होंने बड़े अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखी थी— काउ। उसका अनुवाद हिन्दी में भी गाय नाम से छपा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सूखी गायों और बूढ़े बैलों का अगर सामूहिक रूप से पालन किया जाये, तो वह देश के ऊपर कभी भार नहीं पड़ेंगे। बल्कि देश के लिये लाभदायक सिद्ध होंगे। ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। लेकिन सरकार ने इस प्रकार की आवश्यकता को कभी अनुभव नहीं किया।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रवासी भारतीयों से विशेष सम्पर्क

लोक सभा में २३ दिसम्बर १९६७ को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार के समय शास्त्री जी ने विदेशों में स्थित प्रवासी भारतीयों से अधिक सम्पर्क रखने का आग्रह किया। इजराइल के साथ भी सम्बन्ध बढ़ाने पर बल दिया।

उपाध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले मुझे शांति निकेतन विश्वविद्यालय में जाने का अवसर मिला। यह बात उस समय की है कि जब हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुए केवल एक ही वर्ष व्यतीत हुआ था। शांति निकेतन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ पत्र-व्यवहार के चित्र बना कर दीवारों पर लगाए थे। उनका एक पत्र विशेष रूप से मुझे आज तक याद है। जिसकी चर्चा मैंने केवल इस सदन में नहीं, बल्कि वर्तमान प्रधान मंत्री की उपस्थिति में उस दिन भी की थी, जब श्री जवाहर लाल नेहरू का जन्म दिन केन्द्रीय कक्ष में मनाया जा रहा था। उस पत्र में लिखा था—२३ दिसम्बर को जब शांति निकेतन विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह था, उस समय एक दिन शनिवार को लोक सभा का अधिवेशन बढ़ गया। श्री जवाहर लाल नेहरू ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय के अधिकारियों को लिखा क्योंकि सभा का अधिवेशन एक दिन बढ़ गया है इसलिए मैं २३ तारीख को नहीं आ सकूंगा। आप अपना कार्यक्रम कुछ पीछे हटाएं। मैं यह बात विशेष रूप से इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले प्रधान मंत्री संसद को प्रमुखता देते थे अपेक्षाकृत और कार्यक्रमों के। लेकिन उन्हीं की पुत्री जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में उस स्थान पर बैठी हुई हैं, उन्होंने आज विदेश मंत्रालय जैसी एक गंभीर बहस की उपेक्षा कर के उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होना स्वीकार किया, जहां उनके पिता जी ने इस आधार पर वहां जाने से इन्कार किया था। यह संसद की अवहेलना ही नहीं अपितु, उस परम्परा की अवहेलना भी है जो परम्परा और मार्ग उनके पिता जी ने प्रशस्त किया था।

सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध किस प्रकार के होने चाहिये। मैं भारत सरकार की इस बुद्धिमत्ता के लिये तो साधुवाद देना चाहता हूं कि नेपाल में राजदूत के लिये उन्होंने श्री राज बहादुर की नियुक्ति की। लगता है सरकार अब धीरे-धीरे व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आ रही है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों में किस प्रकार के जिम्मेदार और गम्भीर व्यक्तियों को राजदूत के रूप में भेजना चाहिये। एक छोटे-से नेपाल के साथ हुई भूल का अब तक कितना महंगा मूल्य देना पड़ा है मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस प्रकार की भूलें हम अन्य पड़ोसी देशों के साथ न दोहरायें। पड़ोसी देशों में राजदूतों की नियुक्ति करते समय हमें दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिये, जैसा कि नेपाल के मामले में किया है।

अभी कुछ दिन पूर्व मुझे भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जाने का अवसर मिला था। उस समय वहां पर हमारे जो राजदूत थे, उनकी क्रियाशीलता या अक्रियाशीलता की मैं चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं। लेकिन विदेश में जो हमारे राजदूत बन कर जाते हैं, केवल वे ही हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं होते हैं अपितु जो भारतीय वहां पर रहते हैं, वे भी हमारे राजनतिक प्रतिनिधि का काम करते हैं।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनके साथ हमारे राजदूतों के सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ होने चाहियें। देखा जाय तो वे ही हमारे स्थायी राजदूत हैं, जो वहां पर भारत के हितों को संरक्षण देते हैं। लेकिन उनके साथ हमारे राजदूतावासों का सम्पर्क न होना यह हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी दुर्बलता है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो ईरान में हमारा सबसे पहला राजदूतावास स्थापित हुआ था। उस समय ईरान में जितने भारतीय रहते थे, उन्होंने भारत सरकार को पत्र भेजा और उस पत्र में यह लिखा कि आप अपने राजदूतावास के लिये कोई भवन किराये पर न लें, भारत सरकार यहां पर अपना भवन बनाये। उसका भारत से एक नया पैसा मंगाने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय यहां पर सारा पैसा देंगे, जिससे भारतीय दूतावास का भवन तैयार हो सके। बीस साल बाद बिना सूद के हमारा पैसा हम को वापस कर दिया जाये। तेहरान में राजदूतावास बनाने के लिये वहां के भारतीयों ने इस प्रकार का प्रस्ताव किया, लेकिन आज तक इस सरकार ने वहां के भारतीयों के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जितनी धनराशि में उस समय राजदूतावास का भवन तैयार हो सकता था, अब तक उससे १५ गुना किराये की शक्ल में यह सरकार दे चुकी है।

इसके अतिरिक्त जब मारीशस या फिजी से उच्च अधिकारी आते हैं तो उन्हें यथोचित आदर मिले। कभी कुछ दिन हुए मौरिशस के प्रधानमंत्री श्री राम गुलाम भारत आये। उनको उनके अनुरूप सम्मान न देना, क्योंकि वह भारतीय वंशज हैं, मैं इसको उचित नहीं समझता। अगर किसी अन्य देश का राष्ट्रपति आता है तो हमारे राष्ट्रपति उसका स्वागत करने के लिये जाते हैं। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री आता है तो हमारे प्रधान मंत्री उसको सम्मान देने के लिये जाते हैं। लेकिन इनके सम्मान के लिये उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई गये। मैं इसको भी बुरा नहीं समझता। लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि प्रधान मंत्री को वहां जाना चाहिये था। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन दूसरे देशों में इनका बहुत बड़ा अर्थ लिया जाता है।

मैं एक बात अफगानिस्तान के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हमारे उपराष्ट्रपति, जो इस समय राष्ट्रपति हैं, काबुल शहर में एक बाल रोग चिकित्सालय की नींव डाल कर आये थे। उनका कहना था कि भारत सरकार अपनी ओर से उस प्रकार का चिकित्सालय वहां बनायेगी। अब पाकिस्तानी वहां पर क्या काम करते हैं? धीरे-धीरे वहां के नागरिकों के मनों को भारत के प्रति विषाक्त करने के लिये इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं कि देखो यह तो पत्थर ज्यों का त्यों पत्थर ही पड़ा है। लेकिन हमने जो सहयोग आपको दिया है, वह पूरा कर दिया है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो भारत सरकार इस प्रकार के निर्णय न ले। यदि लेती है तो शीघ्र उसको कार्यान्वित करे ताकि दूसरे देशों में उन बातों को लेकर हमारे विपरीत वातावरण तैयार न किया जा सके।

इसी प्रकार जैसे नाहटा जी ने कहा—खान बादशाह के मन में इस बात को लेकर इतना कष्ट है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो खान बादशाह को पूरा समर्थन देती है लेकिन भारत सरकार से उनको वह समर्थन नहीं मिला, जिसकी वह अपेक्षा आरम्भ से रखते थे। खान बादशाह भारत से समर्थन लेना चाहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब पठानों की मुक्ति आन्दोलन का हमने आश्वासन उन्हें दिया था, तो हमें अपने उस आश्वासन को पूरा करना चाहिये। यह राजनीतिक दृष्टि से भी उपयुक्त है और कूटनीतिक दृष्टि से भी उपयुक्त है, और नैतिक दृष्टि से भी यह बात उपयुक्त है। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक प्रश्न यह है—पश्चिमी एशिया का। पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में भारत सरकार की जो नीति है, मैं उसके विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां तक इजराइल का सम्बन्ध है मेरी अपनी कुछ मान्यता है—अभी श्रीलंका जैसे छोटे देश को ईजिप्ट ने पत्र लिखा कि आपके हमारे साथ भी राजनीतिक सम्बन्ध हैं और इजराइल के साथ भी राजनीतिक सम्बन्ध हैं। उस छोटे-से देश ने जिसकी आबादी भारत से बहुत कम है, उत्तर दिया—आपको हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके साथ हमारी मित्रता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों के साथ मित्रता करें तो आपसे पूछ कर करें। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम को चाहिये था कि आज जितने भी देश अस्तित्व में हैं उनके साथ समान राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करें। हमारी तटस्थ नीति की मांग भी यही है, लेकिन यदि किसी कारणवश अथवा अपनी दुर्बल नीति के कारण, जो दुर्भाग्य से अब तक चलती चली जा रही है, इजरायल को राजनीतिक मान्यता देने के लिये तैयार नहीं हैं, तो कम से कम इस प्रकार के प्रगतिशील देशों के साथ शैक्षणिक सम्बन्ध ही स्थापित करें और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करें। पीछे राजस्थान सरकार ने इजरायल को लिखा था कि हमें अपनी मरुभूमि को शस्य-श्यामला बनाने के लिये आपके विशेषज्ञों की जरूरत है। उन्होंने उत्तर दिया कि हम विशेषज्ञ देने को तैयार हैं लेकिन जब राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पूछा तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उसका विरोध किया। दूसरा देश अपने विशेषज्ञों को आपके घर भेजे, आपकी भूमि को हरा-भरा करने को तैयार है और आप उसके प्रस्ताव को ठुकराते हैं, यह कौन-सी व्यावहारिक नीति है?

मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए—दो बातें और कहना चाहता हूं। एक बात—यह कि काश्मीर के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम किसी के दबाव में आकर काश्मीर के सम्बन्ध में निर्णय नहीं ले रहे हैं। लेकिन शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग—इन का जो नया षड्यन्त्र प्रारम्भ होने जा रहा है इससे मैं सरदार स्वर्ण सिंह जी को सावधान कर देना चाहता हूं, क्योंकि वह रक्षा मंत्री के पद पर हैं और शायद आज वह विदेश मंत्री की ओर से भी इस विवाद का उत्तर देने जा रहे हैं। सरकार थोड़ा सावधान होकर चले, कई भूलें होने पर भी आपका व्यवहार उसके सुधार के अनुरूप नहीं हो रहा है।

अन्तिम बात, जिन देशों में भी मैं गया और वहां पर भारतीय दूतावासों को देखा तो दुःख हुआ। और कुछ करो या न करो, कम से कम "भारतीय दूतावास" तो हिन्दी में लिखवाओ। जिन देशोंमें अंग्रेजी नहीं चलती है, वहां भी आपने अंग्रेजी भाषा में "भारतीय दूतावास" लिखवाया हुआ है—इससे हम को कितना अपमानित होना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सरदार स्वर्ण सिंह विदेश मंत्रालय को निर्देश दें कि हर जगह "भारतीय दूतावास" भारतीय भाषा में लिखा जाये जिससे कि कुछ स्वाभिमान जगे। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पड़ोसी देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध

शास्त्री जी विभिन्न देशों के साथ जहां राजनीतिक सम्बन्धों की स्थापना के पक्षपाती थे वहां इसके साथ ही इस बात का भी प्रबल आग्रह था कि उन देशों के साथ जो यद्यपि आकार में छोटे हैं, परन्तु जिनके साथ भूतकाल में हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं, उन देशों के साथ इन सम्बन्धों का पुनर्नवीकरण किया जाय। उनको भी बड़े राष्ट्रों की तरह पूरा महत्व दिया जाय।

उपसभापति जी, मैं अपनी चर्चा को भारत की सीमाओं से लगते हुए दो बड़े देशों से हटा कर छोटे देशों से प्रारम्भ करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं स्वर्गीय श्री लाल बहादुर जी शास्त्री को कि जिन्होंने हमारी कुतुबमीनारी विदेश नीति को धरती पर चलना सिखाया। शास्त्री जी से पहले हमारी विदेश नीति दुर्भाग्य से कुछ बड़े देशों तक ही केन्द्रित हो गई थी और हमारे पड़ोसी छोटे देश यह समझने लग गये थे कि भारत सरकार, भारत एक बड़ा देश होने के कारण और हमारे छोटे आकार प्रकार के कारण हमारी उपेक्षा कर रही है। लेकिन स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने इस ओर ध्यान दिया और उन्होंने नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और जो भी इस प्रकार के छोटे-छोटे देश थे, उनकी स्वयं और अपने सहयोगियों के माध्यम से यात्रायें करके इन देशों को निकट संपर्क में लाने का प्रयास किया। मैं इन छोटे देशों के सम्बन्ध में केवल दो सुझाव देना चाहूंगा। एक सुझाव तो यह है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, इनमें जो राजदूत या राजदूतावास रखे जायें, मेरी इच्छा यह है कि वह यह अनुभव करें कि हमको भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है, जितना बड़े देशों को। वैसे भी पड़ोसी देश होने के नाते जितना महत्व छोटे देशों का है उतना उन बड़े देशों का नहीं जो हमसे भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि हमको प्रथम श्रेणी के राजदूत इन छोटे-छोटे देशों में अवश्य रखने चाहिए जिससे इन छोटे देशों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया जा सके और इनको हमारे देश के निकट लाने का प्रयास किया जा सके।

एक बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है जो हमारे पड़ोसी देश या हमारी सीमाओं से लगे देश हैं; उनके और भारत के सांस्कृतिक सम्बन्धों के बारे में। जहां मैं पड़ोसी देशों की चर्चा कर रहा था, वहां मैं अपने मित्र देश अफगानिस्तान की चर्चा विशेष रूप से करना चाहता हूं। अफगानिस्तान का हमारे स्वातंत्र्य संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेता जी सुभाषचन्द्र बोस ने जब भूमिगत होकर विदेश की यात्रा प्रारम्भ की थी तो सबसे पहले वह अफगानिस्तान पहुंचे थे, जहां उनको शरण मिली थी और संरक्षण मिला था। अफगानिस्तान में जो धार्मिक सहिष्णुता है वह दुनिया के दूसरे देशों में कहीं देखने को नहीं मिलती। मैंने स्वयं इस देश में जाकर देखा है कि आज भी काबुल में मन्दिर हैं, दो दर्जन गुरुद्वारे हैं। वामियान के अन्दर गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जितनी ऊंची प्रतिमा गौतम बुद्ध की अफगानिस्तान में है, उतनी दुनियां में कहीं नहीं है। अफगानिस्तान धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु देश है। (उस समय तक अफगानिस्तान में बिन लादेन और तालीबान की घुसपैठ का प्रभाव नहीं था और दुर्भाग्य से अफगानिस्तान अब वैसा नहीं रहा। वामियान में जिस बौद्ध प्रतिमा का शास्त्री जी ने उल्लेख किया था

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वह प्रतिमा मार्च २००१ में तालिबान शासकों द्वारा राकेटों से ध्वस्त करके तालिबान ने यह धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया है। —संपादक) अफगानिस्तान ने हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में बहुत बड़ा योगदान किया है। अफगानिस्तान के साथ हमारे पुराने व्यापारिक संबंध हैं जो और अधिक बढ़ रहे हैं। वे भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे व्यापारिक संबंध बढ़ें। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बंगला देश की विपत्ति में हमने उसका साथ दिया, आज अफगानिस्तान कहीं अपने को अकेला समझ कर कमजोर न पड़ जाए, इसलिए हम को अफगानिस्तान को भी स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए। अगर अफगानिस्तान पर किसी ने कुदृष्टि की और जैसा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री भुट्टो ने वक्तव्य दिया है कि अफगानिस्तान को पांच भागों में विभक्त कर दिया जाये और उसके पख्तूनों को पाकिस्तान में मिला दिया जाए, इस कुदृष्टि पर भी हमें आश्वासन देना चाहिए कि तुम्हारी विपत्ति को हम अपनी विपत्ति मान कर पूरा सहयोग देंगे, जिस प्रकार बंगला देश को दिया था।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है पाकिस्तान के सम्बन्ध में। उपसभापति जी, पाकिस्तान के साथ अभी हमने शिमला में एक करार किया। शिमला करार जिस समय हुआ और जितने जोरों से शिमला करार का ढोल पीटा गया उससे सारी दुनियां परिचित है। पाकिस्तान के साथ इससे पहले भी हमने तीन करार किये थे। पहला करार हुआ नेहरू-लियाकत अली के बीच में, दूसरा करार हुआ सिंध जल विवाद के संबंध में और तीसरा करार १९६५ में ताशकंद में हुआ। समय पर्याप्त न होने के कारण मैं इनके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इन समझौतों में हमारी इच्छा थी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अन्दर शान्ति स्थापित होनी चाहिए। इस दृष्टि से भारत का जो यह प्रयास है यह बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शिमला समझौते के बाद हमको मिला क्या? पाकिस्तान ने तो अपना अधिकृत भू-भाग हमसे छुड़वा लिया, जो उसके लाखों सैनिक युद्ध बंदी थे उनको भी छुड़ा लिया। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने और पाकिस्तान के रेडियो ने भारत के खिलाफ अभियान चला रखा है। क्या भारत सरकार इस सबके बावजूद भी पाकिस्तान के प्रति किसी प्रकार का परिवर्तन अपनी नीति में करने की सोच रही है या नहीं? अगर नहीं सोच रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले अनुभवों के आधार पर कम से कम पाकिस्तान को समझ कर आगे के लिए समझौते करने चाहिएं।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने हमारे भूमिगत अणु विस्फोट को लेकर जो शर्त लगाई है उसके लिए हमें स्पष्ट भाषा में कह देना चाहिए कि किसी शर्त के आधार पर बातचीत नहीं की जा सकती। मुझे बड़ी खुशी हुई जिस समय मैंने ए.आई.सी.सी. के अंदर दिए गए सरदार स्वर्ण सिंह जी के भाषण को समाचार पत्रों में पढ़ा। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भाषा में लचक नहीं होनी चाहिए। हमारी भाषा दृढ़ होनी चाहिए, हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। भूमिगत अणु विस्फोट हमारा घरेलू मामला है। भूमिगत अणु विस्फोट के बारे में प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सबने कहा है कि हम शान्तिपूर्ण कार्यों में इसका प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो बार-बार हम सफाई देते हैं कि हम शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए इसे प्रयोग करना चाहते हैं, तो यह अपराधियों जैसी प्रवृत्ति सफाई देने की भारत सरकार की क्यों बनती चली जा रही है? कई बार हमने संसद में कह दिया, बाहर भी कह दिया तो बात समाप्त हो जानी चाहिए। दुनिया को इससे समझना चाहिए और अगर नहीं समझती तो न समझे। लेकिन बार-बार उसकी अपराधियों की तरह सफाई देकर अपने को एक कमजोर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्थिति में लाकर खड़ा करना भारत के गौरव और भारत की परम्पराओं के सर्वथा विपरीत है।

इण्डोनेशिया : रामायणी संस्कृति

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर कल हमारे विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह जा रहे हैं। मैं उनकी यात्रा का अभिनन्दन करता हूं। इंडोनेशिया से हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मजहब भले ही दूसरा हो लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से जो इंडोनेशिया के साथ भारत का तादात्म्य रहा है उसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। चाहे आज भी मजहबी दृष्टि से वह अपने को मुसलमान कहें लेकिन रामायण और महाभारत की जो पवित्रता आज इंडोनेशिया में सुरक्षित है वह दुनिया के किसी दूसरे देश के अन्दर सुरक्षित नहीं है। इंडोनेशिया की विपत्ति में जब सुकार्णो वहां के राष्ट्रपति थे तो भारत ने अपना योगदान किया था। लेकिन इंडोनेशिया और भारत के संबंधों में दुनिया के कुछ देशों ने, विशेषकर पाकिस्तान ने व्यवधान लाने का प्रयास किया। दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर संसदीय शिष्ट मंडल गया था। मैं भी उस शिष्टमंडल का सदस्य था। मैंने इंडोनेशिया में जाकर देखा कि इंडोनेशिया का धर्म निरपेक्ष स्वरूप है। पर पाकिस्तान इस बात का प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से उसे धर्म निरपेक्षता से हटा कर मुस्लिम पक्ष में लाया जाए। वहां पाक राजदूतावास एक साप्ताहिक पत्र निकालता है जिसमें इस बारे में लिखा होता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री जी जो कल वहां जा रहे हैं, वहां से इस बात की पुष्टि कराएं कि इंडोनेशिया और हमारे बीच में धर्म निरपेक्षता के आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर जो संबंध बने हुए हैं वह कैसे बढ़ें। यह हमारी अपनी हार्दिक इच्छा है।

जहां तक दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संबंध है उस संबंध में तो केवल दो ही बातें कहना चाहूंगा। एक तो यह कि दक्षिण पूर्व एशिया के जितने देश हैं उनकी व्यापारिक मण्डियों में धीरे-धीरे आज जापान का प्रभुत्व होता चला जा रहा है जब कि वहां के व्यापारियों की हार्दिक इच्छा भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की है। लेकिन दुर्भाग्य से हम या तो सामान समय पर नहीं भेज पाते या अपनी वस्तुओं की क्वलिटी मेनटेन नहीं कर पाते। यह बात सही है कि कठिनाइयां हैं, जिसके कारण ये व्यापारिक मण्डियां हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं और जापान के हाथ में जा रही हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक सम्बन्ध रहे हैं और जिन्होंने अफगानिस्तान की तरह हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सा लिया, आजाद हिन्द फौज में किस प्रकार से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का सहयोग मिला, यह ऐतिहासिक गौरव की बात है। उन देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को और भी घनिष्ट किया जाए और व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ाया जाना चाहिये।

प्रवासी भारतीय

लेकिन जहां मैं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की चर्चा कर रहा हूं, वहां मैं साथ-साथ उन देशों को नहीं भूलता हूं जिन देशों में प्रवासी भारतीय कुछ अधिक संख्या में रहते हैं—मेरा संकेत फिजी, मारिशश, वेस्ट इंडीज और ईस्ट अफ्रीका आदि देशों की ओर है—उन प्रवासी भारतीयों के मन में धीरे-धीरे उपसभापतिजी, यह बात घर करती चली जा रही है कि बड़े देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की भूख में भारत सरकार उन प्रवासी भारतीयों की समस्या की ओर जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दे रही है और यह सही बात भी है। बर्मा के भारतीय प्रवासियों की जिस प्रकार से दुर्गति हुई, श्री लंका में प्रवासियों के

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साथ जो हुआ, युगांडा में भारतीय प्रवासियों के साथ जो घटनायें हुई, उनमें भारत सरकार को मजबूती के साथ हाथ डाल कर उनकी समस्याओं के समाधान में आगे आना चाहिये था। दुर्भाग्य से प्रवासी भारतीयों के मन में हम इस प्रकार का विश्वास नहीं दिला सके। आज भी जो पूर्वी अफ्रीका के देशों से भारतीय हटाये जा रहे हैं उसका उदाहरण हमारे सामने है। दूसरे देशों में अपने प्रयासों से वह कोई स्थान बना लें यह बात दूसरी है। लेकिन भारत सरकार को जितना स्पष्ट योगदान देना चाहिये, प्रवासी भारतीयों के बारे में उतना भारत सरकार अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकी। मेरी अपनी इच्छा यह है, भारत सरकार के कुछ दायित्व ऐसे हैं जिनको वह नहीं निभा पायी। इसलिये भारत सरकार को उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रवासी भारतीय संगम की स्थापना करनी चाहिये। इसका काम यह हो कि प्रवासी भारतीय जिन-जिन देशों में रहते हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिये, सुलझाने के लिये, छोटे-छोटे यूनिट बनाए जायें। फिजी का एक अलग विभाग हो, मारिशस का अलग विभाग हो, वेस्ट इंजीड का अलग हो, ईस्ट अफ्रीका का अलग हो। यदि इस तरह का कोई संगठन बनाया जाता है, जिसको वह देश स्वयं अपनी ओर से भी सहयोग देना चाहते हैं, तो क्या इस प्रकार का संगठन स्थापित करने के लिये आप उद्यत हैं? मेरा निवेदन है, इसी सदन के वरिष्ठ सदस्य जयसुखलाल हाथी माननीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह जी से मिले थे और उन्होंने इस प्रकार की योजना उनके सामने रखी भी थी। सरदार स्वर्ण सिंह जी ने—जैसा कि हाथी जी ने बताया—उस पर विचार करने के लिये कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस पर केवल विचार ही न किया जाये बल्कि उन देशों की समस्याओं का यह गैर सरकारी संगठन अध्ययन करे। अध्ययन करने के बाद भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन पहुंचाये कि भारत सरकार का कर्तव्य क्या है और किस प्रकार से प्रवासी भारतीय भारत के सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं। यह भारत सरकार और प्रवासी भारतीयों के बीच में लिंक का काम करे, शृंखला का काम करे।

भवानी दयाल संन्यासी जो स्वतंत्रता से पहले दक्षिण अफ्रीका के अन्दर काम करते थे, उन्होंने इसी प्रकार का संगठन बनाया भी था, जो कि उस समय अजमेर में बना था। इस काम के लिये गांधी जी ने भवानी दयाल संन्यासी जी को आशीर्वाद दिया था। भवानी दयाल संन्यासी के बाद इस तरह का संगठन नहीं बनाया जा सका। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में विदेश मंत्रालय को गंभीरता से सोचना चाहिए और उसके अन्दर कोई व्यावहारिकता हो तो उसे आगे बढ़ाना चाहिये। इसको चर्चा का विषय ही बना कर नहीं छोड़ देना चाहिये।

सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

इसी से लगती एक बात कहना चाहता हूं भारत सरकार के उस संगठन के संबंध में जिसका नाम है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। यह जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् है उपसभापति जी, इतना पैसा भारत सरकार इस पर व्यय करती है और जो अपव्यय इस परिषद के द्वारा किया जाता है, पिछले वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है। परिषद उस अपव्यय से बच नहीं सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी, उसके द्वारा जो धन का दुरुपयोग होता है, इसकी चर्चायें आई और लोक लेखा समिति ने जो अपनी रिपोर्टें दी हैं, इस सांस्कृतिक परिषद के संबंध में चर्चायें की हैं उसमें एक यह भी चर्चा हुई है कि संगठन के अन्दर कुछ लोगों ने अपनी मोनोपोली बनायी हुई है। एकाधिकार उस परिषद के भीतर बनाया हुआ है और उसमें भाई भतीजावाद है। अपने नातेदारों को, मित्रों को, विदेशों का

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भ्रमण करने के लिये सांस्कृतिक यात्री बना कर संदेशवाहक बना कर भेज देते हैं। मैं विदेश मंत्रालय से चाहता हूं, यह जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, उसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये। दूसरे देशों से भारत के साथ सांस्कृतिक कड़ी कायम करने की दृष्टि से पिछले वर्षों परिषद ने जों काम किया है उसमें कितना व्यय हुआ है, उसका क्या प्रतिफल मिला है, उससे क्या लाभ मिला है? जो काम परिषद को दिया गया, अगर परिषद उसमें असफल रही है, तो इस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए।

अरब देशों का रुख

अब मैं अरब देशों के सम्बन्ध में आता हूं। अरब देशों के संबंध में हमारे देश की विचित्र राजनीति है। हमारा अपना दुर्भाग्य है कि अरब देशों के प्रति हमने जितना बलिदान किया, जितना-जितना हमने उन्हें सहयोग देने का प्रयास किया, दुर्भाग्य से अरब देशों को अपनी मित्रता के दायरे में नहीं ला सके। स्वेज नहर के प्रश्न पर इस प्रकार से हमने ब्रिटेन और पश्चिमी देशों की बुराई मोल ली यह इतिहास का विषय हो चुकी है।

इजरायल और अरब देशों के युद्ध के समय, अरब देशों का साथ देकर पश्चिमी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये, इस चीज से भी दुनियां परिचित है। लेकिन इस के बावजूद भी जब हमारा प्रश्न आता है, १९६५ में जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ था, तब अरब देश एक कोने में जाकर खड़े हो गये बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था। १९७१ में बंगला देश का संघर्ष हुआ। उस समय भी उन्होंने, अरब देशों ने, अपनी स्थिति तटस्थ बना ली और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया। सऊदी अरब और कई देशों ने तो हथियार तथा पैसा देकर भी पाकिस्तान की पीठ थपथपाई।

मेरा कहना यह है कि अभी जो दूसरा अरब और इजरायल युद्ध हो चुका है, उसमें भी हमने अरब देशों के लिये जिस प्रकार का त्याग किया, कई देशों की बुराई मोल ली। आखिर उनको कम से कम इतना तो चाहिये था कि पाकिस्तान को और हमको बराबर के स्तर पर रखते। लेकिन पैट्रोलियम के संबंध में अरब देशों ने जो अपनी नीति घोषित की, उसमें पाकिस्तान को पेट्रोल देने के लिये एक अलग नीति थी और भारत को पेट्रोल देने के लिये दूसरी नीति थी। इससे पता चलता है कि हमारा परिश्रम और हमारी मित्रता उनकी निगाह में कोई मूल्य नहीं रखती है।

श्रीमन्, पीछे एक घटना इस प्रकार से घटी, जिसको याद करके भी दुःख होता है। रबात में जो घटना घटी थी उसकी चर्चा विस्तार से मैं यहां पर नहीं करना चाहता। सरदार स्वर्ण सिंह के जो दूसरे सहयोगी हैं, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह जी, वे एक डैलिगेशन लेकर रबात गये थे। वहां पर जिस प्रकार से उनकी दुर्गति हुई, उसके बारे में सबको ही मालूम होगा। वहां पर उनके लिये पानी के नल बन्द कर दिये गये और जाने के लिये वायुयान तक का टिकट नहीं मिला और उन्हें सड़क के रास्ते दूसरे देश में जाना पड़ा और तब जाकर उन्होंने हवाई जहाज पकड़ा। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इन घटनाओं के बावजूद भी लाहौर में जो इस्लामिक कांफ्रेंस हुई थी, वहां पर जाने केलिये भी लार टपकने लगी और सोचा जाने लगा कि यहां पर जाया जाये। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि हिन्दुस्तान भी एक मुस्लिम देश है। क्या हमारे को इस प्रकार का शौक चढ़ा हुआ है कि इस प्रकार की कांफ्रेंसों में जाने के लिये यह गलत वक्तव्य दें, और अपनी तस्वीर को दुनियां में धुंधली करें?

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुरान का पाठ

अभी मैंने सुना है, मैं तो हवाई अड्डे पर नहीं गया। मिश्र के सादात, जब यहां पालम हवाई अड्डे पर आये, तो उप-सभापति जी, क्या आप इस बात को उचित समझेंगे कि वहां पर कुरान-शरीफ का पाठ कराया जाये? अगर यह बात है, तो कल जब नेपाल के राजा यहां पर आयेंगे, तो क्या स्वर्ण सिंह इस बात को उचित समझेंगे कि वहां पर गीता और वेद मंत्रों का पाठ हो। जब भारत सरकार की धर्म-निरपेक्षता की नीति है, तो दूसरे देशों के विशेष अतिथि जब यहां पर आते हैं, तो कहां से कुरान-शरीफ बीच में आ जाता है? पालम के हवाई अड्डे पर कुरान-शरीफ का पाठ हो, गीता का पाठ हो और उपनिषद का पाठ हो, क्या यह बात उचित है? हमें इस सम्बन्ध में एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये और जो अरब देशों के सम्बन्ध में हमारी नीति है, उस पर फिर से विचार करना चाहिये।

हमारे सदन के जो वरिष्ठ सदस्य हैं श्री टी.एन. सिंह जी, उन्होंने अपने भाषण में अभी जो कुछ कहा था, मैं उस से सहमत हूं। श्री टी.एन. सिंह जी ने कहा था कि हमारी तटस्थता की नीति है। उस नीति के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमारी तटस्थ विदेश नीति के सम्बन्ध में दुनियां में तस्वीर कुछ हिल गई है। खास तौर से उस समय जब कि रूस से हमारा समझौता हो गया। मेरा कहना यह है कि तटस्थ नीति की घोषणा ही आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे स्वरूप में तटस्थता झलकनी भी चाहिये और हमारे व्यवहार में भी तटस्थता होनी चाहिये। मैं तटस्थता की नीति के संबंध में इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्द महासागर में डिगो-गार्सिया के अन्दर जब अमरीकी पनडुब्बियां आई, उनके एटोमिक जहाज आये, तो भारत का चिन्तित होना स्वाभाविक था। हमारी अपनी हार्दिक इच्छा है कि अमरीका जैसे देश को यह कहें कि कम से कम वह हिन्द महासागर में आकर इस प्रकार का तनाव और उसे विस्फोटक केन्द्र न बनायें। लेकिन जब हम उनको कहते हैं और उनकी निन्दा करते हैं कि हिन्द महासागर में आकर उन्होंने डिगो-गार्सिया में अपने अड्डे स्थापित कर लिये हैं, तो हमें यह भी चाहिये कि चीन और रूस को भी इसी प्रकार से कहें कि हिन्द महासागर में उनके जहाज क्यों दौरा लगा रहे हैं। उनको वे हटायें और हिन्द महासागर को एक शान्ति का क्षेत्र बना रहने दें। जब हम अमेरिका को कहते हैं कि वह हिन्द महासागर में इस प्रकार की गतिविधियां न करे, तो उसी प्रकार से चीन और रूस को भी कहने में हमें किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिये।

चीन के सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने '६२ के युद्ध के बाद—उपसभाध्यक्ष जी, उस समय आप लोक सभा में थे, आपको स्मरण होगा—कहा था—उस साल दीपावली का त्योहार नहीं मनाया गया था-कि असली दीपावली का त्योहार यह देश तब मनाएगा जब चीन के द्वारा अधिकृत भूभाग को भारत खाली करा लेगा। आज जब हम चीन से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं तो जवाहर लाल नेहरू के उस आश्वासन को यह देश क्या भूल गया है? मेरा कहना यह है कि या तो आप यह कहें कि हम पुरानी नीति से हट रहे हैं और चीन के हाथ में हमारे भूभाग के रहते हुए भी हम सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं, वरना ये दोनों नीतियां परस्पर-विरोधी हैं। इस पर आपको विचार करना चाहिए।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजदूतों का मापदण्ड

एक बात मैं अपने राजदूतों के सम्बन्ध में संक्षेप में कहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजदूतों को किसी देश में भेजते समय एक मापदंड अवश्य बनाना चाहिए, यह नहीं कि कोई राजा अपनी गद्दी से हटा उसको राजदूत बना दिया जाये या कोई कमान्डर-इन-चीफ अपनी कुर्सी से हटा उसको राजदूत बना दिया जाय। राजदूत के लिए अवश्य एक मापदण्ड होना चाहिए। भारतीय संस्कृति, भारतीयता उसके जीवन की पृष्ठभूमि में हो। ऐसे-ऐसे राजदूत हमारे देश से गए हैं-उपसभापति महोदय, आपको भी सुनने को मिला होगा—जिन्हें हमारे देश की संस्कृति की, साहित्य की कोई जानकारी नहीं है। पीछे सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन दूसरे देशों में गए थे। एक देश में हमारे राजदूत ने उनका परिचय देते हुए कहा कि ये वही वात्स्यायन हैं जिन्होंने कामसूत्र की रचना की है। उनको इतनी तक जानकारी नहीं थी। अभी पीछे गालिब शताब्दी मनाई जा रही थी और अमरीका में गालिब की चेयर एक यूनिवर्सिटी में स्थापित करनी थी। उन्होंने भारत के राजदूत को कहा कि हम गालिब के सम्बन्ध में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। उन्होनें अपने साथियों से पूछा कि गालिब के सम्बन्ध में तुम्हारी कुछ जानकारी है। मुझे पता यह लगा कि उन्होंने भारत से वह जानकारी मंगा कर उक्त विश्वविद्यालय को दी। अगर मेरी जानकारी सही है तो मैं चाहता हूं कि दूसरे देशों में जो हमारे राजदूत जायं उनका भारत के सांस्कृतिक जीवन से परिचय अवश्य हो। इतना तो अवश्य होना चाहिए।

इन राजदूतों में भी दो सर्विसेज हैं—आई.एफ.एस. 'ए' और आई.एफ.एस. 'बी'। होता यह है कि आप जो कटौती करते हैं उस कटौती के शिकार प्रायः छोटे कर्मचारी हो जाया करते हैं। आई.एफ.एस. 'ए' की जो सर्विस है उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए।

सं.रा. में हिन्दी को मान्यता मिले

अन्त में दो बातें कह कर मैं समाप्त कर देता हूं। मुझे एक बात कहनी है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के सम्बन्ध में। उपसभापति जी, संयुक्त राष्ट्र में जो भाषाएं मान्य थीं उनमें पिछले दिसम्बर में अरबी को और सम्मिलित किया गया है। पहले से जिन भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी वे थीं इंगलिश, फ्रेंच, रशियन, चीनी और स्पेनिश। दिसम्बर में अरबी को भी उनमें सम्मिलित कर लिया गया। अब मैं थोड़े से आंकड़े देता हूं कि इन भाषाओं को बोलने वाले कितने हैं। स्पैनिश के बोलने वाले हैं १८ करोड़, चीनी के बोलने वाले हैं ५९ करोड़, रशियन के बोलने वाले हैं २० करोड़, फ्रेंच के बोलने वाले हैं ७ करोड़, इंगलिश के बोलने वाले हैं ३२ करोड़ और अरबी के बोलने वाले हैं १० करोड़ और हिन्दी के बोलने वालों की संख्या ७१ की जनगणना के आधार पर थी २७ करोड़ और आज उनकी संख्या बढ़ कर हो गई है २९ करोड़। जब छोटी-छोटी भाषाओं को मान्यता मिल रही है तब क्या यह उचित नहीं है कि यह गौरवशाली देश, जिनकी जनसंख्या २९ करोड़ को लांघ रही है, इस प्रकार की आवाज संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर उठाए कि भारत की भाषा को, इस देश की भाषा को भी वहां मान्यता दी जाये। मारीशस में, फिजी में भी बहुत बड़ी संख्या में हिन्दी बोलने वाले हैं और वहां हिन्दी के स्कूल भी चलते हैं। और अगर लिपि का भेद हटा दिया जाये तो हिन्दी, उर्दू में भी कोई अन्तर नहीं है पाकिस्तान वाले भी इस भाषा का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र में कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरदार स्वर्ण सिंह इस बात को अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में लें और अब की बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर वे यह बात अवश्य उठाएं और जिस प्रकार

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अरबी भाषा को मान्यता दिलवाई है उसी प्रकार हम भी अपनी भाषा को, हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलवाएं।

अन्त में एक बात मैं व्यक्तिगत सरदार स्वर्ण सिंह जी के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। सरदार स्वर्ण सिंह हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। उपसभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि शेख अब्दुल्ला जब पहली बार जेल से छूट कर आए थे, दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उनसे मिलने कुछ विशेष लोग गए थे। उनमें पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी थीं। उस समय वे किसी पद पर नहीं थीं। मीनू मसानी भी थे। उस समय राजा दिनेश सिंह, जो उस समय सरकार में विदेश उप-मंत्री थे, वे भी गए थे। हमने उस समय लोकसभा के अन्दर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा यह प्रश्न उठाया कि यह दूसरे देश का विशेष अतिथि नहीं है, मामूली कैदी है जो राजद्रोह के केस में जेल में बन्दी था और अब बिना निर्णय के निकाला गया है, उससे मिलने के लिए राजा दिनेश सिंह को, जो हमारे देश के ५० करोड़ लोगों के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, क्यों भेजा गया। जवाहर लाल नेहरू ने लोकसभा में अपनी इस भूल को स्वीकार किया कि मुझे शेख अब्दुल्ला से मिलने के लिए दिनेश सिंह को नहीं भेजना चाहिए था। मैं यह कहना चाहता हूं कि कल आपने कहा कि हम भुट्टो को कहना चाहते हैं कि काश्मीर हमारा इन्टरनल मैटर है। इन्टरनल मैटर है तो गृह मंत्री को जाना चाहिए था, श्री उमाशंकर दीक्षित को जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री बात करें, विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला से बात करने के लिए क्यों गए? विदेश मंत्री जब शेख अब्दुल्ला से बात करने के लिए जाते हैं दुनिया में उसके गलत अर्थ निकलते हैं और यह समझा जाता है कि काश्मीर अभी भारत का आन्तरिक भाग नहीं हो सका है, तभी तो विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला से बात करने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह इस तरह के निर्णय लेने में सावधानी बरतें, तभी वे और उनका विभाग देश के गौरव का प्रतीक बन सकेंगे। ❑

जब से इस देश में गाय की हत्या प्रारम्भ हुई, उसी समय से उसकी हत्या को बन्द कराने के लिए आन्दोलन भी प्रारम्भ हुआ। मैं बहुत लम्बे-चौड़े उदाहरण न देते हुए मुगल-काल का केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। बाबर के अपने हाथ से लिखा हुआ वसीयतनामा भोपाल की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उसमें बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं, को कहा कि अगर हिन्दुस्तान में देर तक हुकूमत करनी है, तो ये दो काम कभी न करना, एक तो गाय की हत्या न होने देना और दूसरे, हिन्दू धर्म मन्दिरों का विनाश न करना। इससे पता चलता है कि मुगल-काल में भी मुगल शासक इस बात के लिए कितने सतर्क रहते थे कि गाय का वध न हो और उसकी रक्षा की यथेष्ठ व्यवस्था हो।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

त्रुटिपूर्ण विदेश-नीति

यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत ने जिन देशों की विपत्ति में उनका साथ दिया, वे देश कालान्तर में भारत से उदासीन या विरोधी बन गए। शास्त्री जी ने इसी बात को रेखांकित करते हुए २४ मई १९७६ को विदेश मंत्रालय की मांग पर चर्चा के समय में कहा कि निश्चय से हमारी विदेश नीति में कहीं न कहीं कोई भारी त्रुटि है, इसे सुधारना चाहिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, पिछले एक वर्ष में हमारे देश की आर्थिक स्थिति में और आन्तरिक स्थिति में जो सुधार हुआ है उसका प्रभाव हमारी विदेश नीति पर होना स्वाभाविक था। चीन से जो बहुत वर्षों से टूटे हुए राजनैतिक संबंध थे उनकी फिर से स्थापना हुई है और पाकिस्तान से भी १९७१ के बाद जो राजनैतिक संबंध टूट गये थे उनकी फिर से राजनैतिक स्तर पर स्थापना हुई है। मैं समझता हूं कि इसमें हमारे देश का वातावरण भी बहुत सहायक हुआ है। *(जिस समय शास्त्री जी यह भाषण दे रहे थे उस समय भारत में आपात्काल चल रहा था और उसके ग्यारह मास बीत रहे थे। —सं.)* आज देश के अन्दर जो अनुशासन आया है और प्रशासनिक स्तर पर जो सुधार हुआ है, मेरा अपना अनुमान है और इसी आधार पर इन दोनों देशों के साथ हमारे राजनैतिक संबंधों में सुधार हुआ है। भारत ने साहसपूर्वक इस दिशा में अपना हाथ आगे बढ़ाया है। जैसा अपना वक्तव्य देते हुए विदेश मंत्री ने उस दिन कहा था कि हम इन देशों के साथ राजनैतिक संबंधों में सुधार का यह अभिप्राय नहीं मानते हैं कि हम अपनी अखंडता या स्वदेशाभिमान भावना की बलि दे दें। हमें विश्वास करना चाहिए कि इन देशों की पिछली जैसी पृष्ठभूमि रही है भविष्य में उसमें सुधार होगा और ये देश जाने-अनजाने ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे संबंधों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने जितनी पवित्रता के साथ साहसपूर्वक हाथ बढ़ाया है और राजनैतिक संबंधों में सुधार लाने के लिए जो कदम उठाये हैं, उनको इन दोनों देशों में अवश्य ध्यान में रखा जायेगा।

मुझे अच्छी तरह से याद हैं कि चीनी आक्रमण के बाद एक बार मुझे सिंगापुर जाने का अवसर मिला और वहां एक भारतवंशी सज्जन के साथ जो वहां के विदेश मंत्री थे, बातचीत करने का मौका मिला। उनसे मैंने प्रश्न पूछा कि यह समझ में नहीं आता कि आपके देश के भौगोलिक संबंध भारत से अधिक निकट के हैं, लेकिन फिर भी आपका झुकाव चीन की ओर अधिक क्यों है? तो उन्होंने बड़ी स्पष्ट सी भाषा में उत्तर दिया और कहने लगे कि देखो भाई, हम तो शक्ति के पुजारी हैं; अगर शक्ति का टेक उधर अधिक है तो हमारा झुकाव उधर है और जिस दिन शक्ति का पलड़ा आपका भारी हो जाएगा, हमारा झुकाव इधर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं, गत एक वर्ष में हमने जो संग्रह किया है, विशेष रूप से आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र में, इसका प्रभाव निश्चित रूप से—जैसा प्रारंभ में मैंने कहा—हमारे वैदेशिक संबंधों पर भी हुआ है और आगे भी होगा, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए।

लेकिन जहां मैं इसके ऊपर एक संतोष व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ मैं अपनी ओर से एक कष्ट की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। अभी हमारे पड़ोसी मित्र देश के अंदर एक ऐसे भारत के मित्र की बेरहमी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के साथ हत्या हो गई—मेरा संकेत शेख मुजीबुर्रहमान की ओर है, उनकी हत्या से यह देश ही नहीं बल्कि विश्व की मानवता एक बार तड़प उठी। इस प्रकार का भयानक काण्ड भी किया जा सकता है, जो व्यक्ति राष्ट्र का मुक्ति-दाता है, उसकी भी हत्या की जा सकती है? पर मेरा अपना विचार यह है कि इसके पीछे जो एक षड्यंत्र उस देश के अन्दर काम कर रहा था, उनकी हत्या के बाद वे और भी अधिक गतिशील हो चुके हैं। जैसा आपने रिपोर्ट में लिखा है, संदेह और अविश्वास का जो वातावरण वहां नहीं बनना चाहिए, उस देश में भारत के प्रति धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है। मैं चाहूंगा यह कि उसके साथ संबंधों को अपनी ओर से सामान्य बनाने के लिए जितना प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारा दुर्भाग्य है और यह पिछले इतिहास को देखने से भी लगता है—कि जिस देश के दुःख में भी हम काम आये, न जाने क्यों आगे चल कर उस देश के साथ हमारे संबंध उतने मधुर नहीं रह पाये। पड़ोस में ही हमारे नेपाल है, नेपाल के महाराजा त्रिभुवन को जिस समय विपत्ति के वातावरण से भारत ने उभारा था, ऐसा लगता था कि हमारी मैत्री और घनिष्ठ होती चली जाएगी। ऐसी ही स्थिति एक बार इंडोनेशिया के साथ भी हुई जब डा. सुकर्ण को निकालने में भारत ने योगदान दिया था। और भी कई देशों के साथ इसी प्रकार की स्थिति हुई। परंतु इसमें क्या कारण मूल रूप से बनते हैं कि जिन देशों के लिए इतनी बड़ी धन की हानि हमको उठानी पड़ती है, जन की हानि भी उठानी पड़ती है, फिर क्यों हमारे देश के संबंध उतने मधुर नहीं बन पाते ? उन समस्याओं की तह में बैठ कर हमें जांच अवश्य करनी चाहिए।

सुरक्षा परिषद

एक छोटी सी बात जिसके लिए "छोटी सी" शब्दों का प्रयोग मैंने जान-बूझ कर किया है—बात तो बड़ी छोटी है लेकिन हवा का रुख किधर है इसका संकेत देने वाली है; उसकी भी चर्चा मैं इस समय करना चाहूंगा। वह बात है सुरक्षा परिषद् की सदस्यता की। जब सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिए हमने एक प्रतिनिधि को खड़ा किया और दूसरी ओर से भी एक प्रतिनिधि खड़ा हुआ। तीन बार मतदान हुआ और तीनों बार मतदान के बाद हमें अपने प्रतिनिधि का नाम वापस लेना पड़ा। मैं जहां इसमें एक कारण मानता हूं कि हमने स्थिति का पहले से उतनी गहराई में जाकर विश्लेषण नहीं किया जितना कि हमको करना चाहिए था, वहां यह भी कि सुरक्षा परिषद् की सदस्यता से जो हमारे प्रतिनिधि का नाम वापस लेना पड़ा उससे हमें थोड़ा सा अपने मित्रों के संबंधों पर भी फिर से विचार करना चाहिए। वह इसलिए नहीं कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया बल्कि इसलिए भी हम उनके संबंधों का विश्लेषण करें कि कई बार जब हम विपत्ति के क्षणों में आए, जैसे चीन के साथ हमारा संघर्ष हुआ, पाकिस्तान के साथ १९६५ में हमारा संघर्ष हुआ, तो ऐसे मित्र हैं जिनकी मित्रता के लिए हम दुनिया के बहुत से देशों को नाराज कर लेते हैं, जब हमारी परीक्षा की कसौटी आती है तो उस समय हम खरे नहीं उतरते हैं। तो मैं चाहता हूं, हम निर्णय लेते समय इस व्यावहारिक नीति को भी अपने मस्तिष्क से ओझल न करें, यह भी मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं।

एक बात को देख कर मुझे थोड़ा संतोष भी है और प्रसन्नता भी है; संतोष इसलिए है कि पीछे रूस के साथ जो हमारी एक दीर्घकालीन मैत्री हुई थी, उसकी विश्व के अन्दर गलत-गलत व्याख्याएं हुई और हमको कहने लगे कि हम उनकी जेब में पड़ गये हैं; कोई कहने लगा कि हम उनका संरक्षित प्रदेश होने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लग गये हैं; कोई यह कहने लगा कि रूस हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने लगा है। लेकिन अभी जो निर्णय हुए हैं उससे लगता है मैत्री होने के बाद भी हम अपने निर्णय स्वाभाविक रूप से और स्वतंत्र रूप से लेते हैं, यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है किजिनके साथ आज हमने राजनैतिक संबंध स्थापित करने के निर्णय लिए हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि हम किसी की जेब में आकर गिर नहीं गए, किसी ने हमारी नीतियों को अधिक प्रभावित नहीं किया है बल्कि हम राष्ट्रीय निर्णय लेने पर स्वतंत्र हैं।

इसी तरह से एक और घटना पीछे हुई है। मैं समझता हूं, उसका समाधान अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। पीछे रुपए और रूबल के विनिमय दर पर भी कुछ प्रश्न उपस्थित हुआ था। रूस चाहता था कि रूबल का मूल्य भारतवर्ष में इतने रुपए के बराबर कर दिया जाए, भारत की ओर से कहा गया कि रुपये की स्थिति पहले की अपेक्षा पुष्ट है, कैसे उसका मूल्य घटाया जाये। मैं समझता हूं, अगर हम किसी की जेब में जाकर पड़ गए होते तो शायद इस प्रश्न पर भी तत्काल निर्णय ले लिया होता। पर आज तक हमने उस प्रश्न को विचार की कोटि में रखा हुआ है। इससे भी यह प्रतीत होता है कि हमारा निर्णय लेने का ढंग स्वतंत्र है। वैसे भी उपसभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में यही तो नहीं कि हमको उसकी आवश्यकता है, उसको भी तो हमारी आवश्यकता है। हम भी तो ६० करोड़ के मुल्क हैं। एशिया की राजनीति में हमारा भी अपना एक संतुलित स्थान है। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन तमाम बातों का निर्णय लेते समय किसी की मैत्री—अथवा वह यह नहीं चाहते इसलिए—उस मैत्री की रेखा में या परिधि में आकर निर्धारित करेंगे; यह वहां होना चाहिए। हम स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। हम यह देख कर चलें कि देश के ६० करोड़ लोगों का भविष्य किसमें सुरक्षित है? और इस दृष्टि से हमको अपना निर्णय लेना चाहिए।

राजनीति प्रवाह है

वैसे मेरा अनुमान है कि राजनीति में अथ तो होता है, इति कभी नहीं होती। चीन और अमरीका के बीच कई वर्षों से आपसी सम्बन्ध बिगड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने आवश्यकता देखी, परिस्थिति इस प्रकार की देखी तो दोनों ने निकट आकर और मिलकर अपने सम्बन्ध सुधारे। भारत और अमरीका के सम्बन्धों में भी काफी कटुता आ गई थी। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से अभी दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच आदान-प्रदान हुआ है। हम और वे आपस में सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि जहां हम व्यापारिक सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं वहां राजनीतिक स्तर पर भी इसका विश्लेषण फिर से करना चाहिए क्योंकि हमारी स्वतंत्र नीति है और हम यह देखकर चल रहे हैं कि ६० करोड़ लोगों के राष्ट्र का भविष्य किसमें सुरक्षित है? उसी दृष्टि से हमें निर्णय लेना चाहिए। केवल चीन के साथ मैत्री है, रूस के साथ हमारी मैत्री है, जर्मनी के साथ हमारी मैत्री है, ब्रिटेन के साथ हमारी मैत्री है, यह बात दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंधों को प्रभावित नहीं करती है।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि कुछ देश इस प्रकार के हैं जिनकी समस्या बिल्कुल हमारी जैसी ही है, वे हमारी तरह ही गुलाम रहे हैं और जो हमारी तरह रंग भेद के शिकार रहे हैं। इस तरह के जो देश हैं उनकी स्वतंत्रता का आन्दोलन और भारत की स्वतंत्रता का आन्दोलन साथ-साथ चला। सौभाग्य की बात यह है कि हमारे देश की स्वतंत्रता के नेता महात्मा गांधी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जी ने अपना राजनीतिक जीवन अफ्रीका देश से ही प्रारम्भ किया। लेकिन कुछ अफ्रीकी देश इस प्रकार के हैं जो स्वतंत्रता के कगार तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो पाये हैं। मैंने वहां जाकर देखा कि अफ्रीकी देशों में और भारत में कई मामलों में समता है। एक समता तो यह है कि विकास की दृष्टि से दोनों ही देशों की एक जैसी स्थिति है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान की दृष्टि से भी दोनों देशों की एक जैसी स्थिति है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अफ्रीका देशों को जब कभी टैक्नीकल विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, वे भारत से ही प्रायः मंगाते हैं। जब कभी उन्हें अध्यापकों की आवश्यकता होती है, तो वे भारत से अध्यापकों को मंगाते हैं। वहां पर ये शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वे पूर्वी अफ्रीका के देश हों या दूसरे देश हों। इन देशों में युगेन्डा में जो भारतवंशी लोग रहते थे, उनके साथ घटी घटना के कारण अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। उनके मस्तिष्क में सन्देह का वातावरण पैदा हो गया है। अफ्रीका का जो आर्थिक विकास हुआ है उसमें भारतीयों का प्रमुख योगदान था। पर अब जो लाखों लोग वहां पर हैं, उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। हमारी अपनी स्थिति यह है कि हम यह कल्पना करते हैं कि जो वहां पहले से रहते आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके सुख-दुःख के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो हमारी नीति है, जो हमारा सोचना है, उसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए।

श्री अप्पा पंत

इसके साथ ही मेरा यह भी कहना है कि अफ्रीका के देशों में जो हम राजदूत भेजते हैं, यहां पर इस प्रकार के राजदूत न भेजें जिन्हें यह पद पुरस्कार के स्वरूप दिया जाता हो या जिन्होंने कुछ अपनी सेवाएं दी हों। हमें खास तौर पर ऐसे देशों में जो समस्याओं में उलझे हुए हैं, पर जो हमारे निकट आना चाहते हैं, वहां पर सोच समझ कर राजदूत भेजने चाहिए। मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता। पता नहीं मैं अपनी परम्परा से बाहर तो नहीं जा रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति जिसकी शक्ल तक मैंने आज तक नहीं देखी पर उनके कार्यों और गुणों से मैं प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के व्यक्ति इन देशों में जायें तो हमें बड़ी सहायता होगी। क्योंकि इस तरह के व्यक्ति दोनों देशों की बीच की जो शृंखला है उसको मजबूत कर सकते हैं। उनका नाम है श्री अप्पा पंत। मैंने उनको आज तक देखा नहीं। लेकिन, मैं जहां भी गया, जिस देश में भी गया, इस व्यक्ति के बारे में प्रशंसा के शब्द ही सुनने को मिले, जो भी कहता था यही कहता था कि आप इस प्रकार के व्यक्तियों को भेजें। मैं नहीं चाहता था कि यहां किसी का नाम लूं—मैंने आज तक उनको देखा नहीं—लेकिन उनके गुणों से परिचित हूं और इसलिये मैंने उनका नाम लिया। मैं चाहूंगा कि जिन देशों के साथ इस प्रकार की उलझी हुई समस्यायें हैं वहां ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए।

व्यापार सम्बन्ध

अफ्रीकी देशों के साथ एक दूसरी चीज भी है। उनसे हमारे व्यापार सम्बन्ध भी बढ़ सकते हैं। वे १९६१ के बाद स्वतंत्र हुए। अभी तक वे अपनी समस्याओं से उलझे रहे हैं। इन देशों के साथ व्यापार की संभावनायें पर्याप्त हो सकती हैं। इसलिये व्यापारिक संभावनाओं के संबंध में हमको सोचना चाहिए। इस काम को विदेश मंत्रालय करेगा या विदेश व्यापार मंत्रालय ज्यादा अच्छा कर सकता है यह आप जानें। लेकिन मेरी इच्छा इस प्रकार की है कि भारत जहां दूसरे देशों में अपने लिये मंडियां खोज रहा है वहां अफ्रीकी देशों में इस बात के लिये विशेष प्रयास करे। क्योंकि उन देशों के लोग यह समझते हैं कि भारत

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लोग आयेंगे या भारत से व्यापारिक संबंध बढ़ेगा तो अंग्रेजों की तरह या दूसरे लोगों की तरह हमको चूसने वाले नहीं होंगे बल्कि मैत्री से, भाई चारे के स्तर पर उनसे व्यापार संबंध स्थापित करेंगे। अगर यह बढ़ सकती है तो बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

भारतवंशी

जहां तक भारतवंशी लोगों की बात है मैं चाहूंगा कि भारतवंशी लोगों को तीन हिस्सों में रखकर उनकी समस्या पर विचार करें। एक तो वे हैं जिनके पास भारत का पासपोर्ट है, एक भारतवंशी वे हैं जो उन देशों के नागरिक हो गये हैं और तीसरे भारतीय हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास किसी का भी पासपोर्ट नहीं है। लेकिन उनकी संख्या उंगलियों पर ही गिनने लायक होगी। ऐसे व्यक्तियों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। जिनके पास इन तीनों तरह के पासपोर्ट हैं, पहले मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं। उनमें जो भारतवंशी लोग हैं जिन्होंने उन देशों की नागरिकता ले ली या जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, भारतीय पासपोर्ट नहीं है कई ऐसे व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी है, आपका व्यापार अब तीसरी-चौथी पीढ़ी में चल रहा है जब से आप इस देश में आये, क्या आपकी भारत आने की इच्छा होती है ? वे कहने लगे, जो शब्द उन्होंने कहे वही मैं आपको सुनाता हूं, उन्होंने कहा—

"अपि स्वर्णमयी लंका, न मे लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमिश्चः स्वर्गादपि गरीयसी।"

इन शब्दों को सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तीन-चार पीढ़ियां निकलने के बाद भी भारत के प्रति जो उनके हृदय में स्नेह है, अनुराग है, मैं समझता हूं कि उसका प्रत्युत्तर हमारी ओर से वैसा नहीं दिया जा रहा है। हम यह कल्पना करते हैं कि वे वहां के नागरिक हो गये हैं, वहां व्यापार करते हैं उनके सुख-दुःख से हमारा संबंध नहीं है। उगांडा से भारतवंशी लोग हटे थे, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर हटे थे। एक-एक आदमी को ५०-५० करोड़ रुपये की सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ा था। जो सम्पत्ति वे छोड़कर आये थे उसके लिये आप कम्पनसेशन के लिये चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अब यह स्थिति अफ्रीका के दूसरे देशों में न आये। इसके लिये कोई सौहार्द्र का वातावरण अभी से तैयार होना चाहिए और उनके मस्तिष्क में जो अनिश्चितता की स्थिति है वह समाप्त होनी चाहिए। इस बात को मैं विशेषरूप से कहना चाहता हूं इसलिये भी कि मुझे वहां जाकर यह पता लगा कि जब भी भारत के ऊपर कष्ट आया चाहे वह १९६२ में हो, चाहे वह १९६५ में आया, चाहे वह १९७१ में आया, उन लोगों ने उसी तरह से हमारे कष्ट को अनुभव किया, जैसे देश में रहने वाला कोई नागरिक अनुभव करता है और अपनी परिधि में रहते हुए दूर से जो सहयोग बन सकता था वह सहयोग उन्होंने देने का प्रयत्न किया। यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

एक और बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अभी थोड़े दिन पहले मैं अफ्रीका के एक छोटे से देश में था। वहां भारतवंशी लोगों ने मुझे बताया कि उपराष्ट्रपति जत्ती जब यहां आये तब यह कहा गया कि जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है केवल वही जत्ती साहब से मिलने के लिये आयें। मैं जब वहां था उन्हीं दिनों अमरीका का विदेश मंत्री वहां आया था और समाचार पत्रों में मोटे-मोटे अक्षरों में छपा था कि यहां जो भी अमरीकी नागरिक रहते हैं वे अमरीकी विदेश मंत्री को मिलने आयें। यह रेखा क्यों खींची गई कि जिनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है, भारतवंशी लोग जो वहां व्यापार करते हैं और जिनके

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हृदय में भारत के प्रति उतनी ही आत्मीयता है वे वहां न आयें। मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति ने यह किया अच्छा नहीं किया और इससे उन लोगों के हृदय पर एक चोट लगी। उनकी समस्यायें आप उस स्तर पर हल न करें जिस स्तर पर आप भारतीय पासपोर्टधारियों की समस्यायें हल करते हैं। लेकिन अगर वे लोग उपराष्ट्रपति के साथ भेंट करते और उनके साथ एक प्याला चाय पी लेते तो उसमें किसी को क्या दिक्कत होती। जिसने भी यह किया अच्छा नहीं किया। इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

शिक्षण में सहयोग

एक बात और मैंने मौरीशस में भी देखी। वह यह थी कि जहां-जहां भारतवंशी लोग रहते हैं—चाहे वे बहुसंख्या में हों या अल्प संख्या में—उन लोगों की इच्छा है और जिसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो उनकी नई संतति है उसको वे पढ़ने के लिये इंग्लैंड, कनाडा या अमरीका नहीं भेजना चाहते। वह इसलिये नहीं भेजना चाहते कि हमारा जो भारतवर्ष के प्रति अनुराग है वह अनुराग हमारी संतान के मन में भी रहना चाहिए यह उनकी भावना है। इसलिये वह अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिये, उनको डाक्टर, इंजीनियर या साइंस का ग्रेजुएट बनाने के लिये भारत भेजना चाहते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों के लिये हम ने बहुत थोड़ी सीटें अपने यहां रखी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिये सीटों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए ताकि राजनीति से हट कर हमारा जो भावनात्मक संपर्क है वह कायम रहे। यदि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे दूसरे देशों में न जा कर यहां ही शिक्षा प्राप्त करें तो उसके लिये निश्चित रूप से हमको कुछ सोचना चाहिए।

प्रवासी भवन बने

मैं कहना चाहता हूं और मैंने विदेश मंत्री जी से मिलकर भी इस बात को कहा भी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय में इस प्रकार की चर्चा चली थी कि जितने भी प्रवासी भारतीय हैं—वह भारतवर्ष से पहले कभी गये थे, उनके दादा, परदादा गये थे, वह आज भी चाहते हैं कि उनके और भारतवर्ष के बीच में कोई ऐसा संगठन होना चाहिए कि जो शृंखला का काम करे। वह संगठन हमारी समस्याओं को उन तक पहुंचाये और उनके मन की बात और भावना को हमारे तक पहुंचाये। पंडित जी ने अपनी मृत्यु के दो दिन पहले देहरादून के सर्किट हाउस से पत्र लिखा था कि मुझे तुम्हारा सुझाव बहुत पसंद आया है। उन्होंने यह भी लिखा था कि मैं मेहरचन्द खन्ना से कहूंगा कि वे प्रवासी भवन बनाने की व्यवस्था करें। इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की है और आप से भी बात की है और मैं चाहता हूं कि पंडित जी की उस इच्छा को शीघ्र पूरा किया जाय। उसको ज्यादा लम्बे समय तट टाला न जाय क्योंकि प्रवासी भारतीय भारत के निकट संपर्क में रहना चाहते हैं। भले ही वह बाहर किसी देश में व्यापार कर रहे हों या वहां किसी प्रकार की सर्विस में हों, लेकिन भारत के प्रति जो उन की आत्मीयता है उस आत्मीयता का उत्तर हम उस प्रकार दे सकें इसके लिये भी इस दृष्टि से हमको कुछ अवश्य सोचना चाहिए।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। उनमें एक बात तो यह है कि इंडियन कौंसिल आफ कल्चरल रिलेशन्स जिसको हम भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् भी कहते हैं उसको जो काम सौंपा गया है, यह खुशी की बात है कि वह अब अच्छा कार्य कर रही है। जो दायित्व उसको सौंपा गया है वह इस प्रकार का है कि जो लोगों के हृदय, मस्तिष्क और मन से संबंध रखने वाला है। राजनीतिक संबंध इतने लम्बे और स्थायी नहीं होते जितने कि सांस्कृतिक संबंध होते हैं। पहले तो यह परिषद् एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में रही, इस पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा रहा कि जिसने इस परिषद के करेक्टर को ही खत्म कर दिया और जिनकी अपनी व्यक्तिगत अनियमिततायें इस प्रकार की थीं कि जिनके बारे में एक रिपोर्ट भी शायद आपके पास है। उस पर अभी तक आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अव उनको यहां से हटा कर शिक्षा विभाग में भेज दिया गया है। लेकिन गलत आदमी तो हर जगह गलत है। वह शिक्षा मंत्रालय में बैठे या यहां बैठे, वह गलत ही होगा। या तो उसकी आपने कोई इंक्वायरी नहीं करानी थी और अगर कोई इंक्वायरी करायी है तो उसकी रिपोर्ट क्या है और उस पर आप क्या निर्णय ले रहे हैं इसका हमको पता होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् है उस का अपना महत्वपूर्ण काम है। भारत सरकार में ऐसा है कि थोड़े-थोड़े काम बंटे हुए हैं। विदेशों में सांस्कृतिक संबंध के कुछ काम विदेश मंत्रालय को दिये हुए हैं और कुछ शिक्षा मंत्रालय को दिये हुए हं। मैं चाहता हूं कि विदेशों में सांस्कृतिक प्रचार का जो काम है वह एक संगठन के पास रहना चाहिए और इसके लिये विदेश मंत्रालय ही कांपिटैंट अथारिटी होगा। इसलिये विदेशों में सांस्कृतिक प्रचार का काम विदेश मंत्रालय को सौंपा जाये और भारतवर्ष में यह काम शिक्षा मंत्रालय के पास रहे। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विदेशों के लिये एक संगठन होना चाहिए। दो जगह में बंटे हुए नहीं रहना चाहिए।

दूसरे विदेशों में जो सांस्कृतिक प्रचारक भेजे जायें उस संबंध में मैं चाहता हूं कि वहां केवल नृत्य और संगीत की मंडलियां ही नहीं जानी चाहिए। अभी रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथानन्द जी भेजे गये थे। वैसे ही दूसरे अच्छे व्यक्ति वहां भेजे जायें उच्च स्तर के। जो वहां जाकर वहां की सांस्कृतिक समस्याओं को देखें और हमारे सांस्कृतिक संबंध आपस में बढ़ायें और सांस्कृतिक आदान-प्रदान करें। बहुत से देशों में सनातन धर्म, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज के संगठन हैं। वहां गुरुद्वारे हैं और हिन्दू मंडल बहुत स्थानों पर बने हुए हैं। मुस्लिम भाइयों के संगठन भी हैं। तो मेरा कहना है कि उनमें जो अच्छे स्तर के विद्वान हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, उनको वहां भेजा जाय। केवल नृत्य और संगीत ही हमारी संस्कृति नहीं है। इन विद्वानों के जो प्रवचन होंगे उनके द्वारा भी हमारा सांस्कृतिक प्रचार होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

हिन्दी का प्रचार

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि आपने इस रिपोर्ट के पृष्ठ १०५ पर लिखा है कि हिन्दी के विदेशों में प्रचार के लिये आपने पासपोर्ट कार्यालय को भी कुछ सुविधायें दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और करार और संयुक्त विज्ञप्तियों में भी हिन्दी का प्रयोग होने लगा है। हिन्दी की पुस्तकें और चार्ट आदि भी विदेश भेजे जाने लगे हैं। मारिशस और फीजी में आप ने हिन्दी अधिकारी रखे हुए हैं। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिये योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने एक प्रश्न के रूप में उस दिन कहा था और मेरी बात समय न रहने से बीच में समाप्त हो गयी थी, मैं उसको फिर से दोहराना चाहता हूं। आप ही उस गोष्ठी के अध्यक्ष थे नागपुर में जिसमें सुरिनाम, ट्रिनिडाड, गयाना और मारिशस के प्रतिनिधियों ने कहा, और यही नहीं, रूस और जर्मनी के प्रतिनिधि ने भी कहा, हंगरी ने कहा, पोलैंड ने कहा, सबने यह कहा। जब ९ करोड़ लोगों की अरबी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिल सकती है, तो ६० करोड़ के देश ने जो अपनी राजभाषा मानी है उसको मान्यता क्यों नहीं मिल सकती है? मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर जो गति रही है, वह कच्छप गति है, इसमें तेजी आनी चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुकूल है। जिस दिन हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान मिलेगा उस दिन हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान भी बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आप निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे और इसको राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुकूल ही गति देने का प्रयास करेंगे। ❑

हमारे देश के अन्दर जो एकता की श्रृंखला है इसका सबसे अच्छा विवेचन श्रीमद्भागवत में मिलता है। नारद मुनि ने वृन्दावन में एक ज़र्जर महिला से पूछा कि तुम कौन हो? उसने परिचय देते हुए एक बात कही। माननीय सदस्य, श्री सी.के. भट्टाचार्य, इसकी साक्षी देंगे। वह महिला कहने लगी, "अहं भक्तिरिति ख्याता"—मेरा नाम भक्ति है, जो देश के सांस्कृतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। जब नारद ने पूछा कि कहां की रहने वाली हो, तो उसने कहा,

"उत्पन्ना द्राविड़े चाहं, वृद्धिं कर्नाटके गता।
क्वचिद् क्वचिन्महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णतां गता॥
वृन्दावनं पुनः प्राप्य, नवीनैव स्वरूपिणी।
जाताऽहं युवती सम्यक् प्रेष्ठ रूपा तु साम्प्रतम्॥"

मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैंने कर्नाटक में आकर वृद्धि प्राप्त की; महाराष्ट्र में भी आकर मैंने अपने स्वरूप को सुरक्षित रखा; गुजरात में आकर मैं वृद्धा हो गई; लेकिन वृन्दावन में आकर मैंने फिर अपना नवीन और प्रिय स्वरूप धारण कर लिया। इसी सांस्कृतिक स्वरूप और सूत्र को बनाए रखने के लिए ही कन्याकुमारी के समीप जन्म लेने वाले जगद्गुरु शंकराचार्य उत्तर में बदरीनाथ तक गए।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अस्थिर विदेश नीति

विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के समय शास्त्री जी ने सरकार की विदेश नीति के परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि चीन के आक्रमण ने हमारी तटस्थता की नीति का वास्तविक रूप उजागर कर दिया है। रूस जहां दुविधा में रहा वहां पश्चिमी देशों ने जिनका रुख उनके विरुद्ध रहता रहा है भारत का समर्थन किया। चीन और रूस दोनों ही इस बारे में एकमत हैं कि भारत में साम्यवाद फैलना चाहिए। रूस ने कश्मीर के प्रश्न पर हमारी मदद की है परन्तु चीन के आक्रमण पर जब हमारी सीमाएं संकट में हैं, उसने अपने को तटस्थ सा कर लिया है। शास्त्री जी ने यह निश्चित मत प्रकट किया कि पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति एकपक्षी है। हम ही उसके आगे शान्ति की बात करते हैं जबकि वह निरन्तर विरोधी रुख अपनाए हुए है। चीन के साथ वार्ता में कोलम्बो पर अत्यधिक निर्भरता की उन्होंने आलोचना की।

१९६३ में विदेश मंत्रालय की बहस पर अपने वक्तव्य की समाप्ति पर शास्त्री जी ने रिपोर्ट के इस अंश का उद्धरण दिया : "अनुभव किया गया है कि केवल अंग्रेजी भाषा में ही सामग्री का वितरण करना पर्याप्त नहीं।" इसकेबाद उन्होंने कहा कि नेहरू जी से मेरा आग्रह है कि वे भारतीय भाषाओं में भी अपना साहित्य प्रकाशित करें जिससे जनता वास्तविकता को समझ सके। १९६२ के सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय ने ३१ पुस्तकें प्रकाशित कीं जब कि हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं में केवल तीन।

संसद के संयुक्त अधिवेशन में बजट सत्र से पूर्व राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन के अंग्रेजी भाषण का कुछ सदस्यों द्वारा विरोध का शास्त्री जी ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह हिन्दी के नाम पर किया गया पर इससे हिन्दी का हित नहीं अहित ही होगा। परन्तु साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रपति का भाषण हिन्दी में होता तो संवैधानिक परम्परा का निर्वाह होता।

शास्त्री जी सरकारी घोषणाओं और विज्ञप्तियों को बड़ी बारीकी से पढ़ते थे और इनके आधार पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते थे। जब पाकिस्तान ने तटस्थ १९ जहाजों में भरे भारतीय माल को पाकिस्तान में उतार लिया तब जहारानी मंत्री श्री राज बहादुर ने कहा कि सरकार जरूरी कार्यवाही करेगी।

इस पर शास्त्री जी ने कहा कि आप जरूरी कार्यवाही कैसे करेंगे जबकि आपकी कोई तैयारी ही नहीं है। और तब शास्त्री जी ने जहाजरानी मंत्री के पूर्व वक्तव्य की एक पंक्ति पढ़ कर सुनाई : "अन्य क्षेत्रों में अपनी नीति के अनुसार हमने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की।" सारा सदन अवाक्‌रह गया। शास्त्री जी ने सरकार पर अकर्मण्यता और उदासीनता का आरोप लगाते हुए कि पाकिस्तान द्वारा रोके गए भारत के माल के मूल्य के बारे में भी सरकारी विभाग अलग-अलग आंकड़े देकर स्थिति को जटिल बना रहे हैं।

इसी प्रकार असम में ७ लाख पाकिस्तानियों की संख्या के बारे में जब महावीर त्यागी ने आंकड़े पर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपत्ति की तब शास्त्री जी ने कहा कि यह तो सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े पढ़ रहा हूं, हमारे अनुमान से तो और भी बड़ी संख्या है।

चीन का रवैया

चीन के आक्रमण के बाद इसके लिए उत्तरदायी नेहरू सरकार के प्रति शास्त्री जी का रुख उनके संयत स्वभाव के बावजूद बड़ा उग्र और कठोर था। नेफा में पराजय के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया उसे सदस्यों ने पहली बार अनुभव किया कि शास्त्री जी इतनी कठोर भाषा भी बोल सकते हैं। चीन से भारत की पराजय शास्त्री जी के लिए भारी आघात था, अपमान था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नेहरू जी तथा उनके मंत्रिमंडल के अविलम्ब त्यागपत्र की मांग की।

विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक वक्तव्य में यह बताया था कि गंगटोक से १४ मील दूर चीन के कुछ सैनिक देखे गए थे। शास्त्री जी ने कहा कि नाथू-ला जो भारत-चीन सीमा बनाता है, गंगटोक से ३५ मील दूर है। यदि चीनी सैनिक गंगटोक से १४ मील दूर तक आ गए हैं तो इसका अर्थ है कि वे भारतीय सीमा में २१ मील अन्दर घुस आए हैं। प्रश्न इतना गम्भीर होने पर भी इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने में सरकार विफल रही। ❑

अब प्रश्न यह है कि विभिन्न प्रदेशों में वर्णमाला के अक्षरों को लिखने में किस सिद्धान्त अथवा स्वरूप को अपनाया जाए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि केवल प्राचीनता के आधार पर यह प्रश्न हल नहीं किया जा सकता। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के अतिरिक्त मैं आपको महात्मा गांधी के शब्द भी देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में कुछ सुनाना चाहता हूं। डॉ. जेड. ए. अहमद ने अपनी पुस्तक "नेशनल लैंगुएज फॉर इण्डिया" में गांधी जी को सम्मति देते हुए उन्होंने लिखा है कि जिन विभिन्न भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है अथवा जिनका संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है उनकी एक ही लिपि होनी चाहिये और वह लिपि देवनागरी लिपि ही हो सकती है। एक प्रान्त के लोगों के लिये दूसरे प्रान्तों की भाषायें सीखने में विभिन्न लिपियां अनावश्यक रुकावटें पैदा करती हैं। यूरोप में भी जो कि एक राष्ट्र नहीं है, सामान्यतः एक ही लिपि अपनाई गई है तो फिर भारत की भी जो कि एक राष्ट्र होने का दावा करता है, और एक राष्ट्र है भी, क्यों न एक लिपि अपनानी चाहिये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इजराइल का प्रश्न

१९६७ में जब अरब राष्ट्रों ने मिल कर इजराइल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तब भारत सरकार अपनी अरब समर्थक और इजराइल विरोधी नीति के कारण हास्यास्पद स्थिति में पड़ गई थी। मुस्लिम राष्ट्रों को खुश करने के लिए भारत ने इजराइल से अपने दौत्य सम्बन्ध भी नहीं रखे थे।

परन्तु युद्ध छिड़ने पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी ने इस युद्ध को छेड़ने का सारा दोष इजराइल पर मढ़ दिया। श्रीमती गांधी के इस वक्तव्य से शास्त्री जी अपने विरोध को नहीं रोक सके। शास्त्री जी उन कुछ विशिष्ट सांसदों में थे जो इजराइल गए थे। तब इजराइल जाना हिन्दू साम्प्रदायिकता माना जाता था। शास्त्री जी ने ६ जून १९६७ को लोक सभा में कहा कि सरकार की ओर से समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर वक्तव्य आते रहते हैं परन्तु कुछ इस प्रकार के ऐतिहासिक क्षण होते हैं जब प्रधान मंत्री को और सरकार को बड़ी संतुलित भाषा का प्रयोग करना चाहिये। आज जबकि विश्व एक संकट के चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है और इजराइल और अरब राष्ट्रों के अन्दर युद्ध की ज्वाला धू-धू कर जल उठी है, प्रधान मंत्री से यह अपेक्षा थी कि उनकी ओर से जो वक्तव्य दिया जायेगा वह उन ज्वालाओं पर शान्ति के छींटे लगाने का कार्य करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से प्रधान मंत्री का वक्तव्य इसके सर्वथा विपरीत रहा। इसकी महंगी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी, यह इतिहास का अगला अध्याय ही बतायेगा।

जहां तक प्रधानमंत्री के कथन का यह सम्बन्ध है कि इजराइल ने युद्ध की इस अग्नि को भड़काया। क्या मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि जब इजराइल के साथ हमारे दौत्य सम्बन्ध नहीं हैं, केवल अरब देशों के साथ हमारे दौत्य सम्बन्ध हैं, तब फिर इजराइल की जानकारी लिये बिना भारत सरकार अधिकृत भाषा में कैसे इस बात की घोषणा कर सकती है कि इजराइल ने युद्ध की अग्नि को भड़काया? दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि युद्ध की अग्नि भड़की इजराइल की ओर से या युद्ध की अग्नि भड़की तब जब अकावा की खाड़ी की नाकेबन्दी की गई या युद्ध वहां तब भड़का जब इजराइल के सम्बन्ध में यह कहा गया कि ४ दिन में दुनिया की हस्ती से उसको नष्ट कर दिया जायेगा? इस समय युद्ध की अग्नि को इजराइल ने भड़काया है या युद्ध की अग्नि को भड़काने वाले कोई और हैं, इस प्रकार के वक्तव्य क्या आज देने थे? मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब हम यह कहते हैं कि दोनों ओर की सेनायें ४ जून की लाइन पर चली जायें और अपने स्थानों पर जाकर खड़ी हो जाएं, हमारे अपने प्रतिनिधि श्री पार्थसारथी ने जो सुरक्षा परिषद् में वक्तव्य दिया है उससे हमारी सहमति है। लेकिन साथ ही साथ हम भारत सरकार से जानना चाहते हैं कि यह ४ जून की बात को करने के बाद उस मुख्य मसले का क्या होगा जिस पर युद्ध की अग्नि भड़की है? अकावा की खाड़ी जिसकी नाकेबन्दी कर दी गई है, उसका क्या परिणाम होगा? जो मूलाधार इस चीज का रहा है उस पर भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है यह भी मैं प्रधान मंत्री से साथ-साथ जानना चाहता हूं।

८ जून १९६७ को पुनः इजराइल का प्रश्न उठाते हुए श्री शास्त्री जी ने कहा कि अरबों और इजरायल के झगड़े के बाद क्या भारत सरकार को यह सबक मिला है कि इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर, जिनसे विश्व-युद्ध की ज्वाला धधक सकती है बड़ी संतुलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उनके बारे में अपने विचार प्रकट करने में या वक्तव्य देने में कोई बहुत शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए।

अरबों और इजरायल के झगड़े के बाद समाचारपत्रों में कुछ ऐसे समाचार छपे हैं कि भारत सरकार अपने दो जिम्मेदार मिनिस्टरों को सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज रही है। उन मिनिस्टरों के नाम भी निकले हैं कि वे वाणिज्य मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, जबकि ऐसी परिस्थितियों का दायित्व विदेश मंत्रालय पर होता है। भारत का यह अटपटा निर्णय कि विदेश मंत्री को छोड़ कर रक्षा मंत्री और वाणिज्य मंत्री को सुरक्षा परिषद में भेजा जाये? ❑

दक्षिण भारत का महत्त्व

सबसे बड़ी बात है सांस्कृतिक एकता की। मुझे अच्छी तरह से याद है, कुछ दिन पहले एक अमरीकी यात्री भारत घूमने के लिये आया। वह मेरा परिचित था। मैं उसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री नेहरू जी से मिलाने ले गया। नेहरू जी ने उससे छूटते ही प्रश्न पूछा कि क्या तुमने हिन्दुस्तान को देखा। जब उसने बतलाया कि वह भारतवर्ष घूम चुका है, तब पंडित जी ने पूछा कि वह हिन्दुस्तान में कहां-कहां गया। वह कहने लगा कि मैं अयोध्या गया, बनारस गया, इलाहाबाद गया, पटना गया, कलकत्ते गया। जवाहरलाल जी ने तुरन्त ही कहा कि तुमने हिन्दुस्तान नहीं देखा। उसने कहा कि आप कैसे कहते हैं कि मैंने हिन्दुस्तान नहीं देखा। मैं आपको नेहरू जी के ही शब्द बतलाता हूं। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान का नाम जो हिन्दुस्तान है वह दक्षिण भारत का दिया हुआ है। जब तक तुम साउथ इंडिया नहीं देखोगे तब तक हिन्दुस्तान नहीं देख सकोगे। पंडित जी ने कहा कि जिस दृष्टि से इस देश का नाम हिन्दुस्तान दिया गया है उसे देखने के लिये 'यू गो टू साउथ'। तुम दक्षिण जाकर देखो तब पता लगेगा कि भारत क्या है। इस दृष्टि से भी यह चीज आवश्यक है कि हमें वहां जाना चाहिये और वहां जाकर उन सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को देखना चाहिये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मंगला बांध पर बधाई की निन्दा

पाकिस्तान द्वारा मंगला बांध के निर्माण के प्रश्न पर २३ नवम्बर १९६७ को लोक सभा में विपक्ष ने सरकार की काफी खिंचाई की। श्री नाथ पई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जहां इस बांध को भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए जल संधि का उल्लंघन बताया वहीं इसकी पूर्ति पर भारत द्वारा पाकिस्तान को बधाई देने की भी निन्दा की। इतना ही नहीं इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय उच्चायुक्त के सम्मिलित होने को भी देश का अपमान बताया गया।

श्री वाजपेयी ने जब कहा कि उच्चायुक्त का थर्ड सेक्रेटरी जा सकता था। तब शास्त्री जी ने कहा कि हमारे किसी चपरासी को भी उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यह बांध पाकिस्तान ने हमारी धरती पर बनाया है और हम उसका विरोध करने के बदले उसका स्वागत कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता यदि हमारा कोई भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं जाता।

स्मरण रहे मंगला बांध पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बना है। इसका आधा भाग पाकिस्तान की भूमि पर है तथा आधा भाग तथाकथित आजाद कश्मीर में। ❑

देवनागरी लिपि की पूर्णता

रोमन लिपि के प्रयोग से किस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी पीछे साहित्य अकादमी ने पुरस्कारों की घोषणा करते हुए श्री सुमित्रानन्दन पन्त की पुस्तक "काला और बूढ़ा चांद" के लिए एक पुरस्कार घोषित किया था और आकाशवाणी केन्द्र से इस समाचार का प्रसारण किया गया। क्योंकि वह समाचार रोमन लिपि में लिखा था इसलिए वहां से प्रसारित किया गया "काला और भूरा चांद"। तो यह कठिनाई रोमन लिपि में वह समाचार लिखा होने के कारण आयी। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो बोलिए वही लिखिए और जो लिखिए वही पढ़िए। लेकिन रोमन लिपि में यह बात नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हमको थ लिखना है तो उसके लिए टी-एच लिखकर थ पढ़ना होगा। फारसी लिपि में तो यह दुर्बलता और भी अधिक है। वहां थ लिखने के लिए ने और दुचश्मी हे लिखनी होगी और फिर उसको थ पढ़ा जाएगा। तो आप देखें कि बोलना तो है थ और लिखा जाता है ने और दुचश्मी हे। तो इन सब बातों को देखते हुए मेरा अपना अनुमान है कि रोमन तथा अन्य भी लिपियां हमारे लिए उपयुक्त नहीं हो सकेंगी।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चेकोस्लोवाकिया पर रूसी हमले की निन्दा

चेकोस्लोवाकिया पर रूस एवं वारसा संधि के चार अन्य देशों द्वारा किए गए आक्रमण पर सरकार ने वामपक्षियों के दवाव में जिस प्रकार का रुख अपनाया था उस पर दक्षिणपंथी सदस्यों ने आक्रोश प्रकट किया। श्री शास्त्री जी, मधु लिमये एवं रविराय ने इस बात को बड़े जोर-शोर से उठाकर इस पर अविलम्ब बहस की मांग की।

इस घटना पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के वक्तव्य पर असंतोष प्रकट करते हुए शास्त्री जी ने कहा कि यदि आज बहस नहीं हो सकती है तो भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में २१ अगस्त सन १९६८ को जो वक्तव्य दिया है उसे विश्व में इस संसद और देश का प्रतिनिधित्व करने वाला समझा जाएगा। यह वक्तव्य देश की दुर्बलता को प्रकट करता है। मेरा यह आग्रह है कि इस वक्तव्य में यह जोड़ लिया जाय कि भारत और भारतीय संसद इस आक्रमण की तीव्र भर्त्सना करती है। स्मरण रहे जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बारे में विचार किया गया तब भारत तटस्थ रहा था। सदस्यों में इस बात पर भी बड़ा रोष था।

अगले दिन २३ अगस्त को जब इस पर विधिवत बहस शुरू हुई तब शास्त्री जी ने सरकार के मूल प्रस्ताव के बदले निम्न प्रस्ताव पेश किया :

> "यह सभा रूस तथा वारसा संधि के कुछ अन्य राष्ट्रों की सशस्त्र सेनाओं के चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश के बारे में २१ अगस्त, १९६८ को सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात्, चेकोस्लोवाकिया पर रूस एवं वारसा संधि के सदस्य राष्ट्रों द्वारा किये गये वीभत्स और अमानवीय आक्रमण की घोर निन्दा करती है।"

जब सदन में इस पर बहस हो या न हो इस पर नोक-झोंक हो रही थी तब शास्त्री जी ने बड़े आक्रोश के साथ हस्तक्षेप करते हुए पुनः कहा कि हमें इस बारे में बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सच्चाई यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की गैरहाजरी से या तटस्थ हो जाने से हमारे मस्तिष्कों का सन्तुलन इतना बिगड़ गया है, जो हमारे लिए असहनीय है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे प्रधान मंत्री जी को सदन में आने के लिए कहें। भारत को इस प्रकार से गिरवी नहीं रखा जा सकता। वह रूस का गुलाम हो गया है। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते।

जब शास्त्री जी को इस विषय पर बोलने का समय दिया गया तब उन्होंने कहा—

अध्यक्ष महोदय, परसों सायंकाल प्रधान मंत्री ने चेकोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया था, उससे यह लगता था कि दाल में कुछ काला है। प्रधान मंत्री ने और अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि अभी सरकार को समय दिया जाये कि वह स्थिति का पूरा अध्ययन कर ले। सारी स्थिति की जानकारी लेने के बाद कल सरकार सदन के सामने उपस्थित हो। प्रधान मंत्री ने कल सारी चर्चा के बाद जो उत्तर दिया, उसमें रूस की निन्दा का प्रस्ताव स्वीकार करना तो दूर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन हुआ है, इस आशय के श्रीमती सुचेता कृपलानी के उपयुक्त संशोधन को भी स्वीकार करने में उन्होंने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

असमर्थता प्रकट की। लेकिन प्रधान मंत्री के मन में कुछ ऐसा चोर भी छिपा हुआ था कि जो यह सरकार संयुक्त राष्ट्र स्थित अपने प्रतिनिधि को यह कह चुकी थी कि जिस समय यह मानवोचित अधिकारों का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में आये, उस समय इस स्वाभिमानी देश का प्रतिनिधि चोरों की तरह वहां से तटस्थ हो कर अलग हो जाय। इस बात की आशा नहीं थी कि प्रधान मंत्री इस स्तर तक भी जा सकती हैं। उन्होंने इस प्रकार का निर्णय करके भारतवासियों के मस्तक को आज नीचे झुका दिया है। एक स्वाभिमानी देश के लिए आज इससे बड़ी लज्जा की कोई बात नहीं हो सकती है।

मैं अशोक मेहता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक साहसपूर्ण निर्णय लिया है। उनका यह कदम देश के स्वाभिमान के अनुरूप है। मैं कांग्रेस की बेंचेज पर बैठे हुए अपने साथियों से भी एक बात स्पष्ट कह दूं कि मेरे हृदय से निकले हुए ये शब्द पार्टी के स्तर पर नहीं, देश के स्तर पर हैं। कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हमेशा के लिए पट्टा अपने नाम पर लिखा कर नहीं आई है। पार्टियां आती हैं और जाती हैं, यह पार्लियामेंट रहेगी या बदलेगी। लेकिन देश हमेशा रहने वाला है। हमारे ये कांग्रेसी भाई देश के इतिहास में अपना नाम काले अक्षरों में लिखवा कर न जायें जिससे आने वाली पीढ़ियां कहीं इनके नाम को याद कर के रोयें। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अपने संयुक्त राष्ट्र स्थित प्रतिनिधि को जो तटस्थ रहने का आदेश दिया है उससे यह सरकार अब देश पर शासन करने की अधिकारिणी नहीं रही। इसने देश के स्वाभिमान को नष्ट किया है। ❑

उच्च शिक्षा केन्द्र का विषय बने

एकअन्तिम बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि कम से कम उच्च शिक्षा तो केन्द्र का विषय तत्काल होनी चाहिए। कुछ दिन पहले जैसा मैंने सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया था कि संविधान बनाते समय हमसे दो भूलें हुईं। एक भूल तो यह हुई कि शिक्षा को राज्यों का विषय बना दिया और दूसरी यह हुई कि हमने राज्यों का भाषावार निर्माण स्वीकार किया। अगर हम प्रारम्भ से ही यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट बनाते और केन्द्र की दीवारों के अन्दर यह देश होता तो जो यह प्रान्तों के तरह-तरह के झगड़े हो रहे हैं, उनसे राष्ट्रीय एकता न टूटती। मुझे विश्वास है कि सरकार पहले न सही, अब ठोकर खाकर इस विषय में भी अवश्य ही गम्भीरता से विचार करेगी।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व अस्वीकार्य

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय चीन में च्यांग काई शेक की तूती बोलती थी। उनसे भारत की अच्छी मैत्री थी। पर उनका सितारा डूबने के बाद भी भारत ने कम्युनिस्टों के नवीन शासकों के साथ भी अपने सम्बन्ध बनाये रखे। अन्तरराष्ट्रीय रंगमंच पर गैर कम्युनिस्ट देशों में भारत ही चीन का एकमात्र समर्थक था। चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने का प्रस्ताव भारत का ही था। एक समय था जब हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा गूंजता था। इसी झोंक में चीन ने जब तिब्बत को निगल लिया तब भी भारत चुप रहा। दलाई लामा को भारत में शरण दी तब भी भारत चुप रहा। दलाई लामा को भारत में शरण भी बड़ी कड़ी शर्तों व असमंजस में दी गई। इस सबके बावजूद चीन की विस्तारवादी नीति के कारण चीन ने भारत-चीन सीमा निर्धारक मैकमोहन लाइन को मानने से इन्कार कर भारतीय प्रदेश पर दावा कर दिया। इस पर भी नेहरू जी का चीन पर तब तक विश्वास बना रहा जब तक उसने नेफा में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर लिया। चीन का यह विश्वासघातक घाव भारत के भौगोलिक शरीर में अब भी बड़ा गहरा और मर्मान्तक है।

चीनी आक्रमण के बाद लोकसभा में इस चर्चा में शास्त्री जी ने चीन के विश्वासघात की खुल कर आलोचना की। १० नवम्बर १९६२ को देश में आपात स्थिति लागू करने के प्रस्ताव पर बहस के समय शास्त्री जी ने चीन के दुष्कृत्य का प्रबल शब्दों में विरोध किया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : सभापति जी, क्रान्ति के इन क्षणों में बड़े शान्त शब्दों में मैं दो तीन आवश्यक सुझाव और बातें रखना चाहता हूं।

कुछ भी कहने से पहले इस नृशंस आक्रमण में जो भारतीय सैनिकों का बलिदान हुआ है, उनके प्रति श्रद्धांजलि देना मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूं। उसके पश्चात् मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं देश की जनता को और अपने देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू को। प्रधानमंत्री जी को इसलिये कि उन्होंने जनतंत्र में जनता की भावनाओं का स्वागत करते हुए एक ऐसे व्यक्ति का त्याग पत्र स्वीकार किया कि यदि वह त्याग पत्र स्वीकार न किया जाता तो देश में और भी अधिक उग्र प्रतिक्रिया होने की संभावना थी। और देश की जनता को इसलिये बधाई देना चाहता हूं कि इन ऐतिहासिक क्षणों में बिना किसी प्रकार की विशेष प्रेरणा के देश की जनता ने स्वतः जो एकता और राष्ट्रीय जागरण का परिचय दिया है मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर इतिहास में बिरले ही आये होंगे। और इस अद्भुत राष्ट्रीय जागरण के लिए जहां देश की जनता बधाई की पात्र है, वहां सरकार को साथ-साथ मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय जागरण विपत्तिकाल में जैसे एकीकरण का प्रतीक हो गया है और जिसने इस देश के नेताओं को साहस दिखाने का एक सुखद अवसर दिया है, यदि कहीं हमारी सरकार ने इस राष्ट्रीय जागरण और त्याग का पूरा लाभ न उठाया और कोई दुर्बलता दिखायी, तो मेरा अपना अनुमान है कि यह राष्ट्रीय जागरण विपरीत दिशा में मुड़ सकता है और यदि यह राष्ट्रीय जागरण कहीं उलटी ओर चला गया, तो उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी यह आज अभी कहना कठिन है। इसलिए मैं चाहता

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हूं कि इस राष्ट्रीय जागरण का पूरा लाभ उठाया जाए।

हमारे प्रधानमंत्री ने चीन के साथ हमारी बातचीत होने के सम्बन्ध में बताया था कि चाऊ एन लाई की ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव आया है कि जहां इस समय हमारी और चीन की सेनाएं हैं, वहां से दोनों दल बीस-बीस किलोमीटर पीछे हट जाएं तो बातचीत प्रारम्भ हो सकती है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसका जबाव यह दिया कि जहां चीनी सेनाएं ८ सितम्बर को थीं वहां तक पीछे हट जाएं तो बातचीत का द्वार खुल सकता है। उनके इस निर्णय से देश को चोट लगी है। यह तो इसी प्रकार की बात हुई कि किसी घर में डाकू घुस जाए और बातचीत के लिए वह यह शर्त रखे कि वह दरवाजे तक हट जाएंगे उसके बाद बातचीत की जा सकती है। पहले तो घर में प्रवेश करने वाले डाकू से बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और अगर होता भी है, तो यह शर्त रखना समझ में नहीं आता कि वह दरवाजे तक हट जाए तब उसके साथ बातचीत की जायेगी। उससे अगर बातचीत की जानी जरूरी है, तो उसी स्थिति में किउसको घर से बाहर कर दिया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय जागरण के इन क्षणों में प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करनी चाहिए कि जब तक देश की एक-एक इंच धरती पर कोई भी चीनी सैनिक विद्यमान है तब तक किसी प्रकार की भी बातचीत नहीं की जा सकती है।

मैं पंजाब सरकार को आज विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय संकट के इन क्षणों में पंजाब की सरकार ने बहुत सराहनीय निर्णय लिया है। पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि अवकाश प्राप्त मेजरों और जनरलों को उनके घरों से वापस बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि वे पंजाब के गांवों और शहरों में फैल जाएं और नौजवानों को सैनिक शिक्षा दें और यह ट्रेनिंग पा कर जो नौजवान युद्ध में जाएंगे उनके लिये पंजाब सरकार ने निर्णय किया है कि जिन-जिन वर्षों में वे नौजवान पढ़ रहे होंगे उनको उन परीक्षाओं से मुक्त कर दिया जाएगा और जब वे मोर्चे से विजय प्राप्त कर के लौटेंगे तो उनको पंजाब सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार ने यह एक स्तुत्य निर्णय लिया है और उसका अनुकरण अन्य राज्य सरकारों को भी करना चाहिए क्योंकि पंजाब सरकार का यह निर्णय सही अर्थों में आदर्श है।

एक और बात की ओर मैं इन संकट के क्षणों में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब वह समय आ गया है जबकि हम को पार्टी की दृष्टि से विचार न करके देश की दृष्टि से विचार करना चाहिए। मुझे परसों यह देख कर दुःख हुआ जब संसद भवन पर दो प्रदर्शन हुए। एक प्रदर्शन था जिसमें स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ आदि विरोधी दलों के लोग थे। दूसरे प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली की कांग्रेस कर रही थी। विरोधी दल तो प्रधानमंत्री जी को यह आवश्वासन देने के लिए अपना प्रदर्शन करने आये थे कि इस संकट की घड़ी में हम भी आपके साथ हैं; यह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आयी कि दिल्ली कांग्रेस ने उसके मुकाबले में विरोधी प्रदर्शन क्यों किया? क्या वे इस प्रदर्शन द्वारा प्रधानमंत्री को यह आवश्वासन देने आए थे कि वे इस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। जबकि विश्व के प्रायः सभी देशों के राजदूत पार्लियामेंट को देखने और हमारे ही ऐतिहासिक निर्णय को सुनने आए थे। उस अवसर पर पार्लियामेंट के उत्तरी और दक्षिणी द्वारों पर दो प्रदर्शनों का होना मैं समझता हूं कोई शुभ नहीं कह सकेगा। और आज हम उन दोगले मस्तिष्कों को अपराधी मानते हैं जो पीकिंग और मास्को के स्वप्न देखते हैं, तो इसी प्रकार जो मस्तिष्क इस संकट के क्षणों में भी चुनाव और वोट की बात सोचकर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह पग उठाते हैं उनको भी अपराधी मानना चाहिये। इस प्रकार की बातों को इस समय उठा कर बिल्कुल ताक में रख देना चाहिए। क्योंकि इसका हमारे राष्ट्रीय जागरण पर भी बुरा प्रभाव होगा।

एक बात मैं विशेष रूप से अपने साम्यवादी साथियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझे पता है कि साम्यवादी दल में एक ग्रुप ऐसा है जो स्पष्ट रूप में आज चीन की नीति का समर्थन करता है और ऐसा करने में वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार के कुछ व्यक्तियों पर हाथ भी डाला है और महाराष्ट्र में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली में भी दो एक गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसको इस प्रकार के लोगों से देश की स्थिति के लिए खतरा भी महसूस होता है, तो इक्के दुक्के पर हमला करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अगर एक गिरफ्तार होगा तो दस अंडरग्राऊंड हो जाएंगे। अगर आपको हाथ डालना है तो इस प्रकार के सब व्यक्तियों पर एक साथ हाथ डालिए, ताकि वे देश केलिए और खतरा पैदा न कर सकें। एक दो पर हाथ डाल कर तो आप शेष को सावधान कर देंगे। यह बुद्धिमत्ता की नीति नहीं होगी।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्य सभा में यह घोषणा की कि जिस दिन यह युद्ध समाप्त हो जाएगा और जिस दिन भारत की सेनाएं विजय श्री प्राप्त करके वापस आ जाएंगी उस दिन इस बात की जांच करायी जाएगी कि किसकी वजह से देश को इतना नुकसान हुआ और किसकी गलती से देश की धरती पर चीनी आक्रान्ता हमला करके कब्जा करने में सफल हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा में इतनी वृद्धि और की जाए कि यह जांच ऐसे निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा करायी जाएगी जो ऊपर से लेकर नीचे तक के हर व्यक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट सम्मति दे सकें। अगर उस जांच समति में ऐसे व्यक्ति रखे गए जिनको मुंह देख कर निर्णय लेने की आदत होगी तो मैं समझता हूं कि वह जांच समिति बेकार रहेगी। इस समिति में वे व्यक्ति रखे जाएं जो सेना का अनुभव रखते हों और जो आज सेना में नहीं हैं। मुझे यह देख कर दुःख हुआ कि सुरक्षा काउंसिल में हमारे अनुभवी जनरल करिअप्पा का नाम नहीं था। वह हमारे एक विशिष्ट जनरल थे जिन्होंने कई संकट की घड़ियों में देश की सेवा की है। लेकिन उनका नाम भी सुरक्षा काउंसिल में न रख कर सिटीजन काउंसिल में रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह युद्ध समाप्त होने के बाद जब जांच की जाएगी तो निष्पक्ष और निर्भीक व्यक्तियों के द्वारा वह जांए करायी जाएगी।

हमारे प्रधानमंत्री ने यह बहुत अच्छा किया कि रक्षा मंत्रालय के दोनों विभागों को अपने हाथों में ले लिया। इस समय श्रीकृष्ण मेनन के विरुद्ध देश में एक बहुत बड़ा बबंडर उठ खड़ा हुआ है। इसलिये प्रधानमंत्री का यह निर्णय समयोचित था। इसके लिये जहां मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, वहीं पार्लियामेंट की कांग्रेस पार्टी को भी बधाई देना चाहता हूं। पार्लियामेंट की कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा स्तुत्य कार्य किया है। मैं विरोधी दल का सदस्य होते हुए भी यह कह सकता हूं कि उन्होंने ऐसा करके कांग्रेस की खोई प्रतिष्ठा को बचा लिया है। लेकिन मैं साथ ही साथ यह निवेदन भी करना चाहता हूं मेनन को तो आपने हटाया लेकिन अगर देश में कहीं मेनन मनोवृत्ति हो तो उसको भी आपको हटाना होगा। अगर वह भी कहीं देश अथवा प्रशासन में रह जायेगी, तो देश को नुकसान पहुंचा सकती है।

दो शब्द मैं हिन्दुस्तान की विदेश नीति के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। हमने कल हिन्दी-चीनी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भाई-भाई का नारा लगाया था। आज हमको अपनी गलती महसूस हुई। हमारे प्रधानमंत्री ने खुली भाषा में अपनी इस भूल को माना है और कहा है कि हम चीन की इस मनोवृत्ति को नहीं जान पाये थे। लेकिन मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार हम हिन्दी-चीनी भाई-भाई की मनोवृत्ति को नहीं समझ पाए थे कहीं ऐसा न हो कि हम आज हिन्दी-रूसी भाई-भाई की मनोवृत्ति को भी न समझ पाएं। ये वही लोग हैं जिन्होंने काश्मीर में हमसे कहा था कि हम हिमालय की दूसरी तरफ हैं, जब कोई आपत्ति आवे तो हमको आवाज लगा लेना और हम तुम्हारे कन्धे से कन्धा लगा कर तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन आज वे हमारी आवाज सुनने वाले कहां हैं? आज उनके अखबार हमसे कह रहे हैं कि चीन से बिना शर्त समझौता कर लिया जाए। उनकी इस प्रवृत्ति को देखते हुए आज की स्थिति में हमको अपनी विदेश नीति का कायाकल्प करना चाहिए और उसके सम्बन्ध में फिर से निर्णय लेना चाहिये।

यह ठीक है कि हम किसी गुट विशेष में सम्मिलित नहीं होना चाहते और आज युद्ध काल की स्थिति में हमको किसी सैनिक गुट विशेष में सम्मिलित होना भी नहीं चाहिए। ऐसा करना उचित भी नहीं होगा। लेकिन, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अमरीका, ब्रिटेन और उन देशों को जिन्होंने हमको शस्त्र दिए हैं और साथ ही साथ यह कहा है कि इन शस्त्रों के साथ हम कोई शर्त नहीं रखते कि भारत हमारे गुट में सम्मिलित हो जाए। प्रधानमंत्री ने जो अपनी विदेश नीति की घोषणा की है ठीक है। इसके साथ साथ हम शासन से भी यह अपेक्षा रखते हैं कि जहां उसकी नीति किसी सैनिक गुट में न शामिल होने की है वहां उसको अपनी नीति पर इस प्रकार अमल करना चाहिए, जिससे किसी को यह सन्देह न हो, जैसा कि पीछे होने लगा था कि भारत धीरे धीरे कम्युनिस्ट गुट की ओर जा रहा है।

एक विशेष बात मैं पंजाब गवर्नमेंट के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं। पंजाब विधान सभा के विधायकों ने सुझाव दिया है कि पंजाब जैसे १६ जिलों के राज्य में जो ३० या ३१ मंत्री रखे गए हैं उनकी संख्या घटा कर सात कर दी जाए। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग ५० मंत्री हैं। और हमारी केन्द्रीय सरकार में स्वयं ६० से ऊपर मंत्री है। जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था तो अंग्रेजी शासन काल में यहां केवल १५ मंत्री थे। यह बात मुझे श्री रंगा और श्री अणे से मालूम हुई है। लेकिन आज हमारे यहां ६० से ऊपर मंत्री हैं। एक ओर तो आप कहते हैं कि देश के हर विभाग में कम खर्चा किया जाए और दूसरी ओर इतने मंत्री रखे हुए हैं कि मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले एक दो और बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि चीन के प्रधानमंत्री श्री चाऊ एन लाई ने मैकमोहन रेखा को भारत और चीन की सीमा रेखा मानने से इंकार किया तो मुद्राराक्षस की नीति और चाणक्य के मस्तिष्क का तकाजा तो यह था कि हम भी स्पष्ट भाषा में यह कह देते किअगर चाऊ एन लाई मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा नहीं मानते तो भारत सरकार तिब्बत के ऊपर चीन की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं करती। लोग कहते हैं कि दलाई लामा को हमने भारत में बुला कर भूल की और उसके कारण विपत्ति मोल ली है। लेकिन क्या वे लोग इस बात को भूल गये कि हम आज से नहीं बल्कि सदा से दलाई लामाओं को भारत में शरण देते आये हैं और मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन दलाई लामा को हमने भारत में शरण देकर अपनी इस भूल का प्रायश्चित किया है जो कि हमने चीन की प्रभुसत्ता तिब्बत पर स्वीकारने की थी। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाय, तो उसे भूला नहीं कहते। जो

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूल हमने तिब्बत को चीन के हाथों में देकर की थी, दलाई लामा को अपने यहां रख कर हमने उस भूल का प्रायश्चित ही किया है। जैसा मैंने कहा यह हमने कोई नया काम नहीं किया है, बल्कि पुराने समय से ही हम शरण देते आये हैं। आज से ९ लाख साल पहले लंका के दलाई लामा जिसका नाम विभीषण था उसने भारत में शरण ली थी हमने उसकी रक्षा की और लंका को जीत कर लंका का राज्य तिलक विभीषण के माथे पर कर दिया। आज भी हमें वही करना उचित है। अभी दीपावली के अवसर पर पंडित जी ने कहा कि दीपावली की खुशी हम उस दिन मनायेंगे जिस दिन कि भारत की धरती पर से चीनी दरिन्दों को धक्का देकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन मेरा तो कहना यह है कि हम असली दीपावली उस दिन मनायेंगे जिस दिन न केवल चीनी आक्रमणकारियों को हम अपनी पवित्र भूमि से बाहर निकाल फैंकेंगे वरन् तिब्बत की धरती से भी इन चीनी दरिन्दों को बाहर खदेड़ देंगे और ल्हासा की गद्दी पर दलाई लामा को बैठा कर विभीषण की तरह उनका राज्य तिलक करेंगे। आज हमको यह व्रत लेना चाहिए।

एक बात जो मैं विशेष रूप से अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं और मुझे आशा है कि यहां जो उस पार्टी के जिम्मेदार सदस्य बैठे हुए हैं वे मेरी बात को प्रधान मंत्री जी के कानों तक अवश्य पहुंचा देंगे। मैं अपने इस सदन के प्रधान मंत्री के प्रति आदर और श्रद्धा प्रकट करते हुए बड़ी नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि जार्ज बर्नाड शा ने अपने कमरे में एक वाक्य लिख कर लगाया हुआ था जिसका अर्थ यह था कि मुझे मेरे चापलूस मित्रों से बचाओ, ठीक वही वाक्य मैं पंडित जी के लिए कहना चाहता हूं कि पंडित जी, आप कम से कम इस संकट काल के क्षणों में अपने चापलूस मित्रों से बचिये। और विशेष कर ऐसे चापलूस दोस्तों से जो कि देश और विदेशों की सही स्थिति का परिचय आपको नहीं होने देते। कम्युनिस्ट पार्टी यहां प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करती है और प्रधानमंत्री की आड़ में होकर देश की समस्याओं और देश की परिस्थितियों की उपेक्षा करती है और निन्दा करती है। मैं समझता हूं इस प्रकार की प्रवृत्ति से आज थोड़ा सा हमको संभलना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं अपने प्रधान मंत्री जी की सेवा में कहना चाहूंगा और मुझे आशा है कि श्री दिनेश सिंह जो इस अवसर पर उपस्थित हैं, वे मेरी बात उन तक पहुंचा देंगे और वह यह है कि हमारे प्रधान मंत्री जी अपने सीधे और सरल स्वभाव के कारण जब भी किसी विषय पर बोलने के लिये खड़े होते हैं तो अपने लम्बे-लम्बे वक्तव्य में पहले उसकी पृष्ठभूमि बतलायेंगे, फिर उसका वर्तमान बतलायेंगे और उसके बाद उसका भविष्य पर पड़ने वाला प्रभाव बतलायेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक राजनीतिज्ञ की भाषा ज्यादा लम्बी नहीं होनी चाहिये। राजनीतिज्ञ की भाषा छोटी और सारगर्भित होनी चाहिये जिसका दूसरे लोग डिक्शनरी खोल कर अर्थ देखें कि इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है और इस शब्द के क्या भाव हो सकते हैं। कम से कम विपत्तिकाल में तो हमारे प्रधान मंत्री को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।

अन्त में मैं दो बातें और कह कर अपने भाषण को समाप्त करूंगा। एक तो यह कि जिस दिन नेफा में हमारे सिपाहियों पर आक्रमण हो रहा था, चीनियों द्वारा हमारे सिपाहियों का वध किया जा रहा था तब उधर सुरक्षा परिषद् में हमारे स्थायी प्रतिनिधि श्री चक्रवर्ती, जिन्होंने कि पाकिस्तान के मि. मुहम्मद

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अली को मुंहतोड़ जवाब दिया था, वही हमारे चक्रवर्ती जी वहां सुरक्षा परिषद् में बैठ कर चीन को सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं। उनके मुख से यह बात सुन कर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी के जले पर कोई नमक छिड़कता है। मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या आज का अवसर ऐसा है कि हमारे प्रतिनिधि श्री चक्रवर्ती सुरक्षा परिषद् में चीन के प्रतिनिधित्व के बारे में अब भी वकालत करें? सुरक्षा परिषद् में चीन को प्रतिनिधित्व दिलाने की बात करना तो दूर रहा, आज तो परिस्थितियों की पुकार यह है कि भारत को चीन के साथ अपने दौत्य सम्बन्ध भंग कर देने चाहियें। हमें कोई भी सम्बन्ध चीन के साथ नहीं रखना चाहिये। एक ओर तो हमारे साथ आक्रमणात्मक स्थिति चल रही हो और दूसरी ओर हमारे प्रतिनिधि इनका समर्थन करते रहें, मैं समझता हूं कि इस तरह की दुर्बल और कमजोरी भरी नीति की तो दुनियां के अन्दर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

एक आखिरी बात जिसको कि मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा, यह है कि हमारा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय चीन और पाकिस्तान के सम्बन्ध में पूर्ण सावधानी रखें, जहां हमें बाहर से अपने देश को बचाने की कोशिश करनी है वहां हम अपने देश केभीतर ही छिपे हुये गद्दारों के प्रति भी पूरी तरह सावधान रहें। ऋग्वेद में लिखा है कि शत्रु से तो सावधान रहो ही लेकिन शत्रु से भी अधिक घर में छिपे हुए तथाकथित मित्रों से भी सावधान रहो। स्वर्गीय सरदार पटेल ने अहमदाबाद के गीता मन्दिर में जो अपने जीवन का अन्तिम भाषण दिया था उसमें यह शब्द कहे थे कि हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता को जब-जब भी संकट आया है वह बाहर के शत्रु से उतना नहीं आया है जितना घर के मित्र से आया है। वेद भी उसी को कहता है :

"अभयम् मित्राद् अभयम् अमित्राद्"

शत्रु से तो सावधान रहो ही लेकिन मित्र से कहीं अधिक सावधान रहो।

आज भी भारत में बहुत से आदमी इस तरह के हैं जो हमारा सवा आठ बजे रात का न्यूज बुलेटिन सुन कर अपना दिमाग नहीं बनाते, नौ और सवा नौ बजे रात की खबरें नहीं सुनते, बल्कि वह यह जानने के लिये लड़ाई किस स्तर पर चल रही है कराची का रात का साढे नौ बजे का रेडियो सुनते हैं और उसके आधार पर अपनी राय बनाते हैं। समय आ गया है कि जब हमारी सरकार को ऐसे तत्वों के प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिये। जिस तरह से दूसरे महायुद्ध में उस समय की गवर्नमेंट ने जर्मनी के समाचार सुनने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, मेरा विचार यह है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह भी अत्यन्त आवश्यक है किजब तक युद्ध चल रहा है, भारत में पेकिंग और पाकिस्तान का रेडियो सुनने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये अन्यथा उसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक ओर साढ़े सात लाख पाकिस्तानी असम में बैठे हुए हैं और दूसरी ओर चीन जो त्वांग के रास्ते आना चाहता है, उसका कारण यह है कि उसके पास पैट्रोल नहीं है। वह चाहता यह है कि असम के साथ सीधा सम्बन्ध हो जाय तो चीन को आसानी से पैट्रोल मिल सकेगा। इस तरह की स्थिति पाकिस्तान और चीन दोनों मिल कर वहां बना रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि सुरक्षा की दृष्टि से मैंने जो कुछ सुझाव दिये हैं उन पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। जिनका प्रतिनिधित्व यहां पर मैं करने के लिये आया हूं उन्होंने अपने यह भाव मुझसे यहां तक पहुंचाने का निर्देश दिया था और मुझे विश्वास है कि जिस पवित्रता और निष्ठा के साथ मैंने यह शब्द कहे हैं उसी भावना के साथ आप मेरे शब्दों को ग्रहण भी करेंगे। धन्यवाद।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नेफा और लद्दाख की स्थिति

कल रात रेडियो पर भाषण देते हुए देश को प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि परिस्थिति बहुत गम्भीर है और हम उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयारी पर हैं। लेकिन पिछले तीन चार दिनों में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उससे इस सदन के सदस्यों की आकृतियां देख कर ही आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे और इसी आधार पर देश की भावनाओं का भी आपको अनुमान लग जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज आप इस सदन के द्वारा देश को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि बोमडीला के पतन के बाद, से-ला की पहाड़ियां चीनियों के हाथों में चले जाने के पश्चात् और चुशूल की हवाई पट्टी पर उनका आक्रमण होने के पश्चात्, क्या आप असम में तेजपुर की स्थिति को तथा लद्दाख में लेह की स्थिति को सुरक्षित समझते हैं? साथ ही क्या आपके पास ऐसी भी कोई सूचना आई है या सुझाव आए हैं कि असम में इस भयंकर संकट में कोई आन्तरिक उपद्रव उत्पन्न न हों, इसलिये असम की जो प्रबन्ध व्यवस्था है, वह केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिये और तब तक अपने हाथ में रखनी चाहिये जब तक कि आपात स्थिति चलती है, यदि हां तो इस सम्बन्ध में आपने क्या निर्णय लिया है ? ❑

भ्रष्टाचार कैसे रुके?

भ्रष्टाचार को रोकने की बातचीत आज नये सिरे से हो रही है ऐसी बात नहीं है, भ्रष्टाचार को रोकने के यत्न पीछे भी किये जाते रहे हैं। यों तो अंग्रेजी सरकार भी भ्रष्टाचार को फैलाने के लिये जिम्मेदार है। इसी से दूसरे महायुद्ध के समय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना हुई। आगे चल कर सन् १९४६ में उसको एक ऐक्ट का व्यापक रूप दिया गया। इसके पश्चात् स्वतन्त्र होने पर सन् १९४८ में बख्शी टेकचन्द की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति को यह देखने का काम सौंपा गया कि भ्रष्टाचार निरोध ऐक्ट, १९४७ कैसे चल रहा है और क्या-क्या बातें उसमें और होनी चाहियें। दूसरा काम उस समिति को यह सौंपा गया कि यह देखे कि इस ऐक्ट के अनुसार भ्रष्टाचार को रोकने में कहां तक सफलता मिली है। दो तीन वर्ष निरन्तर प्रयास करने के बाद बख्शी टेकचन्द समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। जिसके आधार पर और जिसकी पृष्ठभूमि में सन् १९५२ में क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट पास किया गया और सन् १९४६ के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ऐक्ट में कुछ संशोधन भी किये गये। लेकिन इस पर भी भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह था कि पहले जो भी ऐक्ट थे उनमें किसी विशेष व्यक्ति के कन्धों पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली गई थी।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नेफा की पराजय और राजनीतिज्ञों की भूमिका

भारत पर विदेशी आक्रमणों की एक लम्बी शृंखला है। पहला ज्ञात आक्रमण ईसा से भी ३६०० वर्ष पूर्व सिकन्दर का है। उसके बाद शकों और हूणों के अनेक आक्रमण हुए। १०वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भारत को पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा और उसका क्षेत्र सिमटता गया। मुगलों और अंग्रेजों ने ६०० वर्ष तक भारत पर राज्य किया। १९४७ में स्वतंत्रता के बाद पहला विदेशी आक्रमण (पाकिस्तान को छोड़ कर) १९६२ में चीन का हुआ और इसमें भी हम बुरी तरह परास्त हुए। इस पराजय पर लोक सभा में १९ सितम्बर १९६३ को संसद में विचार के समय शास्त्री जी ने प्रबल शब्दों में स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, नेफा की घटनाओं ने भारत के मस्तक पर एक ऐसा कलंक का टीका लगाया है, जिसे धोने में अभी न जाने कितनी शक्ति और समय लगेगा और कितने बलिदान और देनें होंगे?

मेरा अपना अनुमान है कि यदि इस सारे घटना चक्र को देश के किसी कोने में बैठ कर कोई निष्पक्ष इतिहास लेखक लिख रहा होगा तो उसने इस नाटक के प्रमुख सूत्रधार तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री और उनकी पीठ थपथपाने वाले देश के प्रधान मंत्री को इसके लिए क्षमा नहीं किया होगा।

भारत की गौरवशाली सैनिक परम्पराओं पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिस सेना की बहादुरी का विश्व में सिक्का माना जाता था, जिस सेना ने न जाने कितने विक्टोरिया क्रास, परमवीर और महावीर चक्र प्राप्त किये, जिस सेना ने काश्मीर, हैदराबाद और गोआ में शत्रु के दांत खट्टे किये, दुर्भाग्य से नेफा की इस घटना से उस सेना को भी बदनाम होना पड़ा।

नेफा में हुई भगदड़ की जांच रिपोर्ट पर संरक्षण मंत्री श्री चह्वाण ने जो वक्तव्य दिया है उसके आधार पर जिन निष्कर्षों पर मैं पहुंचा हूं उसकी प्रमुख बातें यह हैं :

१. सरकार युद्ध के लिये बिल्कुल तैयार नहीं थी।

२. नेताओं को व्यावहारिकता के धरातल से ऊपर उठ कर आदर्शवाद की हवाओं में उड़ने की आदत अधिक हो गयी थी।

३. कुछ गिने चुने असैनिक नेता सेना पर छा गये थे और स्वतंत्र निर्णय लेने की बुद्धि उनसे छीन सी ली गयी थी। इसीलिये लड़ाई नेफा की पहाड़ियों पर नहीं बल्कि नई दिल्ली के एयर कन्डीशन्ड कमरों में बैठ कर लड़ी गई।

४. पुराने और अनुभवी कुशल सेनाध्यक्षों को ऐसे आड़े वक्त में पदमुक्त किया गया जबकि उनकी सेवाओं से देश को बड़ा लाभ पहुंच सकता था तथा उनके स्थान पर कुछ मनचाहे व्यक्ति किसी भी ढंग से लाए गये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५. इतनी गम्भीर और संकटपूर्ण स्थिति में उच्चतम नेताओं ने वास्तविकता को देश से छिपाया और उसके लिये असत्य तक का सहारा लिया।

६. नेफा में जो कुछ हाथ पैर मारे भी वह भारतीय और विश्व जनमत से विवश होकर मारे गये।

७. इसलिये इस भगदड़ और हार का दोष सेना पर उतना नहीं है जितना कि सरकार पर है।

सरकार की ओर से बारबार यह कहा गया कि हमला अचानक हुआ। पहले इस की कोई सम्भावना नहीं थी। लेकिन अभी हाल में नेहरू जी ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि चीन के इरादे १९५० से ही अच्छे नहीं थे। और भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल करिअप्पा और जनरल थिमैया की रिपोर्ट क्या है? संरक्षण मंत्री शायद उनसे अच्छी तरह परिचित होंगे। मैं अपनी छोटी सी जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि गंगटोक (सिक्किम) में जो हमारे राजनैतिक प्रतिनिधि थे, जो अब शायद इंडोनेशिया में हैं, तीन वर्ष पहले उन्होंने भी इसके सम्बन्ध में संकेत दिया था। जहां तक देश के दूरदर्शी नेताओं और राजनीतिज्ञों का सम्बन्ध है, उनमें राजर्षि टंडन, आचार्य कृपलानी, डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डाक्टर लोहिया और डाक्टर रघुवीर जैसे व्यक्तियों ने संसद में और संसद से बाहर भी चेतावनी दी; उनके अतिरिक्त कुछ विदेशी राजनीतिज्ञों ने भी भारत को इस सम्बन्ध में सावधान किया था। पर सबसे अधिक चेतावनी तो सीमा पर चीनियों द्वारा सड़कों और हवाई अड्डों का बनाया जाना था। हमारी सीमा पर जो सड़कें बन रही थीं और हवाई अड्डे बन रहे थे, क्या वह हमारी आंख खोलने के लिये काफी नहीं थे? आखिर यह सड़कें इसलिये तो बन नहीं रही थीं कि एक मित्र सायंकाल के समय पेकिंग से विमान में बैठ कर वहां आया करेगा और दूसरा दिल्ली से विमान में चढ़ कर वहां जाया करेगा और शाम को उस ठंडी सड़क पर दोनों मित्र हाथ में हाथ डाल कर पंचशील का कनसुर राग अलापा करेंगे। स्पष्ट है कि यह सड़कें किसी और उद्देश्य से बन रही थीं। और फिर हमें तब तो सावधान हो ही जाना चाहिये था जब नौ सिपाहियों की लाशें न जाने कितने दिन बाद हमारे आग्रह पर हमारे हवाले की गईं। इतने पर भी यह कहना कि हमले की सम्भावना बिल्कुल नहीं थी और हमको पता नहीं था, सच्चाई से कोसों दूर है।

सच्चाई यह है कि पहले प्रतिरक्षा मंत्री लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे। स्थान-स्थान पर उन्होंने यह वक्तव्य भी दिये कि लड़ाई अगर कभी होगी तो वह पाकिस्तान से होगी। चीन के साथ तो लड़ाई का कोई सम्बन्ध है ही नहीं। तेजपुर में १० जनवरी १९६०को तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि भारत-चीन सीमा विवाद का गुरुत्व इतना नहीं समझा जाना चाहिये कि वह कभी आगे चल कर युद्ध में बदल जायेगा। न केवल अपने देश में वरन् दूसरे देशों में भी, वाशिंगटन में २१ नवम्बर को तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने यह कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद अवश्य हैं, हमारे क्षेत्र में भी चीनी घुस आये हैं। परन्तु उनके साथ में कोई सक्रिय शत्रुता नहीं है। यहीं तक नहीं बल्कि आक्रमण से एक महीना पहले तक जब वह अमरीका जा रहे थे तो रास्ते में १८ सितम्बर को लंदन के हवाई अड्डे पर प्रैस प्रतिनिधियों को वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा नेफा की स्थिति नियंत्रण में है। कोई गम्भीर स्थिति वहां नहीं है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो मैं भारत छोड़ कर कभी विदेश न आता और एक महीने बाद जब हमला हो गया तो आक्रमण होने के अगले ही दिन २९ अक्टूबर को दिल्ली के लोगों ने यह चाहा कि हम अपने प्रतिरक्षा मंत्री से यह जानें कि हमारी प्रतिरक्षा की क्या संतोषजनक व्यवस्था की गई है। रीगल बिल्डिंग के पास नई दिल्ली में एक सभा हुई। उस सभा में उन्होंने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने भाषण में कहा कि चीनियों ने १० सितम्बर को ही हमारी सीमा में प्रवेश करने का फैसला कर लिया था और १८ सितम्बर को एक मास पूर्व लन्दन में यह वक्तव्य दिया कि कोई लड़ाई जैसी स्थिति नहीं है। जैसा कि पहले उनके वक्तव्य को मैंने पढ़ कर सुनाया असल में प्रतिरक्षा मंत्री का मन लड़ने का नहीं था। उनकी वाणी कुछ बोलती थी और हृदय कुछ बोलता था। एक ऐसे समय में जब कि देश में चारों ओर घबराहट थी, चारों ओर से उलटे समाचार आ रहे थे, प्रतिरक्षा मंत्री अचानक बंगलौर गये। वहां बड़े साहस और घमंड के साथ उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों को मैं आपको पढ़ कर सुनाये देता हूं :

> "India was determined to throw the Chinese out of Indian soil."Addressing Congress workers, Mr Menon said that while India had no desire to start a war of any magnitude anywhere, it would resist if attacked. `We will fight to the last man, to the last gun' he declared."

उन्होंने ये शब्द बंगलौर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच कहे। मैं नहीं कह सकता कि यह उनके अपने हृदय की आवाज थी या बंगलौर के उत्साही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देख कर उनके मुंह से ये शब्द सहसा निकल गये। लेकिन वास्तविकता क्या थी, इसका परिचय तब मिला, जब कि श्री मेनन ने जिन्होंने बंगलौर में कहा था कि हम आखिरी आदमी और आखिरी हथियार रहने तक लड़ेंगे, उनकी हाल ही में प्रकाशित "इंडिया एंड दि चाइनिज इन्वेजन" नाम की अपनी पुस्तक के ३१ वें पृष्ठ पर लिखे तीसरे पैराग्राफ को पढ़ा :

> "I want to say this publicly : it has never been the policy of our Government and, I hope it will never be, to do what is called fighting to the last man and to the last gun. The function of any army is not to commit suicide misconceiving it as glory."

ये भी उनके ही शब्द थे। इसी से उनके हृदय का अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि उसी २१ अक्टूबर की यहां की सार्वजनिक सभा में, अपनी पुस्तक में और कई स्थानों पर दिये गये अपने वक्तव्यों में भी उन्होंने यह कहा कि लड़ाई के साधनों के लिये गवर्नमेंट ने पैसा बहुत कम दिया है। मैं नहीं कह सकता कि तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री इस बात को कह कर किसी व्यक्ति विशेष पर लांछन लगाना चाहते थे या अपनी भूलों पर पर्दा डालना चाहते थे। आचार्य कृपलानी ने पीछे जब ऐसी ही कुछ बात कही थी तो तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि आचार्य कृपलानी भी उनमें थे, जो पैसा कम देने के लिये कहते थे। इसके उत्तर में आचार्य कृपलानी ने कहा कि मैं उन परिस्थितियों में यह बात कहता था जब तुम "हिन्दी-चीनी भाई-भाई" कहते थे और जब तुम को पैसा देने का कोई लाभ भी नहीं था।

लेकिन प्रश्न यह है कि जो पैसा उनको दिया गया, क्या उस पैसे को उन्होंने सुरक्षा के कार्य में पूरा इस्तेमाल किया। अभी तीन दिन पहले श्री कामत के एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि जब से श्री मेनन हमारे देश के प्रतिरक्षा मंत्री हुए, इन पांच सालों में उनको जो पैसा दिया गया, उसमें से १,३२,००,००,००० रुपया ऐसा था, जो उन्होंने खर्च न करके सरकार को सधन्यवाद वापस कर दिया।

कुछ माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक ओर उन्होंने यह कहा कि सरकार पूरा पैसा खर्च के लिये नहीं दे रही थी और दूसरी ओर उन्होंने सरकार को पैसा भी वापिस किया।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी इस किताब में उन्होंने फारेन एक्सजेंच की भी चर्चा की है। लेकिन मैं चाहूंगा कि संरक्षण मंत्री अपना उत्तर देते हुए इस प्वाइंट को साफ तौर से बतायें कि इस १,३२,००,००,००० रुपये में विदेशी मुद्रा कितनी थी, जो कि सरकार को वापस की गई है जिसके बारे में भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री कहते हैं कि उन्हें पैसा नहीं दिया गया था।

मुझे इस समय महाभारत के शल्य की याद आ जाती है, जो बैठा किसी के रथ पर था और विजय किसी दूसरे की चाहता था। मैं नहीं जानता कि जैनेवा के काफी हाउस में बैठ कर चीन के विदेश मंत्री चेन यी के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, लेकिन इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे देश में जगह जगह जाकर उन्होंने किस तरह अपनी ही सीमाओं की रक्षा सम्बन्धी रहस्यों को प्रकट किया। लखनऊ की एक सार्वजनिक सभा में २६ दिसम्बर को तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा, "अगर युद्ध छिड़ गया, तो एक माचिस से लेकर टैंक तक वहां पर भेजने पड़ेंगे।" और जब लड़ाई हुई और हमारे पास साधनों का अभाव दीखा, तो फिर यह बात सत्य साबित हुई।

लेकिन इससे भी भयंकर २३ अप्रैल को बम्बई में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उसके शब्दों को मैं पढ़ कर सुनाता हूं। क्या किसी भी देश का प्रतिरक्षा मंत्री इतनी गैर जिम्मेदारी की बात कर सकता है कि अपनी सेना के रहस्य को सार्वजनिक सभाओं में प्रकट करके शत्रु तक पहुंचाने की कोशिश करे? लेकिन तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने यह भी किया।

श्री त्यागी : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि मैं आपके सामने विनयपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, शास्त्री जी, जो बातें कह रहे हैं, उनका नेफा एन्क्वायरी से, जो मजमून इस वक्त हमारे सामने है, उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : सम्बन्ध है।

Mr. Deputy Speaker : Order, order. There is no point of order.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, अपने घर के रहस्यों को शत्रु को दे देना जिस से वह हमारी धरती पर निशंक आक्रमण कर दे त्यागी जी उसका नेफा जांच से सम्बन्ध नहीं मान रहे। तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने क्या कहा जरा अब सुनिये :

> "India does not wish to fight over the Himalayan ranges but if China has any intention of coming down the Himalayan slopes and entering the plains then we are prepared to give her a warm reception, warmer than she might expect."

इसका तो सीधा ही अभिप्राय यह था कि हिमालय में हम कोई मुकाबला नहीं करेंगे, आप आसानी से कूदते फांदते आ सकते हैं। यदि इसका अभिप्राय यह होता कि हमने तो शत्रु को चाल में लाने के लिए यह वक्तव्य दिया था, तो उसका परिचय फिर तब मिलता, जब हमने भी वहां पर जम कर दो दो हाथ किये होते या मुकाबला किया होता? मैं आप को कहना चाहता हूं कि शायद इसी कारण १९ नवम्बर को जब बोमडीला का पतन हुआ, तो प्रधान मंत्री ने दिल्ली रेडियो से बड़ी भरी हुई आवाज में अपनी शुभकामना आसाम के निवासियों को भेजी। और शायद वही सब उन बातों की पृष्ठभूमि भी थी,

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिसमें आसाम के माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, वे मेरी बात को साक्षी करेंगे—गौहाटी के सर्किट हाउस में, जब श्री लाल बहादुर शास्त्री वहां गये, उस समय उनके साथ गये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बिना किसी अधिकार के यह कह डाला किअगर आसाम जाता भी है, तो चला जाने दो, कुछ दिनों बाद हम उसको फिर वापस ले लेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं संरक्षण मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में यह और आवश्यक हो गया है कि यह जो जांच की गई है, उसके अतिरिक्त एक और स्वतंत्र जांच समिति बिठाई जाये, जो कि इन असैनिक राजनीतिज्ञों की गतिविधियों का निरीक्षण करे और देखे कि यह जो हमको पराजय का मुंह देखना पड़ा, या यह जो हमें चोट लगी, कहीं उसका कारण वे ही तो नहीं थे। मेरा अपना अनुमान यह है कि देश के प्रधान मंत्री ने भी जो उन्हीं लोगों से मिलते जुलते कुछ वक्तव्य दिये हैं, शायद उनकी जानकारी के स्रोत भी बिल्कुल वही थे। पर अब मैं इस चर्चा को छोड़ कर आगे बढ़ता हूं।

विदेशों से हथियार लेने के सम्बन्ध में जहां उन्होंने कहा कि आत्म रक्षा के लिए हथियार लेना आत्महत्या करने के बराबर है, वहां संरक्षण मंत्री ने अब कहा है कि हम तैयारियां कर रहे हैं। इससे यह ध्वनि तो स्पष्ट निकलती है कि इससे पहले इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। लेकिन प्रधान मंत्री ने २५ नवम्बर, १९५९ को शायद तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री के आधार पर इसी लोक सभा में जो शब्द कह डाले मैं उनको भी सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा :

> "But I can tell the House that at no time since our independence have our Defence Forces been in better condition, in finer fettle, and backed by greater industrial production than today, I am not boasting about them, but I am quite condfident that our Defence Forces are well capable of looking after our security."

प्रधान मंत्री जी इस प्रकार की गर्वोक्ति भरी बातें कह रहे थे, मेरा अपना अनुमान है कि उनकी जानकारी के सारे आधार भी वही थे।

संरक्षण मंत्री ने अपने वक्तव्य में उच्च अधिकारियों की कर्तव्यहीनता के सम्बन्ध में भी कुछ संकेत दिया है। पर ये सारी बातें भी इसीलिए हुई कि हमारे जो पुराने अनुभवी सेनाधिकारी थे, उनको हटा कर जबकि हर देश आड़े वक्त में अपने पुराने अनुभवी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा देकर रखता है— इस प्रकार के व्यक्तियों को मोर्चे पर नियुक्त किया गया, जिनको मोर्चे की शक्ल देखते ही जुकाम और बुखार हो गया और जो दिल्ली के हास्पिटल में आकर पड़ गये। हमारी उस पराजय का एक बहुत बड़ा कारण यह भी हुआ। पर क्या संरक्षण मंत्री अपने वक्तव्य में बतायेंगे कि जिस व्यक्ति की वजह से हम को वहां चोट खानी पड़ी, ब्रिटिश सेना की उस व्यक्ति के बारे में क्या रिपोर्ट थी? कोरिया में जब वह व्यक्ति गया, तो भारतीय सेनाधिकारियों ने उस व्यक्ति के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी और क्या यह सत्य नहीं है कि जब वह व्यक्ति कोर कमांडर बना कर वहां पर रखा गया, तो अपनी दुर्बलता और भय के कारण वह सेना के हैडक्वार्टर को तेजपुर से हटा कर गौहाटी ले आया और उसने यूनीवर्सिटी के होस्टल को इसलिए खाली करा दिया कि सेना का हैडक्वार्टर वहां रखा जायेगा, लेकिन जब ईस्टर्न कमांड को यह सारी बात पता

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चली, तो उनके अनुरोध पर—मुझे यह पता लगा है—दोबारा हैडक्वार्टर को तेजपुर भेजा गया?

मैं संरक्षण मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि अनुभव का दुनिया में आज तककोई विकल्प नहीं हुआ है। अनुभव की बड़े से बड़े शक्तिशाली देश भी बहुत सम्हाल करते हैं। नेफा में हुई हमारी पराजयों में एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने अनुभवी अधिकारियों को अपने हाथों से खो दिया था। इसीलिये सुना तो यहां तक गया है कि १४ नवम्बर को, जब प्रधानमंत्री का जन्म दिन था, उन महाशय ने बधाई का तार दिया और अपने तार में यह भी लिखा कि मैं आपको यह भी सूचना देना चाहता हूं कि बोमडीला को कोई खतरा नहीं है। और फिर तीन दिन बाद उसी बोमडीला का पतन भी हो गया।

लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति को क्या सजा सरकार ने दी? यह कि सेना से हटा कर एक असैनिक जहाज कम्पनी में दस हजार रुपये प्रति मास पर उसको नियुक्त कर दिया। क्या सरकार इस प्रकार सेना में अनुशासन रख सकेगी?

संरक्षण मंत्री ने अपने वक्तव्य में सैनिक गुप्तचर विभाग की गतिविधियों पर बहुत बल दिया है। अपने सारे वक्तव्य में उन्होंने किसी बात पर अधिक बल दिया है, तो मिलीटरी इन्टेलिजेंस पर। संरक्षण मंत्री के वक्तव्य में इस विषय के अतिरिक्त किसी एक विषय पर पांच पैराग्राफ्स नहीं हैं। मैं समझता हूं कि युद्ध काल में गुप्तचर विभाग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरे महायुद्ध में यही गुप्तचर विभाग था, जिसने जर्मनी से इंग्लैंड पर आने वाली विपत्ति के मुंह को रूस की ओर मोड़ दिया था। अगर कहीं हमारा गुप्तचर विभाग पूर्ण सतर्क होता, तो जिस प्रकार से पिछले आठ दस सालों से चीन के गुप्तचर विभाग ने .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और समय लेना चाहते हैं?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां,।

उपाध्यक्ष महोदय : तो कल माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : धन्यवाद।

(२० सितम्बर, १९६३)

अध्यक्ष महोदय, कल मैं अपने भाषण के पूर्वार्द्ध में सैनिक गुप्तचर विभाग की चर्चा कर रहा था और मैंने अपनी चर्चा के क्रम में यह संकेत किया था कि युद्धों में सैनिक गुप्तचर विभाग का अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस सम्बन्ध में मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि द्वितीय महायुद्ध में सैनिक गुप्तचर विभाग ने किस तरह फ्रांस से होकर इंग्लैंड की ओर बढ़ रही युद्ध की काली घटाओं का मुंह रूस की ओर मोड़ दिया था। लेकिन हमारे देश में इस विभाग की ओर अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई। जबकि इस विषय में चीन बहुत सतर्क था। उसने हमारे देश में हमारे रहस्यों का पता लगाने के लिए तरह-तरह से यत्न किया है। पिछले दस बाहर वर्षों से कहीं भेड़ चराने वालों की शक्ल में, कहीं भीख मांगने वालों की शक्ल में, कहीं रेस्टोरेंट और बैंक चलाने वालों की शक्ल में और कहीं राजनीतिज्ञों की भी शक्ल में उसने अपने गुप्तचर हमारे रहस्यों का पता लगाने के लिए रखे हुए हैं।

मेरी जानकारी में कुछ और बातें भी आई हैं, जब कि हमारा गुप्तचर विभाग इतनी असावधानी से कार्य कर रहा है, चीन के गुप्तचर विभाग ने किस प्रकार सावधानी के साथ पग उठाये हैं। अभी पाकिस्तान द्वारा हमारे कुछ हवाई रहस्यों का पता लगाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें एक भारतीय

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ। मुझे पता चला है कि अबसे कुछ दिन पहले ब्रिटेन, अमरीका और भारत के संयुक्त हवाई अभ्यास की जो बात चल रही थी, उसके लिए जो एक नक्शा तैयार किया गया था, हमारे किन्हीं जिम्मेदार सरकारी दफ्तरों से वह नक्शा हटाया गया और दिल्ली स्थित एक विदेशी दूतावास में ले जा कर उस नक्शे के फोटो लिए गए और फिर फोटो लेने के बाद उस नक्शे को जहां का तहां रख दिया गया। वहां जो व्यक्ति फोटोग्राफर था, वह एक भारतीय था, उसने अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए अपने देश की सरकार तक वह बात पहुंचाई, जिसका दुष्परिणाम उसको इस रूप में भुगतना पड़ा कि उसकी उस दूतावास की फोटाग्राफर की सर्विस से हटा दिया गया। परन्तु क्या हमारे लिये यह चिन्ता का विषय नहीं है कि इतने गुप्त रहस्य हमारे दफ्तरों से गायब कर दिये जायें और इतने महत्वपूर्ण नक्शों का फोटो लेकर उनको ज्यों का त्यों वहां रख दिया जाये? इससे पता लगता है कि हमारे देश में चीन का गुप्तचर विभाग कितना सक्रिय है।

मेरी यह भी जानकारी है कि हमारे गुप्त रहस्यों को प्रकट करने में शराब भी एक बहुत बड़ी सहायक हो रही है। कुछ ऊंचे अधिकारी और ऊंचे अफसर सायंकाल क्लबों में जाकर शराब पीते हैं। उनकी इस आदत का लाभ उठा कर उनको शराब पिला कर मस्त कर दिया जाता है, जिसके बाद वे अपने रहस्यों को उगल देते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम संकट काल में तो इस बात पर अवश्य प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए कि जिन अफसरों का सेना से सीधा सम्बन्ध है, या जो इस प्रकार के गुप्त रहस्यों से सम्बन्धित ऊंचे अफसर हैं, वे क्लबों में जा कर शराब न पीयें, ताकि हमारे रहस्य बाहर प्रकट न हों।

उदाहरण देते हुए दुःख होता है कि से-ला क्षेत्र में हमारे गुप्तचर विभाग की निष्क्रियता का इतना दुष्परिणाम हुआ कि हमको ब्रिगेडियर होशियारसिंह जैसे उच्च सेनाधिकारी को अपने हाथों से खोना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि संरक्षण मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस बात का आश्वासन दिया है कि अब वह इस विभाग की देखरेख स्वयं कर रहे हैं। यह देश केलिये संतोष की बात है, लेकिन क्या मैं नम्रता से यह पूछ सकता हूं कि इस डी० एम० आई० में, जिसकी उपेक्षा के कारण देश को इस प्रकार से लज्जित होना पड़ा और नेफा में पराजय का मुंह देखना पड़ा, डायरेक्टर से लेकर नीचे तक क्या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया है? और क्या मैं संरक्षण मंत्री से यह भी जान सकता हूं कि क्या डायरेक्टर आफ मिलिटरी इन्टेलीजेंस के विभाग में अभी तक यह स्थिति है कि सीक्रेट डॉकुमेंट्स का अनुवाद करने के लिए कोई भारतीय अधिकारी न होकर चीनी अधिकारी वहां पर नियुक्त है? क्या मैं संरक्षण मंत्री से यह भी पूछ सकता हूं कि हमारे यहां यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में चीनी भाषा से सम्बन्धित नौकरियों के लिए उम्मीदवार चुनने केलिए जो विशेषज्ञ शान्ति निकेतन से आमंत्रित किया जाता है, वह वही व्यक्ति है, जिसका कि एक लड़का चीनी आर्मी में एक बड़ा ऊंचा अफसर है और क्या वह वही व्यक्ति है, जिसके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय में यह रिपोर्ट है कि उसको पेकिंग से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है? यदि यह बात सत्य है तो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं भारतीय बालकों को हांगकांग में, फार्मूसा में, अमरीका या जहां कहीं भी चीनी भाषा अच्छी तरह से सिखाई जाती हो, वहां भेज कर ट्रेन किया जाता। इस प्रकार की बातों के लिए चीनी नागरिकों पर हम क्यों निर्भर कर रहे हैं?

संरक्षण मंत्री ने अपनी रक्षा सम्बन्धी तैयारियों के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है, उससे भी देश को सन्तोष की सांस लेने का मौका मिला है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सर्दी, बूट, हथियार, सड़क,

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हवाई अड्डे इत्यादि सबकी उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है। इससे यह ध्वनि तो अवश्य निकलती है कि देश के कुछ नेताओं ने पहले जो यह शिकायत की थी कि बर्फ के बूट उनके पास नहीं थे, गर्म कपड़े उनके पास नहीं थे, सही थी, अब सरकार उन सबकी व्यवस्था कर रही है। पर मैं तो इससे भी आगे बढ़ कर कहना चाहता हूं कि सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके मस्तिष्कों का भारतीयकरण भी आप अवश्य करें। इस बात को मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं केवल संकेत रूप में कहना चाहता हूं कि उनके मस्तिष्कों का भारतीयकरण होना बहुत जरूरी है। एक बात यह भी है कि फौज और सेना के उच्च अधिकारियों के बीच में जो एक लम्बी खाई खुद गई है, उसको भी पाटने का यत्न रक्षा सम्बन्धी तैयारियों में सम्मिलित कर लिया जाये। अंग्रेज मिलिट्री आफिसर्स अपने जवानों के साथ मिल कर फुटबाल खेलते थे, दूसरे खेल खेलते थे और जब कर्तव्य पर डटने का वक्त होता था तो कर्तव्य पालन भी करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में इस पद्धति का पालन नहीं किया जा रहा है।

पर रक्षा सम्बन्धी तैयारियों में इन सबसे भी बड़ी तैयारी एक और है जो सबसे पहले होनी जरूरी है। देश के असैनिक राजनीतिक नेता जो सेना की गतिविधियों का संचालन करते हैं, या फिर जिनके कंधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जिम्मेवारी होती है, रक्षा सम्बन्धी तैयारियों के लिए आवश्यक है कि उनके मन और उनके कान जरूर मजबूत किए जाएं। इस बात को मैं अपनी ओर से न कह कर भारतीय राजनीति के कुशल नेता और जो बरसों तक यहां प्रधान मंत्री की बगल में बैठ कर शिक्षा मंत्री का पद सम्भाल चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके शब्दों में कहना चाहता हूं। उन्होंने अपनी पुस्तक "इंडिया विन्स फ्रीडम" में इसकी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि प्रधान मंत्री के कानों के कच्चेपन का लाभ उठा कर एक व्यक्ति किस तरह से उनको गुमराह करता रहा है। मौलाना ने यह भी लिखा है कि वह और सरदार पटेल दोनों बहुत सी बातों पर एकमत नहीं होते थे, लेकिन इस विषय में उनकी और सरदार पटेल की एक राय थी कि एक ऐसा व्यक्ति है, जो प्रधान मंत्री को गुमराह करता है। रक्षा सम्बन्धी तैयारियों में इस बात को अवश्य सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए।

अब मैं रक्षा साधन उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आज तक हमारे रक्षा उत्पादन के साथ किस तरह से शर्मनाक खिलवाड़ होती रही है, उसका एक नमूना मैं पेश करना चाहता हूं। इसका परिचय एक प्रश्न से मिल जाता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। २५.२.१९६३ को रक्षा उत्पादन मंत्री श्री रघुरमैया से पूछा गया था ईसापुर की राइफल फैक्ट्री के बारे में कि वहां राइफल बनाने का क्या अनुपात रहा है। रक्षा साधन उत्पादन मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि ईसापुर की राइफल फैक्ट्री में फौज की पक्की मांग पर राइफल बनाये जाते हैं और फौज की ओर से वहां कोई मांग नहीं आई थी, इसलिए १९५५ से इस फैक्ट्री में राइफल बनाने का काम स्थगित रहा। अब लड़ाई आरम्भ होने पर वह शुरू किया गया है। पर इसकी जगह बनता क्या रहा है, प्रश्न के उत्तर में वह भी बताया गया है। रेलगाड़ी के डिब्बों को खोलने की लोहे की चाबियां तैयार होती रही हैं, स्प्रिंग तैयार होते रहे हैं और भी दूसरी तरह की चीजें तैयार होती रही हैं। क्या हमारे लिए यह कोई शोभा की बात थी? क्या संरक्षण मंत्री को यह जानकारी है कि देहरादून की एम्यूनिशन फैक्ट्री में फोटो एनलार्जर तैयार किये जाते रहे हैं जबकि दुश्मन अपने कारखानों में धड़ाधड़ शस्त्र तैयार कर रहा था। तब जो प्रतिरक्षा मंत्री थे, जब उनसे यह पूछा जाता था कि आप बतायें कि हमारी तैयारियों का क्या हाल है, तो जो उत्तर उनका उस समय होता था, उसको मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं। राज्यसभा में २६ अप्रैल को डिफेंस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रोडक्शन के ऊपर एक वक्तव्य देते हुए उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था :

"We are in the same position with regard to medium artillery and our production estabilishments are able to meet whatever demands the armed forces make upon them. If there was an emergency of a serious character, it is calculated that defence production should go up by ten times."

अभी संरक्षण मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसमें तो उन्होंने कहा है कि उत्पादन दुगुना कर दिया गया है। पर पहले प्रतिरक्षा मंत्री का कहना यह था कि अगर सीरियस कैरेक्टर की एमरजेंसी आएगी तो दस गुना इसको बढ़ा दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें वास्तविकता क्या थी? वह बाकी आठ गुना कहां गया?

मेरी जानकारी में यह भी है कि जिस समय अमरीका में हमारे तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री एक बार गए तो हमारे कुछ हितचिन्तकों ने उनसे पूछा कि आप बतायें कि आपके डिफेंस प्रोडक्शन का क्या हाल है, तो गुस्से में आ कर उन्होंने कह दिया कि आप परवाह मत कीजिये, अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी, तो हम कोई पोस्ट कार्ड या कोई टेलीग्राम आपके मिलिट्री हैडक्वार्टर्स में नहीं भेजेंगे। जब इन बातों की याद आती है तो कभी-कभी मन इतना तिलमिलाता है और जी चाहता है कि इस षड्यंत्र के घड़े को चौराहे पर रख कर फोड़ा जाए। लेकिन जब यह ख्याल आता है कि अगर इन तमाम बातों की चर्चा होने लगी और देश का ध्यान सीमाओं से हट गया और कोई चोट दोबारा लग गई तो नेफा की पहाड़ियों पर लगे खून के गीले छीटें हमें क्या कहेंगे, ब्रिगेडियर होशियार सिंह और मेजर शैतानसिंह की आत्मा क्या हमसे पूछेगी और क्या जवाब देंगे उन हजारों विधवा बहनों को जिन्होंने अपने सुहाग चिह्नों—मंगल सूत्रों को उतार कर के राष्ट्रीय रक्षा कोष में प्रधान मंत्री की झोली में डाल दिया था। इन बातों को सोचकर किसी बात से शत्रु को लाभ न पहुंचे जब यह ख्याल आता है तो हम मन मसोस कर रह जाते हैं।

पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री भी तथ्यों को छिपाते रहे हैं। उन्होंने आटोमैटिक राइफल्ज के सम्बन्ध में कहा था कि ये इंग्लैंड के पास भी अभी तक नहीं थी, इंग्लैंड की फौज को भी अभी हाल में आटोमैटिक राइफल्ज दी गई हैं। लेकिन अध्यक्ष जी इंग्लैंड की स्थिति में और भारत की स्थिति में बड़ा अन्तर है। इंग्लैंड पर अगर आपत्ति आ सकती है तो समुद्र के रास्ते या हवाई रास्ते से आ सकती है। इसलिए उसने आधुनिकतम जिन शस्त्रों का आविष्कार किया है उनमें हवाई और समुद्री शस्त्रों के आविष्कार को प्राथमिकता दी है। पर हमारी जैसी स्थिति वाले जो देश हैं, जैसे फ्रांस, युगोस्लाविया, जर्मनी, मिश्र हैं, उनको देखें कि कितने बरस पहले उन्होंने अपनी मिलिट्री को ये आटोमैटिक राइफल्ज आदि दे दी थीं। अपनी भूल छिपाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं कि इंग्लैंड में आटोमैटिक राइफल्ज भी कल दी गई हैं। मुझे खुशी है कि हमारे संरक्षण मंत्री ने यह कहा है कि हम अपनी रक्षा के लिए शस्त्र भी लेंगे बाहर से और फैक्ट्रीज भी उनकी सहायता ले कर स्थापित करेंगे। लेकिन संरक्षण मंत्री जी, वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है "शुभस्य शीघ्रम्" शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिये। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस हाउस में आपका वक्तव्य होने के बाद से बहुत से लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है और बहुत सम्भव है कि वे आपके कानों में भी आ कर फुसफुसायें और कहें कि नहीं, अमुक देश से हथियार लेना हमें सस्ता पड़ेगा, अमुक देश से हथियार लेने से काश्मीर की समस्या के

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाधान में आसानी हो जाएगी, उस देश से अगर हम हथियार प्राप्त करेंगे तो बहुत मुम्किन है कि चीन से उनकी सहानुभूति हट कर हमारी ओर हो जाए। इसलिए ऐसी बातों में आ कर आपका मन कहीं हिल न जाये। इस समय आपको बड़े दृढ़ रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पीछे इन्हीं भूलों के दुष्परिणाम हम भुगत चुके हैं।

एक बात मैं मिग फैक्ट्री के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो भारत में लगने जा रही है। यह सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका आधा हिस्सा तो लगेगा महाराष्ट्र में और आधा हिस्सा लगेगा उड़ीसा में। ढांचा तो तैयार होगा नासिक में और इंजिन तैयार होगा उड़ीसा में। कहीं यह भी कोई राजनीतिक निर्णय तो नहीं है जो इस तरह से इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है। आप इस सारी फैक्ट्री को नासिक में ही क्यों न स्थापित कर दें, इंजिन और ढांचा दोनों वहीं बनें। क्योंकि आपस में अगर कोई भेद होगा, तो उसको वहीं दूर किया जा सके। महाराष्ट्र से जब उड़ीसा पहुंचना पड़ेगा तो कितना चक्कर काट कर जाना पड़ेगा? हां, अगर आप चाहें तो उड़ीसा में एक और फैक्टरी खोल दें। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। एक ही विमान का एक हिस्सा एक स्थान पर और दूसरा दूसरे स्थान पर बने, यह बुद्धिमत्ता की बात मालूम नहीं पड़ती।

जांच विधि के सम्बन्ध में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। जिस जांच के आधार पर आपका यह संक्षिप्त वक्तव्य हुआ है, वह जांच क्यों की गई थी, इसको भी मैं बतलाना चाहता हूं। एक वक्तव्य प्रधान मंत्री जी ने नवम्बर १९६२ में राज्यसभा में दिया था और उस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने जो शब्द कहे थे, वे उन्हीं के शब्दों में सुनाना चाहता हूं। सबसे पहली बार उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा था :

"२० अक्टूबर और उसके बाद खास तौर से जो घटनाएं घटी हैं और हमारी जो पराजय हुई है उससे हम सबको बहुत धक्का लगा। मुझे उम्मीद है कि इस बात की जांच होगी। ...

और फिर प्रधान मंत्री जी ने आगे कहा :

> "जिससे यह पता लग सके कि क्या क्या गलतियां की गई और कौन उसके लिए जिम्मेदार है।"

यह प्रधान मंत्री जी का अपना ही वक्तव्य है, जो उन्होंने राज्य सभा में दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको यह ख्याल आया होगा कि कौन उसके लिए जिम्मेदार है, अगर यह बात भी सामने आ गई तो बहुत मुम्किन है कि वह आंच मेरे सहयोगी तक और मुझ तक भी पहुंच न जाये, इसलिए झट उन्होंने अपनी पोजीशन को बदल कर ३१ दिसम्बर १९६२ को एक दूसरा वक्तव्य दे दिया कि जांच का उद्देश्य भविष्य में मार्ग दर्शन के लिए एक प्रकार का सैनिक मूल्यांकन करना होगा।

जो पहले यह कह रहे थे पता लगायेंगे कि कौन उसके लिए जिम्मेदार था, वह ही ३१ दिसम्बर को वक्तव्य देते हैं जो सर्वथा भिन्न होता है और दुःख की बात तो यह है कि संरक्षण मंत्री ने भी उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए १६ मार्च को लोकसभा में यह कहा कि सरकार ने यह निर्णय नहीं किया है कि निर्देश में पदों को भी प्रकट किया जाए या नहीं। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि यह जांच केवल एक सैनिक मूल्यांकन होगी और लोगों को दण्ड देने की नीयत से नहीं की जा रही है। यह उन्होंने कहा। लेकिन फिर जब उन पदों का निर्देश आगे चल कर किया गया तो वह स्पष्ट था। संरक्षण मंत्री की आत्मा में शायद यह बात चुभी होगी कि क्यों इस देशद्रोह के रहस्य को दबा कर रखा जाए, इसलिए उन्होंने पहली अप्रैल को फिर एक वक्तव्य दिया कि कुछ सैनिक अफसरों के खिलाफ यदि आरोप सिद्ध हो जायेंगे

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तो सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेगी। लेकिन अब यह जो जांच रिपोर्ट पर वक्तव्य उन्होंने दिया है, इससे प्रतीत होता है कि वह बात बिल्कुल ही हटा दी गई है। मैं समझता हूं कि शायद संरक्षण मंत्री ने इस भाग को जो हटाया उसका कारण यह भी हो सकता है कि यह वक्तव्य पहली अप्रैल को दिया गया था, इसलिए उस वक्तव्य की कोई खास जिम्मेवारी नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : क्या शास्त्री जी भी पहली अप्रैल के उस शगुण को मानते हैं?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ऐसी बात नहीं है। उनका वह वक्तव्य अंग्रेजी में था और अंग्रेज पहली अप्रैल को मानते हैं। इसलिए मुझे उसका उद्धरण देना पड़ा है। पर इस पर जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि संरक्षण मंत्री ने इस सारी रिपोर्ट को हाउस के सामने रखने में एक कठिनाई यह प्रकट की है कि सुरक्षा सम्बन्धी हमारी तैयारियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हमारे कुछ रहस्य दूसरों को भी पता लग जायेंगे। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कहीं और यह घटना नहीं घटी और क्या उन्होंने इस तरह की रिपोर्टों को प्रकट नहीं किया? उदाहरण के लिये अमरीका में जिस समय मैकआर्थर पदच्युत किया गया था उस समय जो जांच हुई थी उसकी सारी कार्यवाही न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित की गई थी, और फिर उसे ऐसे वक्त में प्रकाशित किया गया था, जब कोरिया की लड़ाई चल रही थी और उसके बाद भी दो साल तक वह लड़ाई चलती रही। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका हमारी सुरक्षा तैयारियों पर असर पड़ेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

लेकिन मैं इससे भी आगे बढ़ कर एक बात और पूछना चाहता हूं। जैसी यह जांच रिपोर्ट है, आप सच्चाई के साथ बतलाइये कि क्या ईस्टर्न कमांड ने भी कोई ऐसी जांच की थी? अगर ईस्टर्न कमांड की ओर से जांच हुई थी तो उसमें किस किस व्यक्ति पर दोष लगाये गये थे और किस किस व्यक्ति को वहां पर जिम्मेदार बतलाया गया था? यह भी आप जरूरत बतलायें। मैं अपनी कल की बात को दोहराते हुए आज फिर इस बात पर बल देना चाहता हूं कि केवल सेना के अधिकारियों की ही जांच न कराई जाय, असैनिक राजनीतिक नेता जो उस समय सेना के संचालक बने हुए थे उनकी भी अवश्य जांच कराई जाय। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री भी मेरी इस बात का स्वागत करेंगे क्योंकि कई बार उन्होंने इस सदन में कहा है कि गलती किसी की भी हो, वह छिपाई नहीं जानी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें यह पता लगाया जाये कि जिस समय सेना की ओर से सड़कें आदि बनाने का सुझाव आया था, तो किसकी ओर से यह निर्देश दिया गया था कि सड़कें बनाने की कोई जरूरत नहीं, उस पर बहुत खर्च होगा और कोई लाभ भी नहीं होगा? एक ओर तो ब्रिटिश आर्मी का वह तरीका है कि उन्होंने पेशावर से जमरूद तक रेल की सड़क बनाई इसलिये कि कभी वजीरिस्तान पर मिलिटरी न भेजनी पड़ जाये, दूसरी ओर सड़क बनाने से आमदनी नहीं होगी और खर्च अधिक होगा, यह सोचते रहे। वह रेलवे लाइन हमेशा घाटे में रही पर इसे चलाये रखा। इसी प्रकार हथियार बाहर से बिल्कुल न मंगाये जायें, देश में जितनी हथियारों की फैक्ट्रियां हैं वे भी आराम से काम करें, आदि आदि निर्देश दे रखे थे। पर यह निर्णय सैनिक निर्णय थे या राजनीतिक निर्णय थे। इन तमाम बातों का पता लगाया जाना चाहिये। मेरा तो अपना कहना इस सम्बन्ध में यह भी है कि १२ अक्टूबर को लंका जाते हुए प्रधान मंत्री ने जो हवाई अड्डे पर यह कहा था कि मैंने अपनी फौजों को आदेश दे दिया है कि जो चीनी फौज हिन्दुस्तान की सीमा में घुस कर चली आई हैं उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाय, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आर्मी आफिसर्स से पूछ कर राय दी गई, लेकिन उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री क्या कहते हैं? अभी अविश्वास प्रस्ताव पर उनका जो भाषण हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ने के लिये क्या सेना से पूछा जाता है? उस आदेश के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का और प्रतिरक्षा मंत्री का आपस में विरोध है। इसलिये यह बात जांच की आवश्यकता रखती है।

मेरी राय यह है कि असैनिक राजनीतिज्ञों की जांच करने के लिये जो कमेटी बनाई जाय उसमें कोई भूतपूर्व कमांडर इन चीफ, जनरल करिअप्पा या जनरल थिमैया जैसा आदमी जरूर रहना चाहिये जिससे पता लगे कि इस आदेश देने में किसका क्या सम्बन्ध था।

मैं संरक्षण मंत्री को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नेफा की जांच पर इतना यथाशक्ति स्पष्ट वक्तव्य दिया है। उनका वक्तव्य देख कर ऐसा लगता है कि कटघरे में बन्द शेर अपनी सीमाओं में जितना उछल सकता है, उन्होंने उतनी उछलने की कोशिश की है। लेकिन सारी रिपोर्ट के सामने न आने से देश में तरह-तरह के संदेह व्याप्त हैं। राज्य सभा में भी पीछे इस प्रकार की एक मांग की गई थी कि देश के कुछ ऊंचे और निष्पक्ष नेताओं को यह रिपोर्ट दिखला दी जाय और वे अपनी राय इस पर दें। राज्य सभा में इसके लिये श्री गंगाशरण सिंह का नाम प्रस्तुत किया गया। मैं चाहता हूं कि राज्यसभा की ओर से श्री गंगाशरण सिंह और लोकसभा की ओर से आचार्य कृपलानी, इन दोनों को पूरी रिपोर्ट दिखला दी जाय। अगर यह दोनों व्यक्ति अपना वक्तव्य दे दें कियह रिपोर्ट वास्तव में ऐसी है जिसको प्रकाशित करना देश के हित में ठीक नहीं है तो मैं समझता हूं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए एक बात यह कहूंगा कि अब तक इस युद्ध में जितने काम हुए हैं वे सारे प्रतिरक्षा के लिये हुए। डिफेंस मिनिस्टर बन कर तत्कालीन मंत्री ने काम किया। लेकिन माओत्से तुंग की राजनीति यह थी कि लड़ाई लम्बे मोर्चे पर करो, जहां शत्रु का कमजोर मौका देखो, वहां हमला कर दो। लेकिन भारत की युद्ध नीति क्या थी? जहां से हमला हो केवल वहीं मुकाबला करो, कमजोर हो तो पीछे हटते जाओ, या फिर मरते चले जाओ, भागते चले जाओ, यही नीति थी। हमारे सैनिकों ने डिफेंस तो थोड़ा किया, अफेंस कभी नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि १५०० मील लम्बे मोर्चे पर क्या उनका कोई भी कमजोर स्थान ऐसा नहीं था जहां से हम भी उन पर हमला कर सकते। उससे क्या इस प्रकार की स्थिति हो सकती थी? अब तक जो काम हुआ वह केवल प्रतिरक्षा का काम हुआ। मैं चाहता हूं कि अब हमारे वर्तमान संरक्षण मंत्री प्रतिरक्षा से हट कर दूसरी तरह की ट्रेनिंग भी सैनिकों को दें। जिस काम को अब उन्होंने आरम्भ किया है उसे प्रतिरक्षा नहीं कहा जायेगा। उसको संरक्षण कहा जायेगा। इसी लिये मैंने अपने सारे भाषण में श्री मेनन के लिये प्रतिरक्षा मंत्री का शब्द का प्रयोग किया है और श्री चह्वाण के लिये संरक्षण मंत्री शब्द का प्रयोग किया है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि आप बचाव तो करें ही पर हमला भी जरूर करें। मैं चाहता हूं कि आज के पश्चात् श्री चव्हाण प्रतिरक्षा मंत्री न कहे जायें बल्कि संरक्षण मंत्री कहे जायें। दोनों दृष्टियों से ही इस बात की जरूरत है।

अन्त में इस बात को कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। संरक्षण मंत्री जी, देश ने बड़ी नाजुक घड़ियों में अपनी रक्षा की बागडोर आपके हाथों में सौंपी है, और धीरे धीरे अब वह समय आ

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रहा है जिसको आपकी भी परीक्षा की घड़ी कहा जायेगा। अब अगर कहीं देश को दुबारा चोट लगी तो यह देश यह उत्तर सुनने के लिये तैयार नहीं होगा कि हमारे पास हथियार नहीं थे, अथवा हमें हमले की पहले से कल्पना नहीं थी। इस उत्तर को देश सहन नहीं करेगा।

मेरा अनुमान यह भी है कि अबकी बार जो आक्रमण होगा उसमें आक्रान्ता देश एक नहीं, दो होंगे। पाकिस्तान के इरादे अभी से खराब हैं। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान को आगे करके उसकी कमर पर खड़ा हो कर चीन हमला करे। यह स्थिति भी आ सकती है। चलते चलते और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के पानी में कुछ ऐसा असर है कि बाहर से जो नया आदमी आता है या तो वह अपनी शिष्टतावश अपनी बुद्धि की लगाम दूसरों के हाथ में दे देता है या यदि अधिक अक्लमन्द हो तो दूसरों के दिमाग पर हावी हो कर उनके मुंह से अपनी बात कहलाने लगता है। अब तक रक्षा कार्य में दूसरी बात ज्यादा होती रही है। एक सीधे सादे मस्तिष्क पर हावी हो कर अपनी बात उसके मुंह से उगलवाई गई है। लेकिन कृपा करके पहली बात जो मैंने कही शिष्टता के नाते से आप भी अपनी बुद्धि की लगाम किसी दूसरे के हाथ में न दें। देश को आज बड़ी आवश्यकता है स्वतंत्र निर्णय लेने की। आप देश के प्रति वफादार रहें, व्यक्ति विशेष के प्रति वफादार न रहें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चीन से वार्ता भारतीय स्वाभिमान के विरुद्ध

चीनी आक्रमण के बाद संसद् के माध्यम से देश ने यह संकल्प लिया था कि जब तक चीन द्वारा अधिगृहीत भूमि एक-एक इंच वापिस नहीं ली जाती तब तक देश शान्ति से नहीं बैठेगा। परन्तु समय बीतने के बाद यह बात सामने आने लगी कि भारत सरकार चीन से कुछ बातचीत कर रही है। इस गुपचुप प्रयास के बारे में विचार के लिए शास्त्री जी ने लोकसभा में आधे घंटे की बहस का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर २८ अप्रैल १९६९ को शास्त्री जी ने बहस आरम्भ की।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चीन के साथ बातचीत करने के सम्बन्ध में संवाददाता सम्मेलन में जो वक्तव्य दिया था, मेरी आधे घंटे की चर्चा मुख्य रूप से उसी को आधार मान कर है। आज जब मैं यह चर्चा इस सदन में कर रहा हूं, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही नाथूला में चीनियों की ओर से कुछ उत्तेजनात्मक और भड़काने वाली कार्रवाइयां की गई हैं। अभी पेकिंग में भी कुछ दिन पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन समाप्त हुआ है। उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा की है कि सह-अस्तित्व की जो हमारी पुरानी नीति है, उससे हम हट रहे हैं और प्रतिक्रियावादियों का दमन करने के लिये जो भी साधन प्रयोग में आ सकते हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिये; चाहे वह रूस में हों चाहे कहीं और हों।

आज जब मैं इस चर्चा को प्रारम्भ कर रहा हूं तब, अध्यक्ष महोदय, शायद आपको यह जान कर आश्चर्य न हो कि पेकिंग की साम्यवादी पार्टी के सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया के सम्बन्ध में जो एक रिपोर्ट दी गई है उसमें भारत के सम्बन्ध में भी स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि वहां पर सशस्त्र क्रान्ति धीरे-धीरे अपने पैर बढ़ाने लगी है। इससे भी भयंकर बात यह है वैदेशिक कार्य मंत्री श्री दिनेश सिंह जो यहां बैठे हैं उन्हें मालूम होगा—कि अभी ८ अप्रैल को रूस और चीन सीमा सम्बन्धी विवाद को ले कर यहां उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। उसके सम्बन्ध में चीन के लोगों ने अपनी कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की है। उसके शब्द इतने घृणित और इतने अपमानित करने वाले हैं जिसकी सीमा नहीं है। अगर मैं उनके शब्दों को हिन्दी में यहां कहूं तो यह कहा जा सकता है कि :

> "तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जायेगी, चाहे तुम सामने आओ अथवा अपने हिमायती रूस को साथ ले कर आओ।"

ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधान मंत्री की ओर से इस प्रकार का वक्तव्य आना कि चीन के साथ हम बातचीत करने के लिये तैयार हैं, कहां तक देश के स्वाभिमान के अनुरूप है?

एक बात जो यहां मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि प्रधान मंत्री ने कहा कि :

> "चीन ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है उसे हम भुला तो नहीं सकते, लेकिन हमें इस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बारे में रुके नहीं रहना चाहिये और किसी न किसी तरह समस्या को हल करने का मार्ग निकालना चाहिये। मेरा विचार है कि समस्या कितनी ही कठिन हो उसको हल करने का मार्ग निकल ही सकता है।"

प्रधान मंत्री ने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि क्या भारत अब भी इस बात पर दृढ़ है कि जब तक चीन कोलम्बो प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेता तब तक चीन से कोई बातचीत नहीं की जा सकती। यह तो हमारे प्रधान मंत्री का वक्तव्य है लेकिन श्री दिनेश सिंह ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इससे कुछ अलग ही बात कही है। उन्होंने कहा है कि :

"सरकार ने अनेक अवसरों पर यह कहा है कि वह किसी ऐसे आधार पर, भारत और चीन के बीच के सभी मसलों पर विचार विमर्श करने के लिये इच्छुक है, जो भारत की प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सम्मान के अनुकूल हो। १ जनवरी १९६९ को जो पत्रकार सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने फिर से यह स्थिति दोहराई थी।"

जो कुछ मैंने पढ़ कर सुनाया और जो कुछ विदेश मंत्रालय के उत्तर में है उसकी भाषा में जमीन आसमान का अन्तर है। प्रधान मंत्री ने प्रादेशिक अखंडता के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या चीन भारत का सबसे बड़ा शत्रु है, क्या आप इस बात को स्वीकार करती हैं? तब प्रधान मंत्री ने इस बात को मानने से भी इन्कार कर दिया और कहा कि चीन को भारत का सबसे बड़ा शत्रु कैसे माना जा सकता है? उनका यह वक्तव्य इतना चिन्ता का विषय है जो इसको केवल यहां के पत्रों ने ही नहीं, प्रधान मंत्री के अपने परिवार का पत्र जो "नेशनल हेराल्ड" है उसने भी प्रमुख न्यूज के रूप में इसे दिया है। और भी जितने पत्र हैं करीब-करीब उन सबने प्रमुख समाचार के रूप में इसको दिया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे कर और प्रधान मंत्री के वक्तव्य को छिपाने का यत्न करना कहां तक समझदारी है।

पीछे चीन का हमला भारत पर हुआ। उसके बाद इसी सदन में २५ जनवरी, १९६३ को श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि जब तक चीन आठ सितम्बर १९६२ की स्थिति में लौट कर चला नहीं जाता तब तक चीन के साथ कोई प्रारम्भिक बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद श्री जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी से एक वक्तव्य राष्ट्र के नाम प्रसारित किया और उस वक्तव्य में उन्होंने यह कहा कि हम इस बार दीवाली का त्यौहार इस वास्ते खुशी के साथ नहीं मना रहे हैं क्योंकि हमारी बहुत सी धरती पर चीन अधिकार किये बैठा है। हमारी लगभग साढ़े चौदह हजार मील की धरती पर चीन ने अधिकार कर लिया है। दीवाली हम खुशी के साथ उस दिन मनायेंगे जिस दिन हम अपनी धरती को चीन से वापिस ले लेंगे। यह सन्देश उन्होंने रेडियो से राष्ट्र के नाम प्रसारित किया था।

इसके बाद इस सदन ने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव बहुत बड़ा है। मैं पूरा प्रस्ताव न पढ़ कर उसका अन्तिम पैरा ही पढ़ कर सुनाता हूं जिसमें सारे सदन ने एकमत से चौदह नवम्बर, १९६२ को यह संकल्प किया था :

यह सभा भारत की पुण्य भूमि से हमलावर को खदेड़ देने के लिये, चाहे इसके लिये कितना ही लम्बा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े, भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प का आशा

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और दृढ़ विश्वास के साथ समर्थन करती है।

मैं पूछना चाहता हूं कि श्री जवाहरलाल नेहरू का जो वक्तव्य है, आज की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उससे हट गई हैं क्या? संसद् ने जो प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया था, उस प्रस्ताव से विदेश मंत्री या प्रधान मंत्री हट गये हैं क्या?

उसके बाद दूसरे प्रधान मंत्री आये, श्री लालबहादुर शास्त्री। उन्होंने २४ दिसम्बर, १९६४ को इसी सदन में एक वक्तव्य देते हुए कहा कि भारत सरकार पारस्परिक चर्चा द्वारा मामले तय तो करना चाहती है परन्तु ऐसी चर्चायें देश के गौरव और सम्मान को किंचित मात्र कोई आघात पहुंचाये बिना ही की जा सकती हैं। श्री लालबहादुर शास्त्री का स्टैंड यह था। इसलिये जब श्री जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड भी यही था कि जब तक चीन हमारी धरती को खाली न कर दे, तथा संसद् में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बदले कोई दूसरा प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया है और श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो कहा उसको सामने रखते हुए, मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को क्या अधिकार था कि वह पत्रकार सम्मेलन में इस प्रकार का वक्तव्य देतीं कि चीन के साथ बातचीत की जा सकती है। ऐसा करके उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो आश्वासन संसद को दिया था, उसकी भी उपेक्षा की, संसद् में पारित प्रस्ताव की भी उपेक्षा की और श्री लाल बहादुर शास्त्री के आश्वासन की भी उपेक्षा की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधियों ने जो अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, उसकी भी उपेक्षा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की।

असली बात और है। जिस समय चीन ने हमारी धरती पर हमला किया, तब श्री कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे। वह बार बार कहते रहे कि चीन भारत पर हमला करने वाला नहीं है। लेकिन जब चीन ने हिन्दुस्तान की धरती पर हमला कर दिया उस दिन से फिर कुछ रुक कर उन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया किचीन के साथ हमें बातचीत करनी चाहिये। चीन के साथ बातचीत का दरवाजा हमें बन्द नहीं रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि श्री कृष्ण मेनन के उस वक्तव्य से प्रभावित हो कर ही हमारी प्रधान मंत्री ने पत्रकार सम्मेलन में इस प्रकार का वक्तव्य दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति क्या यह सरकार तय करती है या हमारी विदेश नीति आज भी श्री कृष्ण मेनन से प्रभावित है? प्रधान मंत्री जैसे उच्च पद पर बैठी हुई श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो इस प्रकार का वक्तव्य दे दिया। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

राजेन्द्र बाबू जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनके सामने ही हमारी धरती पर हमला हुआ। राजेन्द्र बाबू ने पटना के गांधी मैदान में जो कहा वह मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित एक ही है। उस समय जब तिब्बत को चीनी राक्षस हड़प कर रहा था हम अपनी जबान पर ताला लगाये बैठे रहे। एक ही प्रायश्चित अब इस सारी भूल का हो सकता है कि हम अपनी धरती को भी चीनी राक्षस से मुक्त करायें और तिब्बत को भी चीन से मुक्त करायें। जब हम ऐसा कर लेंगे, तभी हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रधान मंत्री ने लगता है राजेन्द्र बाबू के वक्तव्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। पहले दो प्रधानमंत्रियों ने जो कहा था उस पर भी ध्यान नहीं दिया। और ऐसी हल्की बात पत्रकार सम्मेलन में कह कर देश के स्वाभिमान और त्याग पर एक गहरी चोट पहुंचाई है। यह स्थिति तब है जब चीन ने अपनी नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। हमने बार बार वार्ता का प्रस्ताव

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किया है लेकिन चीन की ओर से अभी तक कोई वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया है। चीन एटम बम बना रहा है। हाइड्रोजन बम बना रहा है, पाकिस्तान को हमारे खिलाफ लड़ाई के हथियार दे रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना आधिपत्य जमाने के लिये तरह-तरह के प्रयास कर रहा है। फिर समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार ने कौन सी विशेषता इस प्रकार की देखी कि जो उसके प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की बात कह दी कि हम चीन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। यह बिना किसी प्रकार के पुराने आश्वासनों को ध्यान में रखे हुए कह दी।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी वक्तव्य भी इसी सदन में २५ जनवरी १९६३ को दिया था। मैं उनके शब्दों को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "शासन का यह कर्तव्य है कि वह समय समय पर संसद् को महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सूचित करता रहे। जब संसद् नीति निश्चित कर दे, तभी शासन उस पर कार्यवाही करे।"

श्री जवाहरलाल नेहरू का यह वक्तव्य है कि जब तक संसद् किसी नीति पर अपनी मुहर नहीं लगा देती है, तब तक सरकार के किसी भी मिनिस्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार की महत्वपूर्ण नीति में परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे दे। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री जवाहरलाल नेहरू के इस दूसरे वक्तव्य की भी उपेक्षा क्यों की गई ?

यह सरकार आज जनरल मर्चेंट की दुकान बनी हुई है। जब कोई सुरक्षा विषयक चर्चा होती है तो डिफेंस मिनिस्टर, सरदार स्वर्ण सिंह, जिस भाषा में बोलते हैं उससे लगता है कि वह भाषा देश की आत्मा के अनुकूल है, वह देश के गौरव की रक्षा और देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन प्रधान मंत्री जिस भाषा का प्रयोग करती हैं, उससे लगता है कि वह देश के स्वाभिमान की उपेक्षा करके और उसके त्याग तथा तपस्या पर धूल डाल कर उनको समाप्त करने की भाषा बोल रही हैं।

मैं चाहता हूं कि आज वैदेशिक कार्य मंत्री श्री दिनेश सिंह स्पष्ट रूप से देश को बताएं कि क्या सरकार अपनी उस पुरानी नीति पर दृढ़ है, जो श्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के सामने रखी थी, जिसका प्रतिपादन इस संसद् द्वारा पारित प्रस्ताव में किया गया था और जो नीति श्री लाल बहादुर शास्त्री की भी थी? अथवा सरकार ने उस नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर लिया है? अगर कोई परिवर्तन किया है तो उसके सम्बन्ध में संसद् को विश्वास में क्यों नहीं लिया? सरकार से हटने के बाद भी श्री कृष्ण मेनन चीन के सम्बन्ध में जो वक्तव्य देते रहे उनसे प्रभावित हो कर हमारी प्रधान मंत्री का इस प्रकार का वक्तव्य देना देश के स्वाभिमान के कहां तक अनुकूल है?

मुझे विश्वास है कि वैदेशिक कार्य मंत्री इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा वक्तव्य देंगे, जिससे देश में फिर से इस प्रकार की गलत-फहमियां पैदा न हों। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंक आफ चाइना की भारत विरोधी गतिविधियां

शास्त्री जी के सामने देशहित ही सर्वोपरि था। वे ऐसे प्रश्न जिन्हें वे देश के लिए घातक समझते थे सदा निरन्तर और अविश्रान्त रूप से संसद् में उठाते थे तथा सरकार को सचेत करते थे। इनमें एक प्रश्न चीन का भी था। शास्त्री जी ने भारत में कलकत्ता में कार्यरत संदिग्ध गतिविधियों के बारे में आधे घंटे के विचार का प्रस्ताव रखा। सदन में विशिष्ट विषयों पर बहस मात्र करने का भी शास्त्री का एक रिकार्ड है। बैंक आफ चाइना पर ९ दिसम्बर १९६४ को शास्त्री जी ने बहस आरम्भ की।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, बैंक आफ चाइना के सम्बन्ध में जो चर्चा मैं उपस्थित कर रहा हूं, इससे पहले लोक सभा में तेरह बार और राज्य सभा में छह बार इसके बारे में प्रश्न पूछे गये। पीछे १७ सितम्बर को जब इसी सदन में बैंक आफ चाइना के सम्बन्ध में प्रश्न चल रहा था, तो वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री भगत से पूछा गया कि सरकार पिछले दो तीन वर्ष से लगातार इस प्रश्न को टाल रही है और क्या वह अन्तिम रूप से कह सकेगी कि कब तक इस जांच रिपोर्ट को पूरा सदन के सामने रखा जा सकेगा। उस समय श्री भगत नें जो उत्तर दिया वह शब्द मैं पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा : "इस अधिवेशन में तो नहीं, मगर अगले अधिवेशन में मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में जांच के परिणाम प्रकाशित किए जा सकें।"

उसी आधार पर यह अनुमान था कि वह रहस्यमय रिपोर्ट इस अधिवेशन में अवश्य उपस्थित हो जायेगी। लेकिन अभी पीछे जब २१ नवम्बर को यह प्रश्न लोकसभा में आया, तो वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ भी परिणाम प्रकाशित करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने केवल यह कहा कि कालिम्पांग और कलकत्ता में अभी कुछ इस प्रकार की रहस्यमय जानकारियां और लेनी हैं, जिनके कारण इस रिपोर्ट को प्रकाशित करना ठीक नहीं है। राज्य सभा में भी इसी से सम्बन्धित एक प्रश्न आया और जब कुछ विशेष जानकारी चाही गई, तो वित्त मंत्री ने कहा कि लोकहित में अभी उसको प्रकाशित करना उचित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि चीन पिछले कई वर्षों से भारतवर्ष पर आक्रमण करता चला आया है। केवल १९६२ में उसने हमारी सीमाओं पर ही आक्रमण नहीं किया, बल्कि उससे भी पहले वह कई प्रकार के आक्रमण भारतवर्ष में करता आया है। पहले उसने अपने गुप्तचरों को भेज कर हिमालय के सीमावर्ती क्षेत्रों को आक्रान्त कर लिया और आज वहां पर पैदा की गई उनकी कार्यवाहियों और कठिनाइयों से परेशान है। किस तरह चीन के लोग हमारे सरकारी कर्मचारियों से मिल कर सरकारी कार्यालयों से रहस्यों की चोरी कराते रहे हैं, ये बातें भी एक आध बार प्रकाश में आई हैं। लेकिन चीन का

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उन सबसे बड़ा आक्रमण यह था कि उसने बैंक आफ चाइना के द्वारा करोड़ों रुपये खर्च करके इस देश के मस्तिष्कों को अपने प्रति आकर्षित करने का भी रहस्यमय यत्न किया। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पहले तो इस देश में बैंक आफ चाइना को चालू करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। जब भारत सरकार जानती थी कि चीन के साथ हिन्दुस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं तब इस प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए उसे इस बैंक को भारतवर्ष में कारोबार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अनुमति दी गई। उसके बाद जब संसद् के सदस्यों ने और देश के लोगों ने बार-बार सरकार पर दबाव डाला कि बैंक भारत में भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है, तब चीनी आक्रमण के लगभग दो महीने के पश्चात् दिसम्बर १९६२ में जाकर इस बैंक की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

इस पैसे का दुष्परिणाम यह हुआ कि बैंक के पैसे को चीन और भारत केअनुकूल वातावरण बनाने के लिये नहीं लगाया गया। अभी आंध्र और महाराष्ट्र में इस प्रकार के सम्मेलन हुए जिनमें माओत्से तुंग के चित्र लगा कर पूजे गये या दूसरे चीनी नेताओं के चित्र लगा कर पूजे गये। क्या यह हिन्दुस्तान के लिये लज्जा और शर्म की बात नहीं है? इस पर भारत सरकार को तुरन्त ही कठोर कार्रवाई करनी चाहिये थी। यह सब बैंक आफ चाइना की गतिविधियों का ही परिणाम हुआ। जैसी मेरी जानकारी है, यह बैंक लगभग ४ करोड़ रु० की पूंजी से आरम्भ हुआ और जब यह बैंक बन्द हुआ तो उसके पास पौने दो करोड़ से भी कम राशि थी। जब इतनी बड़ी राशि इस बैंक के पास थी तो क्या वित्त मंत्री आज सदन को अपने उत्तर में यह बतलायेंगे कि जो पिछले दो सामान्य चुनाव सन् १९५७ में और सन् १९६२ में हुए तो उनसे पहले बैंक आफ चाइना से कितने कितने रुपये निकाले गये भारी मात्रा में, और किन किन लोगों द्वारा वह रुपये निकाले गये। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर सारे देश का ध्यान लगा हुआ है।

आज बैंक आफ चाइना हिन्दुस्तान में राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा ही नहीं बना हुआ है बल्कि भारत के राजनीतिक वातावरण पर भी चीनी मस्तिष्कों को छाने के लिये हर प्रकार से करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान में वह पानी की तरह बहा रहा है। मैं चाहूंगा कि वित्तमंत्री अपने उत्तर में इसका स्पष्टीकरण करें कि क्या यह सत्य नहीं है कि जो बैंक आफ चाइना की रिपोर्ट आपके पास आई है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के वामपन्थी और दक्षिणपन्थी दोनों नेताओं के अकाउंट पाये गये हैं। उदाहरण के लिये क्या श्री ज्योति बसु का अंकाउंट उसके अन्दर भारी मात्रा में नहीं था? क्या जो दक्षिणपन्थी नेता श्री डांगे हैं उनका अकाउंट इस बैंक में नहीं था? क्या यह सत्य नहीं है कि जो इस देश में कम्युनिस्ट साहित्य प्रकाशित करने वाले संगठन हैं, जैसे कि पीपल्स पब्लिशिंग हाउस है, बुक सेंटर, कलकत्ता है, जिनके द्वारा केवल पुस्तकें ही प्रकाशित नहीं होती, कुछ साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होते हैं, उनके भारी हिसाब इस बैंक के अन्दर नहीं थे? इन तथ्यों को सरकार क्यों जानबूझ कर छिपाना चाहती है। इस प्रकार की देशद्रोह की गतिविधियां जिनकी ओर से चल रही हैं उनसे सम्बन्धित तथ्यों को छिपाने में सरकार का कौन सा लाभ होगा, यह मैं नहीं जान पाया।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस बैंक का जो लाखों रुपया निकाला जाता था, तो क्या इन बड़े नेताओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे कम्युनिस्ट नेताओं का पैसा भी इस बैंककेअन्दर था जिनका नाम

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम था लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के गतिशील कार्यकर्ता थे। वह भी लाखों-लाखों की तादाद में राशियां इस बैंक से निकालते रहे हैं। एक इसी प्रकार की राशि के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल विधान सभा में चर्चा आई थी, उसके जवाब में वहां के उपगृहमंत्री ने यह कहा था कि एक महिला इस प्रकार की थी जिन्होंने चुनाव के कुछ दिन पहले ७ लाख रुपये की राशि अकेले अपने नाम से निकाली थी। हमारे इसी सदन के एस० एस० पी० के नेता श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने वित्त मंत्रालय की किसी मांग पर बोलते हुए कहा था कि इसी प्रकार के एक व्यक्ति राज्य सभा में कम्युनिस्ट समर्थित सदस्य हैं और शायद अब वे कांग्रेस में भी सम्मिलित हो गए हैं उनका भी इस बैंक के अन्दर ७ लाख से अधिक रुपया पाया गया जो उन्होंने निकाला था। इसी प्रकार की भारी भारी राशियां वहां से निकलती रहीं और भारत सरकार कानों में तेल डाले पड़ी रही। सरकार ने जानबूझ कर इस प्रकार की देशद्रोह की गतिविधियां करने के लिये उन्हें अवसर क्यों दिया?

तीसरी बात जो मैं वित्तमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह यह कि वे बतलायें जो जांच रिपोर्ट उनके पास आई है क्या उसके परिणाम स्वरूप उनको कोई ऐसी घटनायें पता चली हैं कि कुछ ऐसे चेकों पर रुपया वहां से निकाला गया जिन चैकों पर नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। दो-दो या तीन-तीन लाख रुपया इस तरह से बैंक आफ चाइना से निकाला गया है। मुझे पता लगा है कि जिन आदमियों के नाम के यह चैक थे उस नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं थे। उनके हस्ताक्षर भी चैक पर नहीं हैं। हैरानी है उस नाम के कोई आदमी नहीं है और उसके नाम के चैकों पर दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये की राशियां बैंक आफ चाइना से दी जाती रहीं। साथ ही यह बैंक आफ चाइना यहां काम करता रहा और रिजर्व बैंक आफ इंडिया उसकी गतिविधियों की उपेक्षा करता रहा और बैंक आफ चाइना हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय वातावरण को दूषित करने का प्रयास बराबर करता रहा। मुझे यह भी पता लगा है कि ऐसे चैक भी वहां पाये गये हैं जिन पर लाखों-लाखों रुपये निकले हैं और जिनके पीछे रुपये लेने वाले के हस्ताक्षर नहीं थे। अब तक बैंक प्रणाली का प्रकार यह रहा है कि जब तक पीछे की ओर रुपया लेने वाले के हस्ताक्षर न हों तब तक उस चैक पर रुपया नहीं दिया जाता। क्या अब तक की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के चैकों के भी कुछ विवरण आये हैं जिनमें लाखों रुपये निकाले गये और पीछे चैक पर किसी तरह के हस्ताक्षर नहीं थे।

चौथी सबसे बड़ी बात यह कि कैलिपोंग के अन्दर जैसी कि आपने २१ नवम्बर के प्रश्न के उत्तर में चर्चा भी की है, क्या कोई इस प्रकार के चीनी भाषा के स्कूल थे जिनके नाम पर इस बैंक आफ चाइना से भारी राशियां निकलती रहीं और वह सारी की सारी राशियां इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार पर और कम्युनिस्ट पार्टी के साहित्य के प्रचार पर व्यय होती रहीं और भारत सरकार इन तथ्यों का पता नहीं लगा सकी है। जिन लोगों के नाम पर भारी राशियां थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिव या सामान्य कार्यकर्ता थे, क्या उनकी भारतवर्ष में कोई अपनी सम्पत्ति है, या उनका कोई धन्धा या इंडस्ट्री इस प्रकार की चल रही है जिनसे वे बैंक आफ चाइना में इतने लाखों रुपयों के हिसाब रख सकते थे, अथवा कोई और इस प्रकार की बात थी जिसके आधार पर उन्हें इतना पैसा दिया गया। क्या इससे यह

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तथ्य स्पष्ट नहीं होता कि यह सारी बातें रहस्यात्मक ढंग से हिन्दुस्तान में इसलिये चल रही थी कि उस पैसे से भारत में रह कर भारत विरोधी वातावरण तैयार किया जाये और देश को अन्दर से खोखला किया जाये। जिससे जब चीन का आक्रमण हो तो हिन्दुस्तान में जहां चीन के अनुकूल वातावरण तैयार होता रहे वहां अन्दर भी उनका स्वागत करने वाले तैयार मिलें और चीन को अपने इरादों को पूरा करने के लिये किसी प्रकार अधिक शक्ति व्यय न करनी पड़े।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जिस समय आपने इस बैंकआफ चाइना को बन्द किया तो क्या यह सही है कि कुछ कागजात बैंक के कर्मचारियों ने नष्ट कर दिये और वे कागजात आपको नहीं मिल पाये?, और क्या यह भी सही है कि जो इस बैंक आफ चाइना के कर्मचारी थे, जिन पर बड़े भारी दोष आ सकते थे, उनको जिस समय आप बैंक को बन्द करना चाहते थे उससे पहले उसकी सूचना मिल गई और वह हिन्दुस्तान छोड़ कर चले गये।

एक बैंक इस प्रकार हिन्दुस्तान में काम करता रहा और भारत सरकार से बार बार इस बात के लिये कहा जाता रहा कि वह हिन्दुस्तान के अन्दर राजनीतिक गतिविधियों का एक अड्डा है। हमारे प्रधान मंत्री ने, जब चीन का आक्रमण हुआ था तब कहा था कि चीन ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ विश्वासघात किया, उसने हमारी पीठ में पीछे से छुरा मारा। लेकिन हमारी पीठ में पीछे से छुरा अक्टूबर सन् १९६२ में नहीं मारा, चीन पिछले दस वर्षों से लगातार यह काम करता रहा। बराबर इस बात की चेतावनी दी जाती रही, लेकिन भारत सरकार बराबर इन सारी बातों की उपेक्षा करती चली गई। आज जब यह रहस्य सामने आया है तो वित्तमंत्री के पास ऐसी कौन सी युक्ति है जिस आधार पर वह बैंक आफ चाइना की रिपोर्ट को छिपा कर रखना चाहते हैं। श्री भगत ने लोक सभा के पिछले अधिवेशन में कहा था कि संसद् के अगले अधिवेशन में जांच के परिणाम प्रकाशित कर दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आज भारत सरकार क्यों नहीं इस जांच के परिणामों को प्रकाशित करती है। इसमें कौन सा लोकहित छिपा हुआ है। हमारा लोकहित तो इसमें होगा कि हिन्दुस्तान जाने तो सही उन जयचन्दों और मीर जाफरों को जो चीन से पैसा ले कर हिन्दुस्तान के खिलाफ गद्दारी करते हैं, आज हिन्दुस्तान का हित इस बात में है। या इस बात में है कि इन देशद्रोहियों का नाम छिपा कर रखा जाय। पहली मांग मेरी यह है कि जो रिपोर्ट आपके पास आ गई है बिना किसी हिचकिचाहट के उसको प्रकाशित कर दिया जाये ताकि सारे देश को इसकी जानकारी मिले। दूसरी मांग यह है कि जितनी जानकारी मिली है उसके अनुसार जितने जयचन्द और मीर जाफर चीन से पैसा ले कर हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी करते रहे आज उन्हें वह भयंकर सजा देनी चाहिये जो कि देशद्रोह की किसी चेष्टा के लिये दी जा सकती है। देशद्रोह के लिये जो भी भयंकर सजा हो सकती है वह उन्हें मिलनी चाहिये।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अगर भारत सरकार के दिमाग में रूस समर्थक कम्युनिस्टों के प्रति किसी प्रकार का साफ्ट कार्नर यदि है, ख्रुश्चेव के हटने के बाद भी और वह उन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, हालांकि मैं इन विचारों का नहीं मेरे विचार में तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। दोनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं। लेकिन फिर भी यदि आपके हृदय में कोई सहानुभूति उनके लिये शेष है, तो इस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समय आपके पास ऐसी कौन सी युक्ति है जिसके अनुसार जो पेकिंग समर्थक कम्युनिस्ट हैं, जो करोड़ों रुपये बैंक आफ चाइना से ले कर हिन्दुस्तान में गद्दारी करते रहे, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। उन पर रोकक्यों नहीं लगाई जाती ? क्यों आज वे देश में ऐसे सामूहिक प्रदर्शन करते हैं जिनमें माओत्से तुंग और चाउ एन लाई की पूजा होती है? क्या यह भारत सरकार की दुर्बलता का परिचायक नहीं है ?

मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री आज अपने उत्तर में इन सारी बातों का स्पष्टीकरण करें, क्योंकि यह बात सदन ही नहीं जानना चाहता बल्कि सारा देश इन बातों को जानना चाहता है। धन्यवाद। ❑

एक और विशेष बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय बैंकों का सम्बन्ध है, उनके बारे में श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने कहा कि सम्भव है कि उनकी गुप्त प्रणाली के आधार पर किसी के बैंक बैलेंस का पता न लगाया जा सके, लेकिन क्या यह वास्तविकता नहीं है कि भारतवर्ष में जितने बड़े-बड़े उद्योग हैं, उनमें उनके अपने नाम से, उनकी पत्नियों, लड़कों या रिश्तेदारों के नाम से उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं? क्या यह सच नहीं है कि जितनी बड़ी और भारी चीजों की एजेंसियां हैं, वे बड़े-बड़े मिनिस्टरों के लड़कों या उनके रिश्तेदारों के नाम से ली गई हैं? क्या यह भी सत्य नहीं है कि भारतवर्ष में जितने बड़े-बड़े उद्योग हैं, उनमें कुछ मिनिस्टरों के लड़के या रिश्तेदार सर्विस में रखे गए हैं। और उनके लड़कों ने सरकार से ऋण ले रखा है? यहां पर कोई मुझसे यह प्रश्न पूछ सकता है, चूंकि वे किसी मिनिस्टर के लड़के हैं, इसलिए क्या उनको अधिकार नहीं है कि वे कहीं सर्विस कर सकें या कोई भारी चीजों की एजेंसी ले सकें या और कोई इस प्रकार के शेयर वगैरह खरीद सकें। परन्तु इस बारे में मेरा उत्तर यह होगा कि उसी योग्यता और प्रतिभा, बल्कि उससे अधिक योग्यता और प्रतिभा का नवयुवक तो जीवन भर लोअर डिवीजन क्लर्क बन कर रह जाये और उससे कम योग्यता और कम प्रतिभा वाला नव युवक हजारों रुपया माहवार किसी फैक्टरी या किसी सरकारी उद्योग में से ले, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ?

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चीन के विरुद्ध राष्ट्र का संकल्प

चीन द्वारा भारत भूमि पर अधिकार शास्त्री जी के लिए बड़ा संवेदनशील तथा राष्ट्र के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाला था। संसद् ने प्रस्ताव स्वीकार कर चीन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया था। परन्तु दुर्भाग्य से समय बीतने के साथ इस संकल्प को गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव में परिवर्तन कर चीन का उल्लेख ही हटा दिया गया। गृह मंत्रालय पर बहस के समय श्री शास्त्री जी ने २५ अप्रैल १९७० को इस बात को विशेष रूप से पूछा कि क्या चीन के बारे में पुरानी नीतियां छोड़ दी गई हैं?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभाध्याक्षा जी, हमारे देश में गृह मंत्रालय का और गृहमंत्री का कितना महत्व है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का दायित्व सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। सरदार पटेल का साहस, उनकी निर्भीकता और उनकी प्रतिभा तीनों ही गृहमंत्री के लिये आदर्श का काम कर सकती हैं। परन्तु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात् इन तीनों बातों में कुछ न्यूनता आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिये एक ही बात मैं कहना चाहता हूं। १९६२ में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ तो १४ नवम्बर १९६२ को हमने इसी सदन में खड़े हो करके सबने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके शब्द थे कि "भारत की धरती जब तक हम स्वतंत्र नहीं करा लेते शत्रु से तब तक हमारा यह संघर्ष बराबर जारी रहेगा भले ही वह कितना ही लम्बा क्यों न हो।" लेकिन कुछ दिन बाद आगे चल कर जब राष्ट्रीय एकता का एक सप्ताह या दिवस मनाना हमने प्रारम्भ किया तो हमने उस प्रतिज्ञा को कुछ दूसरे शब्दों में बदल दिया। और उस प्रतिज्ञा के शब्द यह थे : "मैं अपने देशवासियों के संकल्प को दोहराता हूं कि मैं अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता तथा एकता की रक्षा करूंगा चाहे इसके लिये संघर्ष कितना ही कड़ा और लम्बा क्यों न करना पड़े। मैं राष्ट्रीय एकता तथा सबलता के लिये तन, मन से काम करने की शपथ लेता हूं।" लेकिन इस बार राष्ट्रीय एकता सप्ताह के सिलसिले में एक छोटा सा प्रकाशन भारत सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ है। इस प्रकाशन में स्वयं इन्होंने लिखा कि १९६२ में चीन द्वारा आक्रमण के बाद शपथ की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, और जो शब्द परिवर्तित किये गये हैं उन को भी मैं सुनाना चाहता हूं। "मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रान्त सम्बन्धी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शान्तिपूर्वक और संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिये।"

क्या सरकार ने संकल्प छोड़ दिया

अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि १९६२ में जो संसद ने यह निर्णय किया था क्या भारत सरकार अपने उस निर्णय से हट रही है? और अगर अपने निर्णय से हट नहीं रही है तो यह जो एक सरकारी प्रकाशन है कि जिसमें १९६२ की शपथ में परिवर्तन किये गये हैं, उसके आधार क्या हैं? क्या इसे हम यह समझें कि चीन का किसी तरह का दबाव इस प्रकार का पड़ रहा है कि जिसने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है? मैं गृहमंत्री महोदय से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरदार पटेल जिस आसन पर बैठे थे आज आप उस आसन पर बैठे हैं और राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा का दायित्व आपके कंधों पर है। इस प्रकार के ये प्रकाशन जो सरकार की दुर्बलता के परिचायक हैं इनके सम्बन्ध में आपको गम्भीरता से कुछ निर्णय लेना चाहिये और सोचना चाहिये कि कौन तत्व हैं इस प्रकार के जो संसद के निर्णय के खिलाफ इस प्रकार के प्रकाशन कराते हैं।

साम्प्रदायिकों के पीछे कौन ?

दूसरी बात मैं साम्प्रदायिक तनावों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस साम्प्रदायिक तनाव से निश्चय ही हमारे देश की जो आन्तरिक स्थिति है उसमें चिन्ता व्याप्त है और दुनियां के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम होता है। पहले मैं गृहमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद अब तक जितने भी साम्प्रदायिक उपद्रव हमारे देश में हुए हैं, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इनका प्रारम्भ कहां से होता है और कौन उनको प्रारम्भ करता है? अगर इस देश का बहुमत उनको प्रारम्भ करता है अपने संख्या बल के दुरभिमान में, तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिये। और अगर अल्पसंख्यकों की तरफ से प्रारम्भ होता है तो मैं समझता हूं कि उनके अन्दर इतनी अज्ञता नहीं होगी। जब वह जानते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि हमको और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है। फिर भी वह इसका प्रारम्भ करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति जरूर है जो आज भी २२ वर्ष के बाद हमारे सामाजिक जीवन को विषम बनाना चाहती है। उदाहरण के लिये मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। पहले गृहमंत्रालय जब अपनी यह वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था तो इसके अन्दर यह आंकड़े दिया करता था कि हमारे देश में दुनियां के किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं। लेकिन अब शायद जानबूझ कर गृह मंत्रालय ने अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिये कई आंकड़े देना बन्द कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में यदा कदा कुछ इस प्रकार के आंकड़े सामने आ जाते हैं। अभी यहां जब पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के नागरिक कितने ऐसे हैं कि जो पासपोर्ट ले कर के रह रहे हैं? तो इन्होंने २७.२.७० को उत्तर दिया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उनकी संख्या २७,६१५ है। जब यह पूछा गया कि ऐसे कितने हैं कि जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गयी और जो यहां रह रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि ११,७१७। दोनों को मिला कर यह संख्या लगभग साढ़े ३९ हजार होती है। फिर यह पूछा गया कि ऐसे कितने हैं जो इस देश के अन्दर अवैध ढंग से रह रहे हैं या बिना पासपोर्ट के रह रहे हैं? तो २५.२.७० को राज्यसभा में यह उत्तर दिया किउनकी संख्या १२,८२३ है और जिनमें ३,७७३ वह पाकिस्तानी नागरिक हैं कि जिनका कुछ पता ही नहीं है कि भारत के किस कोने में और किस प्रान्त में हैं। इन आंकड़ों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये सब मिल कर ५२ हजार के करीब बैठते हैं। पहले गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा के आधार पर आसाम के अन्दर ही कुछ पाकिस्तानी अवैध रूप से प्रवेश कर गये थे। साढ़े तीन लाख से अधिक उनकी संख्या थी। उसमें से शायद ५० हजार पाकिस्तानी वापस नहीं भेजे जा सके हैं। तो आज जो चार, पांच लाख पाकिस्तानी भारत के अन्दर रह रहे हैं, मैं गृहमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी ली है कि हमारे देश में जो साम्प्रदायिकता की आग जगह जगह पर भड़कती रहती है इनमें क्या इन पड़ोसी देशों और उनके एजेंटों का हाथ तो नहीं है जो लोग हमारे देश के आन्तरिक जीवन को विषाक्त कर रहे हैं।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अन्दर बहुसंख्यक हिन्दू हैं, हमारे देश में यहूदी भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। उनके साथ साम्प्रदायिक विवाद की स्थिति कभी नहीं आई। इससे मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पड़ोसी देश हमारी स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार की गतिविधियां हमारे देश में जारी रखे हुए है जो कि हमारे सामाजिक जीवन को विषाक्त और हमारे देश को बदनाम करे।

राज्यों में विवाद पर चिन्ता

अगली बात मैं जो कहना चाहता हूं वह प्रान्तों के विवादों के सम्बन्ध में है। प्रान्तों के विवादों की स्थिति हमारे देश में इस प्रकार की होती जा रही है जैसे कि दो शत्रु देशों की आपस में। बेलगांव को लेकर मैसूर और महाराष्ट्र में जो तनाव आजकल बढ़ रहा है, वह बिल्कुल इसी प्रकार का है। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में एक तनाव चला। तेलंगाना को लेकर आन्ध्र प्रदेश में इसी प्रकार की स्थिति चल रही है। उसमें ३०० के लगभग लोग मर गये और एक हजार से अधिक घायल हुए और कहा जाता है कि २५ हजार के लगभग जेल में गये, जिसमें ३० वहां के विधान सभा के सदस्य भी थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के निर्णय लेने की स्थिति क्या है? सरकार ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के सम्बन्ध में निर्णय लिया। न्याय कहता है कि चंडीगढ़ हरियाणा को जाना चाहिए, शाह कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हरियाणा की जनता सीधी-साधी थी, इनके पास जल मरने की धमकी देने की और इसी प्रकार की दूसरी बातें नहीं थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया गया। पर चंडीगढ़ पंजाब को दिये जाने के बाद आज क्या पंजाब में चंडीगढ़ के प्रश्न पर शान्ति हो गई? पहले जो वहां के चीफ मिनिस्टर गुरनाम सिंह थे, उन्होंने निर्णय होते ही फिर धमकी देना शुरू कर दिया। अब जो नई सरकार बनी, वह भी इस प्रकार की धमकी दे रही है और मुख्य मंत्री धमकी दे तो दें, यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह है कि गृह मंत्रालय जिन लोगों को राज्य के राज्यपाल के पद पर बैठाता है, इस प्रकार के जिम्मेदार आदमी अगर किन्हीं प्रान्तों में जा कर आग भड़काने की कोशिश करें और गृह मंत्री चुपचाप बैठ कर देखते रहें तो क्या यह गृह मंत्री का काम है? राजस्थान के राज्यपाल श्री हुकमसिंह ने अभी चंडीगढ़ के एक कालेज के दीक्षान्त भाषण में फाजिल्का और अबोहर के प्रश्न को लेकर यह कहा कि पंजाब को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी है। केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय के और भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय को इसके ऊपर मजबूती के साथ कोई कदम उठाना चाहिए। अगर इस प्रकार से एक प्रान्त का राज्यपाल दूसरे प्रान्त में जाकर इस प्रकार की आग भड़काए, तो इस प्रकार के लोगों को राज्यपाल के जिम्मेदार पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप इस पर गम्भीरता से सोचें।

तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वह है सीमा विवाद। मेरा तो निश्चित रूप से यह सुझाव है कि जितने भी राज्य के इस प्रकार के विवाद हैं सीमा सम्बन्धी या किसी और प्रकार के इसके लिए कोई एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण बनाया जाए, लेकिन वह वास्तव में निष्पक्ष न्यायाधिकरण हो। उसकी राय का या उसकी जो रिपोर्ट हो, उसका सम्मान होना चाहिए। ऐसा न हो कि शाह कमीशन की तरह से उसकी रिपोर्ट आए और फिर वह इस प्रकार विवाद का विषय बन जाए। इस पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संघीय परिक्षाओं में हिन्दी लाएं

दूसरी बात, मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए, राजभाषा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। राजभाषा के सम्बन्ध में मेरा कहना है, चव्हाण साहब को यह पता है कि आज देश में अधिकांश राज्यों के विश्वविद्यालयों ने अपने राज्यों की भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना दिया है, पर दुःख है कि जो संघीय लोक सेवा आयोग है, उस पर अंग्रेजी छाई हुई है। १९६७ के राजभाषा संशोधन विधेयक के अनुसार इस देश की राजभाषा हिन्दी है, अंग्रेजी केवल सहभाषा है, लेकिन कानून के हिसाब से तो हिन्दी ही राजभाषा है, पर धक्केशाही के हिसाब से अंग्रेजी राजभाषा है, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि १९६७ के कानून में आपने इजाजत दी है कि आपके कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति चाहें तो छोटी छोटी टिप्पणियां हिन्दी में लिखें। लेकिन मुझे पता है कि आज आपके इन कार्यालयों में इस प्रकार के अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि मौखिक रूप से ऐसी धमकियां देते हैं कि अगर वे हिन्दी में टिप्पणियां लिखेंगे तो उनकी पदोन्नति पर असर पड़ेगा। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आप कम से कम इतना काम करें कि जो हिन्दी जानने वाले मंत्री हैं अगर वे कुछ थोड़ा बहुत हिन्दी में काम करना प्रारम्भ कर दें, सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर पर काम हिन्दी में करना प्रारम्भ करें तो नीचे के व्यक्तियों को उससे प्रोत्साहन मिलेगा और इससे एक वातावरण बनेगा। आज इस दृष्टि से इस पर विचार करें।

अगली बात सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं इस लोक सभा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि राज्य सभा ने अपने यहां अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी अधिकांश काम प्रारम्भ कर दिया है। आज ही का समाचार पत्र आपने देखा होगा। जरा सी घटना राज्य सभा में घटी कि वहां की जो सिनोपसिस है, सारांश है, एक दिन देर से आया और राज्य सभा के अन्दर शोर हो गया। यहां पर तो पन्द्रह-पन्द्रह दिन में सारांश मिलता है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से गृह मंत्रालय को कि वह लोक सभा सचिवालय को इतना कह दे कि लगभग १५० सदस्य इस प्रकार के हैं जिनको अंग्रेजी के आपके प्रकाशनों से कोई लाभ नहीं हो पाता और वे अभी तक धैर्य से काम ले रहे हैं। क्या आप यह चाहेंगे किलोक सभा में खड़े हो कर किसी प्रकार का प्रदर्शन उन्हें करना पड़े? ऐसी स्थिति न आने पाये तो कम से कम यह अवश्य होना चाहिए कि जितने भी विधेयक या जितनी भी सरकारी विज्ञप्ति आएं, उनको दोनों भाषाओं में आना चाहिए। संविधान में आने के बाद और राजभाषा संशोधन विधेयेक के पश्चात् हिन्दी का अपमान नहीं होना चाहिए।

दो बातें और हैं जिनको मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। एक बात तो कहना चाहता हूं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की जांच के सम्बन्ध में। श्री यशवन्तराव चव्हाण हमारे देश के उस समय रक्षा मंत्री थे जिस समय कि लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान ताशकन्द में हुआ। सरदार स्वर्णसिंह भी वहां पर थे। अब जो तथ्य धीरे धीरे प्रकाश में आ रहे हैं, जैसे डाक्टरों की रिपोर्ट परस्पर विरोधी हैं। इन तमाम तथ्यों ने देश के मस्तिष्क में भारी संदेह उत्पन्न किया हुआ है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लिए अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी मृत्यु की दुबारा जांच करने के लिए मंत्रीपरिषद् एक व्यक्ति के आयोग की नियुक्ति कर सकती है, तो लाल बहादुर शास्त्री तो इस देश के प्रधानमंत्री थे और ऐसे प्रधान मंत्री थे कि जिन्होंने कुछ महीनों में ही इस देश के दिल को जीत लिया था। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किन परिस्थितियों में किन कारणों से और

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कैसे हुई, इसकी एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिये, जिससे कि इस देश के दिमाग में बैठा हुआ जो सन्देह है, वह मिटे। मेरे पास कुछ तथ्य हैं और मैं चाहता हूं कि अगर उच्च स्तरीय जांच होगी, तब उनको उसके सामने रखूंगा और अगर उच्चस्तरीय जांच का कोई फैसला नहीं किया गया तो विवश होकर सदन के अन्दर उन तथ्यों को रखना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए।

अन्त में एक बात जिसको कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं प्रशासनिक सुधार आयोग के सम्बन्ध में है। प्रशासनिक सुधार आयोग की २७ रिपोर्टें आपको मिल चुकी हैं और २७ रिपोर्ट मिलने केबाद भी आपने कोई अमल उन पर नहीं किया। जब प्रशासनिक आयोग बैठा था तो आपने यह कहा था कि इसको इसी तरह का महत्व दिया जाएगा जिस तरह से अमरीका में हूवर कमीशन को महत्व दिया गया था। २७ रिपोर्टों के दिए जाने के पश्चात् भी आपने कितने प्रतिशत रिपोर्टों पर अमल किया है? इतना उच्चस्तरीय आयोग आपने बैठाया और होना तो यह चाहिए था कि आज उसकी रिपोर्ट आती और कल सरकार उस पर निर्णय लेती। लेकिन वह तो आई० सी० एस० और आई०ए०एस० आफिसर्स के चक्कर में पड़ी है। उन पर टिप्पणी चल रही है, उन पर नोटिंग चल रही है और प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में फेंकने की तैयारी की जा रही है। अगर इतने महत्वपूर्ण आयोग की रिपोर्ट पर सरकार अमल नहीं कर सकती तो इस देश में कोई आयोग बैठाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और उनके सुझावों को तत्काल लागू करना चाहिए।❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान जन्मजात शत्रु देश

छठी शताब्दी में पैगम्बर मुहम्मद के अभियान के बाद अगले ४०० वर्षों में इस्लाम के प्रचार प्रसार की एक विश्वव्यापी त्रासदी रही है कि पश्चिमी एशिया के मिस्र, बैबिलोनिया, मैसोपोटामिया, फारस आदि देशों की सभी प्राचीन संस्कृतियां विनष्ट हो गयीं। वहां के सभी निवासी इस्लाम में दीक्षित हो गए। उन्हें अपनी-अपनी पूर्व संस्कृति से कोई लगाव या गौरव भाव नहीं है।

भारत पर भी इस्लामी आक्रमण ने अपनी काली छाया फैलाई। हिन्दू धर्म ने अपनी शक्ति से विरोध किया पर वह पूरी तरह उससे मुक्त नहीं हो सका। जहां अफगानिस्तान जैसे देश पूरी तरह इस्लामी रंग में रंग गए वहां भारत के भी दो भाग भारत से पूरी तरह कट गए। इस प्रकार भारत का उत्तर पश्चिमी और दक्षिणपूर्वी भाग पूरी तरह से भारत के भूभाग से कट गए। इन स्थानों की भारतीय संस्कृति अन्य स्थानों की तरह विनष्ट, लुप्त हो गई। पाकिस्तान का निर्माण २०वीं सदी में भारतीय धर्म, संस्कृति की महान् पराजय की घोषणा है। वेदों की जन्म स्थली पंजाब का पाकिस्तान के नाम से नया स्वरूप भारत की आत्मा में एक मर्मान्तिक आघात है। इतिहास में इस्लामी धर्मान्धता का एक प्राचीनतम संस्कृति की हत्या का, नवीनतम अध्याय है। पाकिस्तान भारत का जन्मजात शत्रु है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्दुओं का नरमेध

उपराष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर १९ फरवरी १९६४ को हुई बहस में बोलते हुए शास्त्री जी ने उपराष्ट्रपति के भाषण में पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं के संहार के बारे में बड़ा चलता उल्लेख करने पर भारी आपत्ति की और कहा कि सरकार इतनी दब्बू और कायर है तथा उसने सेक्युलरिज्म का ऐसा चश्मा पहिन रखा है कि उसे हिन्दुओं पर अत्याचार नजर नहीं आते और मुसलमानों को जरा सा भी कुछ हो जाता है तो सारी सरकार हिल जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उपराष्ट्रपति के भाषण में अत्यधिक अखरने वाली जो भयंकर कमी रह गई है उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस भाषण के बारे में एक संशोधन लाए तथा इस ऐतिहासिक भूल में सुधार करे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जो इतने वर्षों तक हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, भाषण में उनके निधन का उल्लेख न होना और अमरीकी प्रसीडेंड श्री कैनेडी के निधन का उल्लेख होना एक बहुत बड़ी कमी है। सरकार को इस भूल का सुधार करना चाहिए।

दूसरी बात यह कि उपराष्ट्रपति के इस भाषण में मुझे दो कमियां दिखाई दीं। पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में उपराष्ट्रपति ने वहां पर जो हत्याकांड हुआ उसको साम्प्रदायिक दंगा कहा है। दंगे शब्द का अभिप्राय केवल इतना होता है कि मामूली सा झगड़ा, जिस दंगे में कि दोनों पक्ष दोषी होते हैं। लेकिन यह पूर्वी पाकिस्तान में जो हत्याकांड हुआ है, उसको दंगा कह कर उसकी महत्ता को और उसकी गम्भीरता को नष्ट करना है। उसके लिए तो योजनाबद्ध नरसंहार शब्द का प्रयोग होना चाहिए था।

तीसरी उपराष्ट्रपति के भाषण में सबसे बड़ी कमी यह है कि वहां मरने वालों की संख्या के सम्बन्ध में 'कई सौ' शब्द का इस्तेमाल किया है। अब 'कई सौ' शब्द का इस्तेमाल करने का अभिप्राय ज्यादा से ज्यादा ९०० तक संख्या पहुंचना है। हमारे गृह मंत्री नन्दा जी ने अपने वक्तव्य में यह संख्या १००० तक दे दी है जबकि मेरी अपनी निजी जानकारी के आधार पर यह संख्या ३०,००० से कहीं अधिक है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को हिन्दुस्तान में घूमने फिरने और टेप रेकार्ड पर उनके वक्तव्य लेने, फोटो लेने और तरह-तरह से अपने सम्बन्ध में अपने अनुकूल वातावरण तैयार करने का अवसर यहां पर दिया गया। वैसी सुविधा जैसा कि अभी कुछ देर पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमारे हाई कमिश्नर को इस प्रकार की सुविधा पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने नहीं दी। फिर किस आधार पर आपने मृतकों के आंकड़े दिये हैं? नन्दा जी के १००० या उपराष्ट्रपति के कई सौ के इन आंकड़ों के आधार क्या हैं? सरकार आंकड़ों को देने में कंजूसी क्यों दिखलाती है? उसमें उसकी दुर्बलता क्यों है? मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान के क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की विधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं वह अभी हाल में कलकत्ता आये थे। १६ फरवरी १९६४ को बसुमति पत्रिका में उनका वक्तव्य आया है। उनका कहना है कि नरसिंहडीग के अकेले एक थाने में १०,००० मौतें हुईं। इसी तरीके से जयदेवपुर थाने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में लगभग ५००० मौतें हुईं और ढाका, खुलना इन दोनों जिलों में मिला कर लगभग ३०,००० मौतें हुईं। ढाका से नारायणगंज के लिए जो एक छोटी सी नदी जाती है, शीतललक्षा नदी केअन्दर लाशें एक एक फर्लांग के ऊपर सड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। इसके लिए पूर्वी पाकिस्तान ने सरकुलर निकाला कि उस नदी के पानी को उतने समय तककोई प्रयोग न करे। इतनी लाशें उसमें पड़ गयी थीं। क्या हमारी सरकार के कानों में या सरकार की जानकारी में यह बातें नहीं हैं? क्या सरकार इस बात को नहीं जानती कि एक टैक्सटाइल मिल के कार्यकर्ताओं को, जब वह इलाका लाशों की बदबू से भर गया तो तीन रुपये प्रति लाश इस काम के लिये दिये गये कि यह लाशें उठा उठा कर कहीं जा कर फेंक या दबा दें और उस मिल के कार्यकर्ताओं ने ११०० लाशें दबाई। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह कहा कि ढाका में हाई कमिश्नर को आने जाने की सुविधा थी। लेकिन अगर ढाका में हमारे हाई कमिश्नर को आने जाने की सुविधा थी तो अमरीकन नर्स तो यह बयान दे सकती है कि अकेले ढाका के अस्पताल में ६ सौ लाश देखने को मिलीं, हाई कमिश्नर क्यों न देख सके? मैं जानना चाहूंगा कि भारत के हाई कमिश्नर के खुल कर इधर-उधर घूमने से उन्होंने कौन सी जानकारी ली?

मैंने बीच में इन्टरप्ट करते हुए यह भी पूछा था किउनको सिर्फढाका शहर में घूमने की इजाजत थी या ढाका डिस्ट्रिक्ट में भी घूमने की इजाजत थी। ये तमाम बातें हमारे सामने आनी चाहिए थीं। उपराष्ट्रपति जी केभाषण में "कई सौ" शब्दों का इस्तेमाल करके इस समस्या के महत्व और गम्भीरता को बहुत कम कर दिया है।

माननीय मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के भाषण से हमको कुछ विशेष आशाएं थीं। पूर्वी पाकिस्तान में जब प्रारम्भ में एक बार हत्याकांड हुआ था, तो उस समय महात्मा गांधी जीवित थे। महात्मा गांधी ने उस समय कलकत्ता में अपनी प्रार्थना सभा में यह कहा था कि अगर हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान में नहीं रह सकते हैं, तो उनको भारत में लाने की जिम्मेदारी हमारी है और भारत केदूसरे प्रान्तों को उनको अपने यहां बसाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उसके पश्चात् जब पूर्वी पाकिस्तान में दोबारा एक नरसंहार हुआ, तो हमारे सौभाग्य से सरदार पटेल उस समय जीवित थे। सरदार पटेल ने उस अवसर पर यह कहा कि जिन लोगों ने हमारे राजनीतिक आन्दोलन में भाग लिया है, भले ही वह पूर्वी पाकिस्तान में हों, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय नागरिक की है और हम किसी प्रकार भी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। समयाभाव से मैं उनके भाषण के उद्धरण पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता।

लेकिन तीसरे उद्धरण को मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वह महानुभाव सौभाग्य से आज हमारे बीच में हैं और वह हैं हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। १९५० में जब स्वतंत्रता के तीन वर्ष तक पूर्वी पाकिस्तान में इसी प्रकार का रक्तपात हुआ, जिससे सारा हिन्दुस्तान एक बार फिर से हिल उठा, तो प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने २३ फरवरी, १९५० को पार्लियामेंट में एक बयान दिया। उस वक्तव्य केकुछ अंश, जो मेरे भाषण से सम्बन्ध रखते हैं, मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"पूर्वी बंगाल में कई जगह बड़े पैमाने पर बड़ी अफसोसनाक बातें हुई हैं और नारायणगंज, चटगांव, फनी, राजशाही, वीरसाल, मैमनसिंह वगैरह में तो काफी हंगामा हुआ है। आज भी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वहां यह जोर जुल्म जारी है। इसका नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है, यह हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक ढाका शहर में मारे गए लोगों की तादाद ६०० से लेकर १००० से भी ऊपर बताई जाती है। पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों में से सब नहीं तो ज्यादातर लोगों को अपनी हिफाजत की सारी उम्मीदें खो गई नजर आती हैं ....।"

यह १९५० में पंडित जवाहरलाल जी बोल रहे थे कि वहां पर रहने वालों को अपनी हिफाजत की सारी उम्मीदें खो गई नजर आती हैं।

उन्होंने आगे कहा

"और बड़े डर तथा आशंका के साथ वे वहां पर दिन बिता रहे हैं।"

नेहरू जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान के सामने यह सुझाव रखा था कि वह हमारे हाई कमिश्नर को उस इलाके में घूमने और आने जाने का मौका दें, ताकि उस इलाके की स्थिति की जानकारी हो सके, लेकिन पाकिस्तान सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं हुई।

इसके पश्चात् फिर नेहरू जी ने यह भी कहा कि "अगर इसी प्रकार के हालात पाकिस्तान के अन्दर चलते रहे, तो हिन्दुस्तान को मजबूर हो कर कोई दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे।"

इन उद्धरणों को देने का मेरा केवल मात्र अभिप्राय यह था कि जब १९५० में हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री यह कह चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की अपनी हिफाजत की आशाएं समाप्त हो चुकी हैं और सरकार को इस बारे में कोई दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे, तो फिर १९६४ तक क्यों यह गवर्नमेंट कानों में तेल डाल कर सोती रही। क्यों नहीं उसने उन लोगों की रक्षा का प्रबन्ध किया?

इसके बाद मैं इस गवर्नमेंट पर एक सबसे बड़ा चार्ज लगाना चाहता हूं। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में रह गये हिन्दुओं की संख्या सरकारी आंकड़ों के हिसाब से १ करोड़ ६० लाख थी। पूर्वी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना यह है कि १९६१ की जनगणना में ३२ प्रतिशत वृद्धि हुई। इस ३२ प्रतिशत को भी छोड़ कर मैं ३० प्रतिशत का हिसाब लगाता हूं और सोलह साल के बजाय पन्द्रह साल की वृद्धि का हिसाब लगाता हूं।

१ करोड़ ६० लाख की जनसंख्या अगर ३० प्रतिशत के हिसाब से भी बढ़ेगी, तो पन्द्रह सालों में हिन्दुओं की संख्या २.१० लाख से ऊपर पहुंचनी चाहिए। २.१० लाख में से ४६ लाख आदमी वे हैं, जो भारत सरकार के यहां रजिस्टर्ड हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उसके बाद पाकिस्तान छोड़ कर हिन्दुस्तान चले आए। ४६ लाख की संख्या यह निकाल दीजिए। ४६ लाख की यह संख्या निकालने के बाद इस समय पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की संख्या १.६४ लाख होनी चाहिए, जबकि वास्तव में उनकी संख्या अब वहां है ९२ लाख। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो ७२ लाख हिन्दू थे वे कहां गए? सीधी बात तो यह है कि इन ७२ लाख लोगों में से या तो अधिकांश मार दिये गए और या अधिकांश का धर्म परिवर्तन कर लिया गया।

भारत सरकार, हमारे उपराष्ट्रपति जी और हिन्दुस्तान के मिनिस्टर, हमेशा पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों और माइनारिटीज के बारे में बोला करते हैं, किन्तु आज उनकी जुबान में यह शक्ति नहीं रही कि वे कह सकें कि वहां पर हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है। जिन लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी इस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकार के नेताओं ने ली थी, जिसकेगवाह महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि उन लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, आज उनका नाम भी सीधा ले कर वे कुछ नहीं कहना चाहते।

मैं समझ रहा था कि शायद श्री लाल बहादुर शास्त्री आज अपने वक्तव्य में कुछ इस प्रकार की बातें कहेंगे, जोकि पूर्वी पाकिस्तान के उन ९२ लाख हिन्दुओं के कानों तकपहुंच कर उनको कुछ संतोष दे सकेगी, जो ढाका में हमारे हाई कमिश्नर के दफ्तर के सामने वीसा लेने के लिए खड़े हुए और रातदिन सर्दी में ठिठुर रहे चालीस हजार हिन्दुओं को कुछ सांत्वना दे सकेगी। सिवाय इसके कि उन्होंने कुछ अखबारों के उद्धरण पढ़ कर सुना दिये, उनके भाषण में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। जिस भाषा में देश के इतने बड़े जिम्मेदार आदमी को पार्लियामेंट में बोलना चाहिए था, पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में वह उस भाषा का प्रयोग न कर पाए।

पूर्वी पाकिस्तान में हुए इस भयंकर हत्याकांड के पश्चात् कलकत्ता में कुछ थोड़ी सी घटनाएं हुईं और गवर्नमेंट का कहना है कि उनमें से लगभग २८० आदमी मारे गए। उनमें ५९ आदमी वे हैं, जो कि पुलिस की गोली से मारे गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस की गोली से कौन लोग मारे गए होंगे। उनमें भी हमारी संख्या अधिक है। बाकी जो २२१ रह जाते हैं, उनमें भी ३८ आदमी हिन्दू थे, जो कि मारे गए। उसके बाद भी माननीय सदस्य श्री बदरुद्दुजा, पूर्वी पाकिस्तान और कलकत्ता के दंगों को एक तराजू में तोलते हैं। जिस समय वह ऐसा कह रहे थे, तब कुछ अन्य सांसद भी उनका समर्थन कर रहे थे।

कम्युनिस्ट मुस्लिमपरस्त

मैं आपको खुली भाषा में कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का वह ग्रुप, जो आज से कुछ समय पहले चीन का समर्थन करता था, आज चीनपरस्त होने के साथ वह पाकिस्तानपरस्त भी हो गया है। आज हिन्दुस्तान में कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म का एक नया संगठन हुआ है, जिसकी ओर हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट को थोड़ा आंख खोल कर ध्यान देना चाहिए।

मैं यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि जो चीज कलकत्ता में हो कर समाप्त हो गई है, वह फिर भी हो सकती है। श्री भुट्टो और श्री छागला ने सुरक्षा परिषद् से लौटने के बाद अपने अपने वक्तव्य दिये हैं। वे दोनों वक्तव्य पढ़ने लायक हैं। जहां मैं श्री छागला को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे पक्ष को बड़ी समझदारी और बुद्धिमत्ता केसाथ सुरक्षा परिषद् में प्रस्तुत किया, वहां साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री भुट्टो ने यह कहा किएकमहीने के बाद फिर इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद् में उठाया जायेगा। भारत सरकार इस विषय में जरा सजग हो कर काम करे कि इस एक महीने में हिन्दुस्तान में फिर कहीं कलकत्ता जैसे साम्प्रदायिक उपद्रवों को भड़काया न जाये। इन उपद्रवों को दोहराने का कारण कौन बनेंगे? वे साढ़े सात लाख पाकिस्तानी जो असम में हैं, वे पचास हजार पाकिस्तानी, जो त्रिपुरा और मणिपुर और पश्चिमी बंगाल में हैं, जो दिल्ली और बम्बई में हैं। आज जैसी उनकी हरकतें चल रही हैं और जिस ढंग से हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, सरकार क्यों उनकी ओर अपनी आंखें बन्द किये हुए बैठी है? जो दुहरा चश्मा १९४७ से पहले हमारे देश के नेताओं ने अपनी आंखों पर चढ़ा रखा था, उस चश्मे को उन्हें अपनी आंखों से उतार देना चाहिये। अब हिन्दुस्तान के हर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महर्षि पाणिनि-प्रज्ञा-अनुसन्धान भारती पुस्तकालय

एक निवासी को भारतीय की दृष्टि से देखना चाहिये। हमारी गवर्नमेंट यह सोचना बन्द करे कि इस कदम को उठाने से हिन्दू कितने नाराज होंगे और इस कदम को उठाने से मुसलमान कितने नाराज होंगे। सरकार को हिन्दुस्तान के ४४ करोड़ लोगों को एक स्तर पर रख कर सोचने की दृष्टि अपनानी चाहिए।

हजरतबल से मुहम्मद साहब का एक पवित्र बाल चोरी हो गया। पाकिस्तान ने इस पर हंगामा मचाया और नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट हिल उठी और नेहरू जी को दो दो बार वक्तव्य देने पड़े। आज तकउस घटना की चर्चा ने हिन्दुस्तान के कान खड़े कर रखे हैं। लेकिन आप देखिए कि जम्मू के एक मन्दिर से दो पवित्र मूर्तियां चोरी चली गई, लेकिन उनके बारे में किसी के मुंह में जुबान नहीं हिल पाई। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां का सैकुलरिज्म है। कैसे यह सरकार कहती है कि हम इस देश में धर्मनिरपेक्षता चला रहे हैं? क्या इस सरकार का यह नैतिक कर्तव्य नहीं था कि जितनी गम्भीरता के साथ उसने पवित्र बाल की चोरी के बारे में कार्यवाही की थी, उतनी ही गम्भीरता के साथ वह मूर्तियों की चोरी के मामले को भी देखती?

जब थोड़े दिनों के बाद पवित्र बाल को चोरी करने वाले का पता लगा और बाल मिल गया, तो हमारे गृह मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी श्री विश्वनाथन् ने प्रैस कांफ्रेंस में कहा कि बाल तो आ गया है, लेकिन बाल के चोर का पता नहीं लगा है। कुछ दिन पहले इसी लोक सभा में गृहमंत्री श्री नंदा ने कहा था कि हम चोरी करने वाले का नाम अभी नहीं बता सकते। फिर उसके बाद राज्य सभा में उन्होंने कहा कि हां, नामों की घोषणा की जायेगी। फिर उसके बाद वह समय आया कि नामों की घोषणा की गई। उसके चन्द ही घंटे बाद नाम में एक परिवर्तन किया गया और कहा गया कि नहीं, वह नाम सही नहीं था, यह नाम था। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सरकार के दफ्तर हैं या क्या चीज है? जब सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि जो आदमी वहां पर बाल रख कर भाग रहा था, उसको पकड़ लिया गया, तो श्री विश्वनाथन् ने क्यों नहीं प्रैस कांफ्रेंस में बताया कि चोरी करने वाला एक आदमी पकड़ लिया गया है? क्यों इस बात को रहस्य बना कर रखा गया? इन नामों को छिपाने की वजह से पाकिस्तान में जनरल अयूब ने उल्टा वक्तव्य दिया और उसके परिणाम स्वरूप वहां पर उपद्रव हुए। तो क्या यह सरकार उसके लिये जिम्मेदार नहीं।?

मैं अपने उन मित्रों से सहमत नहीं हूं, जो कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया जाय। पहली बात तो यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि आप ही कई बार यह व्यवस्था देते हैं किअगर किसी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्ज चल रही हैं, तो उनके बारे में राजनीतिक या किसी दूसरे प्रकार की चर्चा इस हाउस में नहीं होनी चाहिये। लेकिन जब तक कोर्ट के अन्दर वह केस है, तब तक उस चर्चा को उठाना कहां तक ठीक है। बिना उनसे मिले हुए और बिना उनसे आश्वासन लिये हुए इस प्रकार की बातें कह देना, मैं समझता हूं कि देश के हित के विरुद्ध है।

और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह हिन्दुस्तान के एक जिम्मेदार मिनिस्टर की है। उन्होंने सुरक्षा परिषद् के बारे में कहा कि पाकिस्तान हमलावर है और जब तक हमलावर वहां से हट नहीं जाता है तब तक जनमत का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। यह कैसी उल्टी बात है, इसको आप देखें। जब देश के प्रधान मंत्री तक यह कह चुके हैं कि काश्मीर में प्लेबिसाइट का कोई सवाल अब नहीं है, प्लेबेसाइट हो चुका है, एक बार नहीं तीन बार हो चुका है, एक बार नहीं तीन बार वहां सामान्य चुनाव हो चुके हैं, तो

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और किस प्लेबिसाइट की आशा की जाती है? प्लेबिसाइट और क्या होता है। इस तरह की बात जो कि मिनिस्टर साहब ने सुरक्षा परिषद् के बारे में कही है ठीक नहीं है और यह तो पाकिस्तान को एक नया हथियार दे देना हुआ। मान लीजिये कल हमलावर हट कर चला जाता है, तब क्या आप काश्मीर में प्लेबिसाइट करा लेंगे? जब आप चुनाव करा के देख चुके हैं तो और चुनाव की क्या जरूरत शेष रह जाती है? कश्मीर की समस्या, एक ही है। सुरक्षा परिषद् के सामने केवल एक अंश ही कश्मीर समस्या का रह जाता है, वह यह है कि जितने हिस्से पर पाकिस्तान का अधिकार है, वह आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, हमें दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। केवल यही प्रश्न शेष है। सुरक्षा परिषद् के सामने इसके सिवाय और कोई दूसरा प्रश्न हमारा नहीं है। इसके तीन ही हल हैं। पहला यह है कि सुरक्षा परिषद् हमें इस भाग को दिलाये और दूसरा यह कि पाकिस्तान ही हमें इस भाग को दे दे और अगर इन दोनों में से कोई नहीं होता है, तो तीसरा हल यह होगा कि भारत को ही शक्ति के साथ इस हिस्से को ले लेना पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं रह जाता है।

कश्मीर में निहित स्वार्थ वाले चन्द व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो कश्मीर की सामान्य जनता को शांति के साथ नहीं बैठने देंगे। इस समस्या के समाधान के लिये मेरी सम्मति है कि आपने अभी घोषणा की है कि वहां पर सदर-ए-रियासत नहीं, सामान्य राज्यपाल होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा, उस घोषणा को आप तुरन्त लागू करें। आप उसे इलैक्शन कमिशन के अधिकार क्षेत्र में लाये हैं, आडिटर जनरल को जम्मू कश्मीर में अधिकार देने की बात सोची है, झंडा भी वहां एक ही लगेगा, यह भी आपने सोचा है, उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के मुट्ठी भर लोगों को आप अलग न रखिये, अलग न रखिए, अलग न रखिये। इसका एक ही उपाय है कि जो ये सीमावर्ती राज्य हैं, इनकी रक्षा के लिये और भारत की रक्षा के लिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर इन तीनों को मिला करके एक विशाल प्रान्त बना दीजिए। ❑

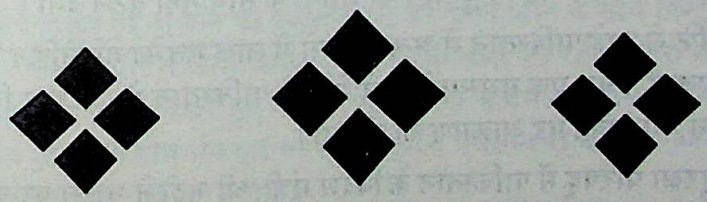

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हम मारने की नहीं मरने की स्थिति में हैं

भारत को खंडित कर पाकिस्तान बनने का दारुण दुःख सदा शास्त्री जी को पीड़ा देता रहा। उन्होंने सदा पाकिस्तान के भारत विरोधी षड्यंत्र को उजागर करते हुए सरकार को अपनी कमर सीधी कर गर्व से पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। पाकिस्तान द्वारा घात लगाकर भारतीय जवानों पर किए गए हमले पर लोकसभा में विचार के समय २७ फरवरी १९६४ को शास्त्री जी ने इस पर रोष प्रकट किया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की ओर से समय समय पर भारतीय सीमाओं पर आक्रमण, लूटपाट और हत्याकांड की जो घटनाएं होती रही हैं, उन सबको देख कर मुझे राजर्षि टंडन जी की वह चेतावनी आज याद आती है, जो उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले, जबकि उसके बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा रहा था, कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में दी थी। वह पाकिस्तान बनने के विरोधी थे और उन्होंने उस समय यह कहा था, "बहुमत से तुम इस काम को कर तो रहे हो, लेकिन मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर तुमको यह कहे देता हूं कि हिन्दुस्तान की छाती पर तुम एक ऐसा कांटा गाड़ रहे हो, जो हमेशा हमेशा हिन्दुस्तान को परेशान करता रहेगा।" पिछले सोलह वर्षों का इतिहास आज राजर्षि टंडन की चेतावनी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

पाकिस्तान के बनने के पश्चात् कभी उसने कश्मीर पर हमला किया, किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान में हत्याकांड होते रहे, भारत में साम्प्रदायिक उपद्रव भड़काने के लिए किस तरह से पाकिस्तानी यहां पर आकर काम करते रहते हैं, आसाम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में किस तरह से भारी मात्रा में पाकिस्तानी आ गए हैं, और किस तरह से भारतीय धरती पर मंगला डैम बन रहा है, यह हमें ज्ञात है। पाकिस्तान बनने के पश्चात् प्रतिवर्ष का इतिहास, प्रति मास का इतिहास, बल्कि यूं कहना चाहिए कि प्रतिदिन का इतिहास राजर्षि टंडन जी की उस चेतावनी का ही प्रमाण है कि वह एक ऐसा कांटा हिन्दुस्तान की छाती पर गड़ गया है, जो सदा उसको परेशान करता रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने वर्तमान रूप में रहेगा, तब तक वह हिन्दुस्तान को शान्ति के साथ नहीं बैठने देगा।

आन्तरिक दृष्टि से चाहे पाकिस्तान में अन्य मामलों में लाख मतभेद हों, लेकिन जिस एक प्रश्न पर सारा पाकिस्तान एक है, जिस एक समस्या के बारे में सारे पाकिस्तान से एक स्वर निकलता है, वह है भारतवर्ष का विरोध, भारतवर्ष पर आक्रमण की घोषणा।

अभी पीछे सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान के विदेश मंत्री, श्री भुट्टो ने भारत पर यह लांछन लगाया था कि भारत की ओर से पाकिस्तान की सीमाओं पर इतनी बार आक्रमण किये गये हैं। मैं अपनी भाषा में इसका उत्तर न दे कर आपके सामने वह उत्तर रखना चाहता हूं, जो कि भारत सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि श्री मुहम्मद करीम छागला ने सुरक्षा परिषद् में दिया। उन्होंने वहां पर बताया कि पिछले पन्द्रह वर्षों में पाकिस्तान ने १५०० बार भारतीय सीमाओं पर आक्रमण किया है। जब भारत सरकार का एक जिम्मेदार प्रतिनिधि यह कहता है तो यह संख्या जहां दुनियां को चेतावनी देने के लिए है, वहां

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय गौरव के लिए भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस देश की सीमाओं पर १५०० बार आक्रमण हो चुके हों, वह देश शान्ति से बैठा रहे और किसी प्रकार के भी विरोध की स्थिति में न आये, यह बात समझ में नहीं आती है।

मेरे मित्र, श्री यशपाल सिंह के भाषण को सुन कर एक माननीय सदस्य को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि यह उनकी पराजित मनोवृत्ति का परिचायक है। मैं कहना चाहता हूं कि जो शब्द श्री यशपाल सिंह ने कहे हैं, वे उनकी पराजित मनोवृत्ति के परिचायक नहीं है, वल्कि उनके द्वारा स्वाभिमान के उद्‌बोधक हैं। केवल उन्हीं की नहीं, बल्कि आज देश भर की यह भावना है कि जब हम आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि हमारे इतने ऊंटों को पाकिस्तानी लूट कर ले गये, हमारे इतने सिपाही मार दिये गये, हमारे अमुक हव ाई जहाज का पता नहीं है, हमारे तेरह मिलिटरी आफिसर्ज की कोई जानकारी नहीं है, हमारे मिलिटरी के २३ आदमी मार दिये गये, तो भारत का जनसाधारण यह सोचता है कि क्या हिन्दुस्तान की सेना और भारत सरकार की शक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि अब हम मरने की स्थिति ही में हैं, मारने की स्थिति में नहीं हैं। मेरे माननीय मित्र का अभिप्राय केवल मात्र यही था और उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको आज वह स्थिति पैदा करनी चाहिए कि हम केवल बचाव की स्थिति में न रहें, बल्कि अब हमको आक्रमण की स्थिति में भी आना चाहिए। हम पर हमले होते रहें और हम अपने आपको बचाने में ही लगे रहें। उस स्थिति में आज हम न रहें, बल्कि भारत को आक्रमण की स्थिति में भी आना चाहिए। तभी हम पराजित मनोवृत्ति के लांछन को दूर कर सकेंगे।

जहां तक हमारे देश में पाकिस्तान की कार्यवाहियों का प्रश्न है, मैं बड़े दुख के साथ इस सरकार की अजीव सजगता का एक ही प्रमाण देना चाहता हूं। अगस्त, १९६२ में मैंने एक प्रश्न पूछा कि इस देश में पासपोर्ट ले कर आये हुए पाकिस्तानियों की संख्या क्या है और जो बिना पासपोर्ट के आये हैं, या जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई है, ऐसे लोगों की संख्या क्या है?

अगस्त, १९६२ के मेरे प्रश्न का उत्तर फरवरी, १९६४ में दिया गया। फरवरी १९६४ में दो साल बाद इसका उत्तर कल मेरे पास आया है। इसमें बताया गया है कि १ जुलाई, १९६२ को इस देश में जो पासपोर्ट ले कर रहने वाले पाकिस्तानी थे, उनकी संख्या १ लाख १८ हजार ७४९ थी और जो बिना पासपोर्ट के रहने वाले पाकिस्तानी थे उनकी संख्या ४६ हजार १३८ थी। इतनी बड़ी संख्या में पौने दो लाख के लगभग जब पाकिस्तानी यहां भारत में हों, जो कि भारत सरकार की जानकारी में हों और सारे भारतवर्ष में वह फैले हुए हों तो कल को परमात्मा न करे पाकिस्तान के साथ हिन्दुस्तान के अगर दो दो हाथ होने लगे तो उस स्थिति में जैसी आज स्थिति बनती चली जा रही है, उस समय ये दो ढाई लाख मुसलमान जो सारे भारत में बिखरे हुए हैं, और सात लाख आदमी जो असम में पाकिस्तान से आ कर बैठ गए हैं, वे ज० अयूब के हाथ मजबूत करेंगे या आपके प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करेंगे? यह प्रश्न आज जनता भारत सरकार से पूछ रही है।

मैं सदन को याद दिलाता हूं और मेरी इस बात की गवाही राजस्थान के माननीय सदस्य देंगे कि पाकिस्तान बनने केबाद राजस्थान की सीमाओं पर एक फोटो बांटा गया था। हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा उठी थी। फोटो क्या था? उसमें एक घोड़ा बना हुआ था जिस पर जिन्ना साहब सवार थे। यह पाकिस्तान बनने के एकदम बाद की बात है। यह फोटो तब राजस्थान की सीमा पर बांटा गया

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

था। उस घोड़े के पिछले दो पैर तो पाकिस्तान में थे, एक पैर जैसलमेर में था और चौथा पैर दिल्ली की ओर उठा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था भारतीय भाइयों, घबराओ मत, तुम्हारी रक्षा के लिए हम बहुत जल्दी दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। यह फोटो उस समय बांटा गया था, वह ही पाकिस्तान की भावनाओं का प्रतीक था। अभी राजस्थान के एकजिम्मेवार सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कहा कि राजस्थान की सीमाओं पर मीलों इस प्रकार का इलाका है कि जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसी हालत में किस प्रकार की स्थिति आगे चल कर वे बना देंगे, कोई कह नहीं सकता है।

१९६१ की जनगणना भी हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तान से लगे हुए राजस्थान के जिले गंगानगर में जहां १९५१ में २०,३०५ मुसलमान थे, वहां वे १९६१ में बढ़ कर ३४,८९१ हो गये। बीकानेर में जहां उनकी संख्या १९५१ में ३९,७८६ थी वहां वह १९६१ में बढ़ कर ५०,२६४ हो गई। जैसलमेर के अन्दर जहां १९५१ में उनकी संख्या २२,१८५ थी, वहां वह १९६१ में बढ़ कर ३७,०४९ हो गई। बाडमेर में वह ५४,५३७ से बढ़ कर ९१,८५० हो गई। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे छिपी हुई भावना क्या है या इरादा क्या है?

गांधी जी को अहिंसा का सबसे बड़ा समर्थक कहा जाता है। एक अंग्रेजी की किताब जो प्रो० ए० एन० बाली की लिखी है, जिसका नाम है "नाऊ इट कैन बी टोल्ड" एकघटना इसमें लिखी हुई है। जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया तो नेहरू जी गांधी जी से पूछने गये कि बापू अब अगर हम अपनी मिलिटरी कश्मीर में भेजें तो आपकी अहिंसा रास्ते में आ कर तो नहीं अटकेगी? गांधी जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने मिलिट्री भेजी है तो तुम भी भेज दो, अहिंसा बीच में कहां आती है। जवाहरलाल जी जब स्वीकृति ले कर चलने लगे तो प्रो० ए० एन० बाली ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दरवाजे के पास आने के बाद गांधी जी ने उनको बुलाया और बुला कर कहा कि अगर मिलिट्री भेजनी है तो मेरी अपनी राय यह है कि कश्मीर की पहाड़ियों में उसको भेज कर क्यों मरवाते हो, अगर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है तो हिन्दुस्तान की मिलिट्री लाहौर और सियालकोट के रास्ते से कराची जानी चाहिये। यह प्रो० ए०एन० बाली ने गांधी जी की बात लिखी है। उनकी अहिंसा यहां तक जा कर आगे बढ़ती थी। लेकिन आज देश को आपने इतना ठंडा कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि जिसका यह परिणाम है। समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया गया है? आज अपने संरक्षण मंत्री श्री यशवन्तराव चह्वाण से भी मैं कहना चाहता हूं कि वह सरदार पटेल की सुदृढ़ भाषा में पाकिस्तान को स्पष्ट कहें कि पूर्वी पाकिस्तान से जो हिन्दू भारत आयेंगे उनको भारत बसायेगा तो सही लेकिन जितने हिस्से में इनको बसाया जाना है, उतनी जमीन पाकिस्तान हिन्दुस्तान को देगा। यही न्यायपूर्ण मांग दुनियां के सामने हमारी होनी चाहिये। इस भाषा में जब हम बोलेंगे, जब इस भाषा में हम सोचेंगे, तब हम देश के गौरव की रक्षा कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का पलायन

शास्त्री जी की देशभक्ति प्रखर थी। लोक सभा में उन्होंने कोई ऐसा अवसर जाने नहीं दिया जिसमें उन्होंने देश के गौरव की रक्षा करने की बात न की हो। गृहमंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बहस में १५ अप्रैल १९६४ में उन्होंने देश की संस्कृति को नष्ट करने वाले ईसाईकरण, असम की जातीय स्वरूप बदलने वाली, पाक घुसपैठ, कश्मीर और शेख अब्दुल्ला की गिरगिटी चाल पर भी प्रश्न उठा कर सरकार को सावधान रहने की चेतावनी दी।

अध्यक्ष महोदय, देश के स्वतंत्र होने के बाद जब अंग्रेज भारत से चले गये तो इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाने लगा कि अंग्रेजियत को कैसे धीरे-धीरे भारत से विदा किया जाए। अंग्रेज जहां अपने साथ और बुराइयां भारत में लाये थे, वहां उन्होंने हमारे देश के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर भी आक्रमण किया और करोड़ों अरबों रुपया देश में इस बात का प्रचार करने के लिए व्यय किया कि किसी तरह से इस देश की पुरानी पवित्र परम्पराओं और इस देश की संस्कृति को समाप्त किया जाए। स्वतंत्र होने के बाद भी वह बुराई जब बराबर चलती रही तो मध्य प्रदेश की सरकार ने नियोगी कमीशन की नियुक्ति की इस बात को देखने के लिए कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों में तथा पवर्तीय क्षेत्रों में विदेशी ईसाई प्रचारक किस तरह से करोड़ों रुपया व्यय करके वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार की एक समिति मध्य भारत में वहां की तत्कालीन सरकार ने रेगे साहब की अध्यक्षता में नियुक्त की थी। इन दोनों समितियों ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, उनको कहां तक व्यावहारिक रूप दिया जा सका है यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन दोनों ने यह स्पष्ट लिखा है कि इस देश में करोड़ों और अरबों रुपये व्यय करके स्वतंत्र होने के पश्चात् भी अभी तक विदेशी ईसाई पादरी भारतीयों का भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कल नागालैंड का निर्माण भी इसी पृष्ठभूमि में हुआ। इसी कारण से केरल के राजनीतिक वातावरण में उथल-पुथल पीछे देखने में आई थी। अभी पादरी स्काट और लन्दन में बैठे हुए मि० फिजो आदि व्यक्ति भी इसी प्रकार की कारवाइयां करते रहते हैं, जो भारतवर्ष के लिए चेतावनी देने को पर्याप्त हैं।

कुछ दिन पहले सदन में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि इस समय भारत में कितने विदेशी ईसाई पादरी हैं और विदेशी ईसाई पादरियों के द्वारा चलाये जाने वाले संगठन कितने हैं और उनमें कितने विदेशी लोग काम करते हैं ? गृहमंत्री ने उत्तर देते हुए बताया था कि नौ हजार के करीब लोग ईसाई पादरियों के रूप में, डाक्टरों के रूप में, नर्सिस और दूसरे तीसरे रूपों में काम करते हैं। ये नौ हजार आदमी जो काम करते हैं उसके अतिरिक्त जो करोड़ों/अरबों रुपया आज भी स्वतंत्रता के सोलह वर्ष पश्चात् धर्म परिवर्तन पर व्यय होता है, वह भी तो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी होना चाहिये।

बाहर का अरबों करोड़ों रुपया आकर जहां देश के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है वहां देश के सामाजिक और देश के राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी ओर से अनुचित हस्तक्षेप किया जा रहा है। जो इस देश के रहने वाले बहुसंख्यक लोग हैं, जिनको हिन्दू कहा जाता है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शताब्दियों से और सहस्राब्दियों से उन्होंने कभी किसी का बलात् धर्म परिवर्तन नहीं किया है और न कभी किसी देश पर उसका धर्म छीनने की दृष्टि से आक्रमण ही किया है। लेकिन इतना होने के बाद भी स्वतंत्रता के सोलह वर्ष बाद उन रुपयों से प्रभावित कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो भारत में और भारत से बाहर भी इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे विदेशों में भारत की वर्तमान सरकार और इस देश के बहुसंख्यक लोगों को बदनाम किया जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी पादरी जिनके खिलाफ हिन्दुस्तानी पादरियों ने भी आपको ज्ञापन दिये हैं और यह कहा है कि इनका भारतवर्ष में आना बन्द किया जाए और उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए, क्या वैसा करने का समय नहीं आ गया है? इसके साथ जो विदेशी अभी भी आ रहे हैं, उन पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिये।

न केवल विदेशी पादरियों और उनको मिलने वाले विदेशी धन पर प्रतिबन्ध लगे, लेकिन जो उस रुपये से प्रभावित मस्तिष्क भारत में काम कर रहे हैं, खास तौर पर एंग्लो इंडियन लोग जो उस रुपये से भारत में विषवमन कर रहे हैं, उन पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिये। कल जो घटना यहां देखने को मिली, उसको देखते हुये मैं यह भी चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति जी को इस सदन की ओर से यह सिफारिश भेजें कि इस लोकसभा में जो भी सदस्य आयें, वे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आयें, राष्ट्रपति जी द्वारा नाम निर्देशित या इसी प्रकार के दूसरे व्यक्तियों को प्रतिनिधि बन कर नहीं भेजना चाहिये, जिनके द्वारा इस प्रकार के भाषण हों जिनका उद्देश्य देश की समस्याओं का समाधान करना न हो बल्कि दूसरे देशों में इस देश की सरकार को और इस देश के निवासियों को बदनाम करना मात्र हो। मेरी निजी जानकारी में यह बात है कि कल एक विषैला भाषण सायंकाल जब यहां पर हुआ, रात्रि में बी०बी०सी० से और पाक रेडियो से वह ब्राडकास्ट किया गया। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाषणकर्ता का उद्देश्य क्या था और किस दृष्टि से इस प्रकार के भाषण यहां दिये जाते हैं।

असम के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। अभी हमारे गृहमंत्री असम गये थे। उन्होंने वहां की स्थिति को अपनी आंखों से देखा है। न केवल असम की वरन् हमारे देश के दूसरे राज्यों में भी लगभग स्थिति इसी प्रकार से बिगड़ रही है। लेकिन फिर भी मैं नन्दा जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस समय वह असम गये थे तो क्या उनको इस प्रकार के ज्ञापन असम के कुछ राजनीतिक दलों की ओर से दिये गये थे कि इस समय जो असम में गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें मंत्रिमंडलीय स्तर के कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो अवैध रूप से आने वाले पाकिस्तानियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनके कारण लाखों की संख्या में ऐसे पाकिस्तानी भारत आ गए हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है? क्या उनको इस प्रकार के ज्ञापन भी असम के उनके दौरे में दिये गये हैं कि असम गवर्नमेंट के मुख्य पदों पर इस प्रकार के व्यक्ति बैठे हैं, जैसे आई. जी. पुलिस, डायरेक्टर सिविल डिफेंस हैं, चीफ सैक्रेटरी आदि जिनकी वजह से पिछले पन्द्रह वर्षों में लाखों की संख्या में पाकिस्तानी असम में आकर बस गए हैं? नन्दा जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए। लेकिन जल्दी निकालने की स्थिति कैसे आ सकती है? पहली बात तो यह है कि जो लोग मंत्रिमंडल में बैठे हैं, वे और उनके ही साथियों ने कुछ समय पहले कहा था कि अवैध रूप से आए हुए पाकिस्तानियों की संख्या केवल बारह हजार है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जब वह गृहमंत्री थे, तब उन्होंने साहस करके कहा था कि उनकी संख्या दो ढाई और तीन लाख के बीच है। अब १९६१ की जनगणना के हिसाब से पता लगा है कि यह संख्या २ लाख २० हजार है। अपनी जानकारी के आधार पर आज भी मैं बलपूर्वक कह सकता हूं कि यह संख्या सात लाख

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से कहीं अधिक है। अब किस गति से इनको निकाला जा रहा है, यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं। असम के मुख्यमंत्री चालिहा साहब ने १० जून, १९६३ को कहा था कि १ जनवरी १९६२ से ३० अप्रैल १९६३ तक ७०३८ पाकिस्तानी अवैध रूप से भारत आए और उनमें से ११४४ को वापिस किया गया और १५०० को नोटिस दिये गये। ये सोलह मास के आंकड़े मैंने आपको दिये हैं। चालिहा साहब को सोलह मास जब इतने लोगों को वापिस भेजने में लगे तो २ लाख २० हजार जो लोग आए हुए हैं, जनगणना के आंकड़े के हिसाब से तो मेरा अनुमान है कि उनको हटाने में कम से कम ४२ साल लगेंगे। और फिर ४२ साल में यह संख्या बढ़ कर भी दुगुनी हो जायेगी। आज जो स्थिति कश्मीर की बन रही है जैसे वह गले की हड्डी बन कर अटक गयी है, कहीं उसी तरह से फिर असम दूसरा कश्मीर न हो जाये और मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग फिर शेख अब्दुल्ला का पार्ट अदा न करें। श्री नन्दा को चाहिये कि इस बढ़े हुए रोग को समय रहते वह समाप्त करें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के सम्बन्ध में। वैसे तो स्थिति यह है कि न केवल पूर्वी पाकिस्तान से बल्कि भारत सरकार की दुर्बल नीति के कारण बर्मा से जो भारतीय उजड़ कर आ रहे हैं, श्रीलंका से उजड़ कर आ रहे हैं, अफ्रीका से उजड़ कर आ रहे हैं, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का घाव इतना ताजा है कि उसका टपकता खून हमारी रानों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसीलिये मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं। पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लाखों लोगों को बसाने की समस्या का स्थायी समाधान यदि करना है तो उसका एकही प्रकार है कि बिना यह सोचे हुए कि दुनियां हमको क्या कहेगी, हम अपने देश की स्थिति को स्वयं संभालें। हमें पूर्वी पाकिस्तान सरकार से कहना चाहिये कि जितने लोग पहले लाखों की संख्या में उजड़ कर वहां से आ गये और जो अब उजड़ कर आ रहे हैं, उनको जितने हिस्से में बसाया जायेगा उतनी जमीन भारत को पाकिस्तान से मिलनी चाहिये। यही इस समस्या का उचित समाधान है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जितने हिन्दू वहां से यहां आयें उनके बदले में उतने पाकिस्तानी मुसलमान हिन्दुस्तान से पाकिस्तान भेजे जायें। आप मुझसे पूछेंगे कि जो यहां शान्ति से आकर बैठे हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है कि उनको वहां भेजा जाये। मैं इसके उत्तर में पूछना चाहूंगा कि जो लोग वहां बैठे थे उन्होंने क्या गुनाह किया था कि इस तरह से उनको उजाड़ा गया और उनकी हत्या की गई।

इस पर कम्युनिस्ट सदस्य श्री बदरुद्दजा ने आपत्ति करते हुए कहा कि यह भारतीय मुसलमानों को देश से निकालने का आह्वान है।

इसका करारा जवाब देते हुए शास्त्री जी ने कहा : मेरा यह बड़ा स्पष्ट सुझाव था। मुझे बड़ी खुशी होती यदि श्री बदरुद्दजा कल अपने भाषण में इस प्रकार की चर्चा करते कि पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ जो व्यवहार हुआ है वह नहीं होना चाहिये था और उसी प्रकार का व्यवहार जो यहां भी कुछ मुसलमानों ने कलकत्ता शहर में किया है वे उसको बुरा कहते .....

(श्री बदरुद्दजा। मुसलमानों ने नहीं किया है)।

शास्त्री जी ने इस हस्तक्षेप के उत्तर में कहा : पाकिस्तान के जो हाई कमिनर दिल्ली में रहते हैं और हिन्दुस्तान में इतने मुसलमान रहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वहां जा कर कभी कोई प्रदर्शन किया। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि उन्हें परामर्श दिया गया कि किसी प्रकार से ये लोग

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामूहिक रूप से इस प्रकार का विरोध करें। जो लोग आज दूसरों के साथ मिल कर कुछ ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करते हैं उन्होंने अभी तक दृढ़ता के साथ उस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज लाखों की संख्या में अवैध रूप से यहां आ कर लोग बस गए हैं पश्चिमी बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, जब हम उनको निकालने की बात कहते हैं तो उन्हें क्यों दर्द होता है। जो लोग वहां से आये हैं और आकर जिन्होंने हमारे घर पर अधिकार कर लिया है, जब हम उनको निकालने की बात करते हैं जिससे कि हमारे उजड़े हुए भाइयों की समस्या का समाधान हो सके, तो उसमें उनको तकलीफ क्यों होती है। जिसकी वजह से हमारे देश का भविष्य धीरे धीरे अंधकारमय होता चला जा रहा है।

अगली बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह कश्मीर के सम्बन्ध में है। शेख अब्दुल्ला की रिहाई की जिस समय घोषणा हुई थी और इस सदन में उसकी चर्चा हुई थी, उस समय मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या शेख अब्दुल्ला को जो रिहा किया जा रहा है वह भारत सरकार के और अपने प्रधानमंत्री के असन्तुलित मस्तिष्क का परिचायक है ? दूसरी बात मैंने पूछी थी कि क्या कोई बाहर का दबाव पड़ रहा है जिसके कारण शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जा रहा है? उस समय अविभागीय मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि बाहर से हमारे ऊपर कोई प्रेशर या दबाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन श्री छागला ने अभी तीन दिन पहले पटना में एक वक्तव्य में यह कहा कि अमरीका की ओर से हम पर कुछ दबाव पड़ा था कि अगर शेख अब्दुल्ला को इस तरह से रिहा नहीं किया जायगा तो हमारी समस्या और बिगड़ेगी। परन्तु इससे भी आगे एक और बात पूछना चाहता हूं। श्री छागला ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, अमरीका का दबाव हमारे ऊपर पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन मैं तो यहां पर भारत सरकार के दिमाग के उतार चढ़ाव की चर्चा करना चाहता हूं। जब आप जानते थे कि पार्लियामेंट चल रही है, जब आप जानते थे कि उस समय कश्मीर की विधान सभा चल रही थी, तो क्या दिक्कत आपको थी कि जिस आदमी को प्रयत्नपूर्वक आपने कश्मीर का प्रधानमंत्री बनवाया था, शेख को छोड़ने के पहले उस कश्मीर असेम्बली में एक प्रस्ताव ला कर यह कहलवाते कि संविधान की धारा ३७० हटा दी जाय पार्लियामेंट चल ही रही थी, संकटकालीन स्थिति का लाभ उठा कर धारा ३७० को हटाया जा सकता था। और धारा ३७० को हटाने के बाद और सदरे रियासत के हाथ में वहां का शासन देने के बाद अगर शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाता, लेकिन उसके बाद वह इससे भी ज्यादा जहरीले वक्तव्य देते तो मैं कहता कि उससे देश को और कश्मीर की घाटी को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता था।

यह हिन्दुस्तान की सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है जिस ढंग से मुकदमे में बिना निर्णय पर पहुंचे हुए सरकार ने गरीब जनता का साढ़े तीन करोड़ रुपया बरबाद किया, देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि अगर गरीब जनता के बच्चों के मुंह से टुकड़ा छीन कर उस साढ़े तीन करोड़ रुपये से दस साल तक खिलवाड़ करना था तो उसका क्या परिणाम हुआ यह तो बता देते? दुनियां कल आपको क्या कहेगी कि इस मुकदमे में निर्णय के विना आपने उसे छोड़ दिया? निर्णय होने के बाद शेख को छोड़ते तो और बात होती। लेकिन फिर भी नन्दा जी से पूछना चाहता हूं देश के ४४ करोड़ जनता पूछना चाहती है कि शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिये मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? किस पर यह जिम्मेदारी है, हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर है, हिन्दुस्तान के होम मिनिस्टिर पर है या श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पर है। आज इस बात को स्पष्ट किया जाय।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान सरकार क्या कुछ गलतफहमी की शिकार हुई? शेख अब्दुल्ला को छोड़ने से पहले क्या कश्मीर के वर्तमान अधिकारियों ने आपको कोई गलत आश्वासन दिये थे और यह कहा था कि शेख अब्दुल्ला छूट जाने के बाद हिन्दू मुस्लिम इत्तहाद के लिये काम करेंगे। शेख अब्दुल्ला छूट जायेंगे तो जमशेदपुर और राउरकेला में जाकर भाषण देंगे। शेख अब्दुल्ला छूट जायेंगे तो धारा ३७० को हटवाने को कहेंगे, और इस भ्रम में आ कर आप राय दे बैठे कि शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया जाये। अगर यह बात नहीं थी तो बतलाइये कि किस तरह से यह काम हुआ ?

मैं एक बात और जानना चाहता हूं। जब गांधी जी को भी, जो कि देश के इतने बड़े नेता थे, अंग्रेज सरकार छोड़ती थी तो सुबह चार बजे किसी छोटे से स्टेशन पर ले जा कर छोड़ती थी। आपने शेख अब्दुल्ला को छोड़ते समय इतनी भारी पब्लिसिटी क्यों दी? क्यों दिल्ली से दावतनामे भेजे गये। क्या आपने उसको निरपराध मान लिया जिसके कारण इतनी पब्लिसिटी की जरूरत थी और बड़े से बड़े अधिकारी को हवाई जहाज में बिठा कर दावतनामा ले कर भेजा गया कि जब शेख अब्दुल्ला जेल से छूट कर आयें तब वह प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में पहली दावत खायें। देश की इज्जत के साथ इससे ज्यादा कोई और खिलवाड़ नहीं हो सकता। अभी तो वह साधारण जहर उगल रहे हैं। मैं श्री नन्दा से चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं किअसली विषवमन तो २३ अप्रैल को श्रीनगर ईद की नमाज के बाद वह जो भाषण देंगे उसमें होगा। उसको श्री नन्दा सुनें। स्थिति धीरे-धीरे ऐसी बनती चली जा रही है कि आपके हाथ से तीर निकल रहा है।

कश्मीर के सम्बन्ध में केवल तीन विकल्प हैं या तो वह भारत के साथ रहे, जैसा कि हम निर्णय कर चुके हैं और जिसे संविधान की स्वीकृति है। दूसरा वहां पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगें या कश्मीर स्वतंत्रत रहे। शेख अब्दुल्ला ने अब तक जो वक्तव्य दिये हैं उनमें यह नहीं कहा गया कि कश्मीर घाटी का भारत के साथ विलय अन्तिम हो चुका है और धारा ३७० हटा दी जाये। वे पाकिस्तान के पक्ष में भी कुछ नहीं बोले थे। पर क्या परसों उन्होंने आपके किसी प्रेशर में आ कर ऐसा कह दिया कि वे कब कहते हैं कश्मीर को स्वतंत्र रखा जाये। पर आज फिर उन्होंने अपने वक्तव्य को बदला है। अब दिन रात शेख साहब के दिमाग में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और इस प्रकार से वे अपने वक्तव्यों को बदल रहे हैं। आप निश्चय मानिये कि कल कश्मीर घाटी में पहुंचने के बाद वे कुछ और बात कहने लग जायेंगे। यदि उनकी इच्छानुसार कोई निर्णय लिया गया और कश्मीर घाटी को स्वतंत्र कर दिया गया तो याद रखिये कि हजारों जवान जो सन् १९४७ में कश्मीर घाटी की रक्षा के लिये बलिदान हुए थे, जिनकी विधवाओं के आंसू पन्द्रह साल के बाद आज भी नहीं सूखे हैं वे आपसे पूछेंगे, बिगेडियर उस्मान के अनाथ बच्चे जब आपसे जबाव मांगेंगे, कैसे आप उनको सन्तुष्ट करेंगे? काश्मीर घाटी जाने के बाद क्या आप फिर लद्दाख को बचा सकेंगे ? अगर लद्दाख निकल जायेगा तो आप मेजर शैतानसिंह की पत्नी को क्या जबाव देंगे, जिसको बुलवा कर कल आपने परम वीर चक्र प्रदान किया था ? और क्या जबाव आप देंगे डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी की आत्मा को, जिसने कश्मीर को हिन्दुस्तान में मिलाने के लिये अपने जीवन का बलिदान दिया था। साथ ही सबसे बड़ी बात मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या जबाव आप देंगे उस रूस को जिसके वीटो के अधिकार का इस्तेमाल कर के आपने सुरक्षा परिषद् में कई बार अपनी इज्जत बचाई थी। शेख अब्दुल्ला को छोड़ कर आपने जो देश के साथ गलती की है उसका क्या प्रायश्चित करेंगे।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि जवाहरलाल के साथ मेरा बड़ा प्यार है, जवाहरलाल से मेरी मुहब्बत है, लेकिन जवाहरलाल की मुहब्बत में मैं कश्मीर घाटी को, कश्मीर के लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता। वही बात हम भी कहना चाहते हैं कि जवाहरलाल जी हमारे भी प्यारे हैं, लेकिन क्योंकि जवाहरलाल जी तथा शेख साहब में मित्रता है, हम उनकी दोस्ती के लिए हिन्दुस्तान और कश्मीर को कुर्बान नहीं कर सकते। जवाहरलाल जी के प्रति हमारा सम्मान है लेकिन देश के प्रति हमारा सम्मान जवाहरलाल जी के सम्मान से बड़ा है। इस स्थिति को हम अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरदार पटेल का नाम ७५० रियासतों को मिला कर देश को एक बनाने के लिए अमर हो गया, उसी तरह से अगर यह गलती हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इतिहास में अनेकता की सृष्टि करने वालों में लिखा जायेगा। और इसे आप इतिहास से हटा नहीं सकेंगे।

मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि आप मेरी इस बात को प्रधान मंत्री जी तक पहुंचा दें। अच्छा होता यदि वह यहां होते और मैं उनसे ही यह बात कह सकता। जब से प्रधानमंत्री जी बीमार हुए हैं तब से मंत्रिमंडल की निर्णायक शक्ति लगभग समाप्त सी हो गयी है। आज इतने बड़े देश के ४४ करोड़ लोगों की किस्मत जिस सरकार के हाथ में है, उसकी कुर्सियों पर बैठ कर जो निर्णय लिये जाते हैं, वे इसी तरीके केहोते हैं जैसे कि शेख अब्दुल्ला को छोड़ने का आदेश धीरे से भेज दिया गया। अब भी यहां पर कुछ ऐसे वक्तव्य हो रहे हैं जिनके द्वारा शेख अब्दुल्ला के समर्थन में वातावरण तैयार किया जा रहा है। श्री एंथनी जैसे सदस्य यहां भाषण दे कर पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री भुट्टो और शेख अब्दुल्ला के लिए एक नये वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। क्या उनको यह कमजोर हिन्दुस्तान की सरकार रोक सकेगी? मैं चाहता हूं कि आप प्रधान मंत्री जी को हमारी ओर से बड़ी नम्रता से यह बात कहें कि उनमें हमारी श्रद्धा है, देश की जो उन्होंने सेवा की है उनके आगे हमारा मस्तक नत है, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री अस्वस्थ हुए हैं यह उनको प्रकृति की चेतावनी है और प्रकृति की इस चेतावनी को प्रधानमंत्री को बहुत दूर तक जा कर सोचना चाहिए। आज कुछ चापलूस उनकेचारों ओर एकत्र हो गये हैं। कुछ राजनीतिक नेता, एक विशेष राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिकअखबार उनके कान में बराबर यह कहते रहते हैं कि आपके बिना देश नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि देश गांधी जी के बाद चलता रहा, सरदार पटेल के बाद चलता रहा तो नेहरू जी के बाद क्यों नहीं चलेगा? प्रधानमंत्री जी अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति उत्तराधिकारी बना कर जायें कि जिसको देख कर वह खुश हों और देखें कि मेरे हटने के बाद देश का काम और अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है।

इस समय देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सरकार के पास तो नेता है लेकिन जनता के पास नेता नहीं है। गांधी जी के बाद जनता का नेता समाप्त हो गया। मैं चाहता हूं कि आप प्रधान मंत्री जी को यह राय दें कि वह सरकारी नेता बने रहने के बजाय अब अन्तिम समय में जनता के नेता बनें और प्रधानमंत्री का स्थान किसी उपयुक्त व्यक्ति के लिए छोड़ दें। यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और देश के लिए भी ठीक रहेगा। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तानी युद्धोन्माद का जवाब दिया जाय

कच्छ की सीमा पर तथा कच्छ के ही कुछ क्षेत्र पर पाकिस्तानी अतिक्रमण से गम्भीर तनाव पैदा हो गया था। दोनों देशों में कभी भी युद्ध छिड़ जाने की स्थिति पैदा हो गई थी। २८ अप्रैल १९६५ को लोकसभा में इस स्थिति पर विचार के समय शास्त्री जी ने दो टूक शब्दों में भारत सरकार और उसके रक्षा मंत्री को अन्तिम युद्ध केलिए सन्नद्ध होने का परामर्श दिया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान का शासन इस समय एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, जो सिवाय युद्ध के कोई दूसरी भाषा नहीं जानता है। भारत सरकार को पाकिस्तान के सम्बन्ध में कुछ भी निर्णय लेने से पहले इस बात पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो भूलें वह अब तक करती चली आई है, कच्छ की इस घटना के बाद उन भूलों की पुनरावृत्ति न हो।

भारत सरकार ने सबसे पहली भूल उस समय की, जब पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं का तीन बार महाविनाश हुआ और भारत सरकार मुंह पर पट्टी बांध कर बैठी रही। पाकिस्तान के सम्बन्ध में दूसरी भूल भारत सरकार ने तब की; जब कश्मीर की लड़ाई को बीच में रोका गया। भारत सरकार की तीसरी सबसे बड़ी भूल यह है कि हमारी २५१९ मील लम्बी सीमा में से अभी तक केवल १९५ मील का सीमांकन हो पाया है और बाकी की हमारी सीमा अंकन से रहित है।

इसी प्रकार असम, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में जो लाखों पाकिस्तानी आकर बस गए हैं और भारत सरकार उनके निष्कासन के सम्बन्ध में मानवीय दृष्टि के नाम पर दया दिखा रही है, यह भारत सरकार की चौथी और उनसे भी बड़ी भूल है। सरकार की इस गलत नीति के परिणामस्वरूप हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों में कितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आ कर बस गये हैं, उस सम्बन्ध में मैं राजस्थान, पंजाब और दूसरे क्षेत्रों को छोड़ कर केवल कच्छ से सम्बन्धित ही कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। १९५१ से १९६१ तक कच्छ में कुल मिला कर आबादी बढ़ने का अनुपात १८ प्रतिशत है, जबकि मुसलमानों की आबादी वहां पर २६ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। इसी से पाकिस्तान के इरादों का पता लगाया जा सकता है कि वह कब से हमारे इस क्षेत्र में आक्रामक कार्यवाहियां करने की तैयारी कर रहा है।

कच्छ के भूतपूर्व महाराज श्री हिम्मतसिंह जी ने कल यह कहा था कि इस बारे में १९६० में भारत सरकार को सावधान किया गया, लेकिन भारत सरकार की असावधानी का यह परिणाम रहा कि जिस समय जनवरी १९६५ में हमारी सेनाएं वहां पर गई और उन्होंने कंजरकोट के ध्वंसावशेषों में पाकिस्तानी सिपाहियों को घूमते हुए देखा, तो उन्होंने एक हल्के मुकाबले से उनको पीछे हटा दिया, लेकिन पाकिस्तानी सेनाओं का अतिक्रमण किसी प्रकार बन्द नहीं हुआ। जब मार्च में दोबारा हमारे राजकोट रेंजर्ज के लोग वहां पर गए और सिंध रैंजर्ज़ के साथ उनके दो दो हाथ हुए, तो उस समय हमको यह पता लगा कि पाकिस्तान कंजरकोट के पास से अपनी एक सड़क भी बना चुका है, जो सुराही से डीग तक जाती है, जिसके केवल दसवें हिस्से को छोड़ कर सारी की सारी सड़क भारतीय भाग में से ही होकर निकलती है। यह भूल बिल्कुल उसी प्रकार की है कि लद्दाख में चीन अपनी सड़क बनाता रहा और भारत

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकार उसके सम्बन्ध में सोती रही। मुझे भय है कि कहीं इस प्रकार की भूल भारत सरकार जैसलमेर के रेगिस्तान में पाकिस्तान की ओर से बनाई जा रही सड़क के सम्बन्ध में भी न कर रही हो।

आज कच्छ में जो युद्ध की स्थिति है, उसमें पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से लाभ की स्थिति में इसलिए है कि कच्छ सीमा से केवल दस मील दूर उनका रहीम का बाजार रेलवे स्टेशन आ जाता है, जबकि भारत का रेलवे स्टेशन कच्छ की सीमा से साठ मील दूर जा कर पड़ता है। इसी प्रकार पाकिस्तान का बादिन हवाई अड्डा वहां से केवल तीस किलोमीटर यानी २२ मील के लगभग पड़ता है, जबकि हमारा छोटा हवाई अड्डा भुज में और बड़ा हवाई अड्डा जामनगर में है। इसके अतिरिक्त भारतीय सीमा में हमारी ओर लम्बा रेगिस्तान है, जबकि उस ओर पाकिस्तान ने अपनी बस्तियां बना रखी हैं।

लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी भारतीय सेनाओं ने जिस शौर्य का परिचय दिया है और जब से यह सीमा उनके हाथ में सौंपी गई है, तबसे उन्होंने उसकी रक्षा के लिए जिस वीरता का परिचय दिया है, उसके लिए भारतवासी भारतीय सेनाओं और भारतीय सिपाहियों के ऋणी हैं।

मैं आपका ध्यान पाकिस्तानी प्रचार के ढंग की ओर भी दिलाना चाहता हूं। सऊदी अरबिया और इंडोनेशिया के मुस्लिम सम्मेलनों में पाकिस्तान ने यह प्रचार किया कि भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है और इसलिये उसकी मुक्ति के लिए फिर भारत का विभाजन किया जाय। पाकिस्तान ने इस प्रकार विदेशों में प्रचार करके भारतीय मुसलमानों को उभारना चाहा। मेरा अनुमान है कि कच्छ की इन घटनाओं के पीछे जहां और कई कारण होंगे, वहां एक बड़ा कारण यह भी है कि अल्जीरिया कांफ्रेंस से पहले पाकिस्तान इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहता है, जिसका प्रभाव अल्जीरिया कांफ्रेंस की चर्चाओं पर पड़े और इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री शास्त्री की मास्को यात्रा पर भी इन बातों का प्रभाव पड़े। इससे भी बढ़ कर पाकिस्तान की पानइस्लामिक ब्लाक की जो योजना है, वह भी इन घटनाओं के पीछे है। आज पाकिस्तान के मुसोलिनी जनरल अयूब, की जो तानाशाही मनोवृत्ति है और जिस ढंग से वे अपने कदम उठा रहे हैं उस पर भी हमें विशेष रूप से अपनी दृष्टि रखनी चाहिए।

मैं विदेश मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों से यह भी कहना चाहता हूं कि इतना सब कुछ हो जाने केबाद, भी देश में इस संकट काल में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जिनको वे सामान्य समझ कर न छोड़ें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति के ऊपर आक्रमण केवल प्रवेश को ले कर नहीं हुआ। टीकाराम गर्ल्ज डिग्री कालेज की लड़कियों पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लड़कों द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया जिसकी कल उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी चर्चा हुई है, वह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि देश के वातावरण को अन्दर से भड़काने और उत्तेजित करने का षड्यंत्र है।

अंग्रेजी पत्रों का देश विरोध

इसी सम्बन्ध में मैं भारत की राजधानी दिल्ली से निकलने वाले कुछ अंग्रेजी पत्रों की नीतियों के बारे में विशेष रूप से कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इस बात को कहते हुए दुःख है कि पहले शेख अब्दुल्ला के सम्बन्ध में भी राजधानी से निकलने वाले कुछ अंग्रेजी पत्रों का रुख भी भारत विरोधी रहा है। लेकिन आज भी दिल्ली से कुछ इस प्रकार के पत्र निकल रहे हैं, जिनमें प्रकाशित होने वाले समाचारों, सम्पादकीय लेखों और चित्रों से भारत और भारत सरकार की नीति को बल नहीं मिलता है। उदाहरण के रूप में मैं दो चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जब नेपाल यात्रा से लौट कर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पालम एयरोड्रोम पर आए, तो उस समय रक्षा मंत्री और गृहमंत्री से मिलते हुए उनका एक चित्र समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। आप जानते हैं कि फोटे लेने वाला फोटो लेते समय आठ दस फोटो लेता ही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यही फोटो छापने के लिए रह गया था, जिसमें रक्षा मंत्री और गृहमंत्री विशेष भयभीत चेहरों में प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे? क्या इस प्रकार की फोटो को छापने के पीछे एक विशेष भावना का परिचय हमको नहीं मिलता है? इसके अलावा क्या रक्षा मंत्री का केवल यही फोटो छापने के लिए रह गया था।

एक बात मैं प्रधान मंत्री जी को पाकिस्तान की चाल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब जबसे चीन और रूस होकर लौटे हैं, तब से वह उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चीन चला था। पहले हमारे कुछ हिस्से पर उसने अधिकार कर लिया, फिर अपने कुछ समर्थक राष्ट्रों को आगे बढ़ा कर समझौते की बातचीत कराई, लेकिन फिर भी हमारी उस धरती पर अधिकार किए हुए बैठा रहा और वहां से हटने की कोई बात नहीं करता है। मुझे यह भी डर लग रहा है कि कंजरकोट की चौकी खाली करने से पहले और भारतीय धरती पर पाकिस्तानी सेनाओं के रहते हुए कहीं पाकिस्तान अपने समर्थक मित्र राष्ट्रों के द्वारा भारत सरकार के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव न रखवाए और उन मित्रों को बीच में ला कर भारत सरकार को विवश न करे, जिससे हमारी स्थिति फिर उसी तरह उलझ कर रह जाय। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस बातचीत के सिलसिले को हमको लम्बा नहीं ले जाना चाहिए।

हमको स्पष्ट भाषा में कह देना चाहिए कि जब तक हमारी धरती का एक इंच भी पाकिस्तानी सेनाओं के हाथ में है, तब तक भारत सरकार पाकिस्तान से किसी प्रकार की कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हमको यह स्पष्ट नीति घोषित कर देनी चाहिए और हमको यह समझ लेना चाहिए कि कच्छ का हमला केवल कच्छ का हमला ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे पाकिस्तान के कुछ और भी इरादे हैं। हम पाकिस्तान से केवल एक ही शर्त पर बात कर सकते हैं और वह शर्त यही हो सकती है कि पाकिस्तान हमारी धरती से हट जाय।

जिस समय भगवान् कृष्ण सन्धि का प्रस्ताव ले कर दुर्योधन के पास चले, उस समय द्रौपदी ने उनको ये शब्द कहे कि भाई कृष्ण, तुम दुर्योधन से सन्धि का प्रस्ताव तो करो, लेकिन मेरे इन खुले हुए बालों को भूल कर दुर्योधन के साथ सन्धि न करना। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान के साथ बात करें लेकिन उन सैनिकों की शहादत को न भुलाना जिनकी पत्नियां आज इसमें विधवा बन गई हैं।

मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमको गांधीवादी तरीका अपनाना चाहिये जो कि कश्मीर पर आक्रमण के समय गांधी जी ने सलाह दी थी। जब उनसे पूछा गया कि बापू, कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ है, क्या हमें अपनी फौज वहां भेजनी चाहिये। गांधी जी ने जो राय दी वह मैंने अंग्रेजी की एक पुस्तक में पढ़ी है। पुस्तक का नाम है नाउ इट कैन बी टोल्ड। उसमें गांधी जी ने कहा "मेरी अपनी राय है कि हिन्दुस्तान अपनी फौजें कश्मीर में भेज कर उसे पहाड़ों में क्यों कटवाता है? अगर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है तो हिन्दुस्तान को अपनी फौजें

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाहौर के रास्ते कराची में भेजनी चाहिये।" अब वही समय फिर आ गया है। हमारे संरक्षण मंत्री को इसी मार्ग को अपनाना चाहिये।

दूसरे हमारी फौजों से हर वर्ष दस हजार के लगभग जवान रिटायर होते हैं। उन्हें अपनी सीमाओं पर सुविधा देकर बसाया जाये क्योंकि हमें युद्धोन्माद में पागल राष्ट्र के साथ मुकाबला करना है।

अन्त में मैं अपने रक्षा मंत्री को कहना चाहता हूं कि वह इस बात को थोड़ा सा सोचें। जिन घड़ियों में उनको रक्षा का भार सौंपा गया उसका ध्यान रखते हुए देश को उनसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता भी होती है कि अब तब हमारे संरक्षण मंत्री द्वारा जितना कार्य हुआ वह भारत के गौरव और भारत की प्रतिष्ठा के सर्वथा अनुकूल रहा है। इसी विश्वास के आधार पर मुझको यह कहना है कि जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ शंख फूंक ही दिया है, तो वे कम से कम पाकिस्तान को ऐसी एक चोट जरूर दें जिससे जनरल अयूब और पाकिस्तान के शासक अगली पीढ़ी से भी यह कह कर जायें कि हिन्दुस्तान पर आंख न उठाना। ❑

गरीब देश के शाह-खर्च मंत्री

मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का कोई मंत्री चाणक्य का आदर्श उपस्थित करे। मैं यह भी नहीं चाहता जैसे कभी गांधी जी ने कहा था, हमारे देश का कोई मंत्री ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं लेगा और फूंस की झोपड़ी में रहेगा। चकाचौंध के इस युग में यह सम्भव ही नहीं है। परन्तु मैं यह आज अवश्य कहना चाहता हूं कि इस गरीब भारत के एक मंत्री पर कितना भारी व्यय बैठता है, इसका निरीक्षण जरूर किया जाये। मेरे हाथ में पिछले पांच सालों की रिपोर्ट है कि किस मंत्री के ऊपर कितना टी.ए., डी.ए., का भत्ता बैठता है। मैं विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कई ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने इन मदों में एक वर्ष में ५५,३२१ रुपये लिये। इसके बाद उनका अपना मासिक वेतन है, स्वागत भत्ता है और उसके साथ सरकार की ओर से दी जाने वाली दूसरी सुविधायें भी हैं, कोठी, कार, पानी, बिजली, डाक्टर, और फर्नीचर, यह सब मिलाकर एक वर्ष में एक लाख से ऊपर व्यय बैठता है। सोचना यह है कि क्या यह गरीब भारत इस प्रकार के भार को वहन कर सकेगा।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान के साथ बातचीत युद्ध भूमि में हो

भारत का अहिंसावाद, दुर्बल और दब्बू नीति एक बार फिर कच्छ समझौते के रूप में सामने आ गई। यह समझौता भी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। इस समझौते के बाद ही १९६५ का भारत-पाक युद्ध छिड़ गया था। इस समझौते को पुष्टि के लिए लोकसभा में १७ अगस्त १९६५ को रखा गया। शास्त्री जी ने इस समझौते का घोर विरोध किया और कहा कि यदि किसी समझौते से भारत की धरती किसी और देश को दी जाती है, तो उसके लिए ऐसा न हो, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लिए यह एक अपमानजनक और दुर्बल समझौता किया है। इसके अनुसार अपनी ३५०० वर्गमील धरती को विवादास्पद स्वीकार करके हम अपने घर में अपनी सेनाएं नहीं रख सकेंगे, जबकि पाकिस्तानी सेनाएं अपने स्थान पर ज्यों की त्यों डटी रहेंगी। इसके अतिरिक्त इस समझौते के अनुसार हमारी धरती पर डींग और सुराई के बीच में २३ मील के हिस्से में पाकिस्तान की पुलिस गश्त कर सकेगी। दो चौकियों को भी हमने खाली किया है।

इस प्रकार का समझौता पहले करके और बाद में अपने बहुमत के गर्व के आधार पर संसद् की स्वीकृति लेने का प्रधान मंत्री और सरकार का यह प्रयास पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भारतीय प्रधानमंत्री श्रीलंका के साथ इसी प्रकार का एक अपमानजनक समझौता करके संसद् से उसकी स्वीकृति ले चुके हैं। मैं यह समझता हूं कि सरकार के काम करने के इस ढंग में अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। न केवल वर्तमान प्रधानमंत्री, अपितु पहले प्रधानमंत्री भी इसी प्रकार के निर्णय दो बार ले चुके थे। एक बेरुबाड़ी के सम्बन्ध में और दूसरा पंजाब के सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में—कि पंजाब का कितना हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाय।

जब भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि इतना धरती का भाग हमारा है, तो उसका कितना भाग किसी दूसरे को कैसे दिया जाय, इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सरकार के लिए कोई एक आचार संहिता का निर्माण अवश्य होना चाहिये। यह सरकार हमारी धरती दूसरे देशों को देते समय इतनी आसानी से निर्णय ले ले और बाद में अपने बहुमत के आधार पर संसद् में उसकी स्वीकृति प्राप्त करे, इस परम्परा में अब अवश्य कुछ न कुछ संशोधन होना चाहिए।

इस समझौते की पृष्ठभूमि में इंग्लैंड और उसके प्रधान मंत्री श्री विल्सन, का प्रमुख हाथ है। ब्रिटेन के सम्बन्ध में मैं स्वयं अपने मुंह से कुछ न कह कर एक विदेशी विद्वान् के ही शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि यदि इंग्लैंड इस समय दुनियां के पर्दे से हट जाये, तो दुनियां की बहुत बड़ी शरारत बन्द हो सकती है। अगर संसार से ब्रिटेन को हटा दिया जाये, तो शांति स्थापित हो सकती है। वे शब्द ये हैं— "वर्ल्ड माइनस ब्रिटेन इज इक्वल टु पीस।" इंग्लैंड का व्यवहार हमारे साथ क्या रहा, अगर हम पौने दो सौ साल के पराधीनता के काले इतिहास को छोड़ भी दें, तो भी हम यह नहीं भूल सकते कि १९४७ में किस तरह मुस्लिम लीग की पीठ थपथपा कर इंग्लैंड ने देश का विभाजन करवाया। किस तरह से १९४७ में ही

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कश्मीर पर जब हमला हुआ तो ब्रिटिश जनरल ने पाकिस्तानी सेनाओं की कमान अपने हाथ में ली। किस तरह कश्मीर का युद्ध बीच में ही रोक कर हमारा केस सुरक्षा परिषद् को भिजवाने में ब्रिटेन ने मदद की। किस तरह से सुरक्षा परिषद् में हमारा केस जाने के बाद उसने हमारा विरोध किया और किस तरह से अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में इंग्लैंड हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता है। अब कच्छ के इस प्रस्ताव के पीछे ब्रिटेन का जो चाल भरा हाथ रहा है और समझौते का जो ड्राफ्ट कामनवेल्थ सेक्रेटेरियट में बैठ कर लिखा गया है, इन सारी बातों को देखने के बाद हम सरकार से यह चाहते हैं कि अब कम से कम आगे के लिए वह आंख खोल कर चले, ब्रिटेन को पहचाने और देखे कि भारत के प्रति ब्रिटेन का किस प्रकार का चाल भरा रुख रहा है।

जहां तक ट्रिब्युनल का सम्बन्ध है, १९५९ और १९६० के समझौते में यह स्थिति थी कि ट्रिब्युनल का एक व्यक्ति भारत का होगा और दूसरा पाकिस्तान का होगा। वे दोनों मिल कर अगर किसी चेयरमेन पर सहमत हो गए, तो सभापति की नियुक्ति होगी और अगर वे सहमत न हो पाए तो वह प्रश्न खटाई में रह सकता था। लेकिन अब इसकी स्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई है। पाकिस्तान अपना एक प्रतिनिधि रखेगा जो पाकिस्तानी नागरिक नहीं होगा। एक प्रतिनिधि भारत रखेगा, जो भारतीय नागरिक नहीं होगा। वे दोनों मिल कर सभापति का चुनाव करेंगे। लेकिन अगर वे इस सम्बन्ध में एकमत न हो पाए, तो यू० एन० ओ० के सेक्रेटरी जनरल को अधिकार होगा कि वह सभापति का चुनाव कराए। केवल इसी एक बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ट्रिब्युनल का हमारे बारे में जो निर्णय होगा, वह भारत के पक्ष में नहीं होगा।

भारत सरकार का कहना है कि हमारे प्रमाण, हमारी दलीलें और हमारे दस्तावेज बड़े पुष्ट हैं। गांवों में एक कहानी प्रचलित हैं कि किसी गीदड़ को कहीं से एक कागज मिल गया। वह अपनी पत्नी पर रौब जमाने के लिये कहने लगा कि वह यमराज का सर्टिफिकेट है और अब मुझे कोई नहीं मार सकता। बाद में वह किसी के खेत में चला गया। किसान जब डंडा लेकर उसके पीछे चला तो गीदड़ की पत्नी ने कहा कि सर्टिफिकेट दिखाओ न। तब उस गीदड़ ने कहा कि दिखाऊं किसको, यह तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। भारत सरकार के दस्तावेज प्रमाण पुष्ट अवश्य हैं, लेकिन जिस ट्रिब्युनल के सामने वह प्रमाणों को ले कर जायेगी उसकी नीयत और बुद्धि भी तो पुष्ट होनी चाहिये।

सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस ट्रिब्युनल के निर्णय को कहीं चुनौती नहीं दे सकते। इसलिये आरबिट्रेशन की कहीं अपील नहीं हो सकती है। आम तौर पर आरबिट्रेशन का काम यह होता है कि उसने अपना निर्णय दिया और उसका काम समाप्त हो गया। लेकिन इस ट्रिब्युनल के सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि निर्णय भी वही देगा, उसको कार्यान्वित भी वही करेगा, उसको चैलेंज भी कहीं नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर कोई कठिनाई आये, तो वह ट्रिब्युनल स्वयं आ कर कार्यान्वित भी करायेगा। इससे बड़ी दुर्बलता इस समझौते की कोई नहीं हो सकती है। पता नहीं, सरकार ने किस प्रकार इसको स्वीकार कर लिया है।

भारत सरकार कायर है

मैं भारत सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि उसने कच्छ के सम्बन्ध में शुरू से ही उपेक्षा से काम लिया है। गुजरात की सरकार ने इस सम्बन्ध में बहुत पहले ही भारत सरकार को सावधान किया

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

था और कहा था कि हमको इस दिशा में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिये। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो गुजरात गवर्नमेंट ने १९६० में भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था कि सुरक्षा की दृष्टि से कच्छ क्षेत्र में छह सड़कें बनाई जायें। १९६० के इस प्रस्ताव पर १९६२ में केवल एक सड़क को जो खातदा से छाड़बेट जाती है, स्वीकृति दी गई। लेकिन १९६५ तक सड़क निर्माण के लिए आए टेंडरों को स्वीकृति नहीं दी गई। यह सब इस बात के प्रमाण हैं कि भारत सरकार कच्छ की सीमा के प्रति कितना उपेक्षा भाव रखती है।

एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस डींग और सुराई की सड़क के बीच में भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने पाक पुलिस की गश्त की बात मान ली है, उसके सम्बन्ध में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बताएं कि जिस समय इस गश्त की बात स्वीकार की उस समय क्या उनको पता नहीं था कि एस० आर० पी० एकरजिस्टर मेंटेन करती है? किस किस तारीख को गश्त लगाने के लिये वह गये? क्या वे सब प्रमाण उनके सामने नहीं थे? वे प्रमाण मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। ये प्रमाण एस० आर० पी० के रजिस्टर में लिखे हुए हैं। १९६१ में मई और जून में तीन बार उसने गश्त की। १९६२ में पानी और दलदल होने के कारण हम नहीं जा सके। १९६३ के जनवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में चार बार हम गए। १९६४ में मार्च के महीने में पांच बार हम गए। अप्रैल, १९६४ में पांच बार गए। मई १९६४ में नौ बार गए। जून १९६४ में पांच बार गए। सितम्बर १९६४ में एक बार गए। नवम्बर १९६४ में एक बार और २८ दिसम्बर १९६४ को फिर एक बार गए। २५ जनवरी, १९६५ से पहले जब कि पहली बार ऊंट गाड़ी के निशान देखे गए उसके बाद भी तीन बार उस क्षेत्र में हम गए जो कंजरकोट के दक्षिण में पड़ता है और जिसके बारे में पाकिस्तान कहता है कि हमारी ऊंट गाड़ियां और दूसरी गाड़ियां वहां चलती थीं। जनवरी के महीने में पहली बार ऊंट गाड़ियों के निशान देखे गए। उससे पहले भी असिस्टेंट कमांडेंट एस० आर० पी० छाड़बेट गेरीजन १.१.१९६५ से पहले सात बार कंजरकोट गए और आखिरी बार ७ जनवरी १९६५ को गए पर कंजरकोट के दक्षिण में तब तक कोई सड़क नहीं थी।

प्रश्न यह है कि जब इतने प्रमाण मौजूद थे तो उन प्रमाणों के होते हुए भी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कैसे यह स्वीकार कर लिया कि १ जनवरी १९६५ को कंजरकोट के बगल में एक ऐसी सड़क थी जिस पर पाकिस्तान की ऊंट गाड़ियां या दूसरी गाड़ियां चलती थीं? या तो सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री को उनके अधिकारियों ने, आफिस के कार्यकर्ताओं ने, धोखे में रखा। आज यह सदन और देश मांग करता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के उन अधिकारियों को दंडित किया जाये जिन्होंने प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधान मंत्री को यह जानकारी थी तो फिर मेरा प्रधान मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने देश को धोखे में रखा और संसद् को धोखे में रखा। जब वह एक जनवरी, १९६५ के पहले की बात कहते थे उस समय हमारे दिल दहलते थे। हमने संसद् में भी कहा था कि 'पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करते समय १ जनवरी १९६५ की बात न कहो, १५ अगस्त १९४७ की बात कहो।

प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत चर्चाओं में और दूसरे स्थानों पर भी यह कहते हैं कि यह तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अन्तरराष्ट्रीय समझौता करने के बाद कोई भी बड़ा देश उससे मुकर कैसे सकता है या उससे

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कैसे पीछे मुड़ सकता है? इसी के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय समझौता उसके साथ किया जाय जो व्यक्ति या देश समझौता करने के मूड में हो। एक व्यक्ति तो समझौते के मूड में है और दूसरा युद्ध के उन्माद में पागल है ऐसी अवस्था में उसके साथ समझौता कैसे हो सकता है?

पाकिस्तान के साथ हमने एक समझौता १९५९ और १९६० में किया था। पाकिस्तान ने उसके बाद १९६५ में आ कर कच्छ की धरती पर आक्रमण किया। जब कच्छ की धरती पर आक्रमण हुआ तो १९६० का समझौता टूट गया। १९६० के समझौते की कोई कीमत नहीं रही।

दूसरा समझौता हमने किया अब जब विलसन साहब के चक्कर में धोखे से हम फंस गए और हमने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह समझौता भी खत्म हो गया उस दिन जिस दिन पाकिस्तान ने कश्मीर में आक्रमण किया। जब पाकिस्तान समझौते के मूड में नहीं है, युद्ध के मूड में है और उसके साथ हम समझौते, समझौते, शान्ति, शान्ति, सद्भावना, सद्भावना की बात करते चले जायें तो शांति और सद्भावना कैसे हो सकती है ? जब दूसरा पक्ष भी शांति और सद्भावना प्रदर्शित करे वह तो तब होगी। जब पाकिस्तान लड़ने के मूड में हो तो उसके साथ शांति और समझौते की बात का क्या लाभ?

एक निवेदन मैं यह भी कर देना चाहता हूं कि—भुट्टो साहब जो परसों यहां आ रहे हैं, उसके बारे में विदेश मंत्री को स्पष्ट भाषा में कहना चाहिये कि पाकिस्तान को खबर भेज दी जानी चाहिये कि भुट्टो साहब के आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में बैठ कर स्वर्णसिंह और भुट्टो की बातचीत अब नहीं होगी, अब तो लड़ाई के मैदान में जनरल चौधरी और जनरल अयूब की बातें होंगी। भुट्टो और स्वर्णसिंह की बात नहीं होनी चाहिये। यह तो भारतीय स्वाभिमान की मांग है।

एक अन्तिम बात मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं। यह बात मैं उनसे इस नाते से कहना चाहता हूं कि कच्छ एग्रीमेंट का विरोध कोई विरोधी दलों की ही जिम्मेवारी नहीं है। देश जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। देश से जितना प्रेम हम करते हैं उतना ही देश से प्रेम शायद आप भी करते हैं। आपके प्रेम का तो शायद यह नमूना था कि बंगलौर के कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में जब कच्छ समझौते के बारे में प्रस्ताव आने वाला था तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ही उस प्रस्ताव को आने की अनुमति नहीं दी। मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि देश के इतिहास को उज्ज्वल बनाने के लिये राष्ट्र की अखंडता और एकता सुरक्षित रखने के लिये जो साहस उन्होंने बंगलौर में दिखाया था, उसी साहस का वे इस सदन में भी इस प्रस्ताव को जब यह स्वीकृति के लिये आये, उसे गिरा कर परिचय दें। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तानी सांप की कमर तोड़ो

देश की सुरक्षा, आत्म सम्मान और संप्रभुता के लिए शास्त्री जी ने सदा ही कश्मीर के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व दिया। १९६५ में लोक सभा में उन्होंने कश्मीर का प्रश्न बड़े प्रबल रूप में उठाया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह कश्मीर की समस्या को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाये। १६ नवम्बर १९६५ को अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कश्मीर की स्थिति पर विचार के समय शास्त्री जी ने अपने विचार व्यक्त किए।

सभापति महोदय, भारत सरकार की दुर्बल प्रचार नीति से अथवा स्वार्थों से पूरी तरह डूबे हुए होने के कारण पश्चिमी राष्ट्रों में एक बड़ी प्रबल भावना कश्मीर के सम्बन्ध में यह बन गयी है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष की कड़ी विशेष रूप से कश्मीर है। उनका ख्याल है कि अगर कश्मीर की समस्या का समाधान इधर या उधर कुछ हो जाए तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों राज्य शान्ति के साथ पड़ोसी के नाते रहने लगेंगे।

मेरा अपना विचार है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष की कड़ी कश्मीर नहीं है, अपितु कश्मीर उस संघर्ष का केवल एक अंग मात्र है। अगर कश्मीर की समस्या का समाधान हो भी जाए, तो पाकिस्तान जिसकी गाली देते देते जीभ सूख गयी है, वह लपलपाकर फिर बाहर आ जाएगी और कल को फिर उसी प्रकार की समस्या जैसी कि आज उसने लाखों की संख्या में घुसपैठिये असम में भेज कर या दूसरी जगह भेज कर खड़ी की है, उसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी कर देगा। वह इस तरह की भी समस्या खड़ी कर सकता है कि पाकिस्तान के दोनों भागों को मिलाने के लिए हिन्दुस्तान के बीच से कोई रास्ता दिया जाए। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में संघर्ष का आधार केवल कश्मीर की समस्या ही नहीं है। यह तो उस शृंखला की एक छोटी सी कड़ी है।

इसके लिए बड़ा आवश्यक यह है कि हम उस मनोवृत्ति को समझें जो कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष की बुनियाद है। यह मनोवृत्ति अब भी है। जिससे एक देश का विभाजन दो देशों के रूप में हुआ। जब तक उस मनोवृत्ति पर चोट नहीं पहुंचायी जाती, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच का यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं हो सकता।

जहां तक कश्मीर की समस्या के समाधान का सम्बन्ध है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और विश्व के दूसरे कुछ देश भी इससे सहमत हैं कि कश्मीर की समस्या को बहुत लम्बा बना कर न रखें। पिछले १८ वर्षों में इस समस्या को टालते टालते हम यह सोचने लगे थे कि शायद धीरे धीरे भारतवासी इस प्रश्न को भूल जायेंगे और दुनिया के दूसरे देश भी इसे भूल जाएंगे। लेकिन उसका दुष्परिणाम आज सन् १९६५ में हमारे सामने आ खड़ा हुआ। अब इस चोट को खाने के बाद हिन्दुस्तान की सरकार को इस विषय में अन्तिम रूप से ही कुछ निर्णय कर लेना चाहिए और कश्मीर समस्या को सदा के लिये समाप्त कर देना चाहिये।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद् का प्रश्न है, हमें उनसे स्पष्ट भाषा में कह देना चाहिए

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि जो हिस्सा कश्मीर का हमारे पास है, चाहे वह उड़ी पुंछ का हो या हाजीपीर का हो, उस हिस्से के सम्बन्ध में हमारी संयुक्त राष्ट्रसंघ से या सुरक्षा परिषद् से कोई शिकायत नहीं है। सुरक्षा परिषद् या संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने कश्मीर के बारे में हमारा कोई केस है तो केवल यही कि कश्मीर का जितना हिस्सा तथाकथित आजाद कश्मीर के नाम से, अभी भी पाकिस्तान के हाथ में है, वह पाकिस्तान बिना खून बहाए हमको वापस करता है या उसको भी जनरल चौधरी को ही वापस लेना पड़ेगा। बस केवल इतनी ही शिकायत हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद् के सामने है। हम नहीं चाहते कि कोई अशान्ति हो या कोई अव्यवस्था आए। लेकिन अब भारतीय जनता अपने प्रदेश को देर तक पाकिस्तान के अधिकार में सहन नहीं करेगी।

बटवारा धरती का हुआ है

कुछ लोग हमारे यहां यह भी कहते हैं कि अगर कश्मीर की कुछ धरती पाकिस्तान को दे भी दी जाए तो इसमें भूल क्या है। पश्चिमी राष्ट्रों से प्रभावित कुछ एक दो मस्तिष्क यहां भी हैं, जो उसकी व्याख्या सीधे न करके शब्दों के आवरण में ढांक कर उसी बात को कहते हैं। मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि यह सवाल केवल धार्मिक नहीं है। अगर यह प्रश्न केवल धार्मिक होता तो उसका बड़ी आसानी से समाधान किया जा सकता था। लेकिन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का प्रश्न धार्मिक नहीं है, न ही वह आबादी के बटवारे का प्रश्न है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच धरती का बंटवारा हुआ है। हमारा और पाकिस्तान का बंटवारा धरती का हुआ है और अगर अमरीका या ब्रिटेन का कहना है कि कश्मीर की घाटी में किसी विशेष सम्प्रदाय के मांनने वाले ज्यादा हैं और उसकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ है, तो वह बड़ी खुशी से कल के बजाय आज ही पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन उसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह धरती भी पाकिस्तान को दे दी जाए। जबकिधरती का बटवारा हो चुका है, तो अब धरती का पुनः बटवारा दुनियां की किसी अदालत में समझौते का आधार नहीं बन सकता। अगर कभी भारत सरकार ने किसी प्रकार की दुर्बल नीति का आश्रय ले कर यह बात सोची तो हम फिर वही भूल करेंगे जो कि हमने तिब्बत को चीनी राक्षस के मुंह में देकर की थी और जिसके परिणास्वरूप दुश्मन आज हमारे सिर पर आ कर खड़ा हो गया।

कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को जो लोग जानते हैं, और जिन्होंने कश्मीर को घूम कर देखा है, वे अच्छी तरह जानते होंगे कि इस घाटी में कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जैसे प्रायः पहाड़ी हिस्सों में नहीं होते। कश्मीरी लोग अपनी भाषा में उन्हें "कुर्रे" कहते हैं। ये इस प्रकार के क्षेत्र हैं कि यदि इन पर सीमेंट बिछा दिया जाए तो ये बड़ी आसानी से हवाई अड्डे बन सकते हैं। तो क्या आज हम कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे कर या किसी दूसरे को देकर या उसे आजाद करके अपने लिए मुसीबत मोल लेंगे? जैसी कि हमने तिब्बत को चीन के हवाले करके ली थी। यदि ऐसा नहीं करना है तो हिन्दुस्तान की सरकार को इस समय बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लेना चाहिये। आपने दृढ़ता के साथ सुरक्षा परिषद् में कहा है कि कश्मीर हिन्दुस्तान का भाग है, और भी दुनियां में आपने सिद्ध किया है कि कश्मीर का कोई प्रश्न ही अब नहीं है, और भी सरकार के सब लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आपकी नीति को देख कर सन्देह होता है कि जब तक भारतीय संविधान की धारा ३७० कायम है उस समय तक आप दुनियां को यह कैसे समझा सकेंगे कि कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है। अभी गृहमंत्री ने कहीं एक वक्तव्य दिया है कि हम अपने संविधान की

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और कुछ धाराएं कश्मीर में लागू करने जा रहे हैं। पर आपको धारा हटाने में दिक्कत क्या है? आज तो इसके लिए सबसे अच्छा मौका है जबकि आप संविधान की इस मरी हुई धारा को समाप्त कर दें। अगर कश्मीर के सम्बन्ध में आप सन्देह को मिटाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप इस धारा को अपने संविधान से हटा दें।

रही पाकिस्तान की मनोवृत्ति की बात, जिस मनोवृत्ति के आधार पर वह हिन्दुस्तान के साथ संघर्ष बनाए हुए है, मुझे यह बात कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि भारत सरकार में कुछ इस प्रकार के लोग हैं, जो जनता के हृदय की बात कभी-कभी बोलते हैं और जब कभी वे निर्णय लेते हैं तो देश की आत्मा को ध्यान में रख कर ही निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बात हमारे विदेश मंत्री या प्रधान मंत्री के मुंह से निकलनी चाहिए। सौभाग्य से इस समय त्यागी जी सदन में मौजूद हैं। उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि अगर पख्तूनों की गवर्नमेंट बनती है या पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्र सरकार बनती है तो भारत सरकार को उसे मान्यता देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मैं श्री त्यागी को और उनके सहयोगियों को इसके लिए वधाई दूंगा अगर यह उनके मंत्रिमंडल का भी निर्णय है और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी यही अनुभव करते हैं। पर ये शब्द आज विदेश मंत्री श्री स्वर्णसिंह के मुंह से निकलने चाहिए या प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मुंह से निकलने चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि खान अब्दुल गफ्फार खां ने क्या कहा। संसद् के कुछ साथी काबुल में उनसे मिलने गए थे। उस समय उन्होंने उनसे कहा कि आप दिल्ली आवें। खान अब्दुल गफ्फार खां ने कहा कि क्या दिल्ली वालों में इतनी जुर्रत है कि मुझे दिल्ली बुलावें? आपके साथियों ने उनसे कहा कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली आपके रास्ते में आंखें बिछायेगी। आपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ कर कन्धा लगाया था। इस पर खान अब्दुल गफ्फार खां ने कहा कि जब आपको राष्ट्रीय मुसलमानों की जरूरत थी तब आपको पठान और लालकुर्ती दल याद आता है, लेकिन जिस समय आपको देश के विभाजन की जरूरत हुई तो आपको जिन्ना और लियाकत अली याद आए। हमें इन भेड़ियों के हवाले छोड़ कर चले आये। १८ साल से किस हालत के अन्दर हम यहां हैं किसी ने आकर कभी पूछा? हम अगर दिल्ली आ सकते हैं तो उसी हालत में आ सकते हैं कि दिल्ली की हकूमत यह कहे कि काबुल में बैठ कर यदि मैं पठानों की आजादी का आन्दोलन चला सकता हूं, तो दिल्ली में भी मुझे यह अधिकार प्राप्त रहेगा।

विदेश मंत्री आज इस बात की दृढ़ता के साथ घोषणा करें। दुनियां में शान्ति की स्थापना के लिए इंसानियत की रक्षा के लिए अगर दलाई लामा को हम यहां बैठा कर तिब्बतियों की मुक्ति का आन्दोलन चलाने के लिए इजाजत दे सकते हैं या इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने का अवसर दे सकते हैं, तो कोई गलती इस बात में नहीं है कि पठान जिन्होंने हमारे देश की आजादी में कंधे से कंधा लगा कर उसी तरह काम किया है जिस तरह हिन्दुओं ने काम किया है। तो आज खान अब्दुल गफ्फार खां को खुली छूट होनी चाहिये कि वह दिल्ली में बैठ कर पठानों की मुक्ति का आन्दोलन चला सकें। यहां हर प्रकार की सुविधा खान अब्दुल गफ्फार खां को मिलनी चाहिए। इसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान के वह लोग जो कि बत्तीस दांतों के बीच जीभ की तरह से हैं उनको हमारा समर्थन मिलना चाहिए। उमरकोट और थरपाकर के लोगों को भी समर्थन मिलना चाहिए। जिस दिन यह बात हो जायगी उस दिन पाकिस्तानी सांप के दांत टूट जायेंगे और यह सांप किसी को काट नहीं सकेगा। दूसरा तरीका पाकिस्तान की मनोवृत्ति

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से निबटने का है कि सांप की कमर तोड़ी जाए। कमर तोड़ने का तरीका है कि हम अपने रक्षा मंत्री श्री चव्हाण को कहें कि अब की बार जो हमने भूल की और दुनियां हमारी जिस भूल का उपहास करती है और हमें खुद अपनी जिस भूल का अब अहसास होता है कि हम ने इतना क्यों प्रोपेगैंडा किया कि हम लाहौर की ओर जा रहे हैं और अगर किया था तो हमको लाहौर ले लेना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का कारण हो जिसकी कि वजह से उस समय उसे नहीं ले सके हों? लेकिन अब वह कारण भी तो समाप्त हो गया। अब वह कारण समाप्त होने के बाद हमारे गृहमंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने जैसा कि अभी तीन दिन पहले अमृतसर में कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर दुबारा छेड़छाड़ हुई तो वह अन्तिम होगी और निर्णायक होगी। बीच में रुकने का सवाल नहीं होगा। इस प्रकार की बात है। लेकिन मैं उसके लिए एक बात और भी कहना चाहता हूं कि यह जो रोज रोज का पाकिस्तान की ओर से छेड़छाड़ होती रहती है, आज डोगराई में, फिर बरकी में हो गयी, फिर सियालकोट में हो गयी और फिर राजस्थान क्षेत्र में छोड़छाड़ हो गयी तो उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर को एक बात कहनी चाहिये जैसे कि भगवान् श्रीकृष्ण ने शिशुपाल से यह कहा था कि यदि तुम १०० गाली तक दोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं लेकिन १०१वीं गाली जिस समय तेरे मुंह से निकली तो याद रखना तेरी गर्दन पर सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई देगा।

पाकिस्तान को खत्म करना ही होगा

भारतीय नेताओं को देश के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट भाषा में सुरक्षा परिषद् के सेक्रेटरी ऊ थान्ट और पाकिस्तान के नेताओं को कह देना चाहिए कि अमुक तारीख तक यह नालाकियां बर्दाश्त की जा सकती हैं। लेकिन उस तारीख के बाद भी अगर भारत की शान्ति को इसी प्रकार छेड़ा जाता रहा और इसी प्रकार स्थान स्थान पर यह बराबर छेड़छाड़ चलती रही और हमारे मेजर्स और सिपाहियों के खून में इस गलत तरीके से पाकिस्तानी हाथ रंगते रहे तो हम मजबूर हो जायेंगे। दुनियां उस समय भारत को अपराधी न कहे कि हमने एक देश के अस्तित्व को समाप्त किया। अगर कभी ऐसी स्थिति बनी या वातावरण जम गया तो मैं कहना चाहता हूं यह देश श्रीराम की उस परम्परा का मानने वाला है जिसने लंका को विजय तो किया लेकिन लंका को विजय करने के पश्चात् अयोध्या का झंडा लंका की गद्दी पर नहीं लहराया। लंका को विजय किया लेकिन रावण के छोटे भाई विभीषण को गद्दी पर बिठा कर चले आये। लंका के अन्याय व अत्याचार का अन्त किया लेकिन लंका की गद्दी पर राम ने अयोध्या का झंडा नहीं लहराया। अगर पाकिस्तान इसी प्रकार के पागलपन में चलता है तो जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुनसिंह को यह कहा जाय कि अब फिर लाहौर, सियालकोट तक ही नहीं रुकना चाहिए, अपितु रावलपिंडी और कराची तक हमारे कदम बढ़ने चाहिए। फिर दोनों को जीतने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खां को रावलपिंडी और कराची सौंप दिया जाय और उनसे यह कहा जाय कि इन स्थानों को शान्ति के साथ तुम रखो। हमारे सोचने केढंग में और निर्णय लेने के ढंग में कुछ परिवर्तन होना चाहिए।

हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं संघर्ष जरा लम्बा चलेगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस बात को कहने वाले प्रधान मंत्री इस बात को क्यों सोचते हैं? लम्बा संघर्ष कमजोरों का चला करता है, बहादुरों का संघर्ष कभी लम्बा नहीं चल सकता है। हम संघर्ष के मैदान में या तो उतरें नहीं लेकिन अगर अब यदि उतरे हैं तो इसे संघर्ष का अन्तिम अध्याय लिख कर हटेंगे। बीच में इस संघर्ष को नहीं छोड़ सकते। इसके

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिये मैं यह चाहता हूं कि जिस तरीके से चीन के भारत की पीठ में छुरा घोंपने व उसके द्वारा हम पर आक्रमण करने के बाद १९६२ में हमारी आंख खुली और हमने इन तीन वर्षों में देश के स्वाभिमान को सुरक्षित करने के लिये अच्छी तैयारियां कीं। वहां पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भी अब यह हमें अनुभव मिला कि दुनियां में कौन हमारा दोस्त है, और कौन हमारा दुश्मन है? हमें अपनी सेना की संख्या की दृष्टि से, शस्त्रों की दृष्टि से और शस्त्रों का उत्पादन करने की दृष्टि से भी यह पता चला। लेकिन मैं विदेश मंत्री के द्वारा भारत सरकार को यह कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास इतना लम्बा समय नहीं है कि हम दो, तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करते रह सकेंगे। रक्षा सामग्री उत्पादन करने वाली सरकार के कारखाने बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। बड़ा शुभ निर्णय लिया गया तब जब बंगलौर के अन्दर हमने हवाई जहाज बनाने के कारखाने का निर्माण किया और जर्मनी से एक कुशल इंजीनियर को बुला कर लाये। लेकिन आज इन चीजों को धीरे धीरे बढ़ाने का समय नहीं है। सरकार के साधनों का और उनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाय। लेकिन इस के अतिरिक्त भी जो निजी उद्योगपति हमारे देश के अन्दर हैं और जो ऐसे कार्य में अच्छा सहयोग दे सकते हैं और जिनके कि प्रौद्योगिक कारखानों का हम इस दिशा में पूरा उपयोग कर सकते हैं, उनकी सेवाएं भी हमें लेनी चाहिये और उनकी सेवाएं लेकर देश को जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर करना चाहिये।

खोखली विदेश नीति

एक बात मैं विदेश नीति के इस खोखलेपन पर जरूर कहना चाहता हूं। जहां मैं सरदार स्वर्णसिंह को इस बात के लिये बधाई देना चाहूंगा कि भुट्टो ने सुरक्षा परिषद् में अपनी असभ्यता का परिचय दिया तो उस समय भारतीय विदेश मंत्री व उनके साथी इसके विरोध में वहां से उठ कर चले आये। इस घटना पर हमें एक बात का कष्ट भी है। कष्ट हमें इस बात का है कि जब भी कोई चर्चा वहां पर चलती है जैसे भुट्टो साहब यह गालियां वहां दे रहे थे और विदेश मंत्री हमारे बहिष्कार करके बाहर आ रहे थे तो क्या सुरक्षा परिषद् में कोई एक देश भी ऐसा नहीं था कि जो हमारी बात कहता और सभापति को कहता कि कम से कम इस प्रकार सुरक्षा परिषद् के स्तर को तो न गिराया जाय। जो एक अन्तरराष्ट्रीय न्याय देने वाली अदालत है उसकी प्रतिष्ठा पर तो चोट न पहुंचायी जाये। विदेश नीति के खोखलेपन पर आपके साथी केवल इतनी बात कह कर चुप रह जाते हैं कि विदेश नीति में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन क्षमा कीजिए, विदेश नीति कोई जड़ चीज़ नहीं है कि यहां से उठा कर वहां रख दी जाय। विदेश नीति तो आखिरकार किन्हीं जिम्मेवार मस्तिष्कों से पैदा होती है। विदेश नीति का निर्माण करने वाले भी तो आखिर कुछ व्यक्ति ही ही होते हैं। स्पष्ट भाषा में मैं इसको कहना चाहता हूं कि विदेश नीति में परिवर्तन करने के बजाय आप विदेश मंत्रालय में परिवर्तन कीजिए। आप विदेश मंत्रालय में क्यों परिवर्तन नहीं करते? आप दुनियां के अन्दर दिग्विजय करने के लिये यहां से शिष्टमंडल भेज रहे हैं। दो प्रकार के शिष्टमंडल यहां भारत से बाहर जा रहे हैं। एक शिष्टमंडल वह जो कि सुरक्षा परिषद् में भेजा जा रहा है। सुरक्षा परिषद् में जो शिष्टमंडल भेजा जा रहा है तो क्या भूल श्री छागला ने की जिनको वहां से आपने बुला लिया और क्या विशेषता थी श्री रफीक जकारिया और मीर कासिम में जिनको कि वहां पर भेजा गया? क्या आज हम भी दुनियां में अपने इस उल्टे स्वरूप को गलत प्रोपेगैंडा में आ कर पेश करना चाहते हैं? जिनके पास अच्छा मस्तिष्क हो, वह चाहे मुसलमान हो, हिन्दू हो, ईसाई हो या पारसी हो, कोई भी क्यों न हो, वह वहां जा कर हमारा प्रतिनिधित्व करे। हमारे सोचने के ढंग में अब थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह जो विदेशों को शिष्टमंडल आप भेज रहे हैं इन शिष्टमंडलों में जो सदस्य जा रहे हैं मैं उनकी योग्यता के सम्बन्ध में उनकी देशभक्ति और उनकी निष्ठा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करूंगा। लेकिन एक निवेदन अवश्य करूंगा कि क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रश्न के समाधान के लिये इनको आप जिन देशों में चुन कर भेज रहे हैं वह उन समस्याओं से पूरी तरह परिचित भी हैं? कश्मीर का प्रश्न किस प्रकार से उठा है और कश्मीर के प्रश्न में पिछले १८ सालों में क्या उतार चढ़ाव आये हैं? उतार चढ़ावों के बाद आज वह कहां जा कर खड़ा है, कभी आपने जाते समय उनको ब्रीफिंग किया है या ब्रीफिंग करने से पहले आपने स्वयं उनकी परीक्षा ली थी कि वह इस प्रश्न से पूरी तरह परिचित भी हैं? या ऐसी ही चाल चला रहे हैं जैसे अंधा बांटे सीरनी, हिर फिर अपने को दे? आप एक ओर तो विदेशी मुद्रा का रोना रोते हैं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा का इस प्रकार अपव्यय होने देते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके स्थान पर एक दूसरी बात करें। दूसरी बात यह कि भारतीय पार्लियामेंट के, लोकसभा के और राज्य सभा के ७५० सदस्य आपके सामने हैं, आप उनमें यह देखिये कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं और जो विदेशों की समस्याओं के अन्दर निकट से रुचि लेते हैं। आप उनको कहें कि वे केवल उन्हीं देशों की समस्याओं का अध्ययन करें, उन्हीं देशों के वे विशेषज्ञ बनें। एक बार नहीं बल्कि कई बार जायं और उन देशों के साथ, उन देशों के सरकारों के साथ और उनके सामाजिक संगठनों के साथ अपना सम्पर्क जोड़ें और सम्पर्क जोड़ने के बाद समय समय पर भारत सरकार जब उन देशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले तो उन देशों के विशेषज्ञ जो प्रतिनिधि हैं उनको भी आमंत्रित किया जाय। यह नहीं कि सात दिन के लिए शिष्टमंडल चला गया जिसने कभी रूस नहीं देखा जो कि पहले इसके कभी वहां पर पहुंचा नहीं, वह सात दिन में जा कर क्या राय देगा? और कश्मीर को क्या समझायेगा? वह क्या बतला सकेगा कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है।

अब घर में ही यह मानना कि दुनियां में हमारा पक्ष अच्छा समझा जाता है तो इसका क्या प्रमाण यह है कि जब आपका पक्ष कहीं भी आता है तो कोई भी समर्थन में खड़ा नहीं रहता। सचाई यह है आपका पक्ष दुनियां में किसी को पता नहीं। प्रचार की दृष्टि से हम इतने दुर्बल हैं कि प्रचार का अभाव हमारे देश के स्वाभिमान को गिरा रहा है। आज हमको सोचना चाहिए कि हम अपनी विदेश नीति को थोड़ा आकाश से उतार कर धरती पर लायें। मैं आचार्य कृपलानी से पूर्णतया सहमत हूं जब उन्होंने यह कहा कि हम अपने पड़ौसी देशों की उपेक्षा न करें। कुछ अन्य मित्रों ने भी यही कहा कि अपने पड़ौसी देशों की उपेक्षा न करें। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति देशों से हट कर व्यक्तियों पर सीमित हो जाती है और जब कोई और दूसरा व्यक्ति उस देश का शासक हो जाता है तो देश को कितना नुकसान उठाना होता है और कितनी महंगी कीमत देनी पड़ती है? कितना प्रयास करना पड़ता है फिर उस पुरानी स्थिति को वापिस लाने के लिये।

हमने अरब कंट्रीज को अपने निकट लाने का बड़ा प्रयास किया है। आज भी मैं यह नहीं कहता हूं कि आप अपने प्रयासों में किसी प्रकार की दुर्बलता लायें। दुनियां में हम मित्रता की स्थिति बनायें और हमारे जितने अधिक से अधिक मित्र हो सकें हों। लेकिन क्या कसूर किया था थाइलैंड ने, क्या अपराध किया था जापान ने, क्या अपराध किया था श्रीलंका ने, जिन देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्धों के अतिरिक्त हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध भी हो सकते हैं? हम उनके साथ न केवल राजनीतिक सम्बन्ध ही बढ़ायें बल्कि सांस्कृतिक सम्बन्ध भी बढ़ायें। सांस्कृतिक सम्बन्ध थोड़े टिकाऊ होते हैं। सांस्कृतिक धरातल में एकता की भावना होती है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के सम्बन्ध में विगत १८ वर्ष से जो भूल करते आ रहे हैं, उसे फिर न दुहरा कर अपनी शक्ति का समुचित प्रयोग करें। ऐसा कदम उठा कर आप देश का भारी उपकार करेंगे। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान से दौत्य सम्बन्ध तोड़ दिया जाय

पाकिस्तान में कराची स्थित भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधियों, उनके परिवार के सदस्यों के साथ पाकिस्तान सरकार की शह पर १९६५ में अत्यधिक पाशविक और निर्लज्ज व्यवहार किया गया। २४ नवम्बर १९६५ को इस सम्बन्ध में उठाये गए प्रश्न पर शास्त्री जी ने आधे घंटे की बहस में इस बारे में भारत सरकार की दब्बू और लिजलिजी नीति पर तीखे प्रहार करते हुए जोरदार शब्दों में मांग की कि पाकिस्तान के साथ दौत्य सम्बन्ध अविलम्ब समाप्त किए जायं। उन्होंने अन्य देशों द्वारा इस घटना के प्रति दिखाई गई उदासीनता पर भी खेद और आश्चर्य प्रकट किया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद् में ऐसे अवसर प्रायः कम आते हैं जब साठ सत्तर सदस्य मिल कर कोई एक प्रश्न उपस्थित करें। परन्तु पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमिश्नर और उनके सहयोगियों के साथ पाकिस्तान की ओर से जो दुर्व्यवहार हुआ, उससे न केवल संसद् में रोष है, जिसको प्रकट करने के लिये सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में इस प्रश्न को उठाया, अपितु इसके विरोध में सारे देश में भी भयंकर क्षोभ व्याप्त है। राजदूत और राष्ट्र ध्वज, ये दोनों किसी देश के गौरव के प्रतीक होते हैं। अगर उनके साथ कहीं दुर्व्यवहार होता है अथवा उनका अपमान किया जाता है, तो उससे देश की संसद् और जनता का क्षुब्ध होना स्वाभाविक है।

पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर के साथ पाकिस्तानी सरकार के इशारों पर जो गुंडागर्दी की गई, उससे एक बार इंसानियत का माथा भी शर्म से नीचे हो जायेगा। यद्यपि वहां पर पहले भी हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ इसी प्रकार के दुर्व्यवहार चलते रहे। लेकिन इस बार पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर और उनके सहयोगियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उससे लगता है कि पाकिस्तान ने सब अन्तरराष्ट्रीय कानूनों को उठा कर ताक पर रख दिया है और वहां पर जंगल का कानून लागू हो गया है।

पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर और डिपुटी हाई कमिश्नर और उनके सहयोगियों के घरों की जो तलाशी ली गई और उस तलाशी के दौरान उनके साथ जो बेरहमी दिखाई गई, उससे भी बहुत अधिक कष्टप्रद बात यह है कि हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रति मानवीय सहानुभूति नाम की चीज को भी समाप्त कर दिया गया। यहां पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के कार्यालय की एक महिला को जब बच्चा उत्पन्न होने वाला था, तो हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से उनको यह सुविधा दी गई कि अगर वह चाहें, तो वह उस महिला को पाकिस्तान भेज सकते हैं। अन्यथा वह यहां पर ही किसी हास्पिटल में उनके प्रसव की व्यवस्था कर सकते हैं। उस महिला ने यहीं रहना पसन्द किया और उनको हर प्रकार की सुविधा दी गई। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में हमारे हाई कमिशन के एक कर्मचारी की पत्नी को जब बच्चा उत्पन्न होने वाला था, तो पाकिस्तान सरकार ने उसके लिए डाक्टर और नर्स की सेवाएं प्राप्त करने का अनुमति नहीं दी। बच्चा होते समय जब वह बेचारी तपड़ रही थी, तो हाई कमीशन के अन्य कर्मचारियों की औरतों ने मिल कर किसी प्रकार से उसके जीवन की रक्षा की।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आप दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम के रिकार्ड को उठा कर देखें कि प्रति दिन कितने कितने मन और कितने कितने सौ बोतलें दूध पाकिस्तान के हाई कमीशन में पहुंचती रहीं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में हमारे हाई कमीशन के कर्मचारियों के बच्चे महीनों तक दूध के लिए तरस गए।

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारियों के लिए राशन और पानी की भरमार रही, लेकिन कराची में हमारे हाई कमिश्नर के कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ यह व्यवहार किया गया कि उनके रसोइयों को जेल में भेज दिया गया। उनके शाक सब्जी देने वाले बन्द कर दिये गये, दूध देने वाले बन्द कर दिये गये और धोबी और नाई को भी वहां जाने से रोक दिया गया।

यहां पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों को इतनी स्वतंत्रता थी कि वे जहां चाहें घूम जायें, चाहे जैसी जानकारी प्राप्त करें, षड्यंत्र रचें और जहां चाहे नमाज पढ़ें। लेकिन कराची में हमारे हाई कमिश्नर पर यहां तक प्रतिबन्ध था कि वे दिन में और रात में किसी भी समय अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। बीच में कुछ दिन के लिए उनको यह सुविधा दी गई कि वह अपने कार्यालय जा सकते हैं। लेकिन वह भी पाकिस्तानी पुलिस को साथ ले कर। वहां पर हमारे हाई कमीशन के कर्मचारी दो तीन मकानों में रहते थे। हमारे हाई कमिश्नर को यहां पर जाकर उनकी खबर सुध लेने तक की अनुमति भी नहीं थी।

यहां दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तार, टेलीफोन और वायरलेस की सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर को तार देने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और उनका टेलीफोन कनेक्शन भी काट दिया गया। और तो और, दूसरे देशों के जो राजदूत वहां पर रहते थे, जिनके माध्यम से वह अपना सन्देश भारत में पहुंचा सकते थे, उनसे मिलने और सम्पर्क स्थापित करने की सुविधा भी उनसे छीन ली गई। न उनको किसी अन्य देश के राजदूत से मिलने दिया गया और न किसी दूसरे देश के किसी राजनयिक प्रतिनिधि को ही उनसे मिलने दिया गया।

ऐसी स्थिति में आज भारत सरकार के सामने यह प्रश्न है कि वह पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक सम्बन्धों को ज्यादा लम्बे अरसे तक जारी रखे या नहीं।

पहले ११ सितम्बर को हमारे हाई कमिश्नर के यहां तलाशी हुई। हाई कमीशन के कर्मचारी अलग अलग स्थानों पर रखे गये थे, एक स्थान पर हमारे हाई कमिश्नर जब पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि क्या बदतमीजी चल रही है? उनकी औरतों के कपड़े और जेवर आदि निकाल निकाल कर चारों तरफ फेंके हुए हैं, उनके निजी कागजात देखे जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस को कहा कि क्या इस देश में कोई कानून है या नहीं? इसका जवाब पुलिस की ओर से यह दिया गया कि "शट अप, गैट आउट, नानसेन्स।" इन शब्दों का प्रयोग हमारे हाई कमिश्नर के प्रति किया गया। जब उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया और कहा कि तुम कम से कम अन्तरराष्ट्रीय कानून का तो पालन करो, तो विदेश मंत्रालय जबाव देता है कि हम पुलिस के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

हमारे हाई कमिश्नर ने न केवल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से, बल्कि न्यूयार्क टाइम्स जैसे विदेशी समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों से, रायटर जैसी विदेशों की समाचार एजेंसियों से और अमरीका, ब्रिटेन, श्रीलंका और ईराक आदि विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों से भी किसी तरह सम्पर्क स्थापित किया

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और उनको कहा कि वह हालत जो यह हमारे साथ हैं, कल यह बहशियानापन तुम्हारे साथ भी घट सकता है, इसलिए तुमको अन्तरराष्ट्रीय कानून का पालन कराने में हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन यह दुःख की बात है कि वह कुछ न बोले। बी०बी०सी० ने, जो कि पाकिस्तान की खबरों को उछाल-उछाल कर देता है इन तमाम घटनाओं को छिपाया। रायटर ने एक लाइन भी इन घटनाओं के सम्बन्ध में नहीं दी। और भी विदेशी समाचार पत्रों के जितने भी प्रतिनिधि वहां थे, वे भी इस बारे में चुप हो गए।

११ सितम्बर को हमारे हाई कमिश्नर और उनके सहयोगियों के घरों में तलाशी शाम छह बजे से लेकर ग्यारह बजे रात तक लगातार पांच घंटे चलती रही। उसके बाद १३ सितम्बर को जो तलाशी चांसरी की हुई उसमें पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस वहां पर थी। पाकिस्तान का जनसम्पर्क अधिकारी, जो हमारे हाई कमिश्नर के कार्यालय के साथ सम्पर्क करने के लिए नियत किया गया था, अगर मैं गलती नहीं करता हूं, तो उसका नाम चौधरी है, वह भी वहां पर उपस्थित था। उसकी उपस्थिति में रात के ढाई बजे तलाशी आरम्भ हुई और प्रातः साढ़े छह बजे तक चलती रही। हमारे कूटनीतिक सन्दूकों की एक एक चीज को खोल कर देखा गया। लेकिन हमारे हाई कमिश्नर की सावधानी से पाकिस्तान को हमारा एक भी गुप्त कागज नहीं मिल सका। इस अवसर पर अपने हाई कमिश्नर श्री केवल सिंह और उनके सहयोगियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस विपत्ति में उन्होंने जिस बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय दिया उसके लिए वे इस देश की ओर से बधाई के पात्र हैं।

लेकिन जब इतने पर भी पाकिस्तान की सरकार को संतोष नहीं हुआ, तो २१ सितम्बर को दो तीन हजार गुंडे वहां पर लाए गए। उनके साथ ट्रकों में पत्थर लाद कर लाए गए। उनकी गुंडागर्दी का परिणाम यह हुआ कि पांच मंजिलों की हमारी इमारत की दो सौ खिड़कियों में दस खिड़कियां भी साबुत नहीं बचीं। हमारे हाई कमिश्नर पर यहां तक प्रतिबन्ध था कि वह यह देखने के लिये भी नहीं जा सकते थे कि किस तरह से हमारी चांसरी को नष्ट किया जा रहा है। उन गुंडों द्वारा मिट्टी के तेल से भीगे हुए कपड़े आग लगा कर खिड़कियों में से इस इमारत के अन्दर फेंके गए, ताकि किसी तरह से उसमें आग लग जाए, लेकिन सौभाग्यवश वहां किसी प्रकार की आग नहीं लग पाई। वहां पर भारतीय समाचार पत्रों के जो प्रतिनिधि थे— टाइम्स आफ इंडिया का प्रतिनिधि वहां पर था, पी० टी० आई० के प्रतिनिधि वहां पर थे, और कई समाचार पत्रों के प्रतिनिधि वहां पर थे— उनको पाकिस्तान की सरकार की ओर से जेलों में भेज दिया गया। जहां एक-एक रोटी के लिए उनको कतार में खड़ा किया गया। उनकी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उस घटना को मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूं।

ऐसी स्थिति में जबकि पाकिस्तान दुनियां के किसी कायदे कानून का पालन नहीं कर रहा है, जबकि वहां पर जंगली और वहशियाना कानून लागू है, और जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का खून तक जबर्दस्ती लिया जा रहा है, वह भी इतनी मात्रा में लिया जा रहा है कि कई आदमी खून देते-देते मर चुके हैं, भारत सरकार कब तक अपने कानों में तेल डाल कर बैठी रहेगी? जिस अमानवीय ढंग से यह तलाशी ली गयी उसकी हम यहां दिल्ली में बैठ कर कल्पना भी नहीं कर सकते। शत्रु देश में जो हमारे चार सौ या पांच सौ आदमी थे, उनकी क्या दशा हुई होगी? उनकी स्त्रियां और बच्चे इस तलाशी के दौरान किस प्रकार कांपते रहे होंगे। हम उस भयंकर दृश्य का यहां दिल्ली में विश्वास भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मैं सरकार के ऊपर आज कुछ आरोप लगाना चाहता हूं।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पहली बात तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में यह बताया कि ६ सितम्बर से घटनाएं घटनी आरम्भ हुई। अगर मेरी जानकारी सही है तो भारतीय प्रतिनिधियों ने आपको सूचना दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, इनका रुख ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्या उसके बाद आपने किसी भी तरह की, जो आपके चार सौ या पांच सौ कूटनीतिक प्रतिनिधि वहां थे, उनकी जीवन रक्षा की व्यवस्था की? हमारे प्रतिनिधियों की तलाशी ११ और १३ सितम्बर को ली गयी और हमारी चांसरी पर २१ तारीख को साढ़े तीन घंटे पथराव किया गया और आप कहते हैं कि ४ अक्टूबर को हमने पाकिस्तान को एक विरोध पत्र भेजा और कहा कि पाकिस्तान सरकार इसके लिए क्षमा मांगे। मेरा पहला आरोप तो यह है कि जब ६ सितम्बर से ही युद्ध चल रहा था तो ४ अक्टूबर तक भारत सरकार ने क्यों इन लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया और क्यों नहीं दुनियां को बताया कि पाकिस्तान अन्तरराष्ट्रीय कानून को तोड़ कर हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है।

दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि एक महीने तक हमारे लोगों को टेलीफोन की सुविधा नहीं दी गयी। ६ सितम्बर से यह घटनाएं शुरू हुईं और २१ सितम्बर जब कि हमारी चांसरी को नष्ट किया गया और उसके बाद भी हमारे लोगों को तार देने की या टेलीफोन आदि की सुविधा नहीं दी गयी। टेलीफोन के कनेक्शन काट दिए गए। दुर्भाग्य से हमारी दोषपूर्ण विदेश नीति के कारण किसी विदेशी राजदूत ने भी हमें उनका संदेश नहीं भेजा। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां दिल्ली से विदेश मंत्रालय ने उन लोगों का संदेश जानने के लिए क्या व्यवस्था की? अगर वह संदेश नहीं भेज सकते थे तो आपने क्या व्यवस्था की जो आपको उनकी जानकारी मिल सके। एक महीने तक आपने कुछ नहीं किया। मेरा यह सरकार पर आरोप है।

आप उनसे आशा करते हैं कि वे लोग अपनी जान हथेली पर रख कर देश की रक्षा करें, लेकिन हमारे जो चार सौ से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधि वहां फंसे हुए थे, उनके बारे में आपने एक महीने तक कोई समाचार लेने की व्यवस्था नहीं की। आप इस पर भी चाहते हैं कि वे अपनी जान खतरे में डालकर देश की रक्षा करें?

वियाना में जो राजनीतिक कन्वेंशन हुआ था उसमें २८ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक सन्धि पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। उस कन्वेंशन पर पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए थे। वह संधिपत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में मैजूद है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे विदेश मंत्री सरदार स्वर्णसिंह सुरक्षा परिषद् में गए, तो क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि किस प्रकार पाकिस्तान ने अन्तरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हुए हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया? यदि नहीं कहा तो क्या यह घटना इतनी साधारण थी कि दुनियां को इसको बताना आवश्यक नहीं समझा गया?

इसलिए मेरा सुझाव है कि भारत सरकार अपने विरोध पत्र में पाकिस्तान सरकार से कहे कि पाकिस्तान में जो हमारे प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए क्षमा मांगे और आगे के लिए गारंटी दे कि फिर दुबारा पाकिस्तान में भारत के प्रतिनिधियों के साथ या किसी अन्य देश के

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिनिधियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा और जो हमारी सम्पत्ति की हानि हुई है उसके लिए उचित मुआवजा दे। अगर पाकिस्तान इन तीनों शर्तों को जल्दी से जल्दी पूरा करता है तब तो भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि राजनयिक सम्बन्ध रखे या न रखे, अगर इन शर्तों का पाकिस्तान सरकार पालन नहीं करती तो फिर पाकिस्तान सरकार के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध बनाए रखने का कोई अभिप्राय ही नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश के स्वाभिमान को ठेस लगती है। जैसा कि पाकिस्तान में हुआ, वैसे ही पेकिंग में हमारे राजदूत श्री जगत मेहता के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी सूचना उन्होंने दी। तो मेरा सुझाव है कि ऐसे देशों से हमें राजनयिक सम्बन्ध नहीं रखने चाहिए, जहां हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं होता, बल्कि सारे देश का अपमान होता है। क्योंकि ये प्रतिनिधि हमारे देश के प्रतीक बन कर वहां जाते हैं। मेरा सुझाव है कि अगर इन देशों से राजनयिक सम्बन्ध रखने हैं तो इनसे कहा जाए कि जो उन्होंने हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया है उसके लिये क्षमा मांगें और आगे के लिए सुरक्षा की गारंटी दें। यदि वे ऐसी गारंटी नहीं देते और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना नहीं करते तो फिर मैं दोहराता हूं कि इन देशों के साथ हमको बिना किसी हिचकिचाहट के राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिए। ❑

भ्रष्टाचार के उत्तरदायी

यह भी मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का दायित्व केवल मात्र भारत के गृह मंत्री का ही नहीं है। भारत के दूसरे राजनीतिक दलों का और उन राजनीतिक संगठनों के संसद के और विधान मंडलों के सदस्यों का भी उतना ही दायित्व है जितना कि सरकार का। देश में भ्रष्टाचार बढ़े और भ्रष्टाचार के बढ़ने से देश के सारे शासन तंत्र पर उसका कुप्रभाव पड़े इसके लिए इतिहास में हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जायेगा, इसलिए सब ही इस दायित्व को अनुभव करें।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान में हिन्दुओं का भीषण नरमेध

शास्त्री जी ने ६ दिसमबर १९६५ को लोकसभा में पाकिस्तान में हिन्दुओं की दुर्दशा तथा उनके उत्पीड़न के बारे में आधे घंटे की विशेष चर्चा का प्रस्ताव किया। इस चर्चा का प्रारम्भ करते हुए शास्त्री जी ने जो विवरण दिया वह अत्यधिक भयावह एवं लोमहर्षक था।

उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत और पाकिस्तान, एक देश के दो भाग बने, तो पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों में जो हिन्दू या अल्पसंख्यक जातियों के लोग रह गए थे, उनकी संख्या कुल मिला कर एक करोड़ ८० लाख के लगभग थी। इन १ करोड़ ८० लाख लोगों के विषय में उस समय के हमारे नेताओं ने, जिनमें गांधी जी, सरदार पटेल और नेहरू जी प्रमुख थे, विभिन्न स्थानों पर बार बार इस आशय के वक्तव्य दिये कि इन लोगों के हितों की देखरेख करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान में उन लोगों का धड़ाधड़ कत्लेआम हुआ और वे वहां से निकाले गए, तो सरदार पटेल को एक बार बड़ी स्पष्ट और निर्भीक चेतावनी पाकिस्तान को देनी पड़ी। सरदार पटेल ने पाकिस्तान को यह कहा कि अगर धरती के बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों की निकासी इसी प्रकार जारी रही, तो पाकिस्तान को यह चाहिए कि उन लोगों के बदले में उतने ही मुसलमान हिन्दुस्तान से अपने देश में ले ले और अगर वह उनको नहीं लेता है, तो फिर वह धरती का उतना हिस्सा हिन्दुस्तान को दे, जिस पर यहां आने वाले हिन्दुओं को बसाया जा सके।

सरदार पटेल की इस ललकार का परिणाम यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान में नेहरू-लियाकत पैक्ट हुआ। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, उसकी ओर से इस समझौते की एक एक शर्त का पूर्णतया पालन किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने नेहरू-लियाकत पैक्ट का कहां तक पालन किया, उसका प्रमाण परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा कुछ दिनों पहले जारी किये गए एक वक्तव्य से मिलता है। उस वक्तव्य में बताया गया है कि पिछले चौदह साल में, अर्थात् १९५१ से अब तक , पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की संख्या १८० लाख से घट कर केवल ८० लाख रह गई है, यानी वह आधे से भी कम बैठती है, जबकि इसकी तुलना में मुसलमानों की संख्या पिछले चौदह साल में साढ़े तीन करोड़ से बढ़ कर पांच करोड़ के लगभग हो गई है।

पाकिस्तान की ओर से वहां के अल्पसंख्यकों की जो जाति-हत्या की जा रही है, इस सम्बन्ध में उसकी ओर से जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको देखते हुए हमको यह चाहिए था कि हम दुनियां को इन तथ्यों से अवगत कराते और बताते कि पाकिस्तान किस प्रकार की हरकतों पर उतर आया है।

पाकिस्तान ने अपने यहां के गैर मुस्लिमों को समाप्त करने के लिए जानबूझ कर ये उपाय बरते हैं कि या तो उनको वहां से निकाल दिया जाये, या उन की हत्या की जाये और या भारी मात्रा में उनका धर्म परिवर्तन किया जाये। पीछे इस प्रकार के समाचार बार-बार कानों में पड़ते रहे कि जब पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर उपद्रव हुए थे, तो नारायणगंज से ढाका तक जो नदी पड़ती है, वह बराबर लाशों से पटी रही। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के और भी स्थानों में इस प्रकार के दृश्य देखने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को मिले।

यह भी पता लगा है कि वहां पर जो छोटी जाति के लोग हैं, विशेष कर हरिजन और परिगणित जाति के, उनका तो लाखों की संख्या में धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इसी प्रकार वहां के शासन का सहयोग पा कर हिन्दुओं के घरों से छोटी आयु की लड़कियों का अपहरण किया गया और उनको बलात् दूसरे घरों में डाल दिया गया। इस प्रकार की घटनाओं को भारत सरकार भी जानती है।

अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बाद मुझे राजस्थान क्षेत्र में जाने का अवसर मिला। हमारे पुनर्वास मंत्री यहां पर मौजूद हैं। उनकेकानों तक यह बात आई होगी कि जो हिन्दु परिवार विशेषकर उमरकोट और थरपारकर जिलों के सोढा राजपूत और भील वहां से उजड़ कर आए हैं बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सरकारी अधिकारियों ने जब उनकी आपबीती सुनी तो इस बात में कोई भी सन्देह नहीं रहा कि १९४७ में पाकिस्तान के लोगों द्वारा वहां के हिन्दुओं के साथ जो अमानुषिक व्यवहार और अत्याचार किये गए थे १९६५ की इस घटनाओं ने उन को भी मात कर दिया है। आप चल कर उन कैम्पों को देखिए। वहां पर आप वही दृश्य देखेंगे जो १९४७ में लाहौर और कराची में देखे गए थे। कैसे आरतों के स्तन काटे गए, कैसे पुरुषों को पेड़ों से बांध कर उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। इस प्रकार की वीभत्स घटनायें हुई हैं, जिनको मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता।

इसके अतिरिक्त अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र सरदार कपूर सिंह ने इसी सदन में एक आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करते हुए कहा था कि पंजाब के कुछ सीमावर्ती गांवों से करीब ७०, ८० मासूम सिख बच्चियों को पाकिस्तानी उठा कर ले गए और भारत सरकार अभी तक यही कहती है कि उनके सम्बन्ध में हमको पूरी जानकारी नहीं है और हम जानकारी ले रहे हैं।

कुछ दिनों पहले पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी ऐसा समाचार मिला था कि छोटी आयु की लड़कियों को दूसरे देशों में ले जा कर बेचा गया। जिसके बारे में सरकार की ओर से कहा गया कि हमें इस घटना का पता नहीं है। लेकिन पुनर्वास मंत्री और विदेश मंत्री को इस घटना का तो पता होगा कि जो हिन्दू पाकिस्तान से निकल कर भारत को आते थे, जब वे सीमा पर पहुंचते थे, तो अधिक उम्र के लोगों को तो भारतवर्ष में धकेल दिया जाता था, लेकिन उनकी छोटी आयु की लड़कियों को उनसे छीन लिया जाता था। किस हालत में आज वे बच्चियां होंगी? वे कैसे दिन बिता रही होंगी?

मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब १९४७ में पाकिस्तान में इस प्रकार की घटनायें हो रही थी, तो देहरादून में देश के एक बड़े भारी नेता ने कहा कि क्यों लोग व्यर्थ ही रोष में आते हैं। उनके साथ उनकी लड़की भी थी। पीछे खड़े हुए पंजाब से उजड़ कर आए हुए एक भाई ने लड़की के मुंह पर हाथ लगा दिया। उन नेताजी को इतना क्रोध आया कि तपाक से उन्होंने उसके मुंह पर एक चपत दे मारा। वह पंजाबी हंस पड़ा और कहने लगा कि महाराज मैं तो यह बताना चाहता था कि आपकी लड़की के गाल पर हाथ लगा तब तो आप को इतना क्रोध आया, लेकिन जिनकी आंखों के सामने उनकी लड़कियों के साथ वीभत्स कांड हुए हैं उनके दिल पर हाथ रख कर देखिये कि उनके हृदयों पर क्या बीत रही होगी? जो परिवार उजड़ कर यहां आ गये और उनकी लड़कियां वहां पर रह गईं वह लड़कियां वहां पर किस भयंकर स्थिति में होंगी। आप थोड़ा उस कारुणिक परिस्थिति की कल्पना तो कीजिये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस प्रश्न पर जो मैंने आधे घंटे की चर्चा उठाई है वह पूर्वी पाकिस्तान के जैसोर और फ़रीदपुर डिस्ट्रिक्ट से जो एक हजार हिन्दू परिवार अपने प्रमाण पत्र भारतीय हाई कमीशन के कार्यालय से विधिवत् ले कर आ रहे थे, और जिनको रोक लिया गया, उनके सम्बन्ध में है। जब भारत सरकार से पूछा कि क्या उसे इस के सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि आज वह किस अवस्था में हैं, तो हमारी सरकार ने यह कह कर अपना पीछा छुड़ा लिया कि वहां हमारी कोई संचार व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार के समाचार आदान-प्रदान के कोई साधन नहीं हैं, इसलिये हमें पता नहीं कि उनकी स्थिति क्या है। अभी कल ही कलकत्ता के "युगान्तर" में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि हमारी एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन श्री ए० सी० गुह, ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है, और यू०एन०आई० ने उस न्यूज को दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि पांच हजार हिन्दू आज भी ऐसे हैं जो इन्हीं परिस्थितियों में वहां नजरबंद हैं। उन्होंने कहा कि या तो रेडक्रास जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन से उनकी जांच कराई जाये या कोई और विशेष व्यवस्था की जाये और पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की जो दुर्व्यवस्था चल रही है उसकी जानकारी किसी प्रकार से ली जाये कि वहां क्या हो रहा है। उमरकोट और थरपारकर में जो लाखों की संख्या में हिन्दू हैं, सिन्ध के इलाके और राजस्थान की सीमा पर उन सोढा राजपूतों और भीलों को उनके गांवों और शहर से निकाल कर कैम्पों में डाला गया है। जहां वे नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार यह कहती है कि हमें उनके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है। हमारे देश में इतने देशों के राजदूत रहते हैं, हम कई अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के भी सदस्य हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों भारत सरकार उनसे इस प्रकार की बातें नहीं कहती कि वे वहां जायें और जा कर वस्तुस्थिति का पता लगायें।

भारत में घुसपैठ

पाकिस्तान इससे उल्टे भी कुछ दूसरे काम कर रहा है। दूसरे काम यह कि वह भारी मात्रा में, लाखों की तादाद में हमारे यहां मुसलमानों कों भेज रहा है। अभी भी असम के अन्दर दस लाख से अधिक मुसलमानों का आगमन हुआ। आज वह असम को दूसरा कश्मीर बनाना चाहता है और असम की स्थिति को बिगाड़ना चाहता है। इसमें असम के कुछ उन लोगों का हाथ है, जो कि वहां पर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। विदेश मंत्रालय को शायद इस बात की जानकारी होगी। मैं इस प्रकरण को यहां विस्तार से नहीं छेड़ना चाहता। राजस्थान के पाकिस्तान से लगे हुए कुछ ऐसे जिले और स्थान हैं, जैसे गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर जहां मुसलमानों की संख्या कहीं ५५ प्रतिशत बढ़ी है, कहीं ८५ प्रतिशत बढ़ी है, कहीं शत-प्रतिशत भी बढ़ी है, कहीं २०० प्रतिशत बढ़ी है और कहीं कहीं हजार-हजार प्रतिशत बढ़ी है। आप सन् १९६१ की जनगणना रिपोर्ट को उठा कर देखिये तो आपको उसके आंकड़े से पता चलेगा कि दस वर्षों में सारे देश की जनसंख्या में वृद्धि-दर २२ और २४ प्रतिशत है लेकिन भारत में मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि ३८ प्रतिशत के हिसाब से हुई है। इसके पीछे क्या कारण है? भारत सरकार ने यह बात जानने का कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया? यह पाकिस्तान की नीति का अंग है।

श्री यमुनालाल बजाज की पुत्री मदालसा बहन ने, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे राजदूत की धर्मपत्नी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां को एक पत्र लिखा था। उस पत्र के उत्तर में खान अब्दुल गफ्फार खां ने जो एक पत्र भेजा है वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा है "अगर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्दुस्तान की सरकार यह सोचती है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ छेड़ छाड़ करके वह पाकिस्तान का पागलपन बन्द कर सकेगी तो हिन्दुस्तान की सरकार बड़ी भूल में है। पाकिस्तान से निपटने का तो एक ही प्रकार है कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही सदा के लिये खत्म किया जाय। तभी हिन्दुस्तान शान्ति के साथ बैठ सकता है।"

जहां लाखों व्यक्तियों का कत्लेआम हुआ है, जहां लाखों लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक घटनायें हुई हैं, मैं कहना चाहता हूं किआप जरा अपना इतिहास तो उठा कर देखिये। एक सती की आंखों से निकले हुए आंसू ने आज के हजारों साल पहले रावण की लंका को समाप्त कर दिया था, पांच हजार साल पहले एक देवी द्रौपदी की आंखों से निकले हुए आंसू ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अट्ठारह दिनों में अट्ठारह अक्षौहिणी सेनाओं को समाप्त कर दिया। मैं सरदार स्वर्णसिंह को याद दिलाना चाहता हूं यह इतिहास और कहना चाहता हूं कि अगर नारी की आंखों से निकले हुए आंसू ने रावण की लंका को नहीं रहने दिया, दुर्योधन नहीं रह सका, तो नारी की आंखों से निकले आंसुओं से अयूब और भुट्टो भी नहीं रह सकेंगे, उनका शासन भी नहीं रह सकेगा। इसलिये वह निर्भय हो कर निर्णय लें।

जो स्थिति हमारे साथ चल रही है उसके सम्बन्ध में कम से कम इतना तो अवश्य करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानवीय अधिकारों के संरक्षण का घोषणा-पत्र है उसके अन्तर्गत सारी बातों को सुरक्षा परिषद् के सामने रखें कि पाकिस्तान ने पिछले सत्तरह सालों में किस प्रकार से लाखों की तादाद में वहां लोगों का कत्लेआम किया है, लाखों की तादाद में लोगों का धर्म परिवर्तन किया है और किस किस प्रकार से स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। दुनियां जाने तो सही कि वहां क्या हो रहा है। आज विश्व के जनमत को प्रभावित करने के लिये हमको अपना केस दुनियां के सामने रखना चाहिये। ताकि यह भयंकर स्थिति ज्यादा देर तक न चल सके। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ताशकन्द समझौता देश के संविधान का उल्लंघन

श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकन्द में मृत्यु से पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के साथ जो समझौता किया था, उसे जब संसद् की पुष्टि के लिए १६ फरवरी १९६६ को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो शास्त्री जी ने इसका कड़ा विरोध किया। शास्त्री जी ने कहा कि भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान को देकर देश के संविधान का उल्लंघन किया गया है।

जब ताशकंद समझौते की पुष्टि के लिए विदेश मंत्री श्री स्वर्णसिंह ने सदन में प्रस्ताव रखा तब भी शास्त्री जी ने व्यवधान पैदा करते हुए मांग की कि विदेश मंत्री की बजाय इसे प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रस्तुत करें। विदेशमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी भारत के उन क्षेत्रों से पीछे हट रहा है जिस पर उसकी सेना का नियंत्रण था। यह कह कर वह भारत द्वारा जीते गए प्रदेश को पाकिस्तान को सौंपने की वकालत कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाकिस्तान के कानून मंत्री की एक राय आपको सुनाना चाहता हूं और वह इस दृष्टि से कि जो हमारे मन में संदेह है उस संदेह की पृष्ठभूमि क्या है जिस आधार पर कि मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप सरकार से ताशकंद समझौते को इस संसद् में पेश करने से पहले इस बात का स्पष्टीकरण करावें। वह वक्तव्य बहुत लम्बा है, इसलिए मैं उसकी केवल तीन पंक्तियां ही पढ़ कर सुनाता हूं। २० जनवरी को लाहौर में उन्होंने यह वक्तव्य दिया, जिसे लाहौर रेडियो ने ब्राडकास्ट भी किया है। उन्होंने कहा :

> "कितना मूर्खतापूर्ण व हास्यास्पद है? क्या संसार में कोई संवैधानिक यंत्र इस बात को मान सकता है कि कोई सरकार अपने ही देश के एक हिस्से को खाली कर दे? इसलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि ताशकंद घोषणा अन्ततः कश्मीर पर भारत के दावे के विरुद्ध जायेगी और पाकिस्तान के दावे को मजबूत करेगी।"

इसी पृष्ठभूमि में श्री लाल बहादुर शास्त्री इस संदन में और बाहर भी बार बार इस बात पर बल देते थे कि जो यह हिस्सा हमने ले लिया है, वह हमारा अभिन्न अंग जो कश्मीर है उसका एक भाग है और वहां से हटने का कोई प्रश्न नहीं आता। इसलिए आज जब हम वहां से हटने को तैयार हैं और पाकिस्तानी फौजों को आने का मौका देते हैं तो क्या यह संसद् की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? बल्कि संविधान की भी अवहेलना इस प्रकार से कर रहे हैं।

उसके बाद उपाध्यक्ष द्वारा स० स्वर्णसिंह को ताशकंद घोषणापत्र सदन में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, तब शास्त्री जी बैठ गए। स्वर्णसिंह द्वारा ताशकंद घोषणा प्रस्तुत करने के बाद शास्त्री जी बोलने खड़े हुए। उन्होंने कहा : उपाध्यक्ष महोदय, ताशकंद समझौते पर कुछ भी कहने से पहले मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उस समझौते पर हस्ताक्षर भारत के प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किये थे। इस दृष्टि से इस समझौते पर चर्चा भी प्रधान मंत्री के द्वारा आरम्भ होनी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चाहिए थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री ने नहीं किये थे। वे तो प्रधानमंत्री के परामर्शदाता के रूप में उनके साथ गये थे। इसलिए इस चर्चा का प्रारम्भ भी प्रधानमंत्री को करना चाहिए था और इसका उत्तर भी प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। आप मुझे यह कहने की अनुमति दीजिये कि प्रधान मंत्री यहां अपने उत्तरदायित्व से हटे हैं।

मैं उन व्यक्तियों में से हूं, जो हृदय से यह स्वीकार करते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री के देहावसान का एक प्रमुख कारण यह रहा कि उन जैसे देशभक्त व्यक्ति ने जब ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किये, तो उनके मन पर उसका इतना बोझ पड़ा कि वह उसको सहन न कर सके। इसका प्रमाण उस समय मिला, जब रात्रि को उन्होंने टेलीफोन पर अपने घर वालों, गृहमंत्री और अन्य व्यक्तियों से ताशकंद समझौते की प्रतिक्रिया जानने का प्रयत्न किया, यहां के समाचार पत्र उन्होंने काबुल से मंगवाये और इससे भी बढ़ कर उन्होंने देश के वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, को एक पत्र लिखवाया जिसके बारे में सुना जाता है कि वह उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर सके। जिसमें उन्होंने यह संकेत दिया कि इस समझौते के अनुकूल वातावरण बनाने में श्री राजगोपालाचारी भी उनकी सहायता करें।

मैं शास्त्री जी के मन को इस दृष्टि से भी जानता हूं कि जिस समय यू० एन० ओ० के सेक्रेटरी जनरल श्री ऊ थांट भारत आये थे और युद्ध विराम का प्रस्ताव विचाराधीन था, तो एक बैठक में जिसमें रक्षा मंत्री भी उपस्थित थे—मैं समझता हूं कि वह इस बात की साक्षी देंगे, विरोधी दल के लोगों ने शास्त्री जी से पूछा कि सुरक्षा परिषद् ने जो ५ अगस्त की लाइन पर वापस जाने का प्रस्ताव पास किया है, क्या उसके अनुसार भारत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी ढंग से कश्मीर में ५ अगस्त की लाइन पर लौटने का विचार रखती है ? श्री शास्त्री के ये शब्द थे कि चाहे कोई स्थिति क्यों न हो, चाहे भारतवर्ष को अकेले हो कर क्यों न सारी स्थिति का सामना करना पड़े, भारत कश्मीर में ५ अगस्त की लाइन पर हटने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। ये शब्द शास्त्री जी ने मुझे अकेले को नहीं, बल्कि अठारह बीस व्यक्तियों के मध्य कहे थे।

अगर भारत सरकार इस देश को शास्त्री जी के मन की बात बताना चाहती है और देश की जनता के भ्रम को दूर करना चाहती है, तो ताशकंद समाझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद और अपने निवास स्थान पर लौट कर शास्त्री जी ने अपनी व्यक्तिगत डायरी में जो शब्द लिखे उनको प्रकट किया जाये। इससे शास्त्री जी के मन का स्पष्ट रूप से पता चल जायगा।

जब शास्त्री जी के देहावसान की आड़ में कोई यह कहता है कि ताशकंद समझौते को स्वीकार कर लिया जाये, तो मैं समझता हूं कि वह शास्त्री जी के बलिदान के प्रति अन्याय करता है। क्या शास्त्री जी के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह होगी कि मरते समय जो बोझ उनके मन पर था हम उसको हल्का करें या यह होगी कि जिस बोझ को ले कर वह हमारे बीच से चले गये उसको हम और बढ़ायें? मेरा अनुमान है कि सरकार इस सम्बन्ध में बुद्धिमानी से काम नहीं करेगी।

समझौते केलिए जाने से पहले हमने शास्त्री जी को कहा था और इस सदन में भी इसी प्रकार की चर्चा आई थी कि इसमें बड़ी सावधानी अपेक्षित है। मैं तो आज रक्षा मंत्री और भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वे हमको प्रत्यक्ष रूप से बतायें कि इस समझौते से हमको क्या मिला। जहां तक घुसपैठियों

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का प्रश्न है, हमारे विदेश मंत्री यह कहते हैं कि इस समझौते के अन्तर्गत यह बात आ जाती है कि भविष्य में घुसपैठिये नहीं आयेंगे। मैं मोटी भाषा में यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस झगड़े के दौरान हाजीपीर, छम्ब, अखनूर, उड़ी और पूंछ आदि इलाकों से पाकिस्तान चले गये और अब जो फिर इन इलाकों में बसने के लिए आयेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि उन्हीं की आड़ में ट्रेंड घुसपैठिये नहीं आ जायेंगे और वे फिर वही स्थिति पैदा नहीं करेंगे? भारत सरकार उनको किस प्रकार रोकेगी? आज देश की जनता के मन में यह एक बहुत बड़ा संदेह है, जिसका निराकरण किया जाना चाहिए।

हमको प्रसन्नता होती, अगर रूस और श्री कोसीजिन ताशकंद समझौते में कम से कम पाकिस्तान को हमलावर घोषित कर देते या पाकिस्तान द्वारा दोबारा आक्रमण किये जाने पर भारत की सहायता और समर्थन करने का आश्वासन देते। सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव में यह व्यवस्था की गई थी कि सब सशस्त्र सैनिक वापिस हो जायेंगे, चाहे वे वर्दी में हों या बिना वर्दी के, लेकिन ताशकंद समझौते में वे शब्द भी नहीं आये। फिर समझ में नहीं आता कि यह समझौता किस प्रकार हमारे देश के हित में जायगा।

जहां तक कश्मीर का सम्बन्ध है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ने समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ दिन बाद ईद के दिन भाषण करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग अपनी आजादी के संघर्ष को जारी रखें और पाकिस्तान जैसे अब तक उनका साथ देता रहा है, वैसे ही आगे भी बराबर उनका साथ देता रहेगा। पाकिस्तान के अन्य नेताओं ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। जहां तक भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा का सवाल है, "आजाद कश्मीर" का रेडियो बराबर उसी तरह की बकवास कर रहा है। इसकी तुलना में हमारी अपनी स्थिति क्या है? इस २६ जनवरी को दो विधवाओं को उनके पतियों की शहादत के बदले में परमवीर चक्र दिये गये। हमारे यहां यह अब तक परिपाटी रही है कि जिन लोगों को परमवीर चक्र दिया जाता है, उनका परिचय देते समय यह कहा जाता है कि उन्होंने अमुक देश के विरुद्ध युद्ध करते समय साहस का परिचय दिया। लेकिन इस बार भारत सरकार इस ताशंकद समझौते के भ्रम में आ कर इतनी ज्यादा मोहित हो गई कि उनका परिचय देते समय "पाकिस्तान" शब्द भी परिचय देने वाले के मुंह से नहीं निकला। केवल यही कहा गया कि यह अब्दुल हमीद की पत्नी हैं, यह कर्नल तारापुर की पत्नी हैं, जिन्होंने विरोधियों के साथ यह किया, और विरोधियों के साथ वह किया। पाकिस्तान शब्द कहने में भी हमारी जिह्वा हिचकिचाई।

दूसरी एक विशेष बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक कश्मीर का प्रश्न है उसके बारे में जिस स्थिति में अब हम खड़े हुए हैं, उसको आप देखें। आज प्रातःकाल ही समाचारपत्रों में यह आया है और पाकिस्तान रेडियो बराबर यह कहता रहा है कि उनके सेनाध्यक्ष और भारत के सेनाध्यक्ष, दोनों ने मिल कर एक निर्णय कर लिया है कि १९४९ में कश्मीर में जितनी सेना थी उतनी ही सेना रहेगी। मैं रक्षा मंत्री से इसका स्पष्ट जवाब चाहता हूं और चाहता हूं कि वह बतायें कि क्या यह बात सही है? अगर यह सही है तो फिर तो श्री जगजीवन राम के उस वक्तव्य से जो कि उन्होंने आगरा में दिया था, इसके साथ शृंखला मिलती है। उससे एक भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। उन्होंने यह कहा था कि युद्ध विराम रेखा को कश्मीर में अन्तरराष्ट्रीय रेखा मान लिया जाय और पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है उसे पाकिस्तान को दे दिया जाये। जब कैबिनेट स्तर के एक मंत्री के द्वारा इस प्रकार का सार्वजनिक वक्तव्य दिया जाता है और

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकार की ओर से किसी प्रकार उसका विरोध नहीं होता है और सेनाओं की संख्या कम करने की बात की जाती है तो देश में तरह तरह के भ्रम का निर्माण होना स्वाभाविक है। मैं चाहता हूं किइस भ्रम का भी निवारण हो जाना चाहिये।

मैं रक्षा मंत्री से सीधे एक विशेष बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय वीरों को बलिदान होते हुए अपनी आंखों से देखा है और वह इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। वह वहां से आते हैं जहां मराठा यह कह कर चलते थे कि या तो हम मर कर हटते हैं या विजयी हो कर हटते हैं, किसी तीसरी स्थिति में हटना हमने नहीं सीखा है। वह उस प्रान्त के निवासी हैं जहां छत्रपति शिवाजी हुए थे और उनको उन्होंने अपना आदर्श माना है। ऐसी स्थिति में आज वह कृपा करके देश को यह अवश्य बतायें कि समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी को उन्होंने भी कोई अपनी राय दी थी? मेरा अपना निजी अनुमान है कि उन्होंने ऐसी कोई राय नहीं दी होगी। निश्चित रूप से उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं की होगी। इसका कारण यह है कि वह देश की और जवानों की भावनाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वह अपनी स्थिति को स्पष्ट अवश्य करें कि क्या उन्होंने भी राय दी थी। इससे देश के अन्दर जो उनके सम्बन्ध में एक भ्रम फैला हुआ है उसका निराकरण हो जाय।

इन शब्दों के साथ मैं ताशकंद समझौते का विरोध करता हूं और जो संशोधन मैंने रखा है, मैं चाहता हूं कि उसको स्वीकार कर लिया जाय। ❑

भ्रष्टाचार का उद्गम

मेरा अपना अनुमान है कि देश में भ्रष्टाचार पनपने के चार प्रमुख केन्द्र हैं। सबसे बड़ा केन्द्र जहां भ्रष्टाचार पनप रहा है वह है मंत्रिगण और विधायकगण—मैं दोनों को शामिल करता हूं—दूसरे जहां भ्रष्टाचार हैं, वह हैं ऊंचे सरकारी अधिकारी और कुछ सामान्य छोटे कर्मचारी। तीसरा केन्द्र भ्रष्टाचार का है व्यापारिक संस्थान और बड़े-बड़े व्यापारी और चौथा केन्द्र भ्रष्टाचार का है जन साधारण।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान के प्रति हमारी आत्मघाती नीति

भारत और पाकिस्तान की सीमा पर होने वाली निरन्तर गोलाबारी और छुटपुट संघर्षों की स्थिति पर विचार के लिए २६ अगस्त १९६६ को समय नियत किया गया। इस सम्बन्ध में उस दिन भी शास्त्री जी ने सरकार की नीति की कटु शब्दों में आलोचना की।

प्रतिरक्षा की जिन समस्याओं पर आज हम विचार कर रहे हैं वह परिस्थितियां ऐसी हैं किजब चोट खाया हुआ सांप फिर फुंफकार कर हमारे दरवाजे पर आ कर खड़ा हुआ है। प्रतिरक्षा मंत्री के वह दोनों वक्तव्य जो अभी कुछ समय पहले उन्होंने सदन में दिये थे इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि सीमाओं पर लड़ाई के बादलों का रंग बड़ी तेजी से गहरा होता जा रहा है। नहीं कहा जा सकता कि यह युद्ध रूपी राक्षस जो पीछे कुछ समय से हमारा द्वार बार-बार खटखटाता रहा है, किस समय मोर्चों पर आने के लिए फिर विवश करे।

चीन और पाकिस्तान दोनों के गठबन्धन से जो परिस्थितियां हमारी सीमाओं पर उत्पन्न हुई हैं और जो स्थिति भारत के पूर्वी भाग में धीरे-धीरे विषम होती चली जा रही है, उसी का प्रमाण कुछ दिन पूर्व मिजो पहाड़ियों में देखने को मिला। मिजो पहाड़ियों के अतिरिक्त भी नागाओं के प्रशिक्षण केपीछे और अब कुछ दिनों से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में उस क्षेत्र के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें गारो पहाड़ियों के भी कुछ लोग सम्मिलित हैं। इसमें पाकिस्तान और चीन का पूरी तरह हाथ है। चीन ने नेफा में मंगोल शकल के बहुत से लोगों को घुसपैठियों के रूप में भेजा है और बदकिस्मती से सालों से चिल्लाते रहने के बाद भी आज आसाम के अन्दर २७ लाख पाकिस्तानी आ कर बैठ गये हैं, जिनको भारत सरकार निकालने में असमर्थ है। अभी पीछे असम में जो दो चार स्थानों पर उपद्रव हुए उसमें स्पष्ट रूप से इन पाकिस्तानियों का हाथ था। इधर पूर्वी पाकिस्तान की सैनिक कमान पूरी तरह चीनी अधिकारियों के हाथ में आ गई है। वह पूर्वी पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा चीन का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ मिल कर दिखाई पड़ रहा है वह है चुम्बी वैली पर धीरे धीरे दबाव बढ़ाना। हो सकता है किकोई ऐसी स्थिति आये कि जिस में चुम्बी वैली पर बढ़ता हुआ दबाव किसी दूसरे रूप में परिणत हो। चीन की योजना स्पष्ट मालूम होती है कि एक बार पाकिस्तान को आगे करके हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया जाये और फिर आक्रमण करने के बाद दिखाने के लिए वह फिर कुछ पीछे को लौटे, लेकिन उस लौटने में भूटान और सिक्किम को वह अपने मुंह में रख ले और साथ ही नेफा का कुछ हिस्सा भी वह अपने अधिकार में कर ले।

इधर पाकिस्तान का जहां तक संबंध है कच्छ और कश्मीर पर तो पाकिस्तान की आंख पहले से है ही, अब पश्चिमी बंगाल में भी उसके एजेंट काफी मात्रा में आ गए हैं। पीछे जब चीन को पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ भाग दिया तब बदकिस्मती से इस पर सुरक्षा परिषद् ने सांस तक नहीं लिया। अब फिर चीन और पाकिस्तान कश्मीर में इस प्रकार की योजना बना रहे हैं कि कारगिल के पास लेह सड़क को काट कर लद्दाख के हिस्से को पृथक् करें। भारत सरकार की स्थिति दुर्भाग्य से ऐसी है कि वह आदर्शवाद

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के चक्कर में आकर न सीमांत गांधी की पुकार सुनने को तैयार है और न पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं की कराह सुनने को तैयार है। भारत और पाकिस्तान में मौलिक दृष्टि से कुछ अन्तर है। पाकिस्तान की बागडोर एक सुलझे हुए सैनिक अधिकारी के हाथ में है और भारत की बागडोर उन लोगों के हाथ में है जो जितना भी बच जाय उसी पर संतोष करके बैठे रहना चाहते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण अभी देखने में मिले हैं १४-१५ अगस्त को। १४ अगस्त को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां का भाषण हुआ, तो उसने अपने भाषण में अपने देश की जनता से ही नहीं, कश्मीरियों को भी आश्वासन देते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक-एक नागरिक तब तक चैन के साथ नहीं बैठेगा, जब तक कश्मीर को भारत से आजाद नहीं करा लिया जायेगा। इधर बदकिस्मती से १५ अगस्त को ठीक २४ घंटे बाद भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का भाषण दिल्ली के लाल किले पर हुआ। दिल्ली के लाल किले का भाषण प्रधानमंत्री का कोई सामान्य भाषण नहीं होता है, इसको देश भी सुनता है और विदेश भी सुनते हैं और वह एक ऐतिहासिक भाषण होता है। लेकिन इस ऐतिहासिक भाषण में, मुझे आप ये शब्द कहने की आज्ञा दीजिये, १९६५ की सबसे महत्वपूर्ण घटना— पाकिस्तान और भारत के संघर्ष की चर्चा तक करनी प्रधानमंत्री ने उचित नहीं समझी। शायद उनको डर लगा हो कि चर्चा करने से पाकिस्तान नाराज न हो जाय। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम तक अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने लेना उचित नहीं समझा। इसकेअतिरिक्त जो सबसे बड़ी चीज थी वह यह कि जो शहीद हुए थे—भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में— क्या वर्तमान प्रधान मंत्री एक शब्द कह कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकती थीं? यह एक मौलिक अन्तर है जो भारत और पाकिस्तान के नेताओं के मध्य में है।

एक और बात जिसको मैं विशेष रूप से प्रतिरक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं—वह यह है कि पिछले तीन संघर्षों में जो हमारी दुर्बलता रही है और उसके जो मुख्य कारण रहे उनमें एक मुख्य कारण हमारे सैनिक गुप्तचर विभाग (मिलिट्री इंटेलिजेन्स) था। वैसे तो हमारे देश का सारा इंटैलिजेन्स खराब पड़ा हुआ है। ए०आई०सी०सी० के दफ्तर में पाकिस्तानी भेदिये वर्षों तक रह कर चले जाते हैं और गृह मंत्रालय को पता तक नहीं लगता। यह सब गुप्तचर विभाग की शिथिलता नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मिलिटरी इंटेलिजेन्स से गृह मंत्रालय के इंटेलिजेन्स के मुकाबले कुछ अधिक अपेक्षा की जाती है। पीछे जो नेफा रिपोर्ट थोडी सी इस सदन में आई थी, जिसका कुछ भाग, ही यहां पर पेश किया गया, उसमें सरकार ने अपनी दुर्बलता छिपाने के लिये पूरी रिपोर्ट को पेश नहीं किया। लेकिन जितनी भी पेश की गई, उसका मिलिटरी इन्टेलिजेन्स के फेल्योर से ही सम्बन्ध था। मिलिटरी इंटेलिजेन्स ठीक न होने से उस वक्त जितनी चोट देश को लगी, क्या उसके बाद भी हमने मिलिटरी इंटेलिजेन्स को सम्भाला? उस समय जो उसके डाइरेक्टर थे, उसे क्या पुरस्कार दिया, उस फेल्योर का जो जिम्मेदार था, वह पहले ब्रिगेडियर था, बाद में उसके पद को बढ़ा कर मेजर-जनरल कर दिया गया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? कच्छ में सड़कें बनती रहीं, पाकिस्तान तैयारी करता रहा, लेकिन मिलिटरी इन्टेलिजेन्स को पता नहीं चला। अभी इस समय जब पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष हुआ, मिलिटरी इन्टेलिजेन्स के फेल्योर के कुछ और उदाहरण भी हमारे सामने आये हैं।

मिलिटरी इन्टेलिजेन्स यह नहीं बता सका कि पाकिस्तान की सिक्स्थ आर्म्ड कोर पेटन टैंक्स से लैस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है, उसको इसकी जानकारी नहीं थी। इसी तरह से जब हमारी सेना बढ़ रही थी तब बढ़ती हुई हमारी सेना को यह सूचना दी गई कि पाकिस्तान का जो पहला आर्म्ड डिवीजन है, वह भिम्बर की ओर बढ़ रहा है, जब कि सच्चाई यह थी कि हमारी सेना आगे चली गई और पाकिस्तान का फर्स्ट आर्म्ड कोर रायविंड के पास इन्तजार कर रहा था कि कब भारतीय सेना आगे आये और पीछे से आकर उनको घेर कर मारा जाय। यह मिलिटरी इन्टेलिजेन्स के फेल्योर का प्रमुख उदाहरण था।

इच्छोगिल कैनाल के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी रक्षा पंक्ति तैयार कर रखी है, इसकी मिलिटरी इन्टेलिजेन्स को कोई सूचना नहीं थी और न वह कोई हवाई फोटो या किसी तरह की कोई अन्य जानकारी ही उसको दे सका। हमारा सैनिक गुप्तचर विभाग न यह बता सका कि लाहौर अमृतसर के बीच में सुरंगे बनी हुई हैं और उनमें रह कर पाकिस्तानी हमले की तैयारियां कर रहे हैं। वह तो धन्यवाद देना चाहिये उन तस्कर व्यापारियों को जिन्होंने भारत सरकार को यह जानकारी दी किपाकिस्तानी सेना सिर्फ अपनी धरती के ऊपर ही नहीं है, लाहौर और अमृतसर के बीच में भी सुरंगे बना रही है। हमला करके उनके अन्दर चले जाते हैं। न ही पिल बाक्सों की जानकरी हमको पहले से थी। जो इतनी बड़ी जनहानि हुई, जो हमारे जवान वहां शहीद हुए, उसका बहुत बड़ा कारण मिलिटरी इन्टैलिजेन्स का फेल्योर था। जो इन्टैलिजेन्स नेफा में फेल हुआ, जो कच्छ आक्रमण में फेल हुआ और जो सैनिक गुप्तचर विभाग पाकिस्तान के आक्रमण में फेल हुआ, उसके लिये मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक रक्षा मंत्री मिलिटरी इन्टैलिजेन्स का रिआर्गेनिजेशन नहीं करेंगे, तब तक आगे आने वाली आपत्तियों से हम अपने देश को नहीं बचा सकते और न रक्षा कर सकेंगे; अगर यही लापरवाही बार-बार होती रही।

कुछ शब्द भारत पाकिस्तान संघर्ष के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। अन्त तक हमको यह पता नहीं लगा कि हम जो पाकिस्तान से लड़ रहे थे, उसका आखिरकार हमारा उद्देश्य क्या था; जिसके लिये हमने यह लड़ाई की। पाकिस्तान का उद्देश्य, बड़ा स्पष्ट था। एक उद्देश्य पाकिस्तान का यह था कि वह पंजाब के जंडियाला गुरु के पास.जी० टी० रोड को काट कर ब्यास नदी के क्षेत्र पर अधिकार कर ले, दूसरा कश्मीर की अखनूर सड़क को काट कर वह कश्मीर घाटी को भारत से अलग करना चाहता था। १० सितम्बर को प्रतिरक्षा मंत्री ने बयान दिया कि समूचे रूप में हम अपने उद्देश्य में सफल हो गये हैं। लेकिन हमें बताया जाय कि वह कौन सा उद्देश्य था, जिसमें हम सफल हुए। जब राजनीतिज्ञों के अपने मस्तिष्क ही स्पष्ट नहीं थे तो सेना कहां स्पष्ट हो सकती थी। इसका दुष्परिणाम जन और धन की हानि के रूप में हुआ। लेकिन इस लड़ाई से ही कुछ सीखते तो भी ठीक था। इस लड़ाई से हमने क्या सीखा? पाकिस्तान ने अपनी सेना के पांच डिवीजनों को बढ़ा कर ११ डिवीजन कर लिये हैं, पाकिस्तान ने अपने टैंकों को जो खराब हो गये थे, उनकी सब की पूर्ति कर ली है। पाकिस्तान ने ११० मिग चीन से लिये, ९० सेबर जेट कनाडा से मंगाये और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उस में सैनिक संख्या को दुगना कर दिया है। लेकिन इसके बदले में भारत ने अपनी रक्षा तैयारी के लिए क्या किया? हमं ताशकंद में समझौता कर आये कि १९४९ में हमारी सेना की जितनी संख्या थी, हम उतनी कर देंगे। लड़ाई से यह सबक हमने सीखा है और यह तैयारी हमने की है।

१९ साल के बाद भी, हमारी जो २५१९ मील की सीमा लाइन थी, उसमें से भारत केवल १६९५ मील का सीमाकरण कर पाया है, पूरा सीमाकरण भी हम अभी तक नहीं कर पाये हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे पास तैयार नहीं है। एन०सी०सी० पर हमने इतना व्यय किया है, लेकिन क्या रक्षा मंत्री अधिकारपूर्वक इस बात को कह सकते हैं कि एन० सी० सी० हमारी द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में काम कर सकेगी। क्या हमने अपनी प्रादेशिक सेना को तैयार किया जो नेशनल मिलिशिया के रूप में काम कर सकती है। आप इजराइल को जा कर देखिए, जिसने अपने ६३ प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय प्रादेशिक सेना बना कर तैयार कर दिया है, जो मोर्चों पर भी काम करते हैं, और खेतों में भी काम करते हैं।

सबसे बड़ी चीज आज यह है कि अगर हमारा डिफेंस पूरा काम नहीं कर सकता, तो डिफेंस का एक दूसरा सहायक अंग भी होता है, जिसका नाम है डिप्लोमेसी। डिफेंस और डिप्लोमेसी— दोनों साथ-साथ मिल कर चलते हैं। जहां डिफेंस फेल होता है वहां डिप्लोमेसी काम करती है। पाकिस्तान का डिफेंस फेल हुआ, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फेल नहीं हुई। १९६५ के बाद चीन के साथ पाकिस्तान का सम्बन्ध हुआ, लेकिन आज पाकिस्तान ताशकंद में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद रूस की गुड बुक्स में भी है, चाइना की गुड बुक्स में भी है और अमरीका की गुड बुक्स में भी है। पर हमारी अपनी स्थिति क्या है? जो पहले हमारे मित्र थे, वे भी आज धीरे-धीरे हमसे अलग होते जा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी अगर हमने डिफेंस के साथ अपनी डिप्लोमेसी सर्विसेज (कूटनीतिक सेवा) को सम्भाल कर नहीं रखा और यह देश अगर डिप्लोमेसी में दिवालिया हो गया, तो डिफेंस प्रेपरेशन्ज आपकी कितनी बढ़ती चली जाय, वे पूरी तरह से देश की रक्षा नहीं कर सकेंगी। पीछे क्या हुआ? हमारे सिपाहियों ने जो कुछ अपनी शक्ति से लिया, उसको हमारे राजनीतिज्ञों ने एक कमरे में बैठ कर खो दिया। मोर्चों पर शहीद हुए जवानों की कुरवानियों को खत्म कर दिया।

मैं ताशकंद समझौते के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। लाल बहादुर शास्त्री ने जो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किये उस पर मैं आज भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शास्त्री जी ने हस्ताक्षर किये नहीं, शास्त्री जी से दबाव में हस्ताक्षर करवाये गये। शास्त्री जी की कलम उस दस्तावेज पर चली, लेकिन उनका दिल दस्तावेज पर नहीं चला। दस्तखत करने के बाद जब उस देशभक्त के दिल में आया कि दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद जब १६-१६ और १७-१७ साल की विधवायें सवाल करेंगी कि शास्त्री जी क्या इसी दिन के लिए आपने हमारी मांग का सिन्दूर पोंछा था? जब छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे कि क्या इसी दिन के लिए आपने हमको अनाथ बनाया था, जब बूढ़े मां बाप पूछेंगे कि क्या इसी दिन के लिए हमारे बुढ़ापे की लकड़ी को आपने हमसे छीना था तो क्या उत्तर दूंगा? इसका नतीजा यह हुआ कि यह बोझ वह देशभक्त बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं इसीलिए कहता हूं कि यह सरकार कब तक इस फरेबी दस्तावेज से चिपके रहना चाहती है? जब पाकिस्तान के इरादे साफ हैं, तो यह सरकार ताशकंद समझौते को एक ओर फेंक कर क्यों नहीं अपना उद्देश्य स्पष्ट करती?

शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जो ताशकंद समझौते से रोष उभरा था, वह शास्त्री जी की मृत्यु के शोक में बदल गया। लेकिन इस रोष को अब आप अधिक देर तक दबा कर नहीं रख सकते। आज इतिहास ने पूछना शुरू कर दिया है, आज शहीदों की आत्माओं ने पूछना शुरू कर दिया है और आज देश की जनता ने भी पूछना शुरू कर दिया है कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हमको क्या मिला? कब तक हम उस मरे हुए समझौते की दुहाई देते रहेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय संकट में सारा देश आपके साथ कन्धे से कन्धा मिला कर रहा, और आगे भी बराबर रहेगा, लेकिन आप इस भूखे और नंगे देश को, इस गरीब और असहाय देश को बार-बार परीक्षा की कसौटी पर न लाइये। एक बार अब अगर आप खड़े हों, तो कम से कम शत्रु को ठिकाने तक पहुंचाइये। शत्रु को ऐसा दंड दीजिये जिससे वह आगे कभी इस प्रकार का दुःसाहस न कर सके। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भय बिन होत न प्रीत

३ अगस्त १९६७ को पाकिस्तान द्वारा विभिन्न देशों से शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में लोकसभा में शास्त्री जी ने कहा कि जो देश पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं वे उसे हथियार देना बंद कर देंगे यदि भारत इतना शक्तिशाली हो जाये कि वह उन देशों से भी निपट सकता है और पाकिसतान से भी। पाकिस्तान जिस प्रकार अपनी शक्ति बढ़ा रहा है उसे सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के रूप में उस समय के नेताओं की अदूरदर्शिता की नीति का परिणाम था। उनका अपना अनुमान यह था कि शायद रोज-रोज के झगड़े समाप्त हो जायेंगे। जो बंटवारे के पक्षपाती मुसलमान हैं वे पाकिस्तान चले जायेंगे। बाकी जो हिन्दू, मुसलमान और दूसरे लोग हिन्दुस्तान में शान्ति के साथ रहना चाहें वह यहां रह सकेंगे। लेकिन स्थिति उससे उल्टी ही हुई। पहले की अपेक्षा स्थिति और भयंकर होती चली जा रही है। पाकिस्तान जो प्रारम्भ में भारत को सिरदर्द मालूम होता था आज सीने का कांटा बन कर खड़ा हो गया है। कांग्रेस अपनी उस पुरानी ऐतिहासिक भूल का सुधार कर सकेगी, इस में संदेह दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास आज कोई सरदार पटेल नहीं है। यों भी कांग्रेस भारत के लगभग ६० प्रतिशत भाग से अपना शासन समाप्त कर चुकी है और नहीं कहा जा सकता कि आगे चल कर स्थिति क्या हो? लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वह यह है कि जाते-जाते कहीं देश को भी अपने साथ न ले जाये।

श्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री श्री कृष्णमेनन बार-बार यह कहते रहे कि चीन से भारत को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, उसी तरह से वर्तमान रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्री हथियारों की इस बिक्री को सामान्य घटना समझ कर उस से मिलती जुलती ही बात बोल रहे हैं। जब कि सीमा पर संघर्ष के बादल धीरे-धीरे अपना रंग बदल रहे हैं और नहीं कहा जा सकता कि आगामी शरद् ऋतु में वह कौन सा संकट का संदेश ले कर आ रहे हैं। ऐसे समय में इस घटना को सामान्य समझना स्थिति की उपेक्षा करना होगा। मेरा अपना अनुमान ऐसा है कि सम्भव है चीन इस बार सीधे संघर्ष में न उतरे, लेकिन पाकिस्तान को आगे करके चीन उसकी कमर पर हाथ रख कर भारत को चोट देने में कोई कसर बाकी नहीं उठा रखेगा। उसका सीधा लक्ष्य है कि पश्चिम में कश्मीर की स्थिति को डगमगाना और पूर्व में पश्चिमी बंगाल की स्थिति को डगमगाकर भारत के पूर्वी भाग को शेष भारत से अलग करना।

जहां तक भारत का संबंध है हमारी असफल विदेश नीति का यह परिणाम है किनये मित्रों का संग्रह करना तो दूर, हम पुराने मित्रों को भी खोते चले जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान कूटनीतिक क्षेत्र में यहां तक सफल हो चुका है किअमरीका के अतिरिक्त वह चीन से भी सहयोग प्राप्त कर रहा है और रूस जिसकी मित्रता को खरीदने के लिये हमने भयंकर से भयंकर संघर्ष मोल लिये आज उसने भी भारत और पाकिस्तान को एक समान तराजू पर तोलना शुरू कर दिया है। १९६५में पाकिस्तान ने जो कुछ खोया, उसका बहुत बड़ा भाग ताशकंद से उसने प्राप्त कर लिया था। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रही सही कसर वह अमरीका, चीन, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, इन देशों से सैनिक सामग्री प्राप्त करके पूरी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर चुका है। १९६५ में पाकिस्तान जहां था, उससे बहुत अधिक आगे जा चुका है। पाकिस्तान ने विमानों, टैंकों और दूसरे रूप में अपनी तमाम आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, इतना ही नहीं अणु शस्त्र प्राप्त करने में भी वह भारत से कहीं आगे जा चुका है। पीछे पाकिस्तान की ओर से भारत के विरोध में जो आन्दोलन चला था कि भारत अणु बम का निर्माण कर रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि जिन देशों के पास अणु बम है; विशेष कर अमरीका और चीन जैसे देश, वे पाकिस्तान को अणु अस्त्रों से लैस करें ताकि किसी समय पाकिस्तान पर इस ओर से भी खतरा न हो सके। अमरीका पाकिस्तान में गुप्त रूप से जो वाडवेर हवाई अड्डा बना रहा है, वह पाकिस्तानी हितों की रक्षा के लिये नहीं है, तो और किसके लिये है ?

रक्षामंत्री दंभ न करें

ऐसी स्थिति में भारत के रक्षा मंत्री केवल दम्भ के साथ यह कह कर देश को संतोष देना चाहें कि हम हर तरह से मुकाबला करने के लिये तैयार हैं, कहां तक ठीक है? ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि आज सदन को, मुझको और आपको किसी प्रकार की कोई चिन्ता न होती। लेकिन रक्षा मंत्री का वक्तव्य उसी प्रकार का है जैसे बिल्ली को आता हुआ देखकर कबूतर आंख बन्द कर के बैठ गया था और यह समझने लगा कि संकट टल गया। १९६५ में जब पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था, उसी समय देश के कोने कोने से आवाज उठी थी कि भारत को या तो इस सांप के दांत तोड़ने चाहियें ताकि यह आगे किसी को काट न सके, या उसकी कमर तोड़ी जाय ताकि यह आगे सरक न सके। लेकिन भारत सरकार ने जो भूल १९४७ में की थी जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, यानी लड़ाई को आधा बीच में छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार की भूल १९६५ में भी हमने की कि संघर्ष का सामना तो किया लेकिन लड़ाई को बीच में रोक बैठे। जवाब दिया भी पर आधा ही दिया। आज वह ही चोट खाया हुआ सांप विदेशी हथियारों का सहारा ले कर हमारी सीमाओं पर फिर फुंकार कर खड़ा हो गया है। १९६५ में जो पाकिस्तान की शक्ति थी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली आज पाकिस्तान हो गया है। इस समय पाकिस्तान के पास १० डिवीजन स्थल-सेना है। इस १० डिवीजन स्थल-सेना में ८ डिवीजन तो इन्फैंटरी है। १ डिवीजन आरमर्ड कोर है जो अमरीकी टैंकों से लैस है और १ डिवीजन आरमर्ड कोर चीनी टैंकों से लैस है।

जहां तक हवाई जहाजों का सम्बन्ध है पाकिस्तान की २०,००० के लगभग ऐयरफोर्स की अपनी स्ट्रैंथ पहुंच चुकी है। उसमें पाकिस्तान के पास लगभग ३३ स्क्वैड्रन हवाई जहाजों की शक्ति है जो भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। चीन के द्वारा जो हवाई जहाज पाकिस्तान को मिले हैं उसमें १३० मिग विमान १७ तथा १९ किस्म के हैं तथा इफ्यूजन २८, मीडियम रेंज बाम्बर्स किस्म के भी काफी विमान चीन ने दिये हैं। चीन ने, केवल हथियार या हवाई जहाज ही नहीं दिये बल्कि ९७ विमान भेदी तोपें, जहाजों को गिराने वाली भी पाकिस्तान को दी हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने फ्रांस से खुले बाजार से कुछ हवाई जहाज खरीदे हैं जिनमें एफ-८६ जेट विमान भी ९० की संख्या में हैं। योरप के खुले बाजार से भी उसने उतने ही लगभग जहाज खरीदे हैं। एक स्क्वाड्रन एफ-१०४ सुपर सोनिक स्टार फाइटर भी पाकिस्तान ने खरीद लिये हैं, जबकि कैनाडा से ९० विमान, इस प्रकार के पश्चिमी जर्मनी से ईरान होकर कनाडा में बने यह एफ-८६ विमान पाकिस्तान को मिले।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान के पास मिग विमान

एक गम्भीर चेतावनी देने वाली बात जो पीछे दिल्ली की एक हिन्दी समाचार समिति, समाचार भारती ने इस देश को दी थी वह यह कि पाकिस्तान के पास मिराज ३ किस्म के मिग विमान भी हैं। यह विमान वह हैं जिनसे इजरायल ने अभी अरब के ऊपर आक्रमण किया था। इस विमान की गति एक घंटे में १४०० मील की है। यह विमान सुपरसोनिक विमानों की तरह उतरने चढ़ने के लिए अधिक स्थान नहीं लेते। यह विमान २८०० फिट के हवाई अड्डे पर उतर भी सकते हैं और उससे उड़ान भी भर सकते हैं इस विमान की सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि हर मिराज में ५३० मिसाइलें भी लगी हुई हैं। शायद इसी कारण एयर मार्शल अर्जुन सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान की वायु सेना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन कर खड़ी हो गयी है। ऐसी स्थिति में इन तमाम चीजों को सामान्य समझ कर छोड़ देना यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। कैनाडा से और जर्मनी से जो जहाज पाकिस्तान आये और जब सदन में उस पर चिन्ता व्यक्त की गई तो विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान ने अपने जहाज वापिस ले लिये हैं। मरम्मत के लिए वह पाकिस्तान को दिये गये थे। पाकिस्तान हवाई जहाजों की मरम्मत के मामले में इतना एक्सपर्ट कब से हो गया है?

ईरान से पाक को सहायता

ईरान ने जो हवाई जहाज दिये थे वे जहाज आज भी पाकिस्तान के संरक्षण में हैं। हो सकता है कि यह जहाज पाकिस्तान की धरती पर न हों लेकिन यह जहाज ईरान के जाईदान हवाई अड्डे पर खड़े हैं। जाईदान ईरान और पाकिस्तान के किनारे पर बसा हुआ है और वह पाकिस्तान और ईरान की सीमा को मिलाता है। अब पाकिस्तान से जाईदान को सीधा सम्पर्क करने हेतु रेलवे लाइन भी लगभग तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान और ईरान के राजनयिक सम्बन्धों की घनिष्ठता का यह परिचायक है कि पाकिस्तान ने जाईदान तक के लिये रेलवे लाइन बिछाई हैं, वहां पर वह सारे जहाज खड़े हुए हैं। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में यह जहाज ईरान को वापिस हुए हैं? अभी पीछे कुछ दिन पूर्व जब ईरान के शाह पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आये तो ईरान के शाह के सम्मान में पाकिस्तान ने कुछ विमानों का प्रदर्शन किया और उनमें उन्हीं सेबरजेट विमानों का प्रदर्शन किया जो पाकिस्तान को कनाडा और पश्चिमी जर्मनी के मार्फत होते हुए ईरान के द्वारा मिले थे।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आश्चर्य यह है कि इन सारी चीजों का रहस्य हमको विदेशी सूत्रों से प्राप्त होता है। पाकिस्तान को भारी मात्रा में पश्चिमी देशों और चीन से जो हथियार मिल रहे हैं उनका पता भी भारत सरकार को विदेशी सैनिक सूत्रों द्वारा ही मिलता है। मैं विदेश मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस गरीब देश का करोड़ों रुपया जो इन राजदूतावासों पर खर्च किया जा रहा है, यह हमारे राजदूत अमेरिका, जर्मनी और कनाडा में बैठ कर क्या करते रहते हैं? सारी चीजों का पता हमें दूसरों के माध्यम से मिलता है। हमें किसी चीज की जानकारी अपने माध्यम से क्यों नहीं हो पाती?

वायु-सेना में वृद्धि के अतिरिक्त भी पाकिस्तान ने अपनी स्थल-सेना को टैंकों, तोपों और भारी शस्त्रास्त्रों से युक्त बना लिया है। उसने जो प्रगति की है, उसका मैं सदन को कुछ विवरण देना चाहूंगा। चीन में बने हुए २५० टी-५९ टैंक और ३० टी-३४ टैंक आज पाकिस्तान के पास हैं जो कि उसने चीन

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से लिये हैं। इसी तरह पश्चिम जर्मनी में बने हुए एम-४७ किस्म के नए पैटर्न टैंक भी जहां पाकिस्तान ने नकद भुगतान पर लिये हैं वहां उसे उनसे एस-४७ टैंक भी ६०० की संख्या में मिले हैं। अभी हाल में ही फिर पाकिस्तान सरकार एम-४७ और एम-४८ किस्म के २०० टैंक और खरीदने की कोशिश कर रही है। कुछ नये सौदे भी पाकिस्तान पश्चिमी जर्मनी से कर रहा है। इससे आपको कुछ अनुमान लगेगा कि पाकिस्तान अपनी शक्ति को कितना बढ़ाता हुआ चला जा रहा है।

अमरीका ने पीछे पाकिस्तान को १५० करोड़ डालर से भी ज्यादा की सैनिक मदद दी थी जबकि इसके मुकाबले में भारत को केवल ६ करोड़ डालर की मदद मिली। ऐसी स्थिति में अब आप अनुमान लगाइये कि उसे कितनी अधिक सहायता हमारे मुकाबले मिल रही है? हमारा देश अमेरिका से पूछना चाहता है कि जब तुम जानते हो कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की गोद में बैठ चुका है, जब तुमको यह पता है कि चीन और पाकिस्तान का गठबन्धन भारत के लिए ही नहीं विश्व की शान्ति के लिये खतरा होता हुआ चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में अमेरिका पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में रख कर तौले और कहे कि यह जो फालतू पुर्जे हैं या जो सन् ६५ में हथियार खराब हो गये थे वह भारत और पाकिस्तान को एक समान रीति-नीति के आधार पर दिये जायेंगे, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। मैं जो बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि आज की स्थिति में चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को सहयोग दे रहे हैं।

रूस-पाक सम्पर्क

पाकिस्तान के तीन मिलिटरी मिशन भी पिछले वर्ष रूस का दौरा करके आये हैं। रूस की सरकार ने पाकिस्तान को यह कहा है कि जिन शर्तों पर हम भारत को हथियार दे रहे हैं उन्हीं शर्तों पर हम पाकिस्तान को भी हथियार देंगे। कूटनीति के क्षेत्र में पाकिस्तान इतना आगे चला गया है कि रूस के मन में भी पाकिस्तान ने अपने लिए एक सौफ्ट कौरनर बना दिया है। सच्चाई तो यह है कि जब से चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हुआ है तब से रूस और पाकिस्तान के सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ है। इस समय दुनियां की अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म का एक नया समझौता हुआ है। इस समझौते का प्रभाव अगर आपको भारत में देखना हो तो पश्चिमी बंगाल और कश्मीर की घाटी में देखने को मिलेगा। यह भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी एक बहुत गम्भीर चिन्ता की बात है।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को दूसरे देशों से खुले बाजारों से सैनिक सामग्री खरीदने के लिए काफी विदेशी मुद्रा भी मिली है। १९६५ केभारत पाक संघर्ष के बाद खाली सऊदी अरब ने १० अरब डालर की विदेशी मुद्रा पाकिस्तान को बिना ब्याज के दी और अब कुछ दिन पूर्व चार सौ करोड़ डालर की और दूसरी विदेशी मुद्रा बतौर ऋण सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी। चीन ने भी हथियारों की खरीद के लिए १६७० लाख डालर का ऋण पाकिस्तान को दिया। और भी कई देशों से जिनमें टर्की, ईराक, जोर्डन और सीरिया आदि देश सम्मिलित हैं, उनसे पाकिस्तान को अपेक्षित सहयोग मिला है। अब पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिये टर्की ने क्या दिया, ईराक ने क्या दिया, सीरिया ने क्या दिया और जोर्डन ने क्या दिया, मैं उन बातों को कह कर सदन का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहता।

जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि स्थल-सेना और वायु-सेना केअतिरिक्त नौ-सेना के क्षेत्र में भी पाकिस्तान ने प्रगति की है। चीन की देखरेख में पूर्वी पाकिस्तान में नौसेना प्रशिक्षण

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चल रहा है। पूर्वी पाकिस्तान में चटगांव और ढाके में चीनी अधिकारियों की देखरेख में नौसेना को चीनी ढंग पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज पाकिस्तान के पास है वह अमेरिका से मिली एक गाजी नाम की पनडुब्बी है। लेकिन अब पाकिस्तान ने फ्रांस से भी दो डाफने पनडुब्बी और खरीद ली हैं। इस तरह से पाकिस्तान की नौ सेना को नये तरीकों से और नये सिरे से ट्रेंड किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नौसेना के क्षेत्र में भी पाकिस्तान अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं इस सारी बात को संक्षिप्त करके कहूं तो यूं कह सकता हूं कि सैनिक सामग्री की दृष्टि से पाकिस्तान आज भारत की सेना की तुलना में ५५ प्रतिशत निकट आ चुका है। पाकिस्तान ने सैनिक सामग्री की दृष्टि से अपने को पर्याप्त समर्थ कर लिया है। इसलिए मैं दो, तीन बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं। हमें इसका खतरा नहीं कि पाकिस्तान के पास इतने हथियार आ गये हैं या पाकिस्तान हथियारों का गोदाम बन कर खड़ा हो गया है। हमें इससे भी चिन्ता नहीं कि पाकिस्तान एक फौजी छावनी बन कर खड़ा हो गया है। हमें सबसे बड़ी चिन्ता इस बात की है कि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। १९६५ के भारत पाकिस्तान संघर्ष में हमारे पास जो शस्त्र थे उसकी तुलना में पाकिस्तान के पास आधुनिकतम शस्त्र थे। पाकिस्तान को दुनियां के उन देशों ने आधुनिकतम हथियार दिये और काफी मात्रा में गोला बारूद भी दिया। लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान को हिम्मत का पार्सल नहीं भेजा। अगर हथियारों के साथ साथ पाकिस्तान को हिम्मत भी मिल जाती तो शायद पाकिस्तान हथियारों का अच्छा उपयोग कर सकता था। हमारे पिछले प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान संघर्ष से पहले दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर एक आवाज लगाई थी कि शान्ति का मुकाबला शान्ति से किया जायेगा, और हथियार का मुकाबला हथियार से किया जायेगा।

मैं भारत सरकार को यह कहना चाहता हूं कि श्री छागला को याद होगा कि जब पाकिस्तान के संघर्ष के बाद वह यू० एन० ओ० की यात्रा करके आये, तो इस सदन में वक्तव्य देते हुए उन्होंने ही यह कहा था कि जब मैं पहले यू० एन० ओ० में कश्मीर के केस को लेकर गया तो मेरी बात को किसी ने ध्यान से नहीं सुना लेकिन जब भारत की विजय के समाचार अमरीकी पत्रों में छपे और इस बार जब मैं कश्मीर के केस को लेकर वहां गया तो दुनियां के राष्ट्रों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। मैं वहां से अनुभव लेकर आया हूं कि आज की दुनियां में जितनी शक्ति की भाषा समझी जाती है, उतनी और कोई दूसरी भाषा नहीं समझी जाती है। शान्ति भी शक्ति की छाया में ही सुरक्षित रह सकती है। इस तथ्य को भारत सरकार अपनी आंखों से ओझल न करे और जो देश पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं भारत सरकार उनको स्पष्ट रूप से यह कहे कि जो हमारे खिलाफ हथियार देगा हमारे ऊपर युद्ध के लिए पाकिस्तान को उकसायेगा उसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही माना जायेगा। और अगर कोई देश ऐसा करेगा, तो भारत को उसके साथ राजनयिक सम्बन्धों के बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा।

मैं आशा करता हूं कि विदेश मंत्री आज की इस चर्चा को कोई मामूली बहस समझ कर नहीं छोड़ देंगे, बल्कि इसके द्वारा भारत सरकार कुछ गम्भीर निर्णय लेगी। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय मुसलमान मानसिकता बदलें

गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के समय २९ मार्च १९६३ असम में पाकिस्तानी घुसपैठ का भी मुद्दा उठा था। बहस में श्री मुजफ्फर हुसेन ने सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने जहां असम से 'असमी' मुसलमानों को निकालने की बात कही वहीं घुसपैठ के नाम पर उन्होंने संघ लोक सेवा पर भी मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया। उनका भाषण घोर मुस्लिम लीगी तर्ज पर था। इस पर अध्यक्ष ने हुसेन को ऐसे आरोप लगाने से रोका तथा कहा कि वे ऐसी बात कहने की अनुमति नहीं दे सकते। श्री हुसेन के बाद श्री शास्त्री जी की बोलने की बारी आई और शास्त्री जी ने बड़ी नरम किन्तु ठीक निशाने पर लगकर कचोटने वाली भाषा में हुसेन को करारा जबाव दिया।

श्री शास्त्री जी ने मुजफ्फर हुसेन के आरोपों को निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विस्तार से आंकड़े दिए कि वहां ७ लाख पाकिस्तानी आ गए हैं। जबकि सरकार ३ लाख बता रही है। सरकारी सेवा में मुसलमानों को न लेने के आरोप में शास्त्री जी ने बताया कि भारत में उपराष्ट्रपति और गवर्नर मुसलमान हैं, राजदूतों में १२ उच्च पदों पर मुसलमान हैं, केन्द्रीय सरकार में ६ और राज्य सरकारों में २९ मुसलमान मंत्री है। हाई कोर्ट में १० तथा उच्चतम न्यायालय में दो जज मुसलमान हैं। इतना होने पर भी भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधि यदि भारत की नीयत पर शक करते हैं तो यह अन्यायपूर्ण है। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विरोध

केरल में मुस्लिम लीग की आड़ में स्मगलिंग तथा स्मगलिंग को छिपाने के लिए उसे अल्पसंख्यकों के संगठन मुस्लिम लीग का जामा पहनाने के बारे में १० अगस्त १९७० को लोकसभा में बड़ी तीखी चर्चा हुई। स्मरण रहे कांग्रेस ने केरल में लीग से गठबन्धन किया हुआ था तथा इन्दिरा गांधी ने यह प्रमाण-पत्र दे दिया था कि केरल की मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक नहीं है।

सभापति महोदय, भारत के विभाजन का पाप मुस्लिम लीग के ऊपर है। हमारा अपना यह दुर्भाग्य है कि यह सरकार इन तमाम बातों को जानने बूझने के बाद भी अब फिर से उसी प्रकार के संगठन को देश में पनपने का अवसर दे रही है। पहले मुस्लिम लीग का जन्म हुआ था अलीगढ़ से और अब जो नयी मुस्लिम लीग पैदा हो रही है उसका जन्म भी अलीगढ़ से हो रहा है।

(सभापति महोदय : शास्त्री जी, जरा इसी प्रश्न से सम्बन्धित रहें)।

मैं इसी प्रश्न से सम्बन्धित बात कहना चाहता हूं। उत्तर भारत के अन्दर जो सज्जन इसका संगठन कर रह हैं यह वही सज्जन हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति, श्री अलीयावर जंग पर आक्रमण किया था—श्री बशीर अहमद। लेकिन जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि जहां उत्तर भारत के अन्दर मुस्लिम लीग नहीं थी तो उससे सम्बन्धित छोटी-छोटी संस्थायें जैसे मजलिसे मशावरत, जमाअते इस्लामी, इत्तहादुल मुसल्मीन, इस प्रकार थीं। लेकिन इस संगठन के बनने के बाद धीरे-धीरे वे सब उसमें लय होती जा रही हैं। इससे पता चलता है कि पहले ये मुस्लिम लीग के सब एडीशन थे जोकि इन नामों से काम कर रहे थे और मुस्लिम लीग बनने पर उसमें आत्मसात् होते जा रहे हैं। इसका पहला परीक्षण इलाहाबाद कारपोरेशन के अन्दर हुआ जहां कि इन सब संगठनों ने मिल करके चुनाव लड़ा। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह कि इनके पास पैसा कहां से आता है?

यह भयंकर साम्प्रदायिक संगठन है जिसके ऊपर सरकार की कृपा दृष्टि है। यह जानते हुए भी कि इसकी वजह से देश का विभाजन हुआ और अब फिर इस प्रकार का वातावरण देश में धीरे-धीरे यह तैयार करना चाहते हैं। आने वाले चुनावों में इन्होंने निश्चय किया है कि कम से कम ५० पार्लमेन्ट की सीटों पर चुनाव लड़े जायें और जो दल लीग को सहयोग देंगे मुसलमान भी उन्हीं दलों को सहयोग देंगे। केरल के श्री मुहम्मद इस्माइल जोकि आल इण्डिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं उनके नाम से आज के नवभारत टाइम्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ है और उनका एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि आबादी के हिसाब से नौकरियों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या जो हमारा सहयोग करेंगे, हम भी उनका सहयोग करेंगे। और भी इसी प्रकार की चीजें हैं जिनको मैं यहां पर कहना नहीं चाहता। लेकिन जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि हिन्दुस्तान में इस समय अगर मुस्लिम लीग का संगठन कहीं काम कर रहा था और जहां से मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनकर कुछ व्यक्ति संसद में आये हैं वह केरल है। जैसाकि अभी कहा गया कि वे सज्जन केवल केरल ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। उत्तर भारत में मुस्लिम लीग को जो पैसा आ

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रहा हैं वह समुद्र के किनारे-किनारे के लोग जो सोने का तस्कर व्यापार करते हैं और उससे जो गलत ढंग का पैसा भारत में फिर से इस साम्प्रदायिक संगठन को खड़ा करने के लिए दिया जा रहा है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो यह कह सकता हूं कि विभाजन के बाद दोबारा जो मुस्लिम लीग नाम का पाप उदय हो रहा है यह सारा का सारा अरब के पैसे से उदय हो रहा है। बाहर से उनके पास पैसा आ रहा है और उसी से मुस्लिम लीग का संगठन बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सारी चीजें सरकार की जानकारी में हैं या नहीं ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार मुस्लिम लीग को साम्प्रदायिक संगठन मानती है या नहीं ? क्योंकि इन्हीं के मिनिस्टर श्री खाडिलकर का कहना है कि मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक संगठन नहीं है। यह संगठन देश में बने और फिर से देश के विभाजन का नया अध्याय प्रारम्भ हो उससे तो अच्छा है कि साँप को बढ़ने से पहले बचपन में ही कुचल दिया जाये ताकि देश को विपत्ति से बचाया जा सके। ❑

गांधी जी को अहिंसा का सबसे बड़ा समर्थक कहा जाता है। एक अंग्रेजी की किताब जो प्रो० ए० एन० बाली की लिखी है, जिसका नाम है "नाऊ इट कैन बी टोल्ड" एक घटना इसमें लिखी हुई है। जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया तो नेहरू जी गांधी जी से पूछने गये कि बापू अब अगर हम अपनी मिलिटरी कश्मीर में भेजें तो आपकी अहिंसा रास्ते में आ कर तो नहीं अटकेगी? गांधी जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने मिलिट्री भेजी है तो तुम भी भेज दो, अहिंसा बीच में कहां आती है। जवाहरलाल जी जब स्वीकृति ले कर चलने लगे तो प्रो० ए० एन० बाली ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दरवाजे के पास आने के बाद गांधी जी ने उनको बुलाया और बुला कर कहा कि अगर मिलिट्री भेजनी है तो मेरी अपनी राय यह है कि कश्मीर की पहाड़ियों में उसको भेज कर क्यों मरवाते हो, अगर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है तो हिन्दुस्तान की मिलिट्री लाहौर और सियालकोट के रास्ते से कराची जानी चाहिये। यह प्रो० ए०एन० बाली ने गांधी जी की बात लिखी है। उनकी अहिंसा यहां तक जा कर आगे बढ़ती थी। लेकिन आज देश को आपने इतना ठंडा कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि जिसका यह परिणाम है। समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया गया है? आज अपने संरक्षण मंत्री श्री यशवन्तराव चह्वाण से भी मैं कहना चाहता हूं कि वह सरदार पटेल की सुदृढ़ भाषा में पाकिस्तान को स्पष्ट कहें कि पूर्वी पाकिस्तान से जो हिन्दू भारत आयेंगे उनको भारत बसायेगा तो सही लेकिन जितने हिस्से में इनको बसाया जाना है, उतनी जमीन पाकिस्तान हिन्दुस्तान को देगा। यही न्यायपूर्ण मांग दुनियां के सामने हमारी होनी चाहिये। इस भाषा में जब हम बोलेंगे, जब इस भाषा में हम सोचेंगे, तब हम देश के गौरव की रक्षा कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाहौर ढाका रेल लाइन का विरोध

७ मार्च १९६३ को रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस में शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुरादाबाद लक्सर गाड़ी तथा लक्सर-गजरौला रेल लाइनों को जिन्हें १९४०-४५ के विश्व युद्ध के दिनों में बन्द कर दिया गया था, पुनः शीघ्र खोलने की मांग की। शास्त्री जी ने बहस में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठाया कि पाकिस्तान अपने पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र को मिलाने के लिए भारत में से होकर एक गलियारा तथा उसमें से अपनी रेल लाइन ले जाने की बात करता है। भारत सरकार की नीति बड़ी अस्पष्ट है। रेलमंत्री श्री शाह नवाज ने अभी बताया कि भारत सरकार पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। भारत को स्पष्ट और अन्तिम रूप से कह देना चाहिए कि वह पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को जोड़ने वाली पाकिस्तान की लाहौर-ढाका रेल लाइन बिछाने की किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करेगा। उसका भारत के अगले इतिहास पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा।

पाक अधिकृत भारतीय क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण पर भारत की उपेक्षा पर उन्होंने नेहरू जी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सड़क बनती गई और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें तो इसका भविष्य में हमारी सामरिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। श्री सिंघवी, श्री नाथ पई और श्री हेम बरुआ ने शास्त्री जी का समर्थन किया।

गत २६ जनवरी (१९६४) को नरसिंह थापा और मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किए जाते समय चीनी प्रतिनिधि के समारोह से चले जाने के प्रश्न पर भी शास्त्री जी ने नेहरू जी को हतप्रभ कर दिया। नेहरू जी ने कहा कि हम ऐसे मौकों पर कुछ कारवाई करते हैं। प्रकाशवीर जी ने उलटवार किया: "और चीनी उठकर चले जाते हैं।" ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों का अपहरण

शास्त्री जी का लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी दो-तीन बार टकराव हुआ। सर्वप्रथम असम में घुसपैठियों के प्रश्न पर तथा दूसरी बार हिन्दी विधेयक को पेश करने पर हुआ। इस विधेयक को नेहरू जी ने श्री लाल बहादुर शास्त्री के कन्धे पर रख कर पेश किया था। शास्त्री जी ने लाल बहादुर जी से कहा था कि इस विधेयक को प्रस्तुत कर आप न केवल हिन्दी का अपितु देश का अहित कर रहे हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनका तीसरा टकराव दैनिक हिन्दुस्तान में ढाका के हवाले से प्रकाशित एक समाचार को लेकर ३० मार्च १९६४ को हुआ। जिसमें कहा गया था कि पूर्वी पाकिस्तान में बलात् हिन्दू लड़कियों का अपहरण कर उन्हें एक जहाज़ में भर खाड़ी देशों में बेचने के लिए भेजा गया है। एक सतर्क सांसद के नाते शास्त्री जी ने इस प्रश्न पर सदन में अवलिम्ब चर्चा करने की मांग की। उस समय सदन में नेहरू जी भी उपस्थित थे, पर चर्चा का उत्तर उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जो अविभागीय मंत्री थे।

शास्त्री जी ने पूछा था कि १५ मार्च १९६४ के दैनिक हिन्दुस्तान में यह समाचार छपा है कि पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिन्दू लड़कियों का अपहरण किया गया है तथा उन्हें चटगांव बन्दरगाह से बिक्री के लिए अरब देशों को भेजा जा रहा है। सरकार इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे तथा यह भी बताए कि इसके विरोध में वह क्या कार्रवाई कर रही है।

इसके उत्तर में सर्वप्रथम विदेश राज्यमंत्री श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने कहा कि हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं है तथा हमने ढाका स्थित अपने उच्चायुक्त को समाचार की सत्यता मालूम करने को लिखा है।

प्रकाशवीर शास्त्री : आपने उत्तर में कहा है कि भारतीय उच्चायुक्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्या आपको विश्वास है कि आपके उच्चायुक्त को इतनी सुविधायें प्राप्त हैं कि वह इन सारी बातों की सूचनाएं प्राप्त कर सकें। मैं इसके साथ यह भी जानना चाहता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान से जिन देशों को हिन्दू लड़कियों का निर्यात किया जा रहा है तथा जहां हमारे राजनयिक प्रतिनिधि हैं, क्या भारत सरकार ने उनको भी वास्तविकता का पता लगाने को लिखा है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पहला तो सवाल जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या ऐसी बात हुई है या नहीं, तो पहले तो मैं यह कहूंगा कि यह बात सही नहीं है कि जहाज़ द्वारा ये लड़कियां भेजी जा रही हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आपने अभी इस बारे में हाई कमिश्नर से पूछा है। उनका आपको अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है। फिर बिना जवाब आये आप कैसे कह रहे हैं कि यह सही नहीं है। यह उत्तर बड़ा बेतुका है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अखबारों में यह चीज छपी है, इसलिए उनसे दरख्वास्त किया गया है कि इसमें क्या सच्चाई है? अगर कोई बात होती तो हाई कमिश्नर से हमें सूचना स्वयं मिल जाती। लेकिन

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चूंकि अखबारों में छपा है इसलिए पूछ लिया गया है कि इस बारे में सही बात क्या है। अभी मूल प्रश्न जो है वही दुविधा में है, तो और क्या जवाब दिया जाय?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक ओर तो सरकार कह रही है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई और दूसरी ओर उत्तर में यह भी कह रही है कि हमने हाई कमिश्नर से सच्चाई जानने के लिए कहा है। जब तक हाई कमिश्नर का उत्तर नहीं आता तब तक सरकार अधिकारपूर्वक यह कैसे कह रही है कि जहाज़ नहीं भेजा गया है।

अध्यक्ष : यह तो उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने तो यह कहा है कि हमारी इत्तिला में नहीं है कि ऐसा कोई जहाज़ गया है। चूंकि अखबारों में निकला है इसलिए हाई कमिश्नर से दरयाफ्त किया गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अखबार वालों को तो पता लग सकता है, हमारा जो हाईकमिश्नर वहां बैठा है और जो इस बात के लिए जिम्मेवार है, वह क्या कर रहा है। जिन देशों को लड़कियां भेजी गई हैं उन देशों के राजनयिकों को क्या लिखा गया है?

लाल बहादुर शास्त्री : हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष : क्या अखबार में उन देशों का नाम नहीं लिखा गया है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने अखबार की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। पर मेरी सम्मति में उन देशों में स्थित हमारे राजनयिकों को इस बारे में पूछना ठीक नहीं रहेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है और हाई कमिश्नर को पत्र लिख दिया। हमारी सैकड़ों मां-बहनों को अपमानित किया जा रहा है और आप कहते हैं कि इस बारे में कुछ करना ठीक नहीं है। यह तो पराकाष्ठा है। मंत्री महोदय को जब पूरी जानकारी नहीं है तो उन्हें उत्तर देने के लिए तैयार होकर आना चाहिए अन्यथा चुप बैठे रहें। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान के प्रति भारत का अहिंसा व्रत

शास्त्री जी पाकिस्तान की भारत विरोधी कार्रवाई पर जहां स्वयं सतर्क थे वहां सरकार को भी इस दिशा में कचोटते थे। २७ फरवरी ६४ को उन्होंने पाकिस्तान द्वारा सीमा क्षेत्र में घात लगाकर भारतीय सैनिकों की हत्या का मामला उठाया। इस अवसर पर उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार ठोस प्रमाण और आंकड़े देकर बताया कि पाकिस्तान की इन आक्रामक कार्रवाइयों के विरोध में भारत क्या कर रहा है। इस बारे में जनता को विश्वास में लिया जाना चाहिए। भारतीय जनता अनुभव करती है कि हम पर हमला हो रहा है और हम अहिंसा व्रत लिए हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं परन्तु विभाजन के कारण पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक की रक्षा का दायित्व निभाने में हमारी बोलती बन्द हो जाती है। हमारे में अब यह कहने की भी शक्ति नहीं रही कि पाकिस्तानी क्षेत्रों में अल्प संख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों के बारे में शास्त्री जी की राय स्पष्ट थी। उनका कहना था कि भारत सरकार की नीति पाकिस्तान के प्रति अत्यधिक निर्बलता की है। भारत की सीमा पर जब तक पाकिस्तान गोलाबारी की पहल करता है और हम जवाब देते हैं वह भी अधूरा, अधकचरा।

आज (अप्रैल २००१) अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पाकिस्तान से तब तक बात न करने का निर्णय लिया है जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को तथा घुसपैठ के द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण बंद नहीं कर देता। परन्तु शास्त्री जी ने यही बात कच्छ की सीमा पर पाकितानी सेना के जमाव के प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करते हुए १९ अप्रैल १९६५ को लोक सभा में कही। शास्त्री जी के वक्तव्य का एक अविकल अंश इस प्रकार है

"भारत सरकार की आदत है कि जब तक पानी बिल्कुल मुंह तक न आ जाए तब तक पार्लियामेंट और देश को वह कुछ नहीं बतलाती है। २५ जनवरी, १९६५ को कच्छ की दो चौकियों में जिनकी यहां चर्चा हुई पाकिस्तानी सैनिक देखे गये थे और भारत सरकार ने अब जाकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही पार्लियामेंट को और देश को इस सम्बन्ध में जानकारी दी है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इतनी भयंकर स्थिति होने पर कमांडर इन चीफ जनरल चौधरी को उस क्षेत्र का दौरा करना पड़ा। तो क्या उन्होंने भारत के संरक्षण मंत्री को अपनी कोई रिपोर्ट दी है या नहीं दी है। अगर दी है तो उन्होंने यह भी बताया होगा कि पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है, और उसके द्वारा आक्रमण किये जाने की तैयारियां चल रही हैं।

"ऐसी स्थिति में भारत सरकार का पाकिस्तान से बातचीत करना कहां तक उचित होगा? क्यों नहीं प्रधान मंत्री आज इस बात को स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि जब तक पाकिस्तानी फौज वापिस नहीं जाती है और सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है, तब तक भारत पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार नहीं है?"

शास्त्री जी कभी भी किसी ऐसे मौके से नहीं चूके जब पाकिस्तान ने आक्रामक कार्रवाई की हो और उन्होंने इस बात को सदन में न उठाया हो। शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी और वहां की विधान सभा भंग किए जाने पर भी शास्त्री जी ने सरकार को देश की सारी स्थिति से अवगत करने के लिए वक्तव्य देने को कहा। शेख अब्दुल्ला की विदेश यात्रा पर तथा चाऊ एन लाई से उनकी भेंट पर भी शास्त्री जी ने स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की। उन्हें दिए गए पासपोर्ट के बारे में भी उन्होंने विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह से ऐसे प्रश्न किए कि वे फीके पड़ गए। शास्त्री जी को अध्यक्ष से कहना पड़ा कि मेरे सीधे से प्रश्न का उत्तर भी विदेश मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर उल्टा-सीधा, असम्बद्ध और हास्यास्पद है। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाक को हथियार देने पर अमरीका की कठोर भर्त्सना

चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में हो अविलम्बनीय जनहित के प्रश्न के रूप में शास्त्री जी सदा ऐसे मुद्दों पर सदन को सचेत करते रहते थे। इससे लोक सभा हो या राज्य सभा उनकी सक्रियता एवं जागरूकता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई।

अमरीका द्वारा बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र सप्लाई करने का मुद्दा १८ फरवरी १९७५ को शास्त्री जी ने राज्य सभा में उठाया तथा कहा कि अमरीका की इस कार्रवाई के विरुद्ध दोनों सदनों में निन्दा प्रस्ताव पारित किया जाय। तथा उसे अमरीकी सरकार को भेजा जाय।

इस मुद्दे पर शास्त्री जी का रुख बड़ा आक्रामक था। उन्होंने कहा कि इस ध्यानाकर्षण या जनहित प्रस्ताव के तीन पक्ष हैं भारत, पाकिस्तान और अमरीका। जहां तक अमरीका का प्रश्न है उसने इससे पहले भी १९६५ और १९७१ में पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिए हैं। १९७१ के बंगलादेश के मुक्ति अन्दोलन संघर्ष में भी अमरीका ने बंगाल की खाड़ी में अपना बेड़ा भेज कर आग में घी डालने का काम किया था। अब पाकिस्तान को और हथियार देने की बात अमरीका की एक नई अमैत्रीपूर्ण कार्रवाई है। मैं इस प्रश्न को उठाकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि अमरीकी कार्रवाई के विरुद्ध सारे देश में व्यापक रोष और क्षोभ है।

शास्त्री जी ने कहा कि सेना विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार १९७१ में अमरीका ने पाकिस्तान को २७०० मिलियन मूल्य के हथियार दिए। अमरीकी स्पष्टीकरण है कि वह 'डिफेन्सिव आर्म्स' देगा। बन्दूक डिफेन्सिव भी है और अफेन्सिव भी। अतः किसी अस्त्र पर यह लेबल कोई अर्थ नहीं रखता कि वह डिफेन्सिव है। यह कहकर अमरीका ने घटिया मजाक किया है। पहले भी अमरीका ने कहा था कि उसने पाकिस्तान को जो अस्त्र दिए हैं उनका भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं होगा, पर हुआ उलटा। पाकिस्तान ने सभी युद्धों में अमरीकी हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध ही किया है। अमरीकी विदेश मंत्री कीसिंगर का कहना है कि अमरीका ने पाकिस्तान से कोई नया समझौता नहीं किया है। केवल उसने हथियार न देने का अपना प्रतिबंध हटा लिया है। उल्लेखनीय है कि जब प्रतिबंध था तब भी पाकिस्तान को सऊदी अरब तथा तुर्की के माध्यम से उसे लगातार हथियार मिल रहे थे। हमें अमरीका को साफ कह देना चाहिए कि वह पाकिस्तान को हथियार देकर एक नए विश्वयुद्ध के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जो मार्ग बड़ा भयानक है।

शास्त्री जी ने अन्त में कहा कि अब समय आ गया है जब हम अस्त्र-शस्त्रों के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर न रहें। हमारे वैज्ञानिकों ने हमें अणु-क्षेत्र में पूरा विकास कर हमें एक नई शक्ति प्रदान की है और इसे विकसित किया जाय। शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९७७ में पुनः आपत्ति

२९ मार्च १९७७ को वाशिंगटन पोस्ट ने एक समाचार दिया था कि अमरीकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान सहित कुछ देशों को २० अरब डालर मूल्य के हथियारों की बिक्री करने की अनुमति दे दी है। इस समाचार के आधार पर श्री शास्त्री जी ने ४ अप्रैल १९७७ को पुनः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख कर बहस की मांग की।

विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तर का स्वागत करते हुए शास्त्री जी ने कहा कि नेहरू जी के समय से ही अमरीका की नीति भारत विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक रही है। परन्तु कार्टर के राष्ट्रपति बनने के बाद स्थिति के सुधरने की आशा बंधी थी पर वाशिंगटन पोस्ट की खबर ने एक नया धमाका कर दिया है। पत्र के अनुसार पाकिस्तान ने अमरीका से ११० लड़ाकू जैट विमान मांगे हैं।

मैं विदेश मंत्री और सरकार से आग्रह करता हूं कि वे अमरीका को इस २० अरब डालर की बात के बारे में भारत की चिन्ता से अवगत करायें तथा भारतीय उपमहाद्वीप में इससे शस्त्रों की होड़ को बढ़ाने से रोकें। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिमला समझौते से पाकिस्तान को ही लाभ

शिमला समझौते के बाद इस्लामाबाद लौटकर जुल्फीकार अली भुट्टो ने जिस प्रकार के भाषण दिए वह एक पराजित राष्ट्र के नहीं अपितु विजयी राष्ट्र के लगते थे। शास्त्री जी ने इस बारे में २२ जुलाई १९७४ को जनहित के लिए अविलम्बीय महत्व के प्रश्न के रूप में विशेष बहस के रूप में इस विषय को उठाया। शास्त्री जी सरकार और देश को यह बताना चाहते थे कि शिमला समझौता एक प्रकार से पराजित पाकिस्तान के ही पक्ष में गया है। पाकिस्तान को बंगलादेश जरूर छोड़ना पड़ा पर वह जहां अपने सारे बन्दी सैनिक वापिस ले गया वहां कश्मीर के मोर्चे पर अपनी धरती भी भारत के हाथ से ले गया। अरब राष्ट्र तथा कुछ पश्चिमी देश पाकिस्तान को पुनः शस्त्र सज्जित कर रहे हैं तथा आवश्यक सैनिक सहायता दे रहे हैं। शास्त्री जी ने जोरदार शब्दों में रक्षा मंत्रालय को सावधान करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सांप की कमर टूट गई है पर भारतीय जनता चाहती है कि उसका फन भी कुचल दिया जाय।

शास्त्री जी ने कहा कि बंगला देश के उदय के पश्चात् शिमला समझौते से कुछ आशा बंधी थी कि अब भारतीय प्रायद्वीप में शान्ति स्थापित हो सकेगी। परन्तु शिमला से लौटने के बाद लाहौर हवाई अड्डे पर और इस्लामाबाद पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तानियों को यही कहा कि शिमला समझौते को अधिक महत्व न दिया जाय। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के अधिकार में आई पाकिस्तानी धरती तथा उसके बंदी बनाए गए १ लाख सैनिकों की मुक्ति थी। उन्होंने ये दोनों उद्देश्य पूरे कर लिए।

परन्तु भारत सरकार एक हाथ से ताली बजाने का प्रयास कर रही है। उसे इस समझौते से क्या मिला? भारत ने पाकिस्तान को और वार्ता के लिए जो प्रस्ताव भेजा उसके लिए भी पाकिस्तान शर्तें लगा रहा है। जीते हम हैं और वह हम पर अपनी शर्तें थोप रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान से मिली सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने अपनी दो नई डिवीजनें तैयार कर ली हैं। चीन, अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अरब राष्ट्रों से उसने बड़ी मात्रा में नए टैंक एवं विमान आदि खरीद लिए हैं। क्या भारत ने इन राष्ट्रों को पाकिस्तान को हथियार न देने के लिए अपना पक्ष रखा है? जम्मू क्षेत्र में पाक गतिविधियां पहले से भी अधिक हो गई हैं। पाकिस्तान में नए सिरे से युद्धोन्माद सिर उठा रहा है। पाकिस्तान रेडियो में भारत विरोधी नारे गूंजते रहते हैं। अतः भारत को पाकिस्तान को पुनः सशक्त भाषा में कहना चाहिए कि यदि उसने फिर ऐसी हरकत की तो उसका सिर कुचल दिया जायगा।

श्री शास्त्री जी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो इसका उत्तर विद्याचरण शुक्ल ने अंग्रेजी में दिया। शास्त्री जी कब चूकने वाले थे उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि मैंने प्रश्न हिन्दी में किया है तथा शुक्ल हिन्दी भाषी हैं अतः वे उत्तर भी हिन्दी में दें। विवश शुक्ल को बाद में हिन्दी में उत्तर देना पड़ा। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उर्दू के नाम पर साम्प्रदायिकता फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण

भाषाई अल्प संख्यक आयोग की रिपोर्ट पर बहस के समय सत्तारूढ़ दल के एक मुस्लिम सदस्य ने अपनी ही सरकार पर भेदभाव के निराधार आरोप लगाये। शास्त्री जी ने इसका निराकरण करते हुए इस बात पर खेद प्रकट किया कि उर्दू को एक जाति विशेष के साथ जोड़ कर ही उसके बारे में नीति बनाई जाती है। यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े संक्षेप में एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री ताहिर को गवर्नमेंट से यह शिकायत है कि गृह मन्त्रालय की ओर से जो इस प्रकार के प्रेस नोट राज्यों को जाते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया जाता।

अभी माननीय त्यागी जी ने कहा कि इस प्रकार के आन्दोलनों से, अर्थात् छोटी-छोटी भाषाओं का नारा लगाने से यह परिणाम हुआ है कि हमारे देश की अखण्डता खण्डित होती चली जा रही है। लेकिन ताहिर साहब का कहना है कि अगर छोटी-छोटी भाषाओं को संरक्षण दिया जायेगा तो इससे देश की अखण्डता खण्डित नहीं होगी।

तीसरी बात जिस पर उन्होंने विशष जोर दिया है वह मेरा विचार है केवल इस सदन को सुनाने के लिये नहीं है बल्कि पाकिस्तान के प्रेस को सुनाने के लिये है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पुस्तक हिन्दुस्तान में पढ़ायी जाती हैं कि जिसको पढ़ने से.....

[अध्यक्ष द्वारा आपत्ति]

उर्दू को सम्प्रदाय विशेष से जोड़ना अनुचित

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक उन प्रेस नोटों का सम्बन्ध है जो गृह मन्त्रालय की ओर से प्रदेश सरकारों को भेजे जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में मैं इस रिपोर्ट में से ही कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले मैं मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे बड़े दुःख की बात तो यह है कि जब भी उर्दू का प्रश्न आता है तो उसे एक सम्प्रदाय विशेष या धर्म विशेष के साथ मिला दिया जाता है और उसी आधार पर उर्दू की उन्नति या अवनति के सम्बन्ध में चर्चायें की जाती हैं। सम्प्रदाय विशेष के साथ उसको लगा कर उस आधार पर चर्चा की जाती है।

मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े विशेष रूप से इस दृष्टि से देना चाहता हूं कि संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की अपेक्षा वहां उर्दू से चिपटे सम्प्रदाय विशेष की संख्या अधिक नहीं है जिसके लिये इतनी बड़ी सुविधायें दी जा रही हैं। यह गृह मन्त्रालय की नीति का ही परिणाम है कि वहां इस प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि सन् १९५५-५६ में मध्य प्रदेश में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १६,६८६ थी और उनके लिये ५९१ अध्यापकों का प्रबन्ध किया गया। १९५६-५७ में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १८,३३९ थी और उनके लिए ६२७ अध्यापकों की व्यवस्था की गयी।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसी प्रकार सन् १९५७-५८ में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १९,७०५ थी जिनके लिये ६४७ अध्यापकों की व्यवस्था की गयी।

इसी प्रकार आप देखें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे अध्यापकों की संख्या हजारों में पहुंचती है। उत्तर प्रदेश में सन् १९५५-५६ में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थी ७३,७०४ थे, जिनके लिये २,६१० अध्यापकों की व्यवस्था की गयी। सन् १९५६-५७ में, २,७४४ अध्यापकों की व्यवस्था की गयी।

तो यह कह कर कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो प्रेस नोट राज्य सरकारों को जाते हैं उनको व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाता। केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है उस दल के एक सदस्य द्वारा जिसकी आज सरकार है। मेरा ऐसा अनुमान है कि यह उचित नहीं बल्कि इसके पीछे कुछ दूसरा भाव ही प्रतीत होता है।

'सरस्वती' के नाम पर साम्प्रदायिकता

दूसरी बात। एक पुस्तक के सम्बन्ध में इन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पुस्तक पढ़ायी जाती है जिससे हिन्दू और मुसलमानों के बीच में आपस में वैमनस्य की खाई चौड़ी होती जाती है। होना तो यह चाहिए था, जैसा कि श्रीमन् आपने संकेत किया, कि यह दोषारोपण करने से पूर्व माननीय सदस्य उस पुस्तक का नाम या उस पाठ का नाम लिख कर लाते। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व इस सदन में करता हूं इसलिये अपनी जानकारी के आधार पर पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पुस्तक की चर्चा वह कर रहे थे उस पुस्तक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में एक सम्प्रदाय विशेष की ओर से यह कहा गया था कि इस प्रकार की पुस्तक पढ़ायी जाती है जिससे दूसरे के धर्म का अपमान होता है और इसलिये इस पुस्तक को अमुक वर्ग विशेष के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने उस सम्बन्ध में अपनी सफाई भी दी थी।

आज मैं इस बात को इसलिये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस मामले में व्यावहारिकता और निष्पक्षता से ही काम नहीं लिया बल्कि सीमा से भी आगे बढ़ कर तुष्टीकरण का कार्य किया। उस पुस्तक का नाम "सरस्वती प्रकाश" या "सरस्वती चन्द्रिका" है। उसमें एक दो स्थानों पर इस प्रकार के प्रकरण आए हैं कि सरस्वती की पूजा कैसे की जाए? उस सम्प्रदाय विशेष की ओर से शिकायत की गयी कि हमारे बच्चे इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि जब इस पुस्तक का अगला संस्करण छपेगा तो उसमें इस प्रकार का नोट चढ़ा दिया जाएगा कि उस सम्प्रदाय विशेष को बच्चों के उसे पढ़ने के लिये विवश न किया जाए।

मैं समझता हूं कि आज जब हम इस देश में एकता के वातावरण को दृढ़ करना चाहते हैं तो यह बात उचित नहीं थी कि इस प्रकार का नोट चढ़ाया जाता। बल्कि होना तो यह चाहिए कि अगर दूसरे सम्प्रदाय के त्यौहारों के बारे में हिन्दू बच्चे जानकारी प्राप्त करना चाहें तो उनको उसकी भी छूट दी जानी चाहिए और इसी प्रकार अगर दूसरे सम्प्रदायों के बच्चे हिन्दू त्यौहारों के बारे में सीखें तो इससे एकता बढ़ेगी न कि एकता टूटेगी। लेकिन इसके पीछे जो भावना है वह कुछ और है। उसी के आधार पर ये सारी बात कही जा रही है।

इस शिकायत के सम्बन्ध में कि जो प्रेस नोट केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनको व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाता, मुझे एक और भी निवेदन करना है। कुछ समय पूर्व मुझे इस सदन में पंजाब के एक छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह स्थान गुड़गांव है जो कि दिल्ली से ३० मील चल कर है। उस डिस्ट्रिक्ट में उस समय मुसलमान बहुत थोड़ी संख्या में थे। उन्होंने पंजाब सरकार को आवेदन पत्र दिया कि उनको उर्दू पढ़ने की सुविधा दी जाए। तो पंजाब सरकार ने बिना इस बात की अपेक्षा किए कि उस जिले में दूसरे सम्प्रदायों के बच्चों की संख्या कितनी है, उनके लिए उर्दू के पठन-पाठन की व्यवस्था तुरन्त कर दी। मेरा निवेदन यह है कि जो इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं वे किसी जानकारी पर आधारित नहीं हैं।

इसी प्रकार आप देखें कि काश्मीर में, आन्ध्र प्रदेश में, जहां कहीं भी उर्दू के पठन-पाठन की सुविधाओं की मांग की गयी वे सुविधायें उपलब्ध की गयीं। इसलिये मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी चर्चाएं इस सदन में न की जाएं। कारण इस प्रकार की चर्चाएं केवल इस सदन की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहतीं बल्कि प्रेस वाले उनको दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं और दूसरे देशों में उनको बढ़ा-चढ़ा कर प्रदर्शित किया जाता है। विशेष कर जब रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य कोई बात अपने मुंह से निकालें तो उनको इस देश के स्वाभिमान और परम्परा का ध्यान रखना चाहिये और उनको यह बात भी अपने सामने रखनी चाहिये कि एक छोटे से सम्प्रदाय को सीमा से आगे बढ़ कर किस प्रकार सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसका अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिये। ❑

मद्यपान का अभिशाप

हमारे बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी जो सायंकाल के समय यहां दिल्ली की क्लबों में जाकर ब्रिज, फ्लाश इत्यादि खेलते हैं, वहां पर कुछ उद्योगपतियों के प्रतिनिधि भी आते हैं और वे जानबूझ कर उनसे हार कर उन का उत्साह बढ़ाते हैं। इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगनी चाहिये, कोई चैक होना चाहिये। शराब के चक्कर में भारतवर्ष की गुप्त फाइलें दूसरे देशों को जब दे दी जाती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार इन जयचन्दों की जो प्रवृत्ति है, इसको कब तक आप सहन करेंगे। इससे मुक्ति पाने में भी कुछ कठोर निर्णय आपको लेने होंगे।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्त्वों पर निगरानी

गृह मंत्रालय की विविध मांगों पर बहस में शास्त्री जी ने हिन्दी, हड़तालें, पाक घुसपैठ, कश्मीर दंगों में पाकिस्तानी तत्वों का तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता आदि विषयों पर व्यापक परिदृश्य उपस्थित किया। उन्होंने गृह मंत्रालय से सतर्कता बनाए रखने का २७ मार्च १९६१ को अपने भाषण में आग्रह किया।

सभापति महोदय, हमारे देश में पीछे एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी और वह हड़ताल भी इस प्रकार थी जिसने सारे देश के वातावरण को हिला दिया। हड़ताल में जनता के सहयोग से और शासन की सतर्कता से सफलता प्राप्त हुई। लेकिन सफलता प्राप्त होने के पश्चात् शासन के सामने एक यह प्रश्नवाचक चिह्न आया कि भविष्य में इस प्रकार की हड़तालें न हों और देश के अन्दर जो अनिवार्य केन्द्रीय सेवाएं हैं उनको हर समय बराबर जारी रखा जाय। इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक विधेयक उपस्थित करने का आश्वासन दिया।

अनिवार्य सेवाएं बाधित न हों

मैं चाहता यह हूं कि जहां इस प्रकार की अनिवार्य सेवाओं के सम्बन्ध में हमारी केन्द्रीय सरकार एक विधेयक लाने का प्रयत्न कर रही है वहां इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि जितने भी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अनिवार्य सेवाओं में हैं उनकी मांगों के सम्बन्ध में उदारता से विचार किया जाय और समय-समय पर उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में ध्यान भी दिया जाय। परन्तु जहां इस बात के मैं समर्थन में हूं वहां इस प्रकार की भी व्यवस्था कोई अवश्य होनी चाहिए कि जो अनिवार्य केन्द्रीय सेवायें हैं उनको किसी भी समय इतने लम्बे समय तक के लिए स्थगित न किया जा सके।

फ्रांस में भी इस प्रकार की हड़तालें होती हैं, किन्तु मेरी जानकारी है कि अनिवार्य केन्द्रीय सेवाओं के कर्मचारी जब हड़ताल करते हैं, तो वह हड़ताल चौबीस घंटे की एक टोकन हड़ताल होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस देश में इतनी लम्बी हड़तालें की जायेंगी, तो उसका परिणाम यह होगा कि एक ओर तो देश की शासन-व्यवस्था अस्त-व्यस्त होगी और दूसरी ओर नागरिकों के सामान्य जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिये जहां यह आवश्यक और उचित है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में उदारता और गम्भीरता से निर्णय लिये जायें, वहां यह भी आवश्यक है कि इस विषय में सावधानी और सतर्कता बरती जाये, ताकि देश में इस प्रकार की कार्यवाहियों की पुनरावृत्ति न हो।

केन्द्रीय कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण

गत वर्ष गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह प्रकट किया गया है कि शासन की ओर से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को धीरे-धीरे हिन्दी में प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस विषय में आंकड़े दिये गये हैं कि पच्चीस हजार कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है और पंद्रह हजार और कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण देने का विचार है। इसका मतलब यह है कि चालीस हजार

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्मचारियों को एक वर्ष में हिन्दी में प्रशिक्षण देने का सरकार का विचार है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षण लेते हैं, उनको अभ्यास का अवसर देने और अपने ज्ञान को व्यवहार में लाने का मार्ग खोलने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी तक सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है। यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे छोटे-छोटे नोट हिन्दी में लिखना शुरू कर दें। यदि वे प्रशिक्षित हो जायें, और बाद में उनको काम बराबर अंग्रेजी में ही करना पड़े और उनको कोई व्यावहारिक ज्ञान एवं अभ्यास न हो, तो इस योजना से कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

पाक नागरिकों का उल्लेख नहीं

गत वर्ष की रिपोर्ट में इस आशय के आंकड़े भी दिये गये हैं कि हमारे देश में किस-किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं। उसमें यह बताया गया है कि हमारे देश में ईरान, इटली और तिब्बत आदि देशों के इतने-इतने नागरिक रह रहे हैं, लेकिन आदि से अन्त तक इस रिपोर्ट को देखने के पश्चात् भी मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान के नागरिकों के विषय में कोई आंकड़े इसमें नहीं दिये गये हैं। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की ओर से जिस समय इस प्रकार के तथ्य सदन के सामने लाये जायें, तो प्रत्येक देश के नागरिकों के सम्बन्ध में आंकड़े दिये जाने चाहिए।

पिछले दिनों एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्री, स्वर्गीय श्री गोविन्द बल्लभ जी पन्त, ने इस सदन को बताया था कि १९५८ के अन्त में लगभग ५७,१०० पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, जो कि पारपत्र लेकर यहां आये हैं। मैंने पूछा था कि इस प्रकार के पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है, जिनके पारपत्रों की अवधि समाप्त हो चुकी है और फिर भी भारत में रह रहे हैं। इसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि पंजाब प्रदेश के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, किन्तु बाकी सारे भारतवर्ष में पौने छः हजार के लगभग पाकिस्तानी नागरिक बिना पारपत्र के रह रहे हैं।

दंगों के पीछे किसका हाथ?

इस प्रश्न की ओर मैं शासन का ध्यान इस कारण भी आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में अभी पीछे स्थान-स्थान पर जो दंगे हुए हैं, जिनके कारण यहां के लोगों में आपस में मन-मुटाव की स्थिति पैदा हुई है, उनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अपने विश्वस्त सूत्रों के द्वारा इस बात की जानकारी होगी कि उनके पीछे किसी का छिपा हुआ हाथ है, जो कि इस देश के बाहर का ही है। मेरा स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में अपने रिश्तेदारों को मिलने आते हैं, वे भारतवर्ष के शान्त वातावरण को दूषित करते हैं। आज तक देश में जितने भी कांड हुए हैं—फिरोजाबाद, मुबारकपुर, जबलपुर और कल परसों मुरादाबाद में जो घटना हो चुकी है—उन सबके पीछे पाकिस्तानी नागरिकों का हाथ है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि केन्द्रीय सरकार पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को पारपत्र देने के सम्बन्ध में अपने नियमों में कुछ कड़ाई बरते, जिससे वे यहां आकर हमारे राष्ट्र के आन्तरिक जीवन में किसी प्रकार का विक्षोभ पैदा न कर सकें।

इस प्रतिवेदन में एक विशेष बात यह दी गई है कि अनुसूचित जातियों को और सुविधायें देने के अतिरिक्त अगले वर्ष से अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये कुछ पृथक छात्रावासों की स्थापना की जायगी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए पृथक छात्रावास बनाने की अपेक्षा यह कहीं अधिक उचित और व्यावहारिक होगा कि जो छात्रावास अभी हैं, उन्हीं में

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनके रहने की व्यवस्था की जाये और वहां ही उनको आवश्यक सुविधायें दी जायें, जिससे अनुसूचित जातियों के छात्र अन्य छात्रों के साथ रह कर अपने रहन-सहन का स्तर उनके अनुरूप बना सकें। अगर उनके लिये पृथक छात्रांवास बनाये जायेंगे, तो परिणाम यह होगा कि पृथकत्व की जिस भावना को हम अपने देश और समाज में समाप्त करना चाहते हैं, वह बनी रहेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस समय जो छात्रावास हैं, उनको बढ़ाया जाये और उनमें अनुसूचित जातियों के छात्रों को उचित सुविधायें दी जायें।

कश्मीर में धन का सदुपयोग हो

संक्षिप्त रूप से और नपी-तुली भाषा में मैं जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। वह राज्य हमारे सीमा-प्रदेश पर स्थित है। चूंकि वहां के नागरिक बड़ी कठिनाइयों से गुजर चुके हैं, इसलिये उनको जितनी अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें, वह हमारे और साथ ही साथ उस राज्य के हित में भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां वहां हैं और जितनी मात्रा में रुपया हम उस राज्य को दे रहे हैं जिसका वहां के नागरिक लाभ उठा रहे हैं, उसको दृष्टि में रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार सावधानी के साथ इस बात का निरीक्षण करती रहे कि जो पैसा वह जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये दे रही है, उसका यथोचित व्यय हो रहा है, या नहीं। मैं इन शब्दों को गम्भीरता के साथ और नपी-तुली भाषा में जान-बूझ कर कह रहा हूं, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि इस बात की अधिक व्याख्या करना उचित नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर निर्णय लेंगे।

सेवाओं में प्रान्तीय कोटा तय हो

इस प्रतिवेदन के अन्त में राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति की रिपोर्ट और माननीय राष्ट्रपति जी के २७ अप्रैल १९६० को प्रकाशित आदेश का उल्लेख करते हुए यह लिखा है कि गृह मंत्रालय की ओर से इस सम्बन्ध में यह कदम उठाये जा रहे हैं और ये सुविधायें दी जा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अपने संविधान में हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के पद पर आसीन करने का व्रत ११ वर्ष पूर्व लिया था। पर ग्यारह वर्षों के बाद भी वह अपने पद पर आसीन नहीं हो सकी है, यह हमारे लिये कोई गौरव की बात नहीं है। हमको अपने पिछले ग्यारह वर्षों के इतिहास का सिंहावलोकन करना होगा और यह देखना होगा कि हमारे कार्यक्रमों में कहां किस प्रकार की न्यूनता रही।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद तक पहुंचाने के लिये जो कठिनाइयां बताई जाती हैं, उनके सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि यदि इस विषय में अहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों की ओर से उत्सुकता और आतुरता प्रकट की जायगी, तो कहीं ज्यादा उपयुक्त होगा। इस दलील में मुझे कोई गम्भीरता नजर न आती हो, यह बात नहीं है। लेकिन मेरा कथन है कि अहिन्दी-भाषाभाषी प्रान्तों में जो यह आरोप लगाया जाता है, जो यह भय प्रकट किया जाता है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर बिठाने का परिणाम यह न हो कि सरकारी सर्विसिज पर वे लोग ही अपना अधिकार कर लें, जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है। मैं समझता हूं कि इस भय का निराकरण करने के लिये यह आवश्यक है कि सरकारी सर्विसिज के विषय में सब प्रान्तों का अनुपात निर्धारित कर दिया जाय कि इस प्रान्त का इतना अनुपात होगा।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यदि इस सुझाव को कार्यान्वित किया जायगा, तो उसके पश्चात् अहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों को इस प्रकार की कठिनाई उपस्थित करने का अवसर नहीं मिलेगा और संविधान में हमने जो व्रत लिया था, हम उसको पूरा करने में समर्थ होंगे और नियत अवधि के अन्दर ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे और देश हमको साधुवाद देगा।

अरेबिक अंकों की अनुपादेयता

मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति जी के आदेश में दी गई और बातों को तो शासन ने कार्यरूप में परिणत नहीं किया, लेकिन उनकी अन्तिम बात को, अर्थात् यह कि सरकारी प्रकाशनों में अरेबिक न्यूमरल्ज़—अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाय, कार्यान्वित करने में उसने बड़ी आतुरता दिखाई। मेरा नम्र निवेदन यह है कि इससे सरकार के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न हुई है और वह यह है कि जो विश्व-कोष नागरी प्रचारिणी सभा में तैयार हो रहा है, उसके अधिकारियों ने उन अंकों को लेकर उसको तैयार करने में अपनी असहमति प्रकट की है।

इसके अलावा मैं इस सम्बन्ध में भारतवर्ष के पुराने इतिहास का छोटा सा परिचय देना चाहता हूं कि अरेबिक न्यूमरल्ज़ क्या हैं। अरब जगत का इतिहास कहता है कि जिनको यहां पर अरेबिक न्यूमरल्ज़, अन्तर्राष्ट्रीय अंक, कहा जाता है, अरब में उनको कहा जाता है इल्मे हिन्दसा—वह ज्ञान, जो हमको हिन्द से प्राप्त हुआ है। दूसरे जिसको इल्मे—हिन्दसा कहते हैं, हम उसको अरेबिक न्यूमरल्ज़ कहते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के रूप में स्वीकार करते हैं, क्या यह हंसी की बात नहीं है? दूसरे हमारे अंकों को लेकर गौरव अनुभव करें और हम उनके विषय में आत्म-हीनता की स्थिति में हों, यह कितने आश्चर्य की बात है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय इस सम्बन्ध में गम्भीरता के साथ विचार करे और उदारता से कुछ निर्णय ले।

सतर्कता विभाग अधिक सतर्क बने

गृह मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मैं एक बात विजिलेंस डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे देश का विजिलेंस डिपार्टमेंट देश के जन-साधारण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको केवल नागरिकों की गतिविधियों पर ही नजर नहीं रखनी चाहिए, अब समय आ गया है कि वह हमारे मिनिस्टरों और स्टेट मिनिस्टरों पर भी विशेष ध्यान दे। आपने कल परसों की घटना समाचारपत्रों में पढ़ी होगी कि एक महानुभाव ने, जो पंजाब असेम्बली के सदस्य हैं, एक टेप-रिकार्ड उपस्थित किया, जिसे समाचारपत्रों के संवाददाताओं को भी सुनवाया गया। मुझे पता नहीं कि उसमें जो चर्चा की गई है, उसमें सत्यांश कितना है। हो सकता है कि वह झूठ हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज समाचारपत्रों में आती है, वह एक आन्दोलन पैदा करती है। इसलिये केन्द्रीय सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट का यह कर्तव्य हो जाता है कि जन-साधारण के सम्बन्ध में ही नहीं, बल्कि मिनिस्टरों के सम्बन्ध में जो इस प्रकार के अपवाद फैलते हैं, उनके सम्बन्ध में सच्चाई से जानकारी प्राप्त करे, क्योंकि एक करप्ट मिनिस्टर न केवल अपने प्रान्त के वातावरण को दूषित करेगा। इसलिये विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारों को आपको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिये ताकि उसका कार्यक्षेत्र सिमट कर ही न रह जाय।

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। अभी यहां पर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्ज की एक

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कान्फ्रेंस हुई थी और उसमें आपने निश्चय किया था कि न्याय विभाग को प्रबन्ध विभाग से पृथक कर दिया जाए। कुछ प्रान्तों ने इस सुझाव को व्यावहारिक रूप भी दिया है और इसके परिणाम बड़े ही शुभ रहे हैं। वहां पर न्याय विभाग बड़ी ही सन्तुलित स्थिति में चल रहा है। लेकिन कुछ प्रान्त अभी भी इस प्रकार के हैं कि जहाँ न्याय विभाग को प्रबन्ध विभाग से पृथक् नहीं किया गया है। और न ही वे इसको करना चाहते हैं। उसमें एक पंजाब प्रान्त भी है जिसका मैं यहां प्रतिनिधित्व करता हूं। उन्होंने अभी तक प्रबन्ध विभाग से न्याय विभाग को पृथक् नहीं किया। इसका परिणाम यह है कि पंजाब की न्याय व्यवस्था दूषित हो चुकी है। पंजाब का आम आदमी इस बारे में आज शंकाशील हो उठा है, आज उसके हृदय में सन्देह पैदा हो चुका है कि उसके मुकदमे का न्यायपूर्ण ढंग से निर्णय हो सकेगा या नहीं? ग्रेवाल का केस आपके सामने है, पटियाला के कमिश्नर श्री कपूर का केस आपके सामने है। यह मैं उदाहरण स्वरूप ही बता रहा हूं। और भी इस प्रकार की बहुत बातें हैं। तो चीफ मिनिस्टर्ज ने जो निर्णय किया था उसके बारे में आप आदेश दीजिये कि सब प्रान्तों में न्याय विभाग को प्रबन्ध विभाग से पृथक् कर दिया जाए।

पंजाब के एक मिनिस्टर पंडित मोहन लाल ने विधान सभा में भाषण देते हुए कहा कि हमारा सैट-अप इस प्रकार का है कि हमें न्याय विभाग को प्रबन्ध विभाग से इसलिए अलग करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि हमें कोई कठिनाई मालूम नहीं हुई है। मिनिस्टर्ज को कठिनाई नहीं हो रही है लेकिन पंजाब के लोग तो कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस ओर ध्यान दें और इस बारे में पंजाब सरकार के प्रबन्ध विभाग से न्याय विभाग को पृथक् करने के लिए कहें।

क्षेत्रीय विकास परिषदें

स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि भारतवर्ष की ७५० रियासतों को भारतवर्ष में विलय करके उन्होंने हिन्दुस्तान के खंडित स्वरूप को समाप्त करके एक ऐसा महान् स्वरूप देने की चेष्टा की थी जिससे भारत एक हो सके। उसी दिशा में हमारे गृह मंत्री स्वर्गीय गोंविन्द वल्लभ पन्त ने एक शृंखला जोड़नी चाही थी और वह क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा जुड़ी थी। उन्होंने भारतवर्ष को पांच भागों में बांट करके पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की थी और इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों का वह धीरे-धीरे विकास कर रहे थे और साथ ही साथ इनके अधिकारों का विकास भी, जिससे राष्ट्रीय एकता पुष्ट हो। मैं चाहता हूं कि आज जबकि पंडित पंत इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके मुख्य उत्तराधिकारी शास्त्री जी जिनके नाम में "बहादुर" शब्द उनके माता-पिता ने लगाया है वह कम से कम इतनी बहादुरी का परिचय अवश्य दें कि पन्त जी जिस परम्परा का श्रीगणेश कर गए हैं उन क्षेत्रीय परिषदों के अधिकारों को बढ़ाएं और उनका विकास करें। राष्ट्र की एकता जो छोटे-छोटे भाषावार प्रान्त बनने से टूटती जा रही है, क्षेत्रीय परिषदों को और अधिक शक्तिशाली बना करके राष्ट्र की एकता को सुरक्षित बनाने की दिशा में वह प्रयास करें।

स्वतंत्रता दिवस पर मातम

अन्त में दो बातें कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर दूंगा। कुछ समय हुआ हमारे सामने एक दो इस प्रकार की घटनायें घटी थीं जिनको देख कर हमें दुःख हुआ था। आपको पता होगा कि हमारे देश

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात पर दुःख व्यक्त किया था। १५ अगस्त १९६० को जब वह दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय झण्डा फहरा रहे थे और देश की स्वाधीनता का दिवस मनाया जा रहा था उस समय हमारे देश का एक प्रान्त इस प्रकार का था जहां पर कि मातम मनाया जा रहा था। मैं यह नहीं कहता कि उसके ऊपर कठिनाई नहीं आई थी और उसको दुःख व्यक्त नहीं करना चाहिये था। लेकिन एक ऐसी सरकार द्वारा जिसकी पार्टी की हुकूमत केन्द्र में भी है और उस राज्य में भी, ऐसी मनोवृत्ति का परिचय देना बड़ा आश्चर्यजनक था। ऐसे अवसरों पर शोक मनाना और मातम का सा वातावरण तैयार करना ऐसी घटना है जो कि समझ में आने वाली नहीं है। मुझे कलकत्ता जाने का अपना अवसर मिला था और मुझे बताया गया वहां के नागरिकों द्वारा दि० १५ अगस्त को जिन दुकानों पर तिरंगे-झण्डे फहरा भी रहे थे, उनको भी पुलिस आई और उतारकर ले गई। इस प्रकार की स्थिति चिन्ता उत्पन्न किये बिना नहीं रहती है। ऐसी ही एक भूल बम्बई के अन्दर भी हुई थी और जो दंगे हुए थे, उनको शान्त करने के लिये उत्तर प्रदेश से पुलिस भेजनी पड़ी थी। इस प्रकार की जो घटनायें हो जाती हैं, उनको रोकने के लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि और कुछ हो या न हो, इतना तो अवश्य होना चाहिये कि हर प्रांत में एक चौथाई पुलिस दूसरे प्रान्तों की होनी चाहिये ताकि विपत्ति काल में कम से कम इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं का सामना किया जा सके और वह उस प्रान्त की स्थिति को सम्भाले रख सके। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जितने भी प्रान्त हैं उन सभी के बारे में कह रहा हूं कि वहां पर एक चौथाई पुलिस दूसरे प्रान्तों की होनी चाहिये जो वहां की व्यवस्था को, वहां के शासन को दृढ़ता के साथ सम्भाले रख सके।

जमीयत की साम्प्रदायिकता

एक अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। हम राष्ट्रीय एकता को विकसित करने जा रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, कुछ इस प्रकार के साम्प्रदायिक तत्व भी धीरे-धीरे विकसित हो रहे हैं और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाले तत्व चाहे हिन्दुओं में हों, चाहे मुसलमानों में, चाहे ईसाइयों में और चाहे किसी और धर्म के मानने वालों में, उनको हमें धिक्कारना चाहिये हमें अपने मुल्क में एक इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिये कि हमारे पूर्वजों ने जिस त्याग और तपस्या के बाद हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र कराया है उसको हम अपने हाथ से न जाने दें। हमारे स्वतंत्र होने के तेरह वर्ष बाद भी अगर कोई इस तरह की बातें करता है जिससे हमारी स्वतंत्रता ही खतरे में पड़े या यहाँ पर कोई अप्रिय घटनायें घटें, तो हम उसको किसी तरह से भी सहन नहीं कर सकते। जबलपुर में जो वीभत्स कांड हुआ, मैंने पहले भी उसको धिक्कारा था और जिन्होंने इस प्रकार के काण्ड में आगे बढ़ कर राष्ट्र में विक्षोभ की स्थिति पैदा की, उनकी भी मैंने निन्दा की थी।

मैं माननीय गृहमंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र में जो इस प्रकार के साम्प्रदायिक समाचारपत्र हैं जो राष्ट्र के वातावरण को बिगाड़ते हैं, देश के शान्त वातावरण को दूषित करते हैं उनके सम्बन्ध में हमारी केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार के समाचारपत्रों पर दृढ़ता से प्रतिबन्ध लगाये। दिल्ली में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका नाम है जमीयत उल उलेमा और उसका एक पत्र निकलता है जिसका नाम है "अलजमीयत"। इस पत्र से कुछ उद्धरण पढ़ कर मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति क्या

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है और केन्द्रीय सरकार का सी.आई.डी. डिपार्टमेंट समाचारपत्रों में इस प्रकार के सम्पादकीय विचारों के बारे में आपको क्यों सूचना नहीं देता है। इसमें जबलपुर की घटनाओं को लेकर १३ फरवरी को एक अग्र लेख लिखा गया और उस अग्रलेख का शीर्षक था "जबलपुर श्मशान भूमि" उस लेख में मुस्लिम अकलियत को सम्बोधित करते हुए उसने लिखा है—

"इस मौके पर क्या हम मुस्लिम अकलियत से भी कुछ कहने का हक रखते हैं अगर हमें इसका हक है, हम मुसलमान से अर्ज करेंगे कि कानून व अखलाक ने हर मजलूम को अपने दफाउ का जो हक दिया है वह उससे फायदा उठाये और अपनी जान माल और आबरू की हिफाजत के लिये वह तमाम तरीके अख्यार करे जो ऐसे मौके पर मजबूरन अख्यार किये जाते हैं। अगर उन्हें बरबाद ही होना है तो दिलों की हसरत निकाल कर बरबाद हों और हमलावरों को पूरी सजा देकर अपने आपको अंजाम के हवाले कर दें।"

इस प्रकार के सम्पादकीय लेख जब निकलते हैं तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ये हमारी राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आज जब कि गृह मंत्रालय के अनुदानों की चर्चा हो रही है, तो गृह मंत्री महोदय थोड़ा सा तो इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करें कि राष्ट्रीय एकता को भंग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को अथवा समाचारपत्रों को चाहे वे किसी भी धर्म से सम्बन्धित हों, क्या दृढ़ता के साथ दबाया नहीं जाना चाहिये।❑

देशद्रोह का दण्ड

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लार्ड एमरी के लड़के को फांसी दी गई थी और उसका कारण यह था कि लार्ड एमरी का लड़का द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी की ओर से इंग्लैण्ड के खिलाफ ब्राडकास्ट किया करता था। फांसी की सजा घोषित होने पर लार्ड एमरी के साथियों ने सोचा कि वृद्धावस्था में उनको पुत्र शोक का कष्ट होगा, इसलिए अच्छा यह है कि लार्ड एमरी की ओर से क्षमा दान की अपील हो तो उनके लड़के को फांसी के बजाय आजीवन कारावास की सजा दे दी जाए। लार्ड एमरी के सामने जिस समय यह प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के यह उत्तर दिया कि लड़के से देश बड़ा होता है। अगर देश के गौरव की रक्षा के लिए मेरे लड़के को फांसी लगती है तो उसको लगनी चाहिये। क्योंकि उसने देश के साथ विश्वासघात किया है। इस घटना को सुनाने का मेरा अभिप्राय केवल-मात्र यह है कि जब आप किसी राष्ट्र को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मान कर व्यक्ति के हित को उससे नीचा समझते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाता है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान के साथ रेल सम्बन्ध अनुचित

परिवहन प्रणाली राष्ट्र की धमनी का कार्य करती है। भारतीय रेलें इसका प्रबल प्रमाण हैं। भारतीय रेल प्रणाली विश्व की वृहत्तम रेल प्रणाली है। २ मई १९६२ को रेल मंत्रालय पर बहस में शास्त्री जी ने इसको सुचारु और लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक सुझाव रखे। यद्यपि भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सम्पर्क स्थापित हो गया है पर शास्त्री जी ने इस शत्रु देश के साथ रेल सम्पर्क स्थापित करने का जोरदार विरोध किया।

सभापति जी, पाकिस्तान का निर्माण जिस पृष्ठभूमि में हुआ है, उसके पश्चात् देशवासियों को कोई ऐसा अवसर देखने को नहीं मिला, जिससे यह प्रतीत हो कि पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किये जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बीच में भारत की ओर से कुछ इस प्रकार का वातावरण अवश्य तैयार किया गया, जिससे यह प्रतीत हो कि भारत और पाकिस्तान, जिनमें कटुता बढ़ गई थी, धीरे-धीरे एक दूसरे के निकट आने का यत्न कर रहे हैं। इसी भावना को लेकर अन्य बातों के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ सीधा रेल-संबंध स्थापित करने के सुझाव पर भी विचार किया जाने लगा। परन्तु इसी बीच काश्मीर के प्रश्न को लेकर या और दूसरे प्रश्नों के कारण, जो वातावरण धीरे-धीरे सामने आया, उसको देखते हुये पिछली बार रेलवे बजट के इस सदन में प्रस्तुत किये जाने के समय मैंने और बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत ही उग्र भाषा में उस योजना का विरोध किया था और कहा था कि उसको हमेशा के लिये स्थगित कर दिया जाये। उस समय के रेल मंत्री ने इस बारे में गम्भीरता से निर्णय लेने का भी इस सदन को आश्वासन दिया था।

लेकिन इस संबंध में जैसी मेरी जानकारी है—और उस बारे में—जो इस बीच प्रश्न पूछे गये हैं—उससे पता चलता है, अभी तक यह प्रश्न विचाराधीन है। किन्तु पाकिस्तान के साथ हिन्दुस्तान के जो कटु संबंध चल रहे हैं और पाकिस्तान की ओर से जो विरोधी भावना पग-पग पर प्रदर्शित की जाती है, उसको देखते हुये यह आवश्यक हो जाता है कि अब इस प्रश्न को सदा के लिये समाप्त कर दिया जाये। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री महोदय इन तमाम अनुदानों की स्वीकृति इस सदन से लेते समय अन्तिम बार घोषणा करेंगे कि पाकिस्तान से रेलवे का सीधा संबंध स्थापित करने की जो बात वर्षों से चल रही है, अब उसको सदा के लिये छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे जहां देशवासियों की भावना है, वहां इस सदन के माननीय सदस्यों की भी वह उग्र भावना है, जिसका समय-समय पर प्रदर्शन होता रहा है।

हमारी सरकार ने बहुत ही स्पष्ट भाषा में इस बात की घोषणा की है कि हम हर एक क्षेत्र में समाजवादी समाज की स्थापना चाहते हैं, इससे सरकार का अभिप्राय शायद यह है कि जिन का स्तर नीचा है, उनको ऊपर उठाया जाये और जो बहुत ऊपर जा चुके हैं, उनको थोड़ा नीचे किया जाये और मध्यम स्थिति में हमारे समाज की रचना की जाये। परन्तु जहां तक रेल मंत्रालय का संबंध है, उसको देखने से प्रतीत होता है कि शायद रेलवे मंत्रालय को समाजवाद की गंध भी छू नहीं गई है। अब भी जितने स्टेशनों पर अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है, वे पहले से भी काफी अच्छे थे और उनमें सुधार की

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। एक ओर जहां ऐसे स्टेशनों पर पुनर्निर्माण के नाम पर लाखों रुपयों का अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है, वहां दूसरी ओर उन छोटे स्टेशनों की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है, जो कि ब्रांच लाइनों पर हैं।

छोटे स्टेशनों की उपेक्षा

पिछली बार भी रेलवे के बजट पर बोलते हुए मैंने इस बात का संकेत दिया था और आज उसको फिर दोहराता हूं कि छोटी लाइनों पर, इस प्रकार के स्टेशन देखने को मिलें, जहां न तारघर हैं, न वेटिंग रूम हैं और रेलवे मंत्रालय की ओर से यात्रियों को जो सुविधायें मिलनी चाहिये, उनका भी सर्वथा अभाव है। गजरौला से नजीबाबाद एक छोटी-सी ब्रांच लाइन जाती है। मुझे उसको कई बार देखने का अवसर मिला। वहां इस प्रकार के कई ऐसे स्टेशन हैं जहां तारघर और वेटिंग रूम नहीं हैं। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि मई और जून के महीनों में गर्मी में यात्रियों को और खासकर औरतों को, जिनकी गोद में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा करने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु में और अत्यन्त शीतकाल में भी उनको बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। मेरा अनुरोध है कि जहां रेलवे मंत्रालय बड़े-बड़े स्टेशनों पर लाखों रुपये व्यय कर रहा है, वहां उसको ऐसे छोटे-छोटे स्टेशनों की ओर भी ध्यान देना चाहिये, जहां एक वेटिंग रूम (प्रतीक्षा गृह) बनाने से यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा मिल सकती है। ऐसा होने से रेलवे भी समाजवादी समाज की रचना के संबंध में कुछ आदर्श उपस्थित कर सकता है।

आजकल जितनी एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी हैं, जो आसानी के साथ ब्रांच लाइनों को अपने सम्पर्क में ले सकती हैं। मैंने कई बार सलाहकार समिति में भी सुझाव दिया है और यहां पर भी उसका उल्लेख करना चाहता हूं कि १९४२ के दूसरे महायुद्ध से पहले जो देहरादून एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून के लिये जाती थी, वह गजरौला, बिजनौर और मुअज्जमपुर नारायण के मार्ग से पास होती थी। लेकिन अब उस गाड़ी को मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रास्ते पास किया जाता है और पहले मार्ग के बारे में यह कहा जाता है कि उधर से ले जाने में हमको परिचालन संबंधी कठिनाई अधिक होगी। लेकिन देखा गया है कि इधर भी दो स्टेशनों पर इंजिन बदले जाते हैं और उधर भी यही अवस्था थी। इसलिये मेरा सुझाव है कि या तो मसूरी एक्सप्रेस को जो कि दिल्ली से देहरादून के लिये जाती है, पहले मार्ग पर परिवर्तित कर दिया जाये, अन्यथा यह किया जाये कि चूंकि गढ़वाल एक सीमावर्ती प्रदेश है और सुरक्षा की दृष्टि से भी उसका महत्व धीरे-धीरे बहुत बढ़ गया है, इसलिये दिल्ली से कोटद्वार के लिये गजरौला और बिजनौर होते हुये एक सीधी एक्सप्रेस ट्रेन चालू की जाये। जहां तक मेरी जानकारी है सरकार के सामने पीछे इस प्रकार का प्रस्ताव आया था और उस पर बहुत हद तक निश्चय ले लिये गये थे, किन्तु नहीं कहा जा सकता कि अन्त में उनको क्यों स्थगित कर दिया गया। इस सुझाव को कार्यान्वित करने से न केवल उन लाखों करोड़ों व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा सकेगा, जो कि इस प्रकार की उपेक्षित लाइनों से संबंधित हैं, बल्कि कई महत्वपूर्ण स्थानों से दिल्ली का सीधा सम्पर्क भी स्थापित हो सकेगा।

तीसरी श्रेणी में सुविधाएं बढ़ें

अब मैं तीसरी श्रेणी के यात्रियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं भी अन्य माननीय

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सदस्यों के स्वर में स्वर मिलाना चाहता हूं कि सरकार उच्च श्रेणियों के यात्रियों पर अधिक किराये का जो भार डालना चाहती है, अच्छा होता कि तृतीय श्रेणी के यात्रियों को उससे मुक्त कर दिया जाता। लेकिन सरकार की बहुत बड़ी आमदनी का साधन तीसरी श्रेणी के यात्री हैं। अगर सरकार उनसे अतिरिक्त भाड़ा लेती है और उनके किराये बढ़ा रही है, तो उसके साथ ही उसे उन लोगों को अतिरिक्त सुविधायें भी देने की घोषणा करनी चाहिये। मैंने पहले भी संकेत दिया था कि कई स्टेशनों पर देखा गया है कि तीसरी श्रेणी के यात्री जब रेलगाड़ी पर यात्रा के लिये जाते हैं, तो पहले तो वहां पर भीड़ बहुत अधिक होती है और बैठने के लिये स्थान नहीं होता है, लेकिन पहले बैठे हुए लोगों में जो दुराग्रही होते हैं, वे कहते हैं कि पीछे चले जाओ और इस प्रकार उन लोगों को बहुत असुविधा होती है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार उच्च श्रेणियों के लिये कंडक्टर गार्ड हैं, उसी प्रकार हर गाड़ी में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये भी यात्री-सहायक अवश्य नियुक्त किये जायें। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जब ट्रेन चलने वाली होती है और सीधे-सादे तीसरी श्रेणी के यात्री गाड़ी पर चढ़ नहीं पाते हैं, कई बार दुर्घटनायें भी हो जाती हैं—तो उस स्थिति में यात्री-सहायक इतना काम तो अवश्य कर सकेंगे कि वे जहां जगह देखेंगे, वहां पर उन यात्रियों को बिठा देंगे और वे ट्रेन से रह नहीं जायेंगे। अगर सरकार तीसरी श्रेणी के किराये बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुविधायें भी बढ़ायेगी, तो मेरा अनुमान है कि रेलवे मंत्रालय बहुत सी आलोचनाओं से बच सकेगा, जो कि विशेष कर तीसरी श्रेणी के सम्बन्ध में की जाती हैं।

गाड़ियों के समय में अनियमितताएं

अब मैं ट्रेनों के समय के बारे में पहले विचार प्रकट करना चाहता हूं। पहले कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी कि सारी ट्रेनें ठीक समय पर चलने लगी थीं। लेकिन अब फिर उनमें शिथिलता आती जा रही है। मैं उदाहरण के रूप में एक ही गाड़ी का उल्लेख करना चाहता हूं। सहारनपुर से मुगलसराय के लिये एक गाड़ी जाती है, जिसका नाम है पार्सल एक्सप्रेस। यह देखा गया है कि सहारनपुर से रुड़की तक के बीच में जो दो तीन स्टेशन पड़ते हैं, उन दो तीन स्टेशनों पर यह गाड़ी तीन चार घंटे लेट हो जाती है। मुगलसराय तक जाते-जाते वह कितनी लेट हो जाती होगी, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अगर माननीय मंत्री अपने विभाग से यह रिपोर्ट मांगें कि पिछले छः महीनों में सहारनपुर से मुगलसराय तक जाने वाली पार्सल एक्सप्रेस कितने दिन राइट टाइम पर चली, तो मेरा अपना अनुमान है कि उसमें आपको ९० प्रतिशत दिन ऐसे अवश्य मिलेंगे जब कि वह ट्रेन राइट टाइम न हो। इसलिये लोगों ने पारसल गाड़ी का नाम "पारसाल" गाड़ी रख दिया है। वे कहते हैं कि यह गाड़ी इतनी लेट चलती है कि इसके लिये यही नाम उपयुक्त है। गाड़ियों के लेट चलने की जो शिकायत है और जिसे और भी कई माननीय सदस्यों ने आपके सामने कई बार रखा है, इसको आपको दूर करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। जनता को यह देखने का मौका मिले कि गाड़ियां व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं।

हिन्दी का प्रयोग बढ़े

एक विशेष बात जो मैं इस विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह हिन्दी के बारे में है। पहले यह विभाग लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में था। उनके बाद यह विभाग माननीय जगजीवन राम जी के पास आया। इन दोनों माननीय मंत्रियों ने रेल मंत्रालय में और रेलों से सम्बन्धित विभागों में राज भाषा हिन्दी को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य किया। मैं नहीं कह सकता हूं कि वे

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने इस प्रयास में कहां तक सफल हो पाए। यत्न उन्होंने किया, इसको हम स्वीकार करते हैं। उस यत्न के अपेक्षित परिणाम निकले हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। परन्तु मैं चाहता हूं कि उनके उत्तराधिकारी माननीय सरदार स्वर्ण सिंह जी, जिनके हाथों में अब यह विभाग आया है, इस चीज को और भी अधिक प्रगति दें। इसमें तो कम से कम कोई कठिनाई की बात नहीं होनी चाहिये कि रेल के डिब्बों पर जहां यह लिखा रहता है, नार्दन रेलवे, वेस्टर्न रेलवे या कोई और रेलवे, वहां उसके साथ ही साथ हिन्दी में भी ये नाम लिख दिये जायें, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अंग्रेजी भी वहां लिखी रहेगी। इससे ऐसा प्रतीत होगा कि रेल मंत्रालय इस दिशा में भी सजग है और इस दिशा में भी वह प्रयत्न कर रहा है।

एक और बात इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। आज प्रातःकाल दिल्ली स्टेशन पर उतरने का मुझे अवसर मिला। मैंने वहां यह देखा है कि पंजाब की ओर से जब एक गाड़ी आई, तो उसका जो रेल का इंजिन था उस पर "पंचनद" लिखा था। झांसी की रानी, पंचनद या इसी प्रकार के दूसरे नाम रखे जाते हैं, उनको देख कर प्रसन्नता होती है। उसका पंचनद नाम रख करके आपने बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि पंजाब का पुराना नाम भी पंचनद है। लेकिन जिस भाई ने यह लिखा है उसको पता नहीं था—शायद वह अंग्रेजी ज्यादा पढ़ा हुआ था—कि उसको गलत ढंग से लिख दिया है। "पंच नद" के बजाय वहां पर "पंच नाद" लिख दिया गया है। "नद" का अभिप्राय "नदियों" से है। लेकिन वहां पर "नाद" लिख लिया गया जिसका अभिप्राय "स्वर" होता है। कोई हिन्दी जानने वाला विदेशों से आएगा और वह इसको पढ़ेगा तो शायद इस तरह की गलती को देख कर हमारा उपहास ही करेगा, क्योंकि वह कहेगा कि हमें पता नहीं कि "पंच नाद" का दूसरा ही अर्थ होता है और "पंचनद" का दूसरा। जहां इस दिशा में आप थोड़ी प्रगति कर रहे हैं वहां अगर आप इस तरह की चीजों का भी ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

एक अंतिम बात मैं कोयले के अभाव की पूर्ति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पिछली बार जब इस सम्बन्ध में चर्चा चली थी तो संसद के सदस्यों ने पर्याप्त रोष प्रकट किया था। उस समय माननीय स्वर्ण सिंह जी खान विभाग के मंत्री थे। आपने उस समय सदन में कहा था कि कोयला इतना अधिक निकल रहा है कि उसका अभाव नहीं होना चाहिये, लेकिन अगर ढोया नहीं जाता है तो उस स्थिति में अभाव हो सकता है। सौभाग्य से अब रेल विभाग भी आपके हाथों में आ गया है, जहां पर कोयले की ढुलाई का काम होता है। आप उस स्थिति से भी परिचित हैं कि कोयला काफी निकाला गया है, इस स्थिति से भी परिचित हो गए होंगे। मेरा विश्वास है कि इस विभाग के आपके हाथों में आने के पश्चात एक डेढ़ महीने के अन्दर-अन्दर ही कोयले का अभाव दूर हो जाएगा और कोयले के अभाव के कारण जो देश में असंतोष की मात्रा बढ़ गई है, वह मिट जाएगी। इतना कोयला आप देने लग जायेंगे कि मिलें, फैक्ट्रियां, कल कारखाने, भट्ठे तथा दूसरे छोटे और बड़े जितने उद्योग हैं, उन सबको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कोयला मिलने लगेगा। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजधर्म

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वस्ति प्रजाभ्य :

भारतीय परम्परा के अनुसार प्राचीन काल में अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए लोगों ने वैवस्वत मनु को अपना राजा चुना। राजतंत्र होने पर भी उसके निर्वाचित होने की यह प्रथम जनश्रुति है। राजा का धर्म प्रजा-रंजन या प्रजापालन कहा गया है। इसी दृष्टि से राजा को प्रजा का पिता कहा जाता है। राजा सबसे ऊपर होने के कारण अदण्ड्य कहा जाता है। राजा सबसे ऊपर होने के कारण अदण्ड्य था पर उस पर भी धर्म का दण्ड होता था। उसे धर्मपूर्वक राज्य करना होता था, निरंकुश होकर नहीं। राजा वेन को उसकी निरकुंशता के कारण गद्दी से हटा दिया गया था। इसी लिए प्रार्थना की जाती थी—"स्वस्ति प्रजाभ्य: परिपालयन्ताम्, न्यायेन मार्गेण महीं महीशा:।" महाभारत के शान्ति पर्व (१४-१६) में एक श्लोक में राजा के तीन मुख्य कार्य बताए गए हैं—"असतां प्रतिपेधश्च, सतां च परिपालनम्। एप राज्ञां परोधर्म: समरे चापलायनम्॥" दुष्टों का निवारण, सज्जनों का परिरक्षण और युद्ध भूमि से पलायन न करना ही राजा का परमधर्म है।

'राजा प्रकृति रंजनात्' प्रजा को सुखी रखने का दायित्व ग्रहण करने के कारण ही राजा कहलाता है। भवभूति ने राम के मुख से कहलाया है 'यदि जनता को प्रसन्न रखने के लिए मुझे सुखोपभोग और जानकी को भी छोड़ना पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगा। यह राजा का—शासक का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। कवि कालिदास ने इस बात को रघुवंश में इस प्रकार कहा है :

प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि।
स पिता, पितरस्तासां केवलं जन्महेतवा:॥

अर्थात् प्रजा को अनुशासन में रखने, उनका लालन-पालन करने के कारण राजा दिलीप ही प्रजा का वास्तविक पिता है। उनके असली पिता मात्र उनके जन्म के कारण थे।

वतर्मान युग में राजतंत्र का स्थान प्रजातंत्र—लोकतंत्र—जनतंत्र ने ले लिया है। इसके शासन के लिए भी वही प्रजारंजन का आदर्श है जो हमारे नीति शास्त्रों में बार-बार कहा गया है। मनु और चाणक्य के शब्दों में—

"प्रजा सुखे सुखं राज्ञ: प्रजानां च हिते हितम्"।

प्रजा का सुख ही राजा का सुख है प्रजा का हित ही राजा का हित है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के एक मण्डल के एक मंत्र में राजा को कहा गया है कि वह ऐसा सुखदायक शासन करे कि 'विशस्त्वा सर्वा वाञ्चछन्तु' सारी प्रजा यही कामना करे कि तुम शासक बने रहो। दूसरे शब्दों में इसका यह तात्पर्य है कि शासक का कर्त्तव्य प्रजा को प्रसन्न रखना है। आश्चर्यजनक रूप से जनतंत्र में सम्प्रति शासन व्यवस्था का रूप है उसे हजारो पूर्व वेद प्रतिपादित शासन व्यवस्था में सभा और समिति के गठन का उल्लेख है। संक्षेप में कोई भी शासन प्रणाली हो उसका मुख्य उद्देश्य प्रजा की, सभी क्षेत्रों में चतुर्दिक प्रगति सुख सौभाग्य में समृद्धि ही है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९६२ की पराजय
चीन का नहीं भारत सरकार का विश्वासघात

किसी भी सरकार के लिए तब अग्नि परीक्षा का संकट उपस्थित होता है जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाय। अविश्वास प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सत्तारूढ़ दल द्वारा सुशासन चलाने में उसकी पूर्ण असफलता को, उसकी जनहित विरोधी नीतियों को उजागर करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वालों की भी यह परीक्षा होती है कि वे कितने प्रमाणों को प्रस्तुत कर सरकार के घेरते हैं। सत्तारुढ़ दल के बहुमत के कारण ऐसे प्रस्ताव गिर जाते हैं, पर विपक्ष को सरकार की असफलताओं को उजागर करने का अवसर मिलता है। १९६२ में चीन से पराजय के बाद नेहरू सरकार के विरुद्ध २० अगस्त १९६३ को प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर शास्त्री जी ने सप्रमाण नेहरू जी की अव्यावहारिक नीति का जोरदार शब्दों में पर्दाफाश किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज से आठ मास पूर्व चीनी आक्रमण के बाद जब इस सदन में उसकी चर्चा आई थी उस समय संसद् में और सदन के बाहर भी कुछ इस प्रकार की चर्चायें थीं कि इस समय जो सरकार है, उसे अपना स्थान छोड़ देना चाहिए अथवा फिर एक मिली जुली सरकार का निर्माण करना चाहिये। मैं तब उन व्यक्तियों में था जिसने यहां और बाहर भी इस बात पर बल दिया था कि जब नाव मझदार में हो और मल्लाह पूरी शक्ति लगा कर पार ले जाने का यत्न कर रहा हो, ऐसे समय में उस मल्लाह को बदलने की राय देना कुछ बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। ऐसे समय में उसकी पीठ थपथपाना और उसको शाबास-शाबास कह कर नाव किनारे की ओर ले जाने की प्रेरणा देना ही बुद्धिमता की बात होगी।

लेकिन आज आठ महीने के बाद न केवल यहां अपितु सारे देश में, जिस जनता ने रक्षा कोष के लिए सरकार को इतना सहयोग दिया था, रक्षा प्रयत्नों में यहां की सरकार को पूरा सहयोग दिया, भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की कोई आलोचना करता था तो लोग उस समय उसके साथ लड़ने और झगड़ने के लिये तैयार हो जाते थे, स्थिति ने पलटा खाया है। जहां लोग प्रधान मंत्री की आलोचना के नाम पर लड़ते थे और झगड़ते थे आज उन्हीं प्रान्तों में, उन्हीं नगरों में, उन्हीं मुहल्लों में, सभायें हो रही हैं, प्रस्ताव पास किये जा रहे हैं और जो अविश्वास का प्रस्ताव यहां आया है, इसी भावना को वहां भी प्रेरित किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह तमाम स्थिति क्यों उत्पन्न हुई ?

अर्थनीति की असफलता

कोई भी राष्ट्र अगर वह अपनी सुरक्षा चाहता है तो उसकी तीन नीतियों को बड़ी सुदृढ़ता के साथ चलाना पड़ता है। पहली नीति अर्थ नीति है, दूसरी नीति विदेश नीति है और तीसरी नीति गृह नीति है। जहां तक अर्थ नीति का सम्बन्ध है, मैं कोई अर्थ शास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं। केवल उसके संबंध में मैं एक संकेत मात्र देना चाहता हूं। भारत ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बाहर से ऋण लिये हैं,

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुश्किल हो जाता है। अगर यह यादवी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है तो मुझे खतरा है कि कहीं यह देश को नुक्सान न पहुंचाये।

अवैध पाकिस्तानियों को शरण

असम में सात लाख पाकिस्तानी आ कर बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि सरकार का इस के अन्दर हाथ नहीं है। सरकार किसी प्रकार से उन को नहीं बिठलाना चाहती। मगर मेरे पास उन आदेशों की प्रतिलिपि है जो वहां के सैटलमेंट आफिसर ने अपने असिस्टेंट आफिसर को लिखा है। उससे पता चल जायेगा कि किस प्रकार से सरकारी प्रभाव में आ कर अवैध पाकिस्तानियों को शरण दी जा रही है। इस के शब्द अगर आप सुनना चाहें तो मैं उन को सुना सकता हूं। ३ जनवरी, १९६२ को गोहाटी से लिखी हुई है। तमाम नम्बर वगैरह बतला सकता हूं और अगर आप चाहेंगे तो मैं उस को भी सदन की मेज पर रख सकता हूं उसमें स्पष्ट लिखा गया है :-

> "With reference to the above, I am to inform you to submit the list of allottees of Bhangnamari P.G.R., in consultation with Shri Tajuddin Ahmed, M.L.A. and Shri Atar Rahman of Barapeta within 21st May, 1962 positively. You are to enlist only the Muslim imigrants of Gauhati and Barapeta sub-division."

इतने से ही उस को सन्तोष नहीं है। अगले पैराग्राफ में लिखते हैं :-

> "No Hindu should be enlisted" *(Interruption)*

अब वह सेटलमेंट आफिसर ए. डी. एम. शिलांग बना दिया गया है।

Now he is promoted as A.D.M. in shillong.

Shri Raghunath Singh : What is the name of that officer ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ए. सी. शर्मा अब उस को यह पुरस्कार दिया गया है और आप कहते हैं कि सरकारी प्रश्रय उन को नहीं मिल रहा है ? सरकार की तरफ से यह चीजें मिल रहीं हैं। आप चाहें तो यह चिट्ठी पूरी पढ़ भी लीजिये।

अन्त में अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं दो बातें विशेष तौर से कहना चाहता हूं।

श्री त्यागी : हिन्दुओं को एनलिस्ट करने के लिए इसलिये इन्कार किया गया होगा कि वे बेचारे वहां से चले गये होंगे। (व्यवधान)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप मेरे समय को नष्ट न कीजिये।

दूसरी बात जो मैं अपने वक्तव्य के अन्त में कहना चाहता हूं वह यह कि आप यह कहना चाहते हैं कि आचार्य कृपलानी जी ने अपने गांधी आश्रम के वर्कर्स को इस्तेमाल किया। मुझे इस बीच में आने की कोई जरुरत नहीं, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ पंडित जी, कि आप ने राष्ट्रीय एकता परिषद में विज्ञान भवन में यह कहा था कि जातीयता, साम्प्रदायिकता इन से राष्ट्रीय एकता दूर रही है। क्या आप हृदय पर हाथ रख कर बतलायेंगे कि आप ने अमरोहा में जो कैंडिडेट चुना था वह कौन सी राष्ट्रीय एकता

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का आधार बना कर चुना था, वहां पर जो जाति बिरादरी के लीडर भेजे गये थे वे कौन सी राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करने के लिये भेजे गये थे ? लेकिन इस से भी आगे चल कर मैं एक और बड़ी बात आप से कहना चाहता हूं। आप उत्तर प्रदेश में चल कर देखिये। वहां पर सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था, जब वह चीफ मिनिस्टर थे, कि कोई सरकारी सर्वेंट डिस्ट्रक्ट बोर्ड का सदस्य नहीं माना जायेगा। लेकिन आज श्री चन्द्रभानु गुप्त ने वहां के उन परिषदों द्वारा कुछ स्थानों पर अधिकार बनाये रखने के लिये जितने उच्च सरकारी कर्मचारी हैं उन को उक्त परिषदों का मेम्बर बना दिया है और कुछ को बाहर से को-आप्ट कर लिया है।

श्री म. ला. द्विवेदी (हमीरपुर) यह गलत है।

श्री शिव नारायण (बांसी) : यह चार्ज गलत है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं चेलेंज करता हूं आप को इस के लिये। इस का परिणाम यह है कि (Interruption) आज उत्तर प्रदेश की जितनी भी परिषदें हैं उनके सम्बंध में यह बात कही जा रही है।

एक माननीय सदस्य : शिव नारायण जी, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा कानून है ?

श्री रघुनाथ सिंह : जिला परिषद् के मैम्बर डिस्ट्रक्ट बोर्ड के मेम्बर नहीं है। पहले थे अब नहीं हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अन्त में गांधी जी के कुछ शब्द कह कर समाप्त करुंगा। मगर इस के पहले यह भी कहूंगा कि जिस शासन के अन्दर बेरोजगारी, चोरबाजारी, रिश्वत, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिस शासन के अन्दर कुनवापरस्ती, ऐयाशी, गरीबी, मंहगाई बढ़ गई है, जिस शासन में अज्ञान, अभाव, अन्याय, अधर्म, का बोलबाला है, जिस शासन में तानाशही, चारित्रिक पतन, अनुशासनहीनता बढ़ी है, जिस शासन में कायरता, दुर्बलता, अकर्मण्यता, आत्महीनता, बढ़ी है, जिस शासन में कत्ल, डाके, चोरी, बलात्कार, अपहरण की कोई गिनती नहीं, जनता के सेवक गोरे साहब की जगह काले साहब बनने में गर्व करते हैं, उन्हें गांधी जी के शब्द सुना कर बैठ जाता हूं। वह शब्द गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में पटना में २१-५-४७ को बिहार की कौमी आवाज में नवजीवन प्रेस अहमदाबाद से छपी है, लिखा है :-

> "हमारी राज्य सत्ता अंग्रेजों की तरह बन्दूक के जोर से नहीं निभ सकती। अनेक प्रकार के त्याग और तपस्या द्वारा कांग्रेस ने जनता का विश्वास संपादन किया है। परन्तु यदि आज कांग्रेस वाले, जनता को धोखा देंगे और सेवा करने के बजाय उसके मालिक बन जायेंगे तथा मालिक की तरह व्यवहार करेंगे, तो मैं शायद जीऊं या न जीऊं परन्तु इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह चेतावनी देने की हिम्मत करता हूं कि देश में बलवा मच जायेगा, सफेद टोपी वालों को लोग चुन-चुन कर मारेंगे और कोई तीसरी सत्ता इसका लाभ उठा लेगी।" ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकार शासन के सभी मोर्चों पर असफल

श्री लाल बहादुर शास्त्री के मात्र १८ मास के शासन काल में दो बार अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। इसी अवधि में भारत-पाकिस्तान युद्ध भी हुआ जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की। परन्तु इससे पूर्व की शासन व्यवस्था में नेहरु शासन में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जनमत में व्यापक असन्तोष था तथा उसी के परिणाम स्वरूप संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखे गए। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने शासन के लिए मुख्य चार बातें चरित्र, सेना, राजकोश और धान्य का उल्लेख करते हुए २५ अगस्त १९६५ को अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार इन चारों ही कसौटियों पर पूर्णतः विफल हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सफल और कुशल प्रशासन के लिए चार बातें आवश्यक होती हैं। पहली बात तो यह कि उस शासन में प्रजा को भरपेट रोटी मिले। दूसरे उस शासन में आर्थिक दृष्टि से किसी को दूसरे का मुहताज न होना पड़े और तीसरे यह कि घर के अन्दर या बाहर शत्रु का डर न हो। चौथी आवश्यक बात यह है प्रशासन को चलाने वाले राजा का चरित्र इतना पवित्र और निष्कलंक हो जिस को देख कर प्रजा अपना चरित्र ऊंचा करे। दुर्भाग्य से आज के वर्तमान शासन से ये चारों चीजें दूर हैं, आज का वर्तमान शासन समस्याओं का गढ़ बनता चला जा रहा है। और हमारे नेताओं का पिछले १८ वर्षों से एक स्वभाव बनता जा रहा है कि समस्याओं को अपने से अगलों के लिए टालते हुए चले जाओ। समस्याओं के समाधान के प्रति हम उतने उत्सुक नहीं जितने उत्सुक समस्याओं को दूसरों पर थोपने में उन को टालने में हैं। इसी में हम अपनी बुद्धिमता या कुशलता का दावा करते हैं।

खाद्य स्थिति का संकट

इस से बड़ी शर्म की बात और क्या शासन के लिए हो सकती है कि १८ साल के बाद भी आज जनता को पेट भर कर खाना नहीं मिलता है। रोटी केलिए जब वह कोई आन्दोलन करती है तो बदले में उस को गोली मिलती हैं या गाली मिलती है। या फिर जेल की हवा खाने को मिलती है। मेरा अपना अनुमान है कि जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है आज हम उसमें आत्मनिर्भर हैं। १९६४ और १९६५ में हमारे देश में जितना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ और जितना खाद्यान्न बाहर से मंगाया गया उस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि देश इस समय आत्मनिर्भर है। ८७.२ लाख टन हमारे देश में पिछले साल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ और नौ लाख टन विदेशों से हमने खाद्यान्न का आयात किया। इस तरह से लगभग ९६ लाख टन खाद्यान्न इस समय हमारे देश में है जो कि देश की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए और देश की आबादी को देखते हुए पर्याप्त है। हमें केवल ९४ लाख टन की आवश्यकता है, दो लाख टन और बच जाता है। लेकिन इतना होते हुए भी हमारे देश में खाद्यान्नों की इतनी महंगाई और खाद्यान्नों का इतना अभाव क्यों है ?

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं समझता हूं कि इस में शासन और विशेषकर खाद्य मंत्री की नीतियों में दोष है। बनावटी क्षेत्र बना कर जो दीवार हम ने खड़ी कर दी है उस का परिणाम यह है कि प्रान्तीय सरकारें व्यापार करने लगी हैं। उदाहरण के लिये मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इस समय पंजाब सरकार और वहां के व्यापारियों के पास लगभग एक करोड़ मन चना जमा है। यह स्थिति तब है जब कि देश के दूसरे भागों में चने का इतना अभाव है कि एक प्लेट चना भी नहीं मिलता है। आप देखें कि पंजाब सरकार ने चना किस भाव पर दूसरों को दिया है। पंजाब सरकार ने और पंजाब के व्यापारियों ने साढ़े चालीस रुपये क्विंटल के हिसाब से चना लिया है और यही चना पंजाब की गवर्नमेंट जब बंगाल की गवर्नमैंट को देती है तो ९० रुपये क्विंटल के हिसाब से देती है।

इसी प्रकार आंध्र के चावल की स्थिति है, मध्य प्रदेश के गेहूं की स्थिति है। कृत्रिम रूप से जोन और क्षेत्र बनाने का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि प्रान्तों में केन्द्र से, विद्रोह करने की प्रवृत्ति उदय हो रही है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री के और केन्द्रीय सरकार के आदेशों और संकेतों का प्रान्तीय सरकार पालन नहीं करती हैं, इस सब का परिणाम यह हो रहा है कि खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर होते हुए भी आज इस देश केअन्दर लोग एक समय भोजन कर रहे हैं। कल आचार्य कृपलानी जी ने कहा कि प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में जनता की इस प्रकार की दयनीय स्थिति है। न केवल उन के निर्वाचन क्षेत्र की बल्किउन सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जिन का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, लगभग ऐसी ही स्थिति है।

अकाल की स्थिति में क्या होगा ?

दूसरी सब से बड़ी बात खाद्यान्नों के विषय में मैं यह कहता चाहता हूं कि किसी प्रकार से यह वर्ष तो निकल जाएगा लेकिन अगले वर्ष अकाल पड़ने से यह देश बच नहीं सकता है। अगले साल अकाल को सरकार रोक नहीं सकेगी। वर्षा देर से होने के कारण यह फसल जितनी अच्छी होनी चाहिये थी उतनी अच्छी नहीं हुई है लगभग आधी अच्छी हुई है। इस का परिणाम अगली फसल पर भी पड़ेगा। इस साल तो हमारी आवश्यकतायें ९४ लाख टन की हैं लेकिन अगले वर्ष वे बढ़ कर ९८ या ९९ लाख टन हो जायेंगी। जब हमारी खपत ९८-९९ लाख टन तक पहुंच जायेगी तब उत्पादन तो पिछले साल हमारे देश में ८७-८८ लाख टन के बीच में था वह और कुछ कम हो जाएगा।

सरकार की गलत नीतियां उसके अन्दर सहायक होंगीं। इसीलिये अगले साल १९६६ में इस देश में अकाल पड़ने से सरकार रोक नहीं सकेगी। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिस पर सरकार को अभी से थोड़ा ध्यान देना चाहिये।

उपाय क्या है ?

आप पूछेंगे कि इस का क्या कुछ उपाय हो संकता है। इस के चार उपाय मैं आपको बता सकता हूं इस संक्षिप्त से समय में। सब से पहला उपाय तो यह है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय किसी खाद्य और कृषि के अनुभवी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिये। वर्तमान खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम को जितनी जल्दी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हटाया जा सके, देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, उतना ही अच्छा होगा। यह अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरा उपाय यह है कि क्षेत्रीय प्रणाली की जो एक बनावटी दीवार बीच में खड़ी कर दी गई है इसको तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।

तीसरा उपाय यह है कि आज हमारे देश में जो अरबों रुपया करोड़ों रुपया लगाकर उर्वरक और खाद बनाने की फैक्टरियां तैयार की जा रही हैं, उन पर इतना ध्यान न देकर किसान के खेत केलिए पानी पहुंचाने की तरफ अधिक ध्यान दिया जाय। खाद भी बहुत आवश्यक है। इसको मैं मानता हूं। लेकिन खेती के लिए उससे भी आवश्यक पानी है। छोटी और लघु सिंचाई योजनाओं के आधार पर और किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा दिलाकर और एक एक किसान के खेत तक पानी पहुंचाकर आप यह आशा कर सकते हैं कि हमारे देश में भारी फसल हो। तब आप देख लेंगे कि हमारे देश में भारी फसल होती है या नहीं।

चौथा आवश्यक समाधान इसका यह है कि हमारे देश में जो खाद्यान्न का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं उनको गाली दे देकर एक दूसरा ही वर्ग न मान लिया जाए। वे भी इस देश का एक आवश्यक अंग हैं। सरकार को उनको भी विश्वास में लेना चाहिये और उनको विश्वास में लेकर समस्या के समाधान का कोई उपाय ढूंढना चाहिये।

देश की आर्थिक नीति

अब एक बात मैं इस देश की आर्थिक नीति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, इस देश के गांवों में लोग गीत गाते थे कि सोने की थाली में भोजन परोसे। आज यही देश दाने दाने के लिए दूसरों का मुहताज हो गया है, आज यही देश पाई पाई के लिए भी दूसरों का मुहताज होने की तैयारी कर रहा है। हमारे मित्र श्री दांडेकर ने जो उदाहरण दिये हैं और इस देश की आर्थिक नीति का विश्लेषण किया है, सरकार की आंखें खोलने के लिये वे पर्याप्त होने चाहिये।

चौथी योजना बन रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार आज हमारे देश को गिरवी रखती जा रही है और देश को दिवालिया करने जा रही है उसका एक ही उदाहरण मैं देना चाहता हूं। १९५१ में हमारे देश पर जो दूसरे देशों का ऋण था वह ४९.८० करोड़ रुपये था। लेकिन १९६५ के आरम्भ में यह ऋण बढ़ कर २३२३ करोड़ रुपये हो गया। चौथी योजना में जो ऋण हमको चुकाना पड़ेगा उस की मात्रा १११९ करोड़ रुपया है। १११९ करोड़ रुपया पांच सालों में चुकाने का अभिप्राय यह है कि प्रतिवर्ष हमको २२३ करोड़ रुपया प्रतिमास यानी ६७ लाख रुपया प्रतिदिन। यह राशि इस देश को चौथी योजना के दौरान में सूद और मूल के रूप में देनी पड़ेगी। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश को किस प्रकार से गिरवी आप रखते चले जा रहे हैं। यह देश दिवालिया हो चला है। इसके बावजूद भी यह सरकार जमी रहने का यत्न करे, इसको देख कर आश्चर्य ही होता है। इसके बावजूद भी सरकार देशवासियों को यह कहे, कि आर्थिकदृष्टि से हम देश को सम्पन्न बना रहे हैं आश्चर्यजनक है। विश्व बैंक

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने जो रिपोर्ट पीछे दी थी उसमें उसने दुनिया के देशों को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी थी कि हिन्दुस्तान दिवालिया होता चला जा रहा है, और हिन्दुस्तान को पैसा देते समय जरा वे हाथ खींचकर काम करें।

हमारे वित्त मंत्री की गलत नीति का एक दुष्परिणाम यह है कि जो बही खातों से बाहर पैसा था आज वह अरबों की मात्रा में दूसरे देशों के बैंकों में जमा हो गया है। हमारे वित्त मंत्री की गलत नीति का दुष्परिणाम यह निकला कि भारतीय व्यापारी जो दूसरे देशों से उजाड़े जा रहे हैं, और अरबों रुपयों की मुद्रा जो भारत में लाना चाहते थे और जिस को लाने के लिये उन्होंने वित्त मंत्री से आवश्यक सुविधायें मांगी थीं, वे सारी सुविधायें उन्होंने उनको नहीं दीं। इसका परिणाम यह है कि विदेशी मुद्रा जो भारत में आती अब लंदन के तथा दूसरे स्थानों के बैंकों में जाकर अरबों की मात्रा में जमा हो गई हैं। इन सारी परिस्थितियों के ऊपर सरकार विचार करने केलिए तैयार ही नहीं है। कब तक यह आर्थिक पृष्ठभूमि सरकार की इस तरह की उपेक्षा का विषय बनती रहेगी ?

कश्मीर के लिए दृढ़नीति हो

काश्मीर के सम्बन्ध में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। कल मेरे कहने और सोचने का जो ढंग था वह दूसरा था और आज संरक्षण मंत्री श्री यशवन्त राव चव्हाण के वक्तव्य के बाद मेरे कहने और सोचने का ढंग कुछ बदल गया है उस में कुछ परिवर्तन हुआ है। मेरा ही नहीं, हो सकता है कि देश के ही सोचने के ढंग में कुछ परिवर्तन हुआ हो। मैं इस सरकार को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि १८ साल के बाद इसने इस प्रकार का एक दृढ़ निर्णय लिया है। मैं सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि उसने जो दृढ़ निर्णय लिया और कदम आगे बढ़ाया है, उसका विरोधी दल और सारा देश स्वागत करता है। हमारे और आपके बीच चाहे जितने मतभेद हों, लेकिन सारा देश इसमें आपका साथ देगा।

इस सम्बन्ध में जो मैं पहले कहना चाहता था और अब भी कहना चाहता हूं वह यह है कि संरक्षण मंत्री ने जो अपने बयान में यह कहा है कि हमारी सेना ने युद्ध विराम रेखा को पार कर लिया है, इसके बारे में समझ में नहीं आता है कि अभी तक भी सरकार के मस्तिष्क में युद्ध विराम रेखा शब्द का मोह क्यों लगा हुआ है। जब पाकिस्तान हमारे घर में आकर आक्रमण कर रहा है, हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर रहा है तो अब भी युद्ध विराम रेखा क्या कायम रहेगी ? अब हमारी युद्ध विराम रेखा स्कारदू तक या राजौरी तक नहीं रहनी चाहिये, हमारी युद्ध विराम रेखा अब सियालकोट में जा कर बननी चाहिये, जैसा कि काश्मीर के हमारे मित्र ने कहा है। जब हमने एक निश्चय कर लिया है, एक कदम आगे बढ़ा लिया है तो एक काम आप करें कि आज आप सन् १९४७ की गलती को दुबारा न दोहरायें। लड़ाई बीच में रोक कर उस समय जो गलती हमने की थी वह गलती न करें। अब आपने अगर मजबूत कदम उठाया है तो १९४७ की गलती का आप १९६५ में प्रायश्चित कीजिये।

मेरे मन में एक खतरा है, जब मैं ये शब्द कह रहा हूं या इधर जब रक्षा मंत्री यह कह रहे थे कि हमने युद्ध विराम रेखा को पार कर लिया है, अथवा युद्ध विराम रेखा पार करके हमारी सेनायें उधर चली गई हैं तो उसी के साथ साथ मझे यह भी जानकारी मिली है कि ब्रिटिश कामनवैल्थ आफिस में

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कच्छ की तरह से ही एक एग्रीमेंट का ड्राफ्ट फिर तैयार हो रहा है। अमरीका के रेल बंच को भेजने का विचार हो रहा है, उधर रशिया वाले कह रहे हैं कि वे समझौता कराने के लिये तैयार हैं, पाकिस्तान इस समय अपनी कमजोरी को छिपाने के लिय फिर इसी प्रकार की मध्यस्थता का प्रयास करेगा जैसा कि लार्ड मांउटबैंटन के समय लियाकत अली खां और जिन्ना ने सन् १९४७ में किया था। अब अगर आप ने कदम उठाया है तो यह कदम पूरा होना चाहिये और काश्मीर की एक इंच धरती भी पाकिस्तान के हाथ में नहीं रहनी चाहिये। अब हमें यह निश्चय कर दृढ़ता से कदम उठाना चाहिये।

पंजाबी सूबे का विरोध

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप में कहना चाहता हूं वह पंजाबी सूबे के संबंध में है। हमें बड़ा दुःख है इस बात का कि यह प्रश्न इस समय उठाया गया जब हमारी सीमाओं पर विशेषकर काश्मीर के अन्दर, पाकिस्तान ने आक्रमण किया है और अंदर और बाहर दोनों ओर हमारी सेनायें जूझ रही हैं। पाकिस्तान की सेनाओं के साथ जब हम यह जानते हैं कि पाकिस्तानी सेनायें आज अकेली नहीं हैं उन की कमर पर चालवाज ब्रिटिशर्स का हाथ जरूर होगा जिन्होंने कि सन् १९४७ में ऐसा किया था, ऐसे समय में देश में किसी भी राजनीतिक दल को किसी संम्प्रदाय को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जो देश की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव डालने वाला हो। मुझे यह आशा करनी चाहिये कि सन्त फतेह सिंह, जो बहुत ऊंचे संत और विचारवान व्यक्ति सुने जाते हैं, आज इस समाचार को सुनने के बाद स्वयं अपना अनशन त्यागने का स्वस्थ निर्णय लेंगे। जब तक देश की सीमाओं पर इस प्रकार की गंभीर स्थिति है, वह अपने आन्दोलन को स्थगित कर देंगे और अपने अनशन को स्थगित कर देंगे।

जब पंजाबी सूबे की बात आती है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि पंजाब का नाम आखिर पंजाब था क्यों। पंजाब का नाम पंजाब इस लिये था कि वहां पांच नदियां बहती थीं, अब पंजाब पंजाब है कहां। वह तो केवल दो आब रह गया है सतलुज और व्यास दो ही नदियां वहां हैं। रावी, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पास हैं। अब पंजाब को सचमुच पंजाब बनाने के लिये संत फतेहसिंह अनशन करते हैं और सरकार को इसके लिये विवश करते हैं तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो पंजाब को पूरा पंजाब बनने के लिये आन्दोलन का स्वागत करूंगा। लेकिन आज मुट्ठी भर पंजाब के विभाजन के लिये ऐसी बात नहीं होनी चाहिये।

उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ?

मैं अपने भाषण को उपसंहार की ओर ले जाते हुए दो बातें और भी कहना चाहता हूं। एक ओर तो हमारी सीमाओं पर कश्मीर की स्थिति भयंकर हो रही है, दूसरी ओर चीन अपना हमला करने की तैयारी कर रहा है। आन्तरिक स्थिति हमारी कमजोर है। ऐसे में जिन लोगों के हाथों में हमारे देश की बागडोर है, जो हमारी किस्मत के रखवाले हैं उनकी हालत क्या है। आज आप लखनऊ में जा कर देख लीजिये। एक ओर पाकिस्तान की फौजें तैयार हैं, एकओर चीन की फौजें तैयार हैं लेकिन दूसरी ओर लखनऊ में भी फौजें तैयार हो रही हैं। गुप्ता जी की फौजें अलग और त्रिपाठी की फौजें अलग। वह उन

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर हमला करना चाहते हैं, वह उन पर हमला कर युद्ध विराम रेखा पार करना चाहते हैं। आज प्रातः काल के अखबार पढ़ने के बाद श्री महावीर त्यागी और डा. के. एल राव जाकर श्री लाल बहादुर शास्त्री से कहें कि वहां पर सत्तारूढ़ दल के ६२ प्रतिनिधि असेम्बली में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो चुनौती दे रहे हैं उस कबड्डी को वह बंद करायें। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के नेता की गलत नीतियों का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि वहां पर अधिकारी भी दो वर्गों में बंट गये हैं। कुछ अधिकारी गुप्ता ग्रुप में हैं और कुछ अधिकारी त्रिपाठी ग्रुप में हैं।

अगर वहां यह स्थिति रहती है तो हम यह मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन को भंग करके वहां पर प्रदेश की जनता के भले के नाम पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाये। अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है, इतने बड़े प्रदेश की रक्षा करनी है तो वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू करो। खास तौर से इस संकट के समय में इस तरह का स्वस्थ निर्णय लेना आवश्यक है। केरल में यदि आप राष्ट्रपति का शासन चालू कर सकते हैं तो साढ़े आठ करोड़ जनसंख्या के प्रदेश में जहां जनता के साथ डेढ़ साल से यह खिलवाड़ चल रही है, वहां शासकीय दल और जो सत्तारुढ़ दल है उस के लोगों को आपस में झगड़ने से फुर्सत नहीं है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। कब तक वहां के लोगों की किस्मत को इन के ऊपर छोड़ रखेंगे।

इसी लिये इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार आज रोटी नहीं दे सकती, जो सरकार देश को दिवालिया बना बैठी है, जो सरकार देश पर आये संकट या शत्रुओं का पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती, जिस सरकार के नुमाइन्दों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, ऐसी सरकार को गद्दी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वयं कांग्रेस ने ही शास्त्री सरकार की निन्दा की है

नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के चार महीने बाद ही शास्त्री सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने १७ सितम्बर १९६४ को इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सरकार की खाद्यान्न, विदेशनीति, भ्रष्टाचार, आदि के मुद्दे उठाकर सरकार को कठहरे में खड़ा किया। शास्त्री ने कहा कि स्वयं कांग्रेस दल ने ही एक दिन पूर्व शास्त्री सरकार की अक्षमता का फतवा दिया है।

सभापति महोदय, शास्त्री सरकार पर दो अविश्वास प्रस्ताव आये हैं, एक विरोधी पक्ष की ओर से और एक कांग्रेस की ओर से। एक प्रस्ताव आया ७ सितम्बर को इस हाऊस में और कांग्रेस पक्ष की ओर से जो प्रस्ताव आया था वह ६ सितम्बर को कान्स्टीट्शूशन क्लब में आया।

कान्स्टीट्यूशन क्लब में जो अविश्वास प्रस्ताव आया तो जिस संगठन की ओर से वह कन्वैंशन बुलाया गया था तथा जिस संगठन ने वह प्रस्ताव उपस्थित किया उसमें स्वयं गृहमंत्री नन्दा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष यह सब लोग उपस्थित थे। पहले मैं उन के शब्दों को पढ़ कर सुनाता हूं, तब उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा। उन्होंने जो अपना यह पत्रक प्रकाशित किया उस में स्पष्ट यह शब्द हैं :—

> "मौजूदा हालत की सब से खास बात है गल्ले की कमी और दामों का संकट। जनता की तकलीफ़ और उस का असन्तोष पहले कभी इतना बढ़ा हुआ नहीं था जितना आज। जनता की निगाह में कांग्रेस की तस्वीर बराबर धुंधली होती जा रही है। कांग्रेसजनों के आपसी झगड़े बराबर बढ़ते जा रहे हैं। इन झगड़ों का आधार विचारों का मतभेद नहीं बल्कि महत्वाकांक्षी नेताओं के पीछे चलने वाले गुटों का टकराव है और इन झगड़ों के कारण कांग्रेस का जनता से सम्पर्क बहुत कम हो गया है।"

[**श्री त्यागी** : यह क्या कोई सरकारी डौक्यूमेंट है जो कि आप पढ़ रहे हैं ?]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : त्यागी जी ने पूछा कि संगठन के अतिरिक्त क्या सरकार को भी कुछ कहा है, मैं वह शब्द भी आपको सुनाये देता हूं।

> "बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन होने चाहिए थे वे नहीं हो पाए हैं और नौकरशाही का पुराना तरीका टालमटोल, लालफीताबाद और जनता पर अविश्वास का रवैया बदस्तूर कायम है। शासन प्रणाली में तेजी से परिवर्तन लाने के लिए जिस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की आवश्यकता है उसकी ओर हमने एक ऐसा नजरिया अपना रखा है जिसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं।"
>
> "मुद्रा के चलन पर सरकार का जरा भी काबू नहीं रह गया है और खेती तथा कल-कारखानों की पैदावार भी संतोषजनक नहीं रही है।"

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह अविश्वास प्रस्ताव है जो ६ सितम्बर को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में आया था। अविश्वास प्रस्ताव को जिस सम्मेलन में रखा गया उसमें केन्द्रीय सरकार के तीन चार मंत्री भी शामिल हैं।

दूसरी बात जो मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारी ओर से जो अविश्वास प्रस्ताव श्री चटर्जी द्वारा रखा गया, जिसके कि समर्थन में कुछ भाषण हुए, कांग्रेस ने अपनी ओर से उनका विरोध करने के लिए जिन पहलवानों को अखाड़े में उतारा उनमें से अधिकांश वे थे जिन्होंने शास्त्री जी की प्रशंसा में अधिकांश समय लगाया।

मुझे मेरे चापलूस मित्रों से बचाओ

एक बात मैं कहना चाहता हूं। अगर त्यागी जी शास्त्री जी के कानों तक उसे पहुंचा दें और वह यह है कि जार्ज बर्नर्ड शा के कमरे में यह लिखा हुआ था :— "मुझे मेरे चापलूस मित्रों से बचाओ।" मैं यह चाहता हूं कि हमारे शास्त्री जी भी अपने कमरे में ये शब्द लिखवा कर लगवा लें। वह दुर्बलता जो कि पहले थी, वह दुर्बलता शास्त्री सरकार में नहीं चलनी चाहिए। हिन्दुस्तान में कुछ समाचार पत्रों और कुछ व्यक्तियों की आदत हो गई है कि सरकार में से एक या दो व्यक्तियों को पकड़ कर उनकी प्रशंसा करना बाकी सारी सरकार की निन्दा करना।

[श्री त्यागी : यह कहां से माननीय सदस्य ने कोट किया है ?]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जार्ज बर्नर्ड शा को मैं कोट कर रहा हूं।

खाद्यान्न संकट सभंव

दूसरी बात मैं खाद्यान्नों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हमें जो अभी सब से बड़ा खतरा दिखाई देता है उससे भी भयंकर स्थिति जो आने वाली है वह यह है कि हमारे देश की जन संख्या २.४ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है, यानी एक करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से, आने वाले दशक में मेरा अनुमान है कि ८-१० करोड़ की जनसंख्या बढ़ जायगी। सरकार की अगर यही दुर्बल नीति रही जिस प्रकार उत्पादन के सम्बन्ध में अभी है तो मुझे खतरा है कि यह समस्या जो अभी अभाव के रूप में विद्यमान है आगे चल कर कहीं भयंकर महा अकाल के रूप में परिणित न हो जाय। सरकार ने इसके लिये कुछ नये उपाय निकाले हैं और वह कहते हैं कि इसका सफल हल है — राजकीय व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग)।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि देश में स्टेट ट्रेडिंग को चलाने केलिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी क्या उसने उतने प्रभावशाली हाथ तैयार कर लिये हैं ? अनुमान यह है कि जब इतने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी तो लगभग १०० करोड़ रुपये सरकार को इन व्यक्तियों पर खर्च करने पड़ेंगे और यह सारे का सारा व्यय सरकार उपभोक्ताओं के कंधों पर डालेगी। क्या सरकार इस प्रकार से महंगाई को और नहीं बढ़ायेगी ?

इसके अतिरिक्त जब यह सरकार राजकीय व्यापार करने में लग जायेगी, बाजारों को सम्भालने में लग जायेगी, तो उत्पादन की ओर से उसका ध्यान कम हो जायेगा। हमारे लिए रक्षा का प्रश्न उससे भी अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। राजकीय व्यापार करने के परिणाम स्वरूप उसकी ओर से सरकार का ध्यान बिल्कुल समाप्त हो जायेगा। राजकीय व्यापार की योजना बड़ी समयसाध्य और व्यय-साध्य है। ऐसी स्थिति में बजाय इस उपाय को करने के, बजाय यह नारा लगाने से अच्छा यह होता कि सरकार उत्पादन को बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देती।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कृषि सम्बन्धी एक मंत्रालय हो

जहां तक उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न है उसका सब से उत्तम उपाय यह है कि कृषि से सम्बन्धित जितने भी विभाग हैं वे एकही हाथ में होने चाहिए। मैं आपको अपने प्रान्त उत्तर प्रदेश की स्थिति बताता हूं। वहां पर पांच मिनिस्टरों के हाथों में यह विभाग है। खाद्य मंत्री अलग है, कृषि मंत्री अलग है, सिंचाई मंत्री अलग है, सहकारी मंत्री अलग है, सामुदायिक विकास का मंत्री अलग है और कुछ दिन पहले तो गन्ना विकास का मंत्री भी अलग था। आप बतायें कि इस अवस्था में प्रोडक्शन बढ़े, तो किस तरह बढ़े। इसका परिणाम यह है कि समय पर उपयुक्त साधन न मिलने से खेती की पैदावार दिन-प्रति-दिन गिरती चली जा रही है।

खाद्य क्षेत्र समाप्त हो

खाद्यान्न के सम्बन्ध में दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पंजाब में गेहूं का भाव २४ रु. मन है दिल्ली में उसी गेहूं का भाव ३२ रु. मन है, गाजियाबाद में उसका भाव ४० रुपये मन है और बम्बई तथा कलकत्ता में उसी गेहूं का भाव ६० से ७० रुपये के बीच में है अगर यह सरकार देश में समाजवाद लाना चाहती है तो उस समाजवाद का अर्थ यह है कि अगर भूखों ही मरना है, तो सारा देश एक-साथ भूखा मरे। यह क्या ढंग है कि एक राज्य में गेहूं २४ रुपये मन बिके और दूसरे राज्य में ६० से ७० रुपये मन के बीच में ? सरकार ने क्षेत्र बना कर देश के बीच में जो दीवारें खड़ी कर दी हैं, एक प्रान्त में दूसरे प्रान्त के प्रति जिस संकुचित भावना का विकास वह करती जा रही है, आपको उसे समाप्त करना चाहिये। जिस दिन सरकार ने गुड़ पर ये प्रतिबन्ध हटाया, तो राजस्थान में गुड़ का भाव ७० रुपये मन था और प्रतिबन्ध हटने के तीसरे दिन गुड़ का भाव घट कर ४० रुपये मन हो गया। सरकार को इससे अनुमान लगाना चाहिए कि उसके द्वारा इस प्रकार से क्षेत्र बनाने का कितना नुकसान होता चला जा रहा है।

एक बात मैं बाहर भी कहता हूं और इस सदन में भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अब तक जितने भी हमारे कृषि और खाद्य मंत्री हुए, उन में से एक दो व्यक्तियों को छोड़ कर अधिकांश व्यक्ति वे थे, जो इस समस्या से सर्वथा अपरिचित थे। आज भी दुर्भाग्य यह है किजो व्यक्ति नेहरू मिनिस्ट्री में स्टील का स्पैशिलिस्ट माना जाता था, देश की इतनी भयंकर और गम्भीर समस्या—खाद्य समस्या—का दायित्व उसको सौंप दिया गया है। क्या अनुभव है उनको इस विभाग का, सरकार यह भी तो उत्तर दे।

अच्छा हो कि इस समस्या का युद्ध-स्तर पर समाधान किया जाये। प्रधान मंत्री के हाथों में आज-कल सिवाय अणुशक्ति विभाग के और कोई विभाग नहीं है। इस समय उनके पास समय भी है, इसलिए वह इस दायित्व को स्वयं अपने कांधों पर लें और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, प्रधान मंत्री को ही कृषि और खाद्य मंत्री का कार्य करना चाहिए।

खोखली विदेश नीति

विदेश नीति के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि सौभाग्य से हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, का व्यक्तित्व एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व था। और सौभाग्य से ही अब उनके उत्तराधिकारी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो दूसरे प्रधानमंत्री आए हैं, उनका व्यक्तित्व उतना अन्तर्राष्ट्रीय नहीं है, जितना कि राष्ट्रीय व्यक्तित्व अधिक है। इस समय हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जब हमें राष्ट्रीय व्यक्तित्व की आवश्यकता अधिक है, ताकि हमारी समस्याओं का राष्ट्रीय दृष्टि से समाधान हो। अब तक अपनी समस्याओं का समाधान करने में हम इस बात पर ज्यादा ध्यान देते रहे कि दुनिया हमको क्या कहेगी। देश के ४७ करोड़ लोगों का भाग्य किस बात में सुरक्षित है, इस बात की भी अब हमको चिन्ता करनी चाहिए।

इस बारे में मैं दो तीन आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं। पड़ोसी देशों से अपने सम्बन्ध सुधारने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया— उस में वह कितनी सफल हो पायेगी, अभी यह तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक सफलता की किरण दिखाई नहीं पड़ी है— उसके लिये मैं उसको साधुवाद देता हूं। हमने देखा है कि नेपाल, इंडोनेशिया जैसे छोटे-छोटे पड़ोसी देशों में हमारे राजदूतावास इतने दिनों से खाली पड़े हुए हैं। क्या सरकार के पास कोई उपयुक्त प्रतिभायें नहीं हैं, जिनको वह राजदूत बना कर वहां भेज सके ? इतने महत्वपूर्ण दूतावासों को खाली छोड़ देना हमारी विदेश-नीति का एक बहुत बड़ा खोखलापन है।

दूसरे आज परिस्थिति की पुकार और समय की मांग यह है कि दलाई लामा को बौद्ध देशों में भेजा जाये। अब उनको हिन्दुस्तान की चार-दीवारी में बन्द नहीं रखना चाहिए। वह वहां जाकर अपने दुखड़े को बतायें तो सही। इससे हिन्दुस्तान के प्रति एक अनुकूल वातावरण पैदा होगा। दलाई लामा को हिन्दुस्तान में रख कर एक बड़ी भारी भूल की जा रही है।

चीनी दूतावास के अन्दर एक सैकंड सेक्रटरी हैं, जो कि चीनी आक्रमण से पहले भी सैकंड सेक्रटरी था और उनका नाम है चेन लू-चिह। यह वह व्यक्ति है, जो चीन के आक्रमण के समय तिब्बत में चीन के गुप्तचर विभाग (इन्टेलिजैंस डिपार्टमेंट) का हैड था। आक्रमण के दौरान जो भारतीय सैनिक वहां बन्दी हो गए थे, उनके मस्तिष्क में चीन के अनकूल वातावरण बनाने का दायित्व इसी व्यक्ति को सौंपा गया था। जब यह व्यक्ति पहले सेकेंड सैक्रटरी था तो उस समय भी उसकी गतिविधियां हमारे लिये सन्तोषजनक नहीं रहीं। अब वह दोबारा भारत में चाइनीज एम्बेसी में सेकंड सेक्रटरी बनकर आया है। दिल्ली में उसकी जो गतिविधियां चल रही हैं, उनके बारे में सरकार के गुप्तचर विभाग ने उसको रिर्पोट दी होगी। क्यों नहीं भारत सरकार चीन सरकार को लिखती कि इस प्रकार के व्यक्ति को यहां से हटा लिया जाये ?

भ्रष्टाचार की समस्या

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा- श्री हाथी यहां हैं वह नन्दा जी को कहें— कि अगर सामान्य भ्रष्टाचार को समाप्त करने से पहले राजनीतिक स्तर पर जो ऊपर के भ्रष्टाचार हैं, उन को समाप्त किया जाये, तो नीचे के भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जायेंगे। सरकार के जो छोटे-छोटे डिपार्टमेंन्ट हैं— खादी कमीशन, समाज कल्याग विभाग और भारत सेवक समाज, सरकार इन तीनों के भ्रष्टाचार को पहले समाप्त कर दे और फिर देखे कि उस ने देश में कितने पुण्य का कार्य किया है।

भ्रष्टाचार को दूर करने के सम्बन्ध में मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भ्रष्टाचार का कानून-क्रिमिनल प्रोसीज्यौर कोड— व्यक्ति को देख कर लागू होता है। दिल्ली की पुलिस गुड़ के स्कैंडल की रिपोर्ट दे चुकी है। सामुदायिक विकास मंत्री, श्री एस.के. डे ने राज्य सभा में कहा है कि वह रिपोर्ट दे चुकी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। जिन आदमियों को दोषी ठहराया गया है, उन में संसद् के दो सदस्य भी हैं, उनमें एक सैंट्रल को-आपरेटिव स्टोर के चेयरमैन थे। क्या सरकार ने उन के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? या फिर क्रिमिनल प्रोसीड्यर कोड शक्ल देख कर काम में लाया जाता है ?

भारत सरकार के एक जिम्मेदार आदमी श्री धर्म यश देव, के छोटे भाई की कार पीछे चुराई गई थी और उस चोरी में एक्स्टर्नल एफेयर्ज मिनिस्ट्री के ज्वायंट सैक्रेटरी का लड़का सम्मिलित था। और भी बड़े बड़े आदमी उस में सम्मिलित थे। इस केस को कैसे दवा दिया गया ? एक ओर सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहती है और दूसरी ओर इस प्रकार के व्यक्तियों को बचाना चाहती है। तो फिर वह भ्रष्टाचार को किस प्रकार समाप्त कर सकेगी ? हजार नन्दा भी इसमें सफल नहीं होंगे।

प्रधानमंत्री निवास को नेहरू निवास बनाना अनुचित

डा. लोहिया की उस बात से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रधानमंत्री-निवास को श्री नेहरू के नाम से सुरक्षित रख कर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अगर नेहरू जी स्वयं इन विचारों के होते, तो जैसे उनके नाम पर सरकार सिक्के चलाने जा रही है वैसे ही उन्होंने भी गांधी जी के नाम पर जरूर सिक्के चलाए होते। लेकिन वह स्वयं इस प्रकार के विचारों के नहीं थे। सरकार उन के सिद्धान्तों के विपरीत जा रही है। उनका स्मारक शान्ति-वन या इसी प्रकार की और कुछ चीजें हो सकती थीं। अथवा उनका सब से बड़ा स्मारक तो यह है कि चीन ने हमारी जो धरती छीन ली है, वहां से उसको धक्का दे कर बाहर किया जाये और आजाद कश्मीर को हिन्दुस्तान में मिलाया जाये।

अन्त में मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्री नेहरू की कमिटमेंट्स के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रकार के कुछ व्यक्तिगत आश्वासन दिये हुए थे, जिन से वह एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व होने और सोचने का ढंग ऊंचा होने के कारण निकल नहीं सके। जैसे शेख अब्दुल्ला को कुछ उन्होंने आश्वासन दिया हुआ था। गोआ-दमन-दीव के सम्बन्ध में उन्होंने कह दिया था कि उस की संस्कृति अलग होने से उस को अलग रखा जायेगा। इसी तरह से पांडीचेरी-यमन-कारीकट-माही जैसी छोटी छोटी बस्तियों को किसी आश्वासन के आधार पर ही उन्होंने अलग रखा हुआ था। नागालैंड के सम्बन्ध में भी इसी तरह का उन्होंने आश्वासन दिया था।

मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी उन कमिटमेंट्स से बन्धे हुए नहीं हैं। चूंकि उन्होंने इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार के आश्वासन नहीं दिये, इस लिए वह नये ढंग से अपनी नीति का निर्माण करें और उन कमिटमेंट्स से आगे हो कर इन बातों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट निर्णय लें। जिस प्रकार से अब तक ये समस्यायें उलझी रही हैं, वह उन को अब उस प्रकार से उलझायें नहीं। चूंकि इन तीन महीनों में उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इस लिए मुझे विशेष रूप से उस ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ा है। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मिजो विद्रोह सारे पूर्वोत्तर की समस्या

स्थगन प्रस्ताव का महत्व अपना होता है। यह एक प्रकार से सरकार के शासन तंत्र की विफलता का द्योतक होता है। एक प्रकार से इसका प्रभाव अविश्वास प्रस्ताव की तरह होता है। शास्त्री जी ने मिजोरम की विस्फोटक स्थिति पर सरकार की अकर्मण्यता बताते हुए ३ मार्च १९६६ को सदन की कार्यवाई रोक कर वहां की स्थिति पर विचार के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा। उनके भाषण से पता चलता है कि देश के प्रत्येक राज्य के बारे में वे कितनी व्यापक जानकारी रखते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अपना कार्य स्थगित करे और असम की पहाड़ियों में प्रशासन के ठप्प होने से सरकार की असफलता की स्थिति पर विचार करें, जब मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित कर रहा हूं तो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से भी मीजो पहाड़ियों का जो महत्व है उस पर सबसे पहले कुछ कहना चाहूंगा।

सीमाओं से टकराती मिजो पहाड़ियां

तीन लाख की आबादी की इस पहाड़ी का क्षेत्र लगभग ८१४० वर्ग- मील है। इस ८१४० वर्गमील की पहाड़ी से पूर्वी पाकिस्तान का १६० मील का हिस्सा मीजो पहाड़ियों से लगता है। लगभग २५० मील मीजो पहाड़ियों का हिस्सा ऐसा है जो वर्मा की सीमा से टकराता है। मीजो पहाड़ियों में जो असन्तोष उत्पन्न हुआ मैं उसकी पृष्ठभूमि पर भी कुछ कहना चाहूंगा। मीजो क्षेत्र के निवासियों को सबसे बड़ा असन्तोष हुआ तब जब कि मीजो पहाड़ियों के नाम पर जो फण्ड एलाट किया जाता था केन्द्र से, आसाम सरकार जब उसको दूसरे क्षेत्रों में लगा देती थी और जितना फण्ड उन के लिये नियत किया जाता था, उतना उन पर व्यय नहीं होता था। इससे इन लोगों में असन्तोष बढ़ा। मैं चाहूंगा कि गृह-मंत्री अपना उत्तर देते समय, इस पर प्रकाश डालें, और नहीं तो कम से कम पिछले पांच वर्षों में मिजो पहाड़ियों के विकास के लिये कितना फंड एलाट हुआ और असम सरकार ने उसमें कितना व्यय किया।

इस क्षेत्र में, उपाध्यक्ष जी, एक जीपेगिल रोड है जो सिलचर से आइजल तक जाती है। पीने के पानी की स्थिति यह है कि जो कुछ कच्चा पानी पहाड़ियों से निकलता है, वह भी सुगमता से उन्हें उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार से खाने व अन्न की भी स्थिति है। इस अभाव से ऊब कर उन लोगों में असन्तोष की ज्वाला धीरे-धीरे बढ़े लगी।

पृथक देश का आन्दोलन

मीजो पहाड़ियों में, उपाध्यक्ष जी, जहां तक शिक्षा की स्थिति है, ४५-५० प्रतिशत शिक्षित वहां हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि असम सरकार को उन्हें जितना प्रतिनिधित्व देना चाहिये था सरकारी नौकरियों में, उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे सकी। इसलिये विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए, अधिकार की दृष्टि से पिछड़े हुए, पानी, खाने-दाने, आदि चीजों में पिछड़े हुए, इस भाग में असन्तोष की आग भड़की और धीरे-धीरे उन्होंने यह मांग भी करनी आरम्भ की कि असम से हमारी इस पहाड़ी को अलग कर दिया जाय। पहले

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह मांग अपने प्रदेश केरूप में थी, लेकिन फिर आगे चल कर इस मांग ने एक दूसरा रूप धारण किया। मीजो पहाड़ियों में दो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक राजनीतिक पार्टी वह है, जिसे मीजो यूनियन, कहते हैं, जिसकी स्थापना १९४६ में हुई। दूसरा राजनीतिकदल १९६०-६१ में आरम्भ हुआ, इसका नाम है मीजो नेशनल फ्रंट।

इस मीजो नेशनल फ्रंट की स्थापना के बाद फिर इस राजनैतिक मांग में एक नया मोड़ आया। नया मोड़ यह आया कि मीजो पहाड़ियों को एक पृथक देश के रूप में परिणित कर दिया जाय। जो पहले पृथक प्रदेश के रूप में मांग थी, वह पृथक देश के रूप में उभर आई। यह मीजो नेंशनल फ्रंट पृथक देश की मांग ही नहीं करता बल्कि इसको पाकिस्तान से भी प्रेरणा मिलती रही और जो लोग इसमें हैं वे प्रायः अधिकतर सरकारी कर्मचारी हैं।

आइजल जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, उसमें इसका सैक्रेटेरियट है। असम सरकार के कुछ अधिकारी इसको अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते रहे हैं और इसके उदाहरण जानना चाहें तो मीजो पहाड़ियों में जितने सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल हैं उन्हें देखें। इनमें बाकायदा मीजो फ्रंट के लिये बालन्टियर्स तैयार किये जाते हैं, उनकी पैरेड होती है और इन पर असम सरकार कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकी।

सेवा समाप्ति के बाद भी वेतन जारी

एक और बात इस मीजो नेशनल फ्रंट का जो वाइस प्रसिडेन्ट है, वह एक बेसिक स्कूल का सस्पेन्डेड टीचर है, लेकिन आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि सस्पेन्ड होने के बाद भी आज तक असम सरकार बराबर उसको उसी प्रकार वेतन देती चली जा रही है। जब असम सरकार के कुछ प्रमुख अधिकारियों का इस प्रकार समर्थन मीजो फ्रंट को मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि मीजो यूनियन, जो राष्ट्र भक्त लोगों की संस्था थी, और भारत के साथ मिल कर रहना चाहती थी, उससे हट कर लोग फ्रंट की ओर जाने लगे।

इसका एक और प्रमाण देना चाहता हूं। आइजल से एक दैनिक पत्र निकलता है—आइजल डेली न्यूज, इसका जो सम्पादक है वह सरकार द्वारा दो बार सस्पेण्ड किया जा चुका है क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी था। वह इस अखबार का एडिटर है वह अभी तक सरकार से बराबर वेतन ले रहा है। वह जो इसका एडिटर है उसकी पत्नी इसकी पब्लिशर है और इसमें जितनी न्यूज छपती है प्रायः वह समाचार ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान रेडियो प्रसारित करता है और पाक समर्थक होते हैं।

एक और बात जो बड़ी भयानक है और सरकार के कान खोलने वाली है। मैं नहीं कह सकता कि कहां तक इसमें प्रामाणिकता है ? शिलांग रेडियो के जो स्टेशन डाइरेक्टर हैं और जो ट्राइबल प्रोग्राम के भी इन्चार्ज हैं, उनका इस मीजो फ्रन्ट के अधिकारियों से भी सम्बन्ध है। वहां से भी उनको प्रोत्साहन मिलता है।

गड़बड़ी में पाकिस्तानी हाथ

इस तरह से यह फ्रंट जिसने पृथक मीजो पहाड़ों का देश हो, इस तरह की जो आग भड़काई, उसका परिणाम यह हुआ कि यह आग धीरे-धीरे भड़कती रही। असम के मुख्य मंत्री श्री चालिहा असम की समस्याओं से हट कर केवल नागालैण्ड की समस्याओं से बंध कर बैठ गये और वहां की समस्याओं के

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिए ही प्रायः अपना सारा समय दे रहे हैं। पाकिस्तान तो यह चाहता ही है कि किसी प्रकार से असम में गड़बड़ी हो। उसका सब से बड़ा प्रमाण यह है कि कल जब रावलपिण्डी में भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों के बीच ताशकन्द एग्रीमेंन्ट की पृष्ठभूमि में बातचीत हो रही थी, उसी समय पाकिस्तान के एक रेडियो ने मीजो की पहाडियाँ एक स्वतन्त्र देश के रूप में पृथक हो गई है, वे भारत से अलग हो गई हैं, यह समाचार प्रसारित किया जा रहा था। इधर रावलपिण्डी में भारत और पाकिस्तान में मंत्री बातचीत कर रहे थे, उसी समय पूर्वी पाकिस्तान का रेडियो भारत सरकार के खिलाफ आग भड़का रहा था।

मीजो नेशनल फ्रंट के कुछ आदमी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आये हैं। मेरी जानकारी यह है कि २००-२०० के दो बैच ट्रेनिंग ले रहे हैं। न केवल मीजो पहाड़ियों के बल्कि मणिपुर की बाइट जाति के लोग भी वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक ओर पाकिस्तान मित्रता का हाथ बढ़ाता है और दूसरी ओर यह छुरा मारने का काम करता है। बर्मा से भी किसी प्रकार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध है, लेकिन जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, वह बात तो इतनी स्पष्ट है कि ब्रिटेन को इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। हिन्दुस्तान जितने टुकड़ों में विभक्त हो, अच्छा है। अभी तक दुनिया में किसी रेडियो ने घोषणा नहीं की कि मीजो पहाड़ी स्वतन्त्र देश के रूप में परिणित हो कर एक स्वतंत्र इकाई बन गई है, भारत सरकार से पृथक होकर। लेकिन आज प्रातः साढ़े सात बजे बी. बी. सी. ने यह समाचार ब्राइकास्ट किया कि मीजो पहाड़ियां स्वतन्त्र देश के रूप में परिणित हो गई हैं।

मिजो लोगों से भेदभाव

उपाध्यक्ष जी ! तीसरी एक बात और भी है जो मीजो लोगों के अन्दर असन्तोष जागृत करने का कारण बनी। यह मीजो कौम जितनी भी है यह सारी की सारी मिलिट्री रेस है। असम रेजिमेन्ट में, असम राइफल्ज में, बर्मा रेजिमेन्ट में ज्यादातर लोग वे हैं जो मीजो हैं। लेकिन इतना होते हुए भी, ये लोग जो मिलिट्री में हैं और जमकर लड़ते हैं, इनका उपद्रवी मस्तिष्क नहीं रहा। लेकिन इनमें सबसे बड़ा असन्तोष तब हुआ, आग तब भड़की जब नागा लोगों ने, जो इन से कम शिक्षित हैं, कम विकसित हैं, जो किसी प्रकार भी मीजो लोगों के बराबर खड़े नहीं किये जा सकते, भारत सरकार के सामने तलवार उठाई। कहीं पर गाड़ियां गिराई, कहीं हवाई जहाज में बम रखा, इस पर भी भारत सरकार बार-बार उनको बुलाती है और उनसे बातचीत करती है। मीजो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जब हमारा और नागाओं का क्षेत्रफल बराबर है, इतना होने पर भी भारत सरकार तीन लाख के नागा प्रदेश पर १७ करोड़ रुपये खर्च करती है और तीन लाख मिजो आबादी के लिये १७ लाख रुपये खर्च नहीं करती। यह असन्तोष का प्रमुख कारण है इसी कारण मीजो लोगों में आग ने भड़ककर दूसरा रूप धारण कर लिया।

मीजो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि नागाओं को व्यर्थ का महत्व भारत सरकार उनको बार बार यहां बुला कर देती है। हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों में भी उनको महत्व मिलता है। सरकार उनकी अनुचित मांगों के आगे झुकती है। इससे उन्होंने यह सोचा कि सरकार केवल एक ही भाषा समझती है जो नागा लोग बोलते हैं। इसलिये उसी भाषा में हम लोग भी क्यों न बोलें, जिससे सरकार हमारी समस्याओं को सुने। इधर वे लोग रेल गाड़ियां उड़ा रहे थे, जैसा श्री राम सुभग सिंह ने कुछ दिन पूर्व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए बताया था कि ५६ आदमी मारे गये। इधर उनके प्रतिनिधि बैठकर प्रधान मंत्री के साथ बातचीत कर रहे थे। वहां हवाई जहाज में बम रखे जा रहे थे। यहां उनको

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फिर एक अप्रैल को आने के लिए निमन्त्रण दिया जा रहा था। असन्तोष के इन कई कारणों से ऐसी स्थिति पैदा हो गयी जो सरकार उन पर नियन्त्रण नहीं रख सकी।

विद्रोह को सख्ती से दबाया जाय

मैं आज यह कहता हूं कि मिजो पहाड़ी के निवासियों में जो स्थिति बनी है वह नागाओं जैसी स्थिति नहीं है। आज भी मीजो लोगों के विकास की समस्याओं पर गंभीरता से यदि विचार किया जाय और उनकी घरेलू कठिनाइयों को सुधारा जाय, तो मीज़ो लोग नागाओं की तरह विद्रोही मनोवृत्ति के नहीं मिलेंगे। मिजो नेशनल फ्रंट जिसने इस प्रवृत्ति को पैदा किया है और वहां सरकार के प्रशासन को ठप्प कर दिया है, अगर सरकार इस पर नियंत्रण न कर पाई तो आज देश में और दुनिया में यह चर्चा है कि साढ़े तीन लाख नागाओं पर और मीजो फ्रन्ट पर भारत सरकार नियंत्रण नहीं कर सकी, तो इतने बड़े देश पर किस प्रकार अधिकार कर के रखेगी।

अगर यह स्थिति चलती चली गई तो कल नागालैंड में वह स्थिति थी, आज मीजो पहाड़ी की स्थिति यह है, तो मैं चेतावनी देता हूं कि फिर यही स्थिति नेफा में होगी, मणिपुर में होगी, त्रिपुरा में होगी, कछार में होगी और भारत सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पायेगी। इसलिये आज समय है कि सख्ती के साथ उस भावना को दबा दिया जाय। अगर मैं भूल नहीं करता हूं तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि १९५९ में जब श्री नेहरू प्रधान मंत्री थे, सेना के एक ऊंचे अधिकारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि यदि आप ने सेना को नागालैंड में काम करने के लिये भेजा है तो उसे हाथ खोलकर काम करने का मौका भी दीजिये। आप इस पर प्रतिबन्ध लगा कर हिन्दुस्तान की जनता को यह कहें कि हम ने नागालैंड में मिलिटरी भेजी हुई है और उधर मिलिटरी हाथ खोल कर वहां काम नहीं कर सकती तो शान्ति कैसे कायम होगी ? इससे अच्छा तो यह है कि मिलिटरी को आप वापिस बुला लें, पुलिस वहां भेज दें। मिलिटरी का नाम तो कम से कम बदनाम नहीं होगा। तब कोई यह तो नहीं कह सकेगा कि सेना गई लेकिन वह नागालैंड में शान्ति स्थापित नहीं कर सकी। पता नहीं उसके बाद क्या निर्णय लिया गया, क्या नहीं लिया गया।

लेकिन मुझे इस से भी ज्यादा शिकायत असम के मुख्य मंत्री श्री चालिहा से है। जहां तक मेरी जानकारी है भारत सरकार ने असम के मुख्य मंत्री को यह लिखा था कि सशस्त्र पुलिस की संख्या बढ़ाई जाये। लेकिन असम के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार की इस राय पर या भारत सरकार के इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। मिजो पहांड़ियों के अन्दर जो सुपरिटेंडेंट पुलिस था उसको मिजो नेशनल फ्रंट के लोगों की शिकायत पर वहां से हटा लिया गया और असम के मुख्य मंत्री ने कहा कि डी. सी. ही काफी है। सुपरिटेंडेंट पुलिस रखने की कोई जरूरत नहीं है।

आज तक मिजो पहाड़ियों के अन्दर उसके बाद से पुलिस सुप्रिटेंडेंट नहीं है। अगर यही स्थिति रहती है कि भारत सरकार द्वारा दी गई राय का, भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझाव का, असम के शान्ति दूत, मुख्यमंत्री इसी प्रकार से बराबर उपेक्षा करते रहें तो उपाध्यक्ष जी! मुझे दुबारा उन शब्दों को कहने की आप आज्ञा दें कि भारत सरकार के निर्णयों की अगर मुख्य मंत्री इसी तरह से बराबर अवहेलना करते चले जायेंगे तो एक दिन स्थिति यहां तक आ जायेगी कि पार्लियामेंट कोई निर्णय नहीं ले सकेगी। मुख्य मंत्री पार्लियामेंट के ऊपर हावी हो जायेंगे। केन्द्रीय सरकार जो निर्णय ले सावधानी के

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उन निर्णयों को कार्यान्वित कराने की भी तो जिम्मेवारी उसी की है।

सरकार की उपेक्षा

एक दोष मैं केन्द्रीय सरकार पर भी प्रमुख रूप से डालना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारी सरकार की यह आदत हो गई है कि जब पानी बिल्कुल सिर को लांघ जाता है तब सरकार की नींद खुलती है। एन्क्रूमा साहब गद्दी से उतार दिये गये और यहां प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रही थीं कि उनके साथ उनकी क्या क्या बातचीत हुई। २८ फरवरी से यह दुर्घटना मिजो पहाड़ियों के अन्दर घट रही है। आज तीन मार्च को प्रातः काल कहा जाता है कि वहां पर मिलिटरी भेजी गई है हैलीकाप्टर से। एक हैलीकाप्टर में कितने मिलिटरी के आदमी बैठ सकते हैं, इसको भी आप सोच लें। २८ से उत्पात प्रारम्भ हुए और हमारी तीन तारीख को आंख खुल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस केन्द्रीय सरकार के अन्दर ५२ मिनिस्टर्ज की फौज बैठी हुई है, चार-चार आदमी होम मिनिस्ट्री में हैं, तो क्या इस में से कोई जिम्मेवार मंत्री मिजो पहाड़ियों में जा कर स्थिति का अध्ययन नहीं कर सकता था ? क्यों नहीं कोई गया?

२८ तारीख से वहां का प्रशासन ठप्प पड़ा है, सड़कें तोड़ी जा रही थीं, रेल तोड़ी जा रही थी, डाकखाने तोड़े जा रहे थे, क्यों नहीं जा कर किसी ने स्थिति का अध्ययन किया। आज मैं इसी बात को सुझाव के तौर पर कहता हूं कि अगर मिजो पहाड़ियों में शान्ति स्थापित करनी है और भारत के उत्तर पूर्वी सीमांचल में शान्ति बनाये रखनी है तो पहला काम आप यह करो गृह मंत्री और प्रधान मंत्री आप दोनों सारे काम को छोड़ कर उस इलाके की स्थिति को देखने के लिए जाओ। साथ ही साथ एक निष्पक्ष संसद सदस्यों का शिष्ट मंडल वहां भेजा जाये जो जा कर सारी स्थिति का अध्ययन करे।

तीसरी बात असम प्रशासन के सम्बन्ध में मुझे यह कहनी है कि इस प्रकार के जो असम प्रशासन के अन्दर तत्व हैं, उनको वहां से हटाया जाये या फिर उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

मिजो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगाएं

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मिजो नेशनल फ्रंट को अवैध घोषित किया जाये और अवैध घोषित करने के बाद जो उसके इस प्रकार के सदस्य हैं जो गवर्नमेंट से तो पैंशन लेते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ साथ-साथ काम भी करते हैं, उनको चेतावनी दी जाये। और चेतावनी के बावजूद भी वे बाज नहीं आते हैं तो उनकी पैशनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

इसी तरह से मिजों पहाड़ियों के अन्दर जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं और इन में मिजो नैशनल फ्रंट के लिए वालंटीयर तैयार किये जाते हैं, जहां बाकायदा पैरेड होती है, उन स्कूलों के जिन अध्यापकों का इस में हाथ है, उनको तुरन्त वहां से हटाया जाये और उनके स्थान पर दूसरे अध्यापक भेजे जायें।

सुपरिटेंडेंट पुलिस को जो हटा लिया गया था उसको फिर से वहां लगाया जाये।

इसके अतिरिक्त नागा विद्रोहियों के आगे जो सरकार बराबर इस तरह से झुक रही है और जिस के झुकने का परिणाम अभी मिज़ो में हम देख रहे हैं, कल को नेफा में, मनीपुर में, त्रिपुरा में और दूसरे स्थानों पर भी होने के लिए जा रहा है, वह इस तरह से झुकना बन्द कर सख्ती से काम करे। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह कहा कि शान्ति वार्ता असफल होने के बाद अगला निर्णय हम लेंगे, फिर हम देखेंगे

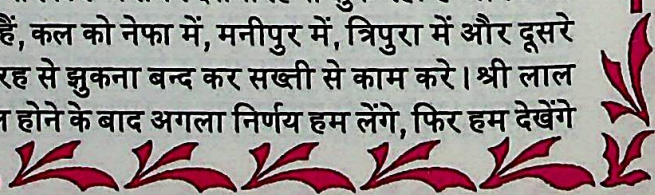

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि क्या कदम हमें उठाना है। यह छः महीने की बात थी। आज उसको दो साल से भी अधिक होने जा रहे हैं। श्री जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति ने उससे इस्तीफा दे दिया है और वह अलग हो गये हैं। इससे पता लगता है कि शान्ति वार्ता सिवाय इसके कि समय टालने का एक प्रयास है उसका कोई और परिणाम नहीं निकलने वाला है।

नागाओं के आगे न झुकें

अगर आप ने देश में प्रशासन को मजबूत बनाना है तो कम से कम साढ़े तीन लाख लोगों की अनुचित मांगों के आगे तो मत झुको। अगर इस तरह से झुकते चले जाओगे तो आज नागा है तो कल को दूसरे रूपों में दूसरे स्थानों पर भी यही होगा।

इस शब्दों के साथ मैं इस बात को मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि मिज़ो पहाड़ियों में प्रशासन को यथावत बनाये रखने में असम सरकार ही नहीं केन्द्रीय सरकार भी असफल हुई है। सरकार की असफलता का जो प्रस्ताव है उसको मैं उपस्थित करता हूं और सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि गम्भीरता से इस पर वे विचार करें और सरकार की असफलता के इस प्रस्ताव को पारित करें।

शास्त्री जी के इस स्थगन प्रस्ताव पर श्री एन. जी. रंगा और श्री हीरेन मुकर्जी के क्रमशः प्रस्ताव के समर्थन व विरोध में भाषण हुए। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में उतनी ही प्रवलता से अपने पक्ष को पुनः प्रस्तुत किया।

शास्त्री जी का उत्तर

उपाध्यक्ष जी, भारत को स्वतन्त्र हुए १९ वर्ष के लगभग व्यतीत होने जा रहे हैं। १९ साल में यह अपने ढंग की पहली घटना मिजो पहाड़ियों में हुई है। जब देश के निवासी किन्हीं व्यक्तियों ने इस प्रकार का उपद्रव किया हो जिससे प्रशासन पूरी तरह से ठप हो जाये और उसके लिए बगल के किसी देश ने या उन्होंने स्वयं अपने स्वतन्त्र देश होने की घोषणा की हो। आज अपेक्षा थी कि गृह मंत्री कम से कम जहां स्वीकार करते हैं कि वहां के लोग सीधे हैं, बड़े भावुक प्रकृति के हैं, आज कामरोको प्रस्ताव के उत्तर में भाषण देते हुए वह इतना अवश्य कह देते कि वहां के लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मैं शीघ्र ही मिजो पहाड़ी क्षेत्रों में जाऊंगा और जाकर के सारी स्थिति का अध्ययन करूंगा। ..... (व्यवधान) ..... अच्छा, जायेंगे तो मुझे खुशी है।

दूसरी बात जो मैं सुनना चाहता था वह यह है कि गृह मंत्री कम से कम इस बात को अवश्य कह देते कि अब तक मिजो पहाड़ियों की प्रगति के संबंध में या विकास के संबंध में जितनी भी अर्थ की व्यवस्था होती रही और जिस आधार पर वह अर्थ पूरा मिजो पहाड़ियों के विकास में न लग सका केन्द्रीय सरकार स्वयं अब इस बात की देख रेख करेगी कि उसके लिए जितना फंड एलाट होता है वह खर्च होता है या नहीं। श्री फखरुद्दीन अहमद साहब ने पता नहीं केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मंत्री होने के नाते केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना वक्तव्य अभी दिया या अपनी पुरानी बातों की सफाई में अपना वक्तव्य दिया है। उन्होंने यह तो कहा है किआसाम के और भागों में जहां प्रति व्यक्ति १६० रुपये व्यय हुआ है वहां मिजो पहाड़ियों के अन्दर ३५० रुपये व्यय हुआ है। लेकिन श्री फखरुद्दीन साहब इस बात को नहीं बता सके कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या उन लोगों की जो प्रतिदिन की

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कठिनाइयां थीं जैसे उनके पीने के पानी की समस्या का समाधान हो गया ? उनकी यातायात की समस्या का समाधान हो गया ? उनके खाने की समस्या का पूरा समाधान हो गया ? या कम से कम यही बता देते कि यह प्रति व्यक्ति ३५० रुपये का व्यय जो उनके लिए हुआ है, जितना फंड उनके लिए आसाम की सरकार ने या केन्द्रीय सरकार ने एलाट किया था वह पूरा का पूरा उन के ऊपर व्यय हो गया है या नहीं ?

एक बात उन्होंने और कही कि एस. पी. की पोस्ट एबौलिश नहीं की गई बल्कि डिप्टी कमिश्नर ही एस. पी. का काम करता है। लेकिन श्री फखरुद्दीन साहब क्या इस बात को बतायेंगे कि डिप्टी कमिश्नर जो वहां एस. पी. का काम करता है, यह बीच में इस प्रकार का निर्णय लिया गया। जब एस. पी. की पोस्ट एबौलिश की गई या ....

[श्री फखरुद्दीन अहमद : फ्राम दि बिगिनिंग। शुरु से।]

तो ठीक है, मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूं।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि आज की जो स्थिति है जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा कि श्री नन्दा अगर इस बात की इस हाउस में सफाई कर पाते कि यह जो प्रशासन तंत्र पूरी तरह से वहां छिन्नभिन्न हो गया है और जिस प्रकार से वहां उन्होंने अपने स्वतन्त्र होने की घोषणा की है। एक ओर पाकिस्तान जो ताशकंद एग्रीमेंट की आड़ में आकर जिस तरह से सरकार को मोह में डाले हुए है और दूसरी ओर मिजो पहाड़ियों के बारे में जिस प्रकार से ब्राडकास्ट कर रहा है या बी. बी. सी. रेडियो जिस प्रकार से ब्राडकास्ट कर रहा है .....

इसके लिए अगर कोई संतोषजनक समाधान इस सदन को दे पाते तो मैं समझता हूं कि मुझे काम रोको प्रस्ताव यहां प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन श्री नन्दा के उत्तर से और श्री फखरुद्दीन अहमद के उत्तर से न मुझे संतोष हुआ है और मेरा अनुमान है कि न देश को ही संतोष होगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को उपस्थित किया जाय और इस सरकार पर निन्दा के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

जैसी कि संभावना थी, कांग्रेसी बहुमत के कारण स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सका। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रेलों में सुरक्षा व्यवस्था

५ मार्च १९६८ को रेल मंत्रालय की मांगों पर विचार के समय शास्त्री जी ने जहां रेलों में सुरक्षा की बात उठाई वहीं क्षेत्रीय भाषाओं की तथा रेल अधिकारियों के भ्रष्टाचार को भी उजागर किया। शास्त्री जी ने दूसरे तीसरे दर्जों में सफाई व्यवस्था में भी सुधार पर बल दिया।

उपाध्यक्ष जी, रेल मंत्री से कुछ शिकायत करने के बजाय कुछ आवश्यक सुझाव देना मैं अपने सीमित समय में आवश्यक समझता हूं। मोगलसराय में पीछे श्री दीन दयाल उपाध्याय की हत्या जहां भारत सरकार के सुरक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है, वहां इस कलंक से रेल मंत्रालय भी बच नहीं सकता। रेल के इतिहास में यह इस प्रकार की वीभत्स और जघन्य घटना हुई है कि जिसके लिए रेल मंत्रालय अपने को उससे अछूता रखना भी चाहे तो नहीं रह सकता है। रेल मंत्रालय की लापरवाही और उपेक्षावृत्ति के कारण एक इस प्रकार के अखिल भारतीय संगठन के अध्यक्ष की हत्या हुई है।

रेलों में सुरक्षा की व्यवस्था हो

मेरा अपना निवेदन इस संबंध में इस प्रकार है कि अगर रेल मंत्री ने इस प्रकार की गाड़ियों में या इस प्रकार की बोगियां जो कुछ स्टेशनों पर हटा कर दूसरी गाड़ियों में लगती हैं, उनमें सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की होती तो यह दुर्घटना होने से बच सकती थी। सुरक्षा के संबंध में मैं केवल यात्रियों की ओर ही ध्यान आकृष्ट नहीं करना चाहता। मैं इस समस्या के दूसरे पहलू को भी रखना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरे कानों में इस प्रकार की घटना सुनने में आई कि टूंडला और कानपुर के बीच में एक माल गाड़ी के गार्ड की भी हत्या की गई। कई स्थान इस प्रकार के हैं कि जहां रात को माल गाड़ियां खड़ी रहती हैं और चारों ओर से डकैतों का गिरोह आकर उनको मारता है, घायल करता है। इसी प्रकार से कई स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिली हैं कि जहां रेलवे कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहते हैं, पर कुछ इस प्रकार के गिरोह या संगठन हैं जो बाधा डालते हैं। रेलवे मंत्रालय की ओर से पूरी सुरक्षा उन्हें नहीं मिलती और विवश होकर फिर वह अपना हाथ खींच लेते हैं। यात्रियों की सुरक्षा जहां होनी चाहिए उसी के साथ-साथ रेल मंत्रालय इन लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी ले। उसके लिए चाहे कुछ विशेष नियुक्ति करनी पड़े या कोई नया विभाग बनाना पड़े वह बनाया जाय। लेकिन वह अत्यन्त आवश्यक है कि जो रेल कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व रेल मंत्री लें और इसके लिए बड़ी सतर्कता के साथ कोई निर्णय लिया जाय।

रेलवे बुक स्टालों पर अश्लील साहित्य

दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशनों पर जो बुकस्टाल हैं, उनके संबंध में मुझे पता है कि कच्ची और नई पीढ़ी के जो युवक रेलों से यात्रा करते हैं उनके लिए कितना गन्दा और हल्का साहित्य इन बुकस्टालों पर बिकता है। इस हल्के साहित्य के द्वारा जिस प्रकार नई पीढ़ी का मस्तिष्क

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकृत किया जाता है, पता नहीं कभी रेलवे विभाग ने इस ओर ध्यान दिया या नहीं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर जरा गंभीरता से ध्यान दिया जाय। इन बुक-स्टालों पर बिकने वाला साहित्य कहीं हमारी नई पीढ़ी को उलटी दिशा और उलटे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा है?

मुझे पहले पता है कि हमारे देश में जो बुकस्टाल होते थे स्टेशनों पर या इन पर जो साहित्य होता था, बुक-स्टालों को अगली अवधि के लिए लाइसेंस देते समय यह शर्त रहती थी कि अगर इनकी सेवा सन्तोषप्रद रहेगी तो आगे के लिए इनके लाइसेंस का रिन्युअल किया जा सकता है। अब मुझे पता चला है कि रेल मंत्रालय ने इस क्लाज को हटा दिया है। चाहे वह ए.एच. ह्वीलर हो या किसी और का बुक-स्टाल हो, मेरा कहना यह है कि अगर इन बुक स्टालों के पास इस प्रकार का साहित्य है जो रेल से यात्रा करने वाले चाहे नई पीढ़ी के लोग हैं या बड़ी पीढ़ी के लोग हैं, उनके लिए अच्छे साहित्य का वितरण वह करते हैं और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं है, तब उन बुक-स्टालों को वहां रहने दिया जाय। उस क्लाज को हटाना यह मेरी दृष्टि में कोई उपयुक्त बात नहीं मालूम पड़ी। पिछली बार मैंने उप-मंत्री श्री आर.एल. चतुर्वेदी से भी इस पर चर्चा की थी कि इसको देखना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि इस बार रेल मंत्री ने किराये के अन्दर कुछ वृद्धि की है। अगर किराये के साथ-साथ सुविधाओं में भी कुछ वृद्धि की होती तो उसका कुछ औचित्य ठहराया जा सकता था। लेकिन देखा यह जाता है, कि हम लोग जो संसद सदस्य हैं, हमें तो अधिकांश रूप में प्रथम श्रेणी में ही यात्रा करने का अवसर मिलता है। लेकिन जो तीसरी श्रेणी के या दूसरी श्रेणी के यात्री हैं, किस प्रकार उनके कम्पार्टमेंट में शौचालय की स्थिति होती है? कैसे पूरी की पूरी गाड़ी अंधरे में निकलती है। उसके अन्दर किसी प्रकार के भी बल्ब की व्यवस्था नहीं होती। कह दिया जाता है क्या करें? गाड़ी खड़ी रहती है, लोग वल्बों की चोरी कर लेते हैं। २० साल पहले भी तो रेल मंत्रालय था, तब इतनी चोरियां क्यों नहीं होती थीं? आज यह चोरियां क्यों बढ़ रही हैं? मैं कहना चाहता हूं कि इन चोरियों में चोरों के साथ-साथ कहीं डिपार्टमेंट के लोगों का भी तो हाथ नहीं है। वह ही तो कहीं इन चोरों से मिले हुए नहीं हैं; जिस आधार पर यह सारी की सारी स्थिति बन गई है। इस बात को भी जरा आप देखें। इसके कारण सारे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

तेज शटल चलाई जाय

मैंने पिछली बार भी रेलवे बजट के सम्बन्ध में एक इस बात का अनुरोध किया था कि आप दिल्ली के ऊपर जनसंख्या का भार कम करने के लिए आस-पास के नगरों में चाहे वह उत्तर प्रदेश के मेरठ तक और हापुड़ तक हों या सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, अलवर आदि हों। जितने इस प्रकार के निकट के नगर हैं, उनके लिए कुछ अधिक संख्या में तेज गाड़ियों की व्यवस्था करें। लोग अपना काम यहां करके अपने घरों को जा सकें और अगले दिन फिर इस प्रकार की गाड़ियाँ उनको मिलें कि वह आफिस के समय पर यहां आ सकें। आपने कुछ इस दिशा में काम किया तो है लेकिन तेज चलने वाली गाड़ियाँ केवल दिल्ली से कलकत्ते ही मत चलाइए, बल्कि दिल्ली की मांग की भी पूर्ति कीजिए और उसके लिए कम से कम जो आसपास के बड़े नगर हैं वहां लोग आसानी से जाकर अपना जीवन बिता सकें। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ मैं इसमें एक बात और सम्मिलित करना चाहता हूं। दिल्ली के पास एक बहुत

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बड़ा तीर्थ स्थान है, जिसका नाम गढ़ मुक्तेश्वर है। वहां पर हर अमावस्या और पूर्णिमा को काफी बड़ा मेला लगता है। दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं। उसी तरह इधर-उधर मुरादाबाद से भी लोग वहां आते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इस ओर जाने वाली गाड़ियों में दो डिब्बे अतिरिक्त जोड़े जाएं और हर गाड़ी के वहां ब्रिज-हाल्ट पर रोकने की व्यवस्था कर दें तो इससे यात्रियों को बहुत सुविधा हो जायेगी।

भारतीय भाषाओं का प्रयोग

एक बात जो मुझे विशेष रूप से रेल मंत्री जी से कहनी है, वह है भारतीय भाषाओं के प्रयोग के बारे में। भारतीय भाषाओं के प्रयोग की जब मैं बात करता हूं तो फिर से इन शब्दों को दोहराना चाहता हूं कि मैं केवल रेल मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की बात पर बल नहीं दे रहा हूं। बल्कि भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर बल दे रहा हूं। जैसे आपके मैसूर क्षेत्र में जो गाड़ियां चलती हैं, उधर रेलवे से सम्बन्धित जितना साहित्य प्रकाशित होता है, वह कन्नड़ भाषा में प्रकाशित करें, मद्रास में तमिल भाषा में प्रकाशित करें। आपने कभी अनुमान लगाया है कि अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले साहित्य का अनुपात क्या है और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले साहित्य का अनुपात क्या है? और तो और जिन बातों से आम आदमियों का सम्बन्ध नहीं है, जैसे माल गाड़ियों के डिब्बे में जिनमें सामान भरा जाना है। २० साल के बाद भी, जबकि हम निर्णय ले चुके हैं कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना है, उन डिब्बों पर अंग्रेजी में लिखा जाता है। "एन.आर." क्या उत्तर रेलवे के संक्षिप्त शब्द "उ.रे." नहीं लिखा जा सकता? क्या ऐसा करने से उसमें कुली माल डालने से इन्कार कर देगा। जितना अधिक से अधिक इसमें भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर सकें, अपने साहित्य के द्वारा भी, जिसके द्वारा कि लोग रेलवे की सुविधाओं के प्रति आकर्षित हों या अन्य भी दूसरे ढंगों से भी भारतीय भाषाओं के प्रयोग की ओर ध्यान देना चाहिये।

अनुपयोगी डीजल इंजन कारखाना

आपका बनारस में डीजल इंजन का कारखाना है। यह डीजल का कारखाना जब बनारस में लगने लगा—मैं रेल मंत्री जी का ध्यान उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। पहले यह हुआ कि अमरीका से पहले कुछ डीजल इंजन मंगाये गये। इन के बीच में खाली जगह होती है और ये इंजन लॉक होकर बनारस तक आते थे। इनके अन्दर चोरी का सामान आता था और रेलवे के बड़े-बड़े अधिकारियों के घर में वह सामान जाता था, रेफ्रीजरेटर्स आते थे, रेडियो आते थे, ट्रांजिस्टर्स आते थे, लाखों रुपये का सामान आता था। पता कैसे चला? जब एक रेलवे इंजन का अचानक कलकत्ता में दरवाजा खोला गया तो उसमें वह सामान भरा देखा गया। जब पता चला तो अगले जो इंजन जा रहे थे, उनको बीच में रुकवाया गया और देखा गया कि वे भी सामान से पूरे भरे हुए थे। पता लगते-लगते पता चला कि जितने भी इंजन अमरीका से आये, उन सब के अन्दर इस प्रकार बराबर चोरी का सामान आता रहा और रेलवे के बड़े-बड़े अधिकारियों के घर में जाता रहा। उन्हें इसका क्या पुरस्कार दिया।

हमारे यहां डीजल इंजन का जो कारखाना लगा है, यह अमरीका का अनुपयोगी कारखाना है। जिसको अमरीका सरकार अनुपयोगी कर चुकी थी, उसको यहां पर लाया गया और यही वजह है कि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिस क्षमता से उसको कार्य करना चाहिये था, वह नहीं कर सका। पीछे इसके सम्बन्ध में जब मैंने प्रश्न पूछा कि आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जो इस प्रकार उनके साथ मिल कर देश द्रोह करते रहे। रेल मंत्री ने उत्तर दिया—हां, इस प्रकार की घटना तो हुई थी, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया। मैं चाहता हूं कि केवल आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि अगर कोई अफसर रिटायर भी हो चुके हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। जिन्होंने देशद्रोह का काम किया है, इस प्रकार से गलत कारखाना बनारस में लाकर लगाया, और देश का करोड़ों रुपया बरबाद किया, उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही होनी चाहिये, इसको यहीं समाप्त नहीं करना चाहिये, जिसको आप दबाना चाहते हैं।

अगली बात मैं रेलवे स्टेशनों पर रेस्टोरेंट्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझे इस कटु सत्य को कहने की अनुमति दें। जितने रेलवे की ओर से चलने वाले रेस्टोरेंट्स हैं उनका इन्तजाम बहुत खराब है, बल्कि इतना दूसरों का खराब नहीं है। रेलवे प्रशासन ने इनको इसीलिये अपने हाथ में लिया था कि इनका प्रबन्ध ठीक किया जा सकेगा। लेकिन उनकी प्यालियां, प्लेटें, थालियां और उनकी सर्विस बहुत खराब है। वह समझते हैं कि हमारे को इतना वेतन तो मिल ही जाना है। अभी पीछे कानपुर स्टेशन के रेस्टोरेंट में मेरे साथ जो घटना घटी, उसके संबंध में मैंने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को लिखा, डिवीजनल सुप्रीन्टेंडेंट को लिखा और रेल मंत्री जी को भी लिखा। लेकिन उसके बाद मेरे पास उत्तर आता है—हमें दुःख है—पर उस उत्तर के अन्दर कोई विशेष बात नहीं थी। जैसे सामान्य घिसे-पिटे उत्तर होते हैं, उसी प्रकार का उत्तर उन्होंने मुझे भेज दिया। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि क्या आप जो निजी रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, उनको कैसे प्रोत्साहन देंगे, आप इस बात को सोचें।

गार्डों का वेतन बढ़े

आखिरी दो बातें और कहना चाहता हूं। एक है रेल गार्डों के सम्बन्ध में। पिछले २० सालों में रेलवे प्रशासन में हर विभाग में वेतन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन एक अभागा डिपार्टमेंट अगर रेलवे का है तो गार्डों का डिपार्टमेंट है। पहले हर गाड़ी में तीन-गार्ड होते थे—एक कंडक्टर गार्ड होता था, एक लगेज गार्ड होता था और एक गार्ड इंचार्ज होता था। यह उस समय की स्थिति है जब गाड़ियों में आठ डिब्बे लगते थे। लेकिन आज जब २२ डिब्बे लगते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के दो विभाग कमर्शियल डिपार्टमेंट को सौंप दिये गये और अब वह बेंचारा गार्ड-इन्जार्च ही है, जिस पर २२ डिब्बों की जिम्मेदारी होती है। एक्सीडेन्ट्स की भी उसी की जिम्मेदारी है, सुरक्षा की भी उसी की जिम्मेदारी है, सारे का सारा दायित्व उसका है। जिस तरह रेलवे विभाग के दूसरे कर्मचारियों के सम्बन्ध में सोचते हैं, इस अभागे गार्ड के सम्बन्ध में भी सोचिये। रात को मालगाड़ी जंगल के अन्दर खड़ी हुई है, वह अपने जीवन को लिये हुए खड़ा है, पता नहीं कब मालगाड़ी के चलने के लिये सिगनल दिया जायगा। यह जो आप के रेलवे का उपेक्षित विभाग है, इसके सम्बन्ध में विचार करें।

कई बार यहां पर चर्चा हुई है और आपने बहुत अच्छा किया—मैंने एक निवेदन किया था कि मेरठ और गाजियाबाद के बीच में दुहाई में एक फ्लैग स्टेशन खोला जाय—आपने उसको खोलने का निर्णय

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किया है। लेकिन उसको थोड़ा सा चालू भी करा दीजिये। अपने निर्णय को कार्यान्वित करा दीजिये।

लखनऊ के लिये देहरादून से मुरादाबाद होकर जो गाड़ियां पास होती हैं, उनमें रात को तीन एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, सुबह को एक मेल है, एक पैसेन्जर ट्रेन है, ये सारी की सारी रामपुर होकर पास होती हैं। जब कि तेज गाड़ी केवल रामपुर रुकती है और वहां यात्री नहीं मिल पाते हैं। इन चार गाड़ियों में से एक गाड़ी—चाहे इलाहाबाद पैसेन्जर को चलायें या देहरादून एक्सप्रेस को चलायें या लखनऊ मेल को चलायें—आपके रेलवे का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कालिज चन्दौसी में है, एक गाड़ी को रामपुर के बजाय चन्दौसी होते हुए बरेली पास करें यदि ऐसी व्यवस्था कर दें, तो बहुत सुविधा हो जायगी।

मैं समझता हूं कि रेल मंत्रालय इन सुझावों पर ध्यान देगा। मैं इनको शिकायतों के रूप में आपके सामने नहीं रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप गम्भीरता से इन पर विचार करेंगे। ❑

भ्रष्टाचार और नौकरशाही

अपने देश के उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध में तथा लालफीताशाही के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसका अकसर जिक्र होता है। हमारे सरकारी कार्यालयों और सेक्रेटेरिएट में यह पद्धति है कि एक फाइल को पूरा चक्कर लगाने में नौ महीने लग जाते हैं और उन्नीस हाथों में से होकर उसको पास होना पड़ता है। साउथ और नार्थ ब्लाक अगर किसी माननीय सदस्य को जाने का अवसर प्राप्त हो तो वह स्वयं अनुमान लगा सकेंगे कि किस तरह से फाइलें वहां पर इकट्ठी पड़ी रहती हैं। इस संकटकाल में जबकि एक-एक पैसा बचाने की आवश्यकता है, तब यह भी देखा जाना चाहिये कि इतने अधिक दिनों तक ये क्यों पड़ी रहती हैं। यदि सचमुच आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि आप यह निर्णय लें कि तीन दिन से अधिक कोई भी फाइल निर्णय लेने से नहीं रह पाएगी और तीन दिन के बाद अगर कोई फाइल निर्णय के लिए रह जायगी तो विशेष स्थिति में उसको माना जायगा, सामान्य में नहीं माना जायगा। लेकिन इनके लिए मंत्रियों को ही सबसे पहले आदर्श उपस्थित करना होगा। वे भी अपनी मेजों पर फाइलों को ज्यादा देर तक रोक कर न रखें। आज होता यह है कि उनकी मेजों पर महीनों तक फाइलें पड़ी रहती हैं। जब ऐसा होता है तो जो नीचे का अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी या सैक्रेटरी होता है उसको भी मौका मिल जाता है और जो छोटा कर्मचारी होता है उसको भी मिल जाता है कि वह फाइल को अपने पास दबाये रखे और वहीं से भ्रष्टाचार का आरम्भ हो जाता है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक धोखा है

चुनावों में भ्रष्टाचार, सरकारी हस्तक्षेप, रुपयों का महत्व आदि बातों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पहले अध्यादेश जारी किया फिर १८ दिसम्बर १९७४ को जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का विधेयक रखा। शास्त्री जी के मत में यह अध्यादेश मात्र एक व्यक्ति को बचाने के लिए तथा लोकतंत्र के लिए एक कलंक था।

श्रीमन्, मैं संक्षेप में अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात तो श्री गोखले जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तब संसद् का अधिवेशन प्रारम्भ होने में केवल दो या तीन सप्ताह रह जाते थे। उस समय राष्ट्रपति ने जितनी जल्दबाजी में अध्यादेश जारी किया उससे जहां इन सन्देहों की सृष्टि होती है वहां संसद् की जो गरिमा है उसका भी अपमान होता है।

मेरा आपसे कहना यह है कि जब संसद कुछ दिन बाद बैठने वाली ही थी तो इस प्रकार की क्या जल्दबाजी आपको थी। दो सप्ताह या तीन सप्ताह बाद जब संसद की बैठक होती, उस समय आप इसको विधेयक के रूप में क्या नहीं ला सकते थे? राष्ट्रपति ने जिस हड़बड़ी में अध्यादेश जारी किया उससे संदेहों की सृष्टि होती है। सारे देश के मस्तिष्क पर भी इसका विपरीत प्रभाव हुआ है, जिसकी यहां चर्चा आज प्रत्यक्ष रूप से सुनाई दे रही है। आपने लोकसभा में अपने उत्तर में इस बात को कहा और प्रधान मंत्री जी ने दो तीन दिन पहले लखनऊ में कहा कि निर्वाचनों में सुधार लाने के लिए हम विरोधी दलों से कुछ सुझाव आमंत्रित करेंगे। उनके सुझावों पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। एक ओर तो आप विरोधी दलों से सुझाव चाहते हैं, उनसे विचार-विनिमय करना चाहते हैं और दूसरी ओर इस प्रकार के विधेयकों को लाते हैं विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उनको संरक्षण देने के लिए।

इन बातों में कहां तक संगति बैठती है। जब आप सुझाव चाहते हैं तो उसका अभिप्राय यह है कि जितने चैप्टर हैं उनको नए सिरे से सबके सामने खोल कर रखें। जल्दबाजी में इस विधेयक को पास कराने की आवश्यकता नहीं। इस विधेयक को जनमत जानने के लिए भेजें, देखें कि जनमत इसके सम्बन्ध में क्या राय देता है। उसके बाद जनतंत्रीय पद्धति से चलने वाली सरकार स्वयं स्वस्थ मन से कोई निर्णय ले। इस तरह से शीघ्रता से सरकार इस विधेयक को लाकर जनमत की अवहेलना करे, फिर कहे कि हम विरोधी दलों के साथ राय करना चाहते हैं—इन दोनों बातों की आपस में कोई संगति नहीं बैठती।

अध्यादेश क्यों?

दूसरी बात जो मैं विधि मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह यह कि क्या इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने व्यय की जो नियत सीमा है उससे अधिक व्यय होने पर किसी का चुनाव अवैध घोषित नहीं किया था। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को बताएं कि जबसे इस देश में संविधान के अनुसार निर्वाचनों की प्रणाली प्रारम्भ हुई है क्या तब से उच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी चुनाव

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

याचिका इस प्रकार की रद्द नहीं की कि जो धन की सीमा से अधिक खर्च होने के कारण रद्द हो गयी हो और अगर इस प्रकार के चुनाव पहले भी रद्द हुए हैं तो फिर उस समय इस प्रकार के अध्यादेश जारी क्यों नहीं किये गये। इसी समय यह अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्यों हुई।

इससे भी पता लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को संरक्षण देने के लिए आपने यह अध्यादेश इस समय जारी करवाया जिसको अब यहां विधेयक के रूप में लाया गया है। यहां एक बात यह भी मैं कहना चाहता हूं, बहुमत का लाभ उठा कर सत्तारूढ़ दल भले ही इस विधेयक को पारित करा ले। लेकिन देश में जो संदेहों की सृष्टि हो रही है उसका आसानी से निराकरण नहीं किया जा सकेगा। चाणक्य ने कहा है :

यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयम् नाचरणीयम्।

जनता द्वारा जनता की राय से, जनता के मत केअनुसार चलने वाली सरकार को लोकमत की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप जिस ढंग से इस विधेयक को लाये हैं इस विधेयक के द्वारा जनमत झलकता है यह इस विधेयक की भाषा और भावना से प्रकट नहीं होता।

इसमें एक सबसे बड़ी बात यह कही गयी है, जिसका न्यायालय ने भी अपने निर्णय में संकेत किया है और वह है धन की चुनावों में भूमिका। कुछ समय से धन जनतंत्रीय प्रणाली में होने वाले चुनावों पर हावी होता जा रहा है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कैसे दो वर्ष पहले दरभंगा के चुनाव में खुलकर धन का प्रयोग किया गया और मैं इसकी भी चर्चा नहीं करना चाहता कि उड़ीसा की मंत्री श्रीमती नन्दिनी शतपथी के चुनाव में किस प्रकार से धन का खुलकर प्रयोग किया गया। लेकिन यदि राजनारायण जी ने जो आंकड़े यहां दिये हैं, वह सही हैं तो मैं चाहूंगा राज्य सभा के मुख्य द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक वाक्य दृष्टि में आता है : 'सत्यं वद धर्मं चर' उसे हटा दिया जाय। अगर यह आदर्श वाक्य है और सरकार इसको स्वीकार करती है तो क्या खुले हृदय से गोखले जी इस बात को कह सकते हैं कि १२ हजार नौ सौ रुपये में प्रधान मंत्री अपने रायबरेली चुनाव को जीत सकती हैं? इतने में अगर वह अपना निर्वाचन जीत कर आ सकती हैं तो आयें।

नैतिकता का तकाजा क्या है?

लेकिन मेरे कहने का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि नैतिक दृष्टि से कभी आपको विचार करना चाहिए। हमेशा कानूनी पक्ष को ही प्रबलता नहीं देनी चाहिए। इसका परिणाम क्या हो रहा है आज इस देश में धन की भूमिका चुनाव के क्षेत्र में भिन्न भिन्न मार्गों से प्रवेश कर रही है। तीन-तीन मार्गों का तो संकेत सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। एक मार्ग तो यह है कि कोई व्यक्ति स्वयं व्यय नहीं करता, पार्टी भी व्यय नहीं करती, लेकिन उसके समर्थक आ कर व्यय करते हैं। वह व्यक्ति तो १२ हजार नौ सौ रुपया व्यय करता है लेकिन उसके समर्थक चार, पांच या दस लाख रुपया उस के चुनाव में व्यय कर देते हैं। वह उस व्यक्ति के हिसाब में काउंट नहीं होगा और उसके आधार पर वह चुनाव भी अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। क्या यह संविधान की भावना और निर्वाचन की प्रणाली का अपमान नहीं है—हम इस प्रकार के सिद्धान्त को समर्थन दें कि उसके समर्थक चुनाव में आ कर व्यय कर दें और प्रत्याशी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो ?

दूसरा संकेत सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है वह है मित्रों के बारे में। प्रत्याशी तो पेपर दाखिल

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर देगा कि मैंने तो १२ हजार रुपया अपने इलेक्शन में खर्च किया है, मित्रों ने यदि अधिक खर्च कर दिया तो उसके लिए मैं कैसे उत्तरदायी हो सकता हूं ? वह लाखों भी खर्च कर सकते हैं, करोड़ों भी खर्च कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह संविधान की भावना की अवहेलना है और निर्वाचन प्रणाली की भी घोर उपेक्षा है अगर समर्थकों और मित्रों की आड़ लेकर कोई गलत खर्च बताता है तो वह अपराध है।

तीसरी सबसे बड़ी युक्ति है पार्टी। राजनीतिक पार्टी कितना ही चुनाव में व्यय कर दे लेकिन उस व्यक्ति के माध्यम से जो व्यय हुआ है उसका हिसाब वह १२ हजार नौ सौ रुपये दे कर साफ बच जायगा। यह माना जायेगा कि उसने चुनाव में अधिक व्यय नहीं किया है। अभी निरनुमोदन का प्रस्ताव रखते हुए श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने पाटस्कर साहब का उदाहरण दिया था। आपकी सरकार को उसे आदर्श मान कर चलना चाहिए था और दूसरे ब्रिटेन की न्यायपालिका में या संसद् में जो प्रथा है उसे अपनाना चाहिए। जो दूसरे व्यय होते हैं उसे पार्टी अपने सिद्धान्तों के प्रचार पर या अपनी नीति के प्रचार पर व्यय कर सकती है।

लेकिन जो व्यक्ति के चुनाव को प्रभावित क़रने के लिए कहीं कंबल बांटे जायें, कहीं दवाइयां बांटी जायें, और भी इसी प्रकार खर्च किया जाय, यह उचित नहीं लगता। मैं तो चाहता हूं इसे समाप्त किया जाय। यह भी चुनाव दृष्टि से बहुत भारी भ्रष्टाचार है कि चुनाव के दिनों में सरकारी अधिकारियों का स्थान परिवर्तन किया जाय या सरकारी अधिकारियों की पदावनति या पदोन्नति की जाय। यह सारी घटनाएं निर्वाचन की दृष्टि से भ्रष्टाचार के अन्दर शामिल हो जाती हैं। लेकिन क्या श्री गोखले इस बात को कह सकेंगे किहमारे जो आम चुनाव पीछे हुए उनमें इस प्रकार के भ्रष्ट उपायों का अवलम्बन नहीं किया गया? अगर इस प्रकार के भ्रष्ट उपायों का अवलम्बन किया जाता है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि जनतंत्रीय दृष्टि से हमारे चुनावों के अन्दर एक स्वस्थ परम्परा स्थापित होती चली जा रही है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत हो

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो एक प्रश्नवाचक चिह्न था। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती और उसके बाद सभी विरोधी पक्षों को आमंत्रित किया जाता। आमंत्रित करने के बाद सरकार कहती विरोधी पक्ष को—यह समस्या दूसरों के सामने भी उपस्थित हो सकती है, सिर्फ हमारे सामने ही उपस्थित नहीं है। मिलकर इसका मार्ग निकालिए। लेकिन व्यक्ति के चुनाव को बचाने के लिए किसी तरह से उसकी निर्वाचन याचिका को निकालने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कराया जाए और उसके लिए संसद् के सत्र में फिर विधेयक लाया जाए, जनतंत्र के यह शुभ चिह्न नहीं हैं।

आगे के लिए हम ऐसे गलत पग उठाने जा रहे हैं इतिहास जिनको क्षमा नहीं कर सकता। परिणाम इसका यह हो रहा है आज हमारे देश के अन्दर बड़े बड़े धनपति जिनको मोनोपोली कमीशन ने अपनी लिस्ट के अन्दर सम्मिलित किया है या कुछ दूसरे व्यक्ति लिये हैं, चुनाव में पिछले मार्ग से आकर उम्मीदवारों के साथ लग जाते हैं और हमारी संसद् का जो एक पवित्र स्वरूप होना चाहिए वह नहीं रहता उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। सरकार भी इसको स्वीकार कर चुकी है। हमारे देश के निर्वाचनों में विदेशी धन का भी दुरुपयोग होता है। विदेशी धन हमारे देश को हमारे देश की निर्वाचन प्रणाली को

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूषित करता है तो इन सारी बुराइयों से देश को बचाने के लिए हमको कुछ मार्ग सोचना चाहिए न कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक अस्वस्थ परम्परा का निर्माण विधेयक लाकर किया जाए। पहले एक अध्यादेश जारी कर दिया जाए और फिर उसके स्थान पर सरकार विधेयक लाये और उस विधेयक को बहुमत का लाभ उठाते हुए पारित करवा ले। यह मैं समझता हूं कि जनतंत्रीय प्रणाली के लिए शुभ चिह्न नहीं हैं।

न्यायालय की गरिमा को ठेस

दूसरी बात जिसको कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि पहले ही हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की जो गरिमा थी वह हिल चुकी थी, जब सर्वोच्च न्यायालय के तीन जजों ने त्याग पत्र दिये। हमारे देश में इसको लेकर जो आलोचनाएं चलीं, स्वयं श्री गोखले जो न्यायाधीश रह चुके हैं, उनका हृदय इस बात को जानता होगा कि किस प्रकार से वह कांड हुआ। उसको लेकर देश में किस प्रकार का क्रुद्ध वातावरण बना। कौन उसके पीछे था, क्या भावना उसके पीछे थी। आज इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपका ही बनाया हुआ जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो ढांचा है, कम से कम आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना सीखिए। आप ही उसका सम्मान नहीं करेंगे तो परिणाम यह होगा किआप उन परम्पराओं की अवहेलना करें। इसी से सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठ जजों को अपने त्यागपत्र देने पड़े। फिर अब उसके बाद उनके जो निर्णय हैं उनका अपमान करते हो। तीन मुख्य बातों का सुप्रीम कोट के निर्णयों में संकेत है। इसमें एक यह है कि हमारे देश में आम चुनावों में जो जात-पात की भूमिका है उसने हमारे देश के चुंनावों को दूषित कर दिया है। इसलिए सरकार को ऐसे उपाय निकालने चाहिएं कि किसी भी प्रकार से जात-पात की जो भूमिका चुनावों में आ गई है इससे संसद् और विधान सभा चुनावों को बचाया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय का यह एक दूरगामी संकेत था जो आज से कुछ समयं पहले उसने दिया।

इसी प्रकार के और भी कुछ संकेत जो उच्च न्यायालयों में मिले हैं जहां सरकारी पदों और सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीते हैं। इस ओर भी न्यायालय संकेत दे चुके हैं। अब तीसरा संकेत धनों की भूमिका के सम्बन्ध में था। लेकिन लगता है कि सरकार न्यायालयों के निर्णयों को रद्दी की टोकरी में फेंक कर अपने मनमाने ढंग से अध्यादेश लाती है और अध्यादेश लाने के बाद फिर विधेयक के रूप में संसद् में आती है, और बहुमत के आधार पर बहुमत का लाभ उठाकर, उनको पारित करना चाहती है। अगर यही संसदीय प्रणाली रही तो उसका परिणाम यह होगा कि आज देश में विरोधी पक्ष, संख्या की दृष्टि से जो थोड़ा है उसके अन्दर एक कुण्ठा भिन्न भिन्न रूपों में आकर उदय होगी।

मैं नहीं चाहता कि देश में इस प्रकार की अस्वस्थ परम्पराओं को प्रारम्भ किए जाए जो जनतंत्रीय प्रणाली और जनतंत्र की जड़ों के मूल पर ही आघात करें। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है और विशेष रूप से न्यायमंत्री जी की जिम्मेदारी है। न्याय का आसन ऊंचा आसन है, ईश्वर के बाद दूसरा नम्बर न्याय मन्दिर का आता हैं। इसलिए उसकी जो पवित्रता है उसको बनाये रखने के लिए उसके

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निर्णयों में भी उसी प्रकार की स्वस्थ परम्परा और पवित्रता होनी चाहिए।

चुनाव से पूर्व सरकार त्यागपत्र दे

दूसरी बात है जो इसलिए संभवतः पीछे संसद में कई बार चर्चा का विषय बनी है कि चुनावों के पहले सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए क्योंकि सरकार जिस तरह से उसका दुरुपयोग करती है, अपने पदों का मंत्री लोग जिस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं उसका परिणाम होता है, चुनाव प्रभावित होते हैं और देश के अन्दर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी चर्चा यहां पर करूं। मैं अपनी बात समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो तीन बातें अवश्य कहना चाहूंगा। एक बात तो यह है कि जैसे हमारे मित्र मुस्लिम लीग के तथा श्री विश्वनाथ मेनन ने भी इस बात की चर्चा की है कि हमको दो बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक तो जहां पर समय की सीमा निर्वाचन याचिकाओं की हमने निर्धारित की है उसे आप भले ही बढ़ा कर ६ महीने से एक साल कर दें। लेकिन यह न हो चुनाव याचिका के निर्णय पर समय की सीमा तो आपने ६ महीने से बढ़ा कर एक वर्ष कर दी लेकिन मंत्रियों का जो चुनाव पेटिशन हो उसमें पूरे पांच साल निकल जाएं। मेरा यह कहना है कि चाहे आपको विशेष न्यायालय स्थापित करना पड़े लेकिन जो समय की सीमा हो उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आपने पिछले चुनावों से यह पद्धति प्रारम्भ की है कि हर जगह के वोटों को लेकर एक ढोल में इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद सबकी एक साथ काउंटिंग करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पता नहीं चलता उम्मीदवार को कि किस पोलिंग स्टेशन पर उसकी क्या स्थिति रही। सरकार इसकी आड़ में जो भ्रष्टाचार करती है, मेरे पास उसके कई उदाहरण हैं। समयाभाव के कारण मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो पद्धति पहले थी उस पद्धति को रहने दिया जाए। इस नई पद्धति को चालू रख कर सरकार भ्रष्टाचार की नई शाखाएं, प्रशाखाएं प्रारम्भ न करे।

विरोधी दलों के नाम पर स्वार्थ सिद्धि

एक बार श्री गोखले ने संसद में और संसद के बाहर तथा अध्यादेश जारी होने के बाद प्रैस विज्ञप्ति में कहा था कि इसका लाभ विरोधी दल भी उठा सकते हैं। मैं श्री गोखले से कहना चाहता हूं कि विरोधी दल जब इसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आप जबर्दस्ती उनके गले में इसका लाभ क्यों उतारना चाहते हैं। विरोधी दल यह कह रहे हैं कि आपको इस तरह का अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए, इस तरह का कानून नहीं बनाना चाहिए, अगर किसी तरह से जनतंत्र को बचाना चाहते हैं। विरोधी दलों के नाम पर अपने मस्तिष्क में क्या भावना है यह भी आपके बयान से स्पष्ट है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विरोधी दलों में कोई इस प्रकार का नहीं है जो इसका लाभ उठाना चाहेगा।

अंत में जिस बात को मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस प्रकार से चुनाव के व्यय का विवरण व्यक्ति से लिया जाता है, उसी प्रकार से पार्टी के व्यय का विवरण भी लिया जाए ऐसी कोई पद्धति प्रारम्भ होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी ने चुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव घोषणा पत्र के प्रचार पर या

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसी और बात पर व्यय किया है तो पार्टी का वह व्यय भी सरकार के सामने और देश के सामने आना चाहिए। ताकि यह पता लगे कि कौन पार्टी कितने धन का उपयोग करके मत प्राप्त करने का यत्न करती रही।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के अन्दर जहां यह याचिकाएं सुनी जाती हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एक बैंच याचिका सुनता है, मेरी राय है कि इसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी बैंच के सामने यह याचिकाएं सुनी जानी चाहिएं। वहां पर दो या तीन जजों को मिला कर बैंच बननी चाहिए और उसको यह याचिकाएं सुननी चाहिए।

अन्तिम बात कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं। आप जो चुनाव में बार बार सुधार की बातें करते हैं, विरोधी दलों की ओर से भी चुनाव में सुधार के कई ठोस सुझाव उपस्थित किए गए हैं। श्री डिकोस्टा ने जयप्रकाश नारायण जी के संकेत पर इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर में एक सम्मेलन बुलाया था। उसमें कई इसी प्रकार के व्यावहारिक सुझाव आए थे। अगर आप उनको स्वीकार करें तो देश की चुनाव पद्धति के अन्दर कई अच्छे परिवर्तन हो सकते हैं। माननीय आडवाणी जी ने भी इसके ऊपर चुनावों में सुधार की योजना बना कर सरकार को दी है और उस सम्मेलन के अन्दर भी प्रस्तुत की है। मेरी राय यह है कि आप इसके लिए एक समिति का गठन कर चुनाव पद्धति के निर्धारण की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने का उपक्रम करें, जिससे कि इस पर उठने वाला विवाद समाप्त हो जाय। ❑

शरियत और ईश्वर का न्याय

स्वतंत्र भारत की संसद ही नहीं सबसे पहले भारतवर्ष में शरियत के खिलाफ अगर किसी ने परिवर्तन की आवाज उठाई तो वह पहला मुसलमान बादशाह था। जिसने मुसलमानी सल्तनत की नींव डाली थी, उसका नाम था अल्लाउद्दीन खिलजी। उसने सबसे पहले ऐसा परिवर्तन किया। जब शरियत के खिलाफ उसने निर्णय दिया तो काजी लोगों ने उसके खिलाफ फतवा दिया। तब अल्लाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अल्लाह की अदालत में जब मैं पहुंचूंगा, अगर मैंने सद्भावना से काम नहीं किया है तो उस अदालत में मुझे गुनहगार ठहराया जायगा। अगर ऐसा हुआ तो जो सजा मुझे मिलेगी वह भोगने के लिए मैं तैयार रहूंगा। लेकिन मेरा निर्णय सद्भावना के साथ है, उसमें मैं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। जब संविधान सभा में यह प्रश्न उठा कि मुस्लिम रिवाजों में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो सभापति जी, उस समय के विधि मंत्री डा० अम्बेडकर ने उसको चुनौती दी और कहा कि ऐसा परिवर्तन तो जब हिन्दुस्तान में सेंट्रल असेम्बली थी तब एक बार १९३५ में हुआ, दूसरी बार हुआ १९३७ में, और तीसरी बार १९३९ में सेंट्रल असेम्बली ने इस प्रकार का परिवर्तन किया। यह कोई नई बात नहीं कि इस प्रकार के कानून में परिवर्तन करने के लिए हम पहली बार सोच रहे हैं। इसलिए यह कहना कि संसद को अधिकार नहीं है, यह बात गलत है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिंसात्मक घटनाओं की तह तक पहुंचना आवश्यक

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कार पर बम फेंकने तथा उससे पूर्व देश के अन्य भागों में हिंसात्मक घटनाओं को लेकर राज्य सभा में २५ मार्च १९७५ को धारा १७६ के अधीन विचार किया गया। इस अवसर पर शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमें समस्या के बाह्य रूप के बदले यह सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं तथा इनका मूल कारण क्या है?

उपसभापति जी, सर्वोच्च न्यायालय में यह दूसरी घटना इस प्रकार की है। पहली घटना तब हुई थी जब जस्टिस ग्रोवर के ऊपर एक क्षुब्ध पागल ने इसी प्रकार का आक्रमण किया और दूसरी घटना यह है जब सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश श्री अजीत नाथ रे के ऊपर उनकी गाड़ी जब चौराहे पर खड़ी थी, तब उनकी गाड़ी में दो बम फेंके गये। इतना तो अवश्य है कि दोनों स्थानों में भी अन्तर है और दोनों कारणों में भी अन्तर है। एक का स्थान कोर्ट का कमरा था, जहां उन्होंने निर्णय सुनाया, वहीं उनके ऊपर आक्रमण हुआ और दूसरा स्थान सड़कके चौराहे पर था। कारण में अन्तर इसलिये कहता हूं कि जहां निर्णय सुनते ही वह व्यक्ति इतना क्षुब्ध हो उठा कि उसने न्यायाधीश पर आक्रमण कर दिया। यहां का कारण क्या है वह सरकार जब वास्तविकता का पता लगायेगी तभी अधिकृत रूप से कुछ कारण प्रकट किया जा सकेगा।

कुछ भी कहने से पहले मैं गृह राज्य मंत्री श्री ओम मेहता जी से एक बात अवश्य पूछना चाहता हूं। मेरी जानकारी यह है कि वर्तमान न्यायाधीश जब मुख्य न्यायाधीश बने तो उन्हें सशस्त्र रक्षक प्राप्त था, इनके साथ आर्म्ड गार्ड रहता था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद सशस्त्र रक्षक हटा दिया गया। क्या कारण हुआ, क्यों हटा दिया गया, उसका कारण मैं नहीं समझ पाया। मेरी जानकारी यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दो रजिस्ट्रार हैं। एक रजिस्ट्रार जुडिशियरी का है और दूसरा रजिस्ट्रार ऐडमिनिस्ट्रेशन। प्रबन्ध विभाग के रजिस्ट्रार प्रबंध के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की व्यवस्था भी करते हैं। उनके पास शायद सरकार से इस प्रकार की सूचना गई या स्वयं उन्होंने यह निर्णय लिया कि अधिक व्यय को बचाने की दृष्टि से सशस्त्र रक्षक जो रखे जाते हैं मुख्य न्यायाधीश के साथ इनको हटा दिया जाय। वे कब हटाये गये, किस कारण हटाये गये, आप इसकी जानकारी देश को तथा सदन को दे सकें तो बहुत अच्छा हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो इस काम को करने वाले व्यक्ति हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, की ही नहीं बल्कि देश के दूसरी कोर्टों के न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी कहता हूं। मेरा तो अपना कहना यह है कि जो जिला न्यायाधीश हैं, उनकी भी इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि जब वे निर्णय देते हैं तो निर्णय में निश्चित है कि एक पक्ष के विपरीत निर्णय जाता है और उसमें कोई इस प्रकार का पागलपन कर बैठे जैसे जस्टिस ग्रोवर के साथ हुआ या एक दो जिलों में हुआ था। तो इस सरकार को इस सारे प्रश्न पर गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए और सोचकर निर्णय लेना चाहिए कि न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत आर्थिक भार भी बढ़ता हो तो भार देश को वहन करना चाहिए ताकि वह निष्पक्षता के साथ लोगों को

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न्याय दे सकें और न्याय देने में वह भयभीत न हों या उनको दुविधा न हो। यह मैं पहली बात कहना चाहता हूं।

घटनाओं की तह तक पहुंचें

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंसात्मक घटनाओं के बारे में अभी हमारे मित्रों ने समस्तीपुर की चर्चा की। इसी प्रकार की चर्चा इलाहाबाद की हुई। मैं यह नहीं चाहता कि केवल मात्र इन तीनों घटनाओं की भर्त्सना करके छोड़ दिया जाए या निन्दा करके छोड़ दिया जाए, मैं उन व्यक्तियों में हूं जिनकी अपनी इच्छा है कि इन घटनाओं की तह में पहुंचा जाय और तह में पहुंच कर कुछ इस प्रकार के उपाय किये जायें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न दोहराई जा सकें। अगर हिंसा की राजनीति बुद्ध और गांधी के देश में चल पड़ेगी तो हमारे प्रजातंत्र के लिए एक प्रश्नवाचक चिह्न हो जाएगा और हमारा प्रजातंत्र ठीक ढंग से आगे बढ़ सकेगा इसमें एक संदेह पैदा हो जाएगा।

मैं इस दिशा में दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि अगर इसमें राजनीतिक तत्व सम्मिलित हैं तो मेरा कहना यह है कि बजाय इसके कि एक दूसरे पर आरोप लगाया जाए वह कहें कि यह सम्मिलित है, दूसरे कहें कि यह सम्मिलित है— इसकी अपेक्षा अगर किसी के पास प्रमाण हो तो सदन में भी रखने चाहिए और देश को भी वह प्रमाण देने चाहिए। जो भी हिंसा में विश्वास करते हैं और इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाहियों से हमारे प्रजातंत्र, हमारे जनतंत्र को लांछित करना चाहते हैं, उनको नंगा किया जाना चाहिए। देश के सामने सारी बातें आनी चाहिए ताकि हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित रह सके और इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो सके। अगर इसमें विदेशी तत्वों का हाथ है तो वह भी स्पष्ट होना चाहिए। प्रधान मंत्री कहती हैं या भूपेश गुप्ता कहते हैं या और कोई कहता है तो इस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। अगर सी० आई० ए० का हाथ है तो बड़ी चिन्ताजनक स्थिति है और अगर के० जी० बी० का हाथ है तो भी बड़ी चिन्ताजनक स्थिति है। कोई भी हो चाहे वह सी० आई० ए० हो या के० जी० बी० अगर हमारे देश के वातावरण को बिगाड़ता है तो हमको मिल कर सोचना चाहिए।

मेरी अपनी जानकारी इस प्रकार है कि इस समय जैसा मेरे मित्र ऋषि कुमार मिश्र ने संकेत दिया कि दिल्ली के अन्दर एक बंगाल का गैंग आया हुआ है। इसके संबंध में अधिकांश लोगों का कहना यह है कि वह के० जी० बी० से सम्बन्धित है। वह जो के० जी० बी० से सम्बन्धित गैंग है यह राजधानी दिल्ली के अन्दर एक आतंक पैदा करना चाहता है। हो सकता है मेरी जानकारी में किसी प्रकार की भूल हो। मैं यह चाहूंगा कि गृह मंत्रालय इसकी तह में जाए कि बंगाल का कोई गैंग इस प्रकार का आया हुआ है, क्या जो दिल्ली के अन्दर इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहता है और आतंक पैदा करना चाहता है। बड़े लोगों पर इस प्रकार से पहले हाथ उठाना चाहता है ताकि और राज्यों में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सके।

दूसरी चीज यह कि अगर कोई राजनीतिक दल इसकी जड़ में है चाहे मेरा दल हो, आपका हो या किसी दूसरे का हो, तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के दलों की अच्छी तरह से खोज की जानी चाहिए। ऐसा न हो कि यहां तो हिंसा की भर्त्सना की जाए, हिंसा की निन्दा की जाए और अन्दर से हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे बंदर सारा दही खाकर आखिरी हाथ गाय के मुंह पर लगा देता था और दही खा कर यह कहता था कि सारा दही गाय खा गई। सरकार को इस तह में जाना चाहिए

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और जा कर देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और कौन है इन घटनाओं के पीछे जिसने दिल्ली में आकर इस प्रकार से हिंसा का वातावरण पैदा कर दिया है?

मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं इस पक्ष के साथियों से भी और उस पक्ष के साथियों से भी कि इस प्रकार की घटनाएं जब इस देश में हों, चाहे वह समस्तीपुर की घटना हो, चाहे वह इलाहाबाद की घटना हो और चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर बम फेंकने की घटना हो, उस समय एक दूसरे पर लांछन लगाने के बजाय सबका यह प्रयास होना चाहिए कि इस घटना की तह में पैठ कर पता लगाना चाहिये कि वास्तविकता क्या है? कौन तत्व हैं इसके पीछे जो इस काम को कर रहे हैं। अजित नाथ रे की कार पर बम फेंकने की कोई कोशिश करे और जयप्रकाश जी को चार गाली सुना दी जाए या इलाहाबाद में कोर्ट में पिस्तौल ले जाते हुए कोई आदमी पकड़ा जाए तो जयप्रकाश जी को चार गाली सुना दी जाये या समस्तीपुर कांड हुआ उसको लेकर जयप्रकाश जी के आन्दोलन को चार गाली सुना दी जाए, मेरा कहना है कि यह कोई समझदार व्यक्ति का काम नहीं है। जब भी कोई घटना इस प्रकार की हो तो उस घटना की तह में जाया जाए और वास्तविकता की जानकारी ली जाए।

अपने सत्तारूढ़ दल के मित्रों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जब कभी भी इस प्रकार से किसी के ऊपर अंगुली उठाई जाए तो एक बात यह अवश्य ध्यान कर लेना चाहिए। एक उर्दू के शायर ने कहा है :

जब तू गैरों की तरफ करता है अंगुश्त नुमाई।
तुझे ध्यान रहे अंगुलियां चार झुकी हैं तेरी तरफ॥

दूसरों की ओर कीचड़ उछालने से पहले अपनों को भी देख लेना चाहिए। जिन मित्रों से आपने ग्रन्थि बंधन किया है वे आपकी प्रतिष्ठा बनाने में कहां तक सहयोगी हो सकते हैं यह आने वाला इतिहास बताएगा। मैं इसका निर्णय नहीं करना चाहता और न ही अधिकारपूर्ण कोई बात कहना चाहता हूं। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमको मिल कर सोचना चाहिए। क्योंकि इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है और उन पर भी है जो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, जनतंत्र में विश्वास रखते हैं और हिंसा की प्रवृत्ति से सर्वथा दूर रहना चाहते हैं।

जयप्रकाश जी पर आरोप निराधार

जहां तक श्री जयप्रकाश नारायण जी का सम्बन्ध है, मिश्रा जी का शायद यह कहना हो कि उन्होंने इस प्रकार की हवा पैदा कर दी है। मैं अधिकारपूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश जी का नेतृत्व इस प्रकार का है, अगर उनको कुछ कहना है चाहे वह हिंसा के लिये ही क्यों न हो, छुप कर कहने की आवश्यकता वह नहीं समझते। जयप्रकाश नारायण उस चरित्र के व्यक्ति नहीं हैं जो किसी बात को स्पष्ट न कहना चाहें, दब कर किसी बात को कहना चाहें। हम लोगों को थोड़ा सा इस बात को सोचना चाहिये। अभी कुछ दिन पहले आचार्य विनोबा भावे की सर्व सेवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक हुई क्योंकि श्री जयप्रकाश जी के, बिहार आन्दोलन को लेकर विनोबा जी के साथ मतभेद थे जयप्रकाश जी की स्पष्टवादिता को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां से त्याग पत्र दे दिया और त्यागपत्र देते हुए यह कहा कि ज्यों ही बिहार आन्दोलन का मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं फिर से इसमें आ जाऊंगा। जो

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यक्ति इस प्रकार का हो और स्पष्टवादिता के साथ कोई निर्णय ले सकता है, उस व्यक्ति के सम्बन्ध में यह कहना कि वे छुप कर कोई बात कहते हैं उचित नहीं है।

हां, हमारे गुप्ता जी ने यह कहा कि उन्होंने सेना को और पुलिस को भड़काने वाली बातें कहीं। आज भी मैं इस बात को कहता हूं कि श्री जयप्रकाश नारायण जी ने जो बात कही है उसको उसी अर्थ में लिया जाना चाहिये। श्री जयप्रकाश जी की बात की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिये। जब पुलिस का नागरिकों के ऊपर लाठियां और गोलियां चलाने के लिये उपयोग किया जाएगा, जनता को दबाने के लिये मिलिटरी का गोलियां चलाने में उपयोग किया जाएगा, तो जयप्रकाश जी ही नहीं मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का कहना भी यही हो सकता है—आपको जो जिम्मेदारी सौंपी हुई है, देश की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसमें देश की निरीह जनता पर गोलियां चलाने की जिम्मेदारी आपको नहीं सौंपी गई है। मेरे मित्रों को इस प्रकार की इन सारी बातों के ऊपर गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये।

हमारे मित्र इस बात को भी सोचें की श्री जयप्रकाश नारायण कल तक आपके साथी रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने भ्रष्टाचार और बेईमानी को मिटाने के लिये जो आवाज उठाई है उससे आप इस प्रकार की कल्पना न करें कि उनके साथ आपका किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस तरह की बातों के पीछे हम उनके व्यक्तित्व को चर्चा या आलोचना का विषय न बनाएं और इस समस्या की तह में जाने का प्रयास करें। मैं अपने विरोधी दल के उन मित्रों से भी सहमत नहीं हूं, जैसा कल लोक सभा के अन्दर चर्चा की गई कि आज सारे देश के अन्दर जो स्थिति पैदा की जा रही है वह इसलिये पैदा की जा रही है कि देश में आपातकालीन, इमरजेन्सी की हालत पैदा हो जाये और बंगलादेश की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो।

मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की स्थिति सरकार पैदा करना चाहेगी तो आज भी सरकार के पास इतने अधिकार हैं। अगर यह चाहे तो इनसे ही तानाशाही हो सकती है और जैसे कदम चाहे उठा सकती है। तो इसके लिये देश में इस प्रकार का नया वातावरण पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिसको मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे देश में अगर उस तरह की स्थिति पैदा करने की किसी ने कोशिश की, इस तरह का पागलपन किया और बंगलादेश जैसा वातावरण इस देश के अन्दर पैदा करना चाहा तो मैं उनको राजेन्द्र बाबू का स्मरण कराना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में राजेन्द्र बाबू ने श्री कृष्णमेनन के बारे में जब वे सन् १९६० में रक्षा मंत्री थे तो एक पत्र लिखा है। श्री थिमैया उस वक्त कमांडर इन चीफ थे। उस समय के रक्षा मंत्री ने हिन्दुस्तान के अन्दर सैनिक शासन स्थापित करने का निर्णय किया था। यह पुस्तक सस्ता साहित्य मंडल ने छापी है। जो मित्र इसको पढ़ना चाहते हैं वे इसको सस्ता साहित्य मंडल से प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में राजेन्द्र बाबू का एक पत्र छपा है। राजेन्द्र बाबू ने लिखा है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन इस देश में मिलिटरी शासन स्थापित करना चाहते थे। लेकिन राजेन्द्र बाबू ने लिखा है कि उस समय के तीनों सेनाओं के चीफ इस प्रश्न पर एकमत नहीं हो सके। इसलिए उस समय के सुरक्षा मंत्री की जो योजना थी वह सफल नहीं हो सकी।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब उस समय यह बात सफल नहीं हो सकी तो आज देश में कोई बंगलादेश की पुनरावृत्ति करना चाहे और संविधान को ताक पर रख दे तो आज हिन्दुस्तान की जनता

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजनैतिक दृष्टि से इतनी जागरूक हो चुकी है कि कोई भी क्यों न हो उसको उठा कर एक तरफ रख देगी और संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करेगी। यह तो सम्भव हो सकता है कि आपातकालीन स्थिति का लाभ उठा कर लोकसभा के चुनाव टाल दिये जायें, विधान सभाओं के चुनाव टाल दिये जाएं। लेकिन यह बात बुद्धि में नहीं आ पाती है कि कोई यह कहे कि देश के अन्दर आपातकालीन स्थिति पैदा करके शेख मुजीबुर्रहमान की स्थिति लाई जा सकती है। कोई भी इससे सहमत नहीं हो सकता है।

रे को लिखे पत्र का कारण

जहां तक श्री अजितनाथ रे के पत्र की चर्चा का सवाल है, अभी एक मित्र इसका सम्बन्ध इस बम कांड से जोड़ रहे थे। इस पत्र का सम्बन्ध किस बात से हो सकता है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह पत्र उस समय लिखा गया था जब तीन न्यायाधीशों को लांघ कर चौथे न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। उस समय किसी ने क्रोध में आकर यह पत्र लिखा था। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इन दोनों बातों का तालमेल देखे और वास्तविक स्थिति क्या है, इसका पता लगाए। मैं चीफ जस्टिस रे की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जब उनके पास यह पत्र आया तो उन्होंने इसको सामान्य पत्र समझ कर रख लिया। उनको यह पत्र गृह मंत्रालय को भेजना चाहिये था। मुख्य न्यायाधीश को इस प्रकार का पत्र आए और वे उसको सामान्य समझ लें, यह उचित नहीं है। मैं इसको उनका सीधापन तो कह सकता हूं, लेकिन यह दूरदर्शिता की बात नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में इन दोनों घटनाओं का तालमेल देखा जाना चाहिये और अगर यह तालमेल बैठता है तो ठीक है और अगर तालमेल नहीं बैठता है तो इस पत्र और इस कांड की अलग अलग जांच की जाये। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर आक्रमण हो और उसको हम राजनैतिक लांछन लगा कर, एक दूसरे पर आक्रमण करें और एक सामान्य घटना समझ कर छोड़ दें, मैं समझता हूं यह प्रजातंत्र के लिये उचित नहीं होगा।

एल० एन० मिश्रा की उपेक्षा

मुझे खुशी हुई एक बात को सुनकर। हमारे मित्र भूपेश गुप्त ने मदरलैंड की चर्चा की। तीन चार बार उन्होंने चर्चा की और उसके बाद मिश्र जी ने चर्चा की। इस दृष्टि से मैं खुश हुआ कि ५-६ बार मदरलैंड का नाम "मातृभूमि" का नाम तो उनके मुंह से निकला। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि (Interruption) चौधरी साहब, आपको याद दिलाता हूं जब ये हिंसा का विरोध कर रहे थे, हिंसा को आपत्तिजनक बता रहे थे, यह कह कर कि देश में हिंसा का वातावरण बन रहा है, तो मुझे याद आया— जिन्होंने १९४६ से १९५० तक तेलंगाना में हिंसा का वातावरण बना रखा था, हिंसा का आधार अपना लिया था, जिसके लिये पंडित जवाहरलाल नेहरू को कई बार पार्लियामंट के अन्दर वक्तव्य देना पड़ा। परन्तु मुझे लगता है उनका कुछ हृदय परिवर्तन हुआ है, यदि इस प्रकार का हृदय परिवर्तन हो जाए कि हर बार वे इस हिंसा को बुरा कहने लगें तो यह लोकतंत्र के लिये और भारतीय संविधान के लिये शुभ माना जाएगा।

तो उस मदरलैंड का नाम लेकर इस तथ्य को न छिपाया जाए। अभी तो मैथ्यू कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। मैं यहीं पर एक बात कह दूं कि कोई किसी कांग्रेसी पर लांछन लगा दे, दूसरा किसी जनसंघी पर लांछन लगा दे और तीसरा किसी कम्युनिस्ट पर लांछन लगा दे, जब वह घटना जांच की स्थिति पर है, तब किसी को उसका प्रमाणपत्र कैसे दिया जा सकता है। मैं समझता हूं ललित नारायण

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मिश्र की हत्या जिन परिस्थितियों में हुई उसकी तह में जाना चाहिये। क्यों २ घंटे तक ललित नारायण मिश्र जिस गाड़ी में बैठे थे उसको रोके रखा; ललित नारायण मिश्र की गाड़ी को दानापुर नहीं जाने दिया गया? कौन कौन कारण थे कि बम विस्फोट होने के बाद ललित नारायण जी की गाड़ी समस्तीपुर में ही २ घंटे तक रुकी रही? तो सारे कारणों पर जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं वास्तविकता सामने आनी चाहिये।

जहां तकश्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में उपसभापति जी, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे मित्रों को चाहिये कि श्री जयप्रकाश जी को बुरा कहने की बजाए और अब तक के आन्दोलनों को हथियार बना कर जयप्रकाश जी पर आक्रमण करने की बजाए, अगर उन बुराइयों पर आक्रमण करें जिसके लिये जयप्रकाश नारायण जी आन्दोलन कर रहे हैं तो ठीक हो। मंहगाई पर आक्रमण, भ्रष्टाचार पर आक्रमण, बेरोजगारी पर आक्रमण, कुनवापरस्ती पर आक्रमण हो तो जयप्रकाश जी की जगह आपकी तरफ लोग देखने लगेंगे। चाहे जे० पी० उनसे मुक्ति दिला दें, चाहे पी० पी० उनसे मुक्ति दिला दें, चाहे चौधरी रणवीर सिंह मुक्ति दिला दें, देश की तमाम बुराइयों से अगर मुक्ति दिला दें, तो देशवासी आपके साथ होंगे। जे० पी० उन बुराइयों को मिटा कर उन बुराइयों से देश को बचाना चाहते हैं, उसी आदर्श को लेकर आज देश जे० पी० के पीछे लग गया है।

अन्त में मैं प्रार्थना करता हूं कि इस घटना को सामान्य समझकर नहीं छोड़ दिया जाए, इस घटना की तह में जाया जाए और बजाए इसके कि सरकार एकाध अपराधी को दंडित करे, इस घटना से देश को भी परिचित कराया जाए ताकि उनका कच्चा चिट्ठा उनकी असली तस्वीर देश के सामने आ जाए।

[श्री हर्षदेव मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, बड़ा साधु और सज्जन वाला भाषण अभी हमने सुना ...

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अब कुछ दुर्जन वाला कह दीजिये।] ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना अनुचित

आपातकाल में इंदिरा जी ने संविधान में अनेक संशोधन करवाए। इसमें एक संशोधन लोकसभा का कार्यकाल ५ वर्ष के बदले ६ वर्ष तक कर दिया गया। शास्त्री जी ने कार्यकाल बढ़ाने के तर्क पर जहां शंका प्रकट की वहां लोकसभा के कार्यकाल की वृद्धि को भी संविधान के लिए उलझन पैदा करने वाला बताया।

उपाध्यक्ष जी, मैं उन सदस्यों में हूं जिनकी अपनी राय है कि यदि चुनाव समय पर हो जाते तो सत्ताधारी दल के पक्ष में होते और देश में तरह-तरह की भ्रान्तियां भी उत्पन्न न हुई होतीं। मैं श्री खुर्शीद आलम खान की बात से भी सहमत हूं कि आज यदि चुनाव होता तो इस चुनाव का निर्णय सत्ताधारी दल के पक्ष में ही जाता। लेकिन फिर भी मैं नहीं कह सकता कि किन मित्रों की राय से यह निर्णय लिया गया कि चुनाव की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए। इस एक वर्ष की अवधि को बढ़ाने के लिए जैसे आज ही प्रातःकाल विधि मंत्री श्री गोखले ने युक्तियां दी थीं और अभी यहां बैठे हुए मेरे कुछ और मित्रों ने दोहराई भी थीं कि हमने जो विकास और प्रगति के कार्य प्रारम्भ किये हैं उनमें किसी तरह की रुकावट न आये। इसके लिए हम चाहते हैं कि चुनाव एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिये जायें।

लोकसभा का काल क्यों बढ़ाया जाय?

लेकिन मैं अपने मित्रों से हृदय पर हाथ रखकर यह पूछना चाहता हूं कि जो लक्ष्य आपने विकास का तय किया है, जो गति है और जो सीमा तय की है, क्या एक वर्ष उसके लिए पर्याप्त है? चुनाव का एक वर्ष बढ़ा दिया जाएगा तो सारे विकास के लक्ष्यों को आप पूर्ण कर लेंगे? या एक वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा तो प्रगति की अन्तिम सीमा तक पहुंच जायेंगे? मेरा कहना यह है कि उसके लिए तो पांच वर्ष भी पर्याप्त नहीं हैं। जिस गति से देश चल रहा है और हमारी सरकारी मशीनरी चल रही है। वास्तविकता यह है कि पिछले एक वर्ष में ही हमने कुछ दाग बेल लगाई हैं, कुछ रेखाएं खींची हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किये कि इनकी ओर हम चलना चाहते हैं। उसमें कुछ अंशों में सफलतायें भी प्राप्त की हैं। लेकिन हमको इस सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि उनमें सबसे बड़ी सफलता आर्थिक पक्ष के अन्दर प्राप्त हुई है। हमने जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया है या जो विदेशी पूंजी को भारत में केन्द्रित करने के लिए कुछ व्यावहारिक पग उठाये हैं, वह सराहनीय हैं। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है या दूसरी जो शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता आ गई थी उस पर जिस प्रकार का नियंत्रण हुआ है, निश्चित रूप से इसकी सराहना करनी चाहिए। इसको जितना बढ़ाया जा सके, जितनी गति दी जा सके, उसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। परन्तु मेरा कहना यह है कि एक वर्ष इन सारे कार्यक्रमों और दूसरे कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त होगा, इसमें मुझे कुछ सन्देह प्रतीत होता है। पर साथ ही साथ मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि यह सरकार के सामने भी और देश के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। चुनौती यह आई है कि हमने जो विकास की सीमा यहां रखी हैं, विकास के लक्ष्य निर्धारित किये हैं, अगर ४४वें

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद, लोक सभा की अवधि एक साल नियमित रूप से और एक साल वैधानिक रूप से, कुल ७ वर्ष हो जाने के पश्चात् और चुनावों को स्थगित करने के पश्चात् भी अगर हमने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो देश की दृष्टि में भी यह बात अच्छी नहीं होगी और दुनिया की दृष्टि में भी अच्छी नहीं होगी।

अगर विकास की दृष्टि से कदम उठाये जा रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि युद्ध स्तर पर विकास कार्यक्रमों को अपने हाथों में लेना चाहिये। इनमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं आने देनी चाहिये। इसके लिये दो काम सबसे पहले करने होंगे। पहला काम यह करना होगा कि आपातकालीन स्थिति लागू होने के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा कि कृषि के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है, उत्पादन के क्षेत्र में गति आई है, अनुशासन आया है हमारी शिक्षण संस्थाओं में।

लेकिन एक क्षेत्र जिस पर इस आपातकालीन स्थिति का पिछले एक वर्ष में प्रभाव नहीं हुआ और जिसके बिना हमारी गति जितनी बढ़नी चाहिए थी, वह नहीं बढ़ सकी, वह है हमारा प्रशासनिक तंत्र, सरकारी मशीनरी। जब तक इस सरकारी मशीनरी को आप पूरी तरह से नहीं कसेंगे और इसको रास्ते पर नहीं लगायेंगे तब तक आपातकालीन स्थिति का जो लाभ देश को मिलना चाहिये, विकास की गति होनी चाहिये वह नहीं बढ़ पायेगी। भारत की १५ प्रतिशत जनता शहरों में रहती है। क्या हुआ अगर शहर के सरकारी कार्यालयों में आपने अनुशासन ला दिया और लोग समय पर कार्यालयों में पहुंचने लगे, हालांकि उसमें भी ढील आने लगी है। लेकिन ८५ प्रतिशत भारत की जनता गांवों में रहती है, जिनका वास्ता पड़ता है सरकारी मशीनरी से, पुलिस वालों से, तहसीलदारों से, पटवारियों से और दूसरे लोगों से, उन पर आपातकालीन स्थिति का क्या प्रभाव है, सरकार को इस बात का भी जायजा लेना चाहिये। अगर ८५ प्रतिशत जनता का जिस सरकारी तंत्र पर आपातकालीन स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मैं कहना चाहता हूं कि यह निश्चय ही प्रभावहीन हो जाएगा। जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं उस लक्ष्य का निर्धारण हम नहीं कर सकेंगे।

परिवार नियोजन जरूरी

एक सबसे बड़ी बात, मैं समझता हूं शायद आप न कह सकेंगे लेकिन मुझे इसको कहने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। वह सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने है परिवार नियोजन की। जितना विकास की गति को हम आगे बढ़ाते हैं, चाहे कपड़े का उत्पादन बढ़े, चीनी का उत्पादन बढ़े, चाहे लोहे का, सीमेंट का या और किसी चीज का उत्पादन बढ़े वह सारा का सारा उत्पादन वहां जाकर ठप्प हो जाता है।

मैं अब परिवार नियोजन की समस्या पर ही आता हूं। यह जो परिवार नियोजन है वह इस प्रकार की समस्या है जिसको युद्ध स्तर पर प्रमुखता देनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि चुनावों को आगे बढ़ाने में, सरकारी पक्ष के लोग भले ही यह न कहें, लेकिन एक कारण यह भी है कि परिवार नियोजन की समस्या से गावों के अंदर या दूसरे छोटे-छोटे नगरों में जो वातावरण पैदा हुआ है उसको देख कर भी सरकार के सामने यह प्रश्न उठा कि इस समय चुनाव कराना उचित है या नहीं। इसीलिये उन्होंने सोचा जो कार्य हमने प्रारम्भ किया है उसको किसी एक रास्ते पर लगा दें, तब चुनाव कराये जायें। मेरा कहना इस संबंध में यह भी है कि और भी कारण चुनाव को आगे बढ़ाने के हो सकते हैं। मैं स्वयं इस पक्ष का

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यक्ति हूं कि अगर सरकार इस काम को स्वतः सावधानी के साथ और मजबूती के साथ नहीं करेगी तो सारी विकास योजनाएं एक ओर रखी रह जायेंगी। मैं इस पक्ष में तो नहीं हूं कि इसके लिये इस प्रकार के साधन इस्तेमाल किये जाएं जैसे कि आजकल कई गांवों में चल रहे हैं, शहरों में चल रहे हैं। लेकिन मैं इस पक्ष में जरूर हूं कि इसके लिये कोई दूसरा मार्ग भी तैयार किया जा सकता है।

उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं तो उनसे इस प्रकार का शपथ पत्र केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें तैयार करवायें कि तीन से अधिक मेरे बच्चे हों तो मेरे ऊपर जुर्माना किया जा सकता है या और कोई सजा दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं किन्हीं साधनों से परिवार नियोजन करता है तो उसके लिये जो फैमिली प्लानिंग की नसबंदी योजना है वह लागू नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष यहां पर बैठे हुए हैं, इसलिये मैं विशेष रूप से इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि केवल मुसलमानों में ही नहीं हिन्दुओं में भी प्रतिक्रिया हो रही है। आप इसका कोई विकल्प जरूर सोचिए और इस विकल्प को जो आप सोचेंगे व्यापक दृष्टि से उसका प्रचार कीजिये। यह ठीक है कि प्रचार आपने पहले भी बहुत किया है। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि जब इस काम को तेजी से प्रारम्भ किया तो उस वक्त वर्षा ऋतु थी। वर्षा ऋतु में जो आपरेशन हुए तो उसमें कुछ असफल हो गये। जब एक गांव में भी किसी एक-दो का आपरेशन असफल हो गया तो लोगों में यह भावना फैली कि इस प्रकार की चीज खतरनाक है।

मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि इसको अनिवार्य रूप में लागू करने के लिये लोगों के मस्तिष्क में यह बात भरनी पड़ेगी कि परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है। इसको समझाने के लिये देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा वातावरण बनना चाहिये था वैसा वातावरण पहले नहीं बनाया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी उल्टी प्रतिक्रिया हुई। दूसरा कहना मेरा यह है कि अगर स्वतः ही कोई इस बात के लिये तैयार हो—चाहे वह कृत्रिम साधनों का उपयोग करे या संयम के द्वारा इसका पालन करे या वह इस बात के लिए तैयार है कि अगर सीमा उल्लंघन करे तो आप जो भी सजा मुकर्रर करें वह उस सजा को लेने के लिए तैयार है, जुर्माना देने के लिए तैयार है तो मैं समझता हूं कि परिवार नियोजन की अनिवार्यता या बाध्यता को लागू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर एक ही उपाय को लागू किया जाएगा तो उसका परिणाम यह होगा—उसकी प्रतिक्रिया होगी। मैं यह चाहता हूं कि अगर हमें अपने देश को विकास की सही गति पर से जाना है तो परिवार नियोजन एक बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम है। लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम को आंख मूंद करके लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसको अपनी बुद्धि को नियंत्रित करके चलाया जाना चाहिए।

विकास की गति तीव्र हो

एक बात साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी विकास की गति का सम्बन्ध है और जिस तरह से हमारे विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके संबंध में हमारे मित्र श्री भूपेश गुप्ता जी ने आज प्रातःकाल विधेयक पर अपना भाषण करते हुए मंत्री श्री बंसी लाल जी का उदाहरण दिया। अगर वे रक्षा मंत्री श्री बंसीलाल का उल्लेख न करके श्री बंसी लाल का जिक्र करते तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उनको सम्बोधित करके जब उन्होंने कुछ कहा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि श्री बंसीलाल सारे हिन्दुस्तान को हरियाणा मत बनायें। इस पर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ है। मैं चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान को हरियाणा बनाया जाना चाहिए। जिस तेज गति के साथ हरियाणा में विकास कार्यक्रम चले हैं उसी गति के साथ दूसरे राज्यों में चलने चाहिएं।

[**Shri Bhupesh Gupta :** I did not say that. I said do not think India as Haryana.]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा कहना यह है कि विकास की जैसी तेज गति हरियाणा में चली है वह ही तेज गति बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल आदि पिछड़े हुए प्रदेशों में चलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर विकास की गति अच्छे ढंग से चल रही है तो इसके लिए जो भी साधन प्रयोग में लाये जा सकते हैं, वे लाये जाने चाहिएं।

दूसरी विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने लोक सभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उपसभाध्यक्ष जी, संसद जिसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, वह तीन भागों में विभक्त है। संसद केवल लोक सभा का नाम नहीं है। संसद केवल राज्य सभा का नाम नहीं है। संसद लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर बनती है। लोक सभा जब किसी विधेयक को पारित करती है तो उस पर राज्य सभा की सहमति लेनी पड़ती है और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाते हैं तब वह विधेयक कानून की शक्ल धारण करता है।

मेरा कहना यह है कि अगर लोक सभा के लिए कोई निर्णय लिया जाता है और राज्य सभा और राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस कानून में कहीं त्रुटि रह गई है। आपने लोक सभा की अवधि ६ वर्ष के लिए कर दी है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल ५ वर्ष के लिए होता है। ऐसी स्थिति में क्या एक लोक सभा दो राष्ट्रपतियों का चुनाव करेगी? पांच वर्ष के बाद अगर दूसरा राष्ट्रपति चुना जाना होगा तो वही लोक सभा मतदान करेगी। मैं इसको कानून की न्यूनता समझता हूं। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसी दृष्टि से मैं राज्य सभा के लिए यह कहना चाहता हूं कि जब संविधान सभा ने संविधान बनाया था तो वे ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं थे कि किसी प्रकार की कोई विसंगति रखते। उन्होंने लोक सभा का कार्यकाल ५ वर्ष का रखा और राज्य सभा का कार्यकाल ६ वर्ष का रखा।

मैं समझता हूं कि उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। उन कारणों में से सबसे बड़ा कारण शायद यह रहा होगा कि लोक सभा और राज्य सभा का जो काम है या उनका जो काम करने का तरीका है, उसमें डेढ़ मास की अवधि का अन्तर तो प्रति वर्ष रहता ही है। क्योंकि लोक सभा वर्ष में लगभग ६ महीने बैठती है और राज्य सभा वर्ष में लगभग साढ़े ४ महीने बैठती है। यह जो डेढ़ माह का अन्तर है, इसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय किया जिस प्रकार से लोक सभा का कार्यकाल ५ वर्ष का है उसको देखते हुए राज्य सभा का कार्यकाल ६ वर्ष का होना चाहिए ताकि उतनी ही अवधि राज्य सभा के सदस्यों को भी मिले जितनी लोक सभा के सदस्यों को मिलती है। लेकिन यह कहना कि चूंकि राज्य सभा का कार्यकाल ६ वर्ष का है इसलिए लोक सभा का कार्यकाल भी ६ वर्ष का किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इस युक्ति में विसंगति है। राज्य सभा तो प्रति वर्ष डेढ़ महीना लोक सभा से पीछे है। पांच वर्ष में अगर हर वर्ष का डेढ़ महीना जोड़ा जाय तो लगभग साढ़े सात मास हो जाते हैं। इसीलिए राज्य सभा का कार्यकाल ६ वर्ष का रखा गया है और लोक सभा का ५ वर्ष रखा गया है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केवल लोक सभा का काल न बढ़ाएं

दूसरी सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप इस प्रकार का कोई निर्णय लें तो केवल लोक सभा के लिए निर्णय न लें। जो भी निर्णय लिया जाए। लोक सभा और राज्य सभा और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति का पद, इनको सम्मिलित करके निर्णय लिया जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस तरह का निर्णय करते समय—यहां पर अपने गृह मंत्री ओम मेहता साहब भी बैठे हैं और हमारे हाऊस के नेता पं. कमला पति त्रिपाठी भी बैठे हैं—जो लोक सभा के बारे में है, अगर एक के लिये ही करेंगे, तो उसमें अधूरापन रह जायगा। यह अधूरापन संविधान की बहुत बड़ी न्यूनता मानी जाएगी। हमारे संविधान में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहनी चाहिए इस दृष्टि से भी विचार करें।

दूसरी एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, मुझे पता नहीं कि लोक सभा का कार्यकाल बढ़ाते समय आपके मस्तिष्क में यह बात रही है या नहीं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क में यह बात अवश्य है। १९६७ से पहले हमारे देश में संसद और विधान मंडलों के चुनाव साथ-साथ होते थे। उसका परिणाम यह होता था कि दो बार पृथक्-पृथक् व्यय नहीं करना पड़ता था। किन्तु १९६७ के बाद मध्यावधि निर्वाचनों के कारण दोनों बार पृथक व्यय की सीमा बढ़ गई है—एक बार संसद के चुनाव पर व्यय किया जाए और दो साल बाद विधान सभाओं के चुनाव में व्यय किया जाए। अब स्थिति यह हो गई है कि संसद के चुनाव और विधान सभाओं के चुनाव एक बार नहीं कई बार होंगे; अब यू.पी. का हो रहा है, कल केरल का हो रहा है, परसों तमिलनाडु का हो रहा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हो रहे हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं। यानी चुनावों का ज्वर देश पर सवार रहता है। उसका अभिप्राय यह है कि जो चुनावों में भाग लेने वाले नेता हैं, जो जनता का मानस तैयार करते हैं वे सीमित होते हैं।

नतीजा यह है कि वे व्यक्ति हर समय चुनावों में दौड़ते रहते हैं। आज विधान सभा के चुनावों में जा रहे हैं, कल संसद के चुनावों में जा रहे हैं। मेरा कहना है कि देश में जो चुनाव का ज्वर चढ़ा रहता है, इससे विकास की गति रुकती है और ये हमारे जो कार्यक्रम हैं उनमें भी व्यवधान पैदा होता है। जो दफ्तर में बैठ कर निर्णय लेते हैं वे जनता में जाकर भाषण करेंगे कैसे काम होगा। हमको इस दृष्टि से भी सोचना चाहिए।

मेरा यह कहना है कि यह विधेयक जो आया है उसमें न्यूनता रह गई है। इस न्यूनता को पूर्ण करना चाहिए। उसका प्रकार यह है कि लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति का पद, जो तीनों मिल कर संसद होते हैं, विधान जब बनाया जाय, तीनों के लिए सम्मिलित बनाया जाए। दूसरे यह कि इस प्रकार का निर्णय लेते समय विधान मण्डलों को भुला न दें, विधान मण्डलों के संबंध में भी निर्णय लिया जाए ताकि भारत जैसे गरीब देश में जो यह अनावश्यक व्यय बढ़ जाता है और हर वक्त चुनावों का जो भूत सवार रहता है, यह हमेशा सवार न रहे।

अभी अमरीका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उसके साथ साथ सीनेटर्स का भी चुनाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज भी चुने जा रहे हैं, सिटी कारपोरेशनों के चेयरमैन भी चुने जा रहे हैं। एक लम्बा सा बैलट पेपर है, एक साथ जो होना है, सारे चुनाव हो गए। होने के बाद, अब ढाई साल-तीन साल जो रह गए उसमें तेजी से मिलकर काम करेंगे। लेकिन यह क्या हुआ कि हर समय चुनावों का ही दौर-दौरा चलता रहे। इससे देश की गति रुकती है। मैं समझता हूं इस पर विधि मंत्री और सत्ताधारी दल को भी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थव्यवस्था

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ व्यवस्था

अर्थशास्त्र के ख्यात प्रवक्ता आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है—"राज्यस्य मूलं अर्थः" राज्य का आधार अर्थ-सम्पत्ति है। जब तक राजकोष भरा है, देश समृद्ध माना जायगा। पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ मध्यवर्ती है। धर्म के लिए भी तण्डुल प्रस्थ-धान्य से भरी बोरियों को मूल कहा गया है। किसी भी देश की प्रगति के लिए, शिक्षा, उद्योग एवं व्यवसाय वाणिज्य के लिए अर्थ ही मुख्य साधन है। सेना एवं कर्मचारी सरकार की आर्थिक क्षमता पर ही निर्भर करते हैं। चाणक्य ने अपने राजनीतिशास्त्र का नाम संभवतः अर्थ के महत्व को देखते हुए ही अर्थशास्त्र रखा है। विद्या को अर्थ से भी अधिक महत्व दिया गया है, पर विद्वान् का सम्मान भी बिना अर्थ के निरर्थक है। जीवन निर्वाह के लिए प्रत्येक व्यक्ति अर्थ जुटाने के लिए ही सतत प्रयत्नशील रहता है। दारिद्र्य को अभिशाप कहा गया है। लक्ष्मीपति की पूजा उसकी लक्ष्मी के लिए ही होती है। भर्तृहरि के अनुसार—'सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति'।

धर्म और काम का मूल भी अर्थ है—'अर्थ मूलौ हि धर्म कामौ" चाणक्य से राजा को सर्वप्रथम कोषागार पर ध्यान देने को कहा है—'कोषपूर्ण सर्वारंभा तस्मात् पूर्ण कोषं अवेक्षेत।'

वर्तमान युग में उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, प्रबन्धन आदि में इतना विस्तार हो गया है कि उससे अनेक समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। श्रम और अर्थ में टकराव हो गया है। हड़तालें इसका प्रमाण है। व्यक्तिगत या संस्थागत लोगों से भी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। इस सबके बावजूद अर्थ की महत्ता पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गई है। पहले सेना द्वारा दूसरे देशों को वश में किया जाता था, वह काम अब अर्थ द्वारा हो रहा है।

व्यास का वचन है—'अर्थस्य पुरुषोदासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्'।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस्पात औद्योगिक प्रगति की रीढ़

अर्थ का जितना महत्व है उसकी बारीकियों को समझना उतना ही कठिन है। सभी विषयों पर विशेषज्ञों की कमी नहीं है पर अर्थशास्त्री तथा व्यापार-वाणिज्य के दांव-पेचों को समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। शास्त्री जी विद्वान थे। वेद-दर्शन-साहित्य में उनकी अच्छी गति थी, पर आश्चर्यजनक रूप से आर्थिक समस्याओं पर भी उनकी पैनी नजर एवं पकड़ थी। इस्पात मंत्रालय की अनुदान मांगों पर १५ अप्रैल १९६१ को हुई बहस में उन्होंने जो भाषण दिया वह इस बात का प्रमाण है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह, और उनके सहयोगी, श्री मालवीय के इस आवश्यक और महत्वपूर्ण विभाग से संबंधित इस प्रकार की जानकारियां देना चाहता हूं, जिनके विषय में वह गंभीरतापूर्वक विचार करें, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह जो इतने परिश्रम और तत्परता से अपने विभाग को देश के लिये उपयोगी बनाना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में इस प्रकार की कठिनाइयां न आ जायें कि उस के मनचाहे परिणाम न निकलें।

इस्पात उद्योग के लिए सुझाव

जहां तक इस्पात उद्योग का सम्बन्ध है, हमारे देश में जितने विकास-कार्यक्रम चल रहे हैं, यह उद्योग इन सब कार्यक्रमों की रीढ़ की हड्डी है। योजना की सफलता, खाद्यान्नों का उत्पादन और छोटे बड़े उद्योग-धन्धे इसी पर निर्भर करते हैं। सरकार ने दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात-कारखानों का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया है। मैं इस्पात उद्योग से सम्बन्धित इस्पात कंट्रोलर के कलकत्ता स्थित कार्यालय के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सुझाव भी देना चाहता हूं। मुझे दुख है कि इस कार्यालय को जितनी तत्परता के साथ कार्य करना चाहिये, वह नहीं कर रहा है और उसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि देश के इस प्रमुख व्यवसाय को जितनी उन्नति करनी चाहिये थी, वह नहीं हो पाई है। इस विभाग की शिथिलता, अकर्मण्यता और पक्षपातपूर्ण नीति के कारण करोड़ों रुपयों की हानि देश के इस उद्योग को पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यालय की कोई निश्चित नीति नहीं है। जो निर्णय आज किया जाता है, कल वह ज्यों का त्यों रह सकेगा, यह कोई आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिये मैं कुछ बताना चाहता हूं।

अप्रैल-सितम्बर, १९५९ के लाइसेंसिंग पीरियड में एक्चुअल यूजर्ज से, वास्तविक उपभोक्ताओं से कहा गया कि वे इस्पात के लिये अपने इन्डेंट भेजें, ताकि इस्पात कंट्रोलर उसी आधार पर जरूरी माल का आयात कर सके। पहले तो इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र बहुत समय तक विचाराधीन रखे और फिर विभाग का विचार बदल गया और वास्तविक उपभोक्ताओं से कहा गया कि वे इम्पोर्ट लाइसेन्स के लिये फिर आवेदन भेजें। इस प्रकार काफी लम्बे समय तक वास्तविक उपभोक्ताओं को इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं मिले, जिससे, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भ्रष्ट नियुक्तियाँ

और भी ऐसी ही अनिश्चित नीतियां और कार्यक्रम हैं, जोकि समय-समय पर सामने आते रहते हैं। यह भी देखा गया है कि इस्पात कन्ट्रोलर की तरफ से इस्पात लाइसेन्स सदा लाइसेंस पीरियड के पश्चात् जो कि चार पांच महीने का होता है, जारी किए जाते हैं। उनके जारी करने में काफी देर होती है, और देरी भी इतनी कि पीरिएड के अन्त में आकर लाइसेंस जारी किए जाते हैं। कई बार व्यापारी वर्ग ने इस्पात मंत्रालय को मैमोरेंडम भी दिये हैं और सरकार को भी इस प्रकार के आवेदन पत्र दिए गए, लेकिन अभी तक इस कार्यालय की इस स्थिति में किसी प्रकार का कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है।

विदेशी मुद्रा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। विदेशी मुद्रा की राशियां नियत न होने के कारण जब लाइसेंस जारी करने बन्द कर दिये जाते हैं तो इससे कुछ इम्पोर्टर्स को तो पहले ही आयात लाइसेंस दे दिए जाते हैं और बहुत से इनसे वंचित रह जाते हैं और उनको अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस गूढ़ पहेली के रहस्य का भी आपको पता लगाना चाहिये और देखना चाहिये कि विदेशी मुद्रा के वर्तन में इतनी देरी क्यों होती है?

इसी कार्यालय के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वह है स्टाकिस्टों की और एजेंटों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में। इस्पात कंट्रोलर के विभाग में रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट, कंट्रोल स्टाकिस्टस और हैंडलिंग एजेंट्स की नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है और बहुत ही निरंकुश ढंग से इस कार्यालय के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में न तो यह देखा जाता है कि इनको इनका अनुभव कितना है और न ही यह देखा जाता है कि जिनकी नियुक्तियां की जा रही हैं, उनके पास वित्तीय साधन भी हैं या नहीं और न ही उनकी योग्यता को देखा जाता है और इस सबका परिणाम यह होता है कि अयोग्य आदमियों की नियुक्तियां कर दी जाती हैं। सबसे बड़ी क्षमता जो नियुक्ति की है वह यह है कि जिस आदमी की इस आफिस में सीधी पहुंच होती है, उसकी नियुक्ति आसानी से हो जाती है और यह नहीं देखा जाता है कि उस को इस काम का अनुभव है या नहीं। जैसें कि ब्याज पर पैसा देने वाला व्यक्ति जो अधिकारियों तक अपनी पहुंच रखता था, उसको वहां पर हैंडलिंग एजेंट बनाया गया। इस तरीके से एक स्टेनोग्राफर था उसको कंट्रोल स्टाकिस्ट बनाया गया।

अगर किसी को जिसको उस काम का अनुभव नहीं है, नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका परिणाम यह होता है कि कार्य उतनी कुशलता से और दक्षता से नहीं हो पाता है जितनी कुशलता और दक्षता से वह होना चाहिये। कंट्रोलर के विभाग द्वारा यह जो नीति अपनाई गई है यह बड़ी ही दुर्बल नीति है। आज जब हम समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं तो इतना तो हमको अधिकार है कि कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर हम निर्देश कर सकें, उस को बता सकें और कह सकें कि यहां पर यह कमजोरी है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इस विभाग में जो कर्मचारी हैं, वे थोड़ी सी आलोचना भी यदि उनकी कर दी जाती है तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि किसी का स्टाक होल्डरशिप रद्द कर देते हैं और किसी को किसी दूसरे प्रकारों से परेशान करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार केउदाहरण मेरे नोटिस में आये हैं, इस वास्ते मैं आपके सामने इनको रख रहा हूं। इस्पात कंट्रोलर की नुक्ताचीनी करने का अर्थ यह हुआ कि एक व्यापारी की इसी तरह स्टाक

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होल्डरशिप रद्द कर दी गई। लोग नुक्ताचीनी अथवा शिकायत करने से इसीलिये डरते हैं और समझते हैं कि अगर इस प्रकार की चर्चा की जाय तो सम्भव है कि उनको परेशान किया जायगा।

इण्डेण्ट में देरी

एक और बात इस विभाग के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। इंडेंट देने में भी यहां पर बहुत देरी होती है। सामान्यतः उत्पादकों के पास इंडेंट देने में पन्द्रह दिन से अधिक का समय नहीं लगना चाहिये। पर होता यह है कि इस्पात कंट्रोलर ऐसे इंडेंट देने में महीनों लगा देता है और स्टाक रखने वालों को पता नहीं चलता है कि इस बीच में उनके इंडेंटों पर क्या निर्णय हुआ है। इस्पात कंट्रोलर द्वारा जो इंडेंटों की योजना बनाई जाती है, उसका उद्देश्य इस्पात का उत्पादन और वितरण और वर्तमान पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं के आधार पर नियत होना चाहिये। सब श्रेणियों के इस्पात का संतुलित उत्पादन और वितरण होना चाहिये। पर यह विभाग इसमें सर्वथा असफल रहा है। रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट्स और एक्चुअल यूज़र्ज़ के इंडेंट बम्बई के कलकत्ता या मद्रास के उत्पादकों द्वारा तैयार होते हैं। इसी तरह से कलकत्ता वालों के बम्बई या दिल्ली के अन्दर तैयार होते हैं जो बड़ी विपरीत चीज़ है।

कार्यालय नहीं पोस्ट आफिस

इस विभाग के दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक मद्रास में और दूसरा बम्बई में। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बन्ध में सबसे बड़ी कमज़ोरी की बात यह है किजो अधिकारी वहां पर आपने रखे हैं पहले तो उनको बहुत अधिक अधिकार नहीं दिये हुए हैं, लेकिन जितने अधिकार दिये भी गये हैं, उनका भी वे पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जब कोई भी व्यापारी या कारखाना या व्यापारी संस्थान उनको कोई आवेदन पत्र देता है और कुछ कठिनाइयां उसके सामने उपस्थित करता है तो उनका काम यह है कि वे उसको कंट्रोलर के आफिस में कलकत्ता भेज देते हैं और वहां से उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मंगाते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट आफिसिस में किसी उत्तर के देने में देरी होती है तो एक मंजा हुआ और घिसा पिटा सा उत्तर भेज दिया जाता है कि विचार किया जा रहा है और समय आने पर उत्तर दिया जायगा। उसी प्रकार से अगर इन कार्यालयों से ऐसा भी उत्तर लोगों को प्राप्त हो जाय तो भी सन्तोष हो। पर इस प्रकार का भी आज वहां से उत्तर नहीं आता है। कहीं से कोई पत्र जाता है तो उसको कलकत्ता भेज दिया जाता है और वहां से जो सन्देश प्राप्त होता है, उसको व्यापारी के पास पहुंचा दिया जाता है, इस तरीके से ये क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं। सिवाय एक पोस्ट आफिस की तरह काम करने के उनकी कोई दूसरी विशेष उपयोगिता नहीं है। आपको चाहिये कि मद्रास और बम्बई के क्षेत्रीय कार्यालयों को इस प्रकार का निर्देश आप दें कि जो भी पत्र उनके पास आयें, उसका कम से कम एक सप्ताह में कुछ न कुछ उत्तर आवेदनकर्ता के पास वे अवश्य भेज दें। ये दोनों ही कार्यालय सुस्ती और अकर्मण्यता के शिकार होते जा रहे हैं। इनके सम्बन्ध में आपको कोई दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिये।

अभी जो हमारे देश में नये कारखाने खुले हैं या जो पहले से चल रहे हैं, उनमें देशी इस्पात के संबंध में कंट्रोल्ड स्टाकिस्ट्स नियुक्त किये गये हैं लेकिन उनके सम्बन्ध में भी सार्वजनिक रूप से कोई नोटिस नहीं निकाला गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अपने-अपने आदमियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। होना यह चाहिये था कि इस प्रकार की जो नियुक्तियां की जायें, उनके बारे में सार्वजनिक रूप से विज्ञापन

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिये जायें, नोटिस निकाले जायें ताकि जो उन कामों को करने की योग्यता रखते हैं, वे भी आवेदन पत्र दे सकें और यह काम उनको मिल सके जो इसको करने के लिये सक्षम हैं। चूंकि यह काम इस तरह से नहीं किया गया है, इसका नतीजा यह हुआ कि व्यापारी वर्ग में असन्तोष की मात्रा बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि जब आप अपने विभाग को एक व्यवस्थित विभाग बनाना चाहते हैं तो इसके सम्वन्ध में आप समय-समय पर निरीक्षण करें और देखें कि क्या कमियां हैं और उनको दूर करने का प्रयत्न करें। जो श्रेय आप लेना चाहते हैं, वह न लेकर उनकी उदासीनता और लापरवाही के कारण आप अपश्रेय के भागी बनते हैं।

वदलाव-सौदे

अब मैं बदलाव के सौदों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कच्चे माल की व्यवस्था करने में राज्य व्यापार निगम ने कुछ बदलाव के सौदों की स्वीकृति दी थी और ये सौदे हमारे लिए उपयुक्त भी थे। बजाय इसके कि दूसरे देशों से माल मंगा कर उनको विदेशी मुद्रा दें, यह अधिक अच्छा था कि उसके बदले में हम अपने देश का सामान ही उनको दें। ऐसी हालत में इन सौदों का होना देश के लिए हितकर ही हो सकता है। माल के बदले माल देने से विदेशी विनिमय पर कोई भी किसी किस्म का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सौदों के सम्बन्ध में काफी हद तक सावधानी नहीं बरती गई है।

इस्पात मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने पीछे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बतलाया था कि देश में साढ़े ६२ हजार टन विदेशी ऐसे इस्पात का आयात हुआ है कि जिसके बदले में कोई निर्यात यहां से नहीं किया गया। यह भी पता चलता है कि उस आयात किए हुए माल का बहुत अधिक मूल्य देना पड़ा है। सच्चाई तो यह है कि इस प्रकार के जो सौदे होते हैं उनको इतना छिपा कर रखा जाता है कि किसी को भी उनके सम्वन्ध में कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे सौदों के सम्वन्ध में न तो कोई सार्वजनिक नोटिस ही निकाला जाता है, केवल उन्हीं लोगों को इसकी सूचना दी जाती है जो अधिकारियों के कृपा पात्र होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो दूसरे व्यापारी हैं, वे उनसे वंचित रह जाते हैं। सरकार का फ़र्ज़ है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि उन्हीं लोगों को आयात लाइसेंस दिए जायें जो आवश्यक माल का निर्यात कर सकें। परन्तु इस विषय में सावधानी न रखने से मेरा अनुमान है कि देश को और हमारी सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई है।

ये जो वदलाव के सौदे होते हैं उनका मनचाहे ढंग से वितरण किया जाता है। होता यह है कि जो आयातकर्ता बदलाव के सौदों की योजना में माल मंगाते हैं उन्हें यह भी छूट रहती है कि जिसे चाहें माल दे दें। क्योंकि ऐसे माल की देश में कमी थी अतः उन लोगों ने वह माल अपने ही लोगों को दिया। जिन उपभोक्ताओं को उस माल की जरूरत थी उन्हें वह नहीं मिल पाया। भारत सरकार को चाहिये कि ऐसे बदलाव के सौदों के सम्बन्ध में एक कमेटी बिठा करके अच्छी तरह से जांच कराये और देखे कि इनसे देश को लाभ हुआ है अथवा कुछ अधिकारियों ने कुछ फर्मों के साथ पक्षपात करके इस तरह के सौदों में देश को और हमारी सरकार को हानि पहुंचाई है।

बदलाव के सौदों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चन्द व्यापारी ही इससे लाभ उठा रहे हैं। हमारे देश में इस्पात के करीब पांच हजार व्यापारी हैं लेकिन ये जो बदलाव के सौदे होते हैं ये केवल दो दर्जन व्यापारी ही कर रहे हैं। और इन दो दर्जन व्यापारियों में भी ९० प्रतिशत व्यापारी अकेले

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कलकत्ता नगर के ही हैं। यह बात उसी प्रकार से है जैसे कुल्हड़िया में गुड़ फोड़ना कहते हैं। थोड़े से लोगों तक यह बात सीमित होकर रह गई है। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कलकत्ते में जो इस्पात कंट्रोलर का आफिस है, उसका फिर से आप निरीक्षण करायें और देखें कि इतनी ज्यादा गलत बातों का यह कार्यालय क्यों शिकार होता जा रहा है। सम्भव है कि आपके प्रशासन को भी आगे चलकर इससे लांछित होना पड़े। इसलिए इस कार्यालय के सम्बन्ध में विशेष रूप से आपको पता लगाना चाहिये.....

[उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करें।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे पांच मिनट और दिये जायें क्योंकि मुझे और भी बहुत सी बातें कहने को हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय : एक मैम्बर साहब रह जायेंगे और उनको वक्त नहीं मिल सकेगा, इसलिए मुझे अफसोस होगा। माननीय सदस्य दो तीन मिनट में खत्म कर लें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बहुत अच्छा।]

भ्रष्टाचार का अड्डा

इस कार्यालय में अनियमिततायें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उन सबको इतने थोड़े से समय में गिनाना तो कठिन है परन्तु उदाहरणस्वरूप एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी हाल में लाखों रुपये के इस्पात पदार्थों से भरा एक जहाज गैर-कानूनी तरीके से भारत में आया था। इस जहाज में जो सामान आया, बाद में न जाने कैसे उसको अथोराइज्ड घोषित कर दिया गया। यह रहस्यपूर्ण बात है। आश्चर्य की बात तो यह यह है कि इस्पात कंट्रोलर के नाक के नीचे इस प्रकार की घटनायें होती हैं। आप पता तो लगायें कि इन सब बातों के पीछे रहस्य क्या है?

इसी प्रकार से इस्पात कंट्रोलर जो टेन्डर देते हैं, उसमें रहस्य क्या है कि उन टेन्डरों की शर्तें इतनी सख्त होती हैं कि हर एक व्यापारी उन टेन्डरों को नहीं ले पाता। इसका परिणाम यह होता है कि जो चतुर, चालाक व्यापारी हैं, जो हर तरह के रास्तों को जानते हैं वे वहां पहुंच जाते हैं और टेन्डर ले लेते हैं, यानी टेन्डरों की शर्तें इतनी सख्त होती हैं कि उनसे दूसरे व्यापारी तो हतोत्साहित हो जाते हैं और टेन्डर नहीं ले पाते। मैं चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से विचार किया जाय ताकि सब लोग टेन्डरों को प्राप्त कर सकें।

अन्त में दो बातें कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मैं विशेष रूप से पब्लिक ऐकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पब्लिक ऐकाउंट्स कमेटी ने अपनी ३४वीं रिपोर्ट में लिखा है कि अगस्त, सितम्बर, १९५४ में हमारी वर्क्स हाउसिंग मिनिस्ट्री ने एक कम्पनी के सम्बन्ध में उसकी सभी शाखाओं को ब्लैक लिस्ट पर रखने का आर्डर निकाला, और वह आर्डर सारे मंत्रालयों को प्रचारित कर दिया गया। लेकिन इस पर भी उस कम्पनी से सम्बन्धित लोगों ने किसी और नाम से दूसरी कम्पनी खोल ली, जिसे सन् १९५४ के अन्दर करीब ५२ ठेके, जिन की कीमत लगभग २३ करोड़ रु. बैठती थी, आयरन ऐंड स्टील कंट्रोल आर्गेनाजेशन ने दिये। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार यह

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभाग इतनी उदासीनता और शिथिलता से कैसे कार्य कर रहा है। अक्टूबर, १९५६ में इस्पात मंत्रालय ने अलग से एक आर्डर निकाला जिसमें इस फर्म के साथ कोई बिजिनेस न करने को कहा गया था। लेकिन उस आर्डर के बावजूद भी उस कम्पनी को दस ठेके दिये गये और इसमें देखने योग्य बात यह है कि आयरन ऐंड स्टील कंट्रोल आर्गेनाइजेशन को इस आर्डर के बारे में मालूम था कि इस कम्पनी के भागीदार वही लोग हैं जिनकी कम्पनी को ब्लैक लिस्ट पर रखने का आदेश जारी हो चुका था। लेकिन इतनी जानकारी होते हुए भी यह कार्यालय बराबर शिथिलता पर शिथिलता बरतता चला जा रहा है।

इसी प्रकार से एक और चीज कलकत्ते के एक पत्र में प्रकाशित हुई थी। मैं इसमें विस्तार से तो नहीं जा सकूंगा लेकिन उसमें आंकड़े दिये गये हैं तमाम बातों के कि किस प्रकार से एक कम्पनी थी जिसने दो या तीन लाख रुपये से अपना व्यापार आरम्भ किया और दो वर्षों के अन्दर उसने १४ करोड़ का व्यापार किया और उसमें ५० लाख रु. का लाभ कमाया।

२ लाख रु. से व्यापार आरम्भ किया जाय, दो वर्ष के अन्दर १४ करोड़ रु. का व्यापार हो और ५० लाख रु. कम्पनी को लाभ हो तो स्पष्ट बात है कि कोई गलत रास्ता इस प्रकार का अपनाया गया है कि जिससे जितनी कम्पनियां इस प्रकार की हैं वे इस्पात कंट्रोलर, कलकत्ता के कार्यालय में पहुंच कर आफिसर्स से मिल कर अनुचित लाभ उठा रही हैं। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि कलकत्ता में इस्पात कंट्रोलर का जो कार्यालय है उसके सम्बन्ध में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति आप निर्धारित करें और उसके द्वारा इस कार्यालय की पूरी छानबीन करें। अच्छा तो यह होता कि इस कार्यालय को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाय। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारी उद्यमों में बढ़ते घाटे

बजट जैसे दुरूह तिषय पर बहस में शास्त्री जी ने अपने बड़े सटीक सुझाव दिए। उन्होंने १० मई १९६२ को बजट पर हुई बहस में सरकार को यह चेतावनी दी कि सरकार उद्योगों में जो पैसा लगा रही है उसका अभिलक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। आज स्थिति यह है कि सरकार अपने उद्योग बेच रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था अथवा आर्थिक स्थिति उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब कि वह देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा हो, उसकी आर्थिक स्थिति को संतुलित रखना अत्यन्त आवश्यक है। पिछले कई वर्षों का अनुभव इस बात का साक्षी है कि हमारे देश की नीति आदर्शवादी पक्ष की ओर अधिक बढ़ती जा रही है और उसमें व्यावहारिकता का अभाव है। आकस्मिक परिवर्तन वित्तीय नीति में जो समय-समय पर होते रहते हैं उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि उत्पादन के उपक्रमों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है और देश में टैक्सों की व्यवस्था का भार भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है।

अर्थनीति में आकाशीय परिवर्तन

दूसरी बात जो मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस समय तृतीय पंच वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हो रहा था उस समय यह निश्चय किया गया था कि हमारे देश पर ११०० करोड़ रुपये के कर लगाये जायेंगे। इन ११०० करोड़ रुपये के करों के सम्बन्ध में उस समय भी पर्याप्त आलोचना हुई थी। परन्तु प्रतीत ऐसा होता है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय अथवा हमारी सरकार इस को और भी तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं। पिछले वर्ष हमारे देश पर जो टैक्स लगाये गये थे उनकी संख्या ४५० करोड़ रुपये थी। लेकिन जैसे कि सरकार की नीति है कि राजस्व की प्राप्ति को वह हमेशा कम करके दिखाती है और उस आधार पर अपना बजट बनाती है, उसे ध्यान में रखते हुए अनुमान है कि हमारे देश में पिछले वर्ष में लगभग ५५० करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इस वर्ष भी जो प्रास्ताविक करों की योजना सामने आई है उसमें भी ६०० करोड़ रुपये की प्राप्ति हो सकेगी। ५ वर्षों में जो ११०० करोड़ रुपये के कर लगाये जायेंगे वह तो इन दो वर्षों में पूरे हो रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि आने वाले ३, ४ वर्षों में हवा का रुख बहुत ऊंचा उठेगा। मैं नहीं कह सकता कि हमारी सरकार अर्थ नीति में इस प्रकार के आकाशीय परिवर्तन क्यों कर रही है और देश के कन्धों पर करों का और टैक्सों का इतना भारी बोझ किस दृष्टि से लादा जा रहा है? यह स्थिति सामान्य करों के सम्बन्ध में है जबकि रेलवे बजट से भी २५० करोड़ रुपये हमें प्राप्त होने हैं।

तीसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि इस समय हमारे देश की राष्ट्रीय आय १३ खरब रुपये की है। इस १३ खरब रुपये की आय में से १ खरब ७० अरब रुपये अर्थात् १४ प्रतिशत धन केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें करों के रूप में हमसे ले लेती हैं। .....(व्यवधान)

[वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : रेलवेज के बारे में माननीय सदस्य ने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्या कहा? २५० करोड़ रुपये की आमदनी हमको रेलवेज से होगी यह जो उन्होंने कहा वह सही नहीं है।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह कह रहा था कि जो सामान्य कर लगाये जा रहे हैं उसके अतिरिक्त रेलवेज से जो आय होगी वह २५० करोड़ रुपये की होगी। इसलिए पहले ही जब आय इतनी पर्याप्त थी तो उसके होते हुए इतने अधिक करों का भार देश के कन्धों पर लादना यह समय और परिस्थिति को देखते हुए संगत नहीं प्रतीत होता.....

[**श्री मोरारजी देसाई :** २५० करोड़ रुपये की रेलवेज से कैसे आमदनी होगी, मेरी समझ में नहीं आया।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी रेलवेज ने जो अपना टैक्स बढ़ाया है वह तथा अन्य आय २५० करोड़ रुपये की होने का अनुमान है।

[**श्री मोरारजी देसाई :** आगामी चार साल ही तो रहे। उनमें सालाना २१, २२ करोड़ रुपये के कर लगें तो भी यह ८५, ८६ करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगा। यह २५० करोड़ आप कहां से ले आये?]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा अनुमान समस्त आय के सम्बन्ध में है। इन सब को मिला कर ही मैं अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं।

सरकार अपने व्यय पर संतुलन रखे

चौथी बात केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में है। १३ खरब रुपये की हमारे देश की राष्ट्रीय आय है। उस १३ खरब रुपये में १ खरब ७० अरब रुपये हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है अर्थात् १४ प्रतिशत भाग राष्ट्रीय आय का सरकार ले लेती है। इसमें जो देश की ४४ करोड़ ३० लाख की जनसंख्या है करीब १० लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो छोटे और बड़े सब मिलाकर निर्माण का कार्य भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार टैक्स के रूप में जो रुपया प्राप्त करती है, थोड़ा अपने व्यय के ऊपर संतुलन रखें जिससे कि देश पर करों का भार अधिक मात्रा में न बढ़े।

पिछले पांच वर्षों में ८ अरब रुपये का कराधान हुआ है किन्तु केन्द्रीय सरकार का खर्च आमदनी से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसमें आधे के लगभग व्यय तो इस प्रकार का है जिससे कोई उत्पादन होता ही नहीं। अनुत्पादक कार्यों पर पैसा खर्च होता है। प्रतिरक्षा पर व्यय होता है और असैनिक प्रशासन पर होता है अथवा जो हमारे ऊपर ऋण हैं उसका सूद अदा करने में यह खर्च हो जाता है। बाकी रुपया कुछ इस प्रकार का है जिससे कुछ उत्पादन का औसत बढ़ता है और उसमें सरकारी उद्योगों का या पब्लिक सेक्टर का नम्बर विशेष रूप से आ जाता है।

सरकार के द्वारा जो उद्योग चालू हैं उनकी संख्या ७३ है। मार्च १९६१ के अन्त तक कुल मिलाकर इन ७३ उद्योगों में ६०६ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। १९६०-६१ में केवल २.१ करोड़ रुपये का लाभ हुआ जो कि ३५ प्रतिशत है। १९६१ और ६२ में १०३.५ करोड़ रुपये की और अतिरिक्त पूंजी इनमें लगायी गयी पर यह आय १.६५ करोड़ से अधिक होने की आशा नहीं है अर्थात् २४ प्रतिशत लाभ है। बजट जो इस साल प्रस्तुत हुआ है उसको देखने से यह भी प्रतीत होता है कि सन् १९६२-६३ में

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१६०.१० करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोग इनमें और किया जायेगा। इस प्रकार कुल मिला कर सरकारी उपक्रमों में ८६९ करोड़ रुपये की पूंजी हो जायेगी। इतनी अधिक पूंजी जहां लगी हुई हो और उससे जो आय होनी चाहिए वह सर्वथा नगण्य नहीं होनी चाहिए लेकिन चूंकि वास्तविक स्थिति यह है कि वह नगण्य है इसलिए यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं उसमें कोई दुर्बलता अवश्य अपेक्षित है।

सरकार के इन ७३ उद्योगों में केवल एक उद्योग हिन्दुस्तान मशीन टूल्स इस प्रकार का है जो सरकार और देश दोनों के सन्तोष का विषय है बाकी जो ७२ उद्योग हैं उनको देखते हुए जितनी अपेक्षित आय उनसे होनी चाहिये उसकी संभावना कम है।

असैनिक व्यय में वृद्धि

एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह असैनिक व्यय के सम्बन्ध में है। सरकार जहां देश के कन्धों पर इतना भारी बोझ लाद रही है। मेरा अभिप्राय: सैनिक व्यय से नहीं है हमारे देश में जो प्रतिरक्षा के ऊपर व्यय होता है वह तो परिस्थितियों को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक ही है। हां, सावधानी उसमें भी अपेक्षित है यह बात दूसरी है। परन्तु मैं असैनिक व्यय के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उसकी मात्रा आज बराबर बढ़ती जा रही है, सरकार जब देश से यह अपेक्षा करती है कि वह त्याग करे और कर दे तो सरकार को भी उसमें मितव्ययिता बर्तनी आवश्यक है। दूसरे देशों में जो कर लिये जाते हैं उन की अपेक्षा हमारे देशों में करों की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है। व्यक्तिगत आय पर हमारे देश में जो टैक्स लगता है वह सब मिलाकर ८७ प्रतिशत के लगभग लगता है। अमरीका में एक लाख रुपये की आय पर २३ प्रतिशत और ब्रिटेन में ४६ प्रतिशत टैक्स है। लेकिन भारत में यह ५४ प्रतिशत से लेकर ६३ प्रतिशत तक आकर बैठता है। अमेरिका में करों की अधिकतम दर १५ लाख रुपये की आय पर व ब्रिटेन में २ लाख रुपये की आय पर लागू की जाती है। जबकि भारत में यह ७० हजार रुपये के निम्न स्तर पर ही लागू हो जाती है। दूसरे उन देशों में भारत की तरह सम्पत्ति कर भी नहीं है।.....

[**श्री मोरारजी देसाई :** यह मैं कह सकता हूं कि यहां की एक लाख की आमदनी अमरीका में ५० लाख की आमदनी से भी ज्यादा होगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सम्भव है आपके कहने में कुछ सच्चाई हो....

[**श्री मोरारजी देसाई :** काफी सच्चाई है।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस देश की स्थिति को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि हम जब संसार के साथ प्रगति में कंधे से कंधा मिला कर खड़ा होना चाहते हैं तो आर्थिकव्यवस्था में हम इतना संतुलन अवश्य रक्खें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वर्तमान समय सन्तोष का कारण बन सके।

एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि हम जिस समय टैक्सों का बोझ अपने देश के कंधों पर लादें तो इस बात का ध्यान अवश्य रक्खें कि विदेशी पूंजी का अधिक से अधिक विनियोग हम देश में करें, हम देश में करों को लगाते समय इस बात को न भूल जांय कि हमारे देश में पूंजी लगाने की अपेक्षा वह लोग दूसरे देशों में पूंजी लगाना अधिक पसन्द करते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में भी सतर्कता आवश्यक है।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए एक जरूरी बात और कहना चाहता हूं कि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे देश में जो टैक्सों को प्राप्त करने वाली मशीनरी है वह शुद्ध नहीं है। जहां हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रतिवर्ष नया कर देश के कंधों पर लगा कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है उससे कहीं अधिक अच्छा हो कि जितने टैक्स अब तक देश पर लगे हुए हैं उनको व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने की दिशा में भी वह उतने ही सतर्क रहें। मेरा यह विश्वास है कि जितने टैक्स अब तक हमारे देश पर लगे हुए हैं अगर वह टैक्स पूरे प्राप्त हो जायें तो देश में और कोइ नया टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन मेरा अनुमान है कि जितने टैक्स लगे हुए हैं उनका एक बहुत बड़ा भाग इस प्रकार का है जो कि बीच में ही अटक कर रह जाता है और सरकार के कोष तक वह पूरा भाग नहीं पहुंच पाता।

निर्वाचनों में व्यय की सीमा

एक दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है जिसकी कि ओर हमारे माननीय राष्ट्रपति ने अभी परसों अपने विदाई भाषण में संसद् सदस्यों को संकेत दिया और वह है निर्वाचन व्ययों के सम्बन्ध में।

हमारे देश में लोक-सभा के जो निर्वाचन होते हैं उनके लिये २५ हजार रुपये की राशि आपने निर्धारित की है। अब आर्थिक दृष्टि से कितने व्यक्ति इस देश में आपको मिलेंगे जो कि लोक-सभा का चुनाव लड़ सकेंगे? जैसा मैंने पहले आपको बतलाया कि हमारे भारतवर्ष में ४४ करोड़ ३० लाख की जनसंख्या में केवल १० लाख व्यक्ति ही ऐसे हैं जो कि आय कर देते हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसके रहते कितने व्यक्ति इस देश में लोक-सभा का चुनाव लड़ सकेंगे?

इसमें एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग चुनाव लड़ कर आते हैं, मैं बम्बई का ही चुनाव उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं, बम्बई में अभी हाल में जो चुनाव हुआ, उन व्यक्तियों का नाम लेना संसदीय परम्परा के विपरीत हो जायेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे बम्बई का नाम लेने से ही सब लोग समझ गये होंगे कि मैं किस ओर संकेत कर रहा हूं। क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उस चुनाव के ऊपर केवल २५००० हजार रुपये व्यय हुए थे? जब ऐसी स्थिति हो तो यह कहना कि २५००० रुपये से जो उम्मीदवार चुनाव में अधिक व्यय करेगा उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जायगा, कहां तक तर्कसंगत है? क्या सरकार निष्पक्ष होकर इस दिशा में कोई निर्णय ले सकेगी और कोई जांच कर सकेगी कि वास्तविकता क्या है? मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का नियम और विधान बनाने की क्या आवश्यकता है जो कि वास्तविकता पर आधारित न हो या जिसमें चोरी और झूठ सिखाये जायें?

एक अन्तिम बात जो कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि अभी परसों हमारे सरकारी बैंचों पर बैठने वाले एक व्यक्ति ने अपने भाषण में यह संकेत दिया था कि समाजवाद का नारा हमारी सरकार लगाती तो है लेकिन पंडित जी के दायें, बायें कुछ ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जिनके कि गले के नीचे समाजवाद का शब्द बिल्कुल नहीं उतरता है। पर मैं उसके बिल्कुल उल्टी बात कहना चाहता हूं कि समाजवाद का नारा तो हमारी सरकार लगा रही है, लेकिन कहीं पंडित जी के दाये बायें ऐसे व्यक्ति तो नहीं बैठते, जो कि समाजवाद की आड़ में साम्यवाद को देश पर ठूंसना चाहते हैं, या इस देश में साम्यवाद को लाना चाहते हैं। इसलिये इन दोनों दिशाओं से ही देश को सजग रहने की आवश्यकता है। पूंजीपतियों के हाथों से भी हम बचें और साम्यवाद के भी शिकार न हो जांय। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश की योजना को ग्रामोन्मुखी बनाया जाय

देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बना कर उसे दो चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। शास्त्री जी ने योजना के परिणामों का अध्ययन कर इस बात पर बल दिया कि भारत जैसे देश में विकास का कार्य ग्रामों को आधार बना कर किया जाना चाहिए। २५ अगस्त १९६२ को तीसरी पंचवर्षीय योजना पर विचार के समय शास्त्री जी ने उक्त विचार व्यक्त किए।

सभापति महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण अंगों को स्पर्श करने से पूर्व मैं कुछ सामान्य सुझाव इस योजना के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। पहली बात जो विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि जितनी भी सुविधाएं सरकार की ओर से योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही हैं वह सब गांवों से सिमटकर शहरों की ओर आती चली जा रही हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आज गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर अपना मुंह उठा कर चल रहा है।

यदि इसी प्रकार की प्रवृत्ति बराबर बढ़ती रही तो मेरा अपना अनुमान है कि दस वर्षों के पश्चात् धीरे-धीरे गांव खाली हो जायेंगे और वह इस देश की योजना के लिए और इस देश के शासकों के लिए भी पर्याप्त चिन्ता का विषय बन जायगी। इसलिए हम अपनी योजनाएं बनाते समय इस बात को भूल न जांय कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग गांवों में रहता है। इसलिए जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत चल रही हैं उसका उसी अनुपात से गांवों को भाग मिलना चाहिए जितनी संख्या में कि इस देश में गांव हैं।

बेरोजगारी की समस्या और पंचवर्षीय योजनाएं

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए जितनी संख्या निर्धारित की थी दुःख है कि हम उसमें सफल नहीं हो पाये। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी हमने कुछ संख्या निर्धारित की है लेकिन पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारों की समस्या का समाधान करने के लिए जो हमने पग उठाये थे उसमें जितनी कम सफलता मिली है उस आधार पर मेरा विश्वास है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी हम अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पायेंगे। यदि बेरोजगारों की संख्या इसी प्रकार देश में दिन-प्रति-दिन बढ़ती चली गई, तो हमारी ये योजनायें हमारे लिए बहुत बड़े संकट का कारण बन जायेंगी।

मेरा अपना अनुमान यह भी है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या जो बहुत बढ़ती चली जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे अपने मस्तिष्कों में, और विशेषकर हमारी शिक्षा में, श्रम की प्रतिष्ठा का सर्वथा अभाव होता जा रहा है, लोग मेहनत से बहुत दूर हो रहे हैं और कुर्सियों पर बैठ कर हुक्म चलाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रकार सरकारी सर्विसों की ओर झुकाव हो रहा है। यही कारण है कि हमारे देश में बेरोज़गारों की समस्या या यह कहिये कि देश में लोगों को नौकरियां मिलने की

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समस्या बहुत गम्भीर रूप धारण करती चली जा रही है।

जहां तक समन्वय का सम्बन्ध है, मैं एक आवश्यक निवेदन यह करना चाहता हूं कि दो योजनायें समाप्त कर अब हम तीसरी पंच-वर्षीय योजना की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि आज हमारे देश में तीन वर्ग स्पष्ट हैं, जो कि एक दूसरे के साथ समन्वय करने और कन्धा लगाने को तैयार नहीं हैं। हमारे देश में एक वर्ग तो जनंता का है, दूसरा सरकार का और तीसरा सरकारी कर्मचारियों का। सभापति जी, अगर आप मुझे आज्ञा दें, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक चौथा वर्ग नेताओं का भी है। दुर्भाग्य से इन चारों वर्गों में आपस में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। जनता अपने को सरकार से पृथक समझती है। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी भी अपने को सरकार से पृथक समझते हैं। इसका परिणाम यह है कि हमारी जितनी योजनायें हैं, उनमें समन्वय के अभाव में पर्याप्त सफलता नहीं मिल रही है। जहां तक पहले तीन वर्गों और चौथे वर्ग में, जो कि देश का नेतृवर्ग कहलाता है, उसमें समन्वय और सहयोग की परम अपेक्षा है, वहां एक बहुत बड़ी अपेक्षा यह भी है कि हमारे शासन के विभिन्न विभागों में भी समन्वय हो।

मंत्रालयों में समन्वय आवश्यक

उदाहरण के लिए कृषि मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की ओर ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं, जिसमें गांवों की बहुत बड़ी संख्या है। वहां इस प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न होती रहती है कि जिस समय किसानों को खेती के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो विद्युत मंत्री की ओर से आदेश तथा निर्देश दूसरे ढंग के निकलते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कृषि को, जिसका विकास होना चाहिए, समय पर पानी नहीं मिल पाता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कृषि मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को एक बनाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को पृथक रखने की आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालयों को पृथक-पृथक दो स्थानों पर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही विषय हैं। उनमें परस्पर समन्वय न होने के कारण उनमें कार्य भिन्नता होती है और काम में हानि भी होती है।

जहां तक उद्योग मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय का सम्बन्ध है, उद्योग मंत्रालय अर्थात् उत्पादन करने वाला विभाग दूसरा है और उस उत्पादन की ढुलाई करने वाला विभाग अर्थात् परिवहन मंत्रालय दूसरे हाथों में है। नियोगी समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें भी उसने इस ओर संकेत दिया था कि परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वह उद्योगों के साथ तालमेल नहीं खाता। इसलिए मेरा विचार है कि यदि उद्योग मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय को भी एक कर दिया जाये, तो अच्छा है।

इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्य और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों के एक होने से दोनों को परस्पर बढ़ने और विकसित होने का अवसर मिलेगा। मेरा तात्पर्य यह है कि समन्वय की भावना जहां जनता और जननेताओं में अपेक्षित है, वहां प्रशासन में भी अपेक्षित है।

अपनी भाषा में कारोबार हो

सभापति जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अपने संविधान में प्रतिज्ञा की थी कि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंद्रह वर्षों में हम अपनी भाषा में अपना कारोबार शुरू कर देंगे। नहीं कहा जा सकता कि उस समय हमारे मस्तिष्कों में जो पवित्रता थी, वह आज क्यों समाप्त हो रही है। सच्चाई तो यह है कि जब तक जनता का कार्य जनता की भाषा में नहीं होगा, देश का विकास और प्रगति करने में हमें अधिक सफलता नहीं मिल सकती। अभी चार पांच दिन की बात है कि हमारे पब्लिकेशन्ज काउंटर से, जहां से सदस्यों को लोक सभा की ओर से या सरकार की ओर से छपने वाली कुछ सामग्री दी जाती है, एक पुस्तिका सदस्यों को दी गई, जिसमें यह बताया गया है कि गांवों में सस्ते मकान कैसे बनाये जा सकते हैं। वह पुस्तिका अंग्रेजी में छपी हुई है। अब आप ही बताइये कि कितने गांव वाले इस पुस्तिका को पढ़ कर इससे लाभ उठा सकेंगे।

जब मैं जनता की भाषा में जनता का कारोबार करने की बात कहता हूं, तो मेरा आग्रह विशेष रूप से हिन्दी के लिए ही नहीं है, बल्कि मैं क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन की भी इच्छा रखता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का कारोबार हमारी अपनी भाषा में बढ़ाना चाहिए और उसके विकास का शीघ्र से शीघ्र अवसर मिलना चाहिए। सभापति जी, आप मुझे इन दुःख भरे शब्दों को कहने की अनुमति दें कि संविधान बनाते समय हमारे मस्तिष्कों में जो पवित्रता थी, दुर्भाग्य से वह पवित्रता आज हमारे मस्तिष्कों से हिल चुकी है। इसका परिणाम यह है कि जिस सात्विक भाव से हमने व्रत लिए थे, आज हम उनको उस सात्विकता के साथ पूर्ण करने के लिए उद्यत नहीं हैं।

नैतिक स्तर गिर रहा है

इसके बाद मैं अपने देश के नैतिक स्तर के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आज हम अरबों-खरबों की योजनायें तो बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। इसके लिए उपाय किये जाते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, गुप्तचर विभाग के द्वारा और दूसरे अन्य विभागों के द्वारा, लेकिन जब तक हम अपने देश में नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन भावनाओं को फिर से नहीं जगायेंगे, जिन भावनाओं की पृष्ठभूमि में पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों और सन्तों ने, इस देश का नैतिक स्तर ऊंचा उठा रखा था, तब तक हम अपनी योजनाओं को पूर्णतया सफल नहीं कर पायेंगे। वह भावना है अपने देश में परमात्मा का विश्वास जगाने की प्रवृत्ति। आप उसको दूसरी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि आज हमारे देश में धीरे-धीरे नास्तिकता बढ़ती जा रही है और आस्तिकता से हमारा देश धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है, जिसका परिणाम यह है कि आज देश में भ्रष्टाचार और इसी प्रकार की अनेक बुराइयां फैल रही हैं, जिनके कारण हमारी योजनायें पूर्णतया सफल नहीं हो पाती हैं।

मूल्य नियंत्रण पर ध्यान दें

हमने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा है कि मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है, उस पर किस प्रकार नियंत्रण रखें। जिस समय हम इस योजना पर विचार कर रहे थे, उस समय यह स्थिति थी कि २७ अप्रैल, १९६२ को समाप्त होने वाले सप्ताह में मूल्य-सूचक अंक १२४.७ था और मई को समाप्त होने वाले सप्ताह में वह १२७ हो गया, जबकि अप्रैल में पहले ही १.५ की वृद्धि हो चुकी थी। योजना आयोग का कहना इस सम्बन्ध में यह है कि तीसरी योजना में मुद्रा

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में तीस प्रतिशत तक वृद्धि से कीमतों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आप का ध्यान दिलाता हूं जब इस सदन में बजट प्रस्तुत होता है और नये-नये कर लगाये जाते हैं, तो उसके साथ ही देश में मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे देश के निम्नवर्ग और मध्यम वर्ग दोनों मूल्य-वृद्धि से कठिनाइयों में फंस जाते हैं। यदि योजना बनाने वालों ने योजना बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा, तो आगे चलकर इसके और भी कुपरिणाम हो सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व आज हम इस बात पर गम्भीरता से निर्णय लें कि हम मूल्यों में वृद्धि को किस प्रकार रोक सकते हैं।

परिवहन सुविधाओं का अभाव

जहां तक परिवहन-सुविधाओं का सम्बन्ध है, मैंने पहले भी नियोगी समिति के इस कथन का उल्लेख किया है कि उद्योगों की जरूरतों और परिवहन सुविधाओं के विस्तार में आपस में ताल-मेल नहीं है। उसका परिणाम यह है कि हमारे देश के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है और उत्पादकों में भी निराशा की भावना फैलती है। १९६१ में हमारे देश में लगभग दो करोड़ टन माल की ढुलाई की सुविधा नहीं मिली। उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय १९,००० करोड़ रुपये करने की प्रतिज्ञा की गई है, जबकि शुरू में वह १४,५०० करोड़ रुपये थी, अर्थात् इस योजना में हम राष्ट्रीय आय में ३१ प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय आय में १ प्रतिशत की वृद्धि पर परिवहन-सुविधा ढाई प्रतिशत बढ़नी चाहिये और इसलिये अगर हम राष्ट्रीय आय में ३१ प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि परिवहन-सुविधाओं में ७८ प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये।

लेकिन योजना आयोग ने जो योजना प्रकाशित की है, उसको देखने से यह प्रतीत होता है कि रेलवेज की तरफ तो उन्होंने कुछ ध्यान दिया है कि किस प्रकार से वैगन्ज बढ़ायें और कैसे दूसरी सुविधाओं का विस्तार किया जाय, लेकिन पानी के द्वारा परिवहन और सड़क-परिवहन की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि अगर इस योजना में कुछ इस प्रकार की त्रुटियां रह गई हैं, तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम समय पर उन को सम्हालें।

आयात नियन्त्रित किया जाय

आयात और निर्यात नीति के सम्बन्ध में भी कुछ विशेष रूप से इसलिये कहना चाहता हूं कि १९६१-६२ में १०७० करोड़ रुपये का आयात हुआ, लेकिन उसमें से केवल १५० करोड़ रुपये की मशीनरी का आयात हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से हमारे देश को दूसरों का मुंह न ताकना पड़े, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि आयात में हम केवल इसी प्रकार की चीजों का आयात करें, जिनसे हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ हो सके और उसको इस विषय में परमुखापेक्षी न होना पड़े।

इस दृष्टि से उपभोग्य वस्तुओं के आयात को हम जितना कम कर सकें, उतना ही अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आयात नीति को जिस समय हम निर्धारित करें तो निर्धारण से पूर्व एक साथ ही बिना

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोचे उसकी घोषणा न कर दिया करें। अभी ऐसे हुआ है कि आयात नीति की हमने घोषणा की और उसमें पचास प्रतिशत की कटौती की लेकिन पचास प्रतिशत की इस कटौती के पश्चात् फिर आपको उस में सुधार करना पड़ा और एक्स-रे फिल्मों के सम्बन्ध में तथा किताबों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें देनी पड़ीं। ये तमाम बातें ऐसी थीं जिनके बारे में आपको पहले ही सोच लेना चाहिये था।

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए और एक बात आवश्यक रूप से मैं कहना चाहता हूं। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसमें हमारे देश की गाढ़ी पसीने की कमाई का पैसा तथा विदेशों से लिये गये ऋण का जिनको सरकारी उद्योग कहा जाता है, उनमें फंसा हुआ है। १९६१ तक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर ६०५ करोड़ रुपया हमारा देश लगा चुका था। मार्च १९६३ तक २६३ करोड़ रुपया इसमें और लगने की सम्भावना है, ऐसा निश्चय किया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि ८७० करोड़ रुपया उसमें लग जायगा और इतना अधिक रुपया लगाने के पश्चात् भी जो आय उससे होगी वह केवल ३ करोड़ २२ लाख अर्थात् ४ प्रतिशत ही होगी। जबकि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से इतना दुर्बल है और हम विदेशों से पैसा मांग-मांग कर अपने देश का निर्वाह कर रहे हैं, इतनी भारी मात्रा में पैसा फंसा देना, जिससे आय इतनी कम हो, मैं समझता हूं कि कोई बुद्धिमत्तापूर्ण पग नहीं होगा।

कृषि उत्पादन और उपकरण

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह निश्चय किया गया है कि दस करोड़ टन अनाज के उत्पादन का हमारा लक्ष्य होना चाहिये। लेकिन देखने से प्रतीत ऐसा होता है कि कृषि के अन्दर दस करोड़ टन का जब हमने लक्ष्य रखा है, तो कृषि के उपयोगी साधनों को जहां हमको बढ़ाना चाहिये था, कृषि के उपकरणों को जहां बढ़ाना चाहिये था, वहां हम यह देख रहे हैं कि हम बहुत कुछ निर्भर कर रहे हैं इस बात पर कि रासायनिक खाद अधिक से अधिक जितना हमें प्राप्त हो सके हो, ट्रैक्टर आयें और कृषि में भी मशीनरी युग आरम्भ हो।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने देश की पुरानी कृषि सम्बन्धी परम्पराओं से इस मशीनी युग में सर्वथा दूर न होते चले जायें। यह सही है कि उत्पादन के मामले में खास कर इस प्रकार के उत्पादनों में जो मशीन के द्वारा होते हैं, हम मशीनों पर निर्भर करें लेकिन जहां तक कृषि उत्पादन का संबंध है, उसके लिये हमको विशेष रूप से अपने देश की उस शक्ति पर भी निर्भर करना पड़ेगा जो हमारे देश में बैलों की शक्ति से की जाती है तथा उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली हरी खाद पर भी निर्भर करना पड़ेगा। आज अमरीका तथा दूसरे देशों का अनुभव इस बात का साक्षी है, कि हम रासायनिक खादों पर सर्वथा निर्भर नहीं कर सकते हैं। अगर मैं भूल नहीं करता हूं तो इस साल मैंने अमरीका के कृषि सम्बन्धी विवरण पढ़ते हुए देखा था कि अमरीका में जिस धरती पर रासायनिक खाद का निरन्तर प्रयोग किया गया कुछ वर्षों के पश्चात् वह जमीन धीरे-धीरे वंध्या होने लगी और उन लोगों को निश्चय करना पड़ा कि रासायनिक खादों का प्रयोग एक निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं करना चाहिए। हमारे देश में देखा जा रहा है कि पिछले पंद्रह वर्षों में बैलों की शक्ति का, गाय की शक्ति का जितना विकास होना चाहिये था, उतना विकास नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका विशेष ध्यान जाये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रान्तीयता बढ़ रही है

सभापति जी, कृषि सम्बन्धी इस बात को कहने के पश्चात् मैं एक और बहुत आवश्यक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी हमारे पन्त जी निर्देश दे रहे थे कि कल परसों बंगाल के लोगों ने अपनी कुछ समस्या केन्द्रीय सरकार के सामने रखी, असम ने भी अपने तेल की रायल्टी का सवाल हमारे सामने रखा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार की कुछ समस्यायें रखीं। यह जो प्रान्तीयता की भावना धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है, अथवा यह जो पृथकतावादी मनोवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, उसमें कहीं ऐसा न हो कि हमारी जो योजना है, उसके नीचे इस प्रकार का कोई विस्फोट कर दे जिससे सारी की सारी योजना रखी रह जाये। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास अभी पुरानी पीढ़ी के कुछ इस प्रकार के नेता हैं जिससे सारा देश कम से कम ऊपर से एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। परमात्मा न करे कि कल को उनका हाथ हमारे सिर पर न रहे तो क्या होगा? लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया तो यह जो पृथकतावादी मनोवृत्ति है इसी प्रकार बढ़ी तो हमारी जो अखंडता है वह खंडित हो जायेगी और हम छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जायेंगे, जो कि हममें से कोई भी नहीं चाहता है। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि समय रहते देश को सम्भाला जाय, ऐसी मनोवृत्ति पर रोक लगाई जाय। चेतावनी के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने देश की एकता को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस पृथकतावादी मनोवृत्ति के ऊपर हम नियंत्रण करें और इस पृथकतावादी मनोवृत्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगायें। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिये, कौन से उपाय काम में लाने चाहियें, यह एक दूसरा ही विषय है, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं।

अन्त में मैं यही कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त कर सकता हूं कि हमारी योजना चौराहे पर खड़ी है, इसके लिये थोड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हमें पग उठाने की आवश्यकता है। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूमि अधिग्रहण और जन भावनाएं

हरिद्वार में बनने वाले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए लोक सभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक रखा गया। शास्त्री जी ने इस विधेयक पर ३० अगस्त १९६२ को हुई बहस में विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसमें जनहित की भावना न होकर एक मंत्री के फार्म हाऊस को बचाने का प्रयास है। इस भूमि के लिए किसानों को मुआवजा भी मनमाने ढंग से दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने अपने देश के आर्थिक विकास के लिये जहां कृषि की उपज को और अन्य साधनों को बढ़ाने के लिये कुछ व्रत लिये हैं वहां साथ ही साथ देश के औद्योगीकरण के लिये भी हमने व्रत लिया है। पिछली जो दो पंचवर्षीय योजनायें अभी समाप्त हुई हैं उनमें यह देखा गया कि कृषि की उपज को बढ़ाने के लिये और औद्योगीकरण केलिये जितने भी साधन हैं उनमें आपस में टकराव की स्थिति अब तक नहीं आई। यह पहली बार ऐसी स्थिति है कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने जा रही है, उसके पहले चरण पर ही एक ऐसा विधेयक इस सदन में उपस्थित किया गया है जिससे आपस में टकराव की आशंका है।

मैं बड़ी नम्रता से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कुछ ऐसी आदत धीरे-धीरे पड़ती चली जा रही है कि सामान्य निर्वाचनों के बाद जो पहला वर्ष होता है उसमें जो विधेयक उपस्थित किये जाते हैं या जो टैक्स लगाये जाते हैं वे ऐसे होते हैं जो सामान्य जनता के कन्धों पर अधिक बोझ बनते हैं। इसी आधार पर इस विधेयक को सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् उपस्थित भी किया गया है। इसका सामान्य नागरिकों, विशेषकर कृषकों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा वह भयंकर होगा। यह मेरा अपना अनुमान है और मैंने कई स्थानों पर इस प्रकार के दृश्य भी देखे हैं।

नए कारखाने गांवों को उजाड़ देते हैं

अभी हरिद्वार के निकट एक बहुत बड़ा हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना, भोपाल जैसा, बनने जा रहा है, जिसके लिये जमीन उपलब्ध करने में दस पन्द्रह गांवों को उजाड़ा जायेगा। पिछले दिनों जब मैं उस तरफ गया तो किसानों के प्रतिनिधि मेरे पास आये और उन्होंने सारा हाल बताया। उन्होंने सरकार को कई ज्ञापन भी इस विषय में दिये हैं और एक ज्ञापन उन्होंने मुझे भी दिया। मैंने स्वयं वहां जाकर अपनी आंखों से उसे देखा भी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन दस पन्द्रह गांवों को उजाड़कर यह कारखाना बनाया जाएगा और जिसका हजारों किसान परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा, उन्हीं गांवों के समीप उसी जमीन से लगता हुआ एक बहुत बड़ा फार्म है, जिसमें दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, उस जमीन पर क्यों यह कारखाना नहीं बनाया जाता? लेकिन वह फार्म एक मिनिस्टर का है और हमारी सरकार की यह नीति बनती जा रही है कि वह जब भी हाथ डालती है तो गरीब और निर्धन व्यक्तियों पर हाथ डालती है, सम्पन्न व्यक्तियों को स्पर्श नहीं करती।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि जिन गांवों को उजाड़ कर उनके स्थान पर यह हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना बनाया जा रहा है, उसके ही पास में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सड़क बनाने के लिये जमीन ली है और उसका कम्पेन्सेशन दिया है। उस कम्पेन्सेशन में और जो कम्पेन्सेशन हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कारखाने के लिये ली गयी जमीन के लिए दिया गया है बहुत बड़ा अन्तर है। तो उन किसानों का कहना है कि हमको उसी हिसाब से उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाए जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस जमीन के लिए दिया है जो कि सड़क के लिये ली गई थी। अगर ऐसा भी नहीं किया जाता तो इस जमीन की बगल में जो खाली जमीन है वह हमको दे दी जाए, और अगर ऐसा भी नहीं किया जाता है तो बजाय इसके कि इन गांवों को उजाड़ा जाये, जो एक बड़ा फार्म इस जमीन के निकट है उस पर यह कारखाना बना दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा सरकार निर्धन और गरीब आदमियों पर ही हाथ डालती है और उसी पृष्ठभूमि में यह विधेयक भी इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

किसानों की हिस्सेदारी हो

विधेयक में, उसको थोड़ा नरम दिखाने के लिए, कोआपरेटिव सोसाइटीज की भी चर्चा की गई है कि उनके बनाने के लिए भी इस प्रकार की भूमि एक्वायर की जाएगी और उस भूमि पर अधिकार किया जाएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देंगे कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिए जिन भूमियों पर अधिकार किया जाएगा उन किसानों का उन कोआपरेटिव सोसाइटीज में क्या भाग होगा, या जिस कारखाने के लिए उनकी भूमि ली जायेगी उस कारखाने में उनका क्या भाग होगा जिससे कि वे अपना और अपने परिवार का सुख के साथ पालन कर सकें। लेकिन इस प्रकार का कोई आश्वासन इस बिल में नहीं है।

एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ज्ञापन बनाते हैं तो जनतंत्र की दुहाई देते हैं और समाजवादी समाज की रचना का नारा लगाते हैं। लेकिन क्या कृषि मंत्री अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि यह विधेयक समाजवादी समाज रचना में सहायक हो सकता है और इसमें जनता की भावनाओं का निरादर नहीं होगा। परसों से इस विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। मैंने सुना है कि जहां कृषि मंत्री महोदय और अनेक विषयों के ज्ञाता हैं वहां जन-भावनाओं के भी ज्ञाता हैं। यदि वह जन-भावनाओं का सचमुच आदर करते हैं तो जो विचार इतने सदस्यों के मस्तिष्कों से निकले हैं उनको देखते हुए इस विधेयक को भविष्य के लिये स्थगित कर दें, और यदि इतने भाषणों को सुनने के पश्चात् भी वह इस विधेयक को स्वीकृत कराते हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे इन शब्दों को कहने की आज्ञा दें कि जन की भावनाएं इससे निकल जाएंगी और केवल तंत्र की भावना इसमें रह जाएगी और जो शासन तंत्र मात्र बन कर ही चलाए जाते हैं वे निरंकुश होते हैं और किसी देश के लिये निरंकुश शासन सुख का कारण नहीं हो सकता।

इसलिए, मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास कराने में जल्दबाजी से काम न लिया जाये और जनता की राय जानने के लिए इसको प्रचारित किया जाए और इस समय इस विधेयक को स्थगित किया जाये। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना पर अन्धाधुन्ध खर्च रोका जाय

तीसरी योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी रिपोर्ट पर १० दिसम्बर १९६३ को लोक सभा में विचार किया गया। शास्त्री जी ने अनेक मुद्दे उठाते हुए योजना को मूर्तरूप देने के लिए मितव्ययिता पर बल दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी रिपोर्ट पर जो वक्तव्य अब तक दिये गये हैं और उस रिपोर्ट को जहां तक मैंने पढ़ा है उससे कुछ विशेष सुझाव जो मेरे मस्तिष्क में आये हैं वह मैं यहां देना चाहता हूं।

हिन्दी भाषा की उपेक्षा

पहली बात तो मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कोई शासन या कोई योजना तब तक लोकप्रिय नहीं हो सकती जब तक कि इस देश की जनता को उसकी भाषा में वह चीज न पहुंचायी जाय। तृतीय पंचवर्षीय योजना की मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी रिपोर्ट को देखने के बाद मेरा मन मस्तिष्क इस बात को कहने का साहस कर रहा है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से जो यत्न अपेक्षित थे वह अब तक नहीं किये गये। यह बात न केवल क्षेत्रीय भाषाओं के लिये ही लागू होती है अपितु संविधान में जिसको कि राज भाषा का पद दिया गया है उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो यत्न यथा शीघ्र अपेक्षित थे, उस दिशा में भी बहुत न्यूनता रही है।

अभी जब इस तरह का एक विधेयक आया था तो हमारे पहले गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि अब दूसरी बार इस प्रकार का विधेयक सम्भव है लाने की आवश्यकता न पड़े और यह दस वर्ष भी जो हम ले रहे हैं उस अवधि में भी हम यत्न करेंगे। इस बात का वार्षिक निरीक्षण होता रहे कि हमने उस दिशा में कितनी प्रगति की है। मेरी अपनी जानकारी इस प्रकार की है कि उस प्रगति को जांचने के लिए जो समिति निर्धारित की गई है उसमें सब ही प्रान्तों के मुख्यमंत्री रखे गये हैं। केन्द्र के गृहमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। एक, दो और सरकारी अधिकारी भी उसके अन्दर हैं। लेकिन एक सामान्य सी बात है और संसद इस बात को अच्छे तरीके से जानती है कि प्रान्तों के मुख्य मंत्री वर्ष में कितनी बार एक साथ सब एकत्रित हो सकते हैं? और वह एकत्रित होकर किस प्रकार से कितनी प्रगति राज भाषा की हो रही है और उसके लिये भी जो १० वर्ष की अवधि हमने ली है उस समय तक भी हम उसको राजभाषा के उच्च आसन पर पूर्णतया आसीन कर सकेंगे, इसमें कितना संदेह है, यह इसी से प्रतीत होता है कि उसकी प्रगति को देखने के लिए जो समिति बनाई गई थी वैसे उस कमेटी का कोई मूल्य नहीं है। हां, यदि संसद के कुछ सदस्य उस समिति में रहते, राज्य सभा और लोक सभा के कुछ सदस्य उसमें रहते और उनके अतिरिक्त देश के कुछ और गण्यमान्य व्यक्ति जिन्होंने कि हिन्दी को राजभाषा के पद तक पहुंचाने का यत्न किया है, वह उसकी प्रगति को देखते और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को देते तो यह बात व्यावहारिक हो सकती थी।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जहां मैं राज भाषा हिन्दी के लिए यह कह रहा हूं वहां साथ ही साथ उसी से मिलती हुई शिकायत संस्कृत के बारे में भी करना चाहता हूं। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले शिक्षा मंत्री डा. श्रीमाली ने संस्कृत के विकास के लिए कुछ लाख रुपये तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये थे। उसमें विशेष रूप से गुरुकुलों जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी लगभग ९ लाख रुपये उनको सहायता के लिए रखे गये। परन्तु इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को जितना अधिक प्रोत्साहन स्वतंत्र भारत में मिलना चाहिए था और उस दृष्टि से जितना ध्यान उनका रखा जाना चाहिए था, मेरा अपना अनुमान है कि सरकार उसमें हाथ बंद करके जैसे कार्य कर रही है, उससे न तो गुरुकुल ही पूरी तरह पनप पायेंगे और न संस्कृत का ही स्वतन्त्र विकास हो पायेगा। परसों जिस प्रकार से कि यहां एक विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा चल रही थी कि संस्कृत जो सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, जितनी प्राथमिकता उसे मिलनी चाहिए थी उतनी प्राथमिकता नहीं मिल पायी है। मैं चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी रिपोर्ट पर विचार करते समय हमें इस सत्य को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए।

सरकारी अपव्यय रोका जाय

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी धन के अपव्यय के सम्बन्ध में, जिस समय हम अपने राज्य की रामराज्य से तुलना करते हैं, या गांधी जी को अपना आदर्श मान कर चलते हैं, वहां हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि हमारा आदर्श एक इस प्रकार का संत था जो गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लेने लन्दन गया तो वह वहां भी अपनी उसी प्रतिदिन की सामान्य व्यवहार की वेश-भूषा में गया। जब किसी ने यह कहा कि आप जा रहे हैं ऐसे स्थान पर कि जहां आप को दरबारी परम्परा के नाते पैरों तक कम से कम कपड़ा ढकना चाहिए तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैं उस गरीब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां आया हूं जहां कि आज भी करोड़ों व्यक्ति इस प्रकार के हैं जिनको कि शरीर को ढकने के लिए पूरा कपड़ा देश में नहीं है। मैं तो अपने देश की वास्तविक स्थिति का चित्रण करने आया हूं, मैं अपने शरीर को ढक कर कोई प्रदर्शन करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं।

उस गांधी की सरकार या उनका नाम लेकर संसार को प्रभावित करने वाली सरकार, उसके द्वारा जनता के धन का अपव्यय की स्थिति क्या है, इसका इसी से अनुमान लगाइये कि जिस सरकार ने विदेशों से इतना रुपया ऋण ले रखा है, अपने देश पर टैक्स पर टैक्स लगा कर इतना रुपया पिछली दो योजनाओं में खर्च कर चुकी है, उसके द्वारा होने वाले व्यय का एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। अब तक हमारे देश पर जो विदेशों का ऋण है वह २८ फरवरी, १९६३ तक जिसको कि हम अपनी योजनाओं में लगा चुके हैं वह १८८०.१ करोड़ है। जिसको अब तक हम प्रयोग कर चुके हैं और जिस ऋण के ऊपर १९८.७१ करोड़ रुपया केवल सूद के रूप में दे चुके हैं। बाहर से ऋण लेकर जब हम उससे भारी दब चुके हैं ऐसी स्थिति में भी फिर उस धन का दुरुपयोग करना और उस धन का सदुपयोग न करना यह भारतीय जनता के साथ और अगली पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने एक बार पहले भी यह कहा था कि नीति शास्त्र में यह लिखा हुआ है :

'ऋणकर्त्ता पिता शत्रु।"

जो पिता अपनी संतान पर अपना ऋण छोड़ कर जाता है वह संतान के साथ बहुत बड़ा अन्याय

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करता है। हमने अपने देश को इतना ऋणी बना दिया है और ऋणी बनने के साथ ही जो अभी हम और लेते जा रहे हैं, तथा जिस शर्त पर वह मिल सकता है, हम उसे ले लेते हैं और फिर उस ऋण का उपयोग कैसे करते हैं यह भी जरा देखें।

अन्धाधुन्ध खर्च

मैं बहुत लम्बी चौड़ी बातों में नहीं जाना चाहता कि विदेशों में जो हमारे राज दूतावास हैं, उनके द्वारा किस प्रकार धन का अपव्यय होता है, उन चर्चाओं को छोड़ कर किस तरीके से रूस में हमारे जो एक राजदूत पहले थे जिन्होंने अपना घर सजाने के लिए स्टाकहोम से फर्नीचर हवाई जहाज से मंगाया था। अभी हाल की एक घटना, उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा सरकार के सामने रखते हुए कहना चाहता हूं कि इस समय जो रूस में हमारे राजदूत हैं उनको कुछ लैम्पशेड्स की जरूरत पड़ी। उन्होंने उसके लिए भारत सरकार को लिखा कि ८ लैम्पशेड्स उनके लिए भारत से भेजे जायें। अच्छी सिल्क और कागज के बने हुए लैम्पशेड्स यहां जो सेंट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज इम्पोरियम है, वहां से २१ मई, १९६३ को २४७.६० नये पैसे में खरीदे गये और चूंकि उनको जल्दी भेजना था तो १४० रुपया उनके ऊपर पैकिंग का खर्च आया और जब वह हवाई जहाज से भेजे गये तो ११४४.३ नये पैसे किराये पर खर्च किये गये। बल्कि जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक यह पैसा बेचारे एयर इंडिया वालों को मिल भी नहीं सका है, क्योंकि अभी तो वह झगड़े में पड़ा हुआ है।

यदि विदेशों में हमारे राजदूत सरकारी धन का इस प्रकार स दुरुपयोग करें, छोटी-छोटी चीजों पर इतना रुपया व्यय करेंगे और सरकार आँख मूंद कर रुपया देती रहेगी, तो इस गरीब देश के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। खास तौर से एक ऐसे देश में हमारा प्रतिनिधि बैठता है, जिसके एक राजदूत के विषय में मुझे एक बात याद आती है। जिस समय डा. राजेन्द्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति हुए, तो उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में जो आयोजन किया गया था, उसमें हमारे देश में रूस का जो उस समय राजदूत बुश-शर्ट पहने हुए था, वह कमर से फटी हुई थी और सिली हुई थी। उसकी बगल में बैठे हुए किसी भारतीय ने उसको पूछा "क्या तुमको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि तुम भारत के राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित समारोह में आये हो? क्या तुम कोई अच्छी बुश-शर्ट पहन कर नहीं आ सकते थे?" रूसी राजदूत ने उत्तर दिया, "यह तो एक फटा कपड़ा है, जिसको सिला कर मैंने ठीक कर लिया है। यदि मेरे देश की सरकार मुझे और कम पैसा देती तथा बुश-शर्ट पहनने के बजाये जूट की लंगोटी लगा कर राष्ट्रपति की दावत में आना होता, तो मैं ऐसा करने में सौभाग्य अनुभव करता, क्योंकि मेरे देश की सरकार ने इतना ही व्यय करने की अनुमति मुझे दी है।"

एक तरफ तो उस समृद्धिशाली देश के राजदूत हैं और दूसरी तरफ हमारे गरीब मुल्क के यह प्रतिनिधि हैं जो कि २४७ रुपये के लैम्प शेड के लिए ११४४ रुपये एयर इंडिया के किराये पर खर्च करते हैं।

सरकार की लालफीताशाही

इसी तरह सरकार की लाल फीताशाही का दुष्परिणाम भी हमारे औद्योगिक विकास पर बड़ा पड़ रहा है। मुझे खुशी है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री इस समय यहां हैं। १९६१-६२ में हमारे देश में दूसरे

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देशों के सहयोग से, जो सरकारी उद्योग चल रहे थे, उनकी संख्या ४३६ थी। लेकिन अब जिस तरह से हम ने टैक्सों पर टैक्स लगा कर विदेशों के पूंजी लगाने वालों के लिए कठिनाइयां पैदा कर दी हैं और इसके अतिरिक्त भी हमारे यहां जो लालफीताशाही का चक्कर है—जिसके बारे में पश्चिमी जर्मनी के उद्योग प्रतिनिधि मंडल के नेता ने, जो कि इस देश में आया था, चलते समय कहा था कि भारत में पैसा लगाने की हमारी इच्छा इसलिए मौन होती जा रही है कि एक तो यहां पर इतने फार्म भरने पड़ते हैं कि उसी में हम परेशान हो जाते हैं और दूसरे, यहां पर निर्णय देर से होते हैं-, उसका परिणाम यह है कि विदेशी साझीदारों की संख्या ४३६ से घट कर १९६२-६३ में २५९ रह गई है।

यह हमारे देश के लिए शोभा की बात नहीं है—ऐसे गरीब देश के लिए, जिसको दूसरे देशों के पैसे को आमंत्रित करना चाहिए और इतनी सुविधा देनी चाहिए कि वे आकर हमारे देश के उद्योगों में पैसा लगायें। लेकिन इसके बजाय हम अपनी नीतियों से ऐसी स्थिति न बना दें कि उनको पैसा लगाने से घृणा हो जाये और वे उदासीन हो जायें।

परिवार नियोजन

जहां तक परिवार-नियोजन का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जनसंख्या में एक करोड़ वार्षिक की वृद्धि हो रही है, जो कि किसी भी देश के लिए चिन्ता का विषय है। पहली योजना में हमने जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए ७० लाख रुपया लगाने का निश्चय किया। दूसरी योजना में हमने ३ करोड़ रुपया खर्च करने का निश्चय किया और तीसरी योजना में हमने २७ करोड़ रुपया खर्च करने का निश्चय किया। यह २७ करोड़ रुपया अगर बांटा जाये, तो एक व्यक्ति के हिस्से में ६३ नये पैसे पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि जितना रुपया खर्च करना भी चाहिए था, हम इन तीन वर्षों में उसमें से केवल ५ करोड़ रुपये, अर्थात् २० प्रतिशत भाग ही, व्यय कर पाये हैं और अभी तक ८० प्रतिशत भाग ऐसा है, जिसको व्यय नहीं कर पाये हैं। जनसंख्या में वृद्धि एक ऐसा चिन्तनीय विषय है, जो कि देश के हर एक व्यक्ति को परेशान कर रहा है। इसलिए सरकार कम से कम इतना तो करे कि इसके लिए जितना भी रुपया रखा गया है उसको उचित और व्यवस्थित ढंग से खर्च करे।

समान विवाह संहिता

योजना मंत्री को मैं नम्रता और गम्भीरता से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि परिवार नियोजन से सम्बन्धित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी अगर सरकार इसी प्रकार उपेक्षा करती रही, तो फिर किसी दिन एक भयंकर प्रश्न उसके सामने विकराल रूप में खड़ा हो सकता है। यदि सरकार इस देश में परिवार-नियोजन की प्रणाली को चालू करना चाहती है, तो उसको विवाहों की भी एक सामान्य पद्धति चालू करनी होगी। एक समुदाय के व्यक्तियों को तो यह अधिकार दे दिया जाये कि वे चार-चार विवाह कर सकते हैं और दूसरे समुदाय के व्यक्तियों पर इस बारे में प्रतिबन्ध लगाया जाये।

इस भेदभाव का परिणाम यह हुआ है कि १९६१ के जन-गणना में एक बड़ा और मुख्य समुदाय अपनी १९५१ की आबादी से ४ प्रतिशत घट गया है और एक समुदाय में जिसे विवाह के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं, २८ से लेकर ३८ प्रतिशत तक उसकी वृद्धि हुई है। यदि इस बात को यों ही एक सामान्य बात कहकर छोड़ दिया गया, तो फिर किसी समय एक भयंकर विस्फोट होगा, जिसको सरकार नहीं रोक

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सकेगी। परिवार-नियोजन के प्रश्न पर विचार करते समय इस गम्भीर प्रश्न को भी आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए। (Interruption) वह कुछ भी कह दें, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

बढ़ती बेरोजगारी

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं बेरोजगारी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। जब पहली पंच-वर्षीय योजना प्रारम्भ हुई थी, तो हमारे देश में ४० लाख के लगभग बेकार थे। पहली पंचवर्षीय योजना जब समाप्त हुई, तो ५३ लाख बेकार थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब समाप्त हुई, तो ९० लाख लोग बेकार थे और तीसरी योजना की अब तक की इस अवधि में लगभग १७० लाख बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है। यद्यपि इस योजना में कृषि-कार्यों में लगाने के लिए ४५ लाख और अन्य कार्यों में १०५ लाख लोगों को लगाने का विचार है, लेकिन फिर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ३० लाख लोग बेकार रह जायेंगे।

तीसरी योजना के पहले दो सालों में यदि ३५ लाख लोगों को काम पर लगा भी दिया जाये, जो कि समूची योजना-काल के लिए निश्चित संख्या का एक-तिहाई है, तो भी सरकार ने जो अनुपात निश्चित किया है, वह पूरा नहीं हो सकेगा। योजना आयोग के एक बुद्धिमान सदस्य डा. वी.के.आर.वी. राव का कहना है कि अगर बेरोजगारों की संख्या इसी तरह से बढ़ती गई, तो पांचवीं योजना के अन्त में भारत में ९ करोड़ बेरोजगारों की फौज तैयार हो जायेगी और वे ९ करोड़ आदमी, जिनके सामने रोटी-कपड़े का प्रश्न खड़ा होगा, किसी भी समय इस देश में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।

यदि सरकार चाहती है कि इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न न हो, इस प्रकार की गम्भीर समस्या देश के सामने उपस्थित न हो, तो वह अभी से इस प्रश्न के समाधान करने का निश्चय करे, जिससे बेरोजगारों की स्थिति बिगड़ती न चली जाये।

कृषि नीति व्यावहारिक बने

अन्त में कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। देखा यह जा रहा है कि १९५५ से लेकर १९६३ तक कृषि-उत्पादन में धीरे-धीरे घटोतरी होती चली जा रही है। कोई वृद्धि नहीं है। पुराने आंकड़ों को मैं नहीं लेता हूं। अभी हाल ही के आंकड़ों को मैं आपके सामने उपस्थित करता हूं। १९६१-६२ में चावल की उपज ३,४० लाख टन थी और १९६२-६३ में वह घट कर ३,१० लाख टन हो गई है, यानी ३० लाख टन चावल का उत्पादन कम हुआ। १९६१-६२ में गेहूं १,१९ लाख टन देश में पैदा हुआ, जब कि १९६२-६३ में वह घट कर १,०९ लाख टन रह गया, यानी १० लाख टन गेहूं का उत्पादन कम हुआ। खाद्यान्नों का जो सम्मिलित सूचक अंक दिया गया है, वह १९६१-६२ में १३७.५ था और १९६२-६३ में १३१.३ हो गया है। यदि १९६५ तक दस करोड़ टन का लक्ष्य पूरा करना हो, तो जो दो वर्ष शेष रह जाते हैं, उनमें प्रति वर्ष ७० लाख टन के हिसाब के उत्पादन बढ़ाना होगा, जो कि सर्वथा असम्भव है।

मेरा विचार है कि कृषि के सम्बन्ध में जितनी भी योजनायें बनाई जाती हैं, उनको व्यावहारिक रूप नहीं मिल पाता है। खाद्य स्थिति पर चर्चा के समय भी मैंने कहा था कि खाद्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जितनी योजनायें बनाते हैं, नीचे तक वे योजनायें पूरी नहीं पहुंच पाती हैं। बीच में जो मशीनरी है, वह सरकार की नीतियों को व्यावहारिक रूप नहीं देती। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार अपना निर्णय लेने से पहले अपनी मशीनरी को ठीक करे। अगर सरकार की मशीनरी ठीक हो और वह सरकार की नीतियों को ठीक से व्यावहारिक रूप दे सके तो मेरा अनुमान है कि कृषि के सम्बन्ध में पन्द्रह वर्षों के बाद भी आज जो हमको शर्म से गर्दन झुकानी पड़ती है, उस स्थिति का हम समाधान कर सकेंगे।

मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूं कि सरकार यहां से तो यह तय कर देती है कि सिंचाई विभाग कृषि विभाग के साथ मिल कर चलेगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज खाद किसान को मिल जाता है, और वह उसको अपने खेत में डाल देता है और उम्मीद करता है कि कल उसको ट्यूबवैल से पानी मिलेगा। लेकिन जब उसको समय पर पानी नहीं मिलता है तो चूंकि वह खाद गर्म होता है, इसलिये वह किसान के खेत को और उल्टा जला देता है। जब सरकार खाद देती है, तो उसके साथ-साथ उसको पानी की भी तो व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार का एक अंग तो सुविधा देता है पर उसका दूसरा अंग उस सुविधा को वापिस ले लेता है। इसी प्रकार से सरकार द्वारा कृषि के सम्बन्ध में दी गई अन्य सुविधायें भी बीच में ही अटक कर रह जाती हैं।

मैं आशा करता हूं कि तीसरी पंच वर्षीय योजना की मध्यावधि मूल्यांकन के समय इन तमाम बातों को ओझल नहीं किया जायेगा और सरकार इनके बारे में गम्भीरता से कुछ निर्णय लेगी। ❑

एक बड़ी बात जिसको मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं और बलवती भाषा के अन्दर कहना चाहता हूं, यह है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि स्वतन्त्र होने के बाद से ईश्वर और धर्म से हमारी नई पीढ़ी की आस्था समाप्त की जा रही है। अब तक हमारे देश में भ्रष्टाचार की समाप्ति में जो बहुत बड़ा योग दिया था वह हमारी सामाजिक परम्पराओं ने, हमारी उन भावनाओं ने जो हमको पूर्वजों से वसीयत के रूप में मिली थीं, दिया था। आज व्यक्ति के मस्तिष्क से ईश्वर का डर उठ गया है, धर्म का डर हट गया है। जब ईश्वर और धर्म का डर हट गया तो समाज और सोसाइटी का शासन का डर क्या रहना था। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बात का दायित्व अपने कंधों पर ले और प्रयत्न करे कि हमारे स्कूलों और कालेजों में, सामाजिक संगठनों में धार्मिक परम्पराओं को समाप्त न होने दिया जाय। देखने में आ रहा है कि प्रगति के नाम पर, ईश्वर और धर्म से नाक भौं सिकोड़ने की प्रवृत्ति नई पीढ़ी में ही नहीं बल्कि हमारे देश में बड़े लोगों में भी आरम्भ हो रही है। इसका परिणाम यह है कि नीचे के स्तर पर वह भावना समाप्त होती जा रही है। यह जो पीढ़ी अब चल रही है इसमें फिर भी कुछ थोड़े बहुत अंश में ईश्वर और धर्म में आस्था है। लेकिन अगर यही प्रवृत्ति चलती रही और गवर्नमेंट का यही रुख रहा तो मैं कहना चाहता हूं कि आज से पन्द्रह वर्ष बाद का जो भारत होगा, वह ईश्वर और धर्म को भूल चुका होगा। उस समय भारत में भ्रष्टाचार को गवर्नमेंट के डंडे से कभी नहीं रोका जा सकेगा। गवर्नमेंट का डंडा प्रत्यक्ष अपराध को कभी नहीं रोक सकता।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारी खर्च पर नियंत्रण हो

सन् १९६५-६६ के आम बजट पर हुई बहस में, जो २४ मार्च १९६५ को हुई थी, शास्त्री जी ने पुनः इस बात को रेखांकित किया कि सरकार करों से प्राप्त धन को निरुपयोगी कार्यों में बड़ी बेरहमी से खर्च करती है, इस पर अंकुश लगना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों पर कुछ भी कहने से पूर्व संसद के लिए नवनिर्वाचित, भारतीय राजनीतिक अनुभवी जानी बूझीं और सूझबूझ वाली महिला, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित को, उनके भाषण पर मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण से जहां यह सिद्ध कर दिया है कि पार्टी से देश बड़ा होता है वहां साथ ही साथ उन्होंने सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का भी इस विषय में मार्गदर्शन किया है कि सदन से बाहर जो वह बात कहते हैं उन्हीं बातों को निर्भीकता के साथ इस सदन में भी देश की रक्षा के नाम पर कहना चाहिए।

कमरतोड़ महंगाई और टैक्स

जहां तक बजट के प्रस्तावों का सम्बन्ध है तीसरी योजना जिस समय बनी थी उसमें ११०० करोड़ रुपये के टैक्स तीसरी योजना में लगने थे। लेकिन योजना के पहले चार वर्षों में ही २०५० करोड़ रुपये के कर इस देश पर लगा दिये गये जोकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के कुल पांच वर्षों में लिये जाने वाले करों से दुगुने थे। अब इस कमरतोड़ महंगाई में जबकि देशवासियों में इतनी शक्ति नहीं रही है कि वह और किसी प्रकार का कर दे सकें, तब वित्त मंत्री ने यह कहा कि अब कोई नया टैक्स इस प्रकार का नहीं लगेगा कि जो जनसाधारण को प्रभावित करे।

मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी दया सरकार की नहीं है जबकि पिछले चार वर्षों में ही दुगुने टैक्स यह सरकार ले चुकी है। एक नया प्रकार जो इस वर्ष वित्त मंत्री ने सदन और देश के सामने प्रस्तुत किया वह यह है कि दस दिन पहले दस प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई और दस दिन के बाद फिर जो बजट प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित किये उनमें बजट को बचत का बजट दिखा कर यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि इस बार का बजट और वर्षों के बजटों की अपेक्षा कुछ विशेष बचत का है। मैं समझता हूं कि दस दिन के अन्दर कोई विशेष ऐसी आपात्कालीन स्थिति नहीं आने वाली थी। अगर दस दिन के बाद ही इसकी घोषणा की जाती तो भी स्थिति में कोई विशेष अन्तर न होता।

सरकार का पातालफोड़ कुंआ

यह सरकार अपने व्ययों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकी है। यदि मैं मोटी भाषा में कहूं, तो यह कह सकता हूं कि इस सरकार ने अपने खर्च के लिए एक पाताल-फोड़ कुंआ बना रखा है, जिसमें ऊपर से जितना डाल दिया जाये, वह नीचे से निकल जायेगा। जब तक इस प्रवृत्ति पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगेगी, तब तक हम इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।

इस बजट में २१६ करोड़ रुपये का व्यय रखा गया है, जिसमें से ११७ करोड़ रुपये रेवेन्यू

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक्सपेंडीचर और ९९ करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडीचर है। वित्त मंत्री ने इस रकम का विभाजन इस प्रकार किया है कि ८१ करोड़ रुपया पब्लिक सैक्टर के प्रोग्रामों के लिए, ९१ करोड़ रुपया राज्यों को केन्द्र से सहायता देने के लिए और ४४ करोड़ रुपया हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए।

इसमें जहां तक सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय होने वाले रुपयों का सम्बन्ध है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। यदि वित्त मंत्री देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा की दृष्टि से इस रकम में और भी वृद्धि करते तो भी शायद उनको साधुवाद ही दिया जाता। लेकिन जहां तक राज्य सरकारों को सहायता देने का प्रश्न है, जब स्वयं वित्त मंत्री इस सदन में और इस सदन से बाहर इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य सरकारों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तब उनको सहायता देने के लिए इतना व्यय बता देना और उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होना देश पर एक बहुत बड़ा बोझ लादना है।

मैं इस सदन में जिस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं, इस सम्बन्ध में मैं उसी का (उत्तर प्रदेश का) उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पैंतीस हजार अध्यापक आज हड़ताल पर हैं। उनके सामने यह प्रश्न है कि अपनी जीविका के लिए उनका वेतन-मान बढ़ाया जाये। उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र का नाम लेकर उस प्रश्न को टाल देती है। वित्त मंत्री इस ९१ करोड़ रुपये में से कुछ करोड़ रुपया उस उत्तर प्रदेश सरकार को भी देंगे, जिसने एक ओर तो इस वर्ष यह घोषणा की है कि दसवीं श्रेणी तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क होगी—लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क हो, इसका मैं विरोधी नहीं हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि यह होना चाहिए—पर दूसरी ओर वह पढ़ाने वालों के पेट को पूरी रोटी देने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि राज्य सरकारों के इस प्रकार के कार्यों पर केन्द्र का कोई नियंत्रण न हो और उनके व्यय बराबर इस तरह आदर्शवाद में बढ़ते चले जायें, तो वित्त मंत्री कब तक ऐसे प्रस्ताव को उपस्थित कर सकेंगे और कब तक देश इन व्ययों को सहन करता चला जायेगा?

डेपुटेशन की बीमारी

इसी प्रकार मैं केन्द्र के व्यय का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एस्टीमेट्स कमेटी ने सरकार को एक नोट दिया था कि डेपुटेशन एलाउंस देने की दुष्प्रवृत्ति बहुत बढ़ती चली जा रही है। यदि किसी विभाग में कोई वांछित योग्यता का व्यक्ति नहीं है और बाहर से कोई व्यक्ति डेपुटेशन पर बुलाया जाता है, तब तो वह बात समझ में आती है, लेकिन यह प्रवृत्ति यहां तक बढ़ गई है कि एक ही विभाग में, एक ही मेज पर बैठ कर काम करने वाले व्यक्ति का केवल पद बदल दिया जाता है और वह अपने वेतन से बीच से पच्चीस प्रतिशत तक अधिक वेतन लेने लगता है।

जिस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी ने बहुत दिन पहले चेतावनी दी थी, उसी का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार से डेपुटेशन एलाउन्स दिया जाता है, उनके साथ काम करने वाले दूसरे अन्य कर्मचारियों में हीनता और असन्तोष की भावना पैदा हो रही है। यह प्रवृत्ति यहां तक बढ़ गई है कि केवल ऊंचे स्तर के अधिकारियों—सेक्रेटरी या ज्वायंट सेक्रेटरी—अथवा नीचे के अधिकारियों—डिपुटी सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी—तक ही बात सीमित नहीं है, बल्कि स्टेनोग्राफर, क्लर्क और चपरासी तक को भी डेपुटेशन पर रखा जा रहा है।

अगर सरकार अपने व्ययों पर नियंत्रण नहीं करेगी और जो करोड़ों रुपया वह आज बहा रही है,

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यदि वह इसी प्रकार से उनको देती चली जायेगी, तो देश कैसे बराबर इस बात को सहन करेगा?

पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने अपनी १९६४-६५ की २७वीं रिपोर्ट में सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि कुछ व्यापारियों की तरह बजट में ओवर-एस्टीमेट और अंडर-एस्टीमेट करने की सरकार की भी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। सरकार बजट प्रस्तुत करते समय प्राप्ति कम दिखाती है और व्यय अधिक दिखाती है और साल के अन्त में बचत दिखा कर उससे अपनी प्राप्ति और कार्यकुशलता का परिचय देती है।

उदाहरण स्वरूप मैं एक ही बात यहां कहना चाहता हूं। गत वर्ष २३९ करोड़ रुपये की जो कुल बचत बताई गई, उसमें सरकार द्वारा लगाए गए १९० करोड़ रुपये के नए कर भी सम्मिलित थे। यदि ये १९० करोड़ रुपये के नये कर न लगाये गये होते, तब भी इस देश को ४९ करोड़ रुपये की बचत शुद्ध रूप से हो सकती थी। मैं समझता हूं कि अपनी कुशलता दिखाने के सरकार के इस ढंग और सरकारी आंकड़ों के इस जादू के बारे में इस सदन को और देश को सावधान होना पड़ेगा।

जहां तक करों का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में ४३०० रुपये तक छूट देने की घोषणा की है। लेकिन अगर छूट की सीमा को ४३०० रुपये से बढ़ा कर ५००० तक कर दिया जाये, तो उससे भी देश को कुछ राहत मिल सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस देश में कुल मिला कर १४ लाख के लगभग करदाता हैं, जिन में से ५ लाख व्यक्ति वे हैं, जो ५००० रुपये की सीमा के अन्तर्गत आते हैं और जो तीस, चालीस रुपये के लगभग ही कर देते हैं। अगर वित्त मंत्री ४,३०० रुपये की छूट की सीमा को बढ़ा कर ५००० रुपये कर दें, तो उसका अभिप्राय यह होगा कि १४ लाख करदाताओं में से ५ लाख की संख्या निकल जायेगी और इसका सबसे बड़ा लाभ यह हो सकेगा कि सरकार की टैक्स वसूल करने वाली मशीनरी बाकी के ९ लाख करदाताओं पर अधिक शक्ति लगा सकेगी। वित्त मंत्री ने पीछे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पिछले करों का बकाया लगभग २०० करोड़ रुपये है। करदाताओं की संख्या में इस प्रकार कमी हो जाने पर उस बकाया की प्राप्ति में भी इस मशीनरी का उपयोग किया जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय इस पर अवश्य विचार करें।

देश पर ऋणों का भारी बोझ

जहां तक विदेशी ऋणों का सम्बन्ध है, इस समय हमारे देश पर संसार के २४ देशों के ऋण हैं। १९५०-५१ में सब मिला कर ऋण ३५ करोड़ रुपये के लगभग थे, लेकिन १९६४ के अन्त में सब मिलाकर ये ऋण ३००० करोड़ रुपये के लगभग हो गए। इसका अर्थ यह है कि चौदह वर्षों में हमने ८७ गुना ऋण अपने देश पर बढ़ा लिए। इसकी तुलना में हमने सरकारी कार्यों में लगाने के लिए अपने देशवासियों से जो पैसा लिया है, उसमें कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं हुई है—उसमें केवल ढाई से लेकर तीन गुना तक वृद्धि हुई है।

अभी जो इन्टरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स का अधिवेशन हुआ था, उसमें कुछ विदेशी व्यापारियों ने अपनी पूंजी लगाने के सम्बन्ध में कहा था कि प्रायः सभी देशों में दूसरे देशों की पूंजी लगाई जाती है। जर्मनी के एक व्यापारी ने यह भी कहा था कि हमको प्रसन्नता होगी कि अगर हम भारतवर्ष को विदेशी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूंजी का विनियोग करने वाले देशों में पहले नम्बर पर पायें। पर मैं समझता हूं कि हम जो विदेशी पूंजी अधिक मात्रा में आमंत्रित करते जा रहे हैं, कहीं उसका भयंकर दुष्परिणाम यह न हो कि हमारे देश की पूंजी लगाने वाले लोगों में निराशा और उत्साहहीनता की भावना का उदय हो जाये। उन्हें इस प्रकार की सुविधायें अवश्य देनी चाहिए, जिससे वे अधिक से अधिक अपनी पूंजी का विनियोग कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए और हमने केवल विदेशी ऋणों से अपने देश को दबा दिया, तो हम अपनी आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में एक ऐसा असंतुलन पैदा कर देंगे, जो आगे चल कर हमको बहुत महंगा पड़ेगा।

कालेधन की समस्या

अब मैं उस धन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, जिसको बही-खातों में बाहर का धन या मोटी भाषा में काला धन कह कर पुकारा जाता है। एक बार वित्त मंत्री ने हैदराबाद में कहा था कि वह धन २०० करोड़ रुपये के लगभग है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उसके बारे में निश्चित आंकड़े नहीं दिये जा सकते हैं। वह रकम २०० करोड़ रुपये ३०० करोड़ रुपये, ५०० करोड़ रुपये या चाहे कितनी भी क्यों न हो, उसको प्राप्त करने के लिये वित्त मंत्री ने मार्च के अन्त तक ५७ प्रतिशत की सुविधा दी थी। मार्च का महीना अब समाप्ति की ओर है। मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उनकी दी हुई सुविधाओं का कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया है। अगर उनकी आशा के अनुरूप लाभ नहीं उठाया गया है, तो इससे प्रतीत होता है कि उनके उपाय में कोई न कोई न्यूनता अवश्य है।

लेकिन इस छिपे हुए धन को प्राप्त करने से भी अधिक आवश्यक यह है कि लोगों में ऐसा करने की प्रवृत्ति क्यों उदय हो रही है। वित्त मंत्री ८५ प्रतिशत की ऐस्टेट ड्यूटी लेने के बाद भी यह आशा करते हैं कि लोग बही-खाते के बाहर धन नहीं रखेंगे। अब उन्होंने कुछ सुविधायें दी हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल संग्रह की इस प्रवृत्ति को देश में बढ़ावा फिर नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री को इस समस्या के मूल में जाकर कुछ निर्णय लेने होंगे, ताकि इस प्रवृत्ति को फिर प्रोत्साहन न मिले।

बैल्जियम और हालैंड में मैंने सुना है कि इसी प्रकार का धन पीछे बहुत अधिक बढ़ गया था और वहां की सरकार ने इस प्रकार के धन को उपयोग में लाने के लिए कुछ सुविधाएं भी दी थीं। वहां की आवास समस्या को हल करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि जो इस समस्या को हल करने के लिए धन लगायेंगे, मकान बनायेंगे, जो उन पर अपने धन का उपयोग करेंगे, सरकार उनसे टैक्स नहीं लेगी या नाममात्र के टैक्स लेगी। इसी प्रकार से भारत में भी कोई व्यावहारिक मार्ग खोजा जाए, तो उपयुक्त होगा। और जो अवधि इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय ने दी है, उसे भी बढ़ाया जाए।

महंगाई भत्तों की समस्या

अब मैं महंगाई के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। बहुत पुरानी बात मैं नहीं करता हूं। १९६४ के अन्तिम तीन मासों के आंकड़े जो रिजर्व बैंक के हैं वे ही मैं वित्त मंत्री महोदय की जानकारी के लिये आपको सुनाना चाहता हूं। कुल मिलाकर १७.७ प्रतिशत महंगाई १९६४ के अन्तिम तीन महीनों के अन्दर बढ़ी है। जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है महंगाई २३.३ प्रतिशत बढ़ी और कच्चे औद्योगिक साधनों पर २२.५ प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने का आधार यह भी है कि जो हमारे यहां सन् १९६४ के पहले आठ मासों का औद्योगिक उत्पादन था ८.६ था वह घट कर ६.२ हो गया। इससे ही

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आप अनुमान लगा सकते हैं कि महंगाई पर आप कहां तक नियंत्रण कर पाये हैं।

केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को अभी जो महंगाई भत्ता दिया है वह ३० करोड़ रुपये के लगभग जाकर बैठता है। राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दे रही हैं या आगे चल कर देने की व्यवस्था करेंगी। यह भी सारा बोझ उसमें आकर सम्मिलित होगा। यह सब होने के बावजूद जो चौथी पंचवर्षीय योजना है जो कि २१,५०० करोड़ की बनने वाली है, उसको देखते हुए क्या वित्त मंत्री महोदय अधिकारपूर्वक सदन को और सदन के द्वारा देश को यह आश्वासन दे सकेंगे कि वह महंगाई पर किसी प्रकार का नियंत्रण कर पायेंगे? कहां जाकर यह महंगाई रुकेगी? यह सबसे पहली समस्या है जो हल होनी चाहिये। अगर यह महंगाई न रुकी और जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई आज बढ़ती जा रही है वैसे ही यह भी बढ़ती रही और देश को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो मैं नहीं कह सकता हूं कि इस बुरी तरह से बिगड़े हुए आर्थिक तंत्र का आगे चल कर क्या दुष्परिणाम होगा।

नए उद्योग

सरकार की नीतियों के कारण पिछले दो सालों में जो बहुत बड़ी हानि इस देश को उठानी पड़ी है वह यह है कि नए उद्योग 'न' के लगभग ही लग रहे हैं, नए उद्योगों में पूंजी लगाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। इस बात को केवल मैं नहीं कहता, देश के एक उच्च अर्थ शास्त्री श्री जी.एल. मेहता जो आई.सी.आई.सी.आई. के एक मुख्य अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस सम्बन्ध में अभी पीछे एक वक्तव्य दिया था। उसकी ओर हमारे वित्त मंत्री जी का ध्यान गया होगा। उन्होंने भी इसी बात को कहा है।

उधर सरकारी उद्योगों की स्थिति क्या है इसको भी आप देखें। अकेले हिन्दुस्तान स्टील में अब तक आठ सौ करोड़ रुपया और आप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पर उसमें पांच करोड़ रुपये का घाटा है। सरकार इतनी भारी मात्रा में धन लगाये और उसको कुछ लाभ न हो तो इसको कहां तक उचित ठहराया जा सकता है। सिवाय एच.एम.टी. और एंटी बायोटिक्स की कम्पनियों के सरकारी उद्योगों की स्थिति क्या है, इससे सारा देश चिन्तित है।

सरकार को केवल उद्योग लगाने की प्रवृत्ति में होड़ नहीं करनी चाहिये। उद्योग लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि उद्योगों को लगा कर व्यवस्थित रूप से चलाया जाए। यह एक सबसे बड़ी बात है जिसमें आज सरकार फेल होती जा रही है। मैं समझता हूं कि जो स्थिति आज पब्लिक सेक्टर की है, अगर यही सोशलिज्म का समाजवाद का उदाहरण है तो वित्त मंत्री को देश को इस मामले में भी सन्तुष्ट करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है।

भारतीय इंजीनियरों को महत्त्व दें

जितने भी सरकारी उद्योग हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं इनमें एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चाहे हम अमरीका के सहयोग से कोई फैक्टरी खोलें या रशिया के सहयोग से खोलें या जर्मनी के सहयोग से खोलें, प्रयत्न इस बात का होना चाहिये कि भारतीय इंजीनियरों को और भारतीय टेक्नीशियनों को उनमें अधिक से अधिक रखा जाए और उनको शिक्षण भी दिया जाए जिससे वे आगे चल कर उपयोगी सिद्ध हो सकें। अपने शिक्षण का उपयोग देश के लिये कर सकें। बोकारो कारखाने के अन्दर दस्तूर एंड कम्पनी के द्वारा कुछ भारतीय इंजीनियरों को भेजा गया।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिस समय रूस के सहयोग से बोकारो का यह कारखाना बनने लगा तो उन इंजीनियरों की छंटनी कर दी गई। अब अगर इस प्रकार के शिक्षित इंजीनियर निकल-निकल कर विदेशों में जायें और दूसरे देशों में जाकर नौकरियों की तलाश करें तो आप बताइये कि इसमें उनका क्या दोष है? यह जो प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है, इस पर भी रोक लगनी चाहिये।

अब मैं कारपोरेट सेक्टर की जो कम्पनियां हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ सुविधाओं की घोषणा आपने उनके लिए जरूर की है। लेकिन इस प्रकार घुमा-फिरा कर की है कि ऐसा वे करेंगे तो यह होगा, कम्पनी इस प्रकार से करेगी तो यह ढंग होगा, यह बात ठीक नहीं है। मेरा अभिप्राय यह है कि जब सरकारी उद्योगों में तो इस प्रकार बराबर हानि हो रही है और निजी उद्योग देश में आजकल केवल सरकार की नीतियों के कारण नहीं लग रहे, जो हैं वे उचित लाभ अच्छा दे रहे हैं तो सरकार को भी इसमें एक नीति रखनी चाहिए। निजी उद्योगों के सम्बन्ध में वह वही नीति हो सकती है जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताई है :

"परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।"

अगर कोई उद्योग सरकार की नीतियों का अनुचित लाभ उठाता है तो उस पर जितना नियंत्रण चाहे आप लगा सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर कोई उद्योग देश के निर्माण में और देश के औद्योगिक विकास में सहायक हो रहा है तो उसको भी उन्हीं कठिनाइयों में फंसाया जाए यह कोई बुद्धिमत्ता की भी बात नहीं है।

मूल्यों पर नियंत्रण जरूरी

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो स्थिति आज हमारे सामने है, अगर हमने अपने देश के आर्थिक ढांचे को सम्भालना है और उसको व्यवस्थित रूप देना है तो इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। पहला सबसे बड़ा निर्णय जो सुझाव के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं यह है कि कीमतें जो बराबर ऊंची बढ़ती जा रही हैं जब तक इनको आप किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक आप आर्थिक तंत्र को सम्भाल नहीं सकेंगे। इस वास्ते यह सबसे जरूरी चीज है जो आपको करनी है।

विदेशी मुद्रा की जो भारी कमी देश के सामने आ गई है, दो सौ करोड़ रुपये से घट कर ८९ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा केवल हमारे पास रह गई है, यह भी बड़ी चिन्तनीय स्थिति हमारे सामने है।

तीसरी चीज यह है कि बाजार में पूंजी का जो बराबर स्तर गिरता जा रहा है, इस को भी सम्भालने की जरूरत है।

चौथी बात यह है कि उद्योगों में जो उत्पादन की क्षमता है, उसका पूरा उपयोग होना चाहिये। आज बहुत से उद्योग इस प्रकार के हैं जो अच्छा उत्पादन कर सकते हैं लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता का सरकार की नीतियों के कारण पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

पांचवीं और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि उत्पादन जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है और जिसके कारण इस देश के आर्थिक तंत्र को सबसे बड़ा धक्का लगा है, उसके बारे में भी सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा और कोई निर्णय तुरन्त लेना होगा। प्रस्तुत बजट प्रस्तावों से देश को यह आशा थी कि वित्त

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मंत्री कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव अवश्य उपस्थित करेंगे जिनसे देश की सामान्य जनता को विशेषकर कृषि उत्पादनों को कुछ लाभ पहुंचे। लेकिन बजट प्रस्तावों को देख कर निराशा हुई है। देश की आर्थिक स्थिति को अगर आप सम्भालना चाहते हैं तो इस दिशा में भी आप को सोचना पड़ेगा।

आखिरी चीज मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट्स होती है उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वह इस सदन की एक अधिकृत समिति है। मेरा अपना कुछ निजी अनुभव जो उसमें रहकर पिछले दो तीन सालों का है वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। यह कमेटी बड़ी गहराई में जाकर कुछ निर्णय लेती है, बहुत सी शिकायतों का निरीक्षण करती है और उसके वाद सदन में अपनी रिपोर्ट देती है। लेकिन फिर भी उसके प्रतिवेदनों पर कोई ठोस निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। आपको इस बात का भी निर्णय लेना चाहिये कि जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी जैसी एक दायित्वपूर्ण कमेटी आपने बनाई हुई है तो उसके हर निर्णय पर गम्भीरता से विचार किया जाए और देखा जाए कि जो उसने अपनी सम्मति दी है उसको कहाँ तक कार्यान्वित किया जा सकता है।

एक अन्तिम बात मैं यहां यह कह कर समाप्त करता हूं कि साम्यवाद जब भी किसी देश में आता है तो यह तब आता है जब उस देश का अर्थतंत्र विच्छिन्न हो जाता है या जब उस देश की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। कहीं ऐसा न हो कि आपको न चाहते हुए भी, आपकी गलत नीतियों के कारण इस देश का अर्थ-तंत्र बिखर जाए और न चाहते हुए भी इस देश के अन्दर साम्यवाद आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सारे दोष की भागी वर्तमान सरकार होगी।

मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री इन बातों पर और मेरे सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सीमेण्ट 'डिकंट्रोल' और ग्रामीण जनता

प्रकाशवीर शास्त्री जी संभवतः ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर सर्वाधिक आधे घण्टे की बहस को प्रारंभ किया। सीमेण्ट का 'डिकंट्रोल' करने पर आम जनता को विशेषतः ग्रामीण जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस प्रश्न को ३१ अगस्त १९६६ को शास्त्री जी ने आधे घण्टे की बहस के रूप में उठाया।

सभापति जी, २९ जुलाई के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के सम्बन्ध में मैं यह चर्चा प्रारम्भ करना चाहता हूं, जिसमें सीमेंट से कंट्रोल हटने के बाद सीमेन्ट के वितरण की क्या स्थिति है और किस प्रकार की असुविधाओं का सामना किसानों और उन लोगों को करना पड़ रहा है जो सीमेंट के उपभोक्ता हैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा।

सीमेन्ट का अभाव और महंगाई

नये भारत के निर्माण में सीमेंट उद्योग का अपना एक प्रमुख स्थान है, विशेषकर रक्षा साधनों में भी आजकल सीमेंट ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जितना महत्वपूर्ण स्थान सीमेंट का नये भारत के निर्माण में है, उतना ही सीमेंट का अभाव और सीमेंट की महंगाई इस देश के लिए चिन्ता का विषय बनती जा रही है।

सरकार का जहां तक सम्बन्ध है सीमेंट के कुल उत्पादन का आधा भाग सरकार स्वयं ले लेती है और वह भी जनता को मिलने वाले मूल्यों के मुकाबले सस्ते दामों पर। सरकार को विशेष रूप से किसी कठिनाई का सामना अपने निर्माण कार्यों के लिए नहीं करना पड़ता। लेकिन जनता को विशेष रूप से इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार शायद सीमेंट का अपना आधा भाग लेकर यह समझती है कि जनता को इसी प्रकार सुगमता से सीमेंट मिल जाता होगा लेकिन सरकार को इस बात को नहीं भूल जाना चाहिए कि सरकार का अंग सामान्य जनता भी है जो देश की रक्षक है।

[**एक माननीय सदस्य :** सरकार की मालिक है।]

[**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** मालिक है, सरकार की मालिक है, पर सरकार के कार्यों की भागीदार भी है क्योंकि सरकार उनमें से ही बनती है।]

दूसरी बात जिसका विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह यह है कि जब से हमारे देश में निर्माण कार्य आरम्भ हुआ है, योजनाओं के माध्यम से दुर्भाग्य से शहरों का बड़ी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। लेकिन जितना शहरों का विस्तार हो रहा है धीरे-धीरे वैसे ही गांवों का ह्रास होता चला जा रहा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो उद्योग मंत्रालय द्वारा ही दिये गये हैं। कंट्रोल हटने के बाद पहली जनवरी से ३१ मार्च तक जो सीमेंट का वितरण हुआ, उसमें शहरों के हिस्से में कितना आया।

लगभग साढ़े नौ लाख टन सीमेंट का वितरण किया गया, जिसमें से ६ लाख ६० हजार ७४४ टन

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शहरों के हिस्से में आया और २ लाख ८१ हजार ८८८ टन गांवों के हिस्से में आया जबकि भारत की जनगणना के आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि देश की जनसंख्या का ८२ प्रतिशत भाग गांवों में रहता है और १८ प्रतिशत भाग शहरों में रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार का शहरों पर इस प्रकार की कृपा का होना और दूसरी ओर समाजवादी समाज की रचना की दुहाई देकर यह कहना कि सरकार गांवों के विकास में संलग्न है, कुछ समझ में आने वाली बातें नहीं हैं।

जब उद्योग मंत्री ने सीमेंट पर से कंट्रोल हटाने की बात कही थी, तब स्पष्ट रूप से इसके दो कारण बताये थे—एक तो यह कि सीमेंट पर बराबर कन्ट्रोल रखने से बहुत बुराई फैल गई है। दूसरे यह कि सरकारी अधिकारी प्रलोभन का शिकार होते चले जाते हैं। जहां तक कंट्रोल का सम्बन्ध है मैं इसका विरोधी हूं। गांधी जी कहा करते थे कि कंट्रोल से भ्रष्टाचार देश में उत्पन्न होते हैं। लेकिन सीमेंट का कंट्रोल हटने के बाद आज उसका भाव और मंहगा हो गया है। उसको देखते हुए मुझे खतरा है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार जब और चीजों पर से कंट्रोल हटाने पर विचार कर रही है, सीमेंट पर से कंट्रोल हटाने के बाद जो परिणाम सामने आया है, उससे गांधी जी का वह वाक्य—कंट्रोल भ्रष्टाचार की जड़ होता है—कहीं इस पर फिर से देश को और सरकार को नये सिरे से न सोचना पड़े।

असंतुलित वितरण

सभापति जी, जितना सीमेंट देश में पैदा होता है, उसके वितरण की प्रक्रिया क्या रही है, उसके सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं। जितना सीमेंट पैदा होता है, उसका पचास प्रतिशत यानी आधा भाग सरकार स्वयं ले लेती है। १० प्रतिशत सीमेंट वह है जो हैवी इण्डस्ट्रीज के लिए सरकार ने नियत किया है, १० प्रतिशत सीमेंट इसमें वह है जो राज्य सरकारों को दिया जाता है, जो नगर-पालिकाओं के माध्यम से या दूसरी शिक्षण संस्थाओं के निर्माण आदि पर व्यय होता है, अब ३० प्रतिशत सीमेंट वह रह जाता है जो खुदरा व्यापारियों के द्वारा किसानों को और गांवों के हिस्से में आता है। इसमें भी १० प्रतिशत वह है जो खुदरा व्यापारियों के हिस्से में शहरी निर्माण के लिए है।

इस तरह से सिर्फ २० प्रतिशत रह जाता है जो किसानों के हिस्से में आकर पड़ता है। अब इस २० प्रतिशत का वितरण किस प्रकार होता है, इसके आंकड़े मैं आपको देना चाहूंगा। यहां मेरे हाथ में पंजाब के लिए जो सीमेंट के वितरण की परम्परा रखी गई है, उसकी प्रतिलिपि है इसमें लिखा है कि ऐग्रीकल्चरल परपज़ेज़ के लिए २५ प्रतिशत, माइनर रिपेयर के लिए १५ प्रतिशत और नई कंस्ट्रक्शन के लिए ६० प्रतिशत है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार अपनी दृष्टि से स्वच्छ है इस बात में जो यह कहती है कि हम अपने देश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। इस २० प्रतिशत के वितरण के सम्बन्ध में भी आगे चल कर बताया गया है कि इसके दो भागीदार होते हैं—एक तो ब्लाक डेवलपमेंट अधिकारी हैं, जो बी.डी.ओ. कहलाता है और दूसरे खुदरा व्यापारी। जब सीमेंट वहां पर पहुंचता है तो बी.डी.ओ. और खुदरा व्यापारियों के बीच में पड़ कर किसान को जितना पहुंचना चाहिए, उतना नहीं पहुंच पाता। किसान जिसको अन्न पैदा करना है, दो ही साधन उसको चाहियें, एक बिजली दूसरे सीमेंट। न किसान को बिजली मिलती है और न सीमेंट। बिजली अगर मिलती भी है तो रात्रि के समय, न किसान दिन में बिजली का उपयोग कर सकता है और न सीमेंट ही उसको मिलता है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उसके बाद भी सरकार यह कहे कि हम इस देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर वह दोनों युक्तियां आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खातीं।

मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि दूसरे उद्योग धन्धों को न बढ़ाया जाये। लेकिन मैं सरकार से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि उद्योग धंधों के विकास की ओर अग्रसर सरकार और उद्योग मंत्री आज सदन के द्वारा देश को यह उत्तर अवश्य दें कि कृषि उद्योग का भी देश के उद्योगों में एक प्रमुख स्थान है या नहीं? उद्योगों का मूल जो कृषि है, जब तक उसके विकास पर पूरी शक्ति नहीं लगाई जायेगी तब तक किस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हम अपने देश में औद्योगिक विकास पूरा कर सकेंगे? क्योंकि इस तरह से उसका जो मूल आधार है उस पर आघात पहुंचेगा।

डिकन्ट्रोल से महंगाई बढ़ी

जिस समय सीमेंट से कन्ट्रोल हटा उस समय १० रु. और कुछ आने एक सीमेंट की बोरी का दाम था। कुछ समय तक यह दाम १० रु., ११ रु. और १२ रु. तक रहा। अनुमान यह था कि शायद सीमेंट आसानी से मिलने लगेगा। लेकिन बढ़ते-बढ़ते वह १५ रु., १८ रु. और किन्हीं-किन्हीं राज्यों में वह २० रु. तक बिक रहा है, और वह भी पूरी तरह से बराबर मिलता नहीं है। उद्योगपति कहते हैं, जो कि सीमेंट के कारखाने चलाते हैं कि हमने इसके चैकिंग की व्यवस्था की है। लेकिन चैकिंग हो सकती है दिल्ली शहर में, चैकिंग हो सकती है बम्बई और कलकत्ता में, लेकिन उस किसान को जिससे हम आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न उत्पादन करे और आपको दे, जिससे अमरीका से या दूसरे देशों से हमको अन्न न मंगाना पड़े, उसे उसका पूरा भाग मिल सके, इसकी चैकिंग की सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री संजीवैया ने कहा कि इस प्रकार की कुछ शिकायतें उनको मिली हैं कि जो खुदरा व्यापारी हैं वह जिनको सीमेंट मिलना चाहिए उनको नहीं देते। लेकिन श्री संजीवैया कहते हैं कि उनमें से ५० प्रतिशत शिकायतें निराधार पाई गई। यदि श्री संजीवैया के कहने को स्वीकार कर लिया जाये कि ५० प्रतिशत शिकायतें निराधार पाई गई, तो इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि ५० प्रतिशत शिकायतें साधार हैं। उन ५० प्रतिशत शिकायतों के सम्बन्ध में, जिनका आधार था और जिनसे सम्बद्ध व्यापारी भ्रष्टाचार में हाथ रंग रहे थे, उनको आपने क्या सजा दी।

आज इस सदन में यह भी बतलाया जाये कि देश में कुल मिलाकर कितने व्यापारी हैं जो सीमेंट के वितरण का काम करते हैं। उनमें से जिनकी शिकायतें मिली हैं जो कि ५० प्रतिशत आप स्वयं बतलाते हैं, कितनों के लाइसेंस कैंसिल किये और कितनों को सजायें दीं? जबकि सरकार स्वयं मानती है कि ५० प्रतिशत शिकायतें सही थीं।

उद्योगपतियों का कहना यह है जो कि सीमेंट के कारखाने चलाते हैं, कि उन्होंने इस छमाही में पहले से ज्यादा सीमेंट पैदा किया, लेकिन सरकार उनको रेलवे वैगन नहीं दे पाई। जिसकी वजह से जितना सीमेंट बाजारों तक पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंचा पाये। उनकी दूसरी शिकायत यह भी है कि मुद्रा के अवमूल्यन के बाद जो मशीनरी बाहर से मंगानी थी जिससे कि उत्पादन बढ़ाना था, उसके न आने से शायद हम उतना उत्पादन न बढ़ा पायें और नियत समय के अनुसार उतना सीमेंट न दे पायें

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जितना कहा था।

मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों तथ्यों में कितनी वास्तविकता है और श्री संजीवैया से उद्योगपतियों ने जो शिकायत की है उसमें कितना दम है? सीमेंट के भाव केवल इसलिये बढ़े कि उनको रेलवे वैगन समय पर नहीं मिल पाये। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने रेलवे मंत्रालय से इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार किया या किसी प्रकार का कोई दबाव डाला, ताकि जितने वैगन देने चाहियें उतने वैगन पूरी तरह से रोज मिलते रहें। क्योंकि सीमेंट का अभाव बढ़ता जा रहा है।

उत्पादन लक्ष्य प्राप्त क्यों नहीं किया?

एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा वह यह कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में १ करोड़ ८ लाख टन सीमेंट पैदा होगा, इस तरह का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन उद्योग मंत्री शायद स्वयं इस बात की साक्षी देंगे कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस तक सरकार नहीं पहुंच सकी। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में आपने उस लक्ष्य को बढ़ाकर २ करोड़ टन का रक्खा है। लेकिन जब तृतीय पंच वर्षीय योजना में आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सके तब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसे भी तो बतायें।

यह सारी बातें हैं जिनकी वजह से आज किसान परेशान है। जो लोग सीमेंट के उद्योग में लगे हैं और देश के नव निर्माण में योग दे सकते हैं आज वह भी आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आधे घंटे की चर्चा से कम से कम उद्योग मंत्री देश को इतना तो सन्तुष्ट करें, एक कोई इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार की प्रणाली निकाल कर भ्रष्टाचार को रोकेंगे। वह सामान्य जनता जिसकी पहुंच समाचार पत्रों तक नहीं है, सीधी सरकार तक भी नहीं है, वह किस प्रकार से सीमेंट ले सकेगी। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय अपने उत्तर के द्वारा देश को भी सन्तुष्ट कर सकेंगे और इस सदन को भी सन्तुष्ट कर सकेंगे। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारी उद्योगों को लाभप्रद बनाया जाय

सरकार की सभी क्षेत्रों में विफलताओं को लेकर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। शास्त्री जी ने ४ अगस्त, १९६६ को अपने भाषण में मुख्यत: आर्थिक अव्यवस्था को ही केन्द्रित किया।

उपाध्यक्ष जी, अर्थ तंत्र चाणक्य के शब्दों में किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और उसको हिलाना देश के भविष्य को अंधकार में डालना है। स्वतंत्रता के पश्चात् दो वार हमको रुपये की कीमत कम करनी पड़ी है। पहली बार १९४९ में जब हमने रुपये की कीमत ४४ प्रतिशत घटाई। २० सितम्बर, १९४९ से लेकर ३१ मार्च १९६५ तक जो हमने आयात और निर्यात दूसरे देशों के साथ किया उसकी कुल मिलाकर कीमत २५,३०६.५ करोड़ रुपये बैठती है। अगर तस्वीर के इस पहलू को देखा जाये कि ४४ प्रतिशत कीमत रुपये की उस समय न घटाई गई होती तो इस २५,३०६.५ करोड़ के ऊपर जो हमें लाभ होना था वह बहुत अधिक होता। लेकिन ४४ प्रतिशत रुपये की कीमत घटाने का परिणाम यह हुआ कि पिछले इन वर्षों में ११,१३४.८६ करोड़ रु. की हानि देश को हुई।

आयात-निर्यात के आंकड़े

अब दुबारा हमको रुपये की कीमत १९६६ में घटानी पड़ी है और इसकी कीमत ५७.५ प्रतिशत कम की गई है। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए १९४९ के ४४ प्रतिशत को और १९६६ के ५७.५ प्रतिशत को, जो रुपये की कीमत कम की गई है तो इन दोनों को मिला कर जोड़ बैठता है ३२.८ प्रतिशत। अगले पांच वर्षों में सरकार ने जो आयात और निर्यात के अपने आंकड़े तैयार किये हैं उनको आप लीजिये। हर साल हम विदेशों को लगभग १५ हजार करोड़ रुपये का निर्यात करेंगे और लगभग इतने ही करोड़ रुपये का हम आयात करेंगे। सब मिला कर पांच वर्षों में २२.५०० करोड़ रुपये का आयात और इतने का ही निर्यात होगा। यानी सब मिला कर यह ४५ हजार करोड़ रुपया बैठता है।

परन्तु दो वार रुपये की कीमत घटाने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि अब रुपये की कीमत केवल १७.२ ही रह गई। आज हम सौ रुपये की कोई भी चीज विदेश को निर्यात करेंगे तो उसके बदले में हमें १७.२ विदेशी मुद्रा मिलेगी और जो हम आयात करेंगे उसका परिणाम भी यह होगा कि १७.२ इतने रुपये के बदले में हमको सौ रुपये देने पड़ेंगे। परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों में १४,६४७ करोड़ रुपये सालाना का घाटा इस देश को होने वाला है। इस हिसाब से देखा जाये तो पता चलेगा कि तस्वीर का यह इतना अंधकारमय पहलू है जो प्रत्येक देशवासी के लिए चिन्ता का विषय बन जाता है और इस पर हमको गम्भीरता के साथ कुछ सोचना चाहिये।

इससे भी बढ़कर देश के लिये जो एक बड़ी और भयंकर बात है और जिसके कारण बड़ा भयंकर भविष्य दिखाई दे रहा है वह है इन सबकी पूर्ति करने के लिये हमें नोट भी अधिक मात्रा में छापने पड़े हैं। १९४९ में जब हमने रुपये की कीमत घटाई थी उससे पहले आठ अरब रुपये के नोट हमारे देश में चलते थे। लेकिन रुपये की कीमत घटने के बाद नोटों की संख्या बढ़ कर बारह अरब रुपये हो गई। उसके बाद

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जब गोल्ड कंट्रोल हुआ १९६२ में तो उनकी संख्या बढ़ कर पच्चीस अरब हो गई। और अब १९६६ में ४८ अरब रुपये के नोट इस देश में चल रहे हैं। इन सत्रह सालों में यह संख्या बढ़ कर लगभग छः गुनी हो गई है।

देश के अर्थ तन्त्र को अन्धकार में डालने वाली इससे भी एक बड़ी बात यह है कि हम जो खर्च करते जा रहे हैं, वे प्रायः इस प्रकार के हैं जिनसे रिटर्न बहुत कम हो रही है। उदाहरण के लिये हैवी इलैक्ट्रिकल्ज, भोपाल, में हमने ६३ करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है, लेकिन हमको उससे प्रतिवर्ष जो आय होती है, वह केवल ६ करोड़ रुपये के लगभग है। इसी प्रकार रांची के कारखानों पर भारत सरकार ने १२४ करोड़ रुपये के लगभग पूंजी लगाई है, लेकिन उससे रिटर्न होता है १४ करोड़ रुपये के लगभग।

सरकार की पूंजी किस प्रकार के कार्यों में लगती है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी कुछ दिन पहले परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पुनाचा ने विज्ञान भवन में अपने कर्मचारियों की एक सभा में दिया। उन्होंने बताया कि इस देश को निजी हवाई कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके १९५३ में जिस इंडियन एयरलाइन्ज़ कारपोरेशन का निर्माण किया गया, १९६१ तक उस कापोरेशन को ५.०८ लाख रुपये की हानि हुई और वह हानि सरकार ने ऋण देकर पूरी की। इस प्रकार के कार्पोरेशन्ज़ और अन्य संस्थायें अब भी बराबर इस देश में चल रही हैं। इन अनुत्पादक व्ययों के आधार पर हम किस प्रकार अपने देश के अर्थ तंत्र को मजबूत रख सकेंगे?

सरकारी उद्योगों में लाभ की कमी

रिजर्व बैंक का कहना है कि निजी उद्योगपति एक रुपया लगा कर साल के बाद उससे १ रुपये २० पैसे का लाभ कमाते हैं, लेकिन सरकारी कारखानों में जो रुपया लगा हुआ है, उसमें एक रुपये के बदले केवल ५० पैसे का लाभ होता है। जिस समय देश में ऐसी स्थिति है, तब श्री अशोक मेहता चौथी पंचवर्षीय योजना में पब्लिक सेक्टर को १६०० करोड़ रुपया और देने जा रहे हैं और वह अनुमान यह करते हैं कि १९६६ में रुपये की जो कीमत घटानी पड़ी, उसके बाद शायद रुपये की कीमत नहीं घटानी पड़ेगी।

देश में उत्पादन का इससे अधिक अंधकारमय चित्र और क्या हो सकता है कि पिछले दस वर्षों में भारत के उत्पादन की गति इंडोनेशिया को छोड़ कर एशिया के देशों में सबसे कम रही है। सबसे ज्यादा उत्पादन जापान में हुआ, जहां १० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हमारे पड़ोसी राष्ट्र, पाकिस्तान ने भी हमसे अधिक उत्पादन किया, अर्थात् पिछले दस वर्षों में उसके उत्पादन में ४.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत में केवल ३.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इन तीन योजनाओं से हमारे देश को क्या लाभ हुआ।

हमारी इच्छा है कि हम अपने अर्थतंत्र को संभाल पायें, हमारी यह रीढ़ की हड्डी किसी तरह न हिले और हमारा देश आगे बढ़ता चला जाये। मेरा अपना विचार यह है कि सरकार ने यह जो अवमूल्यन का तूफानी और गम्भीर निर्णय लिया है, उसके बाद अगर हमने अपने आयात को नहीं बढ़ाया, और आयात को बढ़ाने के लिये देश में उत्पादन के साधनों को नहीं बढ़ाया, और उत्पादन के साधनों को बढ़ाने के लिये टैक्सों और लाइसेंसों की पद्धति में परिवर्तन नहीं किया तो मेरा यह निश्चित

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मत है कि देश में एक भयंकर स्थिति फिर उत्पन्न हो जायेगी और भविष्य में उस समय जो सरकार होगी, उसको फिर उसी प्रकार का निर्णय लेने के लिये विवश होना पड़ेगा।

सरकार खर्चों में कटौती करे

ऐसी स्थिति से देश को बचाने का सबसे अच्छा उपाय यह हो सकता है कि सरकार अपने खर्चों में कटौती करे। अच्छा तो यह था कि जिस समय अवमूल्यन का प्रश्न देश के सामने आया, तो यह सरकार उन देशभक्तों से इस बारे में विचार विमर्श करती, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान किया था। इसके साथ-साथ सरकार श्री देशमुख से लेकर श्री टी.टी. कृष्णमाचारी तक देश के पहले तीन वित्तमंत्रियों से, जिन्होंने अवमूल्यन का विरोध किया, और कांग्रेस अध्यक्ष, श्री कामराज से, जो इससे सहमत नहीं थे, उनसे भी बातचीत करती और उनकी राय से लाभ उठाने का प्रयत्न करती। इसके अतिरिक्त सरकार इस देश की जनता के प्रतिनिधि संगठन, लोक सभा, से भी इस बारे में पूछ सकती थी।

जिस प्रकार कोई और विपत्ति आने पर सरकार लोक सभा के सामने आती है, उसी प्रकार सरकार अवमूल्यन के प्रश्न पर भी लोक सभा के सामने आ सकती थी। सरकार संसद के सदस्यों से कहती कि हमारे सामने दो विकल्प हैं : एक तो यह है कि रुपये की कीमत घटाई जाये और दूसरा यह है कि जिस तरह देश ने चीन के साथ लड़ाई में और पाकिस्तान के साथ संघर्ष में त्याग किया, उसी तरह अब भी देश त्याग करने के लिये तैयार हो। इसका परिणाम यह होगा कि कुछ मदों और कामों में कटौती करनी पड़ेगी। मैं आपको विश्वासपूर्वक कहता हूं कि अगर सरकार ने खुले मन से देश के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया होता, तो देश त्याग करने के लिये तैयार हो जाता, लेकिन वह रुपये की कीमत घटाने के लिये कभी तैयार न होता।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इतना गम्भीर निर्णय लेने के बावजूद अब भी सरकार की नीतियों और कार्यों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है? सरकार ने खर्चों में कटौती करने का प्रस्ताव रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने इतनी बार विभिन्न मदों में बचत करने के जो सुझाव दिये, क्या सरकार ने उनके अनुसार कार्यवाही की। उदाहरण के लिये पिछले पांच वर्षों से पब्लिक एकाउंट्स कमेटी बराबर अपनी रिपोर्ट्स में यह कहती आ रही है कि सोशल वैलफेयर बोर्ड पर अंधा-धुंध पैसा खर्च किया जाता है। अब तक इस बोर्ड पर २० करोड़ रुपया खर्च किया गया है। यह बोर्ड न तो कहीं रजिस्टर्ड है, न कहीं मान्यताप्राप्त है और न ही इसका कोई वैधानिक स्वरूप (स्टेटस) है। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की पिछली रिपोर्ट के बाद सरकार ने इस बोर्ड को अपना वैधानिक स्वरूप निश्चित करने के लिए कहा। बोर्ड ने इसके लिए जून, १९६६ तक की अवधि मांगी और बाद में इस अवधि को दो महीने के लिए और बढ़ाया गया। लेकिन आप यह सुनकर आश्चर्य करेंगे कि बोर्ड की अवधि अगस्त, १९६६ तक की है, उसके चेयरमैन की अवधि अप्रैल, १९६७ तक की है, अर्थात् जब बोर्ड नहीं भी होगा, उस वक्त उसका चेयरमैन जरूर होगा। क्या इस आधार पर और इस नीति पर चल कर सरकार अवमूल्यन से होने वाली हानियों को रोक सकेगी? इसी प्रकार सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थिति क्या है? क्या हम यह नहीं जानते कि इस मंत्रालय द्वारा इस गरीब देश की जनता का पैसा बुरी तरह बरबाद हो रहा है?

इसके अतिरिक्त मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि आज से तीन साल पहले आडिटर-जनरल ने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आडिट रिपोर्ट में एक पैरा दिया था, जिसको किसी प्रकार हटवा दिया गया। आडिटर-जनरल का कहना था कि जिन मिनिस्टरों को १५००, १७०० या २२०० रुपये तनख्वाह मिलती है, उनकी तनख्वाह ५००० या ६००० रुपये कोई एक तनख्वाह निश्चित कर दी जाये और उसके बाद उनको कह दिया जाय कि इससे ज्यादा उनकी कोठी, कार, बिजली और पानी आदि पर कोई खर्च नहीं हो सकेगा। लेकिन आज क्या स्थिति है? त्याग का नाम लेकर कहा जाता है कि मिनिस्टरों को केवल २२०० रुपये मिलते हैं, लेकिन एक-एक मिनिस्टर पर इसके अतिरिक्त नौ, दस हजार रुपये महीना और खर्च होते हैं।

त्याग को स्वयं प्रारंभ करें

सरकार इस देश की गरीब जनता से त्याग करने की अपील करती है, लेकिन इससे पहले स्वयं उसको देश के सामने त्याग का उदाहरण उपस्थित करना पड़ेगा। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी में किसी प्रकार का साहस है, तो देश से त्याग करने की अपेक्षा करने से पहले वह त्याग का प्रारम्भ अपनी सरकार से करें और उन्होंने जो ५९ आदमियों का मंत्रिमंडल बना रखा है, उसके स्थान पर नौ दस आदमियों की छोटी कैबिनेट बनायें। वह यहां से खर्च को घटना शुरू करें। सरदार प्रतात सिंह कैरों जब २७ आदमियों की कैबिनेट को नौ आदमियों की कैबिनेट बना कर पंजाब का प्रशासन मजबूती के साथ चला सकते थे, तो मैं नहीं समझता कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इस प्रकार का आदर्श क्यों नहीं उपस्थित कर सकतीं।

सरकार देश से तो त्याग की आशा करती है, लेकिन स्वयं त्याग का कोई कार्य नहीं करना चाहती और अपने खर्च को भी कम नहीं करना चाहती। इसका परिणाम है कि आज हम पर विदेशी ऋण का इतना बोझ लद गया है कि मुझे भय है कि यह देश गिरवी न रखा जाय, हालांकि एक भूखे और बीमार हाथी को गिरवी रखना भी कौन पसन्द करेगा। आज जो स्थिति देश में उत्पन्न हो रही है, उसका फल अगली पीढ़ी को और न जाने कितनी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।

विदेशी मुद्रा की स्थिति

विदेशी मुद्रा की स्थिति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ४८ अरब रुपये के करेंसी नोट चल रहे हैं, अगर सरकार समझदारी से काम करे, तो इसमें १८ अरब रुपये की बचत वह एक महीने में कर सकती है। इसका उपाय क्या है? योजना मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपके द्वारा इसका उपाय उनको बताना चाहता हूं।

आज हमारे दूतावासों पर जो खर्च की भरमार हो रही है, जिसके बारे में इस लोकसभा में और आडिट रिपोर्ट में बार-बार कहा गया है, सरकार का उसको पहले चैक करना चाहिये। इसके अतिरिक्त सरकार अनावश्यक विदेश-यात्राओं पर प्रतिबन्ध लगाए। और भी इसी प्रकार जिन चीजों के बिना यह देश अपना गुजारा कर सकता है, विदेशों से उनके आयात पर सख्ती से प्रतिवन्ध लगाया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से सरकार को कम से कम छः अरब रुपये की बचत हो सकती है।

जो भारतीय व्यापारी विदेशों में जाकर व्यापार करते हैं, वे अपनी पूंजी को इस देश में लाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने इस बारे में जो शर्तें लगाई हुई हैं, उनके कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार, उनको अपनी पूंजी यहां लाने के लिए उचित सुविधा नहीं दे रही है। अगर सरकार उन लोगों को उचित सुविधायें दे, तो लगभग छः अरब की पूंजी हमारे यहां आ सकती है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो विदेशी व्यापारी यहां पर काम करने के लिए अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं, अगर उनको मुनासिब सुविधायें दी जायें, तो छः अरब रुपये की मुद्रा हमारे देश में और आ सकती है।

अगर सरकार ये पग उठाने को प्रस्तुत हो, तो कुल मिलाकर १८ अरब रुपये की करेंसी के नोटों का प्रचलन बन्द हो सकता है और इस प्रकार हमारे देश में भारी मात्रा में कैसे करेन्सी के नोट ४८ अरब से घटकर ३० अरब रुपये के रह सकते हैं।

असफल विदेश नीति

जहां तक हमारी विदेशी नीति की असफलता का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। उसका सबसे बड़ा नमूना सरदार स्वर्ण सिंह हैं। उस देश की विदेश नीति कैसी होगी जिसके विदेश मंत्री सरदार स्वर्णसिंह हैं? उसी से उसका अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है। अब इस सरकार की स्थिति क्या है? सरकार करने क्या जा रही है?

उपाध्यक्ष जी, सरकार ने अवमूल्यन किया पश्चिमी राष्ट्रों के चक्कर में आ करके और मैं अपनी निश्चित सूचना के आधार पर यह आपसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार रूस और दूसरे देशों के चक्कर में आकर के काश्मीर का समझौता अब करने जा रही है। केवल चुनाव तक रुकी हुई है। रुपये की कीमत घटायी पश्चिमी राष्ट्रों के चक्कर में आकर और काश्मीर का सौदा कर देंगे रूस और दूसरे देशों के चक्कर में।

आखिर, जयप्रकाश नारायण शेख अब्दुल्ला से क्या बातचीत करने के लिए गये हैं? वह आकर क्या कहेंगे? यही न, कि शेख अब्दुल्ला के विचारों में परिवर्तन आया है। जय प्रकाश नारायण आकर के यह कहेंगे और उसके बाद शेख अब्दुल्ला को यह छोड़ेंगे। उसका परिणाम काश्मीर में क्या होने जा रहा है? कल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में क्या हुआ? मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बर भले ही यहां दब कर कहें, लेकिन सेंट्रल हाल में कुछ खुल जाते हैं और वहां बैठ कर कभी-कभी अपनी आत्मा की आवाज कह देते हैं। आज से छः महीने पहले कहा गया था कि बख्शी गुलाम मोहम्मद और गुलाम मोहम्मद सादिक के झगड़ों को निपटाया जाये। एक ओर काश्मीर के ऊपर अरबों रुपया बहाया जा रहा है और दूसरी ओर काश्मीर के अन्दर राजनीतिक संघर्ष चल रहे हैं।

मेरे पास यहां कई एक पुस्तकें हैं। एक पुस्तक कल गुप्ता जी ने दिखायी। यह पूरी की पूरी पुस्तकें वहां क्लासों के अन्दर पढ़ायी जाती हैं जिनके माध्यम से वहां के बच्चों को सिखाया जा रहा है कि काश्मीर हिन्दुस्तान का नहीं है, इसके ऊपर जबर्दस्ती हिन्दुस्तान वालों ने कब्जा किया है और यहां आकर के काश्मीर को बराबर लूटते रहे हैं। और इन पुस्तकों के अन्दर रूस के और न जाने कहां-कहां के गीत हैं।. ... (व्यवधान) रखवा लीजिये टेबल पर। इससे क्या स्थिति बनने वाली है? इसके बाद क्या हम अपनी स्थिति को बचा सकते हैं? अब अगर देश को बचाना है, तो सरकार अपना निश्चित मत बनाये। इस प्रकार की गलतियों को रोके और रोकने के बाद उस दृष्टि से चले जिस दृष्टि से देश के भविष्य को बना सकते हैं और जिससे देश की स्वतंत्रता संभल सकती है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं, उन पर सरकार गहराई के साथ सोचेगी।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वर्ण नियंत्रण योजना से बेकारी बढ़ेगी

सुवर्ण आभूषणों के प्रति परम्परागत मोह को दूर करने तथा तिजोरियों या जमीन में गढ़े सोने को बाहर निकालने के लिए सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण योजना जारी की थी। शास्त्री जी ने इस योजना पर ५ अप्रैल १९६३ में हुई बहस में इस योजना का तर्क संगत युक्तियों से विरोध किया।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अभी लोक सभा के अध्यक्ष महोदय से मैंने इस विषय पर बात की थी। मैंने निवेदन किया था कि आधे घंटे से अधिक समय मूवर को दिया जाय, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आधे घंटे से अधिक समय नहीं दिया जा सकता। बहरहाल वे आधे घंटे पर सहमत हो गये, क्योंकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिये मेरा आपसे भी निवेदन है कि मुझे कम से कम इतना समय देने की कृपा तो अवश्य करें।

[**Mr. Chairman :** May I again request him, now that he has made the appeal to me, to realise that there are a very large number of hon. Members who would like to speak on the subject and we would like to give a chance to as many Members as possible. I would, therefore, appeal to him to try—he is a very good speaker and a very concise speaker—and confine his remarks to 20 minutes.

Shri Tyagi : It is a golden advoice.]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति महोदय, मनुष्य जब कभी आशाओं के विपरीत असम्भव आशाओं के बड़े-बड़े महल बना लेता है, और उसकी वह आशायें पूरी नहीं हो पाती तो उसको एक झुंझलाहट आती है, और उस झुंझलाहट में वह ऐसे निर्णय ले बैठता है जो अन्त में उसके लिये भी दुखद होते हैं और उससे संबंध रखने वाले दूसरे व्यक्तियों के लिये भी दुःखद होते हैं। मेरा अनुमान है कि वह स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम इसी प्रकार की झुंझलाहट की एक प्रतिक्रिया है।

स्वर्ण नियंत्रण असफलता की प्रतिक्रिया

सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम बनाते समय चार विशेष बातों की घोषणा की है। पहली बात यह है कि वह सोने के भाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहती है, दूसरी चीज यह है कि वह सोने का तस्कर व्यापार रोकना चाहती है, तीसरी चीज यह है कि सोने की खपत कम करने के लिये १४ कैरेट के आभूषण बना कर वह उधर से लोगों का अनुराग हटाना चाहती है और चौथी चीज यह कि जो अरबों रुपयों का सोना रुका हुआ है वह बाहर आये यह सरकार की इच्छा है।

मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूं कि स्वर्ण के भाव पिछली कुछ दशाब्दियों में हमारे देश के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय दर को देखते हुए कोई विशेष ऊंचे नहीं रहे हैं। सबसे पहले सोने के भाव में परिवर्तन तब आया जब द्वितीय महायुद्ध हुआ, और द्वितीय महायुद्ध के समय में मुद्रास्फीति के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा गया। सन् १९४७ के बाद रिजर्व बैंक द्वारा सोने की बिक्री जब से बन्द कर दी गई वह भी उसका बहुत बड़ा कारण हुआ और आज जब मुद्रास्फीति के ऊपर अपेक्षित नियंत्रण नहीं है तो वह भी इस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जनसाधारण में अविश्वास की मात्रा केवल इसलिये बढ़ी है कि यह सरकार कभी-कभी इस प्रकार के निर्णय भी लेती रही जैसे कि सन् १९४६ में बड़े करेंसी नोटों पर प्रतिबन्ध लगाना, सन् १९४५-४६ के अन्दर मद्रास राज्य के अन्दर बैंक फेल हुए और सन् १९६२ में पिल्लई बैंक की घटना माननीय संदस्यों के कानों और आंखों से दूर नहीं गई है। इसी प्रकार सोने के मोह के साथ छोटे लोगों को जो सोने से लगाव है उसका कारण यह है कि सोना इस प्रकार की धातु है कि इस्तेमाल करने के पश्चात् भी उसे बेचा जाय तो ८० प्रतिशत मूल्य उसका मिल जाता है। दूसरी चीज यह कि सोना ऐसी धातु है कि किसी समय भी उसे बेचा जा सकता है, गिरवी रक्खा जा सकता है या और किसी ढंग से निपटाया जा सकता है, और एक सबसे बड़ा कारण सोने के संग्रह का यह भी है कि जिन के पास काली कमाई का धन है वे उसे सोने के रूप में सुरक्षित रखते हैं।

सोने की तस्करी का मूल्य क्या है?

सोने का तस्कर व्यापार कैसे रोका जाय इसको जानने से पहले हमें सोचना होगा कि तस्कर व्यापार होता कहां है, करता कौन है और किस प्रकार से करता है। पहले यह तस्कर व्यापार सिंगापुर, गोआ, हांगकांग और पाकिस्तान से विशेष रूप से होता था। गोआ के भारतवर्ष में मिलने के पश्चात् उधर की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। हांगकांग, सिंगापुर और पाकिस्तान की सीमा पर अब विशेष रूप से यह तस्कार व्यापार होता है। जैसा मेरा अनुमान है और थोड़ा बहुत इस का आधार है कि देश में तस्कर व्यापार को करने वाले व्यापारी चालीस या पचास से अधिक नहीं हैं।

यह तस्कर व्यापार सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, तस्कर व्यापार करते हैं, वे लोग जिनके पास कारें होती हैं और एक-एक कार के लिये तीन और चार-चार नम्बरों की प्लेटें होती हैं। तस्कर व्यापार करते हैं वे जो पुलिस और सक्षम अफसरों की जेबें जी भर कर भर सकते हैं। तस्कर व्यापार करते हैं वे जिनकी राज्यों के मिनिस्टरों के पास सीधी पहुंच है या उनके वे सगे संबंधी हैं। लेकिन इस तस्कर व्यापार को रोकने के उपाय क्या हैं? तस्कर व्यापार को रोकने का पहला उपाय यह है कि पाकिस्तान से लगता हुआ जो राजस्थान और पंजाब का क्षेत्र है उसको केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले। साथ ही साथ सीमा पर जो पुलिस या कस्टम के अधिकारी रक्खे गये हैं वे वहां अगर साल-साल, दो-दो साल की लम्बी अवधि के लिये न रक्खे जायें, उनको एक-एक मास के बाद परिवर्तित कर दिया जाय, तो मेरा अनुमान है कि तस्कर व्यापार पर आप कुछ रोक लगा सकते हैं।

लेकिन सरकार ने जो यह नियम बनाया है उसमें तस्कर व्यापार को रोकने का एक ही प्रकार है कि जो सोना आए उसे जब्त कर लिया जाय और तस्कर व्यापार करने वालों को चार पांच मास के लिये जेल भेज दिया जाए। मेरा अनुमान है कि यह सजा बहुत थोड़ी है एक तस्कर व्यापार करने वाले के लिये। क्योंकि वह तो राजद्रोह करता है और ऐसे व्यक्ति का केवल सोना जब्त कर लेना बिल्कुल भी सजा नहीं। इस प्रकार के व्यक्ति को तो यदि गोली का शिकार बना दिया जाए तो भी इस देश की जनता उसका स्वागत करेगी।

एक और प्रकार तस्कर व्यापार को रोकने का है। जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीजक बनते हैं इनमें ओवर एस्टीमेट या अंडर एस्टीमेट होता है, इस पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिये। और इसका नियंत्रण करना चाहिये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेकिन जब हमारी सरकार कहती है कि पिछले १७ वर्षों में वह इस तस्कर व्यापार को रोक नहीं सकी तो वह अपने को दूसरे शब्दों में अपने हाथ से असफलता का प्रमाणपत्र देती है। सरकार का कहना है कि देश में सोने का तस्कर व्यापार तीस करोड़; चालीस करोड़ और पचास या साठ करोड़ तक का होता है और उसको हम रोक नहीं सके हैं। तो बजाए इसके कि सरकार अपनी मशीनरी को मजबूत करती और इस प्रकार सोने के तस्कर व्यापार को रोकती, वह चालीस पचास तस्कर व्यापारियों के पाप का घड़ा डेढ़ करोड़ व्यक्तियों के सिर पर फोड़ना चाहती है। इस काम को न कोई देश में और विदेशों में सरकार की अक्लमंदी बताएगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार अपने लिये यह प्रमाण पत्र देती है कि पिछले १७ वर्षों में वह तस्कर व्यापार नहीं रोक सकी, अगर कल को देश में सोना सस्ता हो जाता है और पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल आदि में सोना महंगा रहता है तो इस बात की क्या गारन्टी है कि उस समय सरकार सोने के तस्कर निर्यात व्यापार को रोक सकेगी। जब पीछे सोने का भाव ८६ रुपया प्रति दस ग्राम आ गया था तो मेरी जानकारी में यह बात लायी गई कि यहां से उल्टा तस्कर व्यापार आरम्भ हो गया है।

सोने के प्रति अनुराग प्राचीन काल से है

तीसरी बात १४ कैरेट की और सोने के प्रति अनुराग कम करने की भावना है। पहले तो यह बात नहीं है कि इस देश की जनता ने स्वतंत्र होने के बाद नए सिरे से इस भावना का निर्माण किया है। वैदिक काल से देश की यह परम्परा रही है, इसका प्रमाण उपनिषदों में और रामायण तथा महाभारत में मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हमारे देहात के अनपढ़ लोगों के गीतों में जो देश का सच्चा इतिहास सुरक्षित है, उससे ज्ञात होता है कि सोने के प्रति यह भावना बहुत पुरानी है। आज भी गांवों की स्त्रियां विवाह आदि के अवसरों पर गाती हैं :

"सोने के गडुआ में गंगाजल पानी और सोने के थाल में भोजन परोसे"

इससे पता चलता है कि किसी समय भारत सोने के संबंध में कितना समृद्ध रहा था। इस देश के सोने को सात सौ बरसों तक तो मुगलों ने लूटा, और उसकेबाद पौने दो साल तक अंग्रेज लूटते रहे। अगर मैं अपने देश की सोने की स्थिति को दो पंक्तियों में बताना चाहूं तो मैं अपने शब्दों में न कहकर इस देश के एक आदर्श सन्त स्वामी दयानन्द सरस्वती के शब्दों में कहना चाहता हूं। उन्होंने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में सोने की चर्चा करते हुये लिखा है कि 'इस देश में पारस पत्थर के होने की जो बात कही जाती है, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, वह वास्तव में कोई चीज नहीं है। वह पारस पत्री यह देश भारत ही है कि जहां लोहे के समान दरिद्र विदेशी आकर समृद्ध होकर जाते रहे हैं।' शताब्दियों और सहस्राब्दियों तक इस देश में सोने की लूट चलती रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक तो लूटा था मुगलों ने और अंग्रेजों ने, पर आज हमारी सरकार अपने ही हाथ से सोना ले रही है और इस देश को नंगा करने पर तुली हुई है।

सोना विपत्ति-काल का धन

इस देश में सोना विपत्ति काल का धन माना गया है। मंदिरों में जो सोना रहता था वह अकालों के समय निकाला जाता था, धनिकों के पास जो सोना रहता था वह देश की विपत्ति के समय निकाला जाता

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

था। जैसे कि भामाशाह ने राणा प्रताप की विपत्ति के समय अपना सोना निकाला था। जो छोटे परिवारों के पास सोना रहता था वह उनका सुरक्षित बैंक के रूप में था। जो लोग यहां पाकिस्तान से उजड़ कर आए उनको जब तक और साधन नहीं मिल पाये तब तक जो सोना उनकी महिलाओं के पास था उसको उन्होंने गिरवी रख कर छोटे-छोटे व्यवसाय आरम्भ कर दिये और इस प्रकार आगे बढ़े।

आज वित्त मंत्री जी, आपके इस अधिनियम का क्या परिणाम हो रहा है? एक घटना समाचारपत्रों में पढ़ने में आयी कि फर्रुखाबाद में एक विधवा का बच्चा मर गया, उसके पास उसके कफन के वास्ते पैसा नहीं था। वह अपने कान की वाली गिरवी रख कर कफन के लिये पैसा चाहती थी पर इस अधिनियम के कारण उसके सोने को कोई लेने को तैयार न था। उस वृद्धा ने चौराहे पर खड़े होकर रोकर लोगों से कहा कि वह क्या करे, तो लोगों ने चन्दा करके उसके बच्चे के शरीर पर कफन डाला। हाय री समाजवादी सरकार, जो उदारता से काम नहीं ले पाती।

आज स्थिति यह है कि सरकार को यह पता नहीं है कि देश के अन्दर कुल कितना सोना है। और उसको इसका पता हो भी नहीं सकता। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने इसका अनुमान लगाने की चेष्टा की थी। उन्होंने एक हिल्टन यंग कमीशन नियुक्त किया था। वह भी अधिकृत आंकड़े तो नहीं दे सका लेकिन उसमें अनुमानिक आंकड़े दिये थे। हमारी सरकार का अनुमान है कि करीब ४१०० करोड़ रुपये का सोना देश के अन्दर है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार यह सोना १८५० करोड़ का बैठता है। यदि हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए तो यह सागर में बूंद के समान है। आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये आपको २६०० करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अगर इस १८५० करोड़ की राशि को उसमें डाल दिया जाए तो उसकी केवल ७१ प्रतिशत पूर्ति हो सकती है। इससे एक योजना भी पूरी नहीं हो सकती।

लेकिन मैं तो इससे भी आगे जाकर यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि यदि देश की जनता से उसकी गाढ़ी कमाई का यह सोना माशा-माशा और तोला-तोला तक ले लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि यह सरकार जो कि पाताल फोड़ कुवें के समान है कि जो कुछ उसमें डाला जाए वह पाताल में चला जाता है, यह अपव्ययी सरकार, इस रुपये का सदुपयोग कर सकेगी।

चौदह कैरट सोना नहीं चलेगा

फिर मैं एक प्रश्न १४ कैरेट के सोने के संबंध में पूछना चाहता हूं। मैं इन शब्दों को नहीं कहना चाहता कि इस कानून को बनाने वालों को सोने के व्यापार का कितना ज्ञान है.....

[**श्री मोरारजी देसाई :** आप ही कहां जानते हैं।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोने के व्यापार को करने वालों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर इस निर्णय को नहीं लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि यह नेक परामर्शदाता लोग कौन हैं, सदन को यह मालूम होना चाहिये। और उन परामर्शदाताओं ने सद्बुद्धि से परामर्श दिया है या नहीं यह भी सोचना होगा। अगर किसी को १०५ डिग्री का बुखार रहता है तो कोई चतुर डाक्टर उसको एकदम उतार कर ९८ डिग्री पर नहीं ला देता। वह उसको धीरे-धीरे उतारता है। लेकिन आपने तो २२ कैरेट से एकदम लाकर १४ कैरट पर रख दिया। आप पहले २१ कैरट करते, बीस कैरट करते या

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिल्कुल उसको हटा देते, लेकिन आपने परीक्षण नहीं किया और एकदम १४ कैरेट पर ले आए। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

वित्त मंत्री जी अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिये कहते हैं कि हम तो इस देश में विदेशी परम्परा को लाना चाहते हैं। भारत के वित्त मंत्री दूसरे देशों में गये हैं....

[श्री मोरारजी देसाई : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम यहां विदेशी परम्परा लाना चाहते हैं।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आपने अपने ३० तारीख के वक्तव्य में कहा है कि हम अपने देश की सामाजिक परम्परा में सुधार करना चाहते हैं। विदेशों के अन्दर १४ कैरेट का सोना चलता है। लेकिन जहां तक हमारे देश की परम्पराओं का संबंध है, वित्त मंत्री जी। उनमें और विदेशों की परम्पराओं में आकाश का और पाताल का अंतर है। विदेशों में ऐसा कभी नहीं होता जैसा कि इस देश में होता है कि बाप अपनी पुत्री को विवाह के अवसर पर पैत्रिक धन के रूप में सोने के आभूषण देता है। बाप जानता है कि अगर उसको नकद रुपया दिया जाय तो सम्भव है कि वह ससुराल में जाने के बाद उसके पास न रह पाए। इसलिये वह विपत्ति के लिये उसको सोने के आभूषण देता है जो आसानी से नहीं छीने जा सकते। इसके अतिरिक्त विदेशों में न तो बच्चों के लिये अनाथ होने की समस्या है, न औरतों के लिये विधवा होकर अनाथ होने का प्रश्न है। वहां बच्चों के लिये संरक्षण केन्द्र बने हुए हैं, वृद्धों के लिये संरक्षण केन्द्र खुले हैं। यदि आपने अपने देश में लोगों के लिये ये सुविधायें उपलब्ध कर रखीं होती तो शायद कोई आपके इस कार्य को बुद्धिमत्ता का कार्य कह भी सकता था।

आप यहां १४ कैरेट के आभूषण चलाना चाहते हैं। ये आभूषण ऐसे देशों के लोगों के तो अनुकूल हो सकते हैं जहां पसीना नहीं आता। लेकिन भारत जैसे गर्म देश में अगर उसका इस्तेमाल किया जायगा तो खाल में काले निशान पड़ जायेंगे।

सोने के विशेषज्ञों का यह कहना है कि शुद्ध सोने के एक तोले में ३७६६ गज तक तार बन सकता है। लेकिन १४ कैरेट के सोने में एक तोले में ३०० गज से अधिक तार नहीं खींचा जा सकता। तो आप एक इतनी बड़ी चीज को एकदम यहां लाकर रख रहे हैं।

सोने में अन्य धातुओं का मिश्रण

आपने कहा है कि सोने में दूसरी धातुएं मिलायी जा सकती हैं। अब कांसे और तांबे को मिलाने का सवाल ही नहीं रहा। चांदी मिलायी जा सकती है। लेकिन चांदी मिले गहने जिनको कि पसनेमा वाले पहनते हैं, थोड़े दिनों में सफेद निकल आएंगे, उनका रंग उतर जाएगा। चौथी धातु प्लेटिनम मिलायी जा सकती है, लेकिन वह बहुत महंगी है। इससे भी आगे एक बात और है कि १४ कैरेट सोने का पुनः विक्रय मूल्य बहुत ही कम मिलेगा। आप २७ रुपये का दस ग्राम यह १४ कैरेट सोना लेकर उसका आभूषण बनावें तो उसको नग लगा कर बनाना होगा, वैसा तो बन नहीं सकता। आप उसमें दस रुपये के नग लगवाएंगे, उसकी मजदूरी भी दस रुपये से कम नहीं होगी क्योंकि आपने कहा है कि उसकी मजदूरी ज्यादा होती है, दो तीन रुपया उस पर पालिश करने का लग जाएगा, दस रुपया दुकानदार मुनाफा भी लेगा। तो इस तरह उसके दाम ६० या ६५ रुपये हो जायेंगे। और अगर उसको दुर्भाग्य से बाजार में बेचना पड़े तो उसके कोई बीस रुपये भी आसानी से नहीं देगा। और फिर जो कला हिन्दुस्तान में हजारों

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष से प्रसिद्ध चली आ रही है, इस अधिनियम के द्वारा आप उसको भी नष्ट करने जा रहे हैं।

यह मेरे पास दो आभूषण हैं जो मैं आपके द्वारा इस सदन को दिखाना चाहता हूं। यह जयपुर की कारीगरी का एक नमूना है। यह एक छोटी सी डिबिया है इसमें लगभग दस तोले सोना लगा हुआ है। यह जो मीने का काम किया जाता है यह सोने को शुद्ध करके कुंदन बना कर मीने का काम किया जाता है। इस मीने के काम के पश्चात् १००० रुपये के लगभग दस तोले सोने का मूल्य है और १००० रुपये के लगभग मूल्य की यह बारीक कला है। इस तरह से २००० रुपये की डिबिया जब विदेशों में जाती है तो आसानी से ६००० या ७००० रुपये प्राप्त कर लेती है। जब इस तरह से इसके ऊपर ५००० या ६००० रुपये की विदेशी मुद्रा आसानी से हमको प्राप्त हो सकती है तो इस प्रकार की बारीक और सुन्दर कला को अपने हाथों से खोना और उसके ऊपर इस प्रकार से एक अधिनियम बना कर उसे रोक देना मैं समझता हूं कि हमारे लिये यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी।

बेरोजगारी बढ़ेगी

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम देश के अन्दर लाखों इस प्रकार के आदमी जो इस धंधे में किसी न किसी रूप से लगे हुए हैं, उनको इस स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के द्वारा बेरोजगार करने जा रहे हैं। हमारे देश की सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा लेकिन वित्त मंत्री जी, क्या मैं आपसे स्पष्ट भाषा में पूंछ लूं कि जब पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में आप देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सके तो आपको क्या हक है कि इस तरह से लाखों आदमियों को आप नये सिरे से बेरोजगार बना कर उनकी एक बड़ी फौज खड़ी कर दें? यदि आपने पहले बेकारों की समस्या का समाधान कर दिया होता तो नये बेरोजगारों की पलटन जो आपके द्वारा खड़ी की जा रही है, उसको शायद देश सहन भी कर सकता था।

वित्त मंत्री जी कहते हैं कि देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या ५ लाख है जो कि बेकार होंगे। लेकिन क्या मैं पूंछ लूं कि यदि एक सुनार के पीछे उसके एक परिवार के अन्दर पांच व्यक्ति भी माने जायं तो उनकी संख्या २५ लाख के करीब जाकर बैठेगी। इसके अतिरिक्त ४० प्रकार के आदमी हैं जो कि इस पेशे से सम्बन्धित हैं। सर्राफ, जौहरी, दलाल, मीना करने वाले, मोती जड़ने वाले, मटुवा (धागा पिरोने वाले), डाई काटने वाले, छिलाई करने वाले, पालिश करने वाले, गत्ते के डिब्बे बनाने वाले, मिट्टी के सांचे बनाने वाले, औजार बनाने वाले, जरी का काम करने वाले और भी न जाने कितने हैं जो इस पेशे से सम्बन्धित हैं। इसी तरह से कम से कम २० लाख व्यक्ति और होंगे। अब इन लाखों आदमियों को बेरोजगारी के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देना आज के ऐसे वक्त में कोई अक्लमंदी की बात नहीं मानी जा सकती है। हमारे वित्त मंत्री जी ने जले के ऊपर मरहम लगाने की भी थोड़ी सी कोशिश की है। मरहम लगाने की इस तरह कोशिश उन्होंने की है कि जो बेरोजगार हो जायेंगे उनको हम सुरक्षा फैक्टरीज में स्थान देंगे। हम उनको कोई दूसरा काम देंगे। यह तो जले पर नमक छिड़कना हुआ न कि मरहम लगाना.....

[श्री मोराजी देसाई : मैंने तो ऐसा नहीं कहा।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आपने अगर नहीं कहा तो आप की ओर से और आपके किन्हीं सहयोगियों

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की ओर से इस प्रकार का वक्तव्य निकला है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है .....

[श्री ज्वा. प्र. ज्योतिषी (सागर) : उन को इस तरह का मौका न दिया जाय क्या आप यह चाहते हैं?]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ज्योतिषी जी महाराज, जरा सुनिये तो। जो लोग हजारों सालों से पीढ़ियों दर पीढ़ी इस तरह का वारीक काम करते आ रहे हैं वह दो दिन में किस तरीके से फैक्टरियों में काम करने लगेंगे? उनकी थोड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों को तो देखें। क्या वित्त मंत्री का यह तर्क गले के नीचे उतरता है कि पीढ़ियों से जो लोग किसी विशेष व्यवसाय में प्रशिक्षित किये गये हैं वे अचानक दूसरा काम करने लगेंगे? इसलिए उनका यह कहना कि १४ कैरेट का सोना सख्त होगा और उसके जेवर बनाने में सुनारों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी अतः उन्हें मजदूरी अच्छी मिलेगी, यह कोई माने नहीं रखता है।

देश में हजारों परिवारों के सामने जीवन-निर्वाह का प्रश्न भयंकर होता है जिस कारण कई स्थानों पर आत्म-हत्याएं तक हो चुकी हैं और हो रही हैं, इस दोष का और इस पाप का भागी कौन है?

कुछ साल पहले जापान से बीड़ी बनाने की मशीनों का आयात भारत में किया गया था। इस तरह की मशीनें यहां पहले कोई व्यापारी लाये थे लेकिन हमारी सरकार ने उन मशीनों के प्रयोग पर पावन्दी लगा दी क्योंकि उससे हजारों बीड़ी बनाने वाले मजदूर बेकार हो जाते। वही सरकार जो कि बेरोजगारी फैलने के डर से बीड़ी बनाने की मशीनों के प्रयोग पर पाबन्दी लगाती है, आज इस तह से वह करोड़ों व्यक्तियों के बच्चों के मुंह से रोटी का टुकड़ा छीनना चाहती है। मैं नहीं समझता कि यह कहां की अक्लमंदी है? फिर ऐसे समय में जबकि चीन के आक्रमण से यह देश त्रस्त है और सारे देश के अन्दर सहयोग और सद्भावना आनी चाहिए तब ऐसी असहयोग की प्रवृत्ति पैदा करना यह कोई अक्लमंदी की बात नहीं मानी जायगी।

यह सरकार जिसके कि सहयोगी यहां कहते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट बन्द करो, दवाइयों में मिलावट बन्द करो। उनमें मिलावट रोकने के लिए वह कानून बनाती है और मिलावट करने वालों को दण्डित करना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ यह सरकार सोने में मिलावट करने का कानून बनाती है, यह दोनो कैसी विपरीत चीजें हैं? सोने में इस तरह से कानून से मिलावट करने से क्या सरकार चाहती है कि देशवासियों में कानून तोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती चले?

[अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए तीन बातें और निवेदन करना चाहूंगा। एक तो यह कि सरकारं के इस स्वर्ण अधिनियम घोषणा का पूंजीपतियों ने पूरा लाभ उठाया। स्वर्ण अधिनियम घोषणा ९ जनवरी को साढ़े आठ बजे रात्रि में वित्त मंत्री के वक्तव्य से की गयी। अगले दिन प्रातःकाल दस बजे फार्म लेकर कस्टम तथा एक्साइज विभाग के अफसर समस्त दुकानदारों के पास पहुंच गये। क्या यह बतलाया जायेगा कि यह समस्त फार्म रात-रात में छपे और क्या सारे देश में रातों-रात बांट दिये गये? साफ जाहिर है कि पांच, सात दिन पहले फार्म छप कर आ गये थे और जो जमाखोर लोग हैं उनको पहले ही इन तमाम बातों का पता लग गया था। इसलिए सरकार ने जिस योजना से यह पग उठाया वह पूरा न हो सका।

समाजवादी सरकार की सूझबूझ का एक और नमूना मैं आपको बतलाऊं कि स्वर्णकारों पर अर्थात् जेवर बनाने वालों पर तो १० जनवरी को प्रातःकाल से ही जेवर न बनाने के आदेश लागू कर दिये थे।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परन्तु सर्राफों को एक महीने तक वह जेवर बेचने की छूट रही। जेवर वेचने वाले तो एक महीने तक अपने जेवर बेच सकते हैं और सुनारों को अगले दिन से ही फांसी के तख्ते पर लटका दिया जायगा। यह समाजवादी सरकार का न्याय है। मैं नहीं समझता कि ऐसा निर्णय लेकर कहां की बुद्धिमत्ता की गई है?

लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो अभी आप कहते हैं कि १४ कैरेट के सोने के जेवर बनेंगे। तो यह १४ कैरेट सोने के जेवर मशीनों से ही बन सकते हैं। हाथ के दस्तकार उनको नहीं बना सकते। क्या आपने यह भी सोचा है कि इन मशीनों को लेने में विदेशी मुद्रा कितनी खर्च होगी? कितना समय उनको लगेगा? फिर ऐसी मशीनों की खरीद पूंजीपति ही कर सकेंगे, कम पैसे वाले सर्वसाधारण लोग तो उन मशीनों को खरीद भी नहीं सकेंगे। लाखों आदमियों का व्यापार छीन कर चन्द आदमियों की जेब में डाल देना यह कहां की बुद्धिमानी है?

वित्त मंत्री जी यह भी कहते हैं कि धार्मिक रीति रिवाजों पर इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्या उनको पता है कि दक्षिण में विवाह के अवसर पर थिरुमंगलम् की पवित्र थाली शुद्ध सोने की बनती है और जो कि भारतीय नारी के जीवन में केवल एक बार ही बनाई जाती है। इसी तरह से बचपन में संस्कार विधि में बालक के जन्म के पश्चात् सोने की शलाखा में शहद लगा कर उससे जिह्वा पर ओ३म् लिखने की व्यवस्था ग्रह्य सूत्रों में है। इसकेअतिरिक्त जब विवाह होता है, अगर वित्त मंत्री जी को अपना पुराना समय याद होगा, तो उसमें यह चीज है कि पाणिग्रहण के अवसर पर पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ पर रखने से पूर्व उसे स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित कर कहता है—**"इमां अलंकृतां कन्यां प्रतिग्रहणातु भवान्"**।

अर्थात् सोने के आभूषण से सजी हुई इस कन्या को मैं दे रहा हूं लेकिन इस स्वर्ण अधिनियम के बाद क्या कन्या का पिता यह चीज कह सकेगा? अब जब कि स्वर्णाभूषण रहेंगे ही नहीं तो कोई भी बाप सुहागिन बनाते समय विधवा की तरह आभूषण रहित अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ पर रखते समय दुःखी होकर कहेगा—

"स्वतन्त्र भारतीय प्रशासनस्य वित्तमन्त्री श्रीमुरारजी रणछोड़जी भाई विहित स्वर्णनियन्त्रणाधिनियमं रूप कुकृपया रिक्हस्तां अलंकाररहितां मदीयां कन्यां प्रतिग्रहणातु भवान्"

[**अध्यक्ष महोदय :** इस श्लोक के बाद आपका भाषण समाप्त हो जाना चाहिए।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बस मैं एक मिनट मैं समाप्त करता हूं।

वित्तमंत्री का राजहठ

मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी, राजहठ जो होता है यह कभी सुखद नहीं होता। राजाओं के लिये तो यह चीज ठीक थी लेकिन आज इस देश की ४४ करोड़ जनता ही इस देश की राजा है। जिस देश की जनता ने अपना मस्तिष्क बना लिया और वह रक्षा विभाग पर बैठे हुए किसी बड़े से बड़े आदमी को हटा सकती है तो इस देश की जनता कल को अगर अपना मस्तिष्क बना ले तो आपके कानून में परिवर्तन नहीं करा सकती, ऐसी बात नहीं है। वह करा सकती है। लेकिन वह परिस्थितियां देश में पैदा हों, वर्तमान समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो इस प्रकार का कानून बनाया है और जिसके कि साथ-साथ जनता पर टैक्सों का अतिरिक्त भार भी डाला है, कहीं ऐसा न हो कि माओत्से तुंग और चाऊ-एन-लाई जिस अपने कम्युनिज्म को इस भारत देश में नीचे न बैठा पाये, जड़ें गहरी नहीं कर पाये, वित्त मंत्री जी की वर्तमान नीतियों से यह जड़ें गहरी न हो जायं? यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वर्ण नियंत्रण कानून हत्यारा कानून

कभी-कभी सरकार अपने विवेक से जिस कार्य को जनता के हित में समझती है वह अमल में आने पर एकदम विपरीत परिणाम देता है। यही हाल सोने पर कंट्रोल करने तथा २२ कैरेट के आभूषणों का प्रावधान करने से हुआ। देश के हजारों स्वर्णकार इस नियंत्रण से भयंकर रूप से प्रभावित हुए और इससे वे भुखमरी के कगार पर आ गए। शास्त्री जी ने ३ सितम्बर १९६६ को लोक सभा में स्वर्ण नियंत्रण को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा तथा युक्तियों और आंकड़ों से यह सिद्ध कर दिया कि स्वर्ण नियंत्रण सरकार की नादानी का परिणाम है। वित्त मंत्री के उत्तर के बाद शास्त्री जी ने अपने प्रत्युत्तर में पुनः अपनी बात को प्रबल शब्दों में प्रस्तुत किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जब १९६३ में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था, तो उस समय भी इसी प्रकार की चर्चा इस सदन में करके मैंने सरकार से कहा था कि उसका यह कदम उचित नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है, कि जो बात उस समय मैंने और विरोधी दलों ने कही थी, उस बात को आज सत्तारूढ़ दल भी अनुभव कर रहा है। इसके अतिरिक्त केवल विरोधी दलों या सत्तारूढ़ दल ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने से यह आवाज उठ रही थी कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए।

स्वर्ण नियंत्रण : हत्यारा कानून

सरकार ने इस बहस के प्रारम्भ होने से लगभग चौबीस घंटे पूर्व चौबीस कैरेट तक के गहने बनाने का निर्णय लेकर "सुबह का भूला शाम को घर आया" की कहावत को चरितार्थ कर दिया है। यह बात समझ में नहीं आई जब इस प्रकार की घोषणा कर ही दी कि अब २२ कैरेट या २४ कैरेट के आभूषण बनाए जा सकेंगे, तब सरकार नाक सीधे न पकड़ कर पीछे से पकड़ने का यत्न क्यों कर रही है। जब नाचने के लिए सरकार उतरी तो घूंघट निकाल कर नाचना कहां की अक्लमंदी है? मैंने इस कानून को काला कानून और हत्यारा कानून क्यों कहा, इसकी व्याख्या भी मैं करना चाहूंगा। मैंने इस कानून को हत्यारा इसलिए कहा कि इस कानून की वजह से देश में लगभग २५० स्वर्णकारों को आत्महत्या का शिकार होना पड़ा। इस काले कानून की वजह से दस हजार बच्चे जो स्कूलों और कालेजों में पढ़ते थे, उनकी शिक्षा का सिलसिला टूट गया। इस कानून के लागू हो जाने के बाद लाखों ही परिवार इस तरह के थे जो तबाह हो गए और जिनको इधर-उधर भीख मांगनी पड़ी।

सरकार ने कल अगर-मगर लगा करके जो यह कैरेट की छूट दी है मेरी समझ में नहीं आता है कि यह तब क्यों दी जब सारे देश में इसके ऊपर तूफान खड़ा हुआ? जब संसद् भवन के सामने आमरण अनशन प्रारम्भ हो गए, प्रति दिन पांच-पांच और छः-छः सौ की संख्या में गिरफ्तारी होने लगी? अब जो सरकार ने इन आन्दोलनों के बाद और इस प्रकार का तूफान उठने के बाद यह निर्णय लिया है, क्या इससे यह समझा जाय कि सरकार हर राष्ट्रीय प्रश्न को इसी भाषा का उपयोग होने पर हल करना चाहती है? सरकार इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए इसी प्रकार आन्दोलन करने के लिए देश को प्रोत्साहन दे रही है? एक महीने पहले अगर सरकार ने यह निर्णय ले लिया होता तो क्या इसमें हानि थी? सरकार

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने गालियां भी खाईं और उसके बाद नाक भी रगड़ी। इन दोनों में कौन-सी अक्लमंदी हुई?

मैं एक बात जो विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि जब इस स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्दर छूट देने की घोषणा कल प्रधान मंत्री ने की, तो एक बात समझ में नहीं आई कि जब यह कानून लागू हुआ था उस समय उसकी घोषणा की थी वित्त मंत्री ने और अब जब इस कानून में छूट देने का प्रश्न आया तो इसकी घोषणा की प्रधान मंत्री ने। जिस समय पाप लगने का प्रश्न था उस समय तो वित्त मंत्री को आगे कर दिया और जिस समय वाहवाही लेने का प्रश्न आया तो प्रधानमंत्री आगे आ गईं। अब वित्त मंत्री कहां चले गये? यह घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा क्यों नहीं हुई? यह प्रश्न है जो सामान्य दिमागों के अन्दर चक्कर काट रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अव्यावहारिक कानून आधा तो लगभग उसी दिन समाप्त हो गया था कि जब टी.टी. कृष्णमाचारी ने पुराने जेवरों को फिर से बनाने की छूट दे दी थी। रहा सहा कल प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद समाप्त हो गया। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि १९६३ के पहले की स्थिति जो स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने से पहले थी, सरकार उस स्थिति को वापस लाने में क्यों हिचकिचाती है?

देश में ३ लाख स्वर्णकार

इस देश में जैसी कि एल.पी. सिंह कमेटी की रिपोर्ट कल प्रधानमंत्री ने सदन की टेबल पर रखी, उनके हिसाब से, लगभग ३ लाख स्वर्णकार हैं और जनगणना के हिसाब से उनकी संख्या ५ लाख के लगभग बैठती है। लेकिन स्वर्णकार संगठनों का कहना है कि उनकी संख्या लगभग ४० लाख की है। जो भी हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो स्वर्णकारों को स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने पर लाइसेंस दिये थे, सरकारी आंकड़ों के अनुसार उनकी संख्या २ लाख ७ हजार ७४७ बैठती है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी के स्वर्णकार जो एल.पी. सिंह कमेटी की रिपोर्ट अनुसार रह जाते हैं या १९६१ की जनगणना के अनुसार रह जाते हैं, उसमें जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिए, उनकी क्या स्थिति अब होगी? वह सोने का काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? इस प्रकार के छोटे-छोटे प्रश्न हैं जिनमें सरकार क्यों इनको उलझाकर रखना चाहती है? जब कैरेट की छूट दे ही दी तो बाकी सुविधाओं को भी सरकार क्यों नहीं दे रही है? गांधी जी इस बात को बार-बार कहा करते थे कि गलती करने के बाद उसे सुधारना बड़प्पन का चिह्न होता है। लेकिन यह सरकार गलती करने के बाद गलती को सम्भालने में बड़प्पन समझती है। ऐसी स्थिति पता नहीं कब तक सरकार रखना चाहती है?

सेल्सटैक्स में कमी

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने से इस देश को कितनी भयंकर हानि हुई उसके भी कुछ मैं आंकड़े देना चाहूंगा। स्वर्ण नियंत्रण जिस समय लागू नहीं हुआ था उससे पहले सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है लगभग २७ करोड़ रुपया वार्षिक इनकम टैक्स की शकल में सरकार के अपने आंकड़ों, के अनुसार आता था, इसी प्रकार से जो स्टेट ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था, कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार को सब मिलाकर के लगभग १०० करोड़ रुपये इनसे मिलते थे, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों को। साढ़े तीन साल के अन्दर ३५० करोड़ रुपये की हानि तो सरकार ने इस प्रकार स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू करके की। इसके अतिरिक्त ३० से लेकर ५० करोड़ रुपये की हानि उनको जो मदद दी,

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

या उनके बच्चों को शिक्षा के नाम पर या रिहैबिलिटेशन के नाम पर दिया।

देश आपसे पूछता है कि यह ४ अरब रुपये की हानि जो इस गरीब देश को हुई, इसका प्रायश्चित कौन करेगा? २५० हत्यायें जो इस देश में हुईं इनका प्रायश्चित कौन करेगा? यह कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज सरकार को देना होगा। जिस समय यह स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था तत्कालीन वित्त मंत्री ने तीन बातें कही थीं कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से क्या-क्या लाभ होंगे। पहला लाभ यह बताया था कि सोना जो चोरी से आता है उसका तस्कर व्यापार रुक जाएगा। दूसरी बात कही थी कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू हो जाने से सोने की अन्तर्राष्ट्रीय दर साढ़े बासठ रुपये तोले है, वह भारतवर्ष में हो जायेगी। तीसरी बात यह कही थी कि जनता को सोने से मोह छूटेगा और जो सोना घरों में बेकार पड़ा हुआ है वह बाहर आ जाएगा और काम में लग जाएगा। यह तीन बातें कही थीं। मैं इन पर भी संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा।

सोने की तस्करी नहीं रुकी

जहां तक तस्कर व्यापार रोकने का सम्बन्ध है वह रुका या बढ़ा, इसके सम्बन्ध में मैं स्वयं न कहकर के ए.पी. सिंह कमेटी की रिपोर्ट जो कल प्रधान मंत्री ने सदन की टेबल पर रखी थी उसकी तरफ ध्यान दिलाऊंगा। वह इसके लिए पर्याप्त प्रमाण है। पहले वित्त मंत्री श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने १३ सितम्बर को मद्रास के अन्दर यह कहा कि तस्कर व्यापारियों ने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद नये ढंग अपना लिए हैं। वर्तमान वित्त मंत्री ने भी १६ मई को कलकत्ते की प्रैस कांफ्रेंस में यह कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद तस्कर व्यापार नहीं रुका। अब तस्कर व्यापार से सोना कितना आया, इसके भी उदाहरण सुनिये। एन्फोर्समेंट ब्रांच या जो कस्टम्स एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि जितने चोरी से सामान लाने वाले व्यक्ति हैं उनमें से १७ से २० इस प्रकार के हैं जो हमारे हाथ से बच कर के निकल जाते हैं। कठिनाई से एक व्यक्ति को हम पकड़ पाते हैं। अब जो पकड़े जाते हैं, उनके द्वारा कितना सोना मिला, इससे अनुमान लगाइये कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद तस्कर व्यापार बढ़ा है या घटा है।

यह सरकारी आंकड़े हैं कि जितना सोना सरकार ने पकड़ा सन् १९६३ में, जिस सन् के अन्दर यह कानून लागू हुआ था, वह था १ हजार ३३ किलोग्राम, १९६४ में जो पकड़ा सरकार ने वह था १५३२ किलोग्राम और ६५ में यह बढ़कर के २३०१ किलोग्राम हो गया। इस तरह से जो सरकार सोना पकड़ती रही है उसकी मात्रा जब बराबर बढ़ती रही है तो सोने का तस्कर व्यापार बराबर हिन्दुस्तान के अन्दर बढ़ा, उसमें कुछ कमी नहीं हुई। एल.पी. सिंह कमेटी की रिपोर्ट स्वयं इस बात को कहती है, दबे हुए शब्दों के अन्दर कि एक साल के अन्दर लगभग १ अरब रुपये का सोना इस देश में तस्कर व्यापारियों के माध्यम से आता है। १ अरब रुपये की विदेशी मुद्रा की हमें हानि करनी पड़ती है और करनी भी क्यों न पड़े जब स्थिति इस प्रकार की है कि सोने का अन्तर्राष्ट्रीय भाव है ५३.५८ रुपये और तस्कर लोग जो लाते हैं सोना वह ७० से ८० रुपये तक प्रति १० ग्राम के हिसाब से लाते हैं।

[**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) :** अवमूल्यन के बाद यह रकम बढ़ गई है।.... (व्यवधान)....]

[**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** हो सकता है इसमें वित्त मंत्री के आंकड़ों को सही माना जाय। (व्यवधान) सोने का अन्तर्राष्ट्रीय भाव मैंने बताया.....]

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अवमूल्यन के बाद ५३ रुपये कुछ पैसे नहीं हो सकता।]

[**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब. रा. भगत) :** १०० करोड़ रुपये की जो रकम उन्होंने बतायी थी उसके लिए मैंने कहा ठीक है।]

[**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इन्होंने कहा कि ५३ रुपये कुछ पैसे उसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत है वह ५३ रुपये कुछ पैसे हो नहीं सकती है।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वित्त मन्त्री सही बता रहे हैं। वह जो १०० करोड़ का आंकड़ा मैंने कहा उसके लिए वह यह कह रहे हैं कि अवमूल्यन के बाद वह १०० करोड़ के लगभग बैठता है। आप जो चर्चा कर रही हैं वह सोने के अन्तर्राष्ट्रीय भावों की चर्चा कर रही हैं।

मैं पीछे यह बात कह रहा था कि सोने का अन्तर्राष्ट्रीय भाव अवमूल्यन से पूर्व था ५३ रुपये ५८ पैसे। तस्कर व्यापारी ७० से ८० रुपये में लाते थे और हिन्दुस्तान में ला करके १४५ रुपये प्रति १० ग्राम के हिसाब से बेचते थे। तो जब तक सोने का भाव गिर कर अन्तर्राष्ट्रीय दर पर सोना भारत में नहीं आयेगा यह मामूली दिमाग रखने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है तब तक हिन्दुस्तान में सोने का तस्कर व्यापार कैसे रुक सकता है?

अब हिन्दुस्तान के चारों ओर जो देश हैं उनमें जो सोने का भाव है वह मैं थोड़ा आपके सामने रखता हूं। अरब कण्ट्रीज के अन्दर ७० रुपये तोला। अफ्रीकी राष्ट्रों में ८० रुपये तोला। लंका में ७० रुपये, वर्मा में ८० रुपये पाकिस्तान में १२१ रुपये तोला और उस समय भारतवर्ष में सोने का भाव था १८० रुपये तोला। अब जब ऐसी स्थिति है तो फिर सरकार कैसे अधिकारपूर्वक कह सकती है कि देश के अन्दर सोने का तस्कर व्यापार वह किसी प्रकार से रोक सकेगी।

भावों में लगातार वृद्धि

वित्त मन्त्री ने एक बात यह भी कही थी कि इस स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के लागू होने के बाद देश में सोने की दर घट जायगी अन्तर्राष्ट्रीय दर पर सोना देश में बिकने लगेगा। लेकिन स्वर्ण नियन्त्रण कानून लागू होने के बाद देश में सोने का भाव बढ़ा है—सोने का भाव कम नहीं हुआ। १९६३ में सोने का भाव ९५ रुपये से लेकर ११४ रुपये प्रति १० ग्राम था लेकिन १९६४ में वह भाव बढ़ कर १२५ रुपये प्रति १० ग्राम हो गया और १९६६ में वही भाव बढ़ कर १४२ रुपये प्रति १० ग्राम हो गया। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान में सोने के भाव घटे। सरकार के इस अधिनियम के लागू होने के बाद सोने के आयात की स्थिति कभी नहीं सुधरी और न ही अन्तर्राष्ट्रीय भावों पर सोना हिन्दुस्तान में कभी नहीं बिक सका।

दूसरी बात सरकार यह समझती थी कि भारतवर्ष में कुछ सोने की खानें हैं, उनका उत्पादन बढ़ा सकेंगे। लेकिन वित्त मन्त्री ने अभी पीछे १२ सितम्बर १९६३ को एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जो कोलार वगैरह की सोने की खानें हैं उनसे जो सोना निकलता है वह भारतवर्ष में पड़ता है १२४ रुपये प्रति १० ग्राम। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सोने का भाव ५३ रुपये ५८ पैसे है। लिहाजा अपने देश में जो सोना निकलता है वह भी महंगी कीमत पर आकर पड़ता है।

तब इस कानून के लागू होने से तीसरा लाभ यह बताया गया था कि जो सोना घरों में बेकार पड़ा

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हुआ है वह बाहर आ जायगा। उपाध्यक्ष जी, यह बड़े उपहास की बात है। जिस समय यह कानून इस नादान सरकार ने लगाया था उस समय चीन का आक्रमण होकर चुका था चीनी आक्रमण के बाद सारे देश में एक राष्ट्रीय भावना फैली हुई थी। उस समय लोग अपने आप सोना उतार कर राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे रहे थे। क्योंकि देश की रक्षा का प्रश्न उस समय उपस्थित था। उस समय स्थिति ऐसी थी कि न केवल सोना दे रहे थे बल्कि हिन्दुस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री और एक-दो अन्य मन्त्रियों को जनता ने सोने से तोला भी था।

लेकिन इस नादान सरकार ने क्या किया? इसने सोचा कि यह मुर्गी रोज़ एक सोने का अण्डा देती है क्यों न इसके पेट को चीर कर सारे अण्डे एक साथ ही निकाल लिये जायं? परिणामस्वरूप सरकार ने गोल्ड कण्ट्रोल एक्ट लागू किया। उसका नतीजा यह हुआ कि जो पहले सोना देते थे उन्हें यह विश्वास था कि आज सोना दे दो इससे देश की इज्जत बच जायेगी फिर बाद में बाजार से सोना खरीद लेंगे, जब उनको यह पता चला कि आज जो सोना राष्ट्रीय रक्षा कोष में देंगे कुछ दिनों के बाद वह सोना सोने की शक्ल में नहीं १४ कैरेट के तांबे की शक्ल में मिलेगा तब ही इस सरकार को देश में सोना मिलना बन्द हो गया।

गोल्ड बांड का तमाशा

हार कर सरकार ने कुछ और उपाय अपनाये—गोल्ड बाण्ड चालू किया। उसकी क्या स्थिति रही? वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तीन तरह के गोल्ड बाण्ड सरकार ने जारी किये। पहला गोल्ड बाण्ड १९७७ तक का जो साढ़े छः प्रतिशत के हिसाब से मिलना था उससे जो सोना मिला वह सब मिलाकर १६,०९२ किलोग्राम था। दूसरा गोल्ड बाण्ड १९८० तक का ७ प्रतिशत से मिलना था—इसमें कुल ६,१४६ किलोग्राम सोना मिला। इसके बाद सरकार ने हार कर नेशनल डिफेन्स बाण्ड की स्कीम जारी की। उसमें यह था कि जितने प्रतिशत शुद्ध सोना होगा उतने प्रतिशत शुद्ध सोना १९८० में वापस किया जायगा। इसमें जो सोना मिला वह १३,५५८ किलोग्राम था। यदि मैं इस रकम को रुपयों में कहूं तो यह कह सकता हूं कि सरकार को यह अनुमान था कि हमको १०० करोड़ रुपये का सोना मिल जायगा, ऐसी सम्भावना सरकार को थी लेकिन कुल मिलाकर सरकार को ६० करोड़ १३ लाख रुपये का सोना मिल पाया।

इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि सरकार पर से जनता का कितना विश्वास उठ गया है। क्या देश में सोना नहीं है? ऐसी बात नहीं। रिजर्व बैंक के ही अनआफीशियल आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि रिजर्व बैंक का कहना यह है कि हिन्दुस्तान में लगभग ४ हजार करोड़ रुपये का सोना है यानी ४० अरब रुपये का सोना जब कि सरकार को इन तीनों गोल्ड बाण्ड स्कीमों में कुल मिला कर ६० करोड़ रुपये का सोना सरकार को मिल सका। अब इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि सरकार पर से जनता का कितना विश्वास हट चुका है।

कंगाल सरकार

उपाध्यक्ष जी, एक और बात कहना चाहता हूं। कुछ सोना ऐसा भी है, सम्भव है सरकार उसके आंकड़े नहीं देना चाहे, जिन्होंने अपने आप घोषित किया है। सरकार उनके साथ वचनबद्ध है कि हम

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तुम्हारे सोने को नहीं बतायेंगे, लेकिन इससे बड़ा सरकार का दिवालियापन का सबूत और देना चाहूंगा। जिस समय मुद्रा-अवमूल्यन की चर्चा आई, उस समय रेल मंत्री पाटिल जो कि सबसे पहले पहलवान केबिनेट में माने गये, उनको अपनी बचत के लिये सरकार ने खड़ा किया। लेकिन उन्होंने सरकार के दिवालियापन का सबूत देते हुए कहा कि अगर हमारे कोष में ५ अरब रुपये का सोना होता तो शायद रुपये की कीमत न घटानी पड़ती। आप अन्दाजा लगाइये, हिन्दुस्तान की सरकार ने ४८ अरब रुपये के नोट चला रखे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के कोष में ५ अरब रुपये का सोना भी नहीं है। फिर सरकार कैसे विश्वास करती है कि जनता सरकार की गोल्ड बांड स्कीम में पैसा लगायेगी या सरकार को और पैसा देगी?

जब सरकार इतना विश्वास खो चुकी है और जब जनता का पूरा विश्वास सरकार पर हो गया है, तब सरकार बार-बार अपनी नई-नई योजनायें प्रस्तुत करती है, उसका कोई लाभ सरकार को नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी कागजी मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रहा। मूल्य ही नहीं रहा, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है बल्कि स्थिति यह आ गई है कि अब किसान, कल जो आपने घोषणा की है, सम्भव है कि इससे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो लेकिन आज तक की स्थिति इस प्रकार की थी कि किसान अपनी पैदावार बाजार में लाने से हिचकिचाता था, क्योंकि पहले जब किसान अपनी पैदावार को बाजार में ले जाता था, तो उसके बदले सोना ले लिया करता था। लेकिन जब किसान को सोने के नाम पर तांबा मिलने लगा, उसने वह लेना बन्द कर दिया। चूंकि कागजी मुद्रा का उसकी निगाह में कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि पता नहीं कागजी मुद्रा किस दिन बदल जाय, इसकी क्या स्थिति हो? नतीजा यह हुआ कि उसने अपने अनाज को ही सोना समझ लिया और अपने घर में अपने अनाज को रोकने लगा। इसमें देश में कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा हो गई। सरकार की इस गलत नीति से देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा, यह पिछले साढ़े तीन सालों में स्वर्ण नियन्त्रण ने बता दिया।

सरकार आन्दोलन के लिए विवश करती है

इसलिये उपाध्यक्ष जी! मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी इस सरकार की झूठी प्रतिष्ठा के मोह को त्यागें। कल की प्रधान मंत्री की घोषणा ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि सरकार उचित मार्ग से किसी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं है, जब तक सरकार के सामने आन्दोलन न किये जांय, आमरण अनशन न किये जायं, ५००-६०० गिरफ्तारियां पार्लियामेंट हाउस के सामने न दी जांय, तब तक सरकार के कानों में आवाज नहीं पहुंचती। इन सब आन्दोलनों के बाद जाकर सरकार ने घोषणा की। क्या सरकार यह चाहती है कि और भी राष्ट्रीय प्रश्नों को इसी रास्ते से हल किया जाय? इसी भाषा का उपयोग करके हल किया जाय। यह प्रश्न है—जो आज देश के सामने भी है और सरकार के सामने भी है, जिसको सरकार को सोचकर हल करना पड़ेगा।

दूसरी बात आज बुद्धिमत्ता का तकाजा यह है कि अब जब कि यह निर्णय ले लिया गया है कि २४ कैरेट के आभूषण, बन सकते हैं, तो फिर उसमें नाक को सीधा पकड़ने के बजाय पीछे से आकर क्यों पकड़ी है? जो दो-चार छोटी चीजें और बाकी रह गई हैं, उनको भी हटाइये और आज साहस के साथ वित्त मंत्री चौधरी इस बात की घोषणा करें। प्रधान मंत्री तो २४ कैरेट की बात ही कह कर रह गईं, लेकिन शचीन्द्र चौधरी आज इस बहस के बाद घोषणा करें कि स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम जो १९६३ में लागू किया गया

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

था, वह सरकार की गलती थी। सरकार से उस समय भूल हुई और अब स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को सरकार पूरी तरह से वापस लेती है। ऐसा कह कर सरकार अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे।

हाउस में चारों ओर से जो यह इस प्रकार की गड़गड़ाहट हुई है या इस प्रकार का जो वातावरण बना है, इस बात का परिचय देता है कि वित्त मंत्री को इस विषय में शीघ्र निर्णय लेना चाहिये।

एक और बात, उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा....

[**श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) :** यह पब्लिक ओपीनियन का सिगनीफिकेन्स है।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हमें यह भी निश्चय करना चाहिये कि जो इस प्रकार के अन्य राष्ट्रीय प्रश्न हैं उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की स्थिति अब न आये। सरकार पहले से ही हर प्रश्न पर समझदारी और बुद्धिमत्ता से निर्णय ले और कदम उठाये। अगर सरकार ऐसा करती है तो देश सरकार को साधुवाद देगा।

उपाध्यक्ष जी! मैं अन्तिम बात कह कर बैठना चाहता हूं कि सरकार ने अगर यह राजनीतिक खेल खेला है यह समझ कर कि इस प्रश्न के लाने से ६ महीने बाद जो एक संघर्ष राजनीतिक आने वाला है उस संघर्ष में सरकार अपनी स्थिति को बचा ले जायेगी। तो मैं बहुत भरे हुए शब्दों में कहना चाहता हूं कि २५० स्वर्णकारों की हत्या, १० हजार बच्चों की छूटी हुई शिक्षा, लाखों बेघर परिवार जिनकी जिन्दगियां आपके इस स्वर्ण नियंत्रण से तबाह हो गई हैं, उनका अभिशाप ही इतना होगा जो आप कितना ही इस पाप का प्रायश्चित करें उस को धो नहीं सकेंगे, उससे कभी उबर नहीं सकेंगे, लेकिन एक तरीका है गलती करने के बाद और फिर उसका सुधार करने के बाद भविष्य में राष्ट्रीय प्रश्नों पर देश को विवश मत कीजिए कि वे अनशन आदि का रास्ता अपनाएं। स्वर्णकार विवश होकर अनशन पर बैठ गए हैं। इस बारे में शीघ्र ही उपाय किया जाना चाहिए।

[शास्त्री जी के प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि शास्त्री जी बहुत मीठी वाणी रखते हैं पर आज के उनके भाषण में मिठास नहीं दिखाई दी। स्वर्ण नियंत्रण यद्यपि सफल नहीं हुआ पर इसको लगाने में सरकार की कोई बदनीयती नहीं थी। श्रीमती सिन्हा के भाषण तथा श्री बलिरामभगत के बीच में किए गए हस्तक्षेप का शास्त्री जी ने करारा उत्तर दिया।]

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को सरकार पूर्ण रूप से वापस ले ले इस आशय के मेरे प्रस्ताव को विरोधी पक्ष और कांग्रेस बैंचिज़ से जिन माननीय सदस्यों ने अपना समर्थन दिया है मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केवल दो सदस्य इस प्रकार के थे, जिन्होंने प्रस्ताव की भावना का तो समर्थन किया, लेकिन अपने किसी पूर्वाग्रह के कारण वे इससे थोड़ा बिदक गए। वे सदस्य हैं श्री दीवानचन्द शर्मा और श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा।

जहां तक श्री शर्मा का सम्बन्ध है उन से तो कोई बहुत बड़ी शिकायत मैं इस लिए नहीं कर सकता हूं कि आखिर आदमी की अवस्था पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में एक बड़ी बात श्री शर्मा ने यह कही है कि हम तो स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के पास होने के समय भी इसके विरोधी थे। मैंने उसी समय लाइब्रेरी से लोक सभा की उस समय की कार्यवाही की किताब मंगाई, ताकि मैं देखूं कि वोटिंग में श्री शर्मा ने किस ओर अपना मत दिया था। कांग्रेसी भाइयों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि वोटिंग

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के समय श्री शर्मा न तो उनके पक्ष में थे और न हमारे पक्ष में थे, बल्कि वह उस समय लाबी में बैठे हुए थे।

माननीय सदस्या, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि शास्त्री जी बड़ी मीठी भाषा में बोलते हैं। इसका उत्तर तो मैं उनके सहयोगी माननीय सदस्य श्रीमती सहोदराबाई के शब्दों में ही देना चाहता हूं कि वह मुझसे भी मीठी भाषा में बोलती हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि मीठी भाषा में आत्मा कितनी होती है। माननीय सदस्या की इस बात से कष्ट हुआ कि मैंने बजाय मरहम लगाने के कड़ुवी बात क्यों कही। लेकिन यह शिकायत केवल उनकी ओर से ही नहीं है, बल्कि जब भी किसी मरीज का आपरेशन होता है तो वह डाक्टर को गाली देता है, लेकिन जब उसका घाव अच्छा हो जाता है तो वह डाक्टर को धन्यवाद और बधाई देता है।

वित्त मंत्री ने चुनावी भाषण दिया

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के मन में मेरी बातों से कुछ कष्ट और कड़वाहट हुई हो उस पर मैं आश्चर्य प्रकट नहीं करता। लेकिन श्री भगत के भाषण पर मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य हुआ है। मेरा इस प्रकार का स्वभाव है कि सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के संचालन में जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, उनमें से कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में मेरी निजी प्रकार की धारणा है। मैं श्री भगत को उन व्यक्तियों में से समझता हूं, जो हमेशा इस सदन के सामने किसी भी बात का समुचित उत्तर लेकर आते हैं। लेकिन श्री भगत का आज का भाषण बिल्कुल इस प्रकार का था कि जैसे वह किसी चुनाव सभा में भाषण दे रहे हों। मैंने अपने भाषण में कई स्पष्टीकरण चाहे थे, लेकिन श्री भगत ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया।

मैंने श्री भगत से यह पूछा था कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद सरकार को प्रतिवर्ष जो १०० करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जो इन तीन सालों में लगभग ५० करोड़ रुपये के लगभग सरकार ने जो अनुदान दिया है, आखिर इन ४०० करोड़ रुपयों की हानि की जिम्मेदारी किस पर है?

[**श्री ब.रा. भगत :** ये आंकड़े कहां के हैं? मैंने तो जान-बूझ कर इस बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे यह पता नहीं है कि श्री शास्त्री ये आंकड़े कहां से लाए हैं। यह बात मेरे दिमाग में नहीं घुसती है।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री भगत ने यह प्रश्न मुझसे पूछा कि मैं ये आंकड़े कहां से लाया। अगर इस सदन की सिलेक्ट कमेटी मंत्री महोदय के लिए कुछ प्रामाणिक हो सकती है, तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद २७ करोड़ रुपये सालाना का इन्कमटैक्स का घाटा हुआ है, स्वर्ण के व्यापार में लगे हुए लोगों पर राज्य सरकारों के द्वारा सेल्ज़ टैक्स, परचेज टैक्स और दूसरे प्रकार के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सिज लगे हुए हैं, उन सबको मिलाकर १०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का घाटा हुआ है।

[**श्री ब.रा. भगत :** ये आंकड़ें सिलेक्ट कमेटी में ज्यूलर्स और सरफि के आदमियों ने दिये थे। मैंने सेल्ज टैक्स के आंकड़े मंगाए हैं। सभी स्टेट्स में खाली सेल्ज टैक्स में कुल ५५ लाख रुपये हुए, जबकि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

माननीय सदस्य १०० करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जान-बूझ कर इस बारे में कुछ नहीं कहा।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे प्रसन्नता होती, अगर श्री भगत सेल्स टैक्स के अतिरिक्त इनकम टैक्स और अन्य टैक्सों के आंकड़े भी इस सदन के सामने रखते। वह सेल्स टैक्स के आंकड़े ५५ लाख रुपये बताते हैं—मैं ५० लाख रुपये मान लेता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद अगर इस देश को ३५० करोड़ रुपये न सही, १०० करोड़ रुपये की भी हानि हुई, तो वित्त मंत्री इस बात का उत्तर दें कि इस हानि का जिम्मेदार विरोधी दल है या वह सरकार, जिसने यह अधिनियम लागू किया। अगर श्री भगत इन बातों पर कुछ प्रकाश डालते, तो लगता वित्त मंत्री जवाब दे रहे हैं लेकिन उन्होंने सिवाय यह कहने के कि विरोधी पक्ष इस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं, कोई नये तथ्य, आंकड़े या दलीलें नहीं रखीं।

सरकार स्वयं आलोचना करवाती है

अगर विरोधी पक्ष इस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं और सरकार विरोधी पक्षों को यह अवसर नहीं देना चाहती है, तो, जैसा कि मैंने सरकार से पूछा था, बम्बई में आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में तत्सम्बन्धी प्रस्ताव आने के बाद सरकार ने इस अधिनियम को वापस क्यों नहीं लिया? अगर सरकार इस अधिनियम को उस समय वापस ले लेती, तो वह विरोधी पक्ष की इस आलोचना से बच सकती थी, विरोधी पक्ष को इस प्रकार की बहस उपस्थित करने का अवसर ही न मिलता और देश में सरकार की वाहवाही होती कि उसने उपयुक्त समय पर निर्णय लिया है।

मैंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि १९६१ की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस देश में पांच लाख से ऊपर स्वर्णकार हैं और एल.पी. सिंह कमेटी के अनुसार तीन लाख स्वर्णकार हैं। जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिये हैं वह ढाई लाख हैं। इस सम्बन्ध में मैंने यह पूछा था कि जब सरकार ने २२ और २४ कैरेट के आभूषण बनाने की छूट दे दी है, तो वित्त मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि उन गरीबों की स्थिति क्या होगी, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिये हैं और क्या वे सोने का काम कर सकेंगे या नहीं? वित्त मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था।

[**श्री रामसहाय पाण्डेय :** वे काम कर सकेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं समझता हूं कि चूंकि श्री रामसहाय पाण्डेय अभी फायनेंस मिनिस्टर नहीं बने हैं, इसलिए अगर श्री भगत ही इसका जवाब दें, तो उसको कुछ महत्व दिया जा सकता है।

श्री व.रा. भगत : वे काम कर सकते हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : अब तो शास्त्री जी हमारी तारीफ करें। मंत्री महोदय, ने भी कह दिया है कि वे काम कर सकते हैं।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जहां तक वित्त मंत्री के इस कथन का प्रश्न है कि हमारे देश में सोने का मोह

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम हो और इसके लिए सब को प्रयास करना चाहिए, मैं उनकी इस भावना का हृदय से स्वागत करता हूं। यह दायित्व केवल सरकार का नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम इस देश में सोने के मोह को कम करें। लेकिन मंत्री महोदय की जानकारी के लिए मैं एक विशेष बात फिर कहना चाहता हूं कि वह इस तथ्य को अपनी आंखों से ओझल न करें कि इस देश की नई पीढ़ी को जेवरों के प्रति उतना मोह नहीं है, जितना कि पुरानी पीढ़ी को था। आज देश में जो लोग सोना एकत्रित करके रखते हैं, वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं कि सरकार जो कागज के नोट चलाती है, उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिये सोने की मुद्रा अपने पास रखते हैं।

ऐसी स्थिति में देश को स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से केवल हानि ही हुई है, उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। सैकड़ों व्यक्ति मौत के घाट उतर गए और देश को अरबों रुपयों की हानि हुई। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में जो दलीलें दी हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे यह सदन संतुष्ट हो सके और इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर मतदान लिया जाये, ताकि जो कांग्रेसी सदस्य स्वर्णकारों के हितैषी बनते हैं, उनकी कलई खुल सके।

सदन में कांग्रेस के बहुमत के कारण स्वर्ण पर से नियंत्रण हटाने का शास्त्री जी का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रूस और भारत की आर्थिक नीति

यहां पर रूसी मुद्रा और भारतीय रुपए के मूल्य पर कुछ स्फुट विचार प्रस्तुत हैं।

अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रूस के रूबल का मूल्य निरन्तर गिर रहा था फिर भी १०० रु. के बदले रूबल का मूल्य लगातार बढ़ता गया यह कितने आश्चर्य की बात है। प्रकाशवीर शास्त्री ने इस विसंगति पर लोक सभा में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। शास्त्री जी ने इस प्रश्न को भी अविलम्वनीय लोकहित के रूप में २५ मार्च १९७५ को लोकसभा में उठाया। उनका कहना था कि समाजवादी देश भारत की विवशता का नाजायज लाभ उठा रहे हैं।

शास्त्री जी ने कहा कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि रूस के साथ हमारे मैत्री सम्बन्ध हैं। रूस ने अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर भारत की सहायता की है। इसके लिए उसके आभारी हैं। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की नकेल रूस के हाथ में सौंप दें। रूबल के बारे में रूस भारत से एकपक्षीय समझौता करता चला आ रहा है और हम उसे मानते आ रहे हैं। जब १९६६ में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था तब १०० रु. बराबर थे १२ रूबल के। पर यह १९७१ में ११.३९, मार्च १९७४ में ९.५१, सितम्बर १९७४ में ९.४४ और दिसम्बर १९७४ में और घट कर ९.२७ हो गया। फरवरी १९७५ में ८.८८ था जो अब मार्च १९७५ में ८.६६ रु. हो गया है। इससे यह आसानी से आंका जाता है कि रूस ने हमें अस्त्र एवं मशीने देकर जो ऋण दिया है वह किस प्रकार घटने के बदले निरन्तर खातों में ही बढ़ता चला जा रहा है। १९६१ में रूस का हम पर ऋण (उधार) ७५.५ करोड़ रु. था वह १९७५ में बढ़कर २४८.७० करोड़ रु. हो गया है। वस्तु विनियम के आधार व्यापारिक भुगतान की राशि तो अरबों में है।

वित्तमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा है कि यह दर नान कमर्शियल आइटम्स पर लागू नहीं होगी। पर कौन सी बात कमिर्शियल है और कौन सी नहीं, इसका निर्णय तो रूस के हाथ में है। हमारे रक्षा सेना के २००० व्यक्ति रूस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वे कमर्शियल में आयेंगे या नान कमर्शियल में। पहले रूस रु. का मूल्यांकन उसमें सोने का अंश कितना है, इस आधार पर करता था, पर अब वह भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति पर रुपये का मूल्यांकन चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इन सब बातों को चुपचाप ही स्वीकार करती जा रही है। हम रूस से मित्रता बनाए रखना चाहते हैं पर इसका यह अर्थ नहीं कि रूसी उधार के बोझ से भारत की कमर टूटने के कगार तक झुक जाय। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाठी-गोली का शासन स्थिर नहीं रह सकता

सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण सरकार ने १८ नवम्बर १९६६ को पूरक अनुदान मांगों पर प्रस्ताव किया। शास्त्री जी ने अपने भाषण में सरकार को चेतावनी दी कि शासन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है तथा उसका जनता से भी सम्पर्क टूट गया है। पुलिस व सेना के बल पर शासन अल्पकालीन हो सकता है, दीर्घकालीन नहीं।

सभापति जी, एक वर्ष में तीसरी बार अनुपूरक अनुदानों की मांगों के रूप में जो लगभग पौने छः अरब रुपये का बजट सरकार ने पेश किया है इससे लगता है कि सरकारी विभागों पर सरकार की पकड़ धीरे-धीरे कितनी समाप्त होती जा रही है और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिये भारत सरकार को अब धीरे-धीरे पुलिस और सेना पर अवलम्बित होना पड़ रहा है।

७ नवम्बर की घटना

कुछ भी कहने से पहले मैं उस बारे में अवश्य कहना चाहूंगा जिसकी चर्चा अभी कांग्रेस के सदस्य श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जी ने छेड़ी थी। ७ नवम्बर की घटना जो संसद भवन के सामने हुई और जिसके लिए उन्होंने यह कहा कि इस प्रकार की घटना गायं की हत्या बन्द करने वाले पवित्र प्रदर्शन में नहीं होनी चाहिए थी। मैं माननीय सदस्य की उस राय से सहमत होते हुए उनको उन्हीं की पार्टी के दो सदस्यों की राय से अवगत कराना चाहता हूं।

एक हैं राज्य सभा के सदस्य श्री के.के. शाह और दूसरे हैं इसी सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री कमलनयन बजाज। श्री के.के. शाह का कहना इस प्रकार है कि ७ नवम्बर की घटना में जिन गाड़ियों के शीशे वगैरह टूटे हैं या जिनको नुकसान पहुंचा है पंजाब नेशनल बैंक के सामने या विट्ठल भाई पटेल भवन के सामने, उन को नुकसान पहुंचाने वाले लगभग दस बारह आदमी इस प्रकार के थे कि जिनके पास कुछ ऐसे हथियार थे कि जिनसे वह आसानी से पेट्रोल जहां पर होता है उस हिस्से को खोल लेते थे और दियासलाई लगाकर एक मिनट के अन्दर आग लगा देते थे। यानी वह इस प्रकार के ट्रेन्ड व्यक्ति थे, यह श्री के.के. शाह का कहना है और वह दस बारह व्यक्ति आकाशवाणी भवन से कनाट प्लेस की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे।

दूसरी घटना संसद भवन के सामने जो हुई उसके सम्बन्ध में जिस समय मैं, सेठ गोविन्द दास और डाक्टर सिंघवी जैसे सदस्य संसदीय गोमंच से संबंधित थे, वहां जा रहे थे, तो उस समय एक व्यक्ति जो बिल्कुल नंगा था, राख लगाये हुए पार्लियामेंट हाउस की तरफ आ रहा था और जनता की ओर कुछ इशारा कर रहा था, पुलिस के एक आदमी ने उसको देखकर कहा, तू इस वेष में कब से हो गया? तो उसने कहा चल चल, अलग हट। ऐसा कह कर वह इधर को बढ़ रहा था तो बजाज जी ने पुलिस वालों से पूछा कि क्या तुम इसको जानते हो? पुलिस वाले ने कहा कि इसको तो मैं बीस साल से जानता हूं, यह दिल्ली

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का बदनाम गुंडा है जो राख लगाकर आज इस तरह का भेष बनाए हुए है। वह व्यक्ति पार्लियामेंट हाउस की तरफ लोगों को आने के लिए प्रेरित कर रहा था। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के प्रदर्शन में जो यह अप्रिय घटना हुई है, जो जनतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है, जिसके लिये किसी पार्टी और व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

सभापति जी, अनुदान की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पौने छः अरब रुपये की जो मांगें उपस्थित की गई हैं जैसा कि मैं शुक्रवार को कह रहा था कि यह तीसरी बार एक छोटा सा बजट सदन में सरकार की ओर से आया है। इस पौने छः अरब रुपये की सदन से स्वीकृति लेने के बाद भी सरकार देश में जनता के दिल पर अधिकार प्राप्त कर सकेगी या प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैल गया है, इसको रोक सकेगी, इसमें कुछ सन्देह सा दिखाई देता है।

सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है

जहां तक सरकार के काम करने का ढंग है पीछे जब सात नवम्बर को यहां प्रदर्शन हुआ था और अभी कुछ दिन पहले अठारह नवम्बर को छात्रों का प्रदर्शन होने वाला था उस समय दिल्ली को सरकार ने एक फौजी छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। उससे ऐसा लगता है कि सरकार अब लोगों के दिलों में अपने लिये गुंजाइश करने के बजाय जनता पर लाठी और बन्दूक से शासन चलाने में ज्यादा विश्वास रखने लगी है। इसका एक परिचय अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फर नगर में भी देखने को मिला था, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वहां अधिवेशन हो रहा था। जिन लोगों को देखकर कभी जनता का मस्तक श्रद्धा से झुक जाया करता था, वहां जो दृश्य देखने को मिला उससे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति धीरे-धीरे देश में फैलती जा रही है, जबकि..... (व्यवधान)

मैं कह रहा था कि आज जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर है, कुछ दिनों पहले जब वे देश की सेवा करते हुए जनता के बीच में जाते थे, तो लोग आंखे बिछा कर उनका स्वागत करते थे। लेकिन शासन की दुरावस्था को देखकर आज देश में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हाल ही में मुजफ्फर नगर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसको जिस प्रकार लाठी और गोली की छाया में सम्पन्न किया गया उससे पता चलता है कि प्रशासकीय मशीनरी किस प्रकार जनता से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर चुकी है।

अगर सरकार अपने रेडियो और अखबारों को विज्ञापन देकर उनकी आत्मा को खरीद कर अपनी लोकप्रियता को देर तक कायम रखना चाहती है, तो मेरे विचार में वह इसमें सफल नहीं हो सकेगी। अगर सरकार को, और खास तौर से सत्तारूढ़ दल को, इस देश में अपना स्थान बनाए रखना है तो उनको कुछ ऐसे कार्यों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जिसमें वे जनता में अपनी पहले की सी लोकप्रियता प्राप्त कर सकें।

जहां तक तोड़-फोड़ और विध्वंस की कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, मैं इस सदन में और बाहर भी कई बार यह कह चुका हूं कि कोई भी भला व्यक्ति, जो जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखता है, उनका समर्थन नहीं कर सकता। परन्तु जहां भी इस प्रकार की तोड़-फोड़ और विध्वंस की कार्यवाहियां होती हैं, जब तक उनकी तह में जाकर इस बात का पता लगाया जाये कि कौन से इस प्रकार के तत्व हैं, जो तोड़-फोड़ और विध्वंस की कार्यवाहियों के द्वारा जनतंत्र के भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं, तब तक किसी एक दल या संगठन पर दोष थोप देना सरकार या सरकारी नेताओं के लिए कोई बुद्धिमत्ता की बात

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नहीं है। दिल्ली में ७ नवम्बर, को जो घटना घटी, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच पांच लाख लोगों की नीयत इस प्रकार की होती कि वे दिल्ली में आकर कोई तोड़-फोड़ और विध्वंस की कार्यवाही करें, तो मेरा अनुमान है कि दिल्ली की स्थिति और भी अधिक विषम हो जाती। परन्तु जैसा कि मैंने शुक्रवार को कहा था, कुछ इस प्रकार के अवांछनीय तत्व उस प्रदर्शन और जलूस में सम्मिलित हो गए थे, जिन्होंने उसके उद्देश्य को भ्रष्ट करना चाहा।

इंदिरा जी के अशोभनीय तर्क

पिछले गृह मंत्री, श्री नन्दा ने प्रधान मन्त्री को जो पत्र लिखा है, उससे देश के सामने एक भिन्न स्थिति पैदा हो गई है। प्रधान मन्त्री ने कुछ दिनों पहले कहा कि 'जहां तक होम सेक्रेटरी को बदलने का सवाल था, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है।' लेकिन मैं नहीं समझता कि यह बात उस व्यक्ति के दिमाग में कैसे उतर सकती है, जो उस कमेटी के निर्माण के ढंग और उसकी सदस्यता को जानता है। आखिर वह कमेटी क्या है? उस कमेटी में प्रधान मन्त्री, होम मिनिस्टर और मिनिस्टर इन-चार्ज रहते हैं। जबकि इस अवसर पर इस कमेटी में होम मिनिस्टर स्वयं मिनिस्टर इन-चार्ज के रूप में थे, तो इसमें प्रधान मंत्री के अलावा और कोई सदस्य नहीं था। इस स्थिति में उस कमेटी का नाम लेकर परिस्थिति की भयंकरता से लोगों को अनजान रखने की बात कुछ समझ में नहीं आती है।

७ नवम्बर, को कांग्रेस अध्यक्ष, श्री कामराज, के घर को फूंकने की जिस साजिश का पता चला, उससे भी उस दिन की घटनाओं की एक जुडिशियल एन्क्वायरी कराने का औचित्य सिद्ध हो जाता है। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। यह पता भी लग जाये कि उन घटनाओं की तह में क्या बात थी और किस प्रकार कुछ लोगों ने जान-बूझ कर उस प्रदर्शन के उद्देश्य को बिगाड़ा।

प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि गौ-हत्या सम्बन्धी प्रदर्शन और आन्दोलन केवल चुनाव स्टंट है। मैं नहीं समझता कि क्या इतने जिम्मेदार ओहदे पर बैठी हुई महिला को इस प्रकार के हल्के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर यह चुनाव स्टंट ही है, तो जगद्गुरु शंकराचार्य को कौन-सा चुनाव लड़ना है, जिन्होंने कल से गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया है? आचार्य विनोबा भावे को कौन-सा चुनाव लड़ना है, जिन्होंने इस मांग का समर्थन किया है? कांग्रेस के जिन लोगों ने पहले गौ-हत्या बन्द करने के लिए प्रस्ताव रखा था, क्या उन्होंने भी चुनाव स्टंट के तौर पर ही ऐसा किया था? मैं समझता हूं कि चुनाव स्टंट का नाम लेकर किसी उद्देश्य को बिगाड़ना जिम्मेदार लोगों, और विशेष रूप से प्रधान मन्त्री जैसे पद पर बैठने वाली महिला को शोभा नहीं देता है।

जहां तक विद्यार्थियों के असन्तोष का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने समझदारी और दूरदर्शिता से काम लिया होता, तो वर्तमान स्थिति पैदा नहीं हो सकती थी। आखिर यह असन्तोष कहां से प्रारम्भ हुआ? इस असन्तोष की बुनियाद ग्वालियर में पड़ी जहां पुलिस के एक ट्रक ने "बैक" होते हुए विद्यार्थियों के होस्टल की एक दीवार को तोड़ दिया। विद्यार्थी उस ट्रक ड्राइवर को लेकर पुलिस थाने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर गए, लेकिन पुलिस दरोगा ने विद्यार्थियों की बात को सुनने के बजाय उनको हवालात में बन्द कर दिया। इस पर विद्यार्थियों में असन्तोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था।

लाठी-गोली की सरकार

जम्मू में पुलिस ने कालेज के कम्पाउण्ड में जाकर विद्यार्थियों पर गोली चलाई। होस्टल की दूसरी मन्जिल पर बैठी एक लड़की को गोली लगी, जो गोली खाकर नीचे गिर गई। अगर जम्मू के विद्यार्थी उस गोली कांड की न्यायिक जांच की मांग करते हैं, तो सरकार स्थिति को और बिगाड़ने के बजाय अपने ही परिवार के बच्चों को सन्तुष्ट करने के लिए इस प्रकार की न्यायिक जांच करा कर इस समस्या के समाधान के लिए यत्नशील क्यों नहीं होती?

इसी प्रकार दिल्ली के बगल में, मेरठ में, पुलिस ने केवल अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ ही मारपीट और दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि बार एसोसियेशन में जाकर वकीलों के साथ भी दुर्व्यवहार किया।

इस स्थिति में क्या यह सरकार लाठी और गोली के द्वारा इस देश में अपना शासन देर तक बनाए रखना चाहती है। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक निर्णय लिया है कि पार्लियामेंट हाउस के दो-दो मील तक कोई प्रदर्शन नहीं हो पायेगा। सरकार का यह निर्णय जनतन्त्रीय परम्पराओं का गला घोट कर अधिनायकवाद को प्रारम्भ करने वाला है। अगर जनता को सचमुच यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी मांग सरकार के कानों तक पहुंचाए, तो व्यावहारिक बात यह होती कि अगर सरकार को यह भय था कि जिस सड़क पर अब तक जलूस और प्रदर्शन के आने की परम्परा रही है, उस पर आल इण्डिया रेडियो, रिजर्व बैंकऔर अन्य सरकारी भवन हैं, तो वह जलूसों और प्रदर्शनों के मार्ग बदल देती। उनको इस सड़क के बजाय रायसीना रोड या इंडिया गेट की तरफ से आने की इजाजत दे देती, जहां जलूसों पर ज्यादा अच्छी तरह से नियन्त्रण रखा जा सके। लेकिन इस प्रकार जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करना अधिनायकवाद की प्रवृत्ति को प्रारम्भ करना है। मैं समझता हूं कि देश में यह चीज ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगी।

अगर सरकार ने गौ-हत्या विरोधी और विद्यार्थियों के प्रदर्शनों और जलूसों पर लाठी और गोली के द्वारा कुछ समय के लिए नियन्त्रण कर भी लिया, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भुखमरी का जो तांडव नृत्य हो रहा है, विशाखापत्तनम में स्टील प्लांट के प्रश्न को लेकर जो घटनायें हो रही हैं, आन्ध्र प्रदेश में विधान सभा के सत्तर सदस्यों ने जो त्यागपत्र दे दिया है, उन पर नियन्त्रण करने के लिए सरकार कहां तक लाठी और गोली चलायेगी? वह किस तरह इस स्थिति पर नियन्त्रण करेगी?

शासन में सरकार की पकड़ ढीली

सच्चाई यह है कि अब शासन से सरकार की पकड़ समाप्त होती चली जा रही है। सरकार अब इन तमाम घटनाओं और स्थितियों पर नियन्त्रण कर सकने में असमर्थ है। इस का एक उपाय यह है कि सरकार देश में दलीय स्तर से ऊपर उठे और यहां पर एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया जाये, जिससे देश में असन्तोष की भावना का समाधान किया जा सके।

आपको ध्यान होगा कि इस सदन में आपकी उपस्थिति में कुछ दिनों पहले पंजाब के विभाजन पर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चर्चा हुई थी। सभी समझदार सदस्यों ने उस समय यह कहा था कि जो पंजाब पहले ही बंट चुका है, उसका दोबारा विभाजन करके देश के साथ अन्याय न किया जाये। पंजाब के विभाजन के बाद अब सन्त फतेहसिंह और मास्टर तारा सिंह ने अपनी बाहें फिर चढ़ानी शुरू कर दी हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें केवल सन्त फतेह सिंह और मास्टर तारा सिंह का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि दिल्ली और चण्डीगढ़ में बैठे हुए कांग्रेसी लीडर भी यह काम करा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह इन तमाम बातों को समझ कर स्थिति की भयंकरता को आंके और पंजाब और दिल्ली की स्थिति को और बिगड़ने से बचाए। स्थिति केवल गाय और विद्यार्थियों को लेकर नहीं बिगड़ रही है, बल्कि हर जगह कदम-कदम पर स्थिति के बिगड़ने की सम्भावना होती जा रही है।

सरकार ने देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, उन गरीब क्षेत्रों में, जहां सूखा और भुखमरी है, बांटने के लिए और खेती की सहायता करने के लिए १०३ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। इसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन पिछले दिनों समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह धनराशि बांटने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जहां कई उच्च सरकारी अधिकारी रखे गए हैं, वहां आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, श्री मेनन, को भी रखा गया है।

इलैक्शन के कुछ दिन पहले. जिस कमेटी के हाथ में १०३ करोड़ रुपये बांटने का कार्य दिया गया है, उसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का रखा जाना क्या लोगों के दिमाग में यह शंका पैदा नहीं करेगा कि यह सूखाग्रस्त लोगों की सहायता नहीं की जा रही है, बल्कि इलैक्शन के प्रोपेगैंडा के लिए सरकार के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है? मैं चाहता हूं कि सरकार इस काम के लिए रामकृष्ण मिशन जैसे पवित्र संगठनों की सेवा प्राप्त करे या उन वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्ज का सहयोग प्राप्त करे, जिनके पवित्र हाथों से यह धन उन लोगों के पास पहुंच सके और उनके दुःख-दर्द को दूर करने में सहायक हो सके और इस प्रकार जिस काम के लिए सरकार यह पैसा नियत कर रही है, वह उसी काम में लग सके।

मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे इन विचारों पर गहराई से सोचेगी।❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश की संस्कृति एवं बिरला परिवार

सरकार की लाईसेंसिंग नीति के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने डा. हजारी को नियुक्त किया था। इसने अपनी रिपोर्ट में बिरला उद्योग के बारे में बड़ी विपरीत टिप्पणी की थी तथा लिखा था कि बिरला उद्योगों ने अधिकांश लाइसेंस झपट लिए हैं। इस पर लोकसभा में ७ मार्च १९६८ को विचार किया गया। शास्त्री जी ने अपने भाषण में बिरलाओं की देश के औद्योगीकरण में की गई सेवाओं का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण, द्वेषपूर्ण और एकांगी बताया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा तो कहना यह है कि बिरला परिवार ने हिन्दुस्तान में जन्म ही क्यों लिया? यह वह परिवार है जिसके निवास पर महात्मा गांधी ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी और सरदार पटेल ने भी अपनी आखिरी सांस छोड़ी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब काशी विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता समझी तब उस परिवार ने अपना सर्वस्व तक दे देने का प्रस्ताव किया था। सरदार वल्लभभाई पटेल ने जब वल्लभ विद्यानगर, आणंद की स्थापना की थी तब भी उन्होंने चैक बुक निकाल कर उनके सामने रख दी। न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो दिल्ली ही में लक्ष्मी नारायण मंदिर द्वारा मालूम पड़ेगा कि कैसे हिन्दुस्तान के हिन्दू सम्प्रदायों को उन्होंने एकत्रित करने का प्रयास किया है। इसी तरह सारनाथ का नवनिर्मित बौद्ध विहार है। न केवल इस देश में वल्कि इस देश के बाहर विदेशों में भी चाहे वह थाईलैण्ड हो या इंडोनेशिया हो, कम्बोडिया हो, नेपाल हो, लंका हो, बर्मा हो, इस परिवार की यह परम्परा रही कि वह सभी स्थानों पर देश को आदर्श सांस्कृतिक मान्यताओं की दृष्टि से एकीकृत करना चाहता था।

कहीं अगर उसको यह पता होता कि इतना सब कुछ करने पर स्वतंत्र भारत में बीस बरस के बाद उसको यह भी दिन देखने होंगे और गाली तथा अपमान उसको पुरस्कार के रूप में मिलेगा तो शायद उस परिवार का प्रारम्भ से ही निर्णय कुछ दूसरा होता। अगर हम लोगों ने समाजवाद की व्याख्या में यह भी सम्मिलित कर लिया है कि एक विशेष औद्योगिक संस्थान को इस प्रकार गालियां दे दे कर अपमानित किया जाए और तिरस्कृत किया जाय तो सोचना होगा कि हम यहां पर बैठ कर जिस प्रकार की चर्चा करते हैं और जिस प्रकार का निर्णय लेते हैं क्यां वह निर्णय इस संसद के गौरव के अनुरूप है? हमें कुछ इस प्रकार के कार्य करने चाहियें जिससे देश में इस संसद के प्रति आस्था जगे।

आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान से गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। हिन्दुस्तान में साठ सत्तर प्रतिशत व्यक्ति खेती के ऊपर निर्भर हैं और मुश्किल से ३५ प्रतिशत आदमी ही इस प्रकार के हैं जो सर्विस में हैं या इंडस्ट्रीज में हैं या दूसरे इसी प्रकार के धंधों में लगे हैं। जहां तक विदेशों का सम्बन्ध है वहां स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। अगर हमने अपने देश का औद्योगीकरण नहीं किया और इसी प्रकार की स्थिति रही तो इसका वही नतीजा होगा जैसा अभी डा. के.एल. राव ने इंजीनियरों की बेकारी के बारे में वक्तव्य देते हुए प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि लगभग पचास हजार इंजीनियर हिन्दुस्तान में बेकार हैं और डेढ़ लाख काम पर लगे हुए हैं।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्या इस प्रकार बेरोजगारी का हल या देश का औद्योगीकरण हम कर सकेंगे? खास तौर से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में लगभग तीन हजार करोड़ रुपया लगा रखा है जिसमें से एक हजार करोड़ रुपया केवल हिन्दुस्तान स्टील के अन्दर लगा हुआ है। आप यह तो बतायें आपको उस पर रिटर्न क्या मिलता है? उत्पादन का प्रतिशत क्या है? निजी उद्योगों के अन्दर सब मिला कर अगर पूंजी का हिसाब लगाया जाए तो आपको पता चलेगा कि उसके रिटर्न का कुल प्रतिशत ६-७ परसेंट है। इसके विरुद्ध सरकार द्वारा लगाई गई तीन हजार करोड़ की पूंजी पर रिटर्न केवल आधा और एक परसेंट के बीच में है। क्या यह देश के धन के साथ खिलवाड़ नहीं है?

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध

एक मित्र कह रहे थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं बैंकों के पास आज कितनी पूंजी है? सब मिलाकर बैंकों के पास ३६०० करोड़ रुपये की पूंजी है। इसमें से रिजर्व बैंक के पास ग्यारह से बारह सौ करोड़ रुपया जमा है और आठ सौ करोड़ रुपये गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज में तथा बांडों में लगे हुए हैं। यह सारा रुपया सरकार के पास रहता है। बाकी सोलह सौ करोड़ रुपया बचता है जिसमें से स्टेट बैंक तथा उससे सम्बन्धित जो बैंक हैं, उनमें भी पैसा है और दूसरे बैंकों के पास भी पैसा है। छोटे-छोटे उद्योग धंधों में भी लगता है और बड़े-बड़े उद्योग धंधों में भी लगता है। ऐसी अवस्था में कितनी पूंजी उनके पास शेष रह जाती है, इसका भी तो अनुमान आप लगायें।

इससे भी बड़ी एक बात और यह है सरकार के पास लाइफ इन्श्योरेंस का पैसा है, पोस्टल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स का पैसा है और जो राज्य सरकारों ने ऋण ले रखे हैं उनका भी पैसा है। समझ में नहीं आता है कि फिर कौन-सा पैसा बचता है जो जनता के उपयोग के लिए रह जाता है। इतना ज्यादा पैसा सरकार अपने कब्जे में किये बैठी है और ऐसा करके वह देश के अर्थ तंत्र को स्वयं जानबूझ कर दूषित कर रही है। फिर जिस प्रकार की चर्चा यहां हो रही है उसको सुनकर तो और भी ज्यादा दुःख होता है।

रिपोर्ट परस्पर विरोधी

जहां तक हजारी रिपोर्ट का सम्बन्ध है अगर आप मुझे पढ़ने की आज्ञा दें तो मैं उसी रिपोर्ट में से तीन चार पंक्तियां प्रश्न के रूप में पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि डा. हजारी ने यह रिपोर्ट इस औद्योगिक संस्थान की प्रशंसा के लिये लिखी है या निन्दा के लिये लिखी है। उनके शब्द ही यह हैं—

> "इस घराने ने निस्संदेह भारत के अर्थतंत्र के विकास में भारी योग दिया है। उसने प्रतिरक्षा एवं निर्यात अभिस्थापित उद्योगों, यांत्रिक उपकरणों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, यंत्रों, एल्यूमीनियम, रसायनों, उर्वरकों व सीमेंट जैसे मूलभूत उद्योगों आदि में महत्वपूर्ण प्रयत्न किये हैं।"

और भी तमाम यह गिनती यहां की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि इनका इस देश के विकास के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी रिपोर्ट में आगे जाकर डा. हजारी स्वयं अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि दस वर्ष के अन्दर नौ हजार लाइसेंस दिये गये हैं और इन नौ हजार लाइसेंसों में मोनोपोली कमीशन के आधार पर केवल १५१ इस परिवार के हिस्से आते हैं। फिर आप यह भी देखें कि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह एक परिवार ही तो केवल नहीं है। इसमें उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके सम्बन्धी भी हैं। इस औद्योगिक संस्थान के द्वारा चलाये जा रहे उद्योग धंधों में दो ढाई लाख के करीब लोग काम पर लगे हुए हैं। इस सबके लिए देश को उनका ऋणी होना चाहिये।

डा. हजारी ने आगे चलकर स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इनके द्वारा चलाये जा रहे उद्योगों में कम से कम विदेशी मुद्रा का प्रयोग होता है। तब समझ में नहीं आता है कि डा. हजारी उनको प्रशंसा का सर्टीफिकेट दे रहे थे या उनकी वह निन्दा करना चाहते थे। यह एक ऐसा परिवार है जिसका राष्ट्र के विकास में, औद्योगिक विकास में विशेष स्थान रहा है। इस सबको देखते हुए यदि अपशब्दों का ही प्रयोग करना था और इस सर्वोच्च सदन के अन्दर इस प्रकार निन्दा का ही इस प्रतिष्ठान को विषय बनाना था तो मैं नहीं समझता कि ऐसा करके दूसरे उद्योग धंधों में लगे लोगों को प्रोत्साहन इस तरह कैसे दिया जा सकेगा? यह तो उनके उत्साह को घटाना ही होगा। हमको सोचना चाहिये कि जब हमारे देश में धरती सीमित है, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के द्वारा हम विचार कर रहे हैं कि किस तरह से अपने देश के उद्योगधंधों को बढ़ाना होगा। जहां तक उद्योगधंधों को बढ़ाने का प्रश्न है, सरकारी उद्योग धंधों की स्थिति का चित्रण मैंने अभी किया ही है। इस अवस्था में सरकार कैसे इस देश की आर्थिक समस्या का समाधान करेगी? किस तरह वह बेरोजगार इंजीनियरों और अन्य प्रशिक्षित लोगों को काम पर लगायेगी?

आयोग स्वयं भ्रमित

डा. हजारी स्वयं अपनी रिपोर्ट में कितने कन्फ्यूज्ड हैं, मैं इसका भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। उनके ही यह शब्द हैं, जो जानकारी मुझे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक थी, वह पूरी नहीं मिल सकी। वह अधूरी, अविश्वसनीय और एकांगी थी। उनका कहना है कि जिन प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर उन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की, वे "पार्शल, इन्कम्पलीट एंड इन सम केसिज नाट फुली रेलायबल" थे। इसी से शायद जो व्यक्ति १९६० में इकानोमिकल वीकली में कहता है कि इस औद्योगिक संस्थान के पास ३४६ लाइसेंस हैं, वह ही १९६१ में कहता है कि उसके पास २७० लाइसेंस है और रिपोर्ट में अब वह कहता है कि उसके पास १६० लाइसेंस हैं। जब कि मोनोपोलीज़ कमीशन के अनुसार वास्तविकता यह है कि उसके पास सिर्फ १५१ लाइसेंस हैं।

जब डा. हजारी ने इतनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, तो निष्पक्षता की दृष्टि से और साथ ही इसको एक प्रामाणिक रूप देने के लिए भी उनको एक औद्योगिक संस्थान के साथ दूसरे संस्थानों को दिये गये लाइसेन्सों तथा अन्य सम्बन्धित आंकड़ों सम्बन्धी भी तथ्य देने चाहिये थे। ताकि एक तुलनात्मक विवेचन हमारे सामने आता। उन्होंने केवल एक ही परिवार या औद्योगिक संस्थान को लेकर समस्या का एक ही पक्ष सामने रखा, दूसरा पक्ष नहीं रखा।

इस रिपोर्ट के एक अंश पर माननीय सदस्य, डा. मेलकोटे ने आपत्ति की है। मैं कहना चाहता हूं कि उसको पढ़कर मुझे केवल तकलीफ ही नहीं हुई, बल्कि चोट भी पहुंची है। मैं समझता हूं कि सदन के हर एक माननीय सदस्य की प्रतिक्रिया भी यही होगी। हम सब सारे देश की एकता का स्वप्न देखते हैं और कन्याकुमारी से काश्मीर तक और कच्छ से नेफा तक फैले इस भूभाग को एक देश के रूप में देखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इतने लाइसेंस मारवाड़ियों को दिये गये, इतने बंगालियों

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को, इतने पंजाबियों को और इतने सिंधियों को दिये गये। क्या इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में देश की एकता की कोई और ही कल्पना है?

मैं श्री फखरुद्दीन अहमद, और सरकार से कहना चाहता हूं कि बराये-मेहरबानी इस प्रकार की रिपोर्टों को तैयार कराते समय वह इन लोगों के मस्तिष्कों को पहले थोड़ा साफ कर दिया करें, ताकि महत्त्वपूर्ण निर्णय और सिफारिशें करते हुए उनके मन में इस प्रकार का संकुचितपन और इस प्रकार की छोटी रेखायें न हों और वे देश के भाग्य के साथ इस प्रकार खिलवाड़ न करें।

आज जो स्थिति है, उसमें सरकार चाहे कितना ही रुपया परिवार-नियोजन पर लगाए, चाहे खेती को किसी भी प्रकार से बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन यदि औद्योगीकरण की उपेक्षा की गई और उद्योग-धंधों में लगे हुए लोगों को उनके परिश्रम का पुरस्कार गालीगलौज, अपमान और निन्दा के रूप में दिया गया, तो हम देश के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकेंगे। मुझे आशा है कि सरकार इसी दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करेगी। ❑

भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो?

कई बार प्रश्न उठता है कि भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है ? क्या रिश्वत लेना भ्रष्टाचार है, किसी की सिफारिश करना भ्रष्टाचार हैं, अपने आदमियों को नौकरी में रखना भ्रष्टाचार है? मैं अपनी दृष्टि से भ्रष्टाचार की छोटे से शब्दों में इस तरह से परिभाषा किया करता हूं। यमुना में स्नान करके पंडित जी जब अपने घर को लौट रहे थे तो चौराहे पर हीं मरा हुआ गधा उनको दिखाई दिया। उन्होंने एकदम अपने हाथ की माला फेंक दी और कहा कि जिसने इस गधे की हत्या की है उसको नरक मिलेगा। पीछे से किसी समझदार आदमी ने कहा कि पंडित जी गधे को मारने वाला तो आपका ही पुत्र है। यह सुनकर उन्होंने झट से माला उठा ली और कहने लगे कि अगर ब्राह्मण पुत्र से गर्दभ की हत्या हुई है तो इस गधे को तो स्वर्ग मिलेगा। इसका नाम है भ्रष्टाचार। जिसमें दूसरों के दोष दिखाई देते हों, उस समय तो वह भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार है। लेकिन जब अपनी पार्टी वालों के, अपने सम्बन्धियों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवार वालों के दोष होते हैं, तब वह बुराई, भलाई दिखाई देने लग जाती है, यह भ्रष्टाचार है। छोटी-छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया जाता है और बड़े-बड़े मगरमच्छ निकल भागते हैं। इस तरह से अगर आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारी भ्रष्टाचार से अरबों रुपयों की हानि

१९६९-७० के बजट पर आम बहस में १२ मार्च १९६९ को भाग लेते हुए शास्त्री जी ने इस बात पर बल दिया कि यदि वर्तमान में जो कराधान है उसकी वसूली ठीक ढंग से की जाय तो नए कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन्स्पैक्टर राज के कारण उद्योगपति और इंस्पेक्टर मालामाल हो रहे हैं और सरकार को घाटा हो रहा है।

सभापति महोदय, संसद के पिछले अधिवेशन में जब वित्त मंत्री से यह पूछा गया कि दुनिया के दूसरे देशों का हमारे ऊपर जो ऋण है उसका ब्याज हमको कितना देना पड़ता है तो वित्त मंत्री जी ने बताया था कि १६३ करोड़ रुपया हमको ब्याज का देना पड़ता है। मुझे पता नहीं कि उसके बाद जो ऋण हमारे देश ने दुनिया के दूसरे देशों से लिये हैं उनसे यह राशि कितनी बढ़ गई है और आज उसकी स्थिति क्या है और कितना ब्याज हमको उस ऋण के ऊपर देना पड़ता है? लेकिन मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार के परिवार नियोजन विभाग ने भारतवासियों में परिवार नियोजन की प्रवृत्ति जगाने केलिए एक नई पद्धति अपनाई है। वह प्रतिदिन देश में जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई है, यह समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाते हैं। ताकि देशवासियों को यह ज्ञान हो कि हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उनका झुकाव परिवार नियोजन की ओर हो।

वित्त मंत्रालय विदेशी ऋण का विवरण दे

मैं चाहता हूं कि इसी तरह की परम्परा वित्त मंत्रालय भी अपनाये। हमारे देश पर दुनिया के दूसरे देशों का कितना ऋण है और वह ऋण कुल मिला कर प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितना बैठता है और उसका ब्याज कितना बढ़ता जा रहा है? इसका एक विवरण भी अगर प्रतिदिन नहीं तो कम से कम प्रति मास या त्रैमासिक समाचारपत्रों में प्रकाशित अवश्य करवाया जाना चाहिये। इससे हमारे देशवासियों के अन्दर यह प्रवृत्ति जगेगी कि हम दुनियां के दूसरे देशों के अधिक ऋणी न होते जांय और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और उसके लिए उपाय खोजें। वित्त मन्त्रालय का भी इस ओर ध्यान रहेगा कि हम दुनिया के दूसरे देशों के अधिक ऋणी होते चले जा रहे हैं। हमें धीरे-धीरे अपने पैरों पर खड़े हो कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये। यथा सम्भव दुनिया के दूसरे देशों में ऋण लेने की प्रवृत्ति से हाथ खींच कर हम को काम करना चाहिये।

एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने अभी कुछ दिन पहले श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया था जिसे सीधे टैक्सों के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया था। मुझे पता नहीं कि कब तक उसकी रिपोर्ट सदन के टेबल पर रखी जाएगी। लेकिन जैसा समाचारपत्रों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है उसमें यह बात है कि जो छोटे-छोटे करदाता हैं उन करदाताओं से कर वसूल करने के लिए सरकार ने भारी मशीनरी लगा रखी है। उस पर सरकार का जो व्यय होता है, उसकी बजाय अच्छा यह हो कि उन पर कुछ कम्पाउंड टैक्स लगा दिया जाय। यदि ऐसा किया गया तो सरकार का जो इस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारी मशीनरी में व्यय होता है, उससे सरकार बच सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का सुझाव दिया गया है। यदि दिया है तो वित्त मंत्रालय ने उसके ऊपर अभी तक विचार किया है या नहीं किया है? इस साल का वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने उस दिशा में कोई संकेत नहीं दिया है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार अभी तक इसमें अपना कोई मन नहीं बना सकी है।

ग्रामों में सुविधाओं का विस्तार हो

गांवों से नगरों की ओर आव्रजन से नगरों में सुविधायें सिमटती चली जा रही हैं। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। इस बारे में हमारी सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये और इसके बारे में कुछ करना चाहिये। कुछ दिन पहले योजना आयोग के एक सदस्य ने जो इस समय गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं,—श्री श्रीमन्नारायण ने एक बात सार्वजनिक रूप से कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शहरों में इसी तरह से सुविधायें सिमटती चली गईं तो एक दिन ऐसा आएगा जब जहां गाँव उजड़ जायेंगे वहां शहरों में निवास की पूरी व्यवस्था नहीं होगी और इस बढ़ती हुई आबादी के बोझ को शहर सम्भाल नहीं सकेंगे। इससे देश की जो अर्थ व्यवस्था है उसके अन्दर एक बहुत बड़ी विषमता पैदा हो जाएगी। दुर्भाग्य से अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई व्यावहारिक निर्णय नहीं लिया है जिससे पता लगता हो कि शहरों की तरह ही सुविधाओं को गांवों की ओर भी थोड़ी-थोड़ी करके वह प्रदान करने का प्रयत्न कर रही है। इससे लोग गांवों की ओर भी आकर्षित होंगे और शहरों की सुविधाओं से प्रभावित होकर वे उनकी ओर दौड़ते नहीं चले जायेंगे।

कुछ दिन हुए यहीं पर एक प्रश्न पूछा गया था कि गांवों के अन्दर जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कितने अस्पताल ऐसे हैं जो बिना डाक्टरों के चल रहे हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश के ही आंकड़े बताता हूं। जिस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू था तब इसी सदन में सरकार की ओर से उत्तर दिया गया था कि लगभग सात सौ अस्पताल उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हैं जो बिना डाक्टरों के चल रहे हैं। यह स्थिति क्यों है? गांवों के अन्दर डाक्टर क्यों नहीं जाना चाहते? इसका एक कारण यह भी है कि मेडिकल कालेज ज्यादातर शहरों में हैं। जो डाक्टर वहां पर पढ़ते हैं वे शहर की सुविधाओं के आदी हो जाते हैं। इसलिए वे अपने नौकरी काल में भी शहरों में ही रहना चाहते हैं, गांवों में जाकर सेवा करना नहीं चाहते हैं। सरकार उनको गांवों में भेजने के उपाय ढूंढती है। उनको कुछ अतिरिक्त वेतन देने की बात करती है ताकि वे गांवों की ओर आकर्षित हों।

टैक्नीकल कालेज गांवों में खुलें

इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे देश में जितनी भी टैक्नीकल संस्थायें हैं अगर वे शहरों की अपेक्षा गांवों के वातावरण में हों तो गांवों के बच्चे अपने घर में भी रह सकते हैं और टैक्नीकल एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उस वातावरण में दीक्षित डाक्टर, इंजीनियर आदि जो हैं, उनको गांवों में ही रह कर कार्य करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। और यह जो भय बढ़ता चला जा रहा है कि सुविधायें गाँवों से सिमट कर शहरों की ओर आती जा रही हैं, उसमें भी कमी आती चली जाएगी।

अब मैं टैक्नीशियनों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जब रुड़की विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देने गई थीं तब वहां के स्नातक जो इंजीनियर बन रहे थे, उन्होंने, जब उनको डिग्री दी जाने लगी तो, कहा कि हमें उपाधि नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिये। इसी तरह का एक प्रदर्शन चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कालेज में भी हुआ था। पिछली बार देश के इंजीनियरों ने काफी दिनों तक हड़ताल और प्रदर्शन का भी सहारा लिया था। उस समय इस विभाग से पूछा गया कि हमारे देश में इस समय बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या कितनी है? तो बताया गया कि लगभग साठ हजार इंजीनियर हमारे देश में बेरोजगार हैं। यह संख्या जो उस नये वर्ष के निकलने वाले स्नातक हैं उनसे अलग है। उनको भी अगर जोड़ा जाए तो उनकी संख्या अस्सी हजार के लगभग हो जाती है। गुजरात की सरकार ने इसके लिए एक उपाय सोचा है। उसने कुछ राशि रखी है और बेरोजगार इंजीनियरों से पूछा है कि कितने लोग इस प्रकार के हैं जो सर्विस के माध्यम से काम करना चाहते हैं? और कितने इंजीनियर इस प्रकार के हैं जो उनको अगर सरकार कुछ आर्थिक सुविधायें दे तो वे अपने पैरों पर खड़े होकर छोटे-मोटे उद्योग धंधे चलाना चाहते हैं।

मैं चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का समाधान करने के लिए, विशेषकर टैक्नीकल एजुकेशन जिन्होंने प्राप्त की है, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए गुजरात जैसी योजना हर प्रान्त को चलानी चाहिये। इस दिशा में वित्त मन्त्रालय को प्रान्तीय सरकारों को कुछ निर्देश देने चाहिये। केन्द्रीय सरकार इस दिशा में स्वयं आगे आकर कुछ योजना प्रस्तुत कर सके तो वह बहुत अच्छी बात होगी।

टैक्सों की वसूली ठीक नहीं

जहाँ तक टैक्सों की बात है, उनमें जितने टैक्स इस समय हमारे देशवासियों पर लगे हुए हैं अगर ये सारे के सारे विधिवत वसूल कर लिए जायें तो हिन्दुस्तान में कोई नए टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आज सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हर प्रान्त के बजट में कुछ नए टैक्स हर वर्ष लग जाते हैं लेकिन टैक्सों की वसूली की अच्छी व्यवस्था नहीं की जाती है।

मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बतलाना चाहता हूं कि एक छोटे से बिजनौर जिले में चीनी और खण्डसारी बनाने वाले जो क्रशर हैं उनकी संख्या २२०० है। खंडसारी क्रशरों की देखरेख करने वाले जो इंस्पेक्टर हैं उनका हर क्रशर के साथ अपना ढाई सौ रुपया प्रति मास बंधा हुआ रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि पच्चीस हजार रुपया जो सरकार को एक क्रशर से मिलने वाला होता है वह मिलने से रह जाता है। अब आप ही बताइये कि एक क्रशर से पच्चीस हजार रुपया जो सरकार के पास आने वाला था अगर वह छूट जाता है तो २२०० क्रशरों से सरकार का कितना रुपया वसूल होने से छूट गया?

एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि सरकार ने इसको रोकने के लिए एक दूसरा काम किया। ये जो क्रशर चलते हैं इनमें बिजली इस्तेमाल होती है। सरकार ने कहा कि देखा जाए कि जब इतनी बिजली इस्तेमाल हुई है तो इतनी कम खण्डसारी पैदा क्यों हुई, या इतनी कम चीनी पैदा क्यों हुई। इसका असर यह हुआ कि एक दूसरी प्रकार की चोरी शुरू हो गई। पहले खंडसारी के इंस्पैक्टरों के साथ ही उनका लेन देन था अब उन्होंने बिजली के इंस्पैक्टरों के साथ भी सांठ-गांठ कर ली। इस तरह से जो लाखों रुपया बिजली के द्वारा सरकार के पास आने वाला था वह मीटरों में परिवर्तन करवा कर, बिजली के माध्यम से उन्होंने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बचा लिया और यह भी सरकार को नुकसान हुआ।

यह स्थिति केवल एक विभाग की है। सरकार ने जितने इस प्रकार के टैक्स लगाये हुए हैं सबमें यह गड़बड़ है। तम्बाकू पर तम्बाकू के इंस्पैक्टर हैं और वे वहाँ गड़बड़ करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि दो ढाई सौ रुपया महीना पाने वाला इंस्पैक्टर लाखों रुपया एक साल में कमा लेता है। सरकार ने जितने टैक्स लगा रखे हैं अगर इनकी वसूली का पूरा प्रबन्ध हो जाए तो सरकार को नए टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। सरकार जहाँ नए टैक्सों का प्रावधान करे, वहाँ इस बात की भी व्यवस्था करे कि जो पहले से टैक्स लगे हुए हैं, उनकी वसूली भी ठीक तरह से हो और उन टैक्सों में किसी प्रकार की कटौती न हो।

कृषि सम्पत्ति पर कर क्यों?

जहां तक कृषि सम्पत्ति कर का सम्बन्ध है सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में निर्णय लेने में हाथ किसका है? समाचारपत्रों में चर्चा यह है कि इस समय वित्त मंत्री जी की उसी तरह से आलोचना हुई है जैसे आलोचना उनकी स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम जब वह लाये थे तब हुई थी। इसका स्पष्ट रूप से जवाब आना चाहिये कि इस योजना को लाने के पीछे किसका हाथ है? समाचारपत्रों में यह समाचार आया है कि चूंकि मध्यावधि निर्वाचन होने थे, इस वास्ते इसको पहले प्रकट नहीं किया गया। यद्यपि कृषि कर के सम्बन्ध में योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री गाडगील ने प्रधान मंत्री को जो योजना आयोग की अध्यक्ष भी हैं, कृषि कर के बारे में पूरी योजना दे दी थी। लेकिन उसको इस वास्ते दबा कर रख लिया गया कि मध्यावधि निर्वाचनों में कांग्रेस की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसलिए सोचा गया कि चुनाव हो जाने दो, उसके बाद इस योजना को प्रकाश में लायेंगे। क्या यह सच बात है? एक तो मैं यह जानना चाहता हूँ। साथ ही यह भी पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह किस के मस्तिष्क की उपज है, कौन इसका जन्मदाता है?

किसान के अन्दर इससे भय व्याप्त हो गया है। गांवों में एक कहावत है उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना। इस कृषि सम्पत्ति कर से किसानों के अन्दर यह भय बैठ गया है कि अभी तो सरकार ने कृषि सम्पत्ति पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा है लेकिन धीरे-धीरे सरकार का इरादा यही है कि कृषि पर कर लगाना चाहिये। छोटे-छोटे किसानों के अन्दर भी यही भय व्याप्त हो गया है, बड़ों के अन्दर तो हुआ ही है। सरकार की ओर से यह कहा गया है कि वह इस कृषि सम्पत्ति कर को उन लोगों पर लगाना चाहती है, जिनके पास ब्लैक का बहुत अधिक धन था और उसको सफेद धन में परिवर्तित करने के लिए जिन्होंने बड़े-बड़े फार्म बना लिये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस ब्लैक के पैसे को सफेद करने में देश का कृषि-उत्पादन बढ़ सकता हो, तो सरकार को यह सोचना चाहिए था कि क्या यह कर लगाना उचित है?

लेकिन जब सरकार ने कृषि सम्पत्ति पर कर लगाने का निर्णय कर ही लिया है, तो क्या उसने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि यह कर केवल उन्हीं लोगों से लिया जायेगा, जिनके पास ब्लैक के करोड़ों अरबों रुपये थे और उन को सफेद करने के लिए जिन्होंने बड़े-बड़े फार्म बना लिये हैं? इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट रूप से देश को बताना पड़ेगा। क्योंकि इस कर की घोषणा से किसानों में बड़ा भारी आतंक फैल गया है। लोगों को यह आशंका होने लगी है कि सरकार कृषि सम्पत्ति के बहाने धीरे-धीरे कृषि पर कर लगाना चाहती है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस भय का कारण सरकार द्वारा खाद पर कर लगाने की घोषणा है। अब तक स्थिति यह थी कि बाहर से मैक्सिकन वैरायटी के जो नये बीज आये थे, उनके द्वारा हमारे देश की कृषि में क्रान्ति आई थी। किसान उत्साहित होकर कृषि-कार्य में जुट गये थे। रासायनिक खाद, पानी और ऋणों की व्यवस्था करके उन्होंने अपनी उपज की वृद्धि की थी। जिस प्रकार दूध में उफान आने पर उसमें पानी डाल कर झाग को नीचे दबा दिया जाता है उसी प्रकार इस बजट में खाद पर टैक्स लगाने की घोषणा से किसान के उत्साह पर पानी पड़ गया है।

उत्तर प्रदेश में स्थिति यह थी कि वर्षा न होने के कारण हाहाकार मचा हुआ था; किसानों ने मैक्सिकन वैराइटी के बीजों का उपयोग किया। बिजली के छोटे-छोटे पम्प खरीदे और उनके द्वारा सिंचाई करके खेती के उत्पादन को बढ़ाया। लेकिन इस बजट में बिजली द्वारा चालित पम्पों पर भी टैक्स लगा दिया गया है।

गन्ना सस्ता क्यों?

इसके अलावा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर टैक्स लगाने का परिणाम यह हुआ है कि किसान का गन्ना सस्ता हो गया है। मिलें कहती हैं कि हम पर जो टैक्स लगेगा, वह हम कहाँ से लायेंगे? उसके लिए हम किसान से गन्ना सस्ता लेंगे। किसान पर इस बजट के द्वारा यह भी एक चोट पड़ी है। कृषि सम्पत्ति कर की घोषणा, खाद और बिजली से चलने वाले पम्पों पर टैक्स और चीनी पर टैक्स बढ़ाने के कारण गन्ने का सस्ता हो जाना, इस प्रकार किसान पर दोहरी मार पड़ी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट ने सीधे रूप में किसी की कमर तोड़ी है, तो वह किसान की।

वित्त मंत्री को सुनकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन श्री गुप्त की सरकार ने शपथ ली, उसके अगले दिन से ही उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने गन्ने का भाव एक रुपया सस्ता कर दिया। इस बारे में कोई विधिवत् घोषणा नहीं की गई। लेकिन श्री गुप्त की सरकार बनने के अगले दिन से ही गन्ने का भाव एक रुपया सस्ता हो गया। आखिर इसका क्या कारण है कि श्री गुप्त के गवर्नमेंट में आते ही चीनी मिलों में इस प्रकार की उलटी क्रान्ति आ गई?

मैं वित्त मंत्री को यह सुझाव भी देना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि किसी वस्तु के मूल उत्पादक को उसके उत्पादन का मूल्य पैसे के साथ-साथ कुछ मात्रा में उसके उत्पादन की शक्ल में भी दिया जाये। उदाहरण के लिए कपास के मूल उत्पादक को कपास का मूल्य केवल पैसे की शक्ल में ही न दिया जाये, बल्कि कुछ मात्रा में मिल रेट पर कपड़े की शक्ल में भी दिया जाये। इसी प्रकार गन्ने के मूल उत्पादक को १०० रुपये में से ९८ रुपये तो पैसे की शक्ल में दिये जायें, लेकिन दो रुपये उस को चीनी की शक्ल में भी दिये जायें ताकि उस को चीनी के परमिट के लिए तहसीलदार और एस.डी.एम. के पास न जाना पड़े और वह भी अपने बच्चों के मुंह में चीनी के दो दाने रख सके।

साइनबोर्ड टैक्स

मैं वित्त मंत्री को एक नये कर का भी सुझाव देना चाहता हूं। मैंने थाईलैंड में देखा है कि उन्होंने अपनी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक साइनबोर्ड टैक्स लगाया है। उसका अभिप्राय यह है कि जो लोग अपनी दुकानों पर थाईलैंड की देशी भाषाओं के साइनबोर्ड लगायेंगे उन पर तो कोई टैक्स नहीं

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लगेगा लेकिन जो विदेशी भाषाओं के साइनबोर्ड लगायेंगे, उन पर टैक्स लगाया जायेगा। इस प्रकार उन्होंने अपने नगरों को थाईलैंड की भाषाओं के साइनबोर्डों से भर दिया है। वित्त मंत्री को इस दिशा में भी विचार करना चाहिए।

मेरे पास यह एक कपड़ा है, जिसको कैनवेस कहा जाता है। इस पर सरकार ने टैक्स लगाया है। यह कपड़ा पावरलूम के द्वारा पिलखुआ, हापुड़ और मेरठ आदि में बनाया जाता है। इसका भाव डेढ़ रुपया मीटर है। दूसरी ओर मिलों में बनाया जाने वाला कैनवेस है, जिस का मूल्य आठ रुपये मीटर है। पावरलूम के द्वारा जो कैनवेस बनाया जाता है, उसके लिए पावरलूम तो चलती है, लेकिन बाकी सारा काम हाथ से होता है। मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस बारे में स्पष्टीकरण किया जाये। क्यों कि यह टैक्स लगाये जाने से पिलखुआ जैसे छोटे शहर में २५० कारखानों के बन्द होने और उसके परिणामस्वरूप १२,००० मजदूरों के बेकार होने की आशंका है। सरकार को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि उसका उद्देश्य कुछ हो और उसकी कार्यवाही का परिणाम कुछ दूसरा ही निकले। इसलिए करों की व्यावहारिकता पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।❑

साम्प्रदायिकता और जातिवाद

मैं एक बार राष्ट्रीय एकता परिषद का सदस्य था। उसकी पहली बैठक जब दिल्ली में बुलाई गयी थी जवाहरलाल जी द्वारा तो उस समय डा. जाकिर हुसैन साहब बिहार के गवर्नर थे और वह भी उस के सदस्य के रूप में उस राष्ट्रीय एकता परिषद में भाग लेने आये थे। उस समय उन्होंने उस परिषद में कहा था कि तुम राष्ट्रीय एकता की बात करते हो लेकिन मौलाना आजाद को जिताने के लिये तुम को रामपुर या गुड़गांवा की कांस्टीट्यूयेंसी चाहिए, जहां कि मुसलमानों का भारी बहुमत है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे चुनावों में या टिकट देते समय राजनीतिक पार्टियां भी इस प्रकार की दुर्बलता की शिकार बनती हैं। जब लोग चुनाव में जीत कर आते हैं तो मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय इसी तरह की छोटी-छोटी चीजों को आधार माना जाता है। अतः मैं चाहता हूं कि इस संबंध में बहुत गंभीरता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाभांश पर रोक मध्यम वर्ग पर करारी चोट

शेयर वाजार एक आर्थिक खेल है। इसमें भविष्य की संभावनाओं के आधार पर कारोवार होता है। यह भाग्य का भी खेल है। सामान्यतः शेयर धारक को कम्पनी के होने वाले लाभ के आधार पर लाभांश [डिविडेण्ड] मिलता है। लाभांश की राशि अनिश्चित होने पर भी यदि कम्पनी ठीक चल रही है तो शेयर धारक को कुछ न कुछ मिलता रहता है, जो कि बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले व्याज से अधिक ही होता है। सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर इस लाभांश पर रोक लगा दी थी। शास्त्री जी ने इस दुरूह विषय पर भी अपनी पकड़ का परिचय देते हुए इस अध्यादेश को निरस्त करने केलिए एक संकल्प प्रस्तुत किया। उनका मत था कि इस प्रकार का अध्यादेश मध्यवर्ग के लोगों की रोटी छीनने का कारण बन सकता है। २७ अगस्त १९७४ को राज्य सभा में शास्त्री जी ने इस संकल्प को प्रस्तुत किया।

उपसभापति जी! आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं—

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः ६ जुलाई तथा १५ जुलाई १९७४ को प्रख्यापित कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, १९७४ (१९७४ का संख्या ७) तथा कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन अध्यादेश, १९७४ (१९७४ का संख्या ९) का निरनुमोदन करती है।"

उपसभापति जी, कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, १९७४ का निरनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और अपनी बातचीत को प्रारम्भ करना चाहता हूं, देश के विख्यात अर्थशास्त्री श्री अशोक मेहता के उस वक्तव्य से जो दो वर्ष पूर्व उन्होंने दिया था। श्री अशोक मेहता ने अपने वक्तव्य में २१ अगस्त, १९७२ को आंकड़े देते हुए बताया था कि ११० वर्षों में जितना करेंसी नोटों का प्रचलन इस देश में हुआ, पिछले ३ वर्षों में उससे भी अधिक करेंसी नोट इस देश में जारी किये गये।

कागजी करेंसी की बहुतायत

जो आंकड़े उन्होंने दिये थे उनके अनुसार करेंसी नोट ४५ अरब २२ करोड़ रुपये के जारी किये गये थे। मैंने फिर इन आंकड़ों की पुष्टि रिजर्व बैंक के बुलेटिन से करनी चाही। रिजर्व बैंक का जो ताजा बुलेटिन है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। उन विस्तृत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। १९६९-७० में जो इस देश में करेंसी नोट चालू थे वह ३८ अरब २२ करोड़ ५६ लाख रु. के थे, और २२ फरवरी, १९७४ को जो कागज की मुद्रा इस देश में चल रही थी उनकी संख्या थी ५९ अरब ७३ करोड़ ६४ लाख। कितनी कागज की मुद्रा का फैलाव इस देश में हो गया है और इस थोड़े अरसे में इस कागज की मुद्रा का फैलाव इस देश में बढ़ा है। रिजर्व बैंक के आंकड़े अपने मुंह से वह कहानी कह रहे हैं, मुझे इसको कहने की आवश्यकता नहीं है।

१९७२ से १९७४ तक इस देश में मंहगाई ४८ प्रतिशत बढ़ी जब कि करेंसी नोटों का प्रसार ३२ प्रतिशत हुआ। सरकार जो विधेयक ला रही है मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए मैं समझता हूं श्रीमती

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुशीला रोहतगी मेरे इस कथन से सहमत होंगी कि अनिवार्य जमा योजना के माध्यम से सरकार लगभग १० अरब रुपये का प्रसार रोकना चाहती है। इसी तरह से लाभांशों के ऊपर जो अल्पकालिक रोक लगा रही है, इससे उनका विचार है कि डेढ़ अरब रुपये का प्रसार किसी प्रकार से रोका जाए।

पहली आपत्ति मुझे इस विधेयक के ऊपर यह है कि संसद का अधिवेशन २२ जुलाई को प्रारम्भ होता था और यह जो आर्डिनेंस राष्ट्रपति जी ने जारी किया यह उससे केवल १६ दिन पहले जारी किया। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस विषय पर जरा गम्भीरता बरतनी चाहिए। विशेष रूप से जब १६ दिन बाद संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने जा रहा है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता हुई। इस अध्यादेश से जो हानियां होने वाली हैं, मैं उनकी ओर भी कुछ थोड़ा सा संकेत कर देना चाहता हूं।

मध्यम वर्ग पर प्रहार

सबसे पहली हानि जो इसके द्वारा होने वाली है वह यह है कि जो लोग इन कंपनियों के शेयर्स लेते हैं, वे प्रायः मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं। मान लीजिए एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी है, उसको सेवा-निवृत्ति के बाद कुछ पैसा मिला है प्राविडेंड फंड के रूप में या कुछ जमा पूंजी के रूप में। वह बेचारा अपने जीवन के अंतिम भाग को सुखपूर्वक चलाने के लिए उतने पैसे के शेयर ले लेता है। शेयर लेने से कंपनी लाभांश उसको मिलता रहेगा और उसके परिवार का निर्वाह होता रहेगा। प्रायः ऐसे रिटायर्ड लोग, विधवायें या सामान्य स्थिति के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों के सहारे के रूप में इस प्रकार ये शेयर ले रखे हैं। लेकिन इस विधेयक में जो दो वर्ष के लिए अस्थायी रोक लगाई है, उससे प्रकट होता है सरकार उनके मुंह का टुकड़ा छीनना चाहती है। जिन गरीब लोगों ने इस प्रकार से अपने पैसे से शेयर लेकर अंतिम दिनों के लिए सहारा बना रखा था।

सरकारी धन से निजी उद्योग

जहां तक पूंजीपतियों का सम्बन्ध है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों का सम्बन्ध है, उनके ऊपर, इसका कोई विशेष प्रभाव होने वाला नहीं, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों से उनके बड़े-बड़े उद्योग धंधों में प्रायः सरकारी पैसा ही लगता है। उनकी तरफ छोटे पैसे वाले कहां देख पाते हैं। वह तो कहीं छोटी कंपनी मिल गई उसमें पूंजी लगा दी ताकि कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन पूंजीपति किस तरह सरकार से मिलकर के किस तरह से अपने कारखाने चलाते हैं, अगर आप चाहें तो उदाहरणस्वरूप एक ही कारखाने को मैं बताता हूं। यह उत्तर मेरा नहीं है, श्री यशवन्त राव चव्हाण का उत्तर है जो उन्होंने इसी अधिवेशन में पिछले २० अगस्त को दिया। मैंने उनसे पूछा था कि मोदी रबर का जो कारखाना मेरठ में बनने जा रहा है, इसमें सरकार कितनी पूंजी लगा रही है और विदेश से कितना पैसा लग रहा है, कुल कितने रुपये की यह योजना है जिससे यह कारखाना बनेगा?

वित्त मंत्री जी ने २० अगस्त को जवाब देते हुए कहा था कि इस योजना की कुल अनुमानित लागत २३ करोड़ ८८ लाख रुपए है। इसमें जर्मनी जैसे कंसर्न देश के सहयोग से जो यह कारखाना स्थापित हो रहा है, उनसे ३७१ मिलियन मार्क, जो लगभग ६ करोड़ १२ लाख और ८६ हजार रुपए के बराबर है, मिल गया है। चाहे मशीनों के रूप में मिले या किसी और रूप में मिले, इतना पैसा उनको बाहर से आ

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गया है।

भारत सरकार भी क्योंकि उसमें अपना पैसा लगा रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदया कान खोल कर आंकड़े सुनें कि किस प्रकार से उद्योगपति आज सरकार का पैसा उपयोग करके अपने कारखाने को चलाता है और किस तरह से अरबपति होता जा रहा है। भारत सरकार का खुद का कहना है कि इंडस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट आफ इंडिया ने इनको रुपया दिया है ४ करोड़ ६५ लाख। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की ओर से इनको रुपया दिया गया है ५० लाख। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इनको रुपया दिया है २ करोड़ ५० लाख और इंडस्ट्रियल क्रैडिट एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की ओर से रुपया दिया गया है २ करोड़ ७३ लाख। इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया की ओर से इनको रुपया दिया गया है ३ करोड़ ५५ लाख ६७ हजार। कुल मिला कर १३ करोड़ ९३ लाख ६७ हजार रुपया भारत सरकार के भिन्न-भिन्न नामों की संस्थाओं से इनको दे दिया गया है। ६ करोड़ वह है जो जर्मन की फर्म इनको दे रही है और ६ करोड़ वह है जिसके लिए वे शेयर जारी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं वह कंट्रोलिंग शेयर कौन से हैं जिन पर यह कंपनी चलेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि इस मोदी रबर कंपनी का नाम इंडियन रबर कंपनी होना चाहिए; क्योंकि लगभग १४ करोड़ रुपया इसमें भारत सरकार का लगा हुआ है और ६ करोड़ बाहरी फर्म का है। जब इतना रुपया गवर्नमेंट का और ज़र्मनी फर्म का है तो फिर इसका नाम मोदी रबर कंपनी रखने का अभिप्राय क्या है। मैंने तो इस कंपनी का नाम केवल उदाहरण स्वरूप बताया ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह से उद्योगपति देश की अलग-अलग संस्थाओं से रुपया लेकर अपनी कंपनियां चला रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार उन गरीब और छोटे-छोटे लोगों पर, जो कुछ कम्पनियों में शेयर लेते हैं, इस प्रकार से अध्यादेश जारी करके रोक लगा रही है।

सरकार की गलत नीतियों का दुष्परिणाम क्या होने वाला है, मैं इसके लिए भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली क्लाथ मिल यानी डी.सी.एम. के शेयर का भाव बाजार के अंदर ६० रुपए था। जिस दिन आपका यह अध्यादेश लागू हुआ और शेयर मार्किट में जब इस बारे में हलचल मची तो उसका भाव ६० रुपए से गिर कर ५० रुपए हो गया। १० रु. भाव बाजार में उसका कम हो गया और दूसरे आपने कहा कि १२ से ज्यादा लाभांश नहीं मिल सक्ता, तो जो उसको २० रु. का लाभांश होने वाला था, उसमें से ८ रु. की यहां कटौती हो गई और १० रु. की वहां। इससे उसको कुछ मिलाकर १८ रु. की हानि पहुंचती है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आपकी गलत नीतियों की मार किस पर होने वाली है, उसकी चोट किस पर पड़ने वाली है।

छोटी कम्पनियों पर दुष्प्रभाव

आपके इस अध्यादेश से जो पुरानी कंपनियां हैं, इन पर तो खास असर नहीं पड़ने वाला है। ये तो अपनी कंपनियां चला लेंगे। सरकार से मिल मिला कर वे अपनी कंपनियों को चला लेंगे। लेकिन इससे जो बड़ी हानि होने वाली है, वह नई कंपनियों की होने वाली है, जो नई कंपनियां स्थापित होने वाली हैं उनमें कोई अपनी पूंजी नहीं लगाएगा। जो भी आदमी कंपनियों के शेयर लेता था वह इसलिए लेता था क्योंकि यहां पर बैंकों से ज्यादा इन्ट्रैस्ट मिलता था। जब शेयर पर सरकार की रोक लग जाएगी तो परिणाम यह होगा कि जो नए औद्योगिक कारखाने लगने वाले हैं उस पर रोक लग जाएगी। क्योंकि जो इसमें पैसा

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लगाना चाहता है वह यह सोचेगा कि इसमें पैसा लगाने से क्या लाभ। इस तरह औद्योगिक कारखानों का विकास रुक जाएगा तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। तब निश्चित है देश में महंगाई स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण खुद जाल में फंस रही है। एक ओर सरकार कह रही है कि मुद्रा स्फीति रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार से महंगाई बढ़ाने के साधन किये जा रहे हैं।

जहां तक शेयर पूंजी के लाभांश का संबंध है यह तो एक प्रकार से प्रोडक्टिव चैनल है। जो इसमें शेयर लेगा उसको इसका लाभांश मिलेगा, इसी प्रोत्साहन से गरीब लोग शेयर लेते हैं। यह जो प्रोडक्टिव चैनल की गति थी वह सारी की सारी इससे रुक जाएगी।

काला धन रोका जाय

मैं एक बात जो विशेष रूप से कहता हूं, मुद्रा स्फीति रोकने के लिए वैकल्पिक अर्थ-व्यवस्था या जो काला धन है उसको कैसे रोका जाए, मुख्य रूप से इस प्रश्न के ऊपर हमको विचार करना चाहिए। इस बारे में पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में सरकार की गलत नीतियों का दुष्परिणाम यह हो रहा है, पहले कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है और कृत्रिम अभाव की स्थिति में मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रेलवे उप मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि रेलवे स्टेशन पर व्यापारियों ने माल रोक रखा है। वे सोचते हैं कि इसका जो हर्जाना देना होगा वह हम दे देंगे। क्योंकि बाजार में कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा हो जाने पर जो उनको मुनाफा होने वाला है, वह इस हर्जाने से निश्चित रूप से ज्यादा होगा। तो जिस तरह से वे छोटे व्यापारी अपना सामान नहीं छुड़ा रहे, कृत्रिम अभाव पैदा करके लाभ कमाना चाहते हैं, इसी तरह और बड़े-बड़े व्यापारी जो वनस्पति घी पैदा करते हैं अथवा दूसरी इसी प्रकार की चीजों का उत्पादन करते हैं, ये भी सरकार से मिल कर बाजार में कृत्रिम अभाव की स्थिति पहले पैदा करते हैं और कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा करके फिर रुपया कमाते हैं। उस रुपए के अंदर सरकार का हिस्सा होता है या नहीं। मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन देश में आम चर्चा है और लोग यह मानते हैं कि जो कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा हो रही है, वह बिना सरकार के सहयोग के नहीं हो सकती। इस विषय पर हमें मिल कर थोड़ा सा गम्भीरता से सोचना चाहिए।

इसके बाद दूसरा कारण यह भी है जिससे मुद्रा स्फीति हो रही है और काला धन बढ़ रहा है कि आय कर और जो सरकार के दूसरे कानून हैं उनके माध्यम से भी काला धन देश में बराबर बढ़ रहा है। करदाताओं का कहना है कि अगर सरकार को सही आयकर दिया जाए तो एक स्टेज ऐसी भी आती है जब व्यक्ति १०० रु. कमाता है और १०६ रु. टैक्स लग जाता है, भिन्न-भिन्न माध्यमों से। अभी पिछले बजट में हमारे वित्त मंत्री ने व्यावहारिक नीति अपनायी और उस कर का प्रतिशत ७७ प्रतिशत तक ले आये। लेकिन लोगों का कहना है कि उसे घटा कर ५०-६० प्रतिशत के ऊपर ले आएं तो यह आयकर की चोरी रोकने में मदद करेगा और कर की चोरी रुक गई तो काला धन बढ़ने में देश के अंदर कमी आ सकती है।

छापे धोखाधड़ी

दूसरी बात, जो ये छापे मारे जा रहे हैं—मार तो रहे हैं, समाचारपत्रों में भी आता है, सरकार बड़ी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गतिशील है और इतने लाखों-लाख रु. के छापे पड़े। लेकिन छापों का परिणाम क्या होता है, अभी तक नहीं पता चला। ३ छापे तो दिल्ली में ही मारे—एक मोदी फ्लोर मिल के ऊपर, दूसरा किसी साड़ी वाले के ऊपर और एक स्टील डीलर के यहां छापा लगा। उसके बाद जो उनके साथ व्यवहार शुरू होता है, सरकार के साथ जिस तरह से उनकी सांठ-गांठ शुरू होती है, उसके वाद में पता नहीं होता कि उनका परिणाम क्या रहा। तो इस काले धन के बढ़ाने के अन्दर सरकार की अपनी गलत नीतियां भी बहुत हद तक कारण हैं। उन पर सरकार को निश्चित रूप से विचार करके निर्णय लेना चाहिए।

लेकिन अब तो देश में इस काले धन की एक नयी चर्चा भी चल पड़ी कि काला धन है कहां? काला धन व्यापारी वर्ग के पास निश्चित रूप से है और बहुत बड़ी मात्रा में है। ओम मेहता यहां नहीं हैं, एक वर्ष पहले शासन ने एक विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि देश के २० घराने ऐसे हैं जिनमें, जो कुल मुद्रा फैली हुई है देश में, उसका एक चौथाई हिस्सा उन घरानों में सिमट कर रह गया है। यह ओम मेहता जी ने जो सरकारी आंकड़े दिए थे और सदन की टेबल पर रखे थे, उसी से प्रतीत होता है।

बड़ी मछलियां भी पकड़ो

मुझे थोड़ा सा इस बात को कहने की भी आज्ञा दीजिए कि जो यह काला धन है वह आज बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों के पास भी है और भ्रष्ट-मंत्रियों के पास भी है जो ये आज छापा डाल रहे हैं। मैं सभी मंत्रियों को नहीं कह रहा हूं, बरुआ साहब नाराज न हो जाएं, लेकिन कुछ इस प्रकार के भ्रष्ट मंत्री हैं, जिनके पास इस प्रकार का काला धन है। इन छोटी-छोटी मछलियों पर तो हाथ डालते हो, कुछ मगर मच्छों पर भी हाथ डालो।

मैं अपने मुंह से इस बात को नहीं कहता। लेकिन दिल्ली में ही कुछ बड़ी-बड़ी कोठियां इस प्रकार की हैं, अगर थोड़ी सी सावधानी से हाथ डाला जाए तो पता चल जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेशन) क्यों नहीं हो रहा है? डिमोनेटाइजेशन इसलिए नहीं हो रहा है बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी और बड़े-बड़े भ्रष्ट मंत्रियों के पास इस प्रकार का धन बहुत है। वे सोचते हैं अगर कहीं डिमोनेटाइजेशन हो गया तो सबसे पहले हानि हमको ही होने वाली है। इसके लिए बार-बार मांग उठ रही है, फिर भी डिमोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है।

जो बाहर की कंपनीज देश में काम कर रही हैं उनसे भी मिल कर कुछ गलत प्रकार के सौदे चल रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए एक ही बात कहता हूं। यह रिजर्व बैंक का आंकड़ा है। रिजर्व बैंक का कहना है, इसी २५ अगस्त को रिवर्ज बैंक का स्टेटमेंट निकला है। उसमें स्पष्ट कहा गया है जो विदेशी कंपनियां इस देश में काम कर रही हैं, यहां से विदेशी मुद्रा के रूप में धन बाहर भेज रही हैं। पिछले छः वर्षों में २ अरब ६२ करोड़ रु. विदेशी मुद्रा के रूप में इन विदेशी कंपनियों ने भेजा है।

एक ओर तो विदेशी मुद्रा की कमी का इतना रोना रो रहे हैं और दूसरी ओर ये विदेशी कंपनियां यहां बैठ कर विदेशी मुद्रा भेज रही हैं। उदाहरण के लिए इंडिया टुवेको कंपनी में पहले ९४ प्रतिशत विदेशी शेयर थे, जो कुछ समय बाद घट कर ९० प्रतिशत हो गए और अब ८५ प्रतिशत हो गए—आगे सितम्बर में शायद और शेयर जारी कर रहे हैं, इसलिए विदेशी शेयर ६० प्रतिशत हो जाएंगे—लेकिन वह लाखों की संख्या में नहीं अरबों की संख्या में विदेशी मुद्रा ले जा चुके हैं।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं आपके माध्यम से उपमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप फिर यह बताइए कि इन विदेशी कंपनियों को नए-नए होटल खोलने की इजाज़त क्यों दी गई है? एक ओर वह सिगरेट कंपनी करोड़ों रु. विदेशों को भेज चुकी है और दूसरी ओर मद्रास में, आगरा में और यहां दिल्ली के धौला कुआं में होटल खोलने की उनको इजाजत दे रहे हैं। आप कहते हैं विदेशी मुद्रा का अभाव है और दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा कमाने का मौका दे रहे हैं। इससे कैसे देश की विदेशी मुद्रा बचेगी और कैसे देश की अर्थ-व्यवस्था बचेगी? मैं चाहता हूं, अपना उत्तर देते समय इस बात को बताएं।

यहां पर मैं चाहूंगा—अपने भाषण को समाप्ति पर ले जाते हुए कि जो कुछ भी थोड़े सुझाव मैं आपको दूं, उन सुझावों पर आप विचार करें और अगर उसमें कुछ तत्व दिखलाई दें, तो केवल इसलिए नहीं कि आपके कार्यालय ने एक विधेयक बना कर भेज दिया है, इसलिए उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करना है और उसमें परिवर्तन नहीं करना है। अगर आपको थोड़ी भी सत्यता दिखलाई दे, तो मैं चाहूंगा कि आप बड़ी गम्भीरता से सोचें और इस देश की अर्थ-व्यवस्था के नाम पर जो ठप्प होने जा रही है गम्भीरता के साथ आप कुछ निर्णय लें, जबकि आप लाभांश पर स्थायी तौर पर रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं।

तो यह जितने भी कारखानेदार हमारे देश में हैं, जो लाभांश देते हैं उनमें २५ से ३० प्रतिशत कारखाने ही ऐसे हैं जो इस प्रकार का लाभांश देते हैं और लगभग ७० प्रतिशत कारखाने इस प्रकार के हैं जो लाभांश नहीं देते हैं। सरकार को जाल में फंसा कर जिन लोगों ने शेयर ले रखे हैं, उनके सामने इस प्रकार के कागज बना कर रख देते हैं कि इस बार तो कम्पनी को घाटा हुआ है, इसलिए कोई लाभांश किसी प्रकार का नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो थोड़ी बहुत लाभांश की राशि उनकी है, उसको भी आप कारखानेदारों को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं गरीब लोगों की जेब से हटा कर। इसका मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से आप उन्हीं उद्योगपतियों का समर्थन कर रहे हैं। आप भागीदारों को देंगे १२ रुपया और उसका जितना भी शेष लाभांश है वह तो कारखाने के प्रयोग में आयेगा। तो इस प्रकार यह कहां गरीब लोगों की हिमायत रही? यह कौन-सा समाजवाद रहा कि आप उस गरीब आदमी की जेब से पैसा लेकर कारखाने वालों के प्रयोग के लिए दे रहे हैं?

मेरा कहना यह है, अगर आपको इन शेयरों पर स्थायी रोक लगानी है तो आपको लाभांश के ऊपर भी दो बातें नियमित रूप से मान लेनी चाहियें। पहिली बात तो यह है कि जो शेयर का बाजार भाव है, उसके ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाना चाहिये और जो किताबी भाव है उसके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये एक शेयर का किताबी भाव १० रुपया है और बाजार में उसका मूल्य १०० रुपया है। अगर उस पर, लाभांश पर प्रतिबंध लगाना चाहें, तो किताबी मूल्य के ऊपर क्यों प्रतिबन्ध लगाते हैं? अगर उसको मान लीजिये १० रुपया किताबी भाव है तो उसी १० रुपये के बाजार भाव के हिसाब से १२० रुपया उसको मिलना है, आपने उसको १२ रुपया देकर १०८ रुपये की कटौती उस बेचारे के बाजार भाव के हिसाब से कर दी। तो मेरा कहना यह है कि अगर प्रतिबन्ध लगाना है तो बाजार भाव शेयर का क्या है, यह देख कर लगाइये, किताबी मूल्य को देखकर उस पर प्रतिबन्ध मत लगाइये।

दूसरा इसमें छोटे शेयर वालों में और बड़े शेयर वालों में कुछ अंतर करना चाहिये। कम से कम १० हजार रुपया तक मुक्त रखिए। जो इस तरह के १० हजार वालों का लाभांश है आप इस बन्धन से

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुक्त कर दीजिये। क्योंकि आज के महंगाई के जमाने में १० हजार रुपया एक परिवार चलाने के लिए होता ही कितना है? अगर आप १० हजार वाले की जेब पर भी हाथ डालना चाहते हैं, तो बराय मेहरबानी इतना कीजिये कि जिस तरह से सेविंग्स सर्टिफिकेट देते हैं या कुछ और गारंटी करते हैं। आप इसी तरह से कैश बौंड जारी कर दीजिये। दो वर्ष के लिए उनको कैश बौंड दे दीजिये। इससे आप को भी लाभ होगा और उनको भी लाभ होगा। उनको जो आप कैश बौंड देंगे दो वर्ष के बाद मय सूद के उसका रुपया वापस हो जाये। उस बेचारे को संतोष होगा, गरीब आदमी को विश्वास हो जायेगा कि मुझसे जो रुपया लिया है, लेने के बाद मय सूद के वह मिलने वाला है। इसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों पर आप विचार करें और इसी आधार पर जिस रूप में यह विधेयक पेश किया गया है, उसका मैं निरनुमोदन करता हूँ।

शास्त्री जी के इस संकल्प प्रस्ताव का उत्तर वित्त मंत्रालय में उपमंत्री श्रीमती सुशीला रोहतगी ने दिया। अपने प्रत्युत्तर में श्री शास्त्री जी ने कहा—

उपसभापति जी, मैं इस अवसर पर केवल दो बातें कहना चाहता हूं। पहली यह कि भारतीय विनियोग केन्द्र, इंडिया इंवैस्टमेंट सेंटर के चेयरमैन श्री आर.एस. भट्ट का वक्तव्य आज के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। मैं नहीं कह सकता कि आज की इस बहस को ध्यान में रखकर वह वक्तव्य दिलवाया गया है या स्वाभाविक रूप से यह वक्तव्य आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लाभांश पर रोक लगाने से विनियोग पर कोई प्रभाव नहीं होगा, पूंजी के वातावरण में सुधार होगा। मैंने ऊपर से नीचे तक श्री भट्ट के वक्तव्य को पढ़ा। मुझे इसमें कोई भी पंक्ति इस प्रकार की दिखाई नहीं दी कि जिसमें श्री भट्ट ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हो कि जब से सरकार ने यह आर्डिनेंस लागू किया है तब से गरीब भारतीय शेयर खरीदने वाले लोगों ने कितने शेयर लिये हैं या उससे कितना पूंजी में सुधार हुआ है। उन्होंने यह तो दिया है कि १९७३-७४ में जो विदेशी सहयोग से कंपनियां लगाई जा रही हैं उनमें लगभग ३ करोड़ रुपया लगाने का निश्चय किया है। लेकिन भारतीय जो सामान्य और मध्यम वृत्ति के लोग हैं जो छोटे-छोटे शेयर खरीदकर अपनी अंतिम अवस्था के लिए एक प्रकार से कुछ सरकार का सहारा ले लेते थे, उनके सम्बन्ध में इस वक्तव्य में किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अधिकांश सदस्यों ने मेरे उन विचारों का अनुमोदन किया है और विशेष रूप से मैं श्री महावीर त्यागी का आभारी हूं, क्योंकि वह स्वयं रेवेन्यू और ऐक्सपेंडीचर के मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जिस प्रकार का सुझाव दिया है कि यह पैसा जब कारखानों से हट जाएगा तो बैंकों में उनको उतना सूद तो नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है कि वह प्राइवेट पार्टियों को भारी सूद पर उठायेंगे और अनप्रोडक्टिव यह पैसा होकर देश में रह जाएगा। जो कारखानों में लगाकर काम आना चाहिए था, जिससे नये-नये कारखाने खुलने चाहिए थे इस पैसे का विशेष रूप से उपयोग नहीं हो सकेगा। दूसरी बात मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से कि वे अपना उत्तर देते समय मेरे इस सुझाव के संबंध में कुछ न कुछ जरूर कहें। कम से कम १० हजार तक का लाभांश जिनको रहा है—१० हजार की राशि इस महंगाई के जमाने में कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है—उनको आप, जहां अल्पकालिक समय के लिए अतिरिक्त लाभांश पर रोक लगाना चाहते हैं वहां कोई कैश बौंड वगैरह सिक्योरिटी के रूप में दे दें जिससे उनको यह पता लग सके कि हमारा पैसा दो वर्ष के बाद मिल जाएगा और उस पर सूद भी मिल जाएगा। ऐसा होने से उन गरीब लोगों को जो शेयर खरीदने वाले हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और जिस ओर त्यागी जी ने संकेत दिया है, वह यह है कि सरकार मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो चारों ओर हाथ मार रही है—अनिवार्य जमा योजना से इतना रुपया बचा लेंगे और लाभांश पर रोक लगाने से इतना रुपया बचा लेंगे—यह सरकार की आर्थिक दुर्बलता की जहां परिचायक है वहां यह भी सही है कि सरकार किसी और साधन पर विचार नहीं कर रही है। मुख्य रूप से जिसमें मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि आपके पीछे जो उप गृह मंत्री श्री मोहसिन बैठे हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मंत्रियों की यात्रा पर जितना धन व्यय होता है वह उनकी तनख्वाहों और भत्तों की राशि से दुगुने से भी ज्यादा है। अगर मैं भूल नहीं करता तो श्री मोहसिन ने अपने उत्तर में यह बात कही थी।

[गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ.एच. मोहसिन) : मैंने इस बारे में सफाई दे दी थी।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे इस प्रश्न के ऊपर श्री मोहसिन ने खड़े होकर स्पष्टीकरण दिया और उस पर कुछ चर्चा भी हुई। फिर भी मैं कहना चाहता हूं और आप भी इस बात को हृदय से मानेंगे कि जब आप मुद्रास्फीति रोकने के लिए गरीब आदमियों के शेयर पर जो लाभांश होता है उनकी जेब में से पैसा निकालना चाहते हैं, तो सरकार जो अपना खर्च करती है उसमें भी कटौती के लिए कुछ प्रयास सरकार को करना चाहिए। मैं उनकी यात्राओं का विरोधी नहीं हूं जो देश की प्रतिष्ठा बनाने के लिए हैं। लेकिन जो अनावश्यक यात्राएं होती हैं, उनमें जो सुविधाएं दी जाती हैं—जिनकी ओर गोरे साहब ने और त्यागी जी ने संकेत किया है—उनको रोकने के लिए आपको कुछ सोचना चाहिए।

अंतिम बात कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि जो सरकारी कर्मचारी ईमानदारी के साथ अपना पैसा बचा कर रिटायरमेंट के बाद इस तरह से पैसा लगाते हैं, उनके ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि वे इस पैसे से अपने जीवन का शेष समय शान्ति से काटते हैं। अब सरकार की कुदृष्टि लाभांश पर हुई है। मैं चाहता हूं कि यह कुदृष्टि न हो। मुख्य रूप से मेरे कहने का अभिप्राय यही है।

मैं एक अंतिम बात कह कर बैठना चाहता हूं। अब सुना है कि संसद का वर्तमान अधिवेशन समाप्त होने के बाद हमारे देश की प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद में किसी प्रकार का परिवर्तन करने जा रही हैं, रिशफलिंग करने जा रही हैं। इस संबंध में मेरा एक निजी सुझाव है—मेरे ये शब्द कहने का अभिप्राय यह न समझ लिया जाय कि मैं वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव बलवन्तराव चव्हाण की कार्यक्षमता पर किसी प्रकार का संदेह कर रहा हूं—मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वित्त मंत्रालय किसी अर्थ विशेषज्ञ को सौंपा जाना चाहिए जो वित्तीय समस्याओं से पूर्ण परिचित हो। इस देश में डा. सी.डी. देशमुख जैसे वित्त मंत्री रह चुके हैं, जिनके समय में हमारे देश की अर्थ व्यवसथा गौरव का विषय मानी जाती थी। मैं चाहता हूं कि जब रिशफलिंग हो, मंत्रिपरिषद् में परिवर्तन हो, तो उस समय वित्त मंत्रालय किसी व्यक्ति को सौंपते समय इस बात की भी सावधानी बरती जाय। यही बात अंतिम रूप से मैं कहना चाहता था। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारी धन के दुरुपयोग का ज्वलन्त उदाहरण

नेहरू जी के वामपंथी विचारों के कारण केन्द्रीय मंत्रिमंडल में उन्हीं को प्राथमिकता मिलती थी जो वामपंथी विचारों के होते थे। मथुरा रोड पर पत्रों के लिए निर्धारित भूमि के आवंटन में लिंक पत्र को भूमि जिस मूल्य पर दी गई तथा उसे किराये पर लेने के लिए एक सरकारी तेल शोधक संस्थान ने अग्रिम में लाखों रु. की जो राशि दी शास्त्री जी ने ७ सितम्बर, १९६२ को संसद में उसका प्रश्न उठाया। उस समय तेल मंत्री वामपंथी विचारधारा के थे। शास्त्री जी ने संभवतः सरकारी धन के दुरुपयोग का यह पहला घोटाला उजागर किया।

अध्यक्ष महोदय, इस पार्लियामेंट को जहां कुछ कानून बनाने और देश की सुरक्षा तथा वैदेशिक नीतियों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेने के अधिकार हैं, वहां इस देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सरकारी कोष में आता है, उसकी सुरक्षा के लिये भी प्रबन्ध करना है। (व्यवधान).....

[एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य जरा जोर से बोलें।]

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस देश की पार्लियामेंट को जहां कुछ कानून बनाने का और देश की सुरक्षा का और वैदेशिक नीतियों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेने का विशेष अधिकार है वहां जो इस देश की गरीब जनता है और उसकी गाढ़ी कमाई का जो पैसा सरकारी कोष में आता है अथवा विदेशों से भारी शर्तों पर जो ऋण लिये जाते हैं, उन सबको सम्भालने और उसकी देख-रेख करने का भी इस पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार है।

सरकार द्वारा कम्युनिज्म को प्रोत्साहन

अब से कुछ समय पूर्व २९ अगस्त को इसी सदन में मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसमें मैंने यहां दिल्ली में मथुरा रोड पर जो भूमि है, उसके बारे में जानकारी चाही थी। इस भूमि के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ समय पूर्व इस प्रकार का निर्णय किया था कि जो समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं अथवा कुछ जनरल जो निकलते हैं, यदि वे अपने भवन यहां बनाना चाहें तो उनको रियायती दर पर कुछ स्थान दिये जायेंगे। उसी आधार पर कुछ पत्रों ने स्थान लिये थे।

मुझे इस बात को कहते हुए दुःख प्रतीत होता है कि जो छोटे-छोटे व्यक्ति अथवा पत्र थे जिनके पास कोई बहुत बड़ी सिफारिश नहीं थी, वे तो भूमि प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। लेकिन जिनके पास अच्छे रिसोर्सिस थे उनको वहां पर स्थान मिल गया। इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि लिंक अखबार का अपना जो भवन बना है, उसके अन्दर क्या सरकार के किसी संगठन का भी कुछ पैसा, अगाऊ, धन के रूप में लगा है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उप-वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया था कि ३ लाख ४४ हजार १३१ रुपये और २५ नए पैसे इंडियन रिफाइनरीज ने अगाऊ धन के रूप में इस भवन में कुछ स्थान किराये पर लेने के लिये दिए हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी सड़क के ऊपर कुछ ही गज पर इंडियन एक्सप्रेस की भी एक बिल्डिंग बनी है और उसके सम्बन्ध में शायद सदन को याद

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होगा कि कुछ समय पूर्व जब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का आफिस यहां खोला गया था और इसी प्रकार से अगाऊ धन के रूप में कुछ धनराशि दी गई थी तो किस प्रकार से उस समय इस सदन में क्षोभ और रोष व्यक्त किया गया था, इसको जो पुराने माननीय सदस्य हैं, ये भूले नहीं होंगे। उस समय सदन के माननीय सदस्य ने सरकार तक अपनी यह भावना पहुंचाई थी कि जब सरकार इतनी भारी-भारी राशियां अगाऊ धन के रूप में देकर किराये पर मकान लेती हैं, क्यों नहीं वह अपने भवन बना लेती और उनमें से जो स्थान खाली रह जाये, उसको औरों को किराये पर उठा देती?

[**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य मुझे माफ करें अगर मैं एक मिनट के लिए कुछ कह दूं। मैं बता देना चाहता हूं कि पांच बज कर दस मिनट पर यह डिस्कशन शुरू हुआ है। मैं माननीय सदस्य को दस बारह मिनट से ज्यादा नहीं दे सकूंगा और दस बारह मिनट ही मिनिस्टर साहब को बोलने के लिए दूंगा। पांच-छः मैम्बर साहिबान ने सवाल पूछने के बारे में नोटिस दिए हैं, उनको भी मैं सवाल करने के लिए एक-एक मिनट से ज्यादा नहीं दे सकूंगा, इस वास्ते माननीय सदस्य दस बाहर मिनट में खत्म कर दें।]

[**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** जी हां, मैं दस बारह मिनट में समाप्त कर दूंगा।]

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस समय इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का कार्यालय खोला गया था तो उस वक्त जो रोष व्यक्त किया गया था वह, जो पुराने माननीय सदस्य हैं, उनको याद होगा। यह कहा गया था कि सरकार अपनी ओरसे इस प्रकार के मकान क्यों नहीं बनवाती? लेकिन इतना होने पर भी और इस सदन की भावनाओं को जानते हुए भी एक सरकारी संगठन की ओर से इतनी भारी राशि का वहां दिया जाना समझ में नहीं आता है और पता नहीं क्यों सरकार इस सदन की भावनाओं का तिरस्कार अथवा निरादर करती है।

सरकार का जहांगीरी इंसाफ

एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को जो एक्सप्रेस बिल्डिंग में स्थान दिया गया था, इसीलिए रियायती दर पर सवा लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो भूमि दी गई थी सरकार ने उस भूमि का मूल्य बढ़ा करके बाद में सोलह लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लिया। लेकिन इसके साथ ही साथ सदन की जानकारी के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि यह जो यूनाइटेड इंडिया पीरियोडिकल्ज लिमिटेड कम्पनी है, जिसकी ओर से यह पत्र निकलता है इसको पांच लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि दी गई।

मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार उस भूमि पर जो भवन बनाना था, उसमें से कोई खास किस्म की खुशबू आनी थी या खास हवा बहनी थी कि इस सस्ते दर पर दी गई। जबकि चंद गज के फासले पर सोलह लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जगह दी गयी और वह भी उन व्यापारिक संस्थाओं को जो कि इसी प्रकार किराये पर उठाते हैं और उसके ही बगल में इस प्रकार का भवन बनाते हैं। उसको पांच लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि दी गई और ढाई लाख में आधा एकड़ जमीन उसको दी गयी। यह जो जहांगीरी इंसाफ उसके साथ किया गया है, उसके क्या रहस्य हैं?

साथ ही साथ एक और बात भी जानने की है। अगर मैं कुछ प्रसंग से बाहर न चला जाऊं तो मैं कहूंगा कि इस देश में कुछ साप्ताहिक पत्रों की नीति इस प्रकार की हो गई है कि वे सरकार की मशीनरी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में एक दो व्यक्तियों की तो विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं और फिर उसकी आड़ लेकर सरकारी नीति और सरकार की जी भर-भर के आलोचना करते हैं, और तिरस्कार करते हैं। क्या किसी एक ऐसे ही पत्र को इस प्रकार से रियायती दर पर भूमि देना और बाद में चल कर के भवन निर्माण के लिए भारी राशि देना, न्याय संगत हो सकता है और अगर हो सकता है तो कहां तक हो सकता है, यह मैं जानना चाहता हूं?

सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि इसी एक्सप्रेस बिल्डिंग में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के कार्यालय के लिए जो स्थान दिया गया है, उसके लिए उससे ६० नए पैसे प्रति स्क्वेयर फीट किराया चार्ज किया गया है। लेकिन इस लिंकहाऊस में जहां इंडियन रिफाइनरीज का आफिस खोला गया है जिसके बारे में प्रश्न के उत्तर में उप वित्त मंत्री ने बताया है कि सोलह प्रतिशत हम को कंसेशन दिया गया है किराये में। जो किराया वहां दिया जा रहा है वह एक रुपया पच्चीस नए पैसे प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से दिया जा रहा है। जबकि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो नई दिल्ली की सबसे मुख्य सड़क मानी जाती है, सरकार की एक कम्पनी, इंडियन ड्रग्ज कम्पनी है, वह बिना एडवांस के जो किराया देती है वह एक रुपया प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से देती है। ऐसी स्थिति में सोलह प्रतिशत की उदार छूट देने का अभिप्राय क्या यह तो नहीं था कि वह मनमाना किराया इंडियन रिफाइनरीज से प्राप्त करना चाहते थे, जहां तक हो सकता था परिचय का लाभ उठाना चाहते थे?

लिंक हाऊस के अवैध लिंक

इसी इंडियन रिफाइनरीज का दफ्तर पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर जो स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, उसमें था। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि वह अपने उत्तर में बतायें कि उस समय क्या किराया दिया जाता था और क्यों इतना महंगा किराया दे करके वह फिर भी एहसान लिया गया है कि सोलह परसेंट की छूट इसमें हुई है।

जब यह धन दिया गया और जब तक यह आफिस उस बिल्डिंग में नहीं गया था, तो क्या इस बीच में छः महीने का अवसर दिया गया था और अगर दिया गया था तो क्यों नहीं उस अवधि में यह आफिस वहां चला गया और क्यों प्रतिमास ७,१६६ रुपये के हिसाब से ४२,९९६ रुपये हानि उठाने की नौबत आई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? छः महीने तक यह आफिस तो वहां नहीं गया और पैसा उनकी जेब में चला गया, तो क्यों नहीं पहले वह आफिस वहां चला गया? यह मैं जानना चाहूंगा।

चार साल का जब किराया एडवांस दे करके लिंक हाउस में जगह ली गई, तो उसी समय इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर लाइफ इंश्योरेंश कारपोरेशन की बिल्डिंग भी बन रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया था कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया जाए और उसमें इंडियन रिफाइनरीज के लिए जगह लेने की कोशिश की जाए और पता लगाया जाए कि वहां जगह मिल सकती है या नहीं मिल सकती है और अगर मिल सकती है तो किस किराये पर मिल सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि उसको छोड़ करके लिंक हाउस में विशेष रूप से क्यों जगह ली गई?

यह कौन सी नीति है?

एक और जिस आश्चर्यजनक बात से मस्तिष्क में आ करके सन्देह पैदा किया है वह यह है कि यह पत्र जिसका सीमित क्षेत्र है और कुछ हजार की संख्या में ही निकलता है इस पत्र ने चालीस लाख रुपये

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की अपनी बिल्डिंग को कैसे खड़ा कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार की यह नीति है कि उस सड़क पर उन्हीं संगठनों को भूमि दी जाए जो समाचारपत्र प्रकाशित करेंगे न कि उस जगह को किराये पर उठायेंगे। तो क्या वजह है कि आज उस चालीस लाख के विशाल भवन के एक कोने में तो इस समाचारपत्र का कार्यालय है और बाकी का सारे का सारा जितना स्थान है, उसको वह किराये पर उठाये हुए है। एक ओर तो सरकार स्वयं यह नीति घोषित करती है कि उस सड़क पर केवल उन्हीं को स्थान दिया जाएगा जो समाचारपत्र प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर सरकार के ही कार्यालय उनमें जाकर किराये देते हैं और सरकारी नीति की अवहेलना करते हैं। तो मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार से सरकार कैसे अपनी नीतियों को सुरक्षित रख सकेगी।

प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया है कि जो शर्तें लिखी हैं, उनको कुछ उदार बनाया गया है, उनमें कुछ सहूलियतें दी गई हैं और उसी में इतनी भारी राशि उसको दी गई है। जहां तक इन शर्तों का सम्बन्ध है, जो सोलह प्रतिशत वाली बात है वह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक और कमजोर शर्त की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। उसमें सबसे कमजोर शर्त यह है कि इस इमारत का पट्टा तीन महीने के नोटिस पर खतम किया जा सकता है। इतनी भारी रकम लगाने के बावजूद भी यह कहा गया है कि ये जब चाहें तीन महीने का नोटिस दे कर इंडियन रिफाइनरीज को वहां से निकाल सकते हैं। ऐसी हालत में मैं नहीं समझ पाया हूं कि सरकारी धन की रक्षा कैसे हो सकती है और जो गरीब जनता का धन यहां आता है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि वह अपने उत्तर में बतायें कि जो इतनी भारी राशि वहां लगाई गई है, उसके लिए क्या वित्त मंत्रालय से स्वीकृति ले ली गई थी या वित्त मंत्रालय ने इसके सम्बन्ध में, कोई नीति निर्धारित की हुई है और यदि की हुई है और उसका पालन नहीं किया गया है तो किस तरह से इतनी भारी राशि वहां पर लगा दी गई।

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। यह जो अखबार है यह पहले थेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग में चलता था। उस समय देहली की एक तथाकथित सम्मानित महिला जिन्होंने काश्मीर कमेटी के नाम पर कुछ कमरे एस्टेट आफिस से किराये पर लिए हुए थे, उनमें इस अखबार का कार्यालय इन्होंने रखा हुआ था। फिर यह अखबार उसके पश्चात् हटकर मथुरा रोड गया। इस अखबार की नीति के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूं तो वह प्रसंग के बाहर की बात होगी। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अखबार के जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज हैं, जो उनकी नीति है और जिस आधार पर उन्होंने पत्र चला रखा है, उससे प्रभावित होकर के तो माननीय मंत्री जी ने कहीं इतनी बड़ी धनराशि वहां नहीं लगा दी है?

यह एक सन्देह है जो आज हर मस्तिष्क को बेचैन कर रहा है, और मैं चाहूंगा कि इस चर्चा का उत्तर देते समय, इन बातों का स्पष्टीकरण भी किया जाय जिससे कि यह चर्चा सदन के माननीय सदस्यों को ही सन्तोष न दे सके बल्कि देशवासियों के लिये सन्तोषजनक हो सके। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महंगाई पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम आवश्यक

देश में व्यक्तिगत आय में कमी तथा महंगाई बढ़ने से जनता की निरन्तर बढ़ती कठिनाइयों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शास्त्री जी ने नियम १७२ के अधीन महंगाई के प्रश्न पर विचार करने के लिए १४ नवम्बर १९७७ को [मृत्यु से १६ दिन पूर्व] राज्य सभा में प्रस्ताव रखा। शास्त्री जी ने अपनी बातों को प्रमाणों और आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत कर वास्तविक स्थिति का चित्र सामने रखा।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बड़े गम्भीर प्रश्न की ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रस्ताव के माध्यम से खड़ा हुआ हूं, जिसने आज सारे देश को बड़ी चिंता में डाला हुआ है। जनता पार्टी की सरकार ने जब शासन संभाला था तो उसके सामने कई गम्भीर चुनौतियां थीं।

सुरसा के मुंह जैसी बढ़ती महंगाई

उनमें एक चुनौती यह थी कि महंगाई की विभीषिका पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए। हमारे प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने जब पहली प्रेस कांफ्रेंस की तो उनके सम्मुख कुछ लोगों ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि महंगाई पर कब तक नियंत्रण होने की संभावना है, तो उस समय मोराजी देसाई ने अपने उत्तर में कहा था कि तीन महीने में महंगाई पर नियंत्रण हो जाएगा। जब ३ महीने व्यतीत हो गए और महंगाई पहले की अपेक्षा और बढ़ गई तब दोबारा प्रधानमंत्री जी से यह पूछा गया कि अब आपकी क्या राय है, तो उन्होंने ३ महीने की अवधि बढ़ा कर छः महीने कर दी, कि छः महीने के भीतर शायद महंगाई पर नियंत्रण हो जाएगा, मूल्यों पर काबू पा लेंगे। मुमकिन है उनकी निगाह में यह बात रही हो कि तब तक नयी फसल आ जाएगी और उसके बाद जो तिलहन पैदा होंगे उससे तेलों के भाव गिरेंगे और दालों के दाम भी गिरेंगे। लेकिन छः महीने के बाद भी महंगाई फिर बराबर बढ़ती रही तो फिर उनसे पूछा गया था अब आपकी क्या राय है? तब फिर प्रधान मंत्री ने यह कहा कि बजट सत्र तक प्रतीक्षा करनी होगी एक वर्ष तक, संभव है उससे पहले, परिणाम निकलने लगेंगे।

लेकिन जब यह समस्या जनता को बहुत परेशान करने लगी और सरकार के कानों में यह बात चुभने लगी तो—हम लोगों के जो इस ओर बैठते हैं, उन्हीं को नहीं बल्कि जो शासन में हैं, उनसे मेरा अभिप्राय मंत्रिमंडल और मंत्रियों से भी है, उनको भी यह बात बेचैन करने लगी। हमारे तेज तर्रार मंत्री जार्ज फर्नांडीज ने एक बार यहां तक कहा कि यदि ऐसा सिद्ध हो जाए कि कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं या काला-बाजारी कर रहे हैं, तो उनको फांसी की सजा दी जाए। यह जार्ज फर्नान्डीस साहब ने अपने वक्तव्य में कहा। लेकिन जनता पार्टी के ही अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर हैं उन्होंने थोड़ा सा इससे कुछ उदार वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा व्यापारियों ने यदि समय की पुकार को नहीं सुना या दीवार पर लिखे संकेत को नहीं पढ़ा तो एक समय आ सकता है कि जनता कानून अपने हाथों में लेकर इन व्यापारियों को

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चौराहों पर खींच लाएगी और धूल चटा देगी। यह चेतावनी दी। लेकिन हमारे वाणिज्य मंत्री श्री धारिया ने और थोड़ी सी उदारता के साथ वक्तव्य दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो आंतरिक सुरक्षा कानून में ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी या इस तरह का एक और कानून बनाया जाएगा जिससे व्यापारी अपनी यह मनमानी न कर सकें, और इस प्रकार मूल्यों पर नियंत्रण किया जा सकता है।

परन्तु ये वक्तव्य भी चलते रहे और साथ-साथ महंगाई भी बढ़ती रही। पर अभी १३ सितम्बर, १९७७ को वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई उसमें हमारे वर्तमान वित्त मंत्री पटेल साहब ने वक्तव्य देते हुए कहा कि दो महीने की प्रतीक्षा और कीजिए, दो महीने में निश्चत रूप से हम महंगाई के ऊपर नियन्त्रण कर लेंगे। यह केवल मंत्री का अपना एक अनुमान था। लेकिन जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि वक्तव्यों पर वक्तव्य बार-बार आ रहे हैं, भिन्न-भिन्न मंत्रियों के और विभागों के, लेकिन स्थिति पर अभी नियंत्रण नहीं हो सका है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो मशीनरी है वह वाणिज्य मंत्री की हो या वित्त मंत्री की हो या उद्योग मंत्री की हो, उनका साथ नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनके वक्तव्यों के बाद भी कोई ऐसी प्रक्रिया कि जिससे लोगों को राहत मिले, देखने में नहीं आयी है। यह बात दूसरे ढंग से इस तरह से भी कही जा सकती है कि अगर यह बात सही नहीं है तो इसको यूं कहा जा सकता है कि जो महंगाई की विभीषिका है उस पर सरकार की जिस तरह से पकड़ होनी चाहिए, वह पकड़ नहीं हो पा रही है।

इसका परिणाम यह है कि देश के सामने यह चिन्ता बराबर बढ़ रही है। आम आदमी जिस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है शायद वाणिज्य मंत्री के कानों तक वह बात पहुंची हो या न पहुंची हो, लेकिन मेरे मित्र इस तरह की घटनायें इस चर्चा में रखेंगे और बतायेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में या वनवासी क्षेत्रों में और सामान्य गांवों में किस तरह से कठिनाई के साथ आज लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ९ नवम्बर को दीपावली के अवसर पर स्टेट्समैन में एक संपादकीय लेख था। उसमें लिखा था कि महंगाई की पिछली एक वर्ष से तुलना करते हुए आज की महंगाई से आंकड़े देकर लिखा है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम सब मिला कर कम से कम १० प्रतिशत बढ़े हैं। लेकिन कुछ चीजों के दाम बहुत अधिक बढ़े हैं। दालों के दाम ६२ प्रतिशत बढ़ गये हैं। तेल के भाव १८.४ प्रतिशत बढ़ गये हैं। सरसों के तेल के संबंध में सरकार ने यह कहा था कि सरसों के तेल का भाव दस रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं बिकेगा, पर इसके बाद से वह तेल ही बाजार से गायब हो गया है। ऐसा स्टेट्समैन के संपादक ने लिखा है।

आज से तीन दिन पूर्व हम दीपावली का त्यौहार मनाकर चुके हैं। काफी फीकी दिवाली इस वर्ष मनायी गयी। इसलिये कि लोगों को तेल नहीं मिला। वनस्पति की भी यही स्थिति थी। अगर आपने स्वयं जा कर बाजार में मिठाई खरीदी हो तो आप को पता होगा कि किस तरह से मिठाई के दाम बढ़ा दिये गये। जबकि इतनी चीनी आप ने बाजार में दे दी थी उसके बाद मिठाई के दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद भी मिठाई के दाम बढ़े और सामान्य नागरिक को, कम से कम गरीब आदमी को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब स्थिति इस तरह की है तो इन तमाम बातों पर गम्भीरता से हम सबको मिलकर सोचना चाहिए।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं इस बात को कहने में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहता कि सरकार ने अपनी ओर से प्रयास किया है और वाणिज्य मंत्री के स्तर पर ही प्रयास नहीं किया गया बल्कि उन्होंने एक कमेटी भी श्री जगजीवन राम जी की अध्यक्षता में बनायी थी सितम्बर में। जिसमें कहा गया था कि यह कमेटी देखेगी कि मूल्यों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देते समय यह बतायें कि इतनी हाई पावर कमेटी बनने के बाद जिसकी अध्यक्षता स्वयं रक्षा मंत्री जी कर रहे हों, आखिर उसका परिणाम क्या निकला और उससे पहले की स्थिति में और उसके बाद की स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ।

बीच में जब महंगाई बढ़ती जा रही थी तो ३० जुलाई को सारे देश के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। मेरा अनुमान था कि उस मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन आयेगा। लेकिन मुख्यमंत्री सम्मेलन हो गया। उसमें कुछ सुझाव भी रखे गये, सरकार ने कुछ मार्ग निर्देशक सिद्धांत भी उनको दिये, लेकिन आपको जानकारी हो तो हो, मेरी जानकारी में राज्यों में उसका कुछ विशेष परिणाम नहीं हुआ। मुझे आप के उस पत्र की जानकारी भी है जो वाणिज्य मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि आप यह पता लगायें कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से साप्ताहिक या द्विपक्षीय रिपोर्टें दूसरी बातों के संबंध में सरकार को मिलती हैं उसी तरह से महंगाई के संबंध में भी सरकारें रिपोर्ट्स इकट्ठा करें ताकि पता लग सके कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और कैसे उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन आप के दिशा निर्देशक सिद्धांतों के बाद भी अभी तक महंगाई पर किसी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है।

महंगाई राष्ट्रीय प्रश्न है

मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें मिल कर यह सोचना चाहिए कि आखिरकार यह समस्या जो सुरसा के मुंह की तरह बराबर बढ़ती जा रही है उस पर किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महंगाई का प्रश्न किसी एक पार्टी विशेष का प्रश्न नहीं है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और इस पर सभी को मिल कर गम्भीरता से सोचना चाहिए कि इस राष्ट्रीय समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल करने के लिये क्या-क्या उपाय हम कर सकते हैं। आपने सुरक्षा कानून की बात कही। अगर सरकार की बात व्यापारी नहीं मानेंगे इस तरह की कोई बात की जा सकती है और दूसरे कानूनों की बात भी की जा सकती है, लेकिन मुझे जानकारी है कि जनता पार्टी ने चुनाव का जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया था उस समय उनको शायद पता नहीं था, उनके मस्तिष्क में शायद यह बात रही हो या न रही हो कि उन्हें सरकार भी चलानी पड़ सकती है। आपने उस समय घोषणा पत्र में यह कह दिया कि जो इमरजेंसी के कानून हैं वे सारे के सारे अगर हम सत्ता में आ गये तो रद्द कर दिए जायेंगे। जब आपने कहा था कि रद्द कर दिए जायेंगे तो उसमें आंतरिक सुरक्षा कानून भी आ जाता है। जब वाणिज्य मंत्री ने यह कहा कि व्यापारियों ने अगर मूल्यों पर नियंत्रण नहीं किया और मनमानी करते रहे तो आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ आंतरिक सुरक्षा कानून का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो मुझे इस बात की जानकारी है कि जनता पार्टी के सदस्यों ने उनके इस वक्तव्य का विरोध किया, इसके लिए उनकी आलोचना की।

लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि जिस समय वाणिज्य मंत्री ने यह

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वक्तव्य दिया कि आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध आंतरिक सुरक्षा कानून का भी प्रयोग किया जा सकता है तो, उप-सभापति जी, उसके कुछ सुपरिणाम निकले केवल धमकी मात्र से। पहली जुलाई को 'दैनिक हिन्दुस्तान' में जो भाव दिये गये, इस धमकी का यह परिणाम निकला कि वनस्पति फिर १७२ से १५८ रुपये प्रति टीन पर आ गया और चीनी जो कि ४२५ रुपये बिक रही थी वह ४१० रुपये पर आ गई। चाय की पत्ती पर सौ रुपये प्रति क्विंटल के दाम गिर गये। और दामों में भी १५ से २० प्रतिशत की कमी हुई, केवल धमकी मात्र से। लेकिन जब उनके साथियों ने उनके वक्तव्य पर आपत्ति की तो व्यापारियों ने कहा कि यह कानून प्रयोग होने वाला नहीं है। परिणाम यह हुआ कि कीमत बराबर पुनः बढ़ती चली गई।

एक बात मैं विशेष रूप से वाणिज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। अभी पीछे सरदार पटेल जयन्ती के अवसर पर वर्तमान प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने सरदार पटेल के शासन चलाने की योग्यता का उल्लेख करते हुए कहा कि जो शासक लोकप्रियता के चक्कर में पड़ेगा वह मजबूत शासक नहीं होगा और जो मजबूत शासक होगा वह लोकप्रिय नहीं हो सकेगा। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध है। ये इस प्रकार की बात है जो हुक्म चलाने में काम करती है, शासक, दबे कंधे पर खड़ा नहीं होता है। शासक के बारे में मनु ने लिखा है—

"दण्डः शास्ति प्रजा सर्वाः"

उर्दू के एक कवि ने इसको अपनी भाषा में इस प्रकार कहा है—

कसीदे से न चलती है, न ये दोहे से चलती है,
समझ लीजे कि कारे सल्तनत लोहे से चलती है॥

देशद्रोहियों को सख्त दण्ड दें

हुकूमत जब चलती है तो उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। इमरजेंसी के अन्दर मीसा की अवधि बढ़ाने की बात आई तो उस समय—डा. रामकृपाल सिंह जी को याद होगा—मैं उन व्यक्तियों में था और मैंने इस बात का विरोध किया और कहा था कि मीसा का राजनैतिक बदला लेने के लिए प्रयोग न किया जाए। लेकिन इस बात का मैं पक्षपाती हूं कि जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, या जो देश के हितों की दूसरे देशों को आहुति देते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के सख्त कानून के प्रयोग में किसी प्रकार की उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए। आखिर कब तक इस देश के हितों के विरुद्ध इस प्रकार की टालमटोल की जाएगी? इस देश के अन्दर इस देश की सामान्य जनता के लिए जो लोग बाधा बनकर या रोड़े बनकर खड़े रहेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

आज महंगाई नाक तक पहुंच चुकी है। यह ज्वालामुखी विस्फोट की कगार पर है। अगर आपने सख्ती से काम नहीं लिया तो मेरा अनुमान है कि व्यापारी अपील पर ध्यान देकर मूल्यों पर नियंत्रण कर देंगे, इसमें मुझे कुछ आशा प्रतीत नहीं होती। अगर किसी तरह इस अपील पर ही मूल्य नियंत्रण हो जाता तो हमारे गांधी वादी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई कितनी बार व्यापारियों से अपील कर चुके हैं कि मूल्य कम करो, मूल्य कम करो, नहीं तो विवश होकर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन उसका क्या परिणाम है? मोरारजी भाई ने जब पहली अपील की तो ३१ मई को बम्बई के अन्दर देश के बड़े-बड़े कुछ

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यापारी लोग, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आदमनी ७५ करोड़ से ज्यादा है, इस प्रकार के घराने जिनमें टाटा, मफतलाल, ठैकरसी, किर्लोस्कर, कस्तूरी भाई आदि ने यह प्रस्ताव पास किया कि ७ महीने तक किसी प्रकार की महंगाई नहीं बढ़ाई जाएगी या दामों में वृद्धि नहीं की जाएगी। लेकिन मैं आज वाणिज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े व्यापारियों के निर्णय लेने के बाद भी परिणाम कुछ निकला या उसके कुछ नतीजे सामने आये कि ७ महीने तक किसी प्रकार के दाम नहीं बढ़ाये जायेंगे? उसका अनुकरण करते हुए कलकत्ता में गोयनका, बिड़ला, जैन आदि ने भी निर्णय किया कि हम भी यह प्रस्ताव पास करते हैं कि दाम न बढ़ाये जायें। इस प्रकार से दामों पर नियंत्रण किया जाए। लेकिन फिर वही टांय-टांय फिस्स रही।

अगर इस प्रकार के अनुरोधों से दाम गिरते होते और मूल्य नियंत्रण होता तो इन्होंने जो प्रस्ताव पास किए थे उससे दाम गिर गये होते। इनकी देखी-देखी दिल्ली के व्यापारियों को भी जोश आया कि दामों पर नियंत्रण करना चाहिए थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में। १५ दिन तक तो दिल्ली के व्यापारियों पर नियंत्रण चला। पर १५ दिन के बाद दिल्ली के व्यापारियों ने इकट्ठा होकर खुद-ब-खुद उस नियंत्रण को तोड़ दिया और नियंत्रण तोड़ने का परिणाम क्या निकला। उपसभापति जी, आप जानते हैं कि जो भाव १५ दिन पहले थे, उससे तीन गुना, चार गुना ही केवल ऊपर चढ़ गये हों ऐसा नहीं भाव आकाश को छू गये। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि काबुली चना का भाव जो ३३५-३९० रुपये क्विंटल चल रहा था, तो व्यापारियों ने १५ दिन के बाद जब नियंत्रण तोड़ा तो ४३० रुपये तक पहुंच गया; मसूर का भाव जो २६० रुपये से २८० रुपये चल रहा था ४८० रुपये तक उसका भाव पहुंच गया। अरहर और दूसरी दालों का भाव जो २९० से ३७० रुपये चल रहा था वह ४०० रुपये क्विंटल तक पहुंच गया। मेरा कहना यह है कि अगर उन अपीलों का प्रभाव होता तो अपीलों से व्यापारी किसी सही रास्ते पर आ जाते! यह जो ७-८ महीने अभी दिये हैं व्यापारियों को यह उनके लिये पर्याप्त थे। आपने यह अनुरोध किया था कि किसी प्रकार से आप स्वयं इस प्रकार का वातावरण बनायें जिससे महंगाई के ऊपर नियंत्रण हो सके और आम आदमी को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन देखने से पता लगता है कि सरकारी अपील का उनके कानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और महंगाई ज्यों की त्यों उसी प्रकार बढ़ी हुई है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसके अतिरिक्त भी दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे।

मुद्रास्फीति पर रोक लगे

दूसरी बात जो महंगाई बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहायक हो रही है वह है मुद्रा स्फीति यानी रुपये की बाढ़ बाजार में आना। रुपया इतनी मात्रा में बाजार में आ रहा है कि डेढ़ वर्ष पहले एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि मुद्रास्फीति पर सख्ती से कंट्रोल किया गया। जिसका विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया। उसमें कहा गया कि भारत ने जिस निर्दयता से मुद्रास्फीति के ऊपर नियंत्रण किया दूसरे देशों को भी इसका अनुकरण करना चाहिये। पर जितनी कठोरता से उसने नियंत्रण किया उतनी उदारता के साथ उनकी मुट्ठियां फिर खुल गईं। मुट्ठी खुलने का परिणाम यह हुआ कि वर्ष के प्रारम्भिक तीन महीनों में ६९६ करोड़ की मुद्रा बाजार में आई जैसी कि रिजर्व बैंक की अपनी रिपोर्ट है। ८ जुलाई को जो वर्ष समाप्त हुआ, मेरे पास पिछले आंकड़े नहीं हैं उसमें व्यापारिक क्षेत्र में बैंक ऋणों में ११५.१८ करोड़ रुपये

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की वृद्धि हुई। इस तरह से और भी कई चीजें हैं। जो अनाज खरीदा जा रहा है और भंडार किया जा रहा है उसमें ४०० करोड़ रुपये से ज्यादा का अनाज खरीदा गया है जो अनाज रखने के सरकार के भंडार हैं उनमें कवेल ७८८७ मीट्रिक टन अनाज के लिये क्षमता है। बाकी ७३ लाख मीट्रिक टन के लिये किराये पर भंडार लेने पड़ते हैं। इससे भी कुछ मुद्रा बाजार में आ जाती है। आपने किसानों से गेहूं की खरीद ११० रुपये क्विंटल की है और जो जारी मूल्य है वह १४२ रुपये है। आप अंदाजा लगाइये कि कितना गैप आ गया ११० रुपये आप खरीद रहे हैं और १४२ रुपये उसका जारी मूल्य है। अगर आप १२५ रुपये किसानों को देते और १३० रुपये जारी मूल्य रहता तो भंडारों की आवश्यकता भी न रहती और किसानों को भी चार पैसे ज्यादा मिल जाते। यह जो मुद्रास्फीति हो रही है इस पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण किया जा सकता था। लेकिन ये सारी की सारी बातें हैं इनको व्यावहारिक दृष्टि से नहीं देखा गया।

एक और चीज जो मुद्रा के फैलाव में सहायक हो गई है वह है बोनस की बढ़ी राशि। अभी आपने बोनस पर निर्णय लिया और अनिवार्य बचत योजना की बहुत बड़ी राशि नकद देने की घोषणा की। अभी प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, जो एक मार्ग-दर्शक सिद्धांत आपने तय किया है उस आधार पर सत्याग्रह किये बैठे हैं। उनकी मांग उचित भी है। सितम्बर का मूल्य, सूचक अंक इतना पहुंच गया है कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ना ही चाहिये। इस तरह से मुद्रा बाजार में बराबर आ रही है और यह महंगाई बढ़ाने में सहायक हो रही है। इसके लिये वित्त मंत्रालय से मिल कर वाणिज्य मंत्रालय को तालमेल रखना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मूल्यों में और जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन है उनमें कुछ इस प्रकार की समन्वित नीति निर्धारित की जाए जो महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ-साथ महंगाई न बढ़ाये। होता यह है कि इधर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उधर बाजार में महंगाई बढ़ जाती है और फिर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो फिर महंगाई बाजार में बढ़ जाती है। यह बात मेरी समझ से बाहर है।

निर्भयता की शिक्षा

प्रधान मंत्री जी ने अभी यह कहा कि हममें निर्भयता आनी चाहिये। सबको निर्भय होना चाहिये। लेकिन कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरी करने वाले भी निर्भय हो गये हैं। १९७५ में जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी उसमें भी देश के अन्दर गरीबी के आंकड़े बहुत थे। लेकिन अब यह देश गरीबी के स्तर से इतना नीचे चला गया है कि लगभग आधा भारत इस प्रकार का है जो गरीबी से भी नीचे का जीवन बिता रहा है। आज भी इस चीज में किसी प्रकार की कोई कमी आई हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह जनता सरकार की देन है या महंगाई जनता सरकार के कारण हुई है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि महंगाई का प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है जो एक राष्ट्रीय विभीषिका के रूप में हमारे सामने खड़ा है। सबको मिल कर राष्ट्रीय स्तर पर इसका समाधान करना चाहिये। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि निर्भयता का अभिप्राय यह नहीं है कि काला बाजार करने वाले और जमाखोरी करने वाले भी निर्भय हो जायें और इस तरह हमारी गाड़ी रुक जाये। इसका दुष्परिणाम हमारी विकास योजनाओं पर भी बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें इस दृष्टि से भी इस समस्या पर विचार करना चाहिए।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यापारी सरकार से एक कदम आगे

मुझे खुशी है कि सरकार ने कुछ इस प्रकार के निर्णय भी लिये हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि महंगाई में कुछ कमी होगी। सरकार ने यह आदेश दिया है कि खुदरा और थोक व्यापारी पांच सौ क्विंटल से ज्यादा तेल नहीं रख सकेंगे और डेढ़ सौ क्विंटल से ज्यादा कोई वनस्पति नहीं रख सकेगा। लेकिन आज ही व्यापारियों की एसोसिएशन के अध्यक्ष का एक वक्तव्य पढ़ने को मुझे मिला है जिसमें कहा गया है कि दालें बाजार से गायब होने लगी हैं, तेल गायब होने लगा है और वनस्पति भी गायव होने लगा है। व्यापारियों के संघ के अध्यक्ष यह भी बताते हैं कि दालों के भाव बढ़ने लगे हैं। मेरे पास आज का अखबार है। इसमें लिखा है कि दालों के भाव २० से ३० प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। "व्यापारियों की दालों के स्टाक की सीमा बढ़ाने की मांग" इस प्रकार का यह शीर्षक है। इसमें यह भी लिखा है कि सरकार के नियंत्रण का परिणाम यह है कि २० से ३० प्रतिशत तक बराबर भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। सरसों के तेल का भाव १० रुपये तक तय किया गया, लेकिन सरसों का तेल बाजार से गायब हो गया है। आप जो कदम उठाते हैं, व्यापारी उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। इस पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

उपसभापति जी, शायद यह बात आपकी जानकारी में भी होगी कि आय कर से बचने के लिए एक-एक व्यापारी अपने परिवार में चार-चार लायसेंस ले लेते हैं क्योंकि इससे उन्हें इनकम टैक्स में बचत होती है। इसका परिणाम यह भी होता है कि एक व्यापारी पांच सौ क्विंटल दालें अलग-अलग नामों पर लेकर दो हजार क्विंटलं तक दालें रख लेंगे, लेकिन वास्तव में उनका परिवार एक ही होता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रश्नों पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये।

एक बात मैं लेवी शुगर के बारे में भी कहना चाहता हूं। गांवों के अन्दर मैंने देखा है कि लेवी शुगर गांव के कृषकों तक नहीं पहुंच पाती है। कृषक तो खांडसारी से और गुड़ से अपना काम चला लेता है। ऐसी स्थिति में सवाल यह पैदा होता है कि यह लेवी शुगर कहां जाती है? कहीं बिचौलिये और काला बाजार करने वाले लोग तो इस लाखों की चीनी को गायब नहीं कर देते हैं? गांव में आदमी को चीनी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

आयातित तेल

मैं विदेशों से आयात होने वाले तेल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि रेपसीड तेल का भाव आपने साढ़े सात रुपये किलो नियत कर दिया, लेकिन बंगाल के अन्दर दीवाली के मौके पर यह तेल कोई चौदह रुपये किलो के भाव से बिका है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात का परीक्षण करें कि मेरी जानकारी कहां तक सही है। यह देखने में आ रहा है कि बंगलादेश से लगी हुई हमारी जो सीमाएं हैं वहां से तेल का और दालों का बहुत बड़ी मात्रा में स्मगलिंग हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इस देश में भाव बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इस पर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है इसको किस प्रकार से रोका जाये।

मैं अपनी बात कुछ सुझाव देकर समाप्त करना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि यह सरकार हर बात के लिए पुरानी सरकार को दोष देकर या पुराने जमाने की दुहाई देकर काम न करे। यह बात न कहे कि पहले तिलहनों के भाव ये थे और अब ये हैं। सामान्य आदमी की दिलचस्पी इन बातों में नहीं होती

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। सामान्य आदमी की दिलचस्पी तो इसमें है कि उसके पेट में दो रोटी जायें। इसलिए आपको इस प्रवृत्ति पर थोड़ी रोक लगानी होगी और इन समस्याओं के समाधान के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि एकदम से कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके और भविष्य में कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके।

मुद्रास्फीति के बारे में मैं कह चुका हूं कि उन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। आज ही मैंने पढ़ा कि कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर मि. अलेक्जेंडर ने यह वक्तव्य दिया है कि दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं और हवाई जहाज से दवा छिड़कने की सुविधा दी जा रही है ताकि कीड़े न हों। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी ने भी यह बात नहीं कही कि किसान को चार पैसे ज्यादा दिये जाएंगे ताकि वह दालों का उत्पादन बढ़ा सके। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन सारी बातों पर मिलकर विचार किया जाना चाहिए।

वितरण व्यवस्था में सुधार हो

एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के बारे में है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उत्तर प्रदेश के जो खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्री श्रीवास्तव हैं, उन्होंने यह कहा है, विधान सभा में वक्तव्य दिया है कि जितनी भी राशन की दूसरी दुकाने हैं, उनमें ६० प्रतिशत दुकानें इस प्रकार की हैं, जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। यह आपकी जनता पार्टी के मंत्री का वक्तव्य है। यह मेरा वक्तव्य नहीं है। अगर इस प्रकार की बात है तो क्या लाभ हुआ इस तरह का नियन्त्रण लगाने का। आप बराबर दुकानें खोलते जा रहे हैं। जैसी मेरी अपनी जानकारी है उसके अनुसार २ लाख ४० हजार राशन की दुकानें देश के अन्दर काम कर रही हैं। लेकिन अगर उनमें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ६० प्रतिशत में भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरे राज्यों की स्थिति भी यही है तो जो सामान्य आदमी है, उसको इन दुकानों का लाभ नहीं मिल पायेगा। आप अपने स्तर पर सरप्राइज चेकिंग कराइये और किसी तरह से व्यवस्था कराइये ताकि जिस उद्देश्य से, जिनके हित के लिये आप इन दुकानों की स्थापना कर रहे हैं उन लोगों को इसका लाभ मिल सके।

सुपर बाजार

मैं सुपर बाजार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। दिल्ली में सुपर बाजार का हमें अच्छा अनुभव है। अभी मैंने सुना है कि आप और सुपर-बाजार भी खोलने जा रहे हैं। अगर सुपर बाजार इस दृष्टि से खोले जा रहे हैं कि उनके अन्दर अपने-अपने व्यक्तियों को रखा जा सकेगा, तब तो मैं समझता हूं कि उनका यह दृष्टिकोण शुभ नहीं है। लेकिन अगर सुपर बाजारों का उद्देश्य यह है कि सुपर बाजारों के माध्यम से जनता को सस्ती चीजें मिलें, शुद्ध चीजें मिलें तो मैं समझता हूं कि सुपर-बाजारों का उद्देश्य भी शुभ है। अभी प्याज और आलू की बात आई। सुपर बाजार के माध्यम से प्याज और आलू जो दिया गया उसका अनुभव दिल्ली की जनता को है ही। जिस तरह से वहां पर आलू और प्याज लोगों को मिल रहा था, मैं चाहूंगा कि आप स्वयं जाकर अचानक सुपर बाजार को देखिये। यह जो सरकारी पैसा आप इन पर लगा रहे हैं उससे जनता को सस्ते मूल्य पर सामान मिलना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि ये दुकानें किस तरह का काम कर रही हैं। या केवल कुछ लोगों को रोजगार देने का माध्यम बनी हुई हैं। आपको इन

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बातों पर गहराई के साथ सोचना चाहिए।

आयात को उदार बनाएं

हमारे पास विदेशी मुद्रा का अभाव नहीं है। लेकिन आयात नीति को, खासतौर से जो खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में है कि लोगों को रोजमर्रा की, दैनिक जीवन की चीजें मिलें, इसको थोड़ा उदार बनाना चाहिए। आप ऐसी चीजों पर नियन्त्रण लगाइये जैसे कि श्रृंगार सामग्री है, दूसरी ऐसी ही चीजें हैं। लेकिन जो रोजमर्रा के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली चीजें हैं, अगर बाहर से उनका आयात करके देश के अन्दर महंगाई के ऊपर कन्ट्रोल कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि इस पर पार्लियामेंट को कोई आपत्ति नहीं होगी, देश को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पहले इमरजेन्सी में हर दुकानदार हर चीज पर दाम लगाकर रखता था कि इसका इतना प्रति किलो भाव है, कपड़े का यह भाव है, गेहूं का यह भाव है, चावल का यह भाव है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि पिछले कुछ महीनों से दुकानदारों में क्या निर्भयता आ गई है कि वे भाव ही नहीं लगाते हैं। इसके ऊपर कुछ सख्ती होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी को पता लग जाए कि यह चीज इस भाव की है। कपड़े के एक-एक गज पर उसका भाव होना चाहिए कि उसका किस प्रकार का भाव है। जो पहले दाम लगाने की नीति थी उसको नहीं छोड़ना चाहिए।

सामान्य आदमी की बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आम आदमी, वाणिज्य मंत्री जी, केवल दो बात चाहता है कि वह इज्जत के साथ रह सके। कहीं अगर उसकी बहू-बेटी जा रही है तो उसकी इज्जत पर कोई हाथ न डाल सके। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकता हूं कि देश में ला एण्ड आर्डर की सिचुयेशन ठीक रहे, एक तो आदमी की यह इच्छा रहती है। दूसरे आदमी की यह इच्छा रहती है कि किसी तरह पेट भरने के लिये उस को रोटी मिलती रहे। लेकिन ये दो चीजें ही नहीं हैं। ला एण्ड आर्डर की सिचुयेशन अगर बिगड़ जायेगी, देश में कानून और व्यवस्था नियन्त्रण से बाहर हो जायेगी, अगर रिक्शे पर जाती हुई औरतों की कान की बाली खिंचने लगेंगी, गले की जंजीर खिंचने लग जायेंगी, दिन दहाड़े लोगों की हत्या होगी और इस तरह हमारे ला एण्ड आर्डर की हालत होगी तो मैं समझता हूं कि सामान्य आदमी के लिये यह कोई सन्तोष की बात नहीं होगी।

अंतिम बात है खाने-पीने के बारे में। खाने-पीने की स्थिति जिस प्रकार की है, मैं चाहता हूं कि ज्वालामुखी का विस्फोट होने से पहले आप इन बातों पर गम्भीरता से सोंचें और इस प्रकार के कठोर कदम उठायें, चाहे आयात नीति को उदार बना कर हो, व्यापारियों पर आन्तरिक सुरक्षा कानून से न सही दूसरे कानून बनाकर, ताकि उन्हें दण्ड का भय हो। यदि उनको दण्ड का भय नहीं होगा तो स्थिति पर नियन्त्रण करना बड़ा कठिन होगा। मैं समझता हूं कि जब तक उनको यह भय नहीं होगा कि गलत काम करने पर उनको सजा भी दी जा सकती है तो इन बातों का प्रभाव होने वाला नहीं है। मैं आशा करता हूं कि देश के सामने मंहगाई जो एक प्रश्न चिह्न बन कर रह गयी है, उसका गहराई के साथ समाधान किया जायेगा और आप देश को सन्तोषजनक उत्तर दे सकेंगे। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कृषि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कृषि

वैदिक काल में भारत कृषि प्रधान और पशुपालक देश था और आज भी महान औद्योगिक और व्यापारिक क्रान्ति के वाद भी भारत कृषि प्रधान देश है। जहां ग्रामीणं क्षेत्रों में लोगों का जीविका का आधार कृषि है वहां शहरी क्षेत्रों में लोग अन्न के लिए किसानों के उत्पादनों पर निर्भर करते हैं। व्यापार और औद्योगिक विकास का स्तर कृषि उत्पादन से ही सम्वद्ध है।

वेद में कृषि के लिए प्रेरणा देते हुए कहा गया है—

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्तेरमस्व वहुमन्यमानः

यत्र गावः कितव तत्र जाता तत् मे विचष्टे सवितायमर्यः

ऋक् १०-३४-३०

इसमें कहा गया है कि धन कमाने के लिए जुआ जैसे अनैतिक कर्यों में मत फंसो। तुम खेती करो तथा जो कुछ प्राप्त हो उसी को वहुत समझ कर मस्त रहो। कृषि सम्पदा से तुम घर में गौ, पत्नी के साथ समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। वेदों में विस्तार से यह भी वताया गया है कि हमारे हल किस तरह के वने हों। कृषि के साथ गोरक्षा एवं पशुपालन का अनिवार्य सम्वन्ध है, कार्यकारणभाव है। गोधन के परिपालन के लिए वेदों में दर्जनों सूक्त हैं। यथा—

गावः भगः गावः इन्द्रः मे अच्छान गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः।

इमा याः गावः स जनासः इन्द्रः इच्छामि इत हृदा मनसा चित्त इद्रम॥

ऋग् ६-२८-५

अथर्ववेद में कहा गया है कृषि कर्म करने वालों को उनका पूरा हिस्सा दो, वैलों का पूरा ध्यान रखो। पवन और सूर्य देवता समय पर वर्षा कर हमारा उत्पादन वढ़ाएं। (४.११.१०)

पशु पालन विशेषतः गो पालन का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि योगेश्वर श्रीकृष्ण का वाल्यकाल गौ, दूध, मक्खन से ही ओत-प्रोत है। भगवान कृष्ण की गोधन के प्रति आस्था का वर्णन किए विना उनका जीवन अधूरा है। वे गोविन्द हैं, गोपाल हैं। हमारा गोपाष्टमी पर्व भी इसी परम्परा का द्योतक है।

कृषि के महत्व के वारे में आज भी एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है—उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केरल का खाद्य सकंट प्रशासन की उपेक्षा का परिणाम

खाद्यान्नों के अनियमित वितरण से केरल में अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई तो शास्त्री जी ने इस सम्बन्ध में लोकसभा में १५ फरवरी १९६६ को स्थगन प्रस्ताव रखते हुए खाद्यान्नों के निर्वाध आवागमन का सुझाव दिया।

शास्त्री जी ने एक छोटे से गांव के किसान परिवार में जन्म लिया था। उन्होंने अपने पिताजी को स्वयं हल चलाते देखा था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, किसानों की समस्याओं को देखा था। इसलिए लोकसभा में जब कभी भी किसानों, कृषि एवं खाद्यान्नों के बारे में प्रश्न उठे शास्त्री जी ने अधिकार पूर्वक समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाये।

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा की अन्य कार्यवाही स्थगित करके केरल में सरकार की असफलताओं से जो खाद्यान्नों के अभाव की स्थिति सामने आई है उस पर विचार किया जाये।

भारत में पिछले १८ वर्षों से भुखमरी को समाप्त करने की दिशा में सरकार की ओर से पूरा प्रयास नहीं हुआ। उसका परिणाम यह है कि हमारे देश में भूख से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तीन प्रकार के व्यक्ति हमारे देश में खाद्यान्नों के अभाव में मरते हैं। एक तो वह जो किसी उद्देश्य विशेष को लेकर मरण-व्रत रखते हैं, लेकिन उनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक, एक या दो ही होगी। अधिकांश व्यक्ति वह हैं जो कम खाना मिलने से मरते हैं या फिर बिना खाये मृत्यु का ग्रास बनते हैं। यूरोप में ऐसी मृत्युएं एक हजार में लगभग ८ या १० होती हैं, जबकि भारतवर्ष में इस प्रकार की मृत्युओं की संख्या १९ और २० तक पहुंच चुकी है।

मैं आज अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यान्नों के अभाव के कारण जो भुखमरी की समस्या हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है, विचार न करके केवल केरल तक अपने को सीमित करना चाहूंगा। केरल में जो आन्दोलन खाद्यान्नों के अभाव में अभी पिछले दिनों उठे मैं उसकी पृष्ठभूमि पर पहले कुछ कहना चाहूंगा। केरल की अधिकांश जनता चावल खाती है और केरल चावल के उत्पादन की दृष्टि से अभाव वाला राज्य है। केरल के प्रशासक, जब से केन्द्रीय सरकार के हाथों में केरल का प्रशासन आया है बराबर दिल्ली के नेताओं को, खाद्य मंत्रालय को और प्रधान मंत्री को चेतानियां देते रहे हैं कि केरल की स्थिति भयावह होती जा रही है। दिल्ली के नेताओं को इसे संभालना चाहिए और केरल को इस विषम स्थिति में से बचना चाहिए। मैं खाद्य मंत्री से स्पष्ट भाषा में पूछना चाहूंगा कि क्या यह बात सही नहीं है कि जून के प्रारम्भ में केरल के राज्यपाल ने यहां एक तार दिया और उस तार में यह कहा कि यहां स्टाक में गल्ला बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है और हमें स्टाक करने के लिए अधिक मात्रा में गल्ला यहां भेजा जाय? क्या उन्होंने अपने तार में यह भी खाद्य मंत्री को कहा कि दक्षिण जोन जो समाप्त कर दिया गया है उसको फिर से स्थापित किया जाय जिससे केरल की स्थिति संभल सके और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर केन्द्रीय सरकार की केरल की स्थिति सम्हालने के लिए स्वयं कोई प्रबन्ध करना चाहिए?

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसके पश्चात अगस्त के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। उस मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में केरल की जनता को आश्वासन दिया स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कि हम यह यत्न करेंगे कि ११ लाख टन चावल और ४ लाख टन गेहूं केरल के लिए यहां से भेजा जाय जिससे अभाव की स्थिति न आने पाए। लेकिन वह सम्भव नहीं हो पाया। उसके बाद फिर केरल के प्रशासक ने ५ नवम्बर को केन्द्रीय सरकार को तार दिया उस में यह कहा कि राशन पद्धति यहां पर फेल हो चुकी है और यहां पर एक्दम विषम स्थिति होने जा रहीं है, केन्द्रीय सरकार इस दिशा में थोड़ा सावधानी से काम ले। नवम्बर के चौथे सप्ताह में दक्षिण के राज्यों के मुख्य मंत्रियों की फिर एक बैठक बुलायी गई। उस मुख्य मंत्रियों की बैठक में भी इस बात पर विचार होने के बाद स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री शास्त्री ने यह आश्वासन दिया कि १६० ग्राम चावल जो केरल के लोगों को मिल रहा है वह बराबर मिलता रहेगा। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।

लेकिन इतने आश्वासन देने के बावजूद खाद्य मंत्री महोदय ने उस दिशा में कोई पग नहीं उठाया और उसी का परिणाम यह है कि वह स्थिति बराबर बिगड़ती चली गई। जनवरी के प्रारम्भ में स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि फूड कारपोरेशन के स्टाक में केवल १ हजार टन चावल रह गया। शायद इन्हीं परिस्थितियों के कारण फूड कारपोरेशन के चेयरमैन मिस्टर पाई को त्यागपत्र भी देना पड़ा। मैं चाहूंगा कि खाद्य-मंत्री अपने उत्तर में इसका स्पष्टीकरण करें कि फूड कारपोरेशन के चेयरमैन को किन परिस्थितियों में विवश होकर त्यागपत्र देना पड़ा? खाद्य मंत्री पिछले साल की स्थिति का विश्लेषण करते हुए स्थान-स्थान पर इस बात की चर्चा करते हैं कि पिछले साल हमारे यहां ८८.२ मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ और पिछले साल खाद्यान्नों का आयात भी भारी मात्रा में किया गया। अब प्रश्न यह है केरल की जनता का भारत सरकार से और विशेषकर खाद्य मंत्री से कि जब पिछले साल उपज भी इतनी मात्रा में हुई और बाहर से आयात भी अधिक मात्रा में हुआ तो केरल के निवासियों ने कौन सा अपराध किया था कि जो उनके राशन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई? अध्यक्ष जी, मैं १९६३-६४ से पहले के आंकड़े देना चाहूंगा। १९६३-६४ के पहले जबकि भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में वार्षिक खपत इस प्रकार थी :

मध्य प्रदेश २२.७, पंजाब : २७.२, उड़ीसा, २१.७ और राजस्थान : २२.६ प्रति व्यक्ति टन, उस समय इस अभागे केरल राज्य की प्रति व्यक्ति खपत ११.९४ टन थी। और यह १९६३-६४ केअन्त में आकर के रह गई १०.११ टन। अब केरल की जनता यह पूछती है कि हम भारतवर्ष का भाग हैं या नहीं?

अगर केरल प्रान्त भारतवर्ष का भाग है तो क्या कारण है कि इन सारी स्थितियों के बावजूद भी, बराबर चेतावनियां देने के बावजूद भी, केरल के राज्यपाल के बराबर लिखने के बावजूद भी, खाद्य मंत्रालय और भारत सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी? और यह स्थिति उस समय है जब १६० ग्राम से घटाकर १२० ग्राम चावल केरल में किया गया, उसके बगल केजो प्रान्त हैं मद्रास और आन्ध्र, वहां मद्रास में प्रति व्यक्ति चावल २०० ग्राम दिया जा रहा है। और आन्ध्र के विशाखापटनम में २४० ग्राम प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है और केरल के निवासी को जो उसी की सीमा से सटा हुआ है, १२० ग्राम प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। अब केरल की जनता और देश का प्रत्येक व्यक्ति इस समाजवादी सरकार

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से पूछना चाहता है कि क्या यही समाजवाद का नमूना है कि आन्ध्र के अन्दर २४० ग्राम चावल और मद्रास के अन्दर २०० ग्राम ग्रावल तथा केरल की जनता को १२० ग्राम चावल दिया जा रहा है? क्या इसी प्रकार से देश में समाजवादी समाज की रचना होगी?

मेरी एक और जानकारी है। मद्रास में एक चावल होता है जिसे करवाई चावल कहते हैं। उसका स्टाक मद्रास के पास पर्याप्त है। यह एक मोटे किस्म का चावल होता है, जिसको केरल के लोग विशेषकर खाते हैं, मद्रास में इसकी खपत कम है। मद्रास में यह चावल भंडारों में भरा पड़ा है। लेकिन केरल तक नहीं पहुंच पाया। जब पानी मुंह तक आ गया और केरल के लोगों के कहने से केरल के प्रशासकों की चेतावनियों से किसी प्रकार यह भारत सरकार नहीं जागी तो परिणाम यह हुआ कि केरल में आन्दोलन उठा और आन्दोलन उठकर उसमें बसें फूंक दी गई, स्टेशन लूटे गए, सरकारी सम्पत्ति को नष्ट भ्रष्ट किया गया। मैं इन बातों को कहकर यह नहीं चाहता किइस प्रकार की किसी प्रवृत्ति को देश के किसी कोने में प्रोत्साहन दिया जाये? लेकिन मैं कहता हूं कि जब सरकार इनके अतिरिक्त और किन्हीं उपायों से जगती ही नहीं तो केरल के लोगों ने इस आन्दोलन का सहारा लिया तो इसमें उन बेचारों ने क्या अपराध किया है? और फिर जब यह आन्दोलन हुआ और केरल के स्कूल और कालेज बन्द हुए, केरल में हड़तालें हुईं तो प्रधान मंत्री महोदया ने प्रान्तों से यह कहा कि केरल को चावल भेजो, केरल को चावल भेजो। बिहार से चावल जा रहा है, यू.पी. से चावल जा रहा है, पंजाब से चावल जा रहा है, स्वयं उन्होंने भी शायद किसी जगह पर हस्ताक्षर किये हैं कि मैं भी चावल खाना छोड़ूंगी। (व्यवधान) शायद उन्होंने सोचा हो कि इसी प्रकार से लोगों में एक त्याग की प्रवृत्ति जगेगी?

लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जिस समय प्रधान मंत्री ने प्रान्तों को कहा कि अमुक प्रान्त इतना चावल भेजे, अमुक प्रान्त इतना चावल भेजे तब्र क्या कोई इस प्रकार के भी प्रान्त थे जिन्होंने आप का निर्देश जाने के बावजूद चावल भेजने से इंकार कर दिया था? जबकि उस प्रान्त के पास चावल था। उत्तर प्रदेश जैसा अभाव ग्रस्त प्रान्त अगर आप के निर्देश पर इतना चावल केरल को भेज सकता है तो इस संसद् में उस प्रान्त का नाम बतलाया जाय जिसने कि प्रधान मंत्री के निर्देश के बावजूद चावल नहीं भेजा? नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा गया? हमें इस समस्या के मूल में जाकर देखना होगा कि यह स्थिति पैदा क्यों हुई? उस का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम ने जो यह क्षेत्रीय प्रणाली (जोनल सिस्टम) की दीवारें देश में खड़ी कर दी हैं आज उसी का परिणाम यह हो रहा है कि प्रान्तों के अन्दर संकुचित प्रवृत्ति का उदय होता जा रहा है, स्वार्थी प्रवृत्ति जन्म लेती जा रही है। हर एक प्रान्त यह समझता है कि मेरे प्रान्त केअन्दर तो कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, पड़ोसी प्रान्त में कोई भूखा मरे तो भले ही मरे। मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। दूसरा क्षेत्रीय प्रणाली का (जोनल सिस्टम का) सब से बड़ा दुष्परिणाम यह है कि जैसे जयपुर कांग्रेस में किसी एक समझदार सदस्य ने चेतावनी देते हुए सरकार को कहा था कि आज सिपाहियों की जेबें लाखों रुपयों से भर रही हैं। जो सीमा पर हैं। जहां एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में गल्ला जाता है। अनाज जा रहा है लेकिन गलत रास्ते से जा रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, काला बाजार हो रहा है, गल्ला इस प्रकार से दूसरे अनुचित उपायों से जा रहा है। तीसरे भावों में कितना अन्तर हो गया? आज आप को दिल्ली की ही बात कहता हूं। पंजाब के अन्दर जिस गेहूं का भाव ५६ रुपये प्रति क्विंटल है उसी गेहूं का भाव दिल्ली में आकर ७२ रुपये प्रति क्विंटल है और वही गेहूं दिल्ली से ११ कि.मी. दूर गाजियाबाद में जाकर ८५ रुपये क्विंटल है और वही

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गेहूं बम्बई व कलकत्ते में जाकर १४० और १५० रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। मेरे एक मित्र ने बतलाया कि वहां १८० रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। इस क्षेत्रीय प्रणाली से देश में कितनी अव्यवस्था पैदा हो गई है।

केरल की जनता का तो एक और भी प्रश्न है। जब आप ने दक्षिण का ज़ोन समाप्त किया था तो केरल में तो कोई सरकार थी नहीं। इसलिए केन्द्रीय सरकार जब सारे प्रशासन को देखती हो तो केरल की जनता को भूखमरी से बचाने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से केन्द्रीय सरकार की है। अब मैं केन्द्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि कि केन्द्रीय सरकार इस बात को बताये कि जब दक्षिण जोन समाप्त करने में उसका हाथ था तो केरल की सीधी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। आज केरल पूछता है कि सीधी जिम्मेदारी आप के हाथ में आने के बाद हम को क्यों भूखों मरने दिया जा रहा है? केरल की स्थिति क्या है? जबकि अब चावल का अभाव है? आज खुले बाजार में आन्ध्र प्रदेश के अन्दर चावल का भाव ८० रुपये प्रति क्विंटल है, मद्रास का भाव ८० से लेकर ८५ रुपये प्रति क्विंटल है, मैसूर में १२० रुपये प्रति क्विंटल और वही चावल केरल में जाकर २०० रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। अब आप बताइये कि केरल का गरीब निवासी कहां से उस चावल को खरीदेगा और किस प्रकार से अपना पेट भरेगा?

केरल के अन्दर जो यह आन्दोलन होता है तो फिर उसको किस तरह से रोका जा सकता है? इस जोनल प्रणाली का मैंने और भी कई स्थानों में दुष्परिणाम देखा है। आन्ध्र महाराष्ट्र की जहां सीमा मिलती है, नान्देड़ और निजामाबाद की सीमाओं पर भाव पूछा तो जिस ज्वार का भाव महाराष्ट्र के अन्दर सस्ता है वही ज्वार एक मील चल कर आन्ध्र में उस का भाव ऊंचा हो जाता है? चावल का भाव निजामाबाद में क्या है और निजामाबाद से जब नान्देड़ में चला जाता है तो उसी चावल का भाव क्या हो जाता है? आज मैं आप को कहता हूं कि अभी समय है, सरकार समझदारी से और आंख खोल कर काम करे। केरल की यह घटना केरल तक ही सीमित नहीं है। अगर सरकार ने समझदारी और बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया और दूरदर्शिता से कोई निर्णय नहीं लिया तो केरल की घटना केरल तक ही सीमित नहीं रहेगी देश के कई अन्य राज्यों में भी इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। यही अभाव की स्थिति महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में है, राजस्थान में है, गुजरात में है और वही स्थिति पश्चिमी बंगाल में है। कई राज्यों में इसी प्रकार की स्थिति बन रही है। केरल के अन्दर जो उपद्रव हुए उस के महत्व को यह कह कर मोड़ना चाहते हैं कि वहां पर जो कम्युनिस्ट थे वह इस आन्दोलन के पीछे थे। मैं समझता हूं कि कुछ व्यक्ति उसमें इस प्रकार के हो सकते हैं जिन्होंने कि इस आन्दोलन का लाभ उठाया हो? लेकिन आप यह बतलाइये कि केरल के इस आन्दोलन में कांग्रेस के ही तो लोग न थे, एस. एस. पी. के भी थे, पी. एस. पी. के, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के भी लोग थे। जितने भी राजनैतिक दल हैं उन सभी ने मिलकर एक स्वर से यह मांग रखी थी। इसलिए इस आन्दोलन को केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का आन्दोलन कह कर नहीं टाला जा सकता।

हमारी सरकार दूसरा काम यह करती है कि वह आंकड़ों के जादू से सारा चित्र तैयार करती है। आंकड़ों के जादू का एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि १९५१ में जब हमारे देश की जनगणना ३६-३७ करोड़ के मध्य में थी तो सरकार केआंकड़े यह हैं कि उस समय हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन पचास करोड़ टन के लगभग था। अब जब कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ कर ४६-४७ करोड़ के लगभग पहुंच गयी है तो इस समय खाद्य मंत्रालय के आंकड़े यह हैं कि पिछले साल का उत्पादन ८८.२ करोड़ टन है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जब ८८.२ करोड़ टन का उत्पादन हुआ है तो देश की आबादी तो दुगनी हुई नहीं और उत्पादन हो गया लगभग दुगना। तो वह शेष खाद्यान्न कहां गया? यह एक सवाल है? लेकिन यह केवल एक सवाल नहीं है अपितु यह सच्चाई है कि खाद्यान्नों के आंकड़े की जादूगरी में आप के मंत्रालय ने आप को इस तरह से फंसा रखा है कि आप उससे अलग नहीं निकल सकते। यह सारा चित्र आप उस आधार पर ही तैयार करते हैं। इस तरह देश की खाद्य समस्या का आप समाधान नहीं कर पायेंगे।

क्या देश की खाद्य समस्या का समाधान प्रस्ताव पास कर के होगा? क्या देश की खाद्य समस्या का समाधान मीठी-मीठी बातों से होगा? क्या देश की खाद्यान्न की समस्या आप अश्रु गैस छोड़ कर और गोलियां चला कर करेंगे? अगर यह स्थिति रही तो मैं आप को चेतावनी देता हूं किकेरल की घटना देश के अन्दर न जाने कितने प्रान्तों के अन्दर दुहरायी जायगी? इस से बड़ी दुर्व्यवस्था और कुछ नहीं हो सकती कि १८ साल की स्वतंत्रता के बाद इस देश की जनता को रोटी के टुकड़े मांगने केलिए बन्दूकों की गोलियां खानी पड़ें। इस स्वतंत्र भारत की सरकार के लिए इस से बड़ी शर्म और लज्जा की और कोई बात नहीं हो सकती कि देश के अन्दर यह स्थिति हो।

इसलिए मैं इस स्थगन प्रस्ताव को उपस्थित करते समय विशेष रूप से यह चाहूंगा कि केरल में जो घटनाएं घटी हैं, केरल के जो वहां पर प्रशासक हैं, उनके बार-बार चेतावनी देने के बाद मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन व्यक्ति और कौन अधिकारी इस प्रकार के हैं जिन्होंने केरल की स्थिति को वहां लाकर खड़ा कर दिया? वहां पर उपद्रव हुए और सरकार की सम्पत्ति का नाश हुआ। इस की पूरी जांच होनी चाहिए। उपद्रव जो हुए हैं उनकी भी पूरी जांच होनी चाहिए जैसे स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री एक अरियललू की रेल दुर्घटना की सूचना पर अपने रेलवे मंत्री के पद से त्यागपत्र दे सकते थे तो ईमानदारी और नैतिकता का तकाजा यह है कि श्री सुब्रह्मण्यम को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सरकार के असफलता सूचक प्रस्ताव को उपस्थित करते समय यह चाहूंगा कि इस बात पर गम्भीरता से कुछ निर्णय लिये जायं ताकि केरल को ही नहीं अपितु देश को भी उस दुःखद स्थिति में फंसने से बचाया जा सके। धन्यवाद। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूमि अधिग्रहण विधेयक किसानों के लिए घातक

दिल्ली का विस्तार और विकास कौलोनाइजरों द्वारा उतना नहीं हुआ जितना सरकार ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर एक के बाद एक सैकड़ों बस्तियां बसाने से हुआ। सरकार सार्वजनिक प्रयोग के नाम पर भूमि का अधिग्रहण करती है और उसे भारी मुनाफे से बेचती है, जब कि किसान को कुछ पैसे ही उसकी जमीन के मिलते हैं। और अधिक भूमि का अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक प्रस्तुत किया था। शास्त्री जी ने ६ अप्रैल १९६७ को इस विधेयक पर बहस के समय इसका विरोध किया तथा इसे किसानों को उजाड़ने वाला बताया।

उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी राज में जब दिल्ली का विस्तार हो रहा था और शेष भारत से धन छीन छीन कर यहां पर बड़ी-बड़ी कोठियां और भवन खड़े किये जा रहे थे, उस समय महाकवि दिनकर ने दिल्ली को सम्बोधित करते हुए ये पंक्तियां कहीं थीं :

"आह उठीं दीन कृषकों की,
मजदूरों की तड़प पुकारें।
अरी गरीबों के खूनों पर,
खड़ी हुई तेरी दीवारें॥

उस समय तो वह बात समझ में आती थी, क्योंकि राज्य पराया था और अंग्रेज देश का शासक था। उस ने देश को चूसकर दिल्ली का विस्तार किया। लेकिन स्वतंत्र भारत की सरकार उन्हीं पद-चिन्हों पर चलकर दिल्ली का विस्तार करेगी, ऐसी कल्पना असानी से मस्तिष्क में नहीं होती थी। आज इस सदन में जो भूमि अधिग्रहण विधेयक उपस्थित हुआ है, वह अंग्रेजी शासन की इस पुरानी याद को फिर से ताजा कर रहा है।

किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला

उपाध्यक्ष महोदय, आप को और हम सब को यह भली भांति ज्ञात है कि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली का विस्तार किस ढंग से हो रहा है और उस के लिये दिल्ली के आस-पास के ज़िलों, विशेषकर गुड़गांव और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों और मेरठ तथा बुलन्दशहर, की जमीनों को किस तरह सस्ते दामों पर छीन कर किसानों को बेघर किया जा रहा है, या हमेशा के लिये उजाड़ा जा रहा है ।

आपको स्मरण होगा कि कुछ समय पहले गाजियाबाद के पच्चीस गांवों के किसान प्रदर्शन करने के लिए लोक सभा भवन पर आये थे और संसद के द्वार पर अपने बाल-बच्चों को लेकर लगभग एक महीने तक पड़े रहे, न्याय की भीख मांगने के लिये। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि "इन किसानों को तेरह पैसे गजके हिसाब से उन की जमीन का दाम देकर सदा के लिये उनके घरों से उजाड़ना और सदा के लिये उनको भिखारी बना देना उचित और न्याय संगत नहीं है।"

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बहुत कुछ परिश्रम करने और श्री जवाहर लाल नेहरू के बीच में पड़ने के बाद वह मुआवज़ा तेरह पैसे प्रति गज से बढ़कर लगभग सत्तर, अस्सी पैसे प्रति-गज तक पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस समय यह निर्णय हो गया, लेकिन अभी तक उन गरीब किसानों को पूरा पैसा नहीं मिल सका है।

उन गरीब किसानों की यह मांग थी कि उनकी जमीन से लगती हुई शहर की जमीन का मुआवजा जिस भाव पर दिया गया है या जिस भाव की रजिस्ट्री हुई है, अगर वह भाव नहीं, तो कम से कम लगभग उतना ही भाव तो उनको दिया जाये जबकि उनकी जमीनें सदा के लिये छीनी जा रही हैं। लेकिन उन गरीब किसानों की इस न्यायोचित मांग के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की आंखों में किसी प्रकार की दया का उदय नहीं हुआ।

इस विधेयक को फिर सदन के सामने लाने की वजह क्या है? मेरा अपना अनुमान है कि हमारी वर्तमान सरकार न्यायालयों के निर्णयों को अपनी आंखों से बिल्कुल ओझल करना चाहती है और एक तरह से उनको महत्त्वहीन बनाना चाहती है। जमीनों को छीनने के सम्बन्ध में मुन्सिफ कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो भी केस दायर हुए हैं, वे सब सरकार के विपरीत गए हैं। सरकार उस स्थिति से बचने के लिये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की परवाह किये बिना इस अधिवेशन में यह एक्ट ले आई है।

मौलिक अधिकार का उल्लंघन

इस विधयेकको लाने के पीछे एक भावना और भी है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मेरा अनुमान है कि इस विधेयक को पास करा के सरकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपने उस कर्त्तव्य से हटना चाहती है जिसकी ओर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया है। आप तुलना कीजिये कि अगर शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति अपनी कोठी और उसके आस-पास की खाली ज़मीन का मालिक है और उसको अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। उसको इस बात का भी पूर्ण अधिकार है कि वह उस भूमि को कितने रुपये में या किस मुआवज़े पर बेचे। लेकिन किसान ने क्या गुनाह किया है कि जिस जमीन पर वह खेती करता है, उस को अपने भाव पर बेचने के उसके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है?

सरकार संविधान में निर्दिष्ट फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती है। इसलिये वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये इस विधेयक को इस सदन में लेकर आई है। अमरीका के संविधान में १०५ वर्ष के अरसे में केवल पांच बार संशोधन हुए हैं। लेकिन उन पांचों बार में भी जो संविधान में संशोधन उन्होंने किए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अगर किसी के सम्बन्ध में हुआ तो उस सम्बन्ध में अमेरिका ने संविधान में संशोधन नहीं किए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि अपने ही बनाये हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को इस देश की पार्लियामेंट या इस देश की सरकार महत्वहीन समझती है। बार बार उनमें कहीं संशोधन के नाम पर, कहीं परिवर्तन के नाम पर, इस प्रकार के एक्ट लाकर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी उपेक्षा करती चली जा रही है। मैं समझता हूं कि इस सरकार का यह न्यायालयों को महत्वहीन बनाने का दूसरा प्रकार है।

किसानों पर दोहरी मार

उपाध्यक्ष जी, सरकार उन गरीब किसानों को दोहरी मार देना चाहती है। एक मार तो यह है कि इन गरीब किसानों ने कोर्ट में जाकर के मुकदमे लड़े। वहां पर भी सरकार ने पैसा लिया। कहीं स्टैम्प

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ड्यूटी ली और कहीं दूसरी तरह से उन किसानों को खर्च करना पड़ा। और जब यह ऐक्ट पास हो जाएगा तो उसके बाद जो उन गरीब किसानों को मुआवज़ा दिया जाना है वह पूरा मुआवजा न दिया जाकर फिर दोहरी मार उन किसानों पर पड़ने वाली है। इस तरह से सरकार दोहरा खेल उन किसानों के साथ खेलना चाहती है। एक बार वह कचहरी में केस लेकर गये वहां जीते। वहां खर्च किया और अब उनको आधा, तिहाई या चौथाई से भी कम पैसा देकर सरकार फिर दोहरी मार किसानों को देना चाहती है। इस तरह से सरकार शहरों को पनपाने के नाम पर गरीब किसानों के गलों पर छुरी फेरना चाहती है। जो बहुत बड़ा अन्याय है। और इसके सम्बन्ध में हमको विचार करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जैसा अभी कई मित्रों ने इस सम्बन्ध में कहा कि यह विधेयक इतनी आसानी से इस सदन के द्वारा पारित नहीं हो जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाय। प्रवर समिति इसके एक एक शब्द पर एक एक धारा पर विचार करे और देखे कि इसके द्वारा जो गरीब किसानों के ऊपर छुरी चलने वाली है किसी प्रकार से उसको बचाया जा सकता है। जब इस देश की जनता में ८२ प्रतिशत देहात के रहने वाले व्यक्ति हैं जिनकी जमीन छीनी जाने वाली है तो ऐसी स्थिति में इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। जो पूरी तरह से छानबीन करे और फिर विधेयक आये तो उनके साथ भी न्याय होगा और सदन अपनी गौरवपूर्ण परम्परा की रक्षा भी कर सकेगा।

इस से बड़ी चीज यह है कि न सिर्फ इस विधेयक पर बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि १८७४ के बनाये हुए जो भी भूमि सम्बन्धी अधिनियम या कानून हैं उन सब के ऊपर भी फिर से विचार करना आवश्यक है। क्योंकि अंग्रेजों के समय में परिस्थितियां कुछ और थीं। उसके बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे बदलती गईं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह सदन अपनी एक हाई पावर कमेटी इस प्रकार की बनाये जिस के सामने भूमि सम्बन्धी सारे कानून लाये जायें और उन सारी चीजों पर विचार किया जाय जिससे किसान के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपनी बलवती भाषा में कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम को पारित करने के बजाय प्रवर समिति को सौंपा जाय, जिससे मालूम पड़े कि भारतवर्ष की लोक सभा में गरीब किसानों का भी प्रतिनिधित्व होता है। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खाद्यान्नों के क्षेत्र समाप्त किए जायं

खाद्यान्नों के बारे में, क्षेत्रीय जोनों के बारे में विचार के समय २५ फरवरी १९६६ को शास्त्री जी ने इनके निर्माण का विरोध किया तथा कहा कि इनके द्वारा निर्मित कृत्रिम दीवारों से ही देश में अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। अतः इन्हें समाप्त किया जाय।

सभापति जी, देश की खाद्य स्थिति के खराब होने का मुख्य कारण जहां हमारे देश में खाद्यान्नों का अभाव है, वहां उस का एक मुख्य कारण दोषपूर्ण वितरण प्रणाली और खाद्यान्नों की बनावटी दीवारें भी हैं। केरल की हालत पर अभी दस दिन पहले काम रोको प्रस्ताव उपस्थित करते हुए मैंने खाद्य मंत्री से कहा था और चेतावनी दी थी कि यदि इस स्थति को जल्दी नहीं सम्भाला गया तो जो घटनायें केरल में हो रही हैं वह दूसरे प्रान्तों में भी फैल सकती हैं। अभी दो दिन पहले बंगाल विधान सभा और विधान परिषद् में जो दृश्य उपस्थित हुए हैं उनसे हमारे खाद्य मंत्री अच्छी तरह परिचित होंगे। इसके साथ अगर अभी भी यह स्थिति नहीं संभाली गई तो मैं दुबारा चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो यह आग केरल या बंगाल में फैली है वह अगर दूसरे प्रान्तों में फैल गई तो यह पार्लियामेन्ट हाऊस भी उसकी लपट से बच नहीं सकेगा। देश की स्थिति इतनी खराब होने जा रही है कि खाद्यान्नों के क्षेत्र को समाप्त किया जाये। इस सम्बन्ध में अभी कुछ दिन पहले मैंने समाचार पक्षों में देखा था कि जयपुर कांग्रेस में बहुत बड़े बहुमत से इस विषय पर बल दिया गया कि खाद्यान्नों के जोनों को समाप्त किया जाये। समाचार पत्रों में यह भी था कि संसदीय कांग्रेस पार्टी की निजी बैठक हुई थी, उस में भी इस बात पर बल दिया गया था कि खाद्यान्नों के क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाये। इसी प्रकार से देश के जितने भी दूसरे राजनीतिक दल हैं, जन संघ है, स्वतन्त्र पार्टी है, पी. एस. पी. है, और अगर मैं भूल नहीं करता तो हमारे देश की कम्युनिस्ट पार्टी भी इस पक्ष में है कि खाद्यान्नों के जो क्षेत्र हैं वह समाप्त होने चाहियें क्योंकि उनसे देश में बहुत विषम स्थिति पैदा हो रही है। मैं समझ नहीं पाता कि जनतंत्र की दुहाई देने वाली इस सरकार में कौन ऐसा तानाशाह बैठा हुआ है जो इतने प्रबल जनमत के होने पर भी फूड जोन्स को कायम रखे हुए है।

खाद्यान्नों के क्षेत्र को बनाये रखने का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि एक ही देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बतलाता हूं। पंजाब के अन्दर गेहूं का भाव ५६ रु. प्रति क्विंटल है, लेकिन वही गेहूं उत्तर प्रदेश में आकर८५ से ९५ रु. प्रति क्विंटल तक बिकता है और महाराष्ट्र में उसी गेहूं का भाव है १५० रु. प्रति क्विटंल। चने का भाव पंजाब में ५५रु. से लेकर ५८ रु. तक है जब कि दक्षिण भारत में उसी चने का भाव १२५ से १५० रु. क्विटंल तक है। चावल के सम्बन्ध में मैं बतलाता हूं कि जो चावल आंध्र में ८० रु. क्विंटल है मद्रास में वही चावल ८५ रु., मैसूर में १२० रु. और केरल में २०० रु. प्रति क्विंटल तक बिकता है। जब दूसरे देशों में भारत की खाद्यान्न की स्थिति विगड़ने के कारण भीख मांगने की स्थिति पैदा हो गई है और दूसरे देशों के छोटे छोटे बच्चे हमारे देश में खाद्यान्न भेजने के लिये धन इकट्ठा कर रहे हैं, उस समय इन फूड जोन्स के बने रहने से खाद्यान्नों की

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कितनी हानि हो रही है जरा इसको भी तो देखिये। आज भिन्न-भिन्न मंडियां और भिन्न-भिन्न नगरों में हमारे देश का करोड़ों मन गल्ला सड़ रहा है। उदाहरण के लिए पंजाब के जो मोटे-मोटे आंकड़े मुझे उपलब्ध हो सके उन को बतलाता हूं। पंजाब में इस समय लगभग १५ लाख मन गेहूं रुका हुआ है, ४० लाख मन चना रुका हुआ है और उसी पंजाब में मक्का और बाजरा लगभग २५ लाख मन रुका पड़ा हुआ है। आज पंजाब में खाद्यान्न का जो भाव है उसी हिसाब से सारे खाद्यान्नों का मूल्य ले लिया जाये तो करीब १६ करोड़ रु. से ऊपर का खाद्यान्न पंजाब में बेकार पड़ा हुआ है।

यह हालत वहां पर तब है जब नई फसल आने को तैयार है। पुरानी फसल का जितना भी खाद्यान्न है वह पंजाब की मंडियों में और किसानों के घर से बाहर नहीं आ सका है। यह आंकड़े तो केन्द्रीय सरकार की अपनी रिपोर्ट में हैं कि पंजाब के लुधियाना जिले में पिछले साल गेहू की ५० प्रतिशत से भी अधिक फसल हुई है। लुधियाना की जो सब से बड़ी मंडी मोगा की है वहां से कुछ लोग आये थे उन्होंने अपने गेहूं का नमूना दिया है। अगर आप उचित समझें तो मैं उसे टेबल पर रख दूंगा और अगर नहीं तो खाद्य मंत्री जी को दे दूंगा जिस से पता लग जायेगा कि आज किस प्रकार लाखों मन गल्ला वहां सड़ रहा है। जब हमारे देश में खाद्यान्न के अभाव के नाम पर दूसरे देशों के छोटे छोटे बच्चे झोली फैला कर भारत के लिये भीख मांग रहे हैं। पंजाब के लोगों का विचार है कि नई फसल आने को है और पुरानी फसल का गल्ला निकल नहीं पाया है। वह तो यहां तक कह रहे हैं कि जो गेहूं सरकार बाहर से मंगवाती है उसका किराया लगाने के बाद जिस भाव पर भारत में वह गेहूं पड़ता है उसी भाव पर उन का गल्ला खरीद लिया जाय। अगर इतना ही कर दिया जाये तो कम से कम व्यापारियों और किसानों को सन्तोष हो जायेगा।

अब पंजाब के साथ साथ में दूसरे प्रान्तों की स्थिति भी आप को बतलाता हूं। राजस्थान में अजमेर और दूसरे व्यापारिक नगरों की क्या स्थिति है? उसके बारे में मेरे पास एक पत्र आया है जिस को मैं खाद्य मंत्री जी को देना चाहता हूं। उस पत्र में लिखा हुआ है कि राजस्थान में ३० लाख बोरी चना इस समय रुका पड़ा है। अगर एक बोरी को ढाई मन तक भी मान लिया जाये तो ७५ लाख मन चना राजस्थान में रुका हुआ है। राजस्थान में चने का भाव ४५ से ५० रु. तक है। लेकिन जब वही चना साथ में लगते हुए गुजरात में बिकता है तो ११० से १२० रु. तक बिकता है। अब आप ही अनुमान लगाइये कि खाद्यान्न के जोन देश में कितनी विषम स्थिति पैदा कर रहे हैं।

इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में ५ लाख मन चना रुका पड़ा है। इस का दुष्परिणाम इस समय यह हो रहा है कि उन राज्यों की सरकारें व्यापार करना शुरू कर देती हैं। बाद में फिर दूसरी सरकारें भी ऐसा ही करना शुरू कर देंगी। पंजाब की सरकार ने ३९ रु. क्विन्टल मक्का खरीदा लेकिन उस को उसने मुनाफे पर बेचा। नागपुर में उस ने उसी मक्का को ८० रु. क्विन्टल बेचा अर्थात् सेंट पर सेंट मुनाफा कमाया महाराष्ट्र से। पंजाब सरकार ने ५६ रु. क्विन्टल पर चना खरीदा लेकिन पंजाब सरकार वह चना बंगाल गवर्नमेंट को ९० रु. पर बेच रही है। अगर व्यापारी मुनाफा कमाये तो वह फौरन डी. आई. आर. में आ जाता है, लेकिन अगर एक सरकार दूसरी सरकार से मुनाफा कमाती है तो केन्द्रीय सरकार के कानों पर किसी प्रकार जूं नहीं रेंगती है।

इस प्रकार से मुनाफा कमाने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि राज्य सरकारों के अन्दर एक संकुचित मनोवृत्ति पैदा हो रही है। एक जगह चावल का स्टाक जमा है और दूसरी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जगह बगल के राज्य के लोग भूख से मर रहे हैं। इसी का दुष्परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश की सरकार में, भोपाल से छत्तीसगढ़ में, जो कि उसी राज्य का एक भाग है, अन्न नहीं पहुंच पाया। जब छत्तीसगढ़ में आन्दोलन हुआ तब मध्य प्रदेश की सरकार ने विवश हो कर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उसके भेजने की बात स्वीकार की।

मैं जिस प्रान्त से आता हूं, अर्थात् उत्तर प्रदेश, उस प्रांत की बात मैं आप को बतलाता हूं। वहां पर एक जिले से दूसरे जिले की सीमा जहाँ मिलती है वहां पर बैरियर्स बने हुए हैं। वहां से अन्न दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। मुरादाबाद का गेहूं मेरठ नहीं जा सकता और मेरठ का गेहूं बुलन्दशहर नहीं जा सकता। यह वह देश है जो समाजवाद में विश्वास करता है। लेकिन भले ही सारा देश भूखों मर जाये पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्न नहीं जा सकता है। सारे देश में आज यह स्थिति पैदा हो रही है। इस का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि पहले तो खाद्यान्नों को बड़े बड़े व्यापारी रोका करते थे लेकिन अब जो समृद्ध किसान हैं, जिन के पास बड़े-बड़े फार्म हैं उन्होंने भी गल्ले को रोकना शुरु कर दिया है और आज गल्ला उन के पास भी रुका पड़ा है। तीसरा इसका दुष्परिणाम यह है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार, ब्लैक-मार्केटिंग और पुलिस जो सीमा पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गल्ला पास कर देती है इस प्रकार की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती चली जा रही है कि गल्ला चला जाता है दूसरी ओर। पंजाब से उत्तर प्रदेश में, गुड़गांव से कोसी की मंडी में गल्ला जाता है। सड़क से अगर गल्ला पास हो तो पुलिस ट्रक वालों को पहचानती है कि इस प्रकार के ट्रक वाले इस तरह का माल ले जाते हैं। पुलिस के साथ उनकी सांठ गांठ रहती है। लेकिन जो बेचारे उनको कुछ पैसा नहीं दे पाते वह पकड़े जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से गाजियाबाद की ओर गेहूं ले जाते हुए यहां के चीफ कमिश्नर ने पकड़ा था। लोग सरों पर गठरी रखकर शाहदरा के रास्ते ले जाते हैं। ऊंटों पर और दूसरे प्रकार से इस तरह का गल्ला भेजा जाता है।

एक यह पत्र मेरे पास आया है पंजाब के किसी एक बड़े फार्म के मालिक ने भेजा है। हीरा फार्म है शायद, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का। यह भी मैं आपको देना चाहूंगा इससे भी आप पता लगायें। यह लिखता है कि अगर यह कोशिश सरकार की रही कि हम गेहूं और चना, अच्छी-अच्छी चीजें उत्पादन करें और हमें अपने उत्पादन का अच्छा पैसा न मिले तो कल को अगर हम मूंगफली और कपास जैसी कैश क्राप पैदा करने लगे उधर हम अपनी प्रवृत्ति को मोड़ दें तो सरकार हमको उनके लिए दोषी नहीं-ठहरा सकती। फिर तो खाद्यान्नों की स्थिति कल को और भी विगड़ती चली जायगी।

एक बात सबसे अन्त में कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करुंगा। सभापति जी, यह कहा जाता है कि खाद्यान्नों के जोन समाप्त हो जाने से जो अन्न का भाव महंगा हो जायगा उसको रोकने का क्या उपाय है। देश के कई नेताओं और कांग्रेस प्रेसीडेंट तथा शायद है कि खाद्य मंत्री के मस्तिष्क में भी यह बात है। मैं दिल्ली शहर का उदाहरण देता हूं। दिल्ली से बाहर का नहीं। जव तक दिल्ली में खाद्यान्नों के जोन नहीं बने उस समय नवम्बर सन् ६२ में गेहूं ३८ रुपये से ४१ रुपये क्विंटल तक और नवम्बर १९६३ में ४७ रुपये से ४९ रुपये क्विंटल तक था। लेकिन जब जोन बन गया तो ६४ में गेहूं का भाव ९५ से लेकर १०० रुपये क्विंटल तकऔर ६५ में ७४ से ७६ रुपये क्विंटल तक हो गया। हो सकता है यह जोन जव आप समाप्त करेंगे तो एक बार भाव फिर ऊपर हो जायं? जैसे गुड़ से आपने कंट्रोल समाप्त किया था। कंट्रोल समाप्त करते ही उत्पादक को कुछ पैसे ज्यादा मिलेंगे। फिर जब गुड़ का आना जाना शुरू हो गया

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तो कीमत हर प्रान्त में निश्चित रूप से एक स्थान पर आ गई। इसी प्रकार जब सीमेंट से कंट्रोल हटा तो उसका परिणाम यह है कि आज सीमेंट लोगों को मिलने लगा। जो पहले ब्लैक के अन्दर २१ और २२ रुपये की बोरी मिलती थी आज वह ब्लैक से भी अगर मिलती है तो ११ और १२ रुपये तकज्यादा से ज्यादा मिलती है। लेकिन मिलती तो है, लोग अपना काम तो चलाते हैं। तो मेरा अपना कहना यह है कि अगर यह खाद्यान्नों के क्षेत्र समाप्त कर दिये जायं तो लाखों और करोड़ों मन गल्ला जो देश की मंडियों में बेकार पड़ा हुआ है, वह सड़ेगा नहीं। उत्पादक को ठीक पैसा मिलेगा और देश के अन्दर जो खाद्यान्नों के अभाव की कृत्रिम स्थिति पैदा हो गई है यह कृत्रिम अभाव की स्थिति नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा कि सरकार बार बार चेतावनियां सुनने की आदत न डाले और अपनी खाल को खाद्य मंत्री जी मोटी न बनायें। जनतंत्र के अन्दर विश्वास करने वाले खाद्य मंत्री जन की आवाज को एकदम सुनें और यह घोषणा करें कि 'देश में खाद्यान्नों के क्षेत्र समाप्त किये जा रहे है'। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिया जाय

गन्ने का उत्पादन निरन्तर घटने तथा चीनी मिलों को गन्ने की कम सप्लाई के प्रश्न पर लोक सभा में शास्त्री जी ने २ अगस्त १९६७ को आधे घण्टे की चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा कि इस का मुख्य कारण किसानों को गन्ने का उचित दाम न देना है। अतः वह गन्ने के उत्पादन का अपना क्षेत्र कम कर रहा है। इसका एक ही समाधान है कि किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य दिया जाए।

उपाध्यक्ष जी, गन्ने की कीमत और चीनी की कमी से संबंधित अपनी चर्चा को प्रारम्भ करते हुए मैं खाद्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न को संसद में कई बार प्रश्नों के रूप में और कई बार चर्चाओं के रूप में उठाया गया है। लेकिन दुख है कि अभी तक इस का कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं हो सका है। १९६५-६६ में इस देश में लगभग ३२ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। तब ऐसा लगता था कि देश चीनी के संबंध में आत्म-निर्भर हो जाएगा। क्योंकि जहां तक भारतवर्ष में चीनी की खपत का संबंध है लगभग २८ लाख टन की ही हमारी आवश्यकता थी। विदेशों को भी तब भारत सरकार ने अपनी चीनी का बाजार बनाने के लिए कुछ निर्यात प्रारम्भ किया, जिससे शायद चौदह पन्द्रह करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन भी भारत को हुआ। लेकिन सरकार की अदूरदर्शी नीति का परिणाम यह हुआ कि १९६६-६७ में चीनी का उत्पादन ३२ लाख टन से घट कर केवल २१ लाख टन रह गया। इससे खाने के लिए भी जो देश की अपनी खपत थी, उस में सात लाख टन की कमी हो गई। और विदेशी बाजार भी हमारे हाथों में रह पायेगा, यह भी संदिग्ध हो गया है।

सरकार की गलत नीतियों का क्या दुष्परिणाम हुआ है, इसका एक उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज धीरे-धीरे कम होती जा रही है। सरकार द्वारा दिये गये आंकड़े स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि १९६५ में अकेले उत्तर प्रदेश में २५ लाख एकड़ जमीन में गन्ना बोया जाता था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण १९६६ में गन्ने का क्षेत्र घट कर २० लाख एकड़ रह गया और इस समय १९६७ में केवल १५ लाख एकड़ जमीन में गन्ना बोया गया है। इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सरकार ने गन्ने की कीमत के संबंध में कोई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं लिया, तो आगे चल कर स्थिति और कितनी भयावह होने जा रही है। अगर पिछले साल जैसी स्थिति रही और सरकार ने समय रहते गन्ने की कीमत के संबंध में कोई घोषणा नहीं की, तो मेरा अनुमान है कि इस साल सारे देश में कुल मिला कर अधिक से अधिक दस या बारह लाख टन चीनी बन पायेगी।

इसका दुष्परिणाम क्या होगा? सब से पहला नुक्सान तो यह होगा कि सरकार को चीनी के करों द्वारा लगभग चालीस, पचास करोड़ रुपये की जो आय होती है, वह सारी आय उस के हाथों से जाती रहेगी। दूसरा नुक्सान यह होगा कि देश में आधे से अधिक चीनी के कारखाने बन्द हो जायेंगे और पचास हज़ार से ले कर सत्तर हजार तक मजदूर बेकार हो जायेंगे। तीसरा नुक्सान यह होगा कि एक ओर तो देश में खाने के लिए चीनी नहीं मिलेगी और दूसरी ओर विदेशी बाजार भी हमारे हाथों से जाता रहेगा। चौथा नुक्सान यह होगा कि देश में चीनी के संबंध में जो काला बाजार और चोर बाजारी चल पड़ी है,

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उसको स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन मिलेगा।

इस संबंध में मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं। गन्ने को किस कीमत पर और कहां बेचा जाये, यह निर्णय करने का अधिकार गन्ने के उत्पादक किसान को दिया जाये और सरकार को इस के बीच में नहीं आना चाहिए। दो, चीनी पर से कंट्रोल हटा दिया जाये, तीन, अगर सरकार गन्ने की कीमत निर्धारित भी करती है, तो वे इस प्रकार के लगते-भिड़ते भाव हों कि गुड़, खंडसारी और चीनी मिलों को जो गन्ना दिया जाये, उस के भाव में कोई विशेष भेद नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इन व्यावहारिक सुझावों को मान लेती है, तो मेरा निश्चित मत है कि इस साल ही कम से कम पच्चीस लाख टन तक चीनी का उत्पादन हो सकता है और इस संबंध में देश के सामने जो गम्भीर संकट खड़ा हो गया है, वह टल सकता है।

मेरे कुछ मित्र कहेंगे कि अगर चीनी पर से कंट्रोल हटा दिया जाये, तो चीनी के दाम और ऊंचे चले जायेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि आज चीनी के दाम बाजार में क्या हैं। कंट्रोल हटाने का परिणाम यह होगा कि काले वाजार में चीनी के दाम कम हो जायेंगे— वे ऊपर जाने वाले नहीं हैं आप जानते ही होंगे कि आज चीनी में किस-किस प्रकार की मिलावट की जाती है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि चीनी में खेतों में डाली जाने वाली खाद तक भी मिलाई जाने लगी है। अगर चीनी पर से नियंत्रण हटा दिया जाये, तो इस स्थिति में सुधार हो सकता है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों ने ही नहीं, वल्कि जिन अन्य राज्यों में भी गन्ने की पैदावार होती है, उन सभी ने केन्द्रीय सरकार से कई बार अनुरोध किया है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाये। लेकिन केन्द्रीय सरकार अपने कानों में तेल डाले हुए पड़ी है और कहती है कि समय आने पर हम इस वारे में घोषणा करेंगे। क्या कोई इस से भी अधिक विषम स्थिति उत्पन्न होगी, तब सरकार इस संबंध में विचार करेगी ? आपको यह जान कर दुःख होगा कि १९४७-४८ में गन्ने का भाव दो रुपये मन था और पिछले साल, जब कि महंगाई आसमान को छू रही है और सब वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, उसका भाव २ रुपये ६ आने से ले कर २ रुपये ८ आने तक पहुंचा है। क्या सरकार बतायेगी कि क्या इन बीस सालों में बाकी चीजों के दाम भी इसी अनुपात में बढ़े हैं। यदि नहीं, तो फिर गन्ने के उत्पादक के गले पर क्यों विशेष रूप से छुरी रखी जाती है और उस के साथ यह अन्याय क्यों किया जाता है?

आप को यह भी जान कर कष्ट होगा कि पिछले साल जब कि गन्ने का भाव ढाई रुपये मन था, तव गन्ने के ऊपर से जो हरे पत्ते, बैलों और पशुओं के खाने के काम आते हैं, उनका भाव पौने तीन रुपये मन था। आज सूखी लकड़ी का भाव पांच रुपया मन है और किसान ठंड और पाले में खड़े होकर जो गन्ना तैयार करता है, उस का भाव ढाई रुपये मन है। क्या यह सरकार का न्याय है? जब लगान में वृद्धि हो गई है, सिंचाई की दरें बढ़ गई हैं और खाद के दाम बढ़ गए हैं, तब गन्ने की कीमत न बढ़े यह किसान के साथ सरासर अन्याय है।

मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत के संबंध में जो सिद्धांत और नियम इंडोनेशिया और मैक्सिको की सरकारों ने अपनाए हुए हैं, उसी प्रकार के सिद्धान्त भारत सरकार को भी अपनाने चाहिए। मैक्सिको गवर्नमैंट का नियम है कि जब किसान गन्ना ले कर मिल के दरवाजे पर पहुंचता है, तो गन्ने का पचास प्रतिशत मूल्य उस को दे दिया जाता है। बाद में जब चीनी बाजार में आती है, तो उस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के अनुपात से पचास प्रतिशत मूल्य किसान को दे दिया जाता है। इससे किसान को संतोष होता है।

श्री रफी अहमद किदवई जब भारत सरकार के कृषि मंत्री थे, तो इन्होंने इसी आधार पर यह नारा लगाया था : जितने रुपये मन चीनी, उतने आने मन गन्ना। उसके अनुसार अगर आज चीनी का भाव अस्सी रुपये मन है, तो गन्ने का भाव पांच रुपये मन होना चाहिये। सरकार एक ओर तो यह चाहती है कि देश में चीनी और गन्ने का उत्पादन बढ़े। लेकिन दूसरी ओर वह किसान के साथ अन्याय भी करना चाहती है, जिससे किसान को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न मिले।

मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि जब किसान गन्ना लेकर मिल पर जाता है, तो उसको नगद दाम के साथ साथ उसका कुछ भाग चीनी के रूप में देना चाहिये। किसान गन्ने का मूल उत्पादक है और उसके गन्ने की चीनी बनती है, लेकिन अपने लड़के-लड़की के विवाह के अवसर पर जब उसको एक बोरा या दस, बीस सेर चीनी के लिए तहसीलदार या कलक्टर के दरवाजे पर जाना पड़ता है, तो उस समय उसको आश्चर्य होता है कि गन्ना तो मैं पैदा करता हूं लेकिन चीनी के लिए मुझे दर दर मारा मारा फिरना पड़ता है। इस लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान को अपने गन्ने के नकद दाम का कुछ निश्चित प्रतिशत चीनी के रूप में दिया जाये।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि यह सदन बराबर तीन महीने से कृषि मंत्री के कानों में यह आवाज दोहराता रहा है कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाये, और चीनी पर से कंट्रोल हटाया जाये तो मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के बाद सरकार इस प्रश्न को और ज्यादा नहीं टालेगी, देश की स्थिति को और नहीं बिगड़ने देगी और गन्ने के भाव को श्री रफ़ी अहमद किदवई के इस सिद्धांत के अनुसार तय कर देगी कि जितने रुपये मन चीनी का भाव है, उतने आने मन गन्ने का भाव होना चाहिये। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसानों को चीनी मिलों से उनका बकाया दिलाया जाय

चीनी मिलों और गन्ना उत्पादक किसानों से गन्ने के मूल्य की अदायगी के प्रश्न पर निरन्तर विवाद चला आ रहा है। सरकारी विभाग अप्रत्यक्ष रूप से चीनी मिल मालिकों का ही साथ देते हैं। तथा बकाया रखने वाली मिलों के विरुद्ध कोई कारवाई नहीं करते। शास्त्री जी ने १३ अगस्त १९६९ को किसानों की कठिनाइयों का उल्लेख करके मांग की कि किसानों को उनके गन्ने की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराया जाय।

सभापति महोदय, आधे घन्टे की जिस चर्चा के माध्यम से मैं जिस प्रश्न को उठाने जा रहा हूं, उसका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के उन किसानों से है जिन का करोड़ों रुपया आज चीनी मिल मालिकों की ओर शेष है।

लेकिन उसकी चर्चा प्रारम्भ करने से पहले मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका विभाग उनको किस तरह से अन्धकार में रख रहा है, इसको वह देखें। एक प्रश्न में बड़े स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ चीनी मिलों द्वारा अब भी किसानों की बहुत सी राशियों का भुगतान किया जाना शेष है? इसका जो उत्तर विभाग ने तैयार करके दिया है और जिसको मन्त्री महोदय ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसमें लिखा है कि १९६८-६९ के मौसम का ३१ मई, १९६९ को गन्ने की कीमत की बकाया राशि का एक विवरण दिया जा रहा है। मेरा स्पष्ट प्रश्न यह था कि इस समय उन किसानों का कितना पैसा मिल मालिकों की ओर शेष है। उसकी जानकारी विभाग की ओर से, मन्त्री महोदय की ओर से सदन को नहीं दी गई। पूरी जानकारी न देकर केवल एक मौसम के आंकड़े उन्होंने दे दिये हैं। ऐसा करके पिछला पैसा जो इन मिलों की ओर शेष था उसको छिपाने का यत्न किया गया है ताकि कोई बहुत बड़ी राशि हो और वह उत्तर प्रदेश के किसानों में और सदन के सदस्यों में भी असन्तोष पैदा न कर दें।

एक वर्ष की राशि का जो विवरण दिया गया है उससे पता चलता है किउत्तर प्रदेश के किसानों का चीनी मिल मालिकों की ओर ८ करोड़ ६८ लाख ४५.हजार रुपये शेष था और जो सैस का पैसा (गन्ना उपकर का पैसा) बकाया था वह करीब ५ करोड़ २६ लाख ६३ हजार था। यह उपकर इस वास्ते वसूल किया जाता है ताकि सरकार गन्ने की नस्ल को सुधार सके। गन्ने में कोई कीड़ा लगे तो उससे किसानों की फसल को बचाया जा सके या और इसी प्रकार के और काम कर सके। गत वर्षों के सम्बन्ध में इस में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैंने कृषि राज्य मंत्री श्री शिंदे को एक पत्र लिखकर पूछा था कि आपके पास कोई जानकारी है? कृषि राज्य मंत्री को जो जानकारी उत्तर प्रदेश की सरकार से मिली उसको उन्होंने बड़ी कृपा कर मेरे पास भेज दिया। वह राशि भी करीब चालीस लाख रु. की है। मैं समझता हूँ कि यह राशि सत्य से कोसों दूर है। फिर भी अगर मैं इस राशि को सत्य मान भी लूं तो करीब चौदह करोड़ रुपया इस प्रकार का है जो उत्तर प्रदेश के किसानों का चीनी मिलों की ओर बकाया है। जब एक प्रान्त के किसानों का इतना पैसा चीनी मिल मालिकों की ओर बकाया है तो हिसाब लगाया जाए सारे देश का। जहां-जहां

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चीनी मिलें हैं और जहां-जहां गन्ना पैदा होता है, कितना पैसा किसानों का उनकी ओर बकाया है? उत्तर प्रदेश का किसान अपने अधिकारों केलिए थोड़ा बहुत जागरुक हो गया है। लेकिन फिर भी जब उसका इतना पैसा बकाया है तो बिहार जैसे राज्य में किसानों का कितना पैसा चीनी मिल मालिकों की ओर बकाया होगा? इसका अनुमान आसानी ले लगाया जा सकता है। पांच सात राज्य जहाँ चीनी मिलें हैं और जहां के किसान गन्ना पैदा करते हैं, उन सब का हिसाब लगाया जाय तो करीब आधा अरब रुपया इस प्रकार का होगा। चीनी मिलों पर किसानों का बकाया होगा। मिलें इस रुपये को इस वास्ते अपने पास रखे हुए हैं कि उस रुपये से वे अपने दूसरे व्यापार करें।

सरकार देखे कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। किसान को जब समय पर पैसा नहीं मिलता है तो वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति किस तरह से कर सकता है? गन्ने की फसल का सुधार वह नहीं कर पाता, खाद समय पर नहीं खरीद पाता, अच्छा बीज नहीं खरीद पाता है और किसान को इससे जो प्रोत्साहन मिलना चाहिये वह सारे का सारा इस प्रकार से समाप्त हो जाता है।

एक विशेष बात मैं आप से कहना चाहता हूँ, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में जब संविद सरकार बनी थी तब उन्होंने चीनी मिल मालिकों के साथ कुछ कड़ाई बरतनी प्रारम्भ की थी। उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू होने से पहले किसान का जो पैसा चीनी मिलों की ओर बकाया है, चीनी मिल मालिक अगर उस पैसे को नहीं देंगे तो इन मिलों को चीनी मिल मालिक नहीं चलायेंगे, गवर्नमेंट उन मिलों को चलायेगी। जब उन्होंने यह चेतावनी दी तब कुछ पैसा तो दे दिया गया लेकिन सारा पैसा नहीं मिल सका और संविद सरकार का अभियान मध्य में ही रह गया। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जितनी चीनी मिलें हैं, उनको चाहे केन्द्रीय सरकार के माध्यम से इस प्रकार की एक चेतावनी दी जानी चाहिये कि अगली फसल चालू होने से पहले अगर किसानों का पैसा जिन मिलों की ओर बकाया है, वह वापिस नहीं दिया गया तो उन मिलों को उन मिलों के मालिक नहीं चलायेंगे, सरकार स्वयं उनको चलायेगी और वे मिल मालिक उन मिलों को हाथ नहीं लगा सकेंगे।

सदन को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि जो लिस्ट मेरे पास है इसमें मैंने पढ़ा है कि किस मिल पर कितना बकाया है उसको विस्तार से कह कर मैं ज्यादा कटुता उत्पन्न करना नहीं चाहता। लेकिन दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिन चीनी मिलों के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का संबंध है, सबसे बड़ी धनराशि उन मिलों की ओर ही बकाया है। मैं चाहता हूं कि इसको कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम देखें। जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उन्होंने किसानों का यह पैसा रोक कर रखा हुआ है। अगर किसानों का आधा अरब रुपया ये अपने पास रोक कर रखेंगे तो ये किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है?

इस रुपये को दिलाने का प्रयत्न करने के बजाय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने क्या किया? इसका भी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा की कि मालिकों को परचेज टैक्स के अंदर सोलह पैसे प्रति क्विंटल की छूट दी जायेगी। परचेज टैक्स माफ करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उल्टे मिल मालिकों को तो राज्य सरकार सुविधा देना चाहती है। लेकिन किसानों को जो पैसा मिल मालिकों की ओर बकाया है, उसको राज्य सरकार दिलाना नहीं चाहती है, उसकी ओर ध्यान देना नहीं चाहती है और केन्द्रीय सरकार भी ध्यान नहीं देती है। यह सरासर अन्याय है।

पैसा जो शेष रह जाता है, इसका एक और भी बहुत बड़ा कारण है। पिछली बार जब गन्ने की कीमत तय होने का सवाल यहां आया था तो कई सप्ताह लगातार उस पर चर्चा चलती रही। कृषि मन्त्री जी सभा में उपस्थित हैं। उनको स्मरण होगा कि उन्होंने सदन में खड़े होकर आश्वासन दिया था कि चीनी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मिलों को कम से कम दस रुपये का भाव निश्चित रूप से किसानों को देना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि जो चीनी मिलें किसानों को दस रुपये का भाव देंगी, वही सरकारी सुविधायें प्राप्त कर सकेंगी और दूसरी मिलें सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेंगी। मैं श्री जगजीवन राम से यह सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी जानकारी में उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की सुगर मिलें नहीं हैं, कि जिन्होंने ७ रुपये ३५ पैसे से भी कम दिया है? वह कृपा करके एक भी शुगर मिल का नाम बतायें, जिस ने गन्ने का भाव दस रुपये से कम दिया हो और सरकार ने उसके खिलाफ कार्यवाही की हो और उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित किया हो। अगर किसानों के साथ राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार न्याय नहीं कर सकेगी तो फिर किसानों को किस तरह गन्ने और अन्य बीजों के उत्पादन में प्रोत्साहन मिलेगा?

किसान को दिये जाने वाले पैसे के सम्बन्ध में मेरा सीधा-सादा सुझाव यह है—इसमें कन्ज्यूमर, मिलमालिक या गन्ने के उत्पादक किसान को, किसी को भी, आपत्ति नहीं होगी; मान लीजिए कि सरकार कल गन्ने का भाव साढ़े सात रुपये या दस रुपये तय करती है। जिस समय किसान अपना गन्ना ले कर चीनी मिल पर जाये, तो साढ़े सात रुपये या दस रुपये के हिसाब से तो उसको उसी समय पेमेंट कर दिया जाये, बाद में चीनी मार्केट में चीनी जिस भाव पर बिके, उसमें किसान को उसके अनुपात में पैसा दे दिया जाये। मुझे पता चला है कि मद्रास में डी. एम. के. सरकार ने पिछले साल इस प्रकार का परीक्षण करना चाहा था। पर मुझे जानकारी नहीं है कि उसका क्या परिणाम सामने आया।

या फिर स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई के इस सिद्धान्त पर अमल करना चाहिए कि जितने रुपये मन चीनी, उतने आने मन गन्ना। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों में से एक सिद्धान्त को स्वीकार कर के किसान के साथ इंसाफ करना चाहिए।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को सभी राज्यों के गन्ना उत्पादक किसानों को जो ५० करोड़ रु. की राशि चीनी मिलों पर बकाया है उसे शीघ्र किसानों को दिलाकर उनके साथ न्याय किया जाय।

(श्री शास्त्री जी ने १६ अगस्त १९६९ को पुनः प्रश्नोत्तर काल में यह प्रश्न उठाया)

अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि गन्ने का मूल्य किसानों, उपभोक्ताओं और दूसरे लोगों से विचार-विमर्श करके निर्धारित किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अगले वर्ष के लिए गन्ने का क्या मूल्य निर्धारित किया है और इस सम्बन्ध में किसानों की ओर से कितने मूल्य का सुझाव दिया गया था और इस बारे में राज्य सरकारों और उपभोक्ताओं की पृथक पृथक रायें क्या थीं, जिनके आधार पर सरकार ने मूल्य के बारे में निर्णय लिया है।

मंत्री महोदय का कहना है कि हम गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के बारे में किसानों के प्रतिनिधियों से भी राय लेते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि किसानों ने गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में क्या राय दी है। कल आधे घंटे की चर्चा के दौरान भी यह प्रश्न उठाया गया था, लेकिन मंत्री महोदय ने उस का कोई उत्तर नहीं दिया था। आज फिर मैं वही प्रश्न करना चाहता हूँ कि यदि सरकार श्री रफी अहमद क़िदवई के इस फारमूले को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन गन्ना, तो फिर मेरे फारमूले को मानने में सरकार को क्या आपत्ति है कि किसान के गन्न की जो कम से कम कीमत हो, वह तो तभी दे दी जांये, जब किसान गन्ना चीनी मिलों पर ले जायें और बाद में चीनी, बाजार में जिस भाव पर बिके, उसके आधार पर किसान को बाकी कीमत दे दी जाये? किसानों, मिल मालिकों और उपभोक्ताओं को किसी को भी इस सुझाव पर आपत्ति नहीं होगी। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाढ़ और सूखे के लिए समन्वित योजना बने

सन् १९७४ में देश में व्यापक स्तर पर बाढ़ और सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके कारण जहां सैकड़ों लोग मर गए, सम्पत्ति और पशु धन की अपार हानि हुई, वहाँ कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शास्त्री जी ने इस स्थिति के लिए नियम १७६ के अधीन राज्यसभा में विशेष रूप से विचार किए जाने का २ सितम्बर १९७४ को प्रस्ताव रखा।

उपसभापति महोदया, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा और अकाल, ये कुछ इस प्रकार की राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जो स्वाधीनता के २७ वर्ष के बाद भी इस देश का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। प्रकृति का कैसा विचित्र उपहास है कि देश का एक बहुत बड़ा भाग बाढ़ आने से विनाश की लपेट में है और दूसरी ओर इतना ही या उससे कुछ अधिक भाग इसलिए विनाश की लपेट में है कि वहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं आई।

जब संसद् का वर्षा कालीन अधिवेशन प्रारम्भ होता है, तो निश्चित रूप से यह मान लिया जाता है कि बाढ़ आयेगी और बाढ़ के ऊपर चर्चा भी होगी। हमारा अपना दुर्भाग्य यह है कि केन्द्रीय सरकार इस बाढ़ और सूखे का कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकी और उसी का परिणाम यह है कि प्रतिवर्ष इन घटनाओं का सामना देश को करना पड़ता है।

गत वर्ष इस देश को बाढ़ से जो हानि हुई है, उसके आंकड़े अपने शब्दों में न देकर भारत सरकार के उप सिंचाई मंत्री श्री कुरील की अध्यक्षता में जो एक समिति का निर्माण किया था और उस समिति ने जो आंकड़े दिये हैं, उन्हीं का उल्लेख मात्र करना चाहता हूं। श्री कुरील ने अपनी समिति की रिपोर्ट १३ फरवरी, १९७२ को दी थी और उसमें उन्होंने बतलाया था १९५१ से लेकर १९७१ तक इस देश में जो बाढ़ से हानि हुई है, वह २४०० हजार करोड़ रुपये की है। यानी प्रति वर्ष लगभग १२६ करोड़ रुपये की हानि बाढ़ से इस देश को होती है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़े इससे भी कुछ अधिक बढ़ चढ़कर हैं, जिनका समय के अभाव से जान-बूझकर उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

अभी कुछ दिन पहिले राष्ट्रीय विज्ञान एकाडमी में एक गोष्ठी हुई थी और उसमें इस सम्बन्ध में भी चर्चा हुई थी। डा. कमलेश ने अपना लेख पढ़ते हुए १९५३ से लेकर १९५८ तक की अवधि के आंकड़े दिये थे। उसके अनुसार १०,००० मनुष्यों की जान गई, चार लाख के करीब पशु मौत के घाट उतर गये और लगभग ८० लाख मकान नष्ट हो गये। ये पिछले वर्षों के आंकड़े हैं, जो मैंने आपके सामने जानबूझकर इसलिए दिए कि सूखे से और बाढ़ से प्रति वर्ष जो इस देश को हानि हो रही है उसके सब मिला कर ये आंकड़े कितने भयंकर हैं। इस वर्ष के भी कुछ आंकड़े जो मुझे उपलब्ध हो सके हैं वे मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बिहार के राजस्व मंत्री श्री केदार पांडे ने पीछे वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार को लगभग १५० करोड़ रुपये की हानि इस वर्ष बाढ़ से हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से तीन जिलों में और बाकी जिलों में सामान्य रूप से जो हानि हुई है, उस हानि का अनुमान २ अरब रुपए है। केन्द्रीय सरकार के आंकड़े हैं कि आसाम में ४ करोड़ ४३ लाख, केरल में ७

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाख और राजस्थान में १ करोड़ ५ लाख रुपये के करीब अब तक हानि हो चुकी है। यों तो बाढ़ और सूखे से देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जो प्रभावित न होता हो, एक बार जम्मू और काश्मीर में भी बाढ़ आ गई थी। लेकिन कुछ राज्य इस प्रकार के हैं जो प्रति वर्ष बाढ़ की लपेट में आ जाते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल विशेष रूप से हैं। डा. के. एल. राव ने, जो पहले सिंचाई मंत्री थे, कहा था कि गंगा घाटी का जो प्रदेश है उसका लगभग ६३ प्रतिशत भाग इस प्रकार का है जो बाढ़ से प्रभावित होता है।

अब गंगा घाटी के जो यह प्रदेश हैं उनमें मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेता हूं। पिछले वर्षों की चर्चा न करते हुए इस वर्ष उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ से हानि हुई है मैं केवल उसकी चर्चा करना चाहूंगा। उसमें भी मैं केवल तीन जिलों के आंकड़े देता हूं—बस्ती, गोरखपुर और देवरिया। पहले मैं गांवों के आंकड़े देता हूं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बस्ती के ३८३२, देवरिया के ३५०९ और गोरखपुर के १४७८ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन तीनों जिलों में जो बांध टूटे हैं उनकी संख्या है बस्ती में ११ गोरखपुर में १० और देवरिया में ८। इसी प्रकार मकान जो नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए हैं उनमें गोरखपुर में २९,९१० बस्ती में २३,७८७ और देवरिया में ५०,८८२ नष्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आंकड़े इन तीन जिलों के अन्दर फसल और मकानों की हानि के सम्बन्ध में दिए हैं वे इस प्रकार हैं। गोरखपुर में ६१,५१,३७,००० रुपये की फसल नष्ट हुई और १,४८,३३,६०० रुपये के मकान नष्ट हुए। बस्ती में १४ करोड़ की फसल नष्ट हुई और ३२,३१,००० के मकान नष्ट हुए। इसी प्रकार देवरिया के अन्दर १६करोड़ ५२ लाख रुपए की फसल प्रभावित हुई और लगभग ढाई करोड़ रुपए की मकानों की हानि हुई। मैं इस बात को कहने के साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ये तीनों जिले वे हैं जहां ७० प्रतिशत लोग इस प्रकार के हैं जो कृषि पर अवलम्बित हैं या जो कृषिविहीन मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी यह इच्छा है कि इन तीन जिलों के अन्दर इस प्रकार का कार्य किया जाय कि जिन मजदूरों के पास कृषियोग्य भूमि नहीं है और केवल दूसरों की कृषि पर मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं उनके लिए भी कुछ इस प्रकार के रोजगार के अवसर मुहैया किए जाएं जिससे वे पैसा इकट्ठा करके अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा थी कि उस क्षेत्र के अन्दर टैस्ट वर्क्स चालू किए जायं। इसी तरह से जो मकान नष्ट हुए हैं उनको फिर निर्मित किया जाय और चिकित्सा आदि की व्यवस्था भी की जाय। इस सबको करने के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार का अनुमान है कि १४.४७ करोड़ रुपए की तत्काल आवश्यकता होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसमें वह ५ करोड़ रुपए से अधिक इन कार्यों के लिए व्यय नहीं कर सकती। तो मेरा कहना यह है कि केन्द्रीय सिंचाई मंत्री इस बात को ध्यान में रखे बिना कि वे स्वयं उत्तर प्रदेश के हैं इस बात को देखें कि कहां कितनी हानि हुई है और उस हानि को किस प्रकार से बचाया जा सकता है और कैसे उन लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है।

जहां मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं, वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के क्षेत्र हैं जो उतनी बड़ी मात्रा में तो नहीं लेकिन प्रति वर्ष बाढ़ की चपेट में आते हैं। मुरादाबाद जिले के अंदर हसनपुर तहसील में गंगा के किनारे एक बांध बनना था। उस बांध को लगभग ९ वर्ष हुए सर्वे हुआ। डा. के. एल. राव जब सिंचाई मंत्री थे तब वह स्वयं उस क्षेत्र को देखने गये थे और उन्होंने एक योजना बनाई। वह बांध बन सकता है या नहीं और वह गंगा के दूसरे किनारे को तो नहीं काटेगा। इस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए रुड़की में तीन वर्ष तक उस बांध का परीक्षण होता रहा। फिर फैसला किया गया कि यह बांध बन सकता है और उसके बाद उस बांध को बनाने की स्वीकृति मिल गयी। उस के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कहा कि इस बांध की एक योजना बना कर भेजो। लेकिन आज ९ वर्ष के पश्चात् भी इस की स्थिति क्या है। लगभग ३२७ गांव इस प्रकार के हैं किजो प्रति वर्ष वहां बाढ़ की लपेट में आ जाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर से अनूपशहर के बीच में आप ने नरौरा की जो नहर निकाली है उसके कारण गंगा में वहां रेत जमती चली जा रही है और थोड़ा पानी भी आ जाता है। जो चारों तरफ फैल जाता है। दुर्भाग्य यह है कि जब यह चर्चा होती है तब तो मंत्री लोग बड़ी सहानुभूतिपूर्वक उत्तर देते हैं, लेकिन आप देखें कि आज ९ बर्ष के पश्चात् भी इसकी स्थिति क्या है। अभी राज्य सभा में मैंने एक प्रश्न पूछा था २२ अगस्त को इसी बांध के संबंध में। उस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि यह बांध दो चरणों में पूरा किया जाना है और १५.१४ करोड़ रुपया उस पर व्यय होगा। लेकिन अभी तक कोई योजना उत्तर प्रदेश की सरकार से केन्द्रीय सरकार को नहीं आयी है। तो मेरा कहना यह है कि जहां पर राज्य सरकारें इस प्रकार से आलसी हों और राज्य सरकारें उपेक्षा से और उदासीनता से काम लेती हों वहां केन्द्र को स्वयं इनिशियेटिव लेकर इस प्रकार की योजनाओं को पूर्ण करना चाहिए। राज्य सरकारों की स्थिति यह है कि जहाँ के मुख्य मंत्री या सिंचाई मंत्री होते हैं, उस क्षेत्र की योजनाओं को ही प्राथमिकता मिल जाती है और जिस क्षेत्र में मुख्य मंत्री या सिंचाई मंत्री नहीं होते उधर की योजनायें छोड़ दी जाती हैं। तो या तो केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को समन्वित रूप दे कर पूरा करे या फिर कोई और तरीका निकाला जाय।

[**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री के. सी. पंत)** : मुख्य मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के और सिंचाई मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह तो और भी दुर्भाग्य की बात है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ही इस ओर कुछ विशेष ध्यान दें। यों भी आपको तो उत्तर प्रदेश की ओर कुछ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और वहां के मुख्य मंत्री तो अपने को पूर्व का भी कहते हैं और पश्चिम का भी। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। बिहार की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। वहां भी कुछ नदियां बड़ी विप्लवी हैं। वहां गंडक है, बागमती है, कमला है, बूढ़ी गंडक है। इसी प्रकार उड़ीसा में ब्राम्हणी है, बैतरणी है, और स्वर्ण रेखा है, मध्य प्रदेश में नर्मदा है और भी राज्यों में कुछ इसी प्रकार की नदियां हैं जो हर साल कहर ढाती हैं। जो उन क्षेत्रों के संसद् सदस्य हैं वे आधिकारिक रूप से उस क्षेत्रों की विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं विशेष रूप से वह यह है कि प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले उन सभी क्षेत्रों में या प्रदेशों में लगभग ५० हजार गांव हैं जो बाढ़ की लपेट में आ जाते हैं। उनके लिए केन्द्रीय सरकार की कोई योजना न होने के कारण प्रति वर्ष ही उनको इस प्रकार की बाढ़ का सामना करना पड़ता है। पीछे मुझे पता लगा था कि केन्द्रीय सरकार के जो अपने सिंचाई मंत्री थे डा. के. एल. राव, उन्होंने दस वर्ष के लिए एक योजना बनायी थी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की और वह ५४० करोड़ की योजना थी। इस योजना के मातहत ही शायद गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बना था, उसी के अंतर्गत ब्रम्हपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बना था, और उन की स्थापना भी उन्होंने की थी। इस दस वर्ष की योजना के बाद उन्होंने कहा था कि १९८१ तक ५० प्रतिशत जो अपने देश की भूमि है, बाढ़ के प्रभाव से उसको मुक्ति मिल सकेगी।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उसमें उन्होंने कुछ रकम भी निर्धारित की थी। विभिन्न राज्यों के लिए। जैसे आसाम के लिए ८८.६ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के लिए ७५.१ करोड़ रुपया, उड़ीसा के लिए ६९.५ करोड़ रुपया, बिहार के लिए ६९.९ करोड़ रुपया, और मध्य प्रदेश के लिए १.९ करोड़ रुपया। इस योजना में नदियों के किनारे को ऊंचा करना था, जहां पर किनारे नहीं हैं वहां उन को नये सिरे से बनाना था, नदियों के मार्गों को ऊपर से बांधना था जो पहले से बने हुए हैं उन को सुधारना था नदियों के प्रवाह को सुधारना, यानि यह सारे काम उसमें शामिल थे। लेकिन मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो आंकड़े दिये या जो बोर्ड बनाया अभी तक देशवासी उससे यह पता नहीं लगा सके कि यह जो राशि आप ने विभिन्न राज्यों के लिये नियत की थी उसमें से कितनी राशि उन राज्यों को दी गई। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त अपना उत्तर देते समय इस बात को बता दें कि यह जो दस वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था राज्यों के लिए, वह दस वर्ष का कार्यक्रम कितना पूरा हो गया है। इस बात को यह अवश्य बतायें। दूसरे जो दो योजनायें गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की थीं उनके संबंध में मेरा अपना यह कहना है कि उनमें इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि इन योजनाओं को पूरी तरह से राज्य सरकारों पर ही न छोड़ दिया जाय। जब आप इतनी बड़ी राशि इसमें देने की योजना बना ही रहे हैं तो इसके अन्दर नियंत्रण आपका और अधिक हो। अधिक नियंत्रण के साथ साथ वह योजनाबद्ध चरणों में काम पूरा होता जा रहा है या नहीं इसका निरीक्षण भी आपके माध्यम से बराबर होता रहना चाहिए।

मैं एक बात यहां और कह दूं कि गंगा नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति थी। उसने एक बहुत अच्छी राय दी थी और वह राय यह थी कि नरौरा से राजस्थान के लिए ८५० किलोमीटर की नहर निकले और यह झुंझनू, चूरु, अलवर और गंगानगर ले जाई जाए। मैं नहीं कह सकता कि उस तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ और क्या उस पर कार्यवाही हुई है। लेकिन मैं मुख्य रूप से यह चाहूंगा कि यह जो बाढ़ की समस्या है, जो बाढ़ की परेशानियां प्रतिवर्ष संसद में चर्चा का विषय बनती हैं, कभी तो सरकार इस स्थिति में हो कि अधिकारपूर्वक यह कह सके कि हमने इतने वर्षों में इतनी सफलता प्राप्त कर ली है और शेष जो हमारा कार्य रह गया है उसके लिए हमने इतने वर्ष निर्धारित किये हैं। इतने वर्षों में इस उस कार्य को भी पूरा कर लेंगे।

सूखे की समस्या

अब मैं सूखे की समस्या की ओर भी आता हूं। सूखे से हमारे देश को कितनी हानि होती है, यह मैं बताना चाहता हूं। अभी पीछे १९७३ में हमारे देश में सूखा पड़ा था जिससे महाराष्ट्र के लगभग २ करोड़ लोग प्रभावित हुए, गुजरात के लगभग डेढ़ करोड लोग प्रभावित हुए और राजस्थान तो लगभग पूरा कर पूरा सूखे की चपेट में आ जाता है। देश के अन्दर यह जो कुछ प्रदेश हैं, जिनमें राजस्थान, गुजरात मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र, मैसूर हैं। इनमें ८८ जिले इस प्रकार के हैं। इन ८८ जिलों में लगभग प्रतिवर्ष ही नहीं तो कम से कम एक वर्ष छोड़कर ये जिले बराबर किसी न किसी ढंग से सूखे की चपेट में आते हैं। मैं तो समझता था कि हमारी सरकार के काम में ही कुछ भिन्नता है, सरकार के समाजवाद केअन्दर ही कुछ न्यूनता है। पर अब कभी कभी मुझे यह भी लगने लगता है कि भगवान की ऊपर वाली सरकार जो है उसके अन्दर भी भारत सरकार का समाजवाद तो नहीं चला गया ? स्थिति

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह है कि कहीं कहीं तो, जैसे आसाम में, ५०० इंच वर्षा होगी और राजस्थान में ५ इंच वर्षा होगी। यह जो मतभेद हैं इससे लगता है कि भगवान की सरकार भी भारत सरकार से कहीं प्रभावित तो नहीं हो रही है? लेकिन जो बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह जो वर्षा होती है, इसमें जो जल का अपव्यय होता है, जो पानी समुद्र में चला जाता है, इसका सदुपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों ने कोई विशेष योजना नहीं बनाई। मेरी जानकारी के आधार पर प्रतिवर्ष जो बारिश होती है उसमें करीब ३०० करोड़ एकड़ फुट पानी रहता है। यह जो ३०० करोड़ एकड़ फुट वर्षा होती है पूरे देश में इसको अगर बांटा जाय तो मेरा कहना यह है कि इससे हमारे देश की सिंचाई की जो समस्यायें हैं उन्हें इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। पूरे देश में औसतन ४५ इंच गहरे पानी की पर्त है, उस तक जाकर अगर इस पानी का सदुपयोग हो तो धरती से इसका गहरा संपर्क हो सकता है। लेकिन वर्षा के पानी का कठिनाई से हम एक चौथाई पानी ही इस्तेमाल करते हैं, तीन चौथाई भाग वर्षा का पानी जैसे का तैसा समुद्र की गोद में चला जाता है। अकेली ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका ४० करोड़ एकड़ फुट पानी ऐसा है जो ब्रह्मपुत्र नदी से समुद्र में चला जाता है। तो मेरा कहना यह है कि वर्षा के पानी के उपयोग के लिए हमने पिछले २७ वर्ष में इस प्रकार की योजना नहीं बनाई जिससे पूरे पानी का देश के लिए उपयोग कर पायें।

अब मैं भूमिगत जलराशि के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। भूमिगत जलराशि की जो वार्षिक क्षमता है वह १८ करोड़ एकड़ फुट की है। इसके अभी एक चौथाई भाग का भी हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि हमारे देश की जो खेती योग्य धरती है, पूरे देश में २७ प्रतिशत धरती भी सिंचाई की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए राजस्थान को लेता हूं। राजस्थान में १५७ लाख एकड़ भूमि इस प्रकार की है जिसको अभी तक किसी प्रकार के पानी का स्पर्श नहीं हो पाया सिवाय इसके कि दो तीन वर्ष में कोई बूंद इस पर पड़ जाती है नहीं तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से २५७ लाख एकड़ भूमि इस प्रकार की है जो बिना वर्षा के रहती है। तो मेरा कहना यह है कि एक ओर जहां उस पानी का उपयोग नहीं हो रहा है वहां दूसरी ओर सबसे बड़ी कमजोरी केन्द्र की यह है कि जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं इनके विवाद सुलझाकर वह नहीं दे रही है। कृष्णा-कावेरी का विवाद, नर्मदा-गोदावरी का विवाद, वर्षों से लटकता जा रहा है। कभी प्रधान मंत्री के पास सुलझाने के लिए भेजा जा रहा है, कभी इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के पास भेज रहे हैं। कभी केन्द्र सरकार और कभी राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भेज रहे हैं। लेकिन आज तक उनको यह सुलझाकर नहीं दे रहे हैं। इससे देश की कितनी हानि हो रही है ? उदाहरण के रूप में केवल एक ही बात बताना चाहता हूं जो नर्मदा का जल है — देश में अगर इस समस्या का समाधान हो जाता तो १० लाख रुपए प्रतिदिन का लाभ हो सकता था। अब १० लाख रुपये प्रतिदिन की हानि हो रही है। आप इन आंकड़ों को देखें तो पिछले २५ वर्षों में ९ सौ करोड़ रुपए की हानि केवल नर्मदा जल के विवाद हल न होने से हुई। इसी प्रकार दूसरे जल विवाद हैं। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें अभी तक हम २७ सौ करोड़ रुपए सिंचाई योजना पर खर्च कर चुके हैं। जो इनका लाभ होना चाहिए था, मैं अपने शब्दों में कहूं तो शायद दूसरा अर्थ लगाया जाए वह भी नहीं हो पाया। सरकार ने वसन्त राव पाटिल की अध्यक्षता में कमेटी निर्धारित की थी। वसन्त राव पाटिल कमेटी की रिपोर्ट यह है कि जितना पैसा सरकार ने सिंचाई योजना के लिये रखा था उसमें से चार सौ करोड़ रुपया ऐसा है जो बिना लाभ के रह

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गया है। अभी तक उसका किसी प्रकार से लाभ नहीं उठाया गया। मैं यह कह रहा हूं कि एक तरफ तो हम मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए लोगों की जेबों से शेयर पूंजी के रूप में पैसा निकाल रहे हैं, कहीं आयकर के रूप में पैसा निकाल रहे हैं, कहीं अनिवार्य जमा योजना स्कीम लागू कर रहे हैं। लेकिन जो योजनाएं प्रकृति के गर्भ से और मनुष्य के परिश्रम से, दोनों से मिलकर पूर्ण हो सकती हैं उसका किसी प्रकार सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। यमुना का पानी बेकार चला जाता है। मैं समझता हूं हरियाणा सरकार इससे सहमत होगी कि जो बचा हुआ पानी है वह राजस्थान सरकार को दे दिया जाए। लेकिन अभी तक इस योजना को भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं अपनी बात को अधिक न कहते हुए एक-दो सुझाव देना चाहता हूं।

पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सौभाग्य से हमारे कृषि राज्य मंत्री और सिंचाई मंत्री दोनों यहां बैठे हुए हैं .....

श्री देवराव पाटिल (महाराष्ट्र) : दोनों अलग-अलग बैठे हुए हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अलग अलग बैठे हुए हैं इसलिए मेल नहीं खाता ? यह तो मेरे मित्र कह रहे हैं कि दोनों विभागों में तालमेल नहीं। क्योंकि दोनों मंत्री अलग अलग बैठे हुए हैं, पर मैं समझता हूं दोनों के कान मेरी बात को जरूर सुन रहे होंगे।

मेरा सुझाव यह है कि जो राहत और अकाल के कार्य हैं इस बारे में पिछले वर्षों कुछ ऐसी चर्चा रही कि सरकारी कोष से जो पैसा गया उसमें राजनीति बरती गई। किसी राज्य को ज्यादा दिया गया और किसी राज्य को कम। मेरा कहना है कि किसी राज्य की कठिनाई को देखकर पैसे का अलाटमेंट किया जाना चाहिए। किसी के दबाव में आकर पैसे का अलाटमेंट नहीं किया जाना चाहिए।

अगली बात इसके साथ में यह कहना चाहता हूं कि जो सरकारी सहायता राज्यों को दी जाए उसका सदुपयोग हो। कम से कम खाने पीने वाले लोग सूखे और अकाल ग्रस्त लोगों के पेट के टुकड़े न खाएं। एक-एक पैसे का सदुपयोग हो, इस प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। गत वर्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री नायक ने बम्बई के उद्योगपतियों को बुलाया और बुलाकर कहा कि महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिए सहायता दी जाए। बम्बई के उद्योगपतियों ने कहा कि हमें बता दिया जाय कि कौन से क्षेत्र हैं, सहायता हम खुद जाकर कर देंगे। क्योंकि सरकारी मशीनरी पर हमें भरोसा नहीं है। अब थोड़ा अनुमान लगाइए कि देश में कितनी दुर्दशा है। अकाल और सूखे का भी लोग इस तरह से अनुचित लाभ उठा रहे हैं और जो मृत्यु के मुंह में जाने वाले हैं उनके पेट से पैसा बचाकर अपने घर में ले जा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस विषय में सावंधानी बरती जाए।

उससे अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बड़ी नदियां हैं जैसे बूढ़ी गंडक, गंगा और नर्मदा आदि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं इनके जो तटबंध बनने हैं—क्योंकि वहां पूर्ण रूप से बाढ़ आती है—इनका काम राज्य सरकारों के हाथ में न दिया जाए। इन बड़ी नदियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय जल आयोग बनाया जाए या राष्ट्रीय जल समस्या बना कर केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले। मेरा कहना है किअगर राज्य सरकारों के हाथ में यह काम छोड़ा गया तो जो दुष्परिणाम आपने इन २७ वर्षों में देखा वह आगे भी जारी रहेगा। इसलिए इन बड़ी नदियों की समस्या के समाधान के लिए चाहे उड़ीसा की हो, चाहे यू.पी की हो, बिहार की हो— केन्द्रीय सरकार खुद हाथ में लेकर जल विप्लव रोकने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए जल्दी करे।

डा. के. एल. राव ने लोकसभा में बाढ़ की बहस पर बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल, बंगला देश और भारत तीनों को मिला कर बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाया जाए। क्योंकि कुछ नदियां इस प्रकार की हैं जो नेपाल से आती हैं, कुछ नदियां इस प्रकार की है जो बंगला देश से आती हैं। इन कठिनाइयों से बचने के लिए यह जरूरी है कि सम्मिलित बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड बनाया जाए। डा. राव के इस सुझाव की मैं प्रशंसा करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कुछ पहल करे।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तब ही सरकार के सिर पर चिन्ता व्याप्त होती है। जब वर्षा कालीन अधिवेशन होता है तब सरकार यह सोचती रहती है कि किस प्रकार के आश्वासन दिए जाएं। मेरा कहना है कि इसका कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। इस वर्ष में आप इस बारे में कोई कदम दृढ़ता से उठाएं जिससे यह पता लगे कि ८१ तक या ९० तक या ९१ तक यानी इस समय तक देश के अंदर जो बाढ़ की विभीषिका है उससे मुक्ति मिल जाएगी इसलिए मेरा निवेदन है इस पर कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए।

तीसरी बात मैं नदियों की गहराई के बारे में कहना चाहता हूं। आज हमारे देश में स्थिति यह है कि नदियों में से रेत नहीं निकाली जाती है और रेत न निकालने का परिणाम यह होता है कि नदियों में मिट्टी जमती चली जाती है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जब नदियों के रेत का स्तर चढ़ता चला जाता है तो उसके कारण भी बाढ़ आती है। इसलिए नदियों की गहराई बराबर बनी रहे और उनके प्रवाह में किसी प्रकार की रोक न आए, पानी इधर उधर न फैले, इसके लिए आवश्यक है कि नदियों की गहराई बनाये रखने के लिए आपको रेत निकालने की कोई स्थायी व्यवस्था करनी चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप नदियों पर बांध बनाते हैं और तटबंध भी बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि इन तटबंधों के साथ-साथ आप सड़कें भी बना दीजिये। उससे दो लाभ होगें। एक तो तटबंध की बराबर मरम्मत होती रहेगी और दूसरा यह होगा कि यातायात के साधन जनता को मिल जायेंगे। इसमें व्यय भी अधिक नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि नये और पुराने जितने भी तटबंध आप बनायें उनके साथ-साथ सड़कें भी अवश्य बनायें।

एक अंतिम बात कहकर मैं बैठ जाना चाहता हूं और वह यह है कि जितनी भी योजनाएं मैंने बताई हैं, इनको आप तात्कालिक कार्यक्रम मानकर समाप्त न कर दें, बल्कि स्थायी और विस्तृत योजनाएं जो मैंने बताई हैं उनको आप कुछ चरणों में बनायें। मैं समझता हूं कि श्री कृष्ण चन्द्र पंत एक सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र हैं। वह जिस भी विभाग को सम्भालते हैं उसको बड़ी गम्भीरता से लेते हैं। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि जब श्री कृष्ण चन्द्र पन्त जैसे सुयोग्य मंत्री के हाथों में यह विभाग है तो वे कुछ इस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे जिससे हमारे देशवासी और देश का आने वाला इतिहास उनको धन्यवाद दे सके। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसान को उत्पादन का उचित मूल्य मिले

उत्पादन और विपणन की व्यवस्था इस प्रकार की है कि प्राय: उत्पादन कर्ता की अपेक्षा विचौलियों को ही अधिक लाभ मिलता है। यह समस्या कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में सर्वाधिक जटिल है। किसान सारे वर्ष धूप, वर्षा और सर्दी में कड़ी मेहनत करता है, पर उसकी उपज का उसे उचित मूल्य नहीं मिलता। शास्त्री जी ने राज्य सभा में इस प्रश्न पर विचार के समय १२ मार्च १९७६ को अपने भाषण में सरकार को ऐसी व्यवस्था करने को कहा जिससे किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके और ऐसी स्थिति न हो कि लोग उसका अनाज खाएं तथा वह स्वयं भूखा रहे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तरप्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, संसद और विधान मंडलों में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब किसी प्रश्न पर सत्ताधारी दल और विरोधी दलों का स्वर एक जैसा हो, चिन्तन एक जैसा हो और सुझाव भी एक जैसे हों। लेकिन इस तरह की राष्ट्रीय समस्याएं हैं जिनका संबंध जन-साधारण से होता है और विशेष कर देश के उस वर्ग से जो किसी भी चीज का मूल उत्पादक होता है।

मैं अपने मित्र श्री गुलाब राव पाटिल को इस प्रस्ताव को लाने के लिये हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक ऐसे उपेक्षित वर्ग की समस्याओं को उजागर किया है जिसकी दुर्भाग्य से न संसद में लाबी है, न विधान मंडलों में, न समाचार पत्रों में लाबी है और न देश के रेडियो पर कोई लाबी है।

हमारे देश के, १९७१ की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से ८५ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं जो कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। ये या तो स्वयं कृषि करते हैं या कृषि-मजदूर हैं। मैं कृषक और कृषि मजदूर में कोई ज्यादा भेद नहीं मानता। वह इसलिये कि जो अपने खेत पर काम करता है वह कृषक कहलाता है और जो दूसरों के खेत पर काम करता है वह मजदूर कहलाता है। वास्तव में दोनों कृषि ही करते हैं। इस तरह ८५ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि जितना १५ प्रतिशत की रक्षा, उनके विकास, उनकी सुविधाओं पर पिछले २७-२८ वर्षों में ध्यान दिया गया है, उतना ८५ प्रतिशत जनता की सुरक्षा और विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश में जितने विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें कितने प्रतिशत नगरों और शहरों से संबंधित हैं और कितने गांवों से संबंधित हैं, यह सब जो हमारे मुंह बोलते आंकड़े हैं उन पर प्रकाश डालने से ज्ञात हो जाएगा।

ग्रामों की उपेक्षा

अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था कि हमारे यहां गांवों के बैंकों में गांव के लोगों का जो पूंजी का विनियोग है या जो पूंजी उन्होंने बैंकों के अन्दर जमा कर रखी है, उस अनुपात से ग्रामीण विकास के लिये बैंक लगाते हैं या नहीं? तो माननीय मंत्री महोदय ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह बात नहीं है। इसी तरह से हिन्दुस्तान के अन्दर जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने मेडिकल कालेज हैं, जितने इंजीनियरिंग कालेज हैं और दूसरी जितनी टैक्नीकल संस्थाएं हैं, उनको भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर ग्रामीण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि समान रूप से समाजवादी ढंग से सबका विकास हो रहा है, आज की स्थिति में कम से कम यह बात हमारे गांवों पर लागू नहीं होती है। इस समय मैं उन प्रश्नों के विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैं उस मूल प्रश्न पर आना चाहता हूं जिसके संबंध में श्री गुलाब राव पाटिल ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है। उनका कहना यह है कि किसानों को उनके मूल उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुये लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। हमारी सरकार इस बात के लिए तो प्रयत्नशील है कि औद्योगिक उत्पादनों के मूल्य किसी तरह से भी कम न होने पायें, लेकिन किसानों की चिन्ता वह नहीं करती।

किसान की चिन्ता नहीं

अभी मेरे मित्र ने आर्थिक समीक्षा का उल्लेख किया। मैं भी आर्थिक समीक्षा की एक ही बात को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अभी पीछे गवर्नमेंट ने लेवी चीनी के संबंध में थोड़ी सी राहत दी है। पहले खुले बाजार में ३० प्रतिशत चीनी बेची जा सकती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर ३५ प्रतिशत कर दिया गया है। यह ३५ प्रतिशत क्यों किया गया, इसका कारण बताते हुये आर्थिक समीक्षा के अन्दर लिखा है कि १९७४-७५ के मौसम के बाद भी लेवी चीनी का अनुपात ७० प्रतिशत से घटा कर ६५ प्रतिशत करके लेवी चीनी की समान अखिल भारतीय कीमत रखी गई थी, जिससे कि चीनी मिल उद्योग को जो लाभ मिलता है वह कम न हो। सरकार इस बात के लिए तो चिन्तित है कि चीनी मिल उद्योग को जो लाभ मिलता है वह कम न हो, लेकिन सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है कि चीनी मिलें जिस किसान के कन्धों पर चल रही हैं या जो चीनी मिलों को गन्ना पैदा करके देता है, उसको किसी तरह की हानि न हो। मैंने इस आर्थिक समीक्षा को आदि से लेकर अन्त तक पढ़ा। मुझे इसमें एक पंक्ति भी किसान के संबंध में ऐसी नहीं मिली जिसमें यह बताया गया हो कि जिस प्रकार से हमारी सरकार चीनी उद्योग के लाभांश के संबंध में चिन्तित हैं, उसी प्रकार से उसको इस बात की भी चिन्ता हो कि कृषकों के लाभ में भी किसी प्रकार की कमी न आने पाये। मैं समझता हूं कि सरकार की मशीनरी के अन्दर कुछ इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जो जान-बूझ कर जो हम निर्णय लेते हैं, यहां पर हम जो चर्चाएं करते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, ताकि सरकार की तस्वीर बिगड़े। इस संबंध में हमारा कहना यह है कि मूल उत्पादन करने वाले किसान को सही और लागत मूल्य के हिसाब से उसकी वस्तुओं का मूल्य मिलना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उस प्रदेश के खासतौर पर प्रदेश के पश्चिमी भाग में दो चीजों की खेती अधिक होती है—एक गेहूं और दूसरा गन्ना। मैं पहले इन दो चीजों को लेता हूं। गन्ने की स्थिति क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की स्थिति यह है कि दो वर्ष पहले जब गन्ने की रिकवरी ८ प्रतिशत थी तो सरकार ने गन्ने का न्यूनतम या समर्थन मूल्य ८.५० रु. रखा था। लेकिन जब गत वर्ष गन्ने की रिकवरी १० प्रतिशत हो गई तो भी सरकार ने गन्ने का समर्थन

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मूल्य ८.५० रु. ही रहने दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि जब रिकवरी ८ प्रतिशत थी तब गन्ने का समर्थन मूल्य ८.५० रु. रखा गया और जब रिकवरी १० प्रतिशत कर दी गई तो समर्थन मूल्य ८.५० ही रहने दिया गया। अगर हिसाब लगाया जाय तो कम से कम इसको बढ़कर १०.५० रु. तो हो ही जाना चाहिए था। इसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होनी चाहिए।

न्यूनतम मूल्य

इस हिसाब से आप एक बात और देखिए। अभी प्रातःकाल शिन्दे साहब ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा कि "इसके अलावा कपास और पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए चीनी के कारखानों द्वारा गन्ना उत्पादकों को दिये जाने वाले न्यूनतम मूल्य निर्धारित हैं। ये कीमतें कृषि मूल्य आयोग की राय से निर्धारित की जाती हैं।" यह बात उन्होंने अपने उत्तर में कही है। यही बात आर्थिक समीक्षा के अन्दर भी कही गई है। आर्थिक समीक्षा के अन्दर यह कहा गया है कि कृषि मूल्य आयोग ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य ९.५० रु. करने के लिए हमको कहा था। आर्थिक समीक्षा भी सरकारी प्रकाशन है और ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में शिन्दे साहब ने जो उत्तर दिया है वह भी सरकार की तरफ से दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब मैं कौन-से उत्तर को सही मानूं? आर्थिक समीक्षा के अन्दर कृषि मूल्य आयोग ने ९.५० रु. की जो बात कही है उसको सही मानूं या शिन्दे जी ने जो उत्तर दिया है उसको सही मानूं? ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में शिन्दे जी ने यह कहा है कि ये मूल्य कृषि मूल्य आयोग को पूछकर निर्धारित किये जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय अपना उत्तर दें तो इसका स्पष्टीकरण अवश्य करें। अगर कृषि मूल्य आयोग १० प्रतिशत रिकवरी के बाद भी ८.५० रु. मूल्य रखने की बात कहता है तो मैं समझता हूं कि कृषि मूल्य आयोग के चिन्तन की शैली बहुत पुरानी पड़ गई है। लेकिन आर्थिक समीक्षा में न्यूनतम मूल्य ९.५० रु. रखने की बात कही गई है। हालांकि मैं समझता हूं कि ९.५० रु. मूल्य भी १० प्रतिशत रिकवरी के बाद कोई बड़ा मूल्य नहीं है।

किसानों को लाभ क्यों नहीं

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जितने भी हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन करने वाले कारखाने हैं उनको लाभांश की दर में १२ प्रतिशत की छूट दी हुई है कि जो उनका मूल उत्पादन है लागत लगा कर, उस पर १२ प्रतिशत अपना लाभ ले सकते हैं। अगर कारखाने वाला १२ प्रतिशत लाभ ले सकता है तो इस देश के ८५ प्रतिशत निवासी किसानों ने क्या अपराध किए हुए हैं जो उसको १२ प्रतिशत लाभ नहीं मिल सकता? इसके लिए सिद्धांत क्यों नहीं लागू होता कि किसान भी १२ प्रतिशत लाभ ले सकता है? अगर इसी हिसाब से लें तो मैं समझता हूं गन्ने का मूल्य, जो समर्थित मूल्य था, १२ रु. रखना चाहिये था।

भार्गव फार्मूले में चीनी मिलों के संबंध में कहा है कि चीनी मिलों का जो लाभांश है उसमें कम से कम आधा किसान को मिलना चाहिए। अगर भार्गव फार्मूला को लागू किया जाए तो यह साढ़े १४ रु.

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निश्चित रूप से पहुंच जाता। दुर्भाग्य की बात है उपसभाध्यक्षा जी, आज चूल्हे में जलाने वाला जो ईंधन है उसका भाव है १८-२० रु. क्विंटल और किसान जिस सर्दी और कष्ट में रह कर गन्ना तैयार करता है उस गन्ने का मूल्य जो उसको मिल रहा है उसका न्यूनतम समर्थित मूल्य रखा है ८ रु. ५० पैसा। अब यह किसान के साथ कितनी विडंबना और उपहास की बात है। जबकि संसद एक मत से आपको कह रही है कि किसान का जो उत्पादन है, उसको लागत भाव देकर ही लाभकारी समर्थित मूल्य निर्धारित कीजिए। जो उसकी लागत है उसको कम से कम पूछ तो लीजिये। आप यह कहते हैं अगर हम कृषि मूल्य आयोग में किसान के प्रतिनिधि को रखेंगे तो उपभोक्ता के प्रतिनिधि को क्यों नहीं रखेंगे। ठीक कहा, नत्थी सिंह जी ने कि जो मूल उत्पादक हैं, उसके लिए कैसे समान नीति रखी जाएगी। उपभोक्ता को क्या आप पूछते हैं कि किसान ने पानी किस भाव से ले रखा है, बिजली की दरें कितनी देनी पड़ती हैं, डीजल आईल का दाम कितना देना पड़ता है, ट्रैक्टर और उनके सामान का सामान्य मूल्य भी २५ प्रतिशत और बढ़ गया और बड़े ट्रैक्टरों का तो और ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा भी किसान को जो कई जगह रिश्वतें देनी पड़ती हैं पानी के लिए, बिजली लेने के लिए, उसके बारे में उपभोक्ता को क्या कुछ पता है?

उपभोक्ता और किसान दोनों को समान स्तर पर रखना और कहना कि कृषि मूल्य आयोग के अंदर किसानों के प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए और अगर हों तो ऐसे किसानों का प्रतिनिधित्व हो जो हजारों एकड़ के फार्म रखते हैं, जैसे राजे महाराजे रखते थे। कुछ दिन पहले—अगर मैं भूल नहीं करता हूं—तो इसी प्रकार के किसानों के प्रतिनिधि कृषि मूल्य आयोग में रहे हैं जिनके हजारों एकड़ के फार्म थे, रियासत के मालिक थे। ऐसे लोग किसानों का प्रतिनिधित्व क्या करेंगे? किसानों का प्रतिनिधित्व वह कर सकता है जो सामान्य कठिनाइयों से परिचित हो। इसीलिए इन बातों को तय करते समय आप थोड़ा व्यावहारिक स्तर पर आकर निर्णय लीजिए और संसद अगर किसी बात को सर्वसम्मति से कहे कि दोनों पक्षों का समान रूप से मान किया जाए तो इसको सामान्य न समझ लें, इसको केवल सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के रहम पर न छोड़ दें, बल्कि आप स्वयं उसमें रुचि लेकर कार्य करें। सौभाग्य की बात है कि इस समय कृषि मंत्रालय में तीनों मंत्रियों का कृषि के साथ सीधा संबंध है। शिन्दे साहब यहां बैठे हैं इसलिए इस बात को नहीं कहना चाहता हूं बल्कि इस बात को जानता हूं कि व्यावहारिक दृष्टि से वह किसानों की समस्या से परिचित हैं। जिस विभाग के मंत्री जगजीवन राम जी जैसे व्यक्ति हैं, जिस विभाग में शाहनवाज खां जैसा किसान हो, अन्ना साहब जैसा कृषि ज्ञाता हो, आखिर उस मंत्रालय के ऊपर कौन बैठा है? जो कृषि संबंधी मूल्य नीति पर या लागत मूल्य नीति पर सही-सही निर्णय नहीं ले रहा है, यह भी तो हमें पता चलना चाहिये।

गेहूं का मूल्य

अब गन्ने के अलावा गेहूं की स्थिति लीजिये। गेहूं की स्थिति यह है—अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं—तो अग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन ने १९७३ के पंजाब के आंकड़ों के आधार पर जो गेहूं का लागत मूल्य था वह निर्धारित किया था ७४ रु. ३४ पैसे और उन्होंने वसूली मूल्य कहा था कि आज जो स्थिति है कि इसके हिसाब से इसका ९५ रु. क्विंटल के हिसाब से वसूली मूल्य होना चाहिये। अब यह

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९७३-७४ की बात मैं आपको कह रहा हूं, जिस समय डीजल का भाव बहुत नीचा था, खाद का भाव आधा था, ट्रैक्टर का भाव इतना नहीं था और सिंचाई की दरें भी इतनी नहीं थीं। उस समय की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय उन्होंने ९५ रु. का सुझाव दिया था। आज जब कि सारी चीजों के भाव बढ़कर दुगुने से ऊपर पहुंच गए हैं, तो आज क्या यह स्थिति केवल १०५ रु. पर टिकनी चाहिए थी?

मैं अपने मित्र से तो सहमत हूं—अगर आप किसान की लागत को न समझ कर, उसको ध्यान में न रखकर, लाभकारी मूल्य नहीं देंगे और अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करके अमरीका और कैनेडा से गेहूं और अन्न मगांएंगे—अगर आप बाहर से अन्न मंगाएंगे, तो देश की कृषि व्यवस्था को संतुलित नहीं रख पायेंगे, पूरे देश की कृषि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बाहर से जो अनाज लाने के लिये आप रुपया खर्च कर देंगे लेकिन यहां किसान को लाभकारी मूल्य पर, लागत मूल्य पर नहीं देना चाहते, यह बात समझ में नहीं आती कि इस प्रकार की विडंबना क्यों? इस व्यावहारिक बात के ऊपर सीधे सादे शब्दों में विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। आज जो स्थिति है उसमें गेहूं का मूल्य कितना नीचे गिर गया है। नत्थी सिंह जी ने कही मण्डी की बात—सौभाग्य से मैं भी उत्तर प्रदेश की हापुड़, चंदौसी, हाथरस इस प्रकार की छोटी छोटी मण्डियों से परिचित हूं। सुबह आपने यह कहा था कि हमने यह कह दिया है एफ.सी.आई. को, खाद्य निगम को, कि कहीं १०५ रु. से नीचे मूल्य न गिरने पायें। शिन्दे साहब, अगर आपको थोड़ा सा अवकाश हो तो मैं आपको निजी राय दूंगा—यह तो आप बताओ मत उत्तर प्रदेश के कलक्टरों को कि अन्ना साहब शिन्दे का दौरा हो रहा है, आप स्वयं यहां उत्तर प्रदेश की मण्डियों में चले जाइए, दिल्ली के आसपास की मण्डियों में ही चले जाइये और देखिये कि वहां खाद्य निगम कितनी खरीद कर रहा है और कितना गेहूं किसान को १०० रु. से भी नीचे ज़ाकर बेचना पड़ रहा है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये रिपोर्टें जो देते हैं उनमें कहां तक सच्चाई है? ये रिपोर्टें सही नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी रिपोर्टों पर, आप उनके नोटों पर विश्वास न करें, आप स्वयं जाकर मण्डियों में देखें कि क्या स्थिति है।

गेहूं का मूल्य अगर उसी भाव से लगाया जाता जो लागत की दृष्टि से होना चाहिए और किसान के काम आने वाली वस्तुओं के जितने मूल्य आज बढ़ गये हैं तो उसका लागत मूल्य आज जितना बढ़ गया है, उसके हिसाब से १०५ रुपये से जाकर १२० रुपये में रुकना चाहिए था। लेकिन आज उस बेचारे किसान की स्थिति यह हो गई है कि १०५ रुपया जो उसे आपने देना तय किया था वह भी १०० रुपये से नीचे पहुंच गया है। जब वह कहता है कि थोड़ी सी क्षेत्रों की दीवार हटा दो ताकि दूसरे प्रान्तों में गल्ला चला जाय और किसी तरह से हमारे आंसू पुछ जायें। लेकिन इस बात के लिये भी सरकार तैयार नहीं है। एक ओर तो यह कहा जाता है कि ८५ प्रतिशत भारत जो गांवों में रहता है, उसकी समस्याओं के प्रति हम बड़े आतुर हैं। तो इसके लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण होना चाहिये। यदि आप ८५ प्रतिशत जनता की समस्या के प्रति चिन्तित और आतुर हैं तो मैं चाहता हूं कि इस बात पर गम्भीरता से सोचें।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गन्ना उपकर कहां गया?

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि किसान जो कृषि उपज का एक माध्यम है, आज उसकी स्थिति क्या है? आज आप उसकी स्थिति को देखिये। मैं अपने प्रदेश की बात कहता हूं। महाराष्ट्र की बात पटेल साहब बतलायेंगे, राजस्थान की नत्थीसिंह जी बतलायेंगे और हरियाणा की चौधरी साहब बतलायेंगे। मेरे प्रदेश में केन-सैस लागू किया गया था, गन्ने पर उप-कर लगाया गया था। लगाया इसलिये गया था कि इसके द्वारा जितना पैसा आयेगा वह गन्ने के विकास में लगाया जायेगा। पिछले वर्षों में जितना केन-सैस का पैसा आया था, गन्ने के उप-कर का पैसा आया था, अगर उस पैसे को जोड़ लिया जाय, तो करोड़ों में नहीं, अरबों में जाकर बैठता है। लेकिन यह सारे का सारा पैसा गन्ने के विकास के ऊपर उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया गया। हो सकता है किसी दूसरे राज्य में लगाया गया हो। लेकिन मैं अपने प्रदेश की स्थिति को जानता हूं और मेरे प्रदेश में कम से कम इस प्रकार का रुपया नहीं लगाया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी किसानों के ऊपर डेवलपमेंट टैक्स लगाया, विकास कर लगाया, और उस विकास कर से आपको आश्चर्य होगा गत वर्ष १५० करोड़ रुपया आया था। यह जो विकास कर लगाया गया था उस समय कहा गया था कि इसमें जितना पैसा आयेगा उसे कृषि के विकास में लगाया जायेगा। लेकिन १५० करोड़ रुपये में से डेढ़ करोड़ रुपया भी दिया जाता तो मुझे खुशी होती कि वह किसानों के ऊपर ठीक लगाया गया है।

आपकी आर्थिक समीक्षा में कहा गया है जो गेहूं १०५ रुपया क्विंटल के भाव से खरीदा गया है उसमें से ४.७५ रु. बोनस के रूप में दिया जायेगा, यह जो बोनस दिया जायेगा वह किसानों के विकास में और कृषि उत्पादन के विकास में लगाया जायेगा। अब कृषि मंत्री जी बतलायें कि ४.७५ रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिये जाने की बात कही गई है, तो इस हिसाब से कितनी बोनस की राशि प्रान्तों को दी गई है और जो बोनस की राशि दी गई है वह कितनी कृषि विकास के अन्दर लगाई गई है। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि जितने भी हैड्स इसके सम्बन्ध में हैं, वे सब बनावटी हैं। केन-सैस के नाम पर जितना पैसा आया है वह दूसरे कार्यों पर खर्च किया गया। डेवलपमेंट के नाम पर जितना पैसा आया है वह दूसरे मदों पर खर्च हो जाता है। जो बोनस ४.७५ रुपये के हिसाब से दिया जाता है, वह भी दूसरे कार्यों में खर्च हो जाता है। सरकार इन विकास कार्यों के लिए जो राशि देती है आखिर वह राशि कहां चली जाती है? यह तली फोड़ कुआं है कौन-सा, जहां यह पैसा नीचे चला जा रहा है? इस का पता लगाया जाना चाहिये कि किसानों के लिए, कृषि विकास के लिए जो पैसा दिया जाता है वह कहां खर्च हो जाता है?

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा एक हमारे मित्र ने की है। मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि मेरी धारणा यह है, मैं उन व्यक्तियों में हूं, कि जो राष्ट्रीयकरण को रामबाण नहीं मानते हैं। वह सब समस्याओं का समाधान नहीं है। राष्ट्रीयकरण के बाद बुराई नहीं रहेगी यह भी उचित मालूम

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नहीं देता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को जिस चीज का राष्ट्रीयकरण करना हो उसके बारे में स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये। यह तलवार ऊपर से लटकने का परिणाम यह हो रहा है कि चीनी मिल मालिक चीनी मिलों का जहां आधुनिकीकरण होना चाहिये था वहां वह रुक गये हैं, वह कहते हैं कि सरकार इन मिलों को लेने वाली है। इन खचड़ा मिलों का परिणाम यह हो रहा है कि जो रिकवरी आनी चाहिये थी वह रिकवरी परसेन्टेज घट रहा है। इस तरह से राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, सारे राष्ट्र का गन्ने का रस खोई में चला जा रहा है और जाकर सूख जाता है। सूर्य नारायण उस रस को खींच लेता है। जो मिल मालिक पुरानी मिलों का नवीनीकरण नहीं करते हैं उनको सरकार को ले लेना चाहिये। अगर वह नहीं लेगी तो ये खचड़ा मिलें इस देश को नुकसान पहुंचायेंगी। इसलिये मेरा कहना है कि जल्दी ही नीति निर्धारित कीजिये और जब तक नई नीति निर्धारित हो तब तक मेरा कहना यह है कि एक आदेश तुरन्त लागू किया जाय कि अगर मिल मालिक अपनी मिलों का नवीनीकरण नहीं करेंगे तो उन्हें सरकार ले लेगी। इस तरह की नीति आप जल्द निर्धारित कीजिये।

सौभाग्य से उपसभाध्यक्ष जी, आप एक ऐसे संगठन की जनरल सेक्रेटरी भी हैं जो इन तमाम चीजों के लिये देश में जिम्मेदार है। मैं आपको खास तौर से इस बात को सुना रहा हूं कि अगर हम इन चीनी मिल मालिकों को एक, दो या तीन महीने का नोटिस दे दें कि आप इन पुरानी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करें तो अच्छा होगा, इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है इस पर जरा विचार कीजिए।

तीसरी बात यह है कि चीनी से पांच सौ करोड़ की विदेशी मुद्रा का लाभ होता है, या सात सौ करोड़ का लाभ हुआ है। उसमें से एक या दो प्रतिशत तो किसान को भी मिलना चाहिए। किसान ही तो इसका मुख्य उत्पादक है। हम उसका लाभ चीनी मिल मालिकों को ही क्यों देते हैं। यदि आधा नहीं तो चौथाई लाभ तो उसे जाना ही चाहिए, वैसे आधा चीनी मिल मालिकों को और आधा किसान को जाना चाहिए। अगर इतना भी नहीं होता तो सरकार इतनी कृपा करे कि सरकार जो विदेशी मुद्रा कमा रही है उसमें से कुछ किसान को दे ताकि किसान वर्ग यह महसूस करे कि उसको उसके अधिक उत्पादन का कुछ फल मिल रहा है।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि चीनी मिल मालिक केवल चीनी पर ही लाभ उठाते हों ऐसा नहीं है। चीनी के साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जैसे बगास है, या मौलेसस है, शीरा है, खोई है, खाद है, जो चीनी मिलों के गन्ने के रस से बनती है और खेतों में इस्तेमाल होती है। लेकिन इनकी आदमनी सारे चीनी मिल मालिक बताते नहीं। उसमें किसान का भी भाग होना चाहिए। लेकिन किसान को कुछ मिलता नहीं। तो उसका भाग केवल चीनी के लाभ में ही नहीं बल्कि मोलैसस, बगास आदि दूसरी चीजों में भी होना चाहिए और इस लाभ के प्रतिशत को हमें निश्चित रूप से निर्धारित करना चाहिए।

अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं दो, तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहले तो जो हमारा कृषि मूल्य निर्धारण आयोग है उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए और उसमें किसानों के

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिनिधि लिये जायें ताकि वह अपनी समस्याओं को शान्ति से बैठ कर यहां रख सकें और यह न हो कि सरकारी अधिकारियों की कृपा पर ही कृषि निर्धारण आयोग को छोड़ दिया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषकों की और कृषि उत्पादन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये संसद की एक उच्च स्तरीय समिति अवश्य बनानी चाहिए ताकि यह चीजें देर तक उपेक्षा का विषय बन कर न रह जायं। बीस सूत्री कार्यक्रम में यह बातें आ सकें तो अच्छा है नहीं तो दो, तीन सूत्र उसमें और बढ़ाइये, लेकिन ८५ प्रतिशत भाग आबादी का जो कृषकों का है और जो गांवों में रहता है वह उपेक्षित नहीं रहना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को जो ऋण दिये जाते हैं उनके ब्याज की दर उद्योग धन्धों के ऋणों के ब्याज की दर की अपेक्षा निश्चित रूप से कम होनी चाहिए और सिद्धान्त रूप से हमें इस बात को तय कर लेना चाहिए।

अंतिम बात मैं पहले कह चुका हूं कि विदेशों को जो रुपया हम देते हैं और वहां से गल्ला मंगाते हैं उसका कुछ प्रतिशत अगर आप किसानों को दे दें तो निश्चित रूप से किसान आप को गेहूं भी ज्यादा पैदा करके देगा, गन्ना भी ज्यादा देगा और कपास और मूंगफली भी ज्यादा पैदा करके देगा। लेकिन आप उसके लिये एक व्यावहारिक नीति अपनाइये ताकि किसान को कृषि उत्पादन की लागत को देखते हुए कुछ लाभकारी मूल्य मिल सके। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुड़ वादा व्यापार पर रोक हटे

शास्त्री जी स्वयं एक गरीब किसान परिवार में जन्मे थे अतः उन्हें किसानों की समस्याओं का बड़ा गहरा ज्ञान और अनुभव दोनों थे। संसद में या संसद के बाहर उन्होंने किसानों के प्रश्न को सदा बड़ी प्रमुखता से उठाया। बाढ़ हो या सूखा इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका उन्हें व्यक्तिगत अनुभव था। गंगा की बाढ़ आने पर उनका गांव तथा आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा होने से परेशान रहता था। फसल नष्ट होना अलग, किसानों के लिए कोई कामधन्धा भी नहीं होता था। उनके प्रयास से ही एक बांध बना तथा इस सारे क्षेत्र को गंगा की बाढ़ से मुक्ति मिली।

किसानों को ट्रैक्टर मिलने में होने वाली कठिनाइयों या उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी पर उन्होंने बड़ी चिन्ता प्रकट करते हुए सरकार से इस बारे में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में फरीदाबाद की एक ट्रैक्टर कम्पनी का विशेष रूप से उल्लेख किया जिसने किसानों से अग्रिम पैसा ले लिया तथा ट्रैक्टर देने के लिए उनसे महीनों चक्कर लगवाये। कुछ किसानों के तो पैसे भी डूब गये।

शास्त्री जी ने यह भी मांग की कि ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर लगता है जिससे किसान अपनी उपज मण्डी में ले जाते हैं। परन्तु जब वह मण्डी में माल ले जाता है तब ट्रेलर पर माल लाने पर उस पर टैक्स लगाया जाता है। ऐसा टैक्स केवल उत्तर प्रदेश में ही लिया जाता है जो अन्य किसी राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों को इस टैक्स से भी मुक्ति दिलाई जाय।

गुड़ के वायदा सौदे

उत्तर प्रदेश के उन किसानों को भी जो गन्ना उत्पादन कर गुड़ बनाते हैं अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें अपने गुड़ का उचित दाम नहीं मिल पाता।

९ मार्च १९७० को शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश से गुड़ के निर्यात पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबन्ध का प्रश्न उठाया।

श्री शास्त्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुड़ के उत्पादन के बारे में खाद्य मंत्रालय के अपने आंकड़े बताते हैं कि १९६७-६८ में ९७ लाख ८६ हजार टन गुड़ देश में पैदा हुआ। १९६८-६९ में १ करोड़ २० लाख टन गुड़ पैदा हुआ। इस वर्ष के व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार १ करोड़ ४० लाख टन गुड़ का उत्पादन होने का अनुमान है। जहां तक गुड़ के भावों का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में अब से दो वर्ष पहले गुड़ का भाव १२५ रुपये मन था। इस साल जब गुड़ का सीजन शुरू हुआ तो प्रारम्भ में गुड़ का भाव ४० रुपये मन था। और जब मैं सदन में बोल रहा हूं, गुड़ का भाव घट कर २० रुपये मन तक आ पहुंचा है। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि किसान को इस समय डेढ़ रुपये मन भी गन्ने का भाव नहीं पड़ रहा। जबकि गुड़ का उत्पादन बढ़ने जा रहा है और किसान की ईख खड़ी है, खेत उसका खाली नहीं हुआ है। खाद्य मंत्रालय इस प्रकार की योजना बनाये जिससे किसान को गुड़ का अच्छा भाव मिले और गन्ने का

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उचित मूल्य मिले।

उत्तर प्रदेश में जैसा बताया गया गुड़ के निर्यात पर रोक नहीं है, पर गुड़ के वादा व्यापार पर प्रतिबन्ध है। मैं चाहता हूं कि यह प्रतिबन्ध भी हटाया जाय।

वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार ने खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित और कई चीजों के वादा व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। उदाहरण के लिए तेल हैं, अलसी का तेल है, मूंगफली का तेल है। उनके वादा व्यापार पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। ये वे तेल हैं जो कि इम्पोर्ट भी होते हैं। हल्दी के वादा व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन गुड़ क्योंकि किसान पैदा करता है, इसलिए उसके वादा व्यापार पर प्रतिबन्ध है। अगर यह वादा व्यापार खोल दिया जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि किसान के घर से गुड़ निकल कर बाजार में आ जाएगा, किसान को उसका पैसा मिलने लगेगा, गन्ने की कीमत बढ़ जाएगी। एक ओर सरकार किसान के साथ सहानुभूति प्रकट करती है और कहती है कि उसकी इच्छा है कि किसान को अधिक पैसा मिले, लेकिन दूसरी ओर किसान की जो हालत है, उसकी उपेक्षा हो रही है। गुड़ किसान देर तक नहीं रख सकता है। गुड़ के तथा गन्ने के भाव बढ़ाने का एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि गुड़ के वादा व्यापार से प्रतिबन्ध हटा लिया जाए। जिस समय यह प्रतिबन्ध इन्होंने लगाया था उस समय स्थिति यह थी कि देश में चीनी की कमी थी। उस समय गन्ने के भाव भी अच्छे थे, गुड़ के भाव भी अच्छे थे। आज स्थिति बदल गई है। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सेना

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाह्वोर्मे बलमस्तु

साम्राज्यों, जनपदों, और संस्कृतियों के उत्थान पतन की कहानियों का एक ही मूल कारण है उनकी भौतिक निर्वलता। छोटे राज्यों को आत्मसात् करके ही बड़े राज्यों का निर्माण होता है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। यह शाश्वत मात्स्य न्याय है। इसलिए राष्ट्रीय सामाजिक और वैयक्तिक जीवन में शक्तिशाली होना अत्यधिक आवश्यक है। वैदिक प्रार्थनाओं में 'बलमसि बलमयि देहि, तेजेऽसि तेजोमयि देहि, वाह्वोर्मेबलमस्तु' आदि दैनिक प्रार्थना के अंग हैं। राष्ट्र की सैनिक शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी उसकी सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। उसकी विजिगीषा उसमें चैतन्य भरती रहेगी। या देवी सर्वभूतेषु, शक्तिरूपेण संस्थिता, उसको हमारा नमन है। तुलसीदास कह गए हैं 'भय विन होय न प्रीति, और समरथ को नहिं दोष गुंसाई।'

किसी देश की सेना का उद्देश्य विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करना होता है। सेना देश का वलमपि वल है। दण्डनीति जहां आन्तरिक प्रशासन के लिए है वहां सेना जो दण्डनीति का ही परम विस्तार है वाह्यशक्तियों से देश की रक्षा के लिए है। शांति पर्व में राज़ा के कर्तव्य के बारे में विशेष रूप से धर्मपूर्वक शासन करने तथा देश की सीमाओं की रक्षा करने को कहा गया है। 'रक्षाधिकरणं युद्ध मथो धर्मानुशासनम्'। महाभारत में भी व्यास जी ने प्रारंभ में ही कहा है शस्त्र द्वारा रक्षित राज्य में ही शास्त्र चिन्ता-ज्ञान विज्ञान-की जा सकती है। 'शस्त्रेण रक्षिते राज्ये शास्त्र चिन्ता प्रवर्तते।' इससे सेना का महत्व स्पष्ट है। हमारी वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण की परिकल्पना का आधार प्रतिरक्षण है।

आत्मिक उन्नति के लिए भी शक्तिशाली होना जरूरी है। नायमात्मा वलहीनने लभ्यः, शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। शस्त्र ज्ञान के साथ शास्त्र ज्ञान का भी महत्व है। इस वात को बड़े सुन्दर शब्दों में इस प्रकार कहा गया है—

इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं च उभे श्रियमश्नुताम
इदं ब्राह्म इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि

मेरा ब्रह्मतेज और क्षात्र तेज दोनों श्रीवृद्धि को प्राप्त हों, जिससे आवश्यकता अनुसार ब्रह्म तेज से शाप और क्षात्र तेज से शरसंधान किया जा सके। मेरी वाणी और कर्म दोनों शक्तिशाली हों। दुःखी, पीड़ित और त्रस्त लोगों की रक्षा के लिए शक्ति-क्षात्र धर्म आवश्यक है। कवि कालिदास ने इसी वात को इस रूप में व्यक्त किया है-'क्षतात् किल जायते इत्युदग्रं, क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढः।' क्षत्रिय शब्द विश्व में इसी रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि वह क्षत-प्रहारों और चोटों से रक्षा करता है। भारतीय समाज में चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था में ज्ञान, शक्ति और अर्थ-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य-का समान महत्व है। राजा की सैन्य शक्ति ही शत्रुओं से सीमाओं की रक्षा करती है। शक्तिहीन राज्य, देश व व्यक्ति ही पराभूत होते हैं। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना में कहा गया है 'आराष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम्'। हमारे राष्ट्र में क्षत्रिय लक्ष्य भेद करने वाले धनुर्धर और महारथी हों।' शक्तिशाली ही सदा समय आने पर युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। महाभारत के समय यह गर्वोक्ति कितनी ठीक थी-'यदर्थं क्षत्रिया सूते कालो तस्यायमागतः क्षत्रिय महिला-जिस दिन के लिए युद्ध के लिए सन्तान को जन्म देती है, वह दिन आ गया है। इस वात का गर्व हम सभी कर सकते हैं जब हमारी सेना शक्तिशाली हो, युद्ध में विजय के लिए विजिगीषु हो।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नृत्यगान की होड़ में देश सैन्यकरण को भुला बैठा

देश की रक्षा तैयारियों में शास्त्री जी की विशेष रुचि थी। शास्त्री जी ने १९५९ में लोक सभा में देश में अनिवार्य सैनिक शिक्षा देने का प्रस्ताव किया था। उस समय हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे में कृष्णा मेनन ने इसे टाल दिया कि हम स्कूलों में नेशनल कैडिट-कोर का शिक्षण देंगे। १५ नवम्बर १९६२ को महाराज कुमार विजय आनन्द ने देश में अनिवार्य सैनिक शिक्षण देने का प्रस्ताव किया। शास्त्री जी ने अपने भाषण में उसका समर्थन किया।

सभापति महोदय, विष्णु शर्मा के पंच तंत्र में एक कहानी आती है कि कृपण व्यक्ति को रात्रि में सोते समय जब ठंड लगती थी तो प्रतिदिन वह यह निश्चय किया करता था कि कल प्रातः होते ही रजाई जरूर बना लूंगा, लेकिन जब सूर्योदय हो जाता था तो उसको रात की ठंड का स्मरण नहीं रहता था।

कृष्णा मेनन का आश्वासन

आज जब हम सैनिक शिक्षण देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर यहां विचार कर रहे हैं तो यह न भूल जाएं कि यह प्रस्ताव इससे पहले भी तीन बार इसी सदन में विचार का विषय रह चुका है। मैं भी अपने आपको महाराजकुमार विजय आनन्द के समान उन सौभाग्यशाली सदस्यों में समझता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं इस प्रकार का एक प्रस्ताव इस सदन में १९५९ में रखा था। उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने अपने उत्तर में बताया था कि आज से तीन वर्ष बाद कोई स्कूल और कालेज का युवक इस प्रकार का नहीं होगा जो एन. सी. सी. और ए. सी. सी. की ट्रेनिंग न पा चुका हो। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह आश्वासन, पता नहीं क्यों आज तक पूरा नहीं किया जा सका है।

अनेक विदेशों के उदाहरण

इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार करते समय अपने पड़ौसी राष्ट्रों की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। अफगानिस्तान कुछ समय पहले एक बहुत पिछड़ा हुआ देश था। लेकिन अफगानिस्तान को उठाने वाला एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम अमीर अमीन उल्ला शाह था और उस ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके रख दिया। उसने आरम्भ में ही यह आदेश दे दिया कि हर अठारह साल से अधिक के युवक को अफगानिस्तान में सैनिक शिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परिणाम उसका यह है कि मुट्ठी भर लोगों का देश अफगानिस्तान दुनिया की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए है। (आज सन् २००१ में वह अमेरिका को भी ललकारने की स्थिति में है।—सं.)

इस प्रकार दूसरे महायुद्ध में फ्रांस ने जब चोट खाई और चौदह दिन में जर्मनी के आगे घुटने टेक दिए तो उस समय फ्रांस के सेनापति मार्शल पैता थे। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा फ्रांस तो नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस था, यह क्या हुआ कि चौदह दिन में ही उसने घुटने टेक दिए ? तो मार्शल पैंता ने आंसू भरी हुई अपनी आंखों से कहा कि मैं विवश हूं, फ्रांस की सेना में ३५ साल से कम आयु का कोई अफसर ही नहीं, सभी ३५ साल से ऊपर के हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या फ्रांस की जननियों ने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संतान उत्पन्न करना बन्द कर दिया है, तो मार्शल पैंता ने कहा कि वह बात नहीं है, लेकिन फ्रांस के युवक और युवतियां आज विलासिता में इतने डूबे हुए हैं कि वे सेना की ओर पग उठाना ही नहीं चाहते। इसका परिणाम यह हुआ कि द्वितीय महायुद्ध में चोट खाने के बाद उसी फ्रांस के शासकों ने नौजवानों के लिए ही नहीं बल्कि नवयुवतियों के लिए भी सैनिक शिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। ब्रिटेन का उदाहरण भी ऐसा ही है। उसने द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ से तीन वर्ष पहले ही, १९३९ में कम्पलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग ब्रिटेन में आरम्भ कर दी थी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि विस्तार से अन्य देशों की चर्चा करूं, संक्षेप में ही मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं।

लेकिन मैं अपने पड़ौसी राष्ट्र पाकिस्तान की चर्चा किए बिना नहीं रह सकता हूं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान की स्त्रियों के सम्बन्ध में यह कहा जाता था कि वहां बुर्कापोश बहनें जिस समय सड़क पर चलती हैं, तो उनके बुर्के इतने नीचे होते हैं कि सड़क के कूड़ों का बहुत बड़ा भाग उनके साथ सिमट कर चला जाता है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कराची और रावलपिंडी की सड़कों पर वही बहनें आज देश की रक्षा के लिए अपने कंधों पर बारह-बारह और तेरह-तेरह सेर की राइफलें रख कर लैफ्ट राइट मार्च करती हुई चल रही हैं। उन्होंने अपना बुर्का उतार फेंका है। यह मैं बीस-बीस और बाईस-बाईस साल की उन युवतियों की बात कर रहा हूं जो कभी बुर्के से बाहर नहीं आयी थीं।

दिल्ली जाने वालो कहना नेहरू सरकार से

इसी प्रकार अपने देश का और देशों ने भी सैनिकीकरण किया है, पर हमारे देश की क्या स्थिति है? शिवाजी और प्रताप का देश, अर्जुन और भीम का देश, इस विपत्ति के समय में भी अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाया है कि जब तक हमारे देश पर संकट की घड़ी है, तब तक तो हम अपने देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध लगा दें। दुनिया में तो सैनिकीकरण की प्रवृत्ति जागृत हो रही है और हमारे देश में नवयुवक और नवयुवतियों के लिए संगीत और कलात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि पिछले पंद्रह वर्ष में जितना पैसा हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर व्यय किया है अगर इतना पैसा बचा कर देश का सैनिकीकरण करने पंर खर्च किया जाता तो आज यह जो विपत्ति की घड़ियां हमारे देश पर आई हैं, इन्हें हमारे देश को न देखना पड़ता। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मैं चाहता हूं कि आज भी आप इस ओर ध्यान दें।

इस विपत्ति के क्षणों में छोटे से छोटे व्यक्ति भी सावधान हो रहे हैं। दस पन्द्रह दिन पहले की ही बात में आपको बतलाता हूं। एक स्टेशन पर एक भीख मांगने वाला भिखारी भीख मांग रहा था। वह मेरे डिब्बे के पास भी आया और यहां आ कर उसने कुछ गुनगुनाना शुरू किया। मैंने भी सोचा कि देखें यह भिखारी आज क्या कहता है। भिखारी ने अपनी दर्दभरी भाषा में कहा "ओ दिल्ली जाने वालो, कहना नेहरू सरकार से ....."।

मैंने सोचा कि यह भिखारी इतनी जागृत भाषा कैसे बोल रहा है। थोड़ा मैं और सावधान हुआ। मैंने ध्यान उधर दिया और सोचा कि आखिर यह क्या कहलवाना चाहता है। उस समय उस भिखारी ने जो बात कही वह बार-बार स्मरण हो आती है। वह नेहरू सरकार से नहीं बल्कि सारे राष्ट्र से कह रहा था। भिखारी बोला :

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओ दिल्ली जाने वालो कहना नेहरू सरकार से,
चर्खा चलता हाथों से, शासन चलता तलवार से।

दुनिया में शासन शक्ति से ही चलता है। क्षात्र धर्म का पालन करके ही ठीक तरह से शासन हो सकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले पंद्रह वर्षों में क्षात्र धर्म के उद्बोधन की ओर हम ने उतना ध्यान नहीं दिया है। जितना शान्ति और पंचशील का सन्देश सुनाने की ओर दिया है। हमारे ऋषि मुनि हमें यह सन्देश देकर गये हैं :

अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः।
इदं ब्राह्मं इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि॥

हम पंचशील और शान्ति का संदेश भी दें, लेकिन अपनी कमर पर कसा हुआ धनुष और वाण भी तैयार रखें, पता नहीं किस विपत्ति के समय हमें इसका उपयोग करना पड़ जाये और किस स्थिति में आ कर हमें फंसना पड़ जाय। अब हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि हर युवक को ए. सी. सी. और एन. सी. सी. की ट्रेनिंग लेनी चाहिये, लेकिन काश अब से पहले जब तीन बार यह प्रस्ताव इस सदन में आया, उस समय हमारे प्रधान मंत्री ने इस प्रकार का आश्वासन दे दिया होता कि द्वितीय रक्षा पंक्ति को देश की रक्षा के लिये तैयार होना है तो यह दिन क्यों देखने पड़ते। घर में आग लगने पर कुआं खोदना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, पर खैर आज हमारे देश के शासकों ने अनुभव तो किया। मगर साथ ही मैं फिर वह बात कहना चाहता हूं कि कहीं यह अनुभव उस कृपण के अनुभव जैसा ही न हो जो रात को ठंड लगने पर निश्चय करता था कि सूर्य निकलते ही मैं रजाई बनवाऊंगा और सुबह होते ही उस निश्चय को भूल जाता था कि अब तो गर्मी आ गई अब रजाई बनवा कर क्या होगा। मैं चाहूंगा कि यह निश्चय ऐसा संकटकालीन निश्चय हो कि जब संकट खत्म हो जाय तो इसको कार्य रूप में परिणत न किया जाय।

मैं बधाई देना चाहता हूं शिक्षा मंत्रालय को और जनरल भोंसले को, जिन्होंने राष्ट्रीय अनुशासन योजना की एक सस्ती स्कीम इस देश में आरम्भ की। मेरा विचार है कि भारत सरकार को इस में और सहयोग देना चाहिये जिस से कि नई पीढ़ी को अपनी राष्ट्रीय अनुशासन योजना से सशक्त नागरिक बनाया जा सके।

डॉ० मुंजे को साधुवाद

एक और बात कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा, और धन्यवाद देना चाहूंगा उस अमर आत्मा स्वर्गीय डा. बी. एस. मुंजे को, जिन्होंने पराधीन भारत में भी नासिक में भोंसले मिलिटरी स्कूल को खड़ा कर इस देश का बड़ा भारी उपकार किया है। डा. मुंजे एक बहुत बड़े दूरदर्शी नेता थे।

मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय महाराज कुमार ने सैनिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो बात यहां रखी है, उस पर गंभीरता से ध्यान दिया जायेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में उनकी सरकार इतना पैसा यदि नहीं दे सकती है कि हर जिले में एक सैनिक स्कूल खोल दिया जाय, तो कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि सीमावर्ती क्षेत्र जितने हैं, जैसे गढ़वाल है, नागालैंड है, असम है, इन स्थानों पर, राजस्थान में, अथवा इस देश के मध्यवर्ती इलाकों में भी जहां पर कि फाइटर जातियां रहती हैं, जैसे कि पंजाब का हरियाणा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर सैनिक स्कूल अनिवार्य रूप से खोले जाने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद देता हूं और इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सीमाओं की सुरक्षा में असमर्थ सरकार हटे

उत्तरपूर्वी राज्यों व कश्मीर तथा देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में देश विरोधी तत्वों से निपटने के लिए सेना भेजी जाती है, परन्तु सेनाओं पर इतने नियंत्रण लगाए जाते हैं कि एक प्रकार से उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह उन उपद्रवी तत्वों की घात के शिकार बन जाते हैं। अपनी सेनाओं को सीमाओं की रक्षा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देने की मांग करते हुए शास्त्री जी ने ७ मई १९६५ को इस संबंध में हुई बहस में मांग की कि जो सरकार अपनी भूमि की रक्षा नहीं करती उसे सत्ता से हट जाना चाहिए। पाकिस्तान से कोई नई समझौता वार्ता न करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि अब वार्ता ज० चौधरी और अयूब में युद्धभूमि में होनी चाहिए।

कुछ भी कहने से पहले मैं अपने हृदय का एक दुःख प्रकट करना चाहता हूं। राव कृष्णपाल सिंह ने जितना महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश की सुरक्षा से सम्बन्धित आज उपस्थित किया है और इस सदन की यह उपस्थिति, इन दोनों में परस्पर विरोधाभास है। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा कष्ट है कि आज जब यहां प्रत्येक सदस्य को उपस्थित होना चाहिये था और सरकार के प्रमुख नेताओं को भी उपस्थित होना चाहिये था, सत्तारूढ़ दल के सदस्य आज सैंट्रल हाल में अपनी पार्टी के चुनावों के संबंध में गोष्ठियां कर रहे हैं। उन्हें देश की परवाह ही नहीं है।

सीमाओं की रक्षा सेना को सौंपें

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि राव कृष्णपाल सिंह के प्रस्ताव का एक लक्ष्य है और वह यह कि सेना का इतिहास हमारे देश में जो गौरवपूर्ण रहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तावक महोदय यह चाहते हैं कि देश की सीमाओं की रक्षा का भार सेनाओं को सौंप दिया जाय। जहां पुलिस हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है, उस में कुछ कठिनाइयां आई हैं। उन कठिनाइयों की अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी, जिस में कहा गया था किअसम राज्य में एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे जिस के कारण पाकिस्तानी लाखों की संख्या में असम में आ गये और वह असम को दूसरा काश्मीर बनाना चाहते थे। वहां के मंत्रिमंडल के एक सदस्य, जो दूसरे शेख अब्दुल्ला बन कर असम की स्थिति को बिगाड़ना चाहते थे। केन्द्रीय सरकार ने विवश होकर उस आई. जी. को गुजरात भेजा। नन्दा जी को जब यह कहा गया कि एक ऐसे व्यक्ति को ,जो असम में दोषी पाया गया, गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य में क्यों भेजा गया ? तो गृहमंत्री ने बताया कि उन का रेकार्ड बहुत अच्छा है। अगर उनका रेकार्ड अच्छा है तो गृह मंत्रालय उनको फिर वहां से स्थानांतरित करने की बात क्यों सोच रहा है। अगर रिकार्ड अच्छा होता तो उनको वहां से स्थानांतरित करने की बात सोची ही न जाती। इसी से प्रक्ट होता है कि पुलिस से धीरे धीरे हमारा विश्वास उठता जा रहा है और सेना के कार्यों की ओर, सेना की देश भक्ति की ओर, देश का ध्यान आकर्षित हो रहा है।

नेता अदूरदर्शी हैं

भारत के पिछले इतिहास में भी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तकभी भारतीय सेनाओं ने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो साहसिक कार्य किये हैं, उन में अगर कहीं कोई चोट लगी है तो वह हमारे नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण। लेकिन सेना ने कहीं किसी प्रकार की दुर्वलता दिखाई हो इस प्रकार का इतिहास देखने को नहीं मिलता। स्वतंत्र होने के पश्चात् सब से पहले काश्मीर में हमारी सेनाओं का परीक्षण हुआ जव कि इस देश में स्वतंत्रता ने प्रारम्भिक सांस ली ही ली थी। हमारी सेना ने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय काश्मीर की पहाड़ियों में दिया। यदि दुर्भाग्य से भारत के तत्कालीन नेताओं ने लड़ाई बन्द न कर दी होती तो काश्मीर की जो हड्डी आज गले में अटकी हुई है वह स्थिति न होती। हमारी सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया नेफा और लद्दाख में। नेफा में चूंकि सेनायें पहले से तैयार नहीं की गई थीं इस लिये कुछ चोट लगी, लेकिन चीन के साथ लद्दाख की पहाड़ियों में भारतीय सेनाओं ने जम कर मोर्चे लिये हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि चुशूल की हवाई पट्टी पर चीनी सेनाओं को कदम नहीं रखने दिया गया। यह हमारी सेना के गौरवपूर्ण इतिहास की अमर कहानी है। इसी प्रकार गोआ और दूसरे-स्थानों पर भी हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया है।

मैंने अभी पीछे यह कहा था कि हमारे नेताओं की अदूरदर्शिता से सेनाओं को नीचा जरूर देखना पड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि नागालैंड में जो हमारी सेनायें हैं उसके एक बड़े सैनिक अधिकारी ने श्री जवाहरलाल नेहरु को एक पत्र भेजा था कि पंडित जी या तो हमें आप यहां से वापस बुला लीजिये और अपनी पुलिस भेज दीजिये। सेना को नागालैंड में पड़े-पड़े इतने दिन हो गये और अभी तक हम शांति नहीं स्थापित कर पाये, यह हम पर एक बड़ा धब्बा लग रहा है। या फिर सेना को जव आपने भेजा है तो हाथ खोल कर काम करने का मौका भी दीजिये। एकओर आप सेना के द्वारा शांति स्थापित करना चाहते हैं और दूसरी ओर आदेश भेज रहे हैं कि हम किसी पर हाथ न उठायें। आप सेना को इस तरह क्यों रोक रहे हैं ? कहने का मेरा तात्पर्य यहां यह है कि सेना की प्रतिष्ठा को जव जव चोट लगी है या जब-जब नीचा देखना पड़ता है तब नेताओं की ही अदूरदर्शिता के कारण। हमारी सेना में साहस और बहादुरी का अभाव कभी नहीं रहा। जम्मू और काश्मीर में या दूसरे स्थानों में हमारी सेनाओं ने जो अपने शौर्य का परिचय दिया वह हमारे लिये गौरव की बात रही है। मैं सेना के सम्बन्ध में एक दो सुझाव भी यहां देना चाहता हूं। कच्छ के बारे में कुछ कहने से पहले मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी सेनाओं से प्रति वर्ष दस हजार के लगभग व्यक्ति सेवा निवृत्त होते हैं, उनको हमारे देश की सीमाओं के निकट बसाया जाए और जो उनको पेंशन मिलती है उसके अतिरिक्त उनको आर्थिक और दूसरी सुविधाएं भी दी जाएं। इससे सीमाओं पर जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उनसे हम अपने देश को बचा सकेंगे।

देशद्रोही तत्त्वों पर कटाक्ष

दूसरी बात यह कि पाकिस्तान या चीन ने हमारे उसी प्रदेश पर आक्रमण किया है जहां हमारे देश के निवासियों में कुछ दुर्वलता है। आज कच्छ में ही पाकिस्तान का आक्रमण क्यों हुआ ? बंगाल में ही क्यों उसका आक्रमण होता है? इस पर विचार करना चाहिए। राजस्थान की सीमा पर या पंजाब की सीमा पर कोई आक्रमण क्यों नहीं होता, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा।

कच्छ में हमारी सेनाओं ने साधनों के अभाव में, सड़कों के अभाव में, पानी के अभाव में भी अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। मैं आज इस सदन में विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि जहां तक मरने वालों की संख्या का प्रश्न है, या जहां तक घायलों की संख्या का प्रश्न है, उसमें पाकिस्तान की संख्या अधिक है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेकिन आज हमारी सेनाओं में इतना कुछ होने पर भी एक तिलमिलाहट है, एक क्षोभ है, और वह यह है कि ब्रिटेन की चाल में आकर हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार हमारी सेनाओं के हाथ क्यों रोक रही है ? इससे हमारी सेनाओं पर कमजोरी का आरोप लग रहा है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि यदि डिफेंस मिनिस्टर किसी देश का गलती करता है, जैसा कि श्री कृष्ण मेनन ने की थी, तो उसको वदला जा सकता है, अगर किसी देश की सरकार गलती करती है तो उस सरकार को भी जनता बदल सकती है, लेकिन सेना को नहीं बदला जा सकता। अगर सेनाओं का साहस मर जाएगा तो देश की सुरक्षा सदा सदा के लिये संकट में पड़ जाएगी। इसलिए, सेना का मनोवल न गिरने पावे इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि सैनिक निर्णयों में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

आज जो चोट इस देश को लगी है उसका एक वहुत वड़ा कारण यह है कि, ब्रिटेन की चाल में आकर हमने सैनिक निर्णयों पर राजनैतिक निर्णय लाद दिया। सन् १९४७ के बाद से, जब से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान पर ब्रिटेन का बर्चस्व समाप्त हो गया उसकी यह इच्छा बनी रही है किइन देशों पर उसका प्रभाव किसी न किसी प्रकार फिर बना रहे। स्वतंत्र होने के बाद दोनों देश दुनिया के अन्य देशों से मित्रता बढ़ा रहे हैं और हम अपनी तटस्थता की नीति पर चलते रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन पाकिस्तान के आक्रमण की आड़ में पाकिस्तान में और हिन्दुस्तान में अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करना चाहता है। हमको देखना चाहिए कि ब्रिटेन के इस वर्चस्व से हमको देश केअतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी कहीं नुकसान न उठाना पड़े ?

जैसा मैंने आज प्रश्नोत्तर काल के वाद प्रधान मंत्री से कहा था उसे मैं फिर दोहराता हूं कि इस सरकार का पिछले १७ साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती। देश की प्रतिष्ठा तेजी से गिरती चली जा रही है, इसी कारण आज नैतिकता और जनतंत्र की प्रतिष्ठा का सही तकाजा है किइस सरकार को हट जाना चाहिए और देश में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाय। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रक्षा प्रयत्नों में दलीय नीति को कोई स्थान नहीं

१९६५ में जब भारत-पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति-निर्मित होती जा रही थी उस समय १३ सितम्बर १९६५ को मंत्रालयों की आम मांगों पर विचार के समय शास्त्री जी ने देश की रक्षा तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने १९४७ में जो भूल की थी उसका परिष्कार १९६५ में कर लेना चाहिए। रावी नदी को जो अब पाकिस्तान में है हमें उसे भारत की नदी बना देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नं. १२ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस में सैनिक और असैनिक कर्मचारी जो नौ सेना में काम करने वाले हैं उनके वेतन, भत्तों और दूसरी सुविधाओं के सम्बन्ध में १ करोड़ ५० लाख रु. की व्यवस्था की गई है। आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, देश में कोई व्यक्ति इस प्रकार का नहीं हो सकता जो इस मांग का समर्थन न करे।

रक्षा तैयारियों पर विचार करें

लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार से एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। जैसा अभी मुझ से पूर्व कई मित्रों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि पाकिस्तान के आक्रमण ने हमें कुछ आत्म निरीक्षण के लिये भी विवश किया है कि हम अपने देश की आन्तरिक स्थिति के सम्बन्ध में और अपनी सैनिक तैयारियों के सम्बन्ध में भी फिर से विचार करें। विशेष कर जो हमारी समुद्री तैयारियां हैं, जिन में पनडुब्बियां आती हैं और उसी प्रकार के दूसरे उपकरण आते हैं, उन पर विचार करें। मैं नहीं कह सकता कि जो हमारा ब्रिटेन से पनडुब्बियां लेने का विचार था उस को स्थगित कर के रूस के साथ क्यों बात चीत चलाई गई। इस में कहा यह जाता है कि कुछ पैसे आदि की इस प्रकार की सुविधायें थी जो रूस से मिलने की हमें आशा थी इसलिये हम ने उस से बातचीत आरम्भ की। परन्तु मेरा अनुमान है कि उस के पीछे राजनीतिक कारण कुछ अधिक हैं, पैसे सम्बन्धी कारण उतने अधिक नहीं हैं।

ऐसे समय में जब हमारी सीमाओं पर चारों ओर से विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं, हमारी सरकार को और हमारे देश के नेताओं को राजनीतिक कारणों को बीच में ला कर तैयारियों में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने देनी चाहिये। अब भी अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो उसे भूला नहीं कहा जायगा। द्वारिका और ओखा में पाकिस्तानी पनडुब्बियों ने जो आक्रमण किया है और जो विनाश किया है, उसको ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार को अविलम्ब कुछ निश्चय कर लेना चाहिये और पनडुब्बियों के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिये। क्योंकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के आपस में गठबन्धन से हमारे लिए और भी चुनौती का सामना हो गया है। इसी दृष्टि से हमें इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अंडमान की सुरक्षा

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को सहयोग देने का जो आश्वासन दिया है उस को देखते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी हम को अपने प्रयत्न पहले से और अधिक बढ़ा देने चाहिये। क्योंकि पीछे भी वहां इस प्रकार की नौकायें देखी गई थीं जिन के लिए प्रतिरक्षा मंत्री ने यह कहा था कि किस देश की नौकायें वह थीं इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं मिल सकी। इंडोनेशिया की इस घोषणा के बाद जो उसने पाकिस्तान के समर्थन में अब की है हमारी आंखें खुल जानी चाहिये और हमें सोचना चाहिये कि उस के पड़ोस में पड़ने वाले इन द्वीपों का लाभ किसी शत्रु देश को न मिल जाय। इस दृष्टि से ही हम सैनिक तैयारियां करें।

मैं इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि जो युद्ध इस समय हमारा पाकिस्तान के साथ चल रहा है, उस में हमारी स्थल सेना और वायु सेना ने जो सराहनीय कार्य किया है, उसका सुपरिणाम इस समय यह हुआ है कि आन्तरिक दृष्टि से इस समय तरह तरह की कठिनाइयों के बाद भी आज किसी व्यक्ति की जिह्वा पर कठिनाइयों की चर्चा नहीं है। सब को एक ही बात इस समय दिखाई दे रही है। जैसे महाभारत में अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। सारा देश एक स्वर में सरकार के निर्णयों का समर्थन करता है। उस का यह कहना है कि कुछ भी हो, भारतीय सेनायें, भारतीय जवान जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान के मोर्चों पर मुकाबला कर रहे हैं, जहां वह हम सब की ओर से बधाई के पात्र हैं, वहां सरकार का और सेनाओं का निर्णय भी हम सब के साधुवाद का पात्र है। लेकिन जहां सरकार के इस निर्णय पर और सेना के ऐसे साहसिक कार्यों पर सारा देश एक स्वर से उनका साथ दे रहा है वहां ध्यान रहे कोई इस प्रकार की भूल न हो जाये कि सैनिक मोर्चों पर तो हम विजय प्राप्त करें लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर हम किसी प्रकार की चूक कर दें। जिसके दुष्परिणाम कच्छ की तरह आगे चल कर फिर हमें भोगने पड़ें।

आज ही प्रातःकाल मुझे एक महिला का पत्र प्राप्त हुआ है। उस का जवान बेटा इस समय हमारी वायु सेना में कार्य कर रहा है। उसने बड़े दुःख भरे शब्दों में लिखा है कि वे उन माताओं में से हैं जिनको अपने बेटों की जवानी कब चढ़ी और कब समाप्त हुई इसको देखने का अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन हमें इस बात का गर्व भी है कि हमारा बेटा देश की रक्षा के लिये, भारत की अखंडता के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। पर इतने बड़े बलिदानों के बाद या इतने त्याग और तपस्या के बाद अगर इन बलिदानों पर सरकार ने कहीं कूटनीति कर भूल करके उस पर मिट्टी डाल दी तो मैं उन मांओं में भी रहूंगी जो जगह जगह जा कर देश में दूसरी माताओं से कहूंगी कि अपने बहादुर बच्चों को भारतीय सेना में भरती होने के लिए न भेजो। क्योंकि जिन बलिदानों से हिन्दुस्तान में आज एक साहस के वातावरण का संचार हुआ है, देश में एक गौरवपूर्ण भावना का उदय हुआ है, सरकार कूटनीतिक भूल कर के उस में किसी प्रकार की दुर्बलता कहीं न कर दे।

पाक कश्मीर खाली करे

इस के लिए मेरा एक सुझाव है, और वह यह कि जैसे हम इस समय सैनिक मोर्चों पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं उसी तरह से जो इस समय हमारे यहां संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी आये हुए हैं,

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिन के साथ हमारे प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और दूसरे व्यक्तियों की चर्चायें चल रही हैं। उनसे हम बात जरूर करें। पर जैसा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान की ओर से उन के सामने तीन शर्तें रखी गई हैं। हम भी कहें कि तीन शर्तों पर युद्ध बन्द किया जा सकता है। हमारी ओर से भी सेक्रेटरी जनरल के सामने तीन शर्तें रखी जानी चाहिए। अच्छा यह होता कि प्रधान मंत्री जैसे दूसरे अवसरों पर सभी दलों के प्रमुख व्यक्तियों को बुला कर परामर्श करते हैं, वैसे ही इस अवसर पर भी उनको बुलाकर कुछ परामर्श करते कि सेक्रेटरी जनरल ऊ थांट आ रहे हैं, भारत की ओर से हमारा किस प्रकार का पक्ष उनके सामने आना चाहिए। लेकिन बहुत सम्भव है कि प्रधान मंत्री ने यह निश्चय किया हो कि पहले सेक्रेटरी जनरल का मन जान लें, उसके बाद वह अपने सहयोगियों का मन जानें। लेकिन मैं भारतीय जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते चाहता हूं कि आज देश में जो भावना है, उसके अनुरूप हमारी ओर से सेक्रेटरी जनरल के सामने भी तीन मांगें आनी चाहिये। और उनके पूरा होने के बाद ही हमें युद्ध विराम की बात माननी चाहिए। मांगें इस प्रकार हों—

पहली मांग तो हमारी यह होनी चाहिए कि राष्ट्र संघ पाकिस्तान को हमलावर घोषित करे और भारत पर बलात् थोपे गये इस युद्ध में हमारी हानि का पाकिस्तान से हर्जाना दिलवाये।

दूसरी मांग हमारी यह होनी चाहिए कि पश्चिमी पाकिस्तान में जिस दिन और जहां भारतीय सेनाओं की जवाबी कार्रवाई रुकेगी अब युद्ध-विराम रेखा वह ही मानी जायेगी। इस रेखा पर अथवा यहां अभी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किसी ओर से नहीं हुआ है, वहां पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का आक्रमण न करने की गारंटी होगी। और

तीसरी मांग यह होनी चाहिए कि जम्मू और कश्मीर राज्य का पूरा क्षेत्र जो भारत का अविभाज्य अंग है, उसके किसी भी भाग में अब कोई बाहरी सेना या सिपाही नहीं रह सकेगा।

रावी पंजाब का भाग बने

अन्त में एकऔर बात कह कर बैठ जाना चाहता हूं। सन् १९४७ में हम से जो भूल हो गयी उसका प्रायश्चित हम को सन् १९६५ में कर लेना चाहिए। विशेष कर पंजाब के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। इसका पंजाब नाम इसलिए पड़ा कि इसमें पांच नदियां बहती थीं। लेकिन हिन्दुस्तान के पास जो आज पंजाब का भाग है उसमें केवल दो नदियां हैं सतलुज और व्यास। बाकी तीन नदियां, रावी, चिनाब और झेलम आज पाकिस्तान में हैं। मेरा सुझाव है कि कम से कम इस युद्ध का यह परिणाम तो निकले ही कि उन तीन नदियों में से कम से कम एक रावी फिर पंजाब में आ जाय, और यह भाग दो आब के बजाय तीन आब हो जाये। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चीनी सेना को खदेड़कर तिब्बत पर अधिकार करें

२८ जून १९६७ को लोक सभा में रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के समय शास्त्री जी ने रक्षा तैयारियों में शिथिलता की, संकल्प के अभाव की, तीव्र आलोचना कर यह गर्जन किया कि हमें न केवल चीन को भारत भूमि से खदेड़ देना चाहिए अपितु तिब्बत पर भी अधिकार कर लेना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के बारे में विचार के समय तो शास्त्री जी का आक्रामक और ओजस्वी रूप देखते ही बनता था।

उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय ने जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन दिया है, उसमें ताशकंद समझौते के सम्बन्ध में पहली बार कुछ सच बात कहने के लिए मैं उसको बधाई देना चाहता हूं। इस प्रतिवेदन के पहले ही अध्याय में ये शब्द हैं : " पाकिस्तान ताशकंद समझौते के अनुसार इस बात के लिए मुख्य रूप से अधिक चिन्तित जान पड़ता था कि भारतीय फौज को पाकिस्तान में अपने मोर्चों से और पाकिस्तान की तरफ की युद्ध विराम रेखा से वापस कराया जाय। अपने इस उद्देश्य के पूरे होने पर उस से समझौते की उन अन्य व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देना बंद कर दिया जिसमें दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध फिर से कायम करने की बात निहित थी।"

रक्षा मंत्री महोदय ने इतने दिनों के बाद इस सत्य को स्वीकार किया। इस से देशवासियों को भी संतोष होना स्वाभाविक है और सदन को भी संतोष होना स्वाभाविक है। सवाल सब से बड़ा यह है कि इस सत्य को स्वीकार करने के पश्चात् रक्षा मंत्रालय अब अगला कदम उठाना चाहता है। ताशकंद समझौते के बाद और श्री लाल बहादुर शास्त्री के अचानक देहांत हो जाने से हिन्दुस्तान के अन्दर जो एक. . (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, अभी कुछ देर पहले मैं निवेदन कर रहा था कि रक्षा मंत्रालय ने पहली बार इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ताशकन्द समझौते के बाद पाकिस्तान केवल मात्र यह चाहता था कि उसकी धरती से, जो हमने जीती थी और विशेष कर काश्मीर का वह भाग जो हमारा अपना था, भारतीय फौजें किसी प्रकार वापस हो जाएं और पाकिस्तान अपने इस उद्देश्य में सफल हुआ। भारतीय सेनाओं के वापस होने के बाद पाकिस्तान ने फिर से अगले युद्ध की तैयारी आरम्भ की। भारत सरकार की ओर से कई बार इस प्रकार की सूचना दी गई, जैसे लाहौर के पास इच्छोगिल नहर पर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी युद्ध पंक्ति बनाई थी, अभी कुछ दिन पहले सियालकोट में इस प्रकार एक नहर का निर्माण कर के पाकिस्तान ने एक युद्ध पंक्ति बनाई है, आज के समाचार पत्रों में निकला है कि सुलेमान हैंडवर्क्स से भावलपुर तक ६० मील लम्बी नहर बना कर फिर से पाकिस्तान अपनी रक्षा पंक्ति तैयार कर रहा है। जहां तक राजस्थान क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में बार-बार इसी प्रकार के समाचार आते रहते हैं तथा पूर्वी पाकिस्तान की भी लगभग ऐसी ही स्थिति है।

समझौते की भावना का पाक द्वारा अनादर

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ताशकन्द समझौते की भावनाओं के अनुसार पाकिस्तान को

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी ओर से उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो पग उठाने थे, उसने किसी प्रकार भी वे पग नहीं उठाये जब कि भारत ने सभी पग उठाये। इससे पाकिस्तान की नीयत स्पष्ट हो जाती है। न केवल इतना ही, अपितु उस ने सेना की सामग्री तथा सेना में पर्याप्त वृद्धि की है। रक्षा मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में स्वयं लिखा है कि उसने अपने टैंकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की है तथा अमरीका से मिले पुर्जों के द्वारा उसने जो टैंक पिछले युद्ध में खराब हो गये थे, वे सब तैयार कर दिये हैं। उसने दो इन्फैन्ट्री डिविजन्ज के लिये युद्ध के साधन उपलब्ध किये हैं, १२० मिग विमान तथा आई. एल. २८ के दो स्क्वैड्रन तैयार किये।

अमरीका की नीति भी प्रारम्भ से बड़ी विचित्र रही है। भारतवर्ष को गेहूं देकर भारत का मुंह बन्द किया गया. लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान को वह बराबर हथियार देता चला जा रहा है। जहां तक पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है— टर्की और ईरान दोनों पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा की न्यूनता को पूरा करते हैं। ईरान का जाहिदान हवाई अड्डा; जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कोने से लगता है, व्यावहारिक रूप से ईरान वालों ने पाकिस्तान को अपने प्रयोग के लिये दे रखा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता अपनी सरकार से यह चाहती है कि वह कुछ इस प्रकार का आशापूर्ण संकेत तो दे कि आने वाले समय में यदि कोई इस प्रकार का भयंकर युद्ध हुआ तो हमारे रक्षा केन्द्र कहां खड़े हुए मिलेंगे।

रक्षा नीति स्वयं की हो

आज के युग में यह बात निश्चित है कि भारत सरकार अपनी रक्षा नीति स्वयं तय नहीं कर सकी। आज की हमारी रक्षा नीति चीन और पाकिस्तान दोनों से नियंत्रित है। आने वाले समय में भारत वर्ष को तीन क्षेत्रों के ऊपर चाहे तो और न चाहे तो, संघर्ष करना ही पड़ेगा, पर हमारी रक्षा नीति दुर्भाग्य से हमारे हाथों में न होने पर दूसरों के हाथों में चली गई है। जब दूसरों के हाथों में हमारी रक्षा नीति चली गई हो, ऐसे समय में हम अपनी ओर से केवल मात्र अपने भाषणों में ये शब्द कह दें कि हम अपनी रक्षा व्यवस्था से पूर्णतया सन्तुष्ट हैं, पूर्णतया रक्षा कर सकेंगे—यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सत्य से उसी प्रकार आखें मीची जा रही हैं जिस प्रकार बिल्ली को आता हुआ देख कर एक कबूतर आंख बन्द कर के बैठ गया, जब बिल्ली दिखाई नहीं देती तो खतरा टल गया। आज देश के सामने जो खतरा है उससे आंखे बन्द नहीं की जा सकतीं।

भाषणबाजी से नहीं चलेगा

कल ही इस सदन में रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री भगत ने अपने वक्तव्य में बताया कि मिग विमान इतने दिनों में बनने प्रारम्भ हो जायंगे, एव्रो ७४३ के लिये कानपुर का कारखाना इतने दिनों में काम करने लगेगा, आधुनिक हथियार इस प्रकार बनने लगेंगे। जब हम जानते हैं कि अरब इसराइल संघर्ष के बाद लड़ाई टली नहीं, बल्कि विश्व युद्ध का खतरा पहले से और अधिक गहरा हो गया है, उपाध्यक्ष महोदय, श्री भगत का कल का एक भाषण देशवासियों को क्या सन्तोष दे सकेगा कि तीन वर्ष बाद इस देश में आधुनिकतम विमान बनने लगेंगे, कानुपर का कारखाना चालू हो जायेगा, आधुनिकतम हथियार बनने लगेंगे।

१९६५ में हमारे जवानों ने जो अपनी शक्ति का परिचय दे कर भारतीय गौरव की रक्षा की उस से तीन वर्ष पहले १९६२ में जो हमको चोट लगी, उस समय इसी सदन में सरकार को ये शब्द कहे गये थे। दूसरी बार यह देश अपनी सरकार से यह उत्तर नहीं सुनना चाहता कि किसी दुश्मन ने हमारे ऊपर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमला किया और हम पहले से इस के लिए तैयार नहीं थे। दो बार हम को चेतावनी मिल चुकी है और वह दो शत्रु देश जो कि हमारी सीमाओं के ऊपर इतना भारी सैनिक जमाव लेकर खड़े हुए हैं उनकी चेतावनी के बावजूद भी अगर हमारी सैनिक तैयारियों में पूर्णता नहीं आती तो देश हमें कभी क्षमा नहीं करेगा।

पाक-चीन सांठ-गांठ

चीन और पाकिस्तान के अन्दर एक समझौता हुआ है। समझौता यह हुआ है कि पाकिस्तान को चीन ने संकेत दिया है कि पश्चिमी भाग के ऊपर तुम भारत को इंगेज कर के रखो और पूर्वी भाग पर चीन भारत को इंगेज कर के रखे, इस तरीके से दोनों क्षेत्रों में भारत की शक्ति को विभक्त किया जाय। दोनों क्षेत्रों को विभक्त किया जाय। दोनों क्षेत्रों में भारत की शक्ति को विभक्त करने के लिए मीजों पहाड़ियों में जो स्थिति घट रही है, नागालैंड में जो स्थिति घट रही है, पूर्वी पाकिस्तान में चीन के लोग आकर जो वहां के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ उन से लगती हुई सीमाओं में चाहे वह नक्सल बाड़ी ही हो, चाहे नागाओं की हो, चाहे मीजों की हो, त्रिपुरा की हो, मणिपुर की या असम की सीमाए हों, यह सारी स्थिति आज इस प्रकार से एक गम्भीर प्रश्न वाचक चिन्ह बन गयी है कि देशवासी उसके सम्बन्ध में उत्तर चाहते हैं।

क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ इस प्रकार की नीति अखत्यार नहीं कर सकती कि हम भी शत्रु देशों को इसी प्रकार कई मोर्चों पर इंगेज करके रक्खें, नहीं तो कम से कम हम अपनी उस नैतिक वचनबद्धता का तो पालन करें जो कुछ समय पहले हम ने पठानों के साथ किया था। जिस समय पठान हमारी आजादी की लड़ाई में हमारे साथ स्वतन्त्रता संघर्ष में कन्धे से कन्धा मिला कर चले थे, कितनी बार खान अब्दुल गफ्फार खां भारतीयों को और भारत सरकार को संदेश भेज चुके हैं कि जो वायदा तुमने सन् १९४७ से पहले पठानों के साथ किया था उसे पूरा किया जाय, आज पठानों के साथ में भारत को उसी तरीके से कंधा लगाना चाहिए जिस तरीके से कि अपने स्वतंत्रता संघर्ष में तमाम भारतवासियों ने एक होकर काम किया था। यदि हम पठानों के मुक्ति आन्दोलन में कंधा लगाते हैं तो न केवल कुछ समय पूर्व उनसे किये गये वायदे के आधार पर अपनी उस वचनबद्धता को पूरा करते हैं, सच्चाई यह है कि आज की स्थिति के दृष्टिकोण से भी हम लाभ में ही रहेंगे, किसी प्रकार हानि में नहीं रहेंगे। इसी प्रकार की स्थिति पूर्वी पाकिस्तान की है और वहां के लोगों द्वारा जो मुक्ति आन्दोलन चलाया जा रहा है उसमें भी हमें साथ देना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति को हम अपनी आंखों से ओझल कर के नहीं रक्खें।

चीन से अपनी धरती मुक्त करायें

भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद के वह शब्द मेरा अनुमान है कि वर्तमान सुरक्षा मंत्री के कानों में गूंज रहे होंगे, जो राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद उन्होंने पटना के गांधी मैदान में बड़े भरे हुए हृदय से कहे थे कि आज जो चीनी राक्षस भारत की सीमा पर आकर बैठ गया है यह उस पाप का परिणाम है कि जब वह तिब्बत को हड़प कर रहा था हम अपने मुंह पर पट्टी बांधे बैठे रहे। उस पाप का सब से बड़ा प्रायश्चित यही हो सकता है कि हम अपनी सीमाओं से केवल चीनी सेनाओं को ही न हटायें हम अपनी धरती को ही उन से मुक्त न करें बल्कि तिब्बत के मुक्ति आन्दोलन में हम उसी प्रकार से

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तिब्बतियों के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर लड़ें जैसे कि भारतीय प्रदेश का मुक्ति आन्दोलन हम लड़ते हैं, इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों में जब तक भारत सरकार अपनी रक्षा नीति को वहां से सम्बद्ध नहीं करेगी तब तक हम अपनी रक्षा नीति को केवल मधुर भाषणों से सुरक्षित नहीं रख सकेगें।

कश्मीर की स्थिति पर विचार करें

जहां तक कश्मीर की स्थिति का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस कटु सत्य को कहने की इज़ाजत दीजिये कि काश्मीर के सम्बन्ध में जो नीति रूस की श्री ख्रुश्चेव के वक्त में थी आज श्री कोसीगिन के समय में रूस की नीति कश्मीर के सम्बन्ध में ब्रह नहीं रही है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को थोड़ा आंख खोलकर काम करना चाहिए। मैंने सुना है अभी कि कुछ दिनों के बाद शेख अब्दुला को मुक्त करने की तैयारी भारत सरकार कर रही है। समाचारपत्रों में यह भी निकला है कि मंत्रिपरिषद् में आपस में इस बारे में विचार भेद है। लेकिन एक बात का ध्यान रख कर निर्णय लें कि जिस सुरक्षा सेना के ऊपर, जिस सुरक्षा सामग्री के ऊपर, आप का अरबों रुपया पानी की तरह से कश्मीर के अन्दर बहा है एक तो शेख अब्दुल्ला को छोड़ने का निर्णय आंख खोल कर लें और अगर शेख अब्दुल्ला को छोड़ते समय कश्मीर को छोड़ने का भी निर्णय करना है तब यह खतरनाक निर्णय आप लीजिये। वरना भारत सरकार को वड़ी दृढ़ता के साथ यह पग उठाना चाहिए। जिस कश्मीर के लिए पिछले ३० वर्षों से आप संघर्ष करते चले आ रहे हैं, इस गरीब देश की जनता का अरबों रुपया आप कश्मीर के लिए व्यय कर चुके हैं, आज कहीं दुनिया के प्रभाव में आकर, वाहरी देशों के दवाव में आकर आप कहीं कश्मीर के बारे में किसी प्रकार का दुर्वल निर्णय न ले लें। नहीं तो आने वाला इतिहास इस वर्तमान सरकार को क्षमा नहीं कर सकेगा।

सैनिक गुप्तचर-विभाग में त्रुटि

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह है मिलिटरी इंटैलिजंस के बारे में। आज से पूर्व मैंने सुरक्षा मंत्रालय की इस बात की ओर संकेत किया है कि नेफ़ा रिपोर्ट में जोकि पूरी प्रकाशित नहीं हुई है लेकिन जहां उस के सार का सम्बन्ध है मिलिटरी इंटैलिजंस के सम्बन्ध में, उसके अन्दर ५ अलग-अलग पैराग्राफथे। मिलिटरी इंटैलिजंस में त्रुटि के ही कारण नेफा के अन्दर भारतीय सेनाओं को इस प्रकार की भंयकर चोट लगी।

क्या यही मिलिटरी इंटैलिजंस सन् १९६५ में पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भी उसी प्रकार दुर्बलता का कारण सिद्ध नहीं हुई कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मर्ड कोर आकर खड़ा हो गया दूसरी साइड में और हमारी मिलिटरी इंटैलिजैंस को पता नहीं लगा ? पीछे से आकर उस ने हमारे ऊपर अटैक किया। इच्छोगिल नहर की क्या स्थिति रही। कहां मिलिटरी इंटैलिजंस थी ? भारत सरकार के सुरक्षा मंत्रालय ने क्या काम किया ? मिलिटरी इंटैलिजंस के वही अधिकारी जिनके कि ऊपर नेफा इनक्वारी रिपोर्ट के अन्दर पांच पैराग्राफ दिये हुए थे, उन्होंनें मानों इतना ऊंचा काम किया हो कि भारत सरकार ने उनकी पदवृद्धि कर दी। जिस पद पर वह थे उस से दो पद उनको ऊपर ले जाकर बैठा दिया। अब क्या इस प्रकार हम अपने देश में सैनिक गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ व समर्थ कर सकेंगे ?

परमाणु वम शामक अस्त्र तो बनाइए

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं। ऐटम वम और हाइड्रोजन बम के सम्बन्ध में सरदार स्वर्ण सिंह और हमारे विदेश मंत्री जैसे इस बात को कहते हैं कि भारत की नीति शान्ति की है,

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हम हाइड्रोजन वम नहीं वनायेंगे, हम ऐटम बम नहीं बनायेंगे, अच्छा बावा चलो यह देश स्वीकार कर लेता है और भारत परमाणु बम और उद्जन बम नहीं बनाता। लेकिन कृपा करके इस बात को तो वताइये कि इस से कौन इंकार कर सकता है कि इन संहारक अस्त्रों को यदि वह हम पर इस्तेमाल किये जांय तो हम उनको बेकार तो कर सकें ? महाभारत में लिखा हुआ है कि जब कौरबों की ओर से अग्नि वाण छोड़े जाते थे तो पांडवों की ओर से भी उस के उत्तर में जलबाण छोड़े जाते थे। पांडवों की ओर से जलबाण इसलिए छोड़े जाते थे कि वे अग्निबाण का उत्तर होते थे।

आप ऐटम बम नहीं बनाते, परमाणु वम नहीं बनाते, लेकिन कम से कम उस का ऐंटी, विपरीत दूसरा अस्त्र वनाइये ताकि जब हमारी सीमाओं पर शत्रु हाइड्रोजन वम या ऐटम बम का प्रयोग करें तो उसका हम प्रतिकार कर सकें और उसके अनिष्टकारी प्रभाव को हम विफल कर सकें। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में सुरक्षा मंत्रालय द्वारा गम्मीरता पूर्वक विचार किया जाय ताकि इन संहारक अस्त्रों से, यदि वह हमारी सीमाओं पर दुश्मनों द्वारा गिराये जायं, तो उनके असर को हम रोक सकें।

एन. सी. सी. प्रशिक्षण अपर्याप्त

अन्त में दो सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक सुझाव मेरा नेशनल कैडट कोर के एन. सी. सी. के सम्बन्ध में है। आज जिस तरीके की एन. सी. सी. की शिक्षा स्कूल कालिजों में दी जा रही है, मुझे यह कहने के लिए क्षमा किया जाय कि वह देश की इस संकटकालीन स्थिति के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। नेशनल कैडट कोर का जिस तरीके से मज़ाक स्कूल, कालिजों में चल रहा है, यह जो उस के ऊपर करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं, उस रुपये के व्यय को बन्द किया जाय और इस प्रकार नेशनल कैडेट कोर का रुपया वहां वंद करके दूसरा काम यह किया जाय कि जो विद्यार्थी इस क्षेत्र में आना चाहें जिन्होंने सैनिक शिक्षण लिया होगा, वह इस तरीके से सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त माने जायेंगे। यानि उनके अन्दर स्वाभाविक रुचि जागृत की जाय, उन के ऊपर दबाव इस चीज के लिए मत दीजिये।

दूसरी सब से बड़ी चीज यह है कि जहां तक हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों का सम्बन्ध है, अरब इजरायल लड़ाई में आप ने देखा कि इजरायल की सेना दूसरे और तीसरे नम्बर पर रही, पहले नम्बर पर सीमा पर जो छोटे छोटे गांव थे वहां के निवासी, शत्रुओं का सामना करते हैं। चाहे २० व्यक्तियों का गांव हो चाहे १०० व्यक्तियों का गांव हो। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कि पकिस्तान की सीमा से लगते हुए भारतीय क्षेत्र में गांव हैं, या जो तिब्बत से लगते भारतीय गांव हैं उनमें जो १८ साल के लड़के या लड़कियां हैं उन के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षण की व्यवस्था करें। यह अनिवार्य सैनिक शिक्षा केवल राइफल चलाने तक ही सीमित नहीं बल्कि जो सेना को विधिवत फौजी ट्रेंनिग दी जाती है वह दी जाय। ताकि वह किसी भी शत्रु के आक्रमण का सफलता पूर्वक सामना कर सके; पहले वह हमारी सीमा पर गांवों के रहने वाले लोग शत्रु का मुकाबला करें बाद में वह हमारी सेना वहां पर पहुंचे।

इतनी लम्बी सीमा के लिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि उसकी सुरक्षा के लिए एक, एक इंच पर भारतीय सेना के सिपाही जाकर खड़े हो जांय। लेकिन जो वहां सीमा पर रहने वाले व्यक्ति हैं अगर उनको सैनिक शिक्षा दे दी जायगी तो शत्रु के छोटे मोंटे हमले का सामना वह कर सकेंगें और बाद में सेना भी वहां पर पहुंच जायगी। इसके लिए तो मेरा यह सुझाव होगा कि अगर इस प्रकार के गांव किसी सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं हैं तो जो सेना के सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं और जो सीमाओं पर जाकर बसने के लिए तैयार हैं, उनको इसकी सुविधा दी जाय और उन्हें उन सीमाओं के ऊपर ले जाकर बसा दिया जाय। ताकि हमारी वह सीमाएं सुरक्षित हो सकें। मुझे आशा है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय इन सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रक्षा व्यवस्था में आत्मनिर्भरता आवश्यक

शास्त्री जी ने अपनी सतर्कता के अनुसार राज्य सभा में २४ अप्रैल १९७५ को हुई बहस में रक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श में पाकिस्तान की तीनों सेनाओं में की जाने वाली तैयारियों का मुकाबला भारत की तैयारियों को आंकड़े प्रस्तुत कर बड़ा निराशाजनक सिद्ध किया।

उपसभापति जी, मैं अपनी चर्चा को १९७१ के बाद पाकिस्तान ने जो अपनी सामरिक तैयारी की है, उस पर सरसरी दृष्टि डालते हुए प्रारम्भ करना चाहता हूं। थलसेना में पाकिस्तान के पास १९७१ से पहिले जितनी रैगुलर आर्मी थी, इस समय १ लाख ८४ हजार सैनिक अधिक संख्या में हैं। वैसे भी थल सेना में इस समय पाकिस्तान के पास १४ पैदल डिवीजनें हैं। इन नियमित डिवीजनों की पूर्ति के लिए तीन या चार अन्य डिवीजनें आंतरिक सुरक्षा पंक्ति की जा सकती हैं।

तीन बख्तरबन्द डिवीजनें, तीन ब्रिगेड समूहों की, प्रत्येक डिवीजन में लगभग रिजर्व सहित ३०० टैंक हैं तथा लगभग दो दर्जन स्वतंत्र बख्तरबन्द ब्रिगेड हैं।

लगभग १,००० वाहन हैं जो बख्तरबन्द टुकड़ियों के सैनिकों आदि को इधर-उधर ले जाने के काम आते हैं।

कोबरानामी टैंक भेदी मिसाइलें, जिनके साथ सब प्रकार के पैदल एकक हैं। यह मैंने थल सेना के सम्बन्ध में संकेत दिये हैं।

पाकिस्तान की नौ और वायु सेना

अब मैं सदन का ध्यान पाकिस्तान की नौसेना की ओर खींचना चाहता हूं। पाकिस्तान की नौसेना में क्रूजर१, विध्वंसक ४, जंगी जहाज ४ हैं। मिटली क्लास के पनडुब्बी भेदी २ फ्रिजेट, जो हाल ही में प्राप्त किये गये हैं, डैप्लीन श्रेणी की ३ फ्रांसीसी पनडुब्बियां लगभग ३ और प्राप्त होने की आशा है। ६ मिडजैट इतालवी पनडुब्बियां और १८ गनबोटें, जिन पर स्टिक्स प्रकार की मिसाइलें लगी हुई हैं। नौ सेना भेदिया अथवा टोह लेने वाली शक्ति में भी वृद्धि हुई है। इसके लिए ३ ब्रिगेट अतलांकित भेदी टाइम फ्रेंच विमान हैं। जल्दी ही इस शक्ति में और वृद्धि होगी।

वायुसेना में भी पाकिस्तान ने १९७१ के बाद वृद्धि की है और १९७१ की क्षति पूर्ति कर ली है। पाकिस्तान की वायुसेवा में मिग १९ श्रेणी के ६० विमान चीन से प्राप्त हुए हैं। फ्रांस से मिराज ३ श्रेणी के ३६ विमान प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान की वायुसेना की स्थिति इस प्रकार से है—

१० वी ५७ हलके बमवर्षक

७२ मिराज ३ लड़ाकू बमवर्षक.

९० एफ ८६ लड़ाकू बमवर्षक

१२० मिग १९ शत्रु विमानों को आकाश में पकड़ने वाले इन्टरसैक्टर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५ एफ ५ इसी प्रकार के विमान हैं

१० एफ १०४ इसी प्रकार के विमान हैं

इसके अलावा टोह लेने वाले, प्रशिक्षण देने वाले भी, सवारी तथा माल ढोलने वाले विमान भी हैं और दूसरी इसी प्रकार की शक्तियां भी हैं। इसके अतिरिक्त भी पाकिस्तान के जो अपने मित्र राष्ट्र हैं, विशेष रूप से अरब देशों में जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, जैसे आबू घाटी है, लीबिया है, ईरान है, इन देशों ने भी पाकिस्तान की नौ सेना, वायु सेना और थल सेना की जो शक्ति है उसके मुवाकले में १९७५ में उसने अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली है और वह सब दृष्टियों से आगे जा चुका है। मैं इस बात को विशेष रूप से इसलिए कहना चाहता हूं कि चूंकि पाकिस्तान में इस समय जो एक युद्ध का तूफान उठ रहा है, जो चर्चाएं वहां पर इस प्रकार की चल रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस वार पाकिस्तान अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ना चाहता है। उनके जो सैनिक हैं जिसकी चर्चाएं अभी की हैं, उनको कुरान शरीफ की कस्में खिला खिला कर यह कहा जाता है कि इस बार तो १९७१ की हार का बदला लेना है। चीन जो उसका अपना एक मित्र राष्ट्र है, वह सीधे संघर्ष में तो नहीं आयेगा, लेकिन इस बात की संभावना अवश्य हो सकती है कि वह भारतीय सेनाओं को पूर्वी क्षेत्र में रोके रखे और कोई इस प्रकार की कार्यवाही करे।

भारत की स्थिति क्या है ?

मैं इन सारी वातों को कहने के बाद रक्षा मंत्री जी से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि १९७१ के बाद पाकिस्तान ने जिस तेजी के साथ अपनी सामरिक तैयारी की उसके मुकाबले में हमारी अपनी स्थिति क्या है ? हम यह नहीं चाहते हैं कि आप एक एक करके विस्तार के साथ इस प्रकार के विवरण दें, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आप दृढ़ शब्दों में देश को यह आश्वासन अवश्य दें कि भारत का रक्षा मंत्रालय या भारत सरकार इस विषय में बिल्कुल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। पाकिस्तान की ओर से रक्षा सामग्री पर जितना खर्च हो रहा है और अभी माननीय सदस्या श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत जो बतला रही थीं कि पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में किस प्रकार से वृद्धि कर ली है। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में १९७५-७६ में जो वृद्धि की है वह ४ अरब १७ करोड़ रुपया है, हमारे रक्षा मन्त्रालय की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार यह वृद्धि १० प्रतिशत अधिक है, लेकिन पाकिस्तान के सर्वेसर्वा भुट्टो हैं। उनके हिसाब से यह ५० प्रतिशत है और उनके जो अपने दायें हाथ पीरजादा हैं, उनके हिसाब से उन्होंने अपना रक्षा का बजट ८० प्रतिशत बढ़ा लिया है।

अब ऐसी स्थिति में देशवासियों का स्वाभाविक रूप से यह ध्यान जाता है और सरकार से तथा विशेष कर रक्षा मंत्रालय से सारा देश यह जानना चाहता है कि जब हमारा पड़ोसी राष्ट्र जिस के साथ हमने मित्रता के कई बार हाथ बढ़ाये और अभी भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसने हमारी मित्रता का कोई रेसपोन्स नहीं दिया और एक तरह से युद्ध तथा संघर्ष के लिए तैयारी ही कर रहा है, मेरा अपना अनुमान यह है कि आने वाले समय में थल सेना की उतनी आवश्यकता सम्भवतः न हो जितनी नौसेना या वायु सेना की आवश्यकता पड़े। आज आप संक्षेप में मुझे या मेरे द्वारा सारे देश को आश्वासन दे सकते हैं, जिस गति से पाकिस्तान ने ७१ के बाद अपनी वायु सेना या नौसेना में वृद्धि की है भारत की वायु सेना या नौ सेना में भी इसी प्रकार की वृद्धि हुई है ?

मैं इस बात को विशेष रूप से इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हमको यह नहीं भूल जाना चाहिए

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि पाकिस्तान की जनसंख्या हमारी जनसंख्या का आठवां हिस्सा है और पाकिस्तान का औद्योगिक क्षेत्रफल हमारे क्षेत्रफल का चौथाई है। इसी हिसाब से हमारा सैन्यबल भी बड़ा होना चाहिए। ६५ और ७१ में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ उसमें पश्चिमी क्षेत्र के अन्दर हमारी सेना का प्रतिशत उतना नहीं रहा जितना हमारे देश की जनसंख्या का प्रतिशत है या हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। पूर्वी क्षेत्र के अन्दर बंगला देश को मुक्ति अवश्य प्राप्त हुई। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में जो हमने विजय प्राप्त की उसका भाग उतना अच्छा नहीं रहा।

युद्ध में जीते मेज पर हारे

मुझे इस बात को कहने की अनुमति दीजिए कि हमारे सेनाओं ने खून बहाकर सैनिक मोर्चों पर तो विजय प्राप्त की लेकिन राजनयिक मोर्चों हम हार गए। चाहे ताशकन्द के अन्दर हारे, चाहे शिमला के अन्दर हारे। हमारे सैनिकों के मन को यह बात मसोसती है, भले ही वे अनुशासन में बंधे होने के कारण यह न कह सकें—कि हम खून बहाकर धरती जीत कर देते हैं लेकिन ये लोग ठंडे कमरों में बैठ कर वापस करते रहते हैं। उनके सम्मान का, उनकी भावनाओं का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। बंगला देश की मुक्ति से पाकिस्तान के सांप की रीढ़ की हड्डी तो अवश्य टूटी है, लेकिन पाकिस्तानी सांप का फन अभी कुचला नहीं गया है और जिस तरह भुट्टो और उनके समर्थक भाषण कर रहे हैं उससे यह लगता है कि चोट खाया हुआ सांप अबकी वार कुछ और तैयारी के साथ संघर्ष करना चाहता है।

मेरा निवेदन रक्षा मंत्री से यह है कि अगर अबकी वार भारत को संघर्ष के मैदान में उतरना पड़े तो अन्तिम हो। सरदार स्वर्ण सिंह जी ने शायद कुछ दिन पहले जालन्धर में कहा था किअगर पाकिस्तान ने इस बार छेड़छाड़ की तो यह युद्ध उसकी धरती पर होगा— मैं एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि अबकी बार युद्ध हुआ तो वह निर्णायक युद्ध होगा। उसके बाद वारवार युद्ध का परीक्षण यह देश नहीं करता रहेगा। अखिरकार विकास के और कार्यक्रम भी हैं। कब तक हम अपनी व्यवस्था को इस ओर मोड़ते चले जाएंगे।

रक्षा व्यवस्था के लिए धन की सीमा नहीं

श्री हर्षदेव मालवीय ने पता नहीं किसकी आलोचना करते हुए यह बात कह दी और हमारी बहिन लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने यह बात कह दी। मैं स्वयं उन व्यक्तियों में हूं और मेरी पार्टी उनमें है जो चाहते हैं कि रक्षा सामग्री के लिए जितने अधिक से अधिक धन की आवश्यकता हो वह व्यय किया जाय। देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए जो खर्च किया जाने वाला है हम उसमें सरकार का समर्थन करेंगे, हम आलोचना करने वाले नहीं हैं। मुझे तो शिकायत यह है कि कभी कभी विदेशी मुद्रा का बहाना लेकर जो हमारी रक्षा तैयारियां होनी चाहिए या रक्षा सामग्री का संकलन या चयन होना चाहिए उसमें न्यूनता आ रही है। हम नहीं चाहते कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कोई ऐसी बात हो जिसके आधार पर हमारी रक्षा तैयारियों में किसी प्रकार की न्यूनता आए।

रक्षा तैयारियों में आत्म-निर्भर बनें

एक बात मैं और कहना चाहूंगा मेरे पड़ोस में हमारे वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं योगेन्द्र शर्मा जी। पता नहीं क्या उन्होंने अपने भाषण में इन कुर्सियों की ओर हाथ उठाते हुए कह दिया कि हमारे कुछ मित्र इस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रकार के हैं जिनको भारत सोवियत मैत्री फूटी आंखों नहीं सुहाती। मैं शर्मा जी को सुनाने के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी विपत्ति के समय सोवियत संघ का जो सहयोग रहा है उसके लिए हम हृदय से अनुगृहीत हैं, कृतज्ञ हैं, हमें उनकी मित्रता पर अभिमान है। आपने यह भी कहा कि कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो अमरीका को सिर पर लाकर बिठाना चाहते हैं। कम से कम मैं या मेरी पार्टी उनमें नहीं है जो यह चाहे कि हम अमरीका को सिर पर लाकर विठाएं। लेकिन शर्मा जी को नम्रतापूर्वक मैं यह बताना चाहूंगा कि जहां हम यह नहीं चाहते कि अमरीका हमारे सिर पर बैठे, वहां हम यह भी नहीं चाहते कि भारत रूस की जेब में पड़ जाय और हर चीज के लिए हमको रूस के ऊपर निर्भर रहना पड़े। खास तौर से रक्षा संबंधी तैयारियों में हमारी इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि अगर हमको किसी मित्र राष्ट्र से नौ सैनिक उपकरण प्राप्त हों या वायु सेना के उपकरण प्राप्त हों तो वह मित्र राष्ट्र इतनी कृपा अवश्य करे कि अगर उनके अन्दर खराबियां आ जायें तो मरम्मत के लिए पनडुब्बियों को उस देश में वापस न भेजना पड़े।

हम इतने आत्म निर्भर तो अवश्य हों या हमारे मित्र राष्ट्रों को विशेष रूप से इतनी तैयारी रखनी चाहिए और आज जिस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है उसमें तो मेरा अपना अनुमान यह है कि आज की स्थिति के अन्दर तो हर क्षेत्र में आत्म निर्भर बनना ही सब से अधिक बुद्धिमत्ता है। इसके लिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपनी विदेशी मुद्रा को चाहे किन्हीं क्षेत्रों से बचा कर हम को रक्षा सामग्री पर व्यय करना पड़े यह हम को करना चाहिए। लेकिन जिन रक्षा सामग्रियों में हम आत्म निर्भर हो सकते हैं। आने वाले समय में, भविष्य की दृष्टि से या देश की अखंडता की दृष्टि से उसमें प्रयत्न करना अत्यावश्यक है।

सर्वभेदी रक्षापंक्ति बनाएं

मैं इस के लिए अपने कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं। यह सुझाव मैं विशेष रूप से देना चाहता हूं। पहले तो हमें अपनी रक्षा पंक्ति को विमान भेदी और टैंक भेदी हथियारों से लैस करना जरूरी हो गया है। जिन हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण रक्षा और नागरिक प्रतिष्ठानों पर अचानक हमला हो सकता है उन की रक्षा के लिए हमारे पास विमान भेदी तोपें, मिसाइलें और टैंक भेदी उपकरण होने चाहिए। हमारे हैलीकाप्टरों के बेड़े में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। ताकि हमारे कमांडर हर तरह से सैन्य संचालन कर सकें। हमारी सेना की शक्ति पाकिस्तान से भी अधिक होनी चाहिए। हमारे पास तुरन्त ही ऐसे विमान होने चाहिएं जो शत्रु के प्रदेश में भीतर घुस कर दूर दूर तक मार कर सकें। और मिराज तृतीय ऐसे विमानों को मात दे सकें। मिराज तृतीय हमारे लिये सब से बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्म का इलैक्ट्रानिक जवाबी उपकरण हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास दूरगामी सुसज्जित नौ सैनिक टोह लेने वाले लगभग ६ विमान होने चाहिएं, पनडुब्बी नष्ट करने वाले उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होने चाहिएं। हमारे पास तीव्र गति वाला सुदक्ष और सुज्जित आधुनिक प्रकार का कारकेट बेड़ा होना चाहिए। हमारे पास तीव्रगामी मिसाइल युक्त छोटी छोटी नौकाएं होनी चाहिएं जो हमारे समुद्र तट की रक्षा कर सकें और हमारे बंदरगाहों और समुद्र तट पर होने वाले अचानक नौसैनिक हमलों का सामना कर सकें। विमान वाहक युद्ध पोतों तथा नौसैनिक एककों की वैमानिक क्षमता में सुधार होना चाहिए। साथ ही पनडुब्बी विमान मिसाइल और युद्धपोतों को नष्ट करने की हमारी सामर्थ्य में

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तुरन्त वृद्धि होनी चाहिए।

इन सुझावों के साथ मैं एक विशेष बात की ओर अपने रक्षामंत्री श्री स्वर्णसिंह जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सौभाग्य से वह हमारे उन सब मन्त्रियों में से एक हैं, जो हमारे ८ रक्षा मंत्री हुए हैं, इन में जो दूसरी बार रक्षा मंत्री बनाये जाते हैं। जिस समय १९६२ में नेफा में चीन का आक्रमण हुआ था उस समय जो हैंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट आयी थी वह पूरी रिपोर्ट सरकार की ओर से पालियामेंट की टेबिल पर नहीं रखी गई थी।

सैनिक गुप्तचरता को बढ़ाया जाय

लेकिन जो रिपोर्ट आयी थी उस में ५ प्रस्ताव इस प्रकार के थे जिन से उस समय की दूसरी मिलिटरी इंटेलीजेंस की असफलता का पता लगता था। १९६५ में जो पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष हुआ उस में भी हम लाहौर तक ही जा कर रुक गये और उस का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि जो हमारा सैनिक सर्तकता विभाग था, मिलिटरी इंटेलीजेंस, वह समय पर खबर नहीं दे सका कि पाकिस्तान का दूसरा सैनिक दस्ता गुरदास पुर की ओर से आ रहा है और इस के कारण हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। १९७१ में सैनिक सतर्कता विभाग का क्या कार्य रहा उस को मैं नहीं कहता। लेकिन मेरा कहना यह है रक्षा मंत्रालय से, हम विशेष रूप से यह अपेक्षा करते हैं और मैं आशा करता हूं कि मेरी अपनी जानकारी सही है, यदि सही न हो तो मैं कहूंगा कि इस में सुधार किया जाय कि इस विभाग में कोई रेगुलर कैडर नहीं है। उस में तो एक अफसर को रखा जाता है और दो साल बाद उसे हटा दिया जाता है, फिर उस के स्थान पर दूसरा आदमी रख लिया जाता है।

मैं चाहता हूं कि मिलिटरी इंटेलीजैंस में कोई रेगुलर कैडर होना चाहिए। वह एक महत्वपूर्ण विभाग है। सैकिंड वर्ल्ड वार में तो उस ने इतना बड़ा काम किया कि हिटलर की जो फौजें लंदन की ओर बढ़ रही थी उनका मुंह उस ने रूस की ओर मोड़ दिया। तो मिलिटरी इंटेलीजैंस लड़ाई के समय बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इन तीन बार की लड़ाइयों में हमने अपने मिलिटरी इंटेलीजेंस को कसौटी पर कसा और वह सही नहीं पाया गया। उसे आप को एक रेगुलर कैडर के रूप में बनाना चाहिए था। उस के न होने के कारण ही स्थिति पूरी सही नहीं बन पायी।

एक अंन्तिम बात मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं। अभी हमारे भूतपूर्व वायु सेनाध्यक्ष श्री पी सी लाल ने इंडिया इंटर नेशनल सेंटर में देश की रक्षा से संबधित एक भाषण दिया। वह एक अनुभवी वायुसेनाध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने जो बात कही वह हमारे लिये आदर्श हो सकती है। उन्होंने कहा कि पिछली लड़ाइयों का अनुभव इस प्रकार का है, विशेष रूप से १९६५ और १९६२ की लड़ाइयों में कि सेना के जो तीन चीफ रहे उन में आपस में तालमेल का अभाव था। और तालमेल का अभाव रहने का परिणाम यह हुआ कि १९६५ की लड़ाई में हम यथास्थिति रख पाये। लेकिन उसको निर्णायक लड़ाई के रूप में नहीं बदल पाये। जब इनका तालमेल हुआ तो बंगला देश की लड़ाई में हमने सफलता प्राप्त की। मैं चाहता हूं कि इसकी तह में जाया जाये और इसकी तह में जाकर भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हो सकें, इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और यह देखा जाए कि सेना के तीनों अंगों में प्रोफेशनल बेसिस पर भी तालमेल हो सके, ताकि १९६५ जैसी असफलता के दर्शन हमें न करने पड़ें।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार

दो बातें और कहकर मैं बैठ जाना चाहता हूं, वे हैं सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार। सैनिक अधिकारियों की देशभक्ति के ऊपर हम गर्व करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार की बातें सैनिकों और सैनिक अधिकारियों के बारे में हम सुनते हैं तो शर्म से गर्दन नीची हो जाती है। अभी हमारे एक मित्र चर्चा कर रहे थे पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट की, लेकिन पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के अलावा भी सेना में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं सेना में उनमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है।

मेरे पास एक प्रश्न है जो २१ मार्च, १९७५ को आया था और सरदार साहब ने उधमपुर के अन्दर जो हवाई अड्डा बन रहा है, जिस प्रकार से उसमें इंजीनियर ने भ्रष्टाचार किया और आर्मी का गैरिसन इंजीनियर उनके साथ न्याय नहीं कर सका, हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमीशन नियुक्त किया और आन दि स्पाट इंक्वायरी करके उस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट उनके खिलाफ आई। लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हो सका और अभी तक विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। निर्माण कार्यों में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, भोजन मंगाने में भ्रष्टाचार हो रहा है और सबसे अधिक भ्रष्टाचार रेक्रूटमेंट में होता है। मेरे पास समय नहीं है कि विस्तार से उसमें जाऊं, लेकिन सेना में जब इस प्रकार से भ्रष्टाचार की चर्चाएं सुनी जाती हैं तो मन बड़ा दुःखी होता है। मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

आखिर में, मैं आर. एण्ड डी. रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में कहना चाहूंगा। मेरा कहना यह है कि हमारे जो युवा वैज्ञानिक हैं, आज जब परमाणु शक्ति आयोग के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उनके ग्रेड और वेतनमान अच्छे हैं तो सेना के वैज्ञानिकों ने क्या अपराध किया है कि उनकी सेवा शर्तों को अभी तक नहीं सुधारा गया है ? मैं चाहता हूं कि इन बातों पर रक्षा मंत्रालय ध्यान दे ताकि सेना में जिस प्रकार की हमारी आशा है और विश्वास है उसके अनुकूल हमारा सैनिक शासन कार्य करे, उसी के अनुकूल हमारी सेनायें सिद्ध हो सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विद्रोही नागाओं से वार्ता बंद करें

देश की सुरक्षा और अखण्डता के लिए शास्त्री जी ने सदा सेना की प्रतिबद्धता को सर्वाधिक महत्व दिया। नागालैण्ड जैसे छोटे से प्रदेश में सरकार ने विद्रोहियों का मुकावला करने के लिए सेना को उसके हाथ पांव बांध कर भेजा। नागालैंड की स्थिति पर चर्चा के समय २५ मार्च १९६९ को शास्त्री जी ने सेना को अपनी कार्रवाई के लिए पूरी छूट एवं स्वतंत्रता देने की वकालत की।

उपाध्यक्ष जी, जिस समय नागालैंड का निर्माण करने वाला विधेयक आया था और उसके लिए संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक यहां उपस्थित किया गया था तव मैंने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि नागालैड के पृथक निर्माण से अगर आप यह अपेक्षा करते हैं कि नागालैंड की समस्याओं का कुछ समाधान हो जाएगा, तो मुझे इसमें संदेह है।

सरकार की भूलें

मेरी अव भी निश्चित राय है कि भारत सरकार ने पहली भूल तो यह की थी कि असम को छोटी-छोटी इकाइयों में वांटने के लिए नागालैंड का पृथक से निर्माण किया।

दूसरी भूल इसी तरह की सरकार ने की है—

नागालैंड का नाम नागालैंड रहने दिया। इस देश के सभी प्रान्तों का नाम भारतीय भाषाओं में हैं तथा नागालैंड के साथ लैंड शब्द को लगाकर एकऔर अभारतीयता का उसने परिचय दिया।

तीसरी भूल भारत सरकार ने उस समय की जिस समय नागालैंड को गृह मंत्रालय के साथ न रख कर विदेश मन्त्रालय के साथ उसने रखा। श्री जवाहरलाल नेहरु से पूछा गया था कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है ? तब उन्होंने वताया था कि नागा लोग कुछ भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी अपनी इच्छा ऐसी है कि मेरे साथ यह विभाग रहे। इसलिए विदेश मन्त्रालय के साथ इस विभाग को रखा जा रहा है। पर यह परम्परा वहुत लम्वी चलने वाली नहीं है। अब तीसरा प्रधान मंत्री इस देश में चल रहा है। पहली वात तो मैं यह उप विदेश मंत्री से जानना चाहता हूं कि अब कौन से कारण इस प्रकार के हैं जो आप अभी भी नागालैंड को विदेश मन्त्रालय के साथ रखे हुए हैं। और नेहरू के उस समय के आश्वासन के आधार पर क्यों नहीं लागालैंड को गृह मंत्रालय के साथ रखा जाता है और देश की परम्पराओं में एक स्वस्थ परम्परा का श्रीगणेश कियां जाता है।

इस सरकार ने प्रारम्भ से ही एक भूल और भी की है। वह भूल यह है कि उसने राजनीतिक और सैनिक निर्णयों में किसी प्रकार का तालमेल नहीं वनाये रखा।

एक के वाद एक भूलों का तांता

मेरा अपना विश्वास इस प्रकार का है कि सरकार सेनाओं को जब कोई आदेश दे या कोई कदम उठाने के लिए कहे तो बहुत सोच-विचार कर कहे। लेकिन एक बार जब सेना को अधिकार दे दिया जाय

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तो फिर राजनीतिज्ञों को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। एक बार इसी प्रकार की भूल हम ने उस वक्त की जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ ही था। १९४७ में जब सरदार पटेल ने काश्मीर में अपनी सेनाओं को भेजा तो हमने पाकिस्तान के आग्रह पर अपनी सेनाओं को बीच में ही रोक दिया। आजतक वह हड्डी हमारे गले में अटकी हुई है।

दूसरी बार वैसी भूल उस वक्त की जब १९६५ में पाकिस्तानी सेना के साथ संघर्ष में हमने सेना को अधिकार तो दिया पर सेना को अपने निर्णय पर स्वयं नहीं पहुंचने दिया। वहां फिर राजनीतिज्ञों को बीच में नहीं आना चाहिये था या बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था। इस तरह की तीसरी भूल अब हम नागालैंड में कर रहे हैं। नागालैंड में पिछले कुछ समय से शान्ति स्थापित नहीं हो पा रही— वहां के एक सैनिक अधिकारी से भारत सरकार ने इसका कुछ समय पहले कारण पूछा था। उस सैनिक अधिकारी ने दो सुझाव भारत सरकार को भेजे। अगर नागालैंड में भारत सरकार शान्ति स्थापित करना चाहती है तो पहला उपाय यह है कि सरकार अपनी सेना और सैनिक अधिकारियों को हाथ खोल कर काम करने का मौका दे। दूसरा उपाय यह है कि विदेशी मिशनरी जो नागालैंड में आ कर यहां के लोगों के मस्तिष्कों में अराष्ट्रीय प्रवृत्ति उभार रहे हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाये। अगर ६ महीने के लिए भी इन को हटा दिया जाय और सेना को हाथ खोल कर काम करने का अवसर दिया जाय, तो नागालैंड में निश्चित रूप से शान्ति स्थापित हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से अब तक इन दोनों सुझावों के आने के बाद भी भारत सरकार इस प्रकार का उचित निर्णय नहीं ले सकी है। देश के अन्दर यह भावना बढ़ती चली जा रही है कि जब ४.५ लाख मुट्ठी-भर नागा लोगों पर यह सरकार नियन्त्रण नहीं कर पा रही है तो इतने बड़े देश पर यह सरकार किस प्रकार नियन्त्रण रख सकेगी ? या बाहर के शत्रुओं का किस प्रकार समाधान कर सकेगी ?

इसलिए मेरा कहना यह है कि आप कुछ करें न करें लेकिन नागालैंड के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति अख्तियार करें। जो नागा विद्रोही इस प्रकार के हैं कि जो चीन और पाकिस्तान का सहयोग लेकर भारत की अखण्डता को चुनौती दे रहे हैं या भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहे हैं और नागालैंड के निर्माण के बाद भारत सरकार के लिए निरन्तर एक समस्या बने हुए हैं, उन के लिए उदारता की नीति को अनिश्चित काल तक के लिये जारी रखना किसी भी समझदार या दूरदर्शी सरकार के लिये उचित नहीं है।

नागालैंड में शान्ति सेना ?

अभी बगल में बैठे हुए एक समाजवादी सदस्य कह रहे थे कि नागालैंड से फौजों को हटा लिया जाय, सेना को हटा दिया जाय, पुलिस को हटा दिया जाय, सर्वोदय कार्यकर्ताओं को वहां भेजा जाय, शान्ति सेना वहां पर भेजी जाय। इस आत्महत्या करने वाली नीति का मैं समर्थक नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू में एक छन्द है जिसको कसीदा कहते हैं और हिन्दी में एक छंद है जिसको दोहा कहते हैं। एक पुराने शायर ने लिखा है :-

कसीदे से न चलती है, न दोहे से चलती है,
समझ लीजे कि कारे-सल्तनत, सदा लोहे से चलती है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हुकूमत जब चलती है, दण्ड से चलती है। मनु ने भी अपनी स्मृति ग्रन्थ में लिखा है—
दण्डः शास्ति प्रजा सर्वाः।

इस प्रकार का क्षेत्र जो हिन्दुस्तान के लियें एक समस्या वना हुआ है, देश केलिए एक चुनौती वना हुआ है, उसके लिए इस प्रकार के असंगत सुझाव हमारे मित्र दें, हैरानी है जो नागालैंड में शान्ति स्थापित करना चाहते हैं और कहते हैं कि वहां शान्ति सेना को भेजा जाय, सर्वोदय समाज को भेजा जाय, तो फिर कुछ तकली कातने वालों को भी वहां भेज दीजिये। वहां जाकर चीनी और पाकिस्तानी प्रवृत्तियों का, जो राजद्रोही प्रवृत्तियां वहां पर पनप रही हैं, अथवा जो हमारे देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही हैं, उनका मुकावला करें। हम में से इस प्रकार के एक व्यक्ति की ओर से जो देश की अखडता और प्रभुसत्ता में विश्वास करते हैं इन की तरफ से इस प्रकार का सुझाव आये तो वड़ा आश्चर्य होता है।

एक वात मैं यहां अवश्य कहना चाहता हूं कि आपकी दुर्वल नीति का एक सव से बड़ा दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जो देशभक्त नागा हैं, अब वे भी धीरे-धीरे विद्रोहियों का साथ देते चले जा रहे हैं। जव वह देखते हैं कि सरकार देश-भक्त लोगों को विश्वास में न लेकर विद्रोही नागाओं से डर कर निर्णय लेती है, तो जो देश-भक्त भारत के प्रति वफादार हैं वे भी धीरे-धीरे विद्रोही नागाओं के साथ हो रहे हैं यह सरकार की दुर्वल नीति का परिणाम है।

सहनशीलता की भी सीमा है

जव आप जानते हैं कि विद्रोही नागा इस प्रकार से भारत को बरावर चुनौती दे रहे हैं, बाहरी हथियार मंगा रहे हैं, बाहर से शक्ति संग्रह कर के आ रहे हैं, भारत के लिये समस्या बनते चले जा रहे हैं, तो उप-विदेश मंत्री इस विधेयक का उत्तर देते हुए इस बात पर जरूर प्रकाश डालें कि आखिर हम विद्रोही नागाओं के साथ वातचीत का दरवाजा कव तक खुला रखना चाहते हैं ? कुछ तो उसकी सीमा होनी चाहिये।

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गत अधिवेशन में कहा था कि अनिश्चित काल तक हम वातचीत का दरवाजा खुला नहीं रखेंगे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था कि हम अनिश्चित समय तक वातचीत नहीं करना चाहेंगे। अगर इससे लोगों के रवैये में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो सरकार इस परम्परा को लम्वा नहीं चलाना चाहेगी। अब वह समय आ गया है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को कहा था सौ गाली तक क्षमा कर सकता हूं, लेकिन १०१ वीं गाली पर सुदर्शन चक्र मेरे हाथ में नहीं रहेगा। उसी प्रकार से इन विद्रोही नागाओं के लिये समय की सीमा बंधनी चाहिये। कोई अवधि निश्चित होनी चाहिये। एक निश्चित समय तक यह बात बरदाश्त होगी, उसके वाद न वातचीत का दरवाजा खुला रहेगा और न नागालैंड में किसी भी प्रकार की उदण्डता को बर्दाश्त किया जायगा।

अन्तिम बात मैं कहना चाहता हूं- प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी २७ मार्च को बर्मा की यात्रा पर जा रही हैं।

मैं उप-विदेश मंत्री के माध्यम से प्रधान मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जितने विद्रोही नागा चीन को जाते हैं, ये सब वर्मा के क्षेत्र से होकर निकलते हैं। प्रधान मंत्री जी जहां वर्मा के साथ अन्य मैत्रीपूर्ण सम्वन्धों के प्रश्न पर विचार करें, वहां इस बात पर भी निश्चित रूप से विचार करें कि बर्मा सरकार इस विषय में हमको सहयोग दे कि ये विद्रोही नागा व्रह्म देश से होकर न गुजर सकें। जिससे हमारी और वर्मा की जो पहले से घनिष्ट मैत्री रही हैं, वह और सुदृढ़ हो सके। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रक्षा व्यय में कटौती आत्मघाती

राज्य सभा में शास्त्री जी को अपनी बात कहने का भरपूर अवसर मिलता था। २२ जून १९७७ को राज्य सभा में आम बजट में बहस के समय शास्त्री जी ने रक्षा व्यय में कटौती पर चिन्ता प्रकट कर इसे बढ़ाने की मांग की। शास्त्री जी ने कहा कि जब देश की सीमाओं पर संकट है, हमारी धरती पर चारों ओर से कब्जा कर रखा है, तब इस प्रकार का कदम आत्मघाती है। उन्होंने अपने सहज अदांज में, किसानों की समस्या, सरकारी सेवाओं में ग्रामीण प्रतिनिधित्व, इजराहल से सम्बन्ध, कराधान, सांस्कृतिक सम्बन्ध आदि विषयों पर भी विचार रखे।

उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बहुत लम्बी-चौड़ी बातें इस विषय पर नहीं करनी हैं। मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मुझे सबसे बड़ा कष्ट हुआ वित्त मंत्री श्री एच. एम. पटेल के भाषण को सुन कर जब मैंने उसमें यह सुना कि रक्षा व्यय में उन्होंने ७६ करोड़ रुपये की कटौती की है। अगर रक्षा व्यय में वह कुछ वृद्धि करते तो शायद मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन उन्होंने रक्षा व्यय में कटौती की। यदि वह यह कटौती किसी और व्यय में करते तो वह बात समझ में आ सकती थी। आज हमारे देश की स्थिति जिस प्रकार की बनती जा रही है कि जिसको हम अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते। भारत की सीमाओं पर धीरे-धीरे युद्ध की विभीषिका फिर मंडरा रही है। मैं इस बात को जानबूझ कर इसलिये कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, जब से वहां निर्वाचनों के सम्बन्ध में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और वहां की जनता ने भुट्टो के प्रशासन के खिलाफ जो विद्रोह किया है और जिससे विवश होकर भुट्टो प्रशासन को फिर निर्वाचन के द्वार पर जाना पड़ रहा है, मुझे भय है कि कहीं पाकिस्तान के बड़े-बड़े नेता, या पाकिस्तान के बड़े-बड़े शासक अंपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए फिर अपने देश को दांव पर न लगा दें। क्योंकि मेरी अपनी जानकारी इस प्रकार की है कि भारत की सीमाओं से लगने वाले जो पाकिस्तान के भाग हैं वहां पर मिसाइल ब्रिगेडें तैयार की जा रहीं हैं, जो किसी भी समय पाकिस्तान में रह कर दिल्ली पर आक्रमण कर सकती हैं।

१९६५ और १९६२ के संघर्ष हम देख चुके हैं। अब तो पाकिस्तान लेटेस्ट वेपन, आधुनिकतम हथियार से भी सुसज्जित हो चुका है। दुनिया के कुछ देश इस प्रकार के हैं जो पाकिस्तान को समय-समय पर इस तरह के हथियार देते रहते हैं। ऐसे समय में भारत सरकार का यह सोचना इसी प्रकार है जैसे कि विपत्ति को आता हुआ देखकर कोई कबूतर अंपनी आंखों को मींच करके बैठ जाये और यह समझे कि विपत्ति टल गई। मेरी अपनी राय में रक्षा व्यय में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। रक्षा व्यय में कटौती का अभिप्राय अपनी आत्महत्या की नीति के ऊपर एक प्रकार का पग बढ़ाना है। हमारी यह नीति है कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते, किसी देश की स्वतन्त्रता को हम छीनना नहीं चाहते, लेकिन जहां तक हमारी अपनी स्वतन्त्रता का प्रश्न है, जहां तक हमारी अखण्डता की रक्षा का प्रश्न है, वह अपनी किसी दुर्बलता के कारण किसी दूसरे के हाथ में गिरवी भी नहीं रखना चाहते। जो

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वतन्त्रता हमने पौने नौ सौ वर्षों के संघर्ष के वाद प्राप्त की है, उस स्वतन्त्रता को हम रक्षा व्यय में कटौती कर के दूसरे के हाथों में दे दें, अगर कहीं ऐसी असावधानी का लाभ किसी पड़ोस के देश ने उठा लिया तो आने वाली सन्तति, आने वाला इतिहास हमको क्या कहेगा।

इस बात की मैं विशेष रूप से इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अभी राष्ट्रमण्डलीय देशों के सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई गए, उन्होंने वहां पर इस सम्वन्ध में भी चर्चा की थी। चीन के साथ हमारे संबंधों की चर्चा करते हुए श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि हमारे संबंध सामान्य तो हो सकते हैं लेकिन संबंधों को सामान्य होने के बीच एक बहुत बड़ी बाधा यह बनी हुई है कि चीन ने हमारी धरती पर अपना अधिकार कर रखा है, जब तक वह वापिस न मिल जाए तब तक संबंध की सामान्य भूमिका का निर्माण एक बहुत बड़ी बाधा रहेगी। प्रधान मंत्री जी ने जिस पृष्ठभूमि में इस बात को कहा उसको हमको गम्मीरता से लेना चाहिए। पाकिस्तान के चीन के जिस प्रकार संबंध रहे हैं, इसको हमें बहुत जल्दी भूल नहीं जाना चाहिए।

मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि हम अपनी रक्षा नीति को इस प्रकार आक्रामक बनायें कि पड़ौसी देशों में आतंक का वातावरण पैदा हो और उनके लिए हम समस्या बन जायें। लेकिन मेरा यह अभिप्राय अवश्य है कि हम अपनी रक्षा नीति में, रक्षा व्यय में, किसी प्रकार की कटौती कर के देश को एक ऐसे द्वार पर ले जा कर खड़ा न कर दें कि कोई हमारे देश की स्वतन्त्रता के साथ टकराव और छेड़छाड़ प्रारम्भ कर दे। इसके लिए पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस विषय में बड़ी सावधानी के साथ सोचना चाहिए, इस दिशा में गम्भीरता के साथ चलना चाहिए।

बिक्रीकर की समस्या

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह है बिक्री कर के संबंध में। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में इस बात की घोषणा की थी कि अगर वह सत्ता में आ गई तो बिक्री कर समाप्त कर दिया जाएगा। अब वह सत्ता में आ गई है तो उन से पूछा गया कि आपकी क्या राय है, तो कहते हैं कि यह तो राज्यों का विषय है। अब तो राज्यों में भी अधिकांश जनता पार्टी की सरकारें आ गई हैं, अब तो उनको कोई बहाना नहीं मिल सकता। मेरा कहना यह है कि आपने जो वायदा किया है उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करें।

इस वात को मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स ने हिन्दुस्तान के व्यापारियों और व्यापार के सामने कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर दी हैं। सेल्स टैक्स अगर लगाना है तो इसमें व्यापारियों को कठिनाई नहीं है; व्यापारियों का क्या जाता है ? यह तो आखिर उपभोक्ता की जेब से ही जाता है, वह तो एक माध्यम है उसका जिसकों कि वस्तु खरीदनी है। लेकिन परेशानी यह है कि उसके लिए पूरा हिसाब-किताब रखना पड़ता है, मुनीम रखने पड़ते हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि एक दो सौ-ढाई सौ रुपए पाने वाला इन्सपेकटर आ कर लखपति व्यापारी की इज्जत भरे बाजार में उतार कर चला जाता है। इस में व्यापारियों के लिए कठिनाई उत्पन्न होती है।

मेरा कहना यह है किजहां तक सम्भव हो सके इस बिक्री कर को उत्पादन कर के साथ एकही जगह पर, चाहे आप जितना ले लीजिए लगाएं, मैं नहीं कहता उसमें आप किसी प्रकार की कटौती करें, मैं यह

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहता हूं कि हर जगह उस पर टैक्स लगा देने से, हम व्यापारी को बही खाता रखने की और नए कागजात रखने की एक बड़ी भारी समस्या है। इसको आप सैंट्रल इक्साइज़ के साथ जोड़ दें। लेकिन यह सेल्स टैक्स समाप्त करने की जो प्रवृत्ति है, इससे देश में कम से कम जो छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। यह जो जनता पार्टी ने वायदा किया है इसको जल्दी से पूरा करें। उत्तर प्रदेश के कई बड़े नगरों में हड़ताल भी हो चुकी है। मेरा अपना अनुमान तो यह है कि देर तकअगर ऐसा न किया गया तो देशव्यापी हड़ताल की स्थिति हो जाएगी, लोग विवश हो कर इस प्रकार से प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर देंगे। मेरी दूसरी बात यह है।

कृषि उत्पादों का मूल्य

तीसरी बात मैं किसानों के उत्पादन के बारे में कहना चाहता हूं। किसानों के उत्पादन के बारे में अपनी राय यह है कि जो कम से कम मूल्य नीति निर्धारित की जाती है, यह तो प्रारम्भिक होनी चाहिए। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं चीनी की बात कहना चाहता हूं। जैसे चीनी के लिए हमने भाव नियत कर दिया है। गन्ने का भाव ८.३५ पैसे प्रति क्विंटल होगा। हालांकि इसके ऊपर किसान का पड़ता नहीं बैठता, जितना किसान को लगाना पड़ता है।

लेकिन मुझे याद है तत्कालीन कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम जी ने लोक सभा में एक आश्वासन दिया था कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि किसानों का जो उत्पादन है उसके बाजार भाव के आधार पर मूल्य निर्धारित किए जायें। मान लीजिए आज गन्ने का भाव किसान को ८.३५ मिल रहा है, लेकिन जो चीनी मिल से बन कर बाजार में आती है और उसका मूल्य अधिक होता है, उसके अनुसार ही किसान को गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए। रु. ८.३५ पैसे उसको दे दिए जायें तब और उसके बाद जो बाजार भाव से उसकी लागत बैठती है वह बाद में दे दें। एकअनुपात तय कर लें जैसे श्री रफी अहमद किदवई ने तय किया था कि जितने रुपए मन चीनी उतने आने मन गन्ना। बड़ा सीधा साधा फार्मूला था। उसी आधार पर एक सिद्धांत तय कर लिया जाय। सिद्धांत तय करने के बाद जैसे गन्ने की बात है, कपास की बात है, मूंगफली की बात है और भी किसान के जो उत्पादन हैं, यानी जो मूल उत्पादक हैं, वह तो एक बार थोड़ा सा पैसा लेकर के रह जाये लेकिन जो बिचौलए हैं वह उसका बार-बार लाभ उठाते रहें और उसमें किसान का कोई भाग न हो। यह नीति कम से कम समझदार आर्थिक नीति नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर भी सरकार कुछ गम्भीरता के साथ विचार करे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है किसान के बारे में। मुझे बड़ी खुशी हुई जब वित्त मंत्री श्री एच. एम. पटेल के मुंह से यह सुना कि यह जो बजट आ रहा है उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से बल दिया जायेगा। यह जो विधेयक या बजट आ रहा है उसमें गांव की आर्थिक स्थिति सुधारने पर विशेष रूप से बल दिया जायेगा। उपसभाध्यक्ष जी, मेरा अपना अनुमान है कि आप भी मेरी तरह से गांव के रहने वाले हैं। आप एक मेरी बात की पुष्टि कीजिए किआज भारत की ८५ प्रतिशत जनता गांव में रहती है और १५ प्रतिशत जनता नगरों में। लेकिन क्या सरकार अधिकारपूर्वक इन तथ्यों को रख सकती है कि जितने विकास के कार्य हैं वह ८५ प्रतिशत गांवों में हो रहे हैं और १५ प्रतिशत शहरों में हो रहे हैं, जितनी शैक्षिक संस्थायें हैं वह ८५ प्रतिशत गांव में खोल रहे हैं और १५ प्रतिशत शहरों में या दूसरी जितनी सुविधायें हैं, उद्योगों की या और किसी चीज की वह ८५ प्रतिशत गांव में जा रही है

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और १५ प्रतिशत नगरों में जा रही है।

मैं अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में कहना चाहता हूं, मैंने जब गृह राज्य मंत्री श्री ओम मेहता थे उनसे अनुरोध किया था कि एक सर्वे कराया जाय और सर्वे यह कराया जाय, देखा जाय कि यह जितनी अखिल भारतीय सेवायें हैं; आई. ए. एस. हैं, आई. पी. एस. हैं, आई. एफ. एस. हैं, इंजीनियरिंग की हैं या स्वास्थ्य की हैं, इसमें एक आदमी अगर कलेक्टर हो गया तो आप समझ लीजिए किउसकी ४-५ पीढ़ियों तक कलेक्टर ही बनते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार से लोग बनते चले गए हैं।

हिन्दुस्तान की जितनी अखिल भारतीय सेवायें हैं इन पर ९२३ हिन्दुस्तान के गिने हुए परिवारों ने अधिकार कर रखा है, ९२३ परिवार इस पर छाये हुए हैं। कारण क्या है कि इनमें एक दूसरे में लिंक लगा हुआ है, एक दूसरे की श्रृंखला लगी रहती है। अगर उसका भतीजा बैठता है तो दूसरे से कहकर उत्तीर्ण कर देते हैं अगर उसका भांजा बैठता है तो वह उससे कहकर उत्तीर्ण कर देते हैं। इस तरह से गिने गिनाये ९२३ परिवार भारतवर्ष के हैं जिन्होंने भारतवर्ष की अखिल भारतीय सेवाओं पर अपना अधिकार कर रखा है।

अभी पीछे संघ लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा भारी बयान दिया कि हम गांव के लोगों को अधिक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं में ले रहे हैं। कहते क्या हैं कि अब हमारा प्रतिशत बढ़ करके १३ प्वाइंट कुछ हो गया है। यह संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है। वह कहते हैं कि अब हमारा प्रतिशत बढ़कर १३ प्वाइंट कुछ हो गया है। जिस देश का ८५ प्रतिशत आदमी गांव में रहता है उसका अनुमान अखिल भारतीय सेवाओं में १३ प्वाइंट कुछ हो। यह एक बहुत बड़ा चिन्ताजनक प्रश्न है जिसके ऊपर कि सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए। एक ओर तो सरकार यह कह रही है कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को गांव की ओर मोड़ रहे हैं और दूसरी ओर सरकार इस प्रकार की बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए तैयार नहीं है।

मैं कहता हूं कि अब जनता पार्टी की सरकार है, आप तो कम से कम इस बात को सोचिए। आप बताइये कभी उसमें १३ प्वाइंट कुछ किया था, लेकिन हमने ८५ प्वाइंट कुछ करके दिखा दिया। इस प्रकार की स्थिति, मैं समझता हूं कि देर तक क्षम्य नहीं हो सकेगी। होता क्या है कि एक परिवार के अन्दर अगर पांच सदस्य हैं तो पांचों के पांचों सरकारी नौकरियों के अंदर लगे हुए हैं और उसी गांव के अंदर सौ परिवार और रहते हैं परन्तु किसी परिवार का एक आदमी भी सरकारी नौकरी में नहीं है। अगर समाजवाद देश में लाना चाहते हैं या समाजवादी अर्थव्यवस्था को अगर आप मानें तो इतना कर लीजिए कि सरकारी नौकरियों में एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य लिया जाये। इस से एक के आधार पर ही ४ के मुंह में टुकड़ा तो पड़ सकता है, ४ के तन पर कपड़ा तो पड़ सकता है। लेकिन एक परिवार के तो सारे के सारे सदस्य सरकारी नौकरियों में हैं, उनकी लड़कियां भी सरकारी नौकरियों में हैं और बाकी जो परिवार हैं वह बेचारे महरूम हुए बैठे हैं। यह मैं समझता हूं कि कोई अच्छी आर्थिक नीति नहीं है।

अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो

इस तरह से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण नहीं कर सकेंगे। अपने देश की अर्थव्यवस्था को देहात की ओर नहीं ले जा सकेंगे। एकऔर बात मैं विशेष रूप से हरिजनों के सम्बन्ध में

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहना चाहता हूं। हमने यह किया उपसभापति जी, कि हरिजनों को जमीनें देने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि जितनी जमीनें उन बेचारों को मिलीं दो-चार सालों में, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनते ही उनकी जमीनें ही नहीं छिनी, उन पर खड़ी फसल भी छिन गई और लात मार कर उन को अलग कर दिया गया। उस का परिणाम यह हुआ कि इस बार विधान सभा के निर्वाचनों में भले ही उन्हें मतदान का अवसर न मिला हो, लेकिन हरिजनों के मन में रोष था। यह सोचते थे कि उनके दिन बदल रहे हैं, लेकिन वह बात नहीं हो पाई।

पहले भी मैं इस सदन में कई बार इस बात को कह चुका हूं और फिर इस अवसर का लाभ उठाकर कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष के अन्दर धरती सीमित है, इस धरती का कितना बंटवारा करेंगे और कितना बांटेंगे। धरती रबड़ तो है नहीं। फिर भी अगर धरती किसी के पास आवश्यकता से अधिक है तो जरूर ले लीजिए। जहां नहीं है, सीमित धरती है, वहां कैसे ले लीजिएगा। इससे हरिजनों को बराबर धरती बांटने की स्थिति नहीं आ पायेगी। मैंने पहले भी यह विकल्प रखा था और आज फिर रखता हूं कि सरकार अपनी ओर से ऐसा करे कि जिन हरिजनों को धरती नहीं दे पाई है उन को दुधारू पशु दे, भैंस दे। अगर एक परिवार को दो पशु मिल जायेंगे दस-बारह सेर दूध देने वाले तो उस परिवार की महिलाओं को रोजी मिल जायगी, घास काटेगीं, दाने का इन्तजाम करेगी। साथ-साथ एक दो किलो दूध बच्चों के पेट में डालेंगी, दस सेर दूध बेचेंगी। जो मिलेगा उससे अपने पशुओं को खिलायेगी, कुछ परिवार का निर्वाह कर सकेगी। इस में यह भी नहीं है कि किसी की धरती छिनी जाएगी। इसलिए सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पीछे राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक काम किया और वह यह कि राजस्थान के रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने के लिए, जैसा हमारी बहिन चूड़ावत कह रहीं थीं— शायद उस समय मोहन लाल सुखाड़िया की सरकार थी— कुछ विशेषज्ञ इज़राइल से बुलाए। इसलिए वह बुलाए कि इज़राइल पहले रेगिस्तान था, उन्होंने रेगिस्तान को हरा-भरा किया, अब यहां आ कर वे यह सुझाव दें कि किस तरह से राजस्थान को हरा भरा किया जा सकता है। उन्होंने यहां आ कर अध्ययन किया, लेकिन जब यहां के विशेषज्ञों के जाने का सवाल आया तो केन्द्रीय सरकार से अनुमति ली जानी थी। क्योंकि केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना वे विशेषज्ञ जा नहीं सकते थे। केन्द्रीय सरकार ने कहा कि उस देश के साथ हमारे राजनीतिक सम्बन्ध नहीं हैं, इसलिए वहां हिन्दुस्तान के विशेषज्ञ नहीं जा सकते।

मैं समझता हूं कि जो अरब देशों के सम्बन्ध में हमारी नीति है उस नीति के होते हुए हम राजनीतिक सम्बन्ध न रखें और किसी प्रकार के सम्बन्ध न रखें, लेकिन जहां तक देश के विकास का प्रश्न है, अगर कुछ विशेषज्ञ वहां की स्थिति का अध्ययन कर लें और देश का इतना बड़ा भाग राजस्थान जो सीमावर्ती भूभाग है, उसको किस प्रकार हरा-भरा किया जा सकता है, इस का ज्ञान प्राप्त कर लें तो इस के बीच राजनीतिक दौत्य संबंध या राजनीतिक सम्बन्ध बाधक नहीं होने चाहिए। वहां विशेषज्ञ जाएं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से वहां देखा है कि जिस थोड़े से पानी से हम पांच एकड़ की सिंचाई करते हैं, वे

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फौहारे से उतने पानी से दस एकड़ जमीन की सिंचाई कर लेते हैं। तो इस से पानी का भी सदुपयोग होगा, खेती भी अच्छी होगी। किसान अच्छी तरह जानता है कि —खेत में पौधों के ऊपर जो पानी पड़ता है उस से जितनी खेती बढ़ती है उतनी नीचे से पानी देने पर नहीं बढ़ती। लेकिन ऐसी योजनाओं को हम विकसित नहीं कर पाए। तो हमारी सरकार जब देश की अर्थव्यवस्था को गांवों की ओर ले जाना चाहती है तब मैं विशेष रूप से चाहूंगा कि इन समस्याओं पर भी गम्भीरता से विचार करें।

राजस्थान जैसा देश का इतना बड़ा भूभाग जिस की धरती हजारों वर्षों से प्यासी है, उसके लिए पानी की व्यवस्था की जाए। गंगा नगर में पानी आया, गंगा नगर सोना उगल रहा है। अगर सारे राजस्थान में पानी आ जाये तो अकेला राजस्थान हमारे सारे देश की अन्न की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। लेकिन हमने पिछले तीस वर्षों में इस ओर विचार ही नहीं किया ? यह दलगत प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्र के विकास की समस्याएं अविच्छिन्न और अविरल गति से चलती हैं, उन में किसी दल के सम्मान का प्रश्न नहीं आता। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए और राष्ट्र के विकास की ओर तत्पर रहना चाहिए।

शराब पर कर लगे

मेरा अपना अनुमान था और बहुत से सदस्यों का अनुमान था, शराब पर भी टैक्स लगेगा। जब हम एच. एम. पटेल के बजट भाषण को सुन रहे थे, उन्होंने बीड़ी के ऊपर टैक्स लगाया, उस बीड़ी के ऊपर टैक्स लगाया जो गरीब मजदूर सड़क के किनारे पत्थर कूटता रहता है और बीड़ी पीकर अपनी तृष्णा की पूर्ति कर लेता है, उस पर भी आप ने टैक्स लगाया— शराब पर लगाते तो शराबी के लिए शराब महंगी होगी। जिस देश का प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई जैसा व्यक्ति हो, उस देश के बजट में शराब पर टैक्स न बढ़े या उसकी चर्चा न हो, यह देख कर मैं आश्चर्यचकित रह गया। एक ओर तो गतवर्ष यह हुआ था कि २ अक्टूबर गांधी जयन्ती के दिन शराब के प्रसार को कम करने के लिए १२ सूत्री योजना दी गई। और इस वर्ष के बजट में शराब पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई।

मैं समझता रहा कि या तो मोरारजी भाई चूंकि राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में चले गये इसका लाभ हमारे वित्त मंत्री जी ने उठा लिया या फिर यह बजट मोरारजी भाई की निगाह में नहीं आया। यह बात ही इसका प्रमाण है कि इसमें सिगरेट और शराब को टैक्सेज से छूट मिल गई है। मैं तो समझता हूं कि शराब को भारतवर्ष में कम करने के लिए खत्म करने के लिए जो भी साधन अपनाये जा सकते हैं उनको अपनाया जाना चाहिये। केवल उस पर टैक्स लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रचार से लोगों के मस्तिष्क में यह बात जमानी चाहिये कि शराब कैसे उनके स्वास्थ्य को खराब करती है और इस नशे के माध्यम से हमारे देश के ऐसे ऐसे रहस्य प्रकट हुए हैं, या हो सकते हैं कि जिनसे हमारे राष्ट्र की अखंडता पर संकट आ सकता है। यह शराब का नशा ऐसा है कि इससे देश को जितना मुक्त किया जा सके उतना ही अच्छा है। लेकिन आज शराब गांधी जी के देश में बढ़ती चली जा रही है। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार अगर यह समझें कि उससे इतना पैसा आ रहा है तो हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। यदि शराब से ही पैसा आता है तो यह देश गांधी जी का देश नहीं कहला सकता। गांधी जी की आत्मा कम से कम इस प्रवृत्ति से खुश नहीं होगी और इसलिए हमारे वित्त मंत्री जी को इस बात पर गम्भीरता से सोचना

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चाहिये।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारें

दो तीन बातें कह कर मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि भारतवर्ष की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ इकाइयां आप को मुकर्रर करनी चाहिये। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर मुझ से पूछा जाय तो जो विकास खंड या ब्लाक हैं यह सबसे छोटी इकाई हो सकती है, जिनसे हजार पांच सौ गांव लगे रहते हैं। इस हिसाब से एक ब्लाक में एक इन्टर कालेज जरूर होना चाहिये। एक ब्लाक जहां हो वहां २५० बेड का एक अस्पताल जरूर होना चाहिए। एक ब्लाक जहां हो वहां डाकखाने की सुविधा जनता को हो, टेलीफोन की सुविधा हो। उसको आप विकास की एक इकाई मान कर चलिये। अगर इस दृष्टि से आप चलेंगे तो ग्रामों की जो अर्थ व्यवस्था है वह सुधरेगी और वहां के लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार आ सकता है। मैंने ऐसे-ऐसे ब्लाक भी देखें हैं कि जहां जाने के लिए सड़कें नहीं, एक भी हाई स्कूल नहीं है। अस्पताल हर ब्लाक के साथ होता है, यह वह प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैं, वहां के लोग अपने भाग्य से ही जीते हैं और अपने भाग्य से ही मरते हैं, तो जब हम अपने देश के आर्थिक विकास का ग्रामीणीकरण करने जा रहे हैं और ग्रामों पर जोर देना चाहते हैं तो हमको ब्लाक को इकाई मान कर इस विकास को एक नयी दिशा देनी चाहिये।

प्रवासी भारतीयों से सम्बन्ध

एक बात और कहना चाहता हूं प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में। यह हमारे देश के ऐसे भाई हैं कि जो आज दूसरे देशों में रह रहे हैं और जिनकी संख्या उन देशों में ५० प्रतिशत से भी ज्यादा है। कम से कम पांच ऐसे देश हैं फिजी, मारिशस, गुआना, सूरिनाम और ट्रिनिडाड किजहां हम भारतवंशी लोगों की संख्या ५० प्रतिशत से अधिक है। मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है कि वहां के निवासियों में भारतवर्ष के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा है कि जैसी किसी तीर्थस्थान के प्रति होती है। यहां से जब कोई व्यक्ति वहां जाता है तो वे उसे बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं। प्रवासी देशों के लोग अपने बच्चों को इंजीनियर और डाक्टर बनाने के लिए अमरीका और कनाडा नहीं भेजना चाहते हैं। वह अपने बच्चों को भारतवर्ष भेजना चाहते हैं, जिनको वह डाक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसका कारण क्या है?

इसका कारण यह है कि उनके मन में जो भारत के प्रति अनुराग और मोह की भावना है, वह चाहते हैं कि उनकी अगली संतति के मन से वह हटनी नहीं चाहिये और इसलिये वे यदि अपने बच्चों को डाक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वे उनको भारतवर्ष ही भेजना चाहते हैं उन के पास पैसा है, वे चाहें तो उनको अमरीका या जर्मनी कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी वह उनको यहां भेजना चाहते हैं, उस भावना के कारण। लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों में उनके लिए इतने स्थान नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर एक जिम्मेदार केन्द्रीय मंत्री बैठे हुए हैं—वह इन समस्याओं के साथ परिचित होंगे—प्रवासी भारतीयों का प्रश्न एक गम्भीर प्रश्न है। इसको सामान्य प्रश्न समझकर ही न छोड़ दिया जाये। आज चाहे उनकी तीन चार पीढ़ियां निकल गयी हैं, लेकिन आज भी भारत वर्ष के

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रति उनमें कितना अनुराग है, यह सामने दिखायी पड़ता है। जिस समय १९६५ में आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान का संघर्ष हुआ था तो एक व्यक्ति ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में मलेशिया का प्रतिनिधि बैठा हुआ था, वह एक व्यक्ति ही ऐसा था, जिसने भारतवर्ष के केस का समर्थन किया था। यह पांच देश इस प्रकार के हैं कि जिनके साथ हमारा तादात्म्य है, हमारे खून का रिश्ता है, हमारा संस्कृति का रिश्ता है, इसको हमें बढ़ाना चाहिये। इसमें कमी नहीं आनी चाहिये।

इन सुझावों को देने के बाद एक बात कह कर मैं बैठता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से हम बराबर इस प्रकार के भाषण सुनते हैं कि ३० साल में यह हो गया है वह हो गया है। इन्दिरा गांधी ने यह किया वह किया। अब तो लोक सभा बन गयी है। विधान सभाओं के चुनाव भी हो गये हैं। अब थोड़ा इन बातों को.छोड़िये और कुछ निर्माण का अध्याय शुरू कीजिये। कमीशन आफ इंक्वायरी बहुत बने, अब आप कुछ रचनात्मक काम करिये और कुछ रचनात्मक काम करके जनता के हृदय में स्थान बनाइये। ऐसे काम करिये कि जिन पर आगे चल कर आप को भी सन्तोष हो सके अन्यथा इन तमाम भाषणों की छीछालेदर करने से और गाली गलौज करके दोनों सदनों का तमाम समय नष्ट करना समझदारी की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जो मैंने अपने हृदय की बात आपके सामने रखी है उस पर आप गम्भीरतापूर्वक सोचेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अणुबम का निर्माण आवश्यक

चीन द्वारा अणुबम विस्फोट करने पर देश में यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि भारत भी अणुबम बनाएं। शास्त्री जी ने विश्रामप्रसाद, श्री जगदेव सिहानी तथा कुछ अन्य सदस्यों के साथ प्रधान मंत्री से २३ नवम्बर ६४ को पूछा कि अब परिस्थिति बदल गई है तब क्या भारत परमाणु बम बनाने पर विचार करेगा। सदस्यों ने कहा कि हमारे अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष ने कहा भी है कि भारत १८ महीनों में अणुबम बना सकता है।

परन्तु प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमने जो निर्णय लिया है या नीति बनाई है उसके अनुसार हम अणुबम नहीं बनायंगे। हमने जो अणुशक्ति आयोग बनाया है, वह अणुशक्ति को शांतिकालीन प्रयोग के. सुझाव देगा। यह पूछने पर कि यदि चीन ने हम पर हमला किया तो भारत के लिए संकट पैदा नहीं होगा। परन्तु बाद में सरकार की नीति में इस बारे में परिवर्तन हुआ और १९७१ में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं, पोखरण में पहला अणु विस्फोट किया गया गया। उसके बाद १९९८ में पोखरण में ही अटल जी जब प्रधान मंत्री थे एक-एक करके तीन विस्फोट किए गए। आज भारत को गर्व है कि वह अणुशक्ति राष्ट्र है।

२७ नवम्बर १९६४ को भी शास्त्री ने अणुबम बनाने के प्रस्ताव को बड़ी सुन्दरता और तार्किक रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर पर हमला होने पर गांधी जी ने लाहौर और कराची पर हमला करने की सलाह दी थी तब गांधी जी के नाम पर, शक्ति के नाम पर, अणुबम न बनाने की बात कहना अपने ही मृत्युदण्ड पर स्वयं हस्ताक्षर करने जैसा है।

अणुबम बनाने के कट्टर समर्थक

शास्त्री जी वीर भोग्या वसुन्धरा की उक्ति केअनुसार इस बात के कट्टर समर्थक थे कि भारत को अणुबम बनाना चाहिए। इस सम्बन्ध में २७ नवम्बर १९६४ को लोकसभा में जब यह प्रस्ताव रखा गया कि भारत अणुबम बनाए तब सामान्य विचार धारा के अनुसार कांग्रेसी समर्थकों ने महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध एवं महावीर का नाम लेकर इस प्रस्ताव का विरोध किया। परन्तु शास्त्री जी ने अपने सशक्त भाषण में गांधी जी का ही हवाला देकर कहा कि यदि भारत अपनी सुरक्षा चाहता है तो उसे यथाशीघ्र अणुबम्ब बनाना चाहिए। शास्त्री जी ने भाषण के कुछ अंश इस प्रकार हैं।

सभानेत्री महोदया, मैं अणुबम बनाने के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करने के साथ-साथ मैं अपने मित्र श्री खाडिलकर से और अणु शस्त्र न बनाने की घोषणा करने वाली सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब हम यह कहते हैं कि अणु शस्त्र का निर्माण शांति के नाम पर हम नहीं करेंगे तो क्या दूसरे अर्थों में यह भी हम घोषणा करते हैं कि जिस देश ने पौने नौ सौ वर्ष की लम्बी दासता के बाद स्वतंन्त्रता प्राप्त की है वह सतरह वर्ष के बाद ही अपनी आत्म हत्या के दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर कर दे ? आज जब कि सब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए शक्ति संग्रह कर रहे हैं, ऐसी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्थिति में अणु शस्त्रों की होड़ में भारतवर्ष का पिछड़ना या भारतवर्ष का पीछे रहना, एक इस प्रकार के मार्ग का निर्माण है जिस को अगली पीढ़ियां क्षमा नहीं कर सकेंगी।

इस सम्बंध में मैं विशेष रूप से दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अभी कुछ दिन पहले गुंटूर में जो अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन हुआ, वहां उस मंच से अणु शस्त्र न बनाने के सम्बन्ध में गांधी जी का हवाला दिया था, जैसे अभी खाडिलकर साहब नेहरू जयंती का हवाला दे रहे हैं। उस समय शास्त्री जी ने गांधी जी के चित्र को दिखाते हुए कहा था कि इस तस्वीर के नीचे बैठ करके इस अणु बम बनाने केसम्बंध में निश्चय करें ऐसी गद्दारी क्या गांधी जी की छत्रछाया में बैठ कर हम कर सकते हैं ? पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी दुर्बलताओं को गांधी और नेहरू की आड़ में आ कर क्यों छिपाना चाहती है। गांधी जी ने कभी अपनी अहिंसा की व्याख्या यह नहीं की कि मेरी अंहिसा किसी को कायर बनाना सिखाती है। गांधी जी ने १९४२ में अपनी अहिंसा की परिभाषा बदल दी थी जब "डू ऑर डाई" करो या मरो" का नारा गांधी जी ने लगाया था। गांधी जी की अहिंसा उस वक्त ही बदल गई जिस समय काश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया और गांधी जी ने फौजों को आशीर्वाद दे कर वहां भेजा। यहां एक बात और विशेष रूप में मैं गांधी जी की चर्चा के प्रसंग में कहना चाहता हूं। अंग्रेजी की एक पुस्तक है, जिसका नाम है "नाउ इट कैन बी टोल्ड"। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर ए. एन. बाली। इसमें उन्होंने गांधी जी के जीवन से सम्बंधित एक घटना का उल्लेख किया है। जब काश्मीर पर पाकिस्तान का हमला हुआ तो नेहरू जी गांधी जी के पास गए और उन से पूछा कि बापू अब हम क्या करें तो गांधी जी ने कहा किउनका मुकाबला करने के लिए तुम फौज भेजो। इस पर नेहरू जी ने कहा कि हम फौजें तो भेज देंगे। लेकिन आप इस पर अनशन आदि तो नहीं करना शुरू कर देंगे। गांधी जी ने कहा कि नहीं फौंजे भेजनी चाहिए। जब नेहरू जी इस प्रकार गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके लौट रहे थे तो प्रोफेसर बाली ने लिखा है कि, जब वह दरवाजे तक आ गए तो गांधी जी ने फिर उनको बुलाया और कहा कि 'सुनो, मेरी अपनी राय तो यह है कि जब हमें पाकिस्तान की सेनाओं का मुकाबला करने के लिए अपनी सेनाएं भेजनी ही हैं, तो बजाय इसके कि उनको काश्मीर की पहाड़ियों में जा कर कटवाया जाए, क्यों न उनको लाहौर के रास्ते कराची भेजा जाए ?' इस घटना को पढ़ कर मैं अवाक रह गया कि गांधी जी जैसा अहिंसावादी इस प्रकार का परामर्श कैसे दे सकता था। मैंने पंडित जी को वह पुस्तक दिखायी और उनसे पूछा कि यह घटना कहां तक सत्य है, तो पंडित जी उस को पढ़ कर हंसे और उन्होंने कहा कि यह बात कैसे पता लग गयी। तो मैंने कहा कि इतिहासज्ञ तो पाताल से भी सत्य की खोज कर ले आते हैं।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो गांधी जी काश्मीर में फौजें भेजने के विचार को आशीर्वाद दे सकते थे, जो गांधी जी पूर्वी पाकिस्तान के नर संहारों से विवश हो कर हिन्दुस्तान की सरकार को पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेज कर हिन्दुओं की रक्षा करने का परामर्श दे सकते हैं, उस गांधी की आड़ में क्यों हमारी सरकार अपनी दुर्बलता को छिपाना चाहती है और कहती है कि गांधी जी के भारत में अणु बम नहीं बनाना चाहिए। गांधी जी ने कभी यह नहीं कहा कि देश शक्तिहीन हो कर आत्म हत्या कर ले। अगर सरकार गांधी जी के नाम से अणुबम न बनाने की घोषणा करती है तो फिर क्यों चह्वाण साहब यह घोषणा करते हैं कि हम अपनी सेना बढ़ा रहे हैं, हमं माउनटेन डिवीजन बना रहे हैं। फिर तो यह होना चाहिए कि गांधी जी की अहिंसा का नाम लेकर भारत के प्रधान मंत्री पीकिंग में जा कर चाऊ एन लाई के दरवाजे पर आसन जमा कर अनशन प्रारम्भ कर दें और उनका हृदय परिवर्तन करने का यत्न करें। मेरा

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहना है कि गांधी जी के नाम पर ऐसी बातें करना देश के लिए खतरनाक है।

दूसरे अणु शक्ति विभाग के बारे में मुझे शिकायत है। आज से साल डेढ़ साल पहले प्रधान मंत्री जी श्री जवाहर लाल नेहरू ने इसी सदन में यह घोषणा की भी कि अणुशक्ति के विकास के सम्बंध में चीन भारत से दस साल पीछे है। आप इस का पिछला रिकार्ड उठाकर देख सकते हैं। मैं श्री हाथी जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की जानकारी पंडित जी को किसने दी, जिसके आधार पर उन्होंने इस सदन में यह घोषणा कर दी कि अणु शक्ति के विकास के सम्बंध में भारत से चीन दस साल पीछे है। मेरा अणुशक्ति विभाग पर आरोप है कि उसने पंडित जी को सच्ची जानकारी नहीं दी। इसी सम्बंध में मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब रूस और अमरीका ने अणुबमों के विस्फोट किए तो इसकी जानकारी पहले सरकार को भारतीय वैज्ञानिकों ने दी, अणुशक्ति विभाग को इसका पता ही नहीं चल पाया। इसका मुख्य कारण मेरी राय में यह है कि इस विभाग का सारा काम एक व्यक्ति के हाथ में है, वही इसका स्थायी अध्यक्ष है और वही इसका स्थायी सेक्रटरी है। क्यों नहीं भारत सरकार अणुशक्ति के विकास के लिए वैज्ञानिकों का एक बोर्ड बनाती जो आपस में बैठ कर विचार करे कि भारत अणुशक्ति के विकास की दिशा में कितना आगे जा सकता है। आज जो परिस्थिति है उसका परिणाम यह है कि आज भारत संसार की शक्ति की होड़ में पिछड़ता चला जा रहा है।

शांति की अपील करना बहुत अच्छी बात है। हम अपनी तटस्थता की घोषणा करें कि हम तटस्थ हैं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तटस्थ शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में तट कहते हैं किनारे को और तटस्थ का अर्थ है वह जो किनारे पर बैठा हो। अगर एक घास का सूखा तिनका जमुना के किनारे बैठा है और कहता है कि मैं तटस्थ हूं, मेरा जमुना के प्रवाह से कोई अभिप्राय नहीं है, तो उसकी तटस्थता तभी तक की है जब तक कि जमुना में बाढ़ नहीं आती, बाढ़ आते ही उसकी तटस्थता बहती चली जाएगी। हां अगर हिमालय की चट्टान कहे कि मैं तटस्थ हूं तो उसकी तटस्थता का कुछ अर्थ हो सकता है। इसी बात को महाकवि श्री दिनकर ने अपनी कविता की भाषा में इस प्रकार कहा है कि "क्षमा सोहती उस भुजंग को जिस के पास गरल है।" जिस सांप के पास विष की पोटली सुरक्षित है उसके क्षमादान का कुछ अर्थ हो सकता है। हम शक्तिशाली हो कर ही दुनिया में शान्ति स्थापित कर सकते हैं, दुर्बल की शांति को दुनिया नहीं समझती।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम एटम बम न बनाने की घोषणा करते हैं तो हमें दूसरे प्रकार के आणविक हथियार बनाने से कौन रोकता है? हम ऐटमिक राइफिल या दूसरे हथियार बना सकते हैं, इस दिशा में हम प्रगति क्यों नहीं करते?

इस सम्बंध में यह भी कह दिया जाता है कि हम इस विषय में घोषणा कर चुके हैं। वह घोषणा तो हमने उस समय की थी जब शत्रु राज्य ने अणुबम का निर्माण नहीं किया था। अब चीन ने अणुबम का विस्फोट कर दिया है तो नई परिस्थिति पैदा हो गयी है। इस नई परिस्थिति की छाया में बैठ कर हमें अपनी घोषणा के सम्बंध में फिर से विचार करना चाहिए। फिर से नया निर्णय लेना चाहिए।

हमें इस बात का भय दिखाया जाता है कि अगर हम ने अणुबम बनाने का प्रयास किया तो हिन्दुस्तान का सारा बजट उसमें फंस जाएगा। और हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाएगी। एक चीज इस सम्बन्ध में जो डा. भाभा ने कही उसके सम्बंध में एक माननीय सदस्य ने उन पर आरोप भी लगाया। मैं आज उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहना चाहता हूं जिसका श्री माथुर ने भी स्पष्टीकरण दिया था। जब अणुशक्ति के विकास के सम्बंध में सयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा सम्मेलन हुआ था तो उसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ने कहा था कि दस किलो टन का एटम बम बनाने में साढ़े १७ लाख रुपया खर्च

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होगा और दो मैगाटन का बम बनाने में तीस लाख रुपया खर्च होगा। यह डा. भाभा की सम्मति नहीं है। कहा जाता है कि अमरीका हमसे अणु विकास में बहुत आगे है, इसलिए उसका खर्च कम आता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस बम केलिए आवश्यक कच्चे सामान जैसे यूरेनियम आदि हमारे पास काफी हैं, इसलिए हमारा भी तो खर्चा कम हो सकता है। इस प्रकार अर्थ की बात यह कह कर इस को नहीं टाला जाना चाहिए।

मैं यह और कहना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि दुनिया में शांति रहे, दुनिया में शांति रहे। इस सम्बंध में मुझे एक उदाहरण याद आ गया। पंचतंत्र में पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है कि एक विशेष पक्षी होता है जो रात को अपने पैर ऊपर करके सोता है। उससे किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि यदि रात को आकाश गिर पड़े तो उससे मनुष्य जाति की रक्षा करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, आसमान मेरे पैरों पर रुक जाएगा और मनुष्य बच जायेंगे। इसी प्रकार की हमारी यह घोषणा है। मैं कहता हूं कि इस प्रकार की घोषणाएं करके अपनी दुर्बलता को मत छिपाइये और इस देश के भाग्य पर कृपा करके अणुबम बनाइए और इस देश को बचाइए।

९ मई १९६६ को जब चीन ने तीसरा अणु विस्फोट किया तव शास्त्री जी ने पुनः लोक सभा में भारत द्वारा अणु बम बनाने की जोरदार अपील की। शक्ति ही सुरक्षा की गारंटी है इस बात को जानते हुए भी भारत सरकार ने अणुबम की संहारक लीला से भयभीत एक तरफा रूप से यह घोषणा कर दी कि भारत अणुबम नहीं बनायेगा। १९६२ में चीन से पिटने के बाद जनसंघ ने अणुबम बनाने की बात उठाई थी। तब कहा गया था कि अणु शक्ति के विकास में चीन भारत से १० वर्ष पीछे है।

परन्तु जब ९ मई १९६६ को वह समाचार आया कि चीन ने जो तीसरा अणु बम विस्फोट किया है वह उदजन बम है। तब भारत में भी कुछ हलचल शुरू हुई और भारत द्वारा भी अणु बम बनाने की मांग उठी। परन्तु विदेशमंत्री श्री स्वर्णसिंह ने फिर वही शान्ति की और निःशस्त्रीकरण की बात दोहराई और यह संकेत दिया कि अणु शक्ति देश वाले देशों को गैर अणु शक्ति वाले देशों को उन पर इसका प्रयोग न करने के लिए आश्वासन देना चाहिए।

इस बारे में हुई बहस में शास्त्री जी ने कहा कि आज की दुनिया में अणु बम विनाश का शस्त्र न होकर, शान्ति का देवता बन गया है। जिसके पास अणुबम होगा, उसकी शान्ति सुरक्षित रहेगी। यह कोई आवश्यक नहीं है कि अणु बम का निर्माण करने के बाद हम कल ही अणु बम या अणु युद्ध में प्रवेश करेंगे। अपनी शान्ति को बनाये रखने के लिए या अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिये हर उपाय से देश को तैयार रहना चाहिये। इसी आधार पर अब से कुछ समय पूर्व भारत सरकार से जब यह आग्रह किया गया था कि हमारे पड़ौसी राष्ट्र हमारी स्वतन्त्रता को छीनने के लिये हर सम्भव उपाय काम में ला रहे हैं तो भारत सरकार की ओर से यह उत्तर दिया गया था कि चीन अणु युग में अभी हम से १० वर्ष पीछे है, लेकिन अब यह बात सिद्ध हो गई है कि भारत सरकार की युक्ति के पीछे तथ्य नहीं था, दुरभिमान था। आज भी वह बात उसी तरह से प्रकट हो रही है, जिस प्रकार के दुरभिमान भरे शब्द सरकारी बेंचों से सुनने को मिल रहे हैं।

कल जिस अस्त्र का प्रयोग चीन द्वारा किया गया है, क्या भारत सरकार यह कह सकेगी कि इस हाईड्रोजन बम के प्रयोग की या विस्फोट की सूचना अब से पहले हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा इसको मिली या दूसरे देशों के वैज्ञानिकों से मिली। यदि दूसरे देशों के माध्यम से मिली तो हम जो अपने अणु प्रतिष्ठानों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, इससे लाभ क्या है ?

श्री स्वर्णसिंह ने उत्तर में कहा कि इस जानकारी का सम्बन्ध वैज्ञानिकों से नहीं गुप्तचर विभाग से है।□

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्यों की समस्याएं

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

असम में पाकिस्तानी घुसपैठ

असम में घुसपैठियों को निकालने के बारे में उठाये गए मुद्दे पर एवं सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में मुजफ्फर हुसैन और एक अन्य कांग्रेसी मुस्लिम सदस्य ने मुसलमानों को वेदखल करने व नौकरियां देने में भेदभाव का आरोप लगाया था। अध्यक्ष ने मुजफ्फर हुसैन का संघ लोक सेवा आयोग के विरुद्ध आरोप लगाने पर आपत्ति करते हुए, उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। मुजफ्फर हुसैन का भाषण एकदम घोर साम्प्रदायिक था। शास्त्री जी ने अन्य बातों के साथ मुजफ्फर हुसैन को भी करारा जवाब दिया।

अध्यक्ष महोदय, आज के इस नाजुक वक्त में हमारे दोस्त मुज़फ्फर हुसैन साहब ने जो चर्चा की है यह वक्त को देखते हुए गैर-मौजूं है। ऐसे वक्त में जब कि हिन्दुस्तान की हुकूमत मंहगी से मंहगी कीमत दे कर भी पाकिस्तान के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहती है, यह चर्चा छेड़ना खास तौर से जब कि यहां की हुकूमत अच्छे से अच्छा सलूक उन लोगों के साथ कर रही हो जिन को उन्होंने अपने अल्फाज़ में साढ़े ६ करोड़ के करीब बताया है, ठीक नहीं था। ऐसा करना हिन्दुस्तान की हुकूमत के साथ ही अन्याय करना नहीं है बल्कि इस देश के बहुमत के साथ भी अन्याय करना है।

असम में सात लाख पाकिस्तानी

मेरे लायक दोस्त ने इस बात की चर्चा भी की कि जो लोग पाकिस्तान से आये हैं और आसाम में बस गए हैं, उन को वहां से हटाया जा रहा है। इस के लिए उन्होंने यह शक जाहिर किया कि यह देख लिया जाय कि जो लोग वहां हैं यह वहीं के रहने वाले तो नहीं हैं? और अगर वे वहां रहने वाले हैं तो उन को घर से बेघर न किया जाय। कल कांग्रेस के भी एक मेम्बर ने यह कहा था कि अगर वे लोग यहां के रहने वाले हैं तो उन को हटाना न सिर्फ हुकूमत को इन्सान की निगाह में गुनहगार बनायेगा बल्कि खुदा की निगाह में भी गुनहगार होगी।

मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि हुकूमते हिन्दुस्तान ने अभी तक तो इस मामले में यही बताया कि ढाई तीन लाख लोग पाकिस्तान से आकर आसाम में बसे हैं, जबकि उनकी तादाद सात लाख के करीब है। हिन्दुस्तान की हुकूमत का यह भी कहना है कि उन में से केवल १२ हजार आदमी ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से आसाम को छोड़ कर वापस पाकिस्तान चले गये। जो बाकी कोई पौने तीन लाख से अधिक लोग रह गए हैं हिन्दुस्तान की हुकूमत उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रही, वह सोच रही है कि शायद वे अपनी मर्जी से ही वापस चले जायें। ऐसे वक्त में हिन्दुस्तान की हुकूमत की आलोचना करना ऐसे गलत आधार पर, न केवल हुकूमत के साथ अन्याय है बल्कि इस सारे देश के साथ भी बड़ा अन्याय है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं गृह मंत्री पर एक दूसरा आरोप लगाना चाहता हूं और वह यह है कि आप ने इस रिपोर्ट में बताया है कि पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में करीब ५०,००० व्यक्ति आये और ३००,००० के करीब असम में पाकिस्तान से लोग आये। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल में ४५,६४३ आदमी पाकिस्तान से आकर बसे हैं। यह आप के ही जिम्मेदार आंकड़े हैं। जिन को कि आप ने इस रिपोर्ट में छापा है। लेकिन इसी के साथ-साथ इस में आपने यह भी लिखा है कि कुछ लोग ऐसे थे जोकि दूसरे देशों से आये और हिन्दुस्तान में आकर रहे। विदेशों से आकर जो लोग हिन्दुस्तान में बसे ३० सितम्बर, १९६२ तक, ऐसे लोगों की तादाद ४,२९०६८ है। मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह सोमवार को अपना जवाब देते वक्त बतलायें कि जिन ४,२९.०६८ आदमियों को आप ने हिन्दुस्तान का शहरी करार दिया है उन में पाकिस्तानी लोगों की तादाद कितनी है ?

भेदभाव का आरोप मिथ्या

श्री मुज़फ्फर हुसैन ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि हिन्दुस्तान की सर्विसेज में मुसलमानों को स्थान प्राप्त नहीं है। मैं इस बारे में बहुत विस्तार के साथ तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मोटे आंकड़े रख कर यह बतलाना जरूर चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में तो उप-राष्ट्रपति और गवर्नर मुसलमान हैं। हमारे राजदूतावासों में १२ उच्च कर्मचारी मुसलमान हैं। केन्द्रीय सरकार के ६ मिनिस्टर्स मुसलमान हैं। राज्य सरकारों के २८ मिनिस्टर्स मुसलमान हैं। हाईकोर्टस के १० जज मुसलमान हैं और जो अपना उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उस में भी १ जज मुसलमान है ....

[एक माननीय सदस्य : एक नहीं बल्कि दो मुसलमान जज हैं।]

मेरे एक मित्र ने मेरी भूल सुधारी है। सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि दो जज मुसलमान हैं। इसी तरह से जो अपना यूनियन पब्लिक सरविस कमीशन है उस में एक मेम्बर मुसलमान है। प्रांतों के जो पब्लिक सर्विस कमीसंस हैं उन में भी ८ मुसलमान मेम्बर्स हैं। इतना होने के बाद भी अगर वह हिन्दुस्तान की हुकूमत की नीयत पर शक करते हैं और हिन्दुस्तान की हुकूमत पर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक अन्याय है। मैं तो चाहूंगा कि गृह-मंत्री जी परसों अपना उत्तर देते हुए इस बात का अवश्य जवाब दें कि असम में जो पाकिस्तानी आकर बसे हैं, कहीं असम राज्य की सरकारी मशीनरी में तो कुछ इस तरह के दिमाग काम नहीं कर रहे हैं जो वहां-ज़िम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से ७,००,००० के करीब यह पाकिस्तानी आ कर बस गये।

यह बात ऐसे वक्त में और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है जब कि हमारी असम की सरहद पर चीन की विशाल सेनायें आकर खड़ी हुई हैं और कल को उधर से तो चीन का आक्रमण हो और इधर पाकिस्तान की नीयत जिस तरीके से धीरे-धीरे बदल रही है उस की भी शरारत शुरू हो जाय तो उस वक्त हिन्दुस्तान की अन्दरूनी हिफाजत की क्या हालत होगी ? मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के लिये बहुत चिन्ता की चीज है। मेरे लायक दोस्त को इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले हिन्दुस्तान की हुकूमत का रवैया जरूर देख लेना चाहिये था। एक दूसरे विषय के सम्बन्ध में भी मैं अपनी सरकार से कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मंत्रियों पर खर्च वृद्धि

हुकूमत देश से तो यह चाहती है कि देशवासी त्याग और बलिदान करें। देश के इस विपत्ति काल में जनता जितना अधिक से अधिक त्याग हो सकता है, वह करे। लेकिन गृह मंत्री जी, त्याग कराया था राणा प्रताप ने, जिस ने राजस्थान की रक्षा के लिए पहले अपना सब कुछ त्याग दिया और तब फिर यह घोषणा भी की कि मैं जब तक राजस्थान के गौरव की रक्षा नहीं कर लूंगा तब तक पलंग पर सोऊंगा नहीं, महलों के अंदर रहूंगा नहीं, थाल में भोजन नहीं करूंगा, पत्तल पर भोजन करूंगा। इस तरह से राणा ने त्याग और बलिदान का यह आदर्श उपस्थित किया। नतीजा इस का यह हुआ कि भामाशाह जैसा व्यक्ति उन को मिला, जिस ने कि अपनी सारी सम्पत्ति उन्हें दे दी। लेकिन इस के विपरीत आज अपनी सरकार और शासक वर्ग की क्या स्थिति है ?

सरकार देश से तो त्याग कराना चाहती है लेकिन उस की अपनी स्वयं की स्थिति क्या है ? होम मिनिस्टरी की जो टी. ए. डी. ए. की ५१ नम्बर की डिमांड है उस को देखने पर मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सरकार का खर्चा निरन्तर उसी गति से बढ़ता जा रहा है जैसा कि सुना है सुरसा का मुंह बढ़ता गया था। सन् १९५४-५५ में टी. ए., डी. ए. पर ४ लाख ७१ हजार खर्च हुआ। सन् १९५६-५७ में ८ लाख २१ हजार रुपया खर्च हुआ। सन् १९६०-६१ में ९ लाख ५८ हजार रुपया खर्च हुआ। १९६१.६३ के बजट में पहले ८ लाख रुपये रक्खे गये लेकिन रिवाइज्ड बजट में उस को भी ९ लाख रुपये किया गया। इसी तरह से सन् १९६३-६४ के बजट में भी अब आप ने ९ लाख रुपये रक्खे हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि जैसे आप हमेशा बाद में रिवाइज़ कर लिया करते हैं यह भी रिवाइज्ड हो कर १० लाख रुपये तक जरूर पहुंच जायेगा।

इस प्रकार से सरकार का खर्चा बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे पास कुछ विस्तृत आंकड़े भी हैं जिन में एक-एक मिनिस्टर का टी. ए.डी. ए. का ब्यौरा दिया हुआ है। हम देखते हैं कि कहीं कहीं तो उनका टी. ए. डी. ए. का टोटल बिल उनके वेतन से लगभग दुगुना पहुंच गया है। मैं एक, एक मिनिस्टर का हिसाब नाम ले कर तो नहीं बता सकूंगा लेकिन सरकार से यह अवश्य कहना चाहूंगा कि वह इस विषय में अवश्य आदर्श उपस्थित करें। जहां यह सरकार और उनके मिनिस्टर्स देश की जनता से त्याग करने की अपेक्षा करते हैं वहां स्वयं भी कुछ नमूना बनें। मिनिस्टर्स को जो सम्पचुअरी एलाउंस मिलता है या आतिथ्य भत्ता मिलता है वह सन् १९६१-६२ में ८३ हजार २६२ रुपये था, पर सन १९६२-६३ में यह बढ़ कर १ लाख ७५ हज़ार रुपये हुआ और सन ६३-६४ के बजट में इस मद में १ लाख ११ हज़ार ४०० रुपये रक्खे गये हैं। अब नहीं कहा जा सकता कि रिवाइज़्ड हो कर उसमें भी कितना बैठेगा।

वृहदाकार मंत्रिमंडल

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को भी आप कहने की आज्ञा दीजिये कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा है और इसी को ले कर सारे देश में चर्चा हो रही है कि कैबिनेट बहुत बड़ी है, क्या ही अच्छा हो कि केन्द्रीय सरकार अपने मंत्रिमंडल के आकार को छोटा करे और पंजाब की तरह वह भी एक आदर्श उपस्थित करे ताकि दूसरे प्रान्तों में भी इसी तरह के आदर्श मंत्रिमंडल बनाये जायें। कैबिनेट की

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तनख्वाह सन् ६२-६३ में जहां ३ लाख २४ हजार रुपये थी वह अब नये बजट में बढ़ा कर सन् ६३-६४ के लिए ४ लाख ८६ हज़ार रखी गयी है। १ लाख ६२ हजार की वृद्धि हो गई। क्या और मिनिस्टर्स को बढ़ाने की तैयारी है ? सरकार की इस के पीछे क्या मंशा है, जनता को इस का थोड़ा परिचय तो दे कि यह वृद्धि क्यों करनी पड़ी है।

दूसरी एक बड़ी बात यह है कि यहां हमेशा भ्रष्टाचार आदि की भी काफी चर्चायें हुई हैं। गृह मंत्री जी, हमारे देश का जो संविधान बना है वह इंगलैंड आदि के विधान का अधिकांश अनुकरण कर के बना है। चंद दिन पहले इंगलैंड के एक उपमंत्री ने केवल इसलिए त्याग पत्र दिया कि उस ने अनजाने में अपनी कार एक ऐसे विद्यार्थी को ड्राइव करने के लिए दे दी थी जिस का लाइसेंस पहले छीना जा चुका था। पता लगने के बाद उस ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया यह कह कर कि यह मेरा दोष था, भले ही मैं उसकी जानकारी न रखता होऊं। इस तरह का आदर्श कम से कम यहां भी तो कुछ व्यक्तियों को अवश्य उपस्थित करना चाहिए जिससे कि देश को विश्वास हो कि इस तरह के दो-चार व्यक्ति यहां भी हैं।

अंग्रेजी का सौतिया डाह

हिन्दी के साथ अंग्रेजी को सन् ६५ के बाद भी जो यह भाषा या सखी भाषा बनाये रखने का जहां तक सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय , मेरा अपना विचार उस बारे में इस प्रकार का है कि सरकार जब यह कहती है कि अगर अंग्रेजी को १९६५ के बाद नहीं रक्खा गया तो देश की एकता टूट जायेगी। इस का सब से बड़ा कारण मद्रास में, खास तौर से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़धम का, अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को राजभाषा का विरोध है। मैं तो कहूंगा कि सन् १९६५ के बाद बजाय इसके हिन्दी के साथ अंग्रेजी को आप सह भाषा रक्खें, आप तमिल को सह भाषा बना दें तो देश उस को स्वीकार कर लेगा। कम से कम भारतीय भाषा तो वह होगी।

[**Shri S. Kandappan** (Tiruchengode) Is he referring to our party ? We are not able to follow.

Mr. Speaker : He has said nothing derogatory of your party.]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गृहमंत्री जी अंग्रेजी को यह भाषा बनाने की बात कह तो सकते हैं पर मेरा अपना अनुमान है कि यह सखी भाषा नहीं बन पायेगी। क्योंकि सखी भाषा का अभिप्राय तो मित्रतापूर्ण व्यवहार का भी होता है। लेकिन अंग्रेजी की मित्रता जब इन १८-१७ वर्षों में हिन्दी के साथ स्थापित नहीं हो सकी तो १९६५ में जबकि वह अपना सूर्य अस्ताचल की ओर जाता हुआ देखेगी तो यह मित्रता कैसे स्थापित हो सकेगी ? अंग्रेजी और हिन्दी को सन् ६५ के बाद सखी भाषा कहने के बजाय अगर आप सौत भाषा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। अंग्रेजी को तो यह देख कर सौतिया डाह अभी से हो रहा है कि कल हिन्दी मेरे आसन पर आने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली की दुरवस्था

दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि १७.२.५९ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के अनुसार दिल्ली की २४ लाख की आबादी में १२,००० के लगभग अपराधी थे। उनमें ७२०० आदमी ऐसे थे जो बदचलन या सजायाफ्ता थे। दूसरे शब्दों में इसे कहा जाय तो यह ठीक होगा कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के प्रति २०० बालिगों में एक अपराधी है। सन् १९५८ की पुलिस रिपोर्ट में एक साल में

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१५४१४ केस दर्ज हुए जिन में से कि ५४४० केस इसलिए छोड़ दिये गये कि उनके लिए शहादत नहीं मिल पाई थी। १४ अक्तूबर सन् १९६० के 'स्टेट्समेन में एक खबर छपी कि यहां के डी. आई. जी. पुलिस ने रात को थानों का जाकर आकस्मिक मुआयना किया और उस चैकिंग में वह हैरान रह गए — उन्हें २० थाने लगभग ऐसे मिले जहां कि १२ बजे के बाद स्टाफ आराम के साथ सोया पड़ा था। परिणाम उसका यह है कि दिल्ली के माथे पर इस प्रकार का कलंक लगता चला जा रहा है। अभी कुछ दिन की ही बात है एक विदेशी पत्रकार श्री एटकिन्सन की उन के फ्लैट में हत्या कर दी गई। एक दूधिया व एक दो और आदमी इस संबंध में पकड़े भी गये जोकि इस हत्या से संबंधित बतलाये जाते हैं। मैं नहीं जानता कि आगे चल कर जांच में उसका क्या परिणाम निकलेगा परन्तु जहां तकइस घटना का संबंध है वह कोई केवल अकेली हो ऐसी घटना नहीं है बल्कि यहां दिल्ली में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। दिल्ली में डाके और चोरियां व हत्याएं तो होती ही रहती हैं। बलात्कार, तेंजाब फैंकने और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के केस भी दिल्ली में बढ़ रहे हैं।

यह दिल्ली पुलिस के लिए लज्जा की बात है कि वह इन घटनाओं को रोक नहीं पाती है। जब शास्त्री जी कहते हैं कि दिल्ली में चूंकि केन्द्रीय सरकार है इसलिए यहां पर अन्य और किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है तो दूसरे शब्दों में अगर जनता यह कहे कि जितनी भी कमी है यह सैंट्रल गवर्नमेंट की है तो गलत नहीं होगा। जब केन्द्रीय सरकार की ठीक नाक के नीचे जनता की सुरक्षा नहीं की जा सकती है तो फिर अन्य जगहों का तो कहना ही क्या है ? इसके लिए मंत्री महोदय को गंभीरतापूर्वक सोचना और आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

विदेशी शास्कों की प्रतिमायें

मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो, तीन बातें और विशेष कहना चाहता हूं। एक तो यह कि दिल्ली राजधानी में जो विदेशियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जब-जब सरकार को उनको हटाने के लिए कहा जाता है तो सरकार कहती है कि उनको उठा कर रखने के लिए हमारे अजायबघर में जगह नहीं है। पर मेरा तो कहना है कि उनको अजायबघर में रख कर क्या इनकी पूजा करियेगा ? इन को समुद्र में फिकवाइये न ? यह कलंक भारत के माथे से हटाइये। १५-१७ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक यह कालिमा हमारे माथे पर लगी हुई है। इन विदेशियों की प्रतिमाएं हटा कर इन की जगह पर लगवाइये वह प्रतिमाएं जिन को देख कर भारत का स्वाभिमान जागृत हो उठे। इंडिया गेट पर जार्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई हैं, वहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा. राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। विजय चौक में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक इस पार्लियामेंट की चाहरदीवारी का संबंध है, अभी मैंने कल या परसों देखा कि यहां अन्दर किसी की प्रतिमा लगने जा रही है, अब यह प्रतिमाएं दिल्ली में कहीं भी लगें, बम्बई में लगें, कलकत्ते में लगें, लेकिन जहां तक पार्लियामेंट की चहारदीवारी का संबंध है इस में हमें किसी का भी स्टेचू नहीं लगाना चाहिए। पार्लियामेंट तो बिलकुल एक प्रभावरहित, निष्पक्ष ढंग से ही रहनी चाहिए। और फिर जब गांधी जी की प्रतिमा वहां नहीं लगी तो किसी और की प्रतिमा चहारदीवारी में स्थापित की जाय मैं समझता हूं कि यह कोई शुभ परम्परा नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री महोदय इन सारी बातों पर गम्भीरता से निर्णय लेंगें। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिजली की आपूर्ति और उद्योग

राजधानी होने पर भी दिल्ली में, बिजली, पानी, यातायात आदि की समस्याएं क्रौनिक (जीर्ण) हैं। प्रतिवर्ष दिल्ली बिजली संकट से ग्रस्त रहती है, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां। दिल्ली में बिजली संकट के सम्बंध में शास्त्री जी ने ९ अगस्त १९६२ को लोकसभा में बदरपुर विद्युत केन्द्र के ठप्प होने पर इस विचार पर अपने भाषण में कहा कि समस्या का मुख्य कारण रख रखाव में कमी तथा पुरानी घिसी पिटी मशीनों से काम लेते रहने की प्रवृत्ति है।

अध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली का महत्व अन्य शहरों की अपेक्षा कुछ विशेष है और इसलिये दिल्ली में जब इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो उन पर ध्यान भी विशेष रूप से दिया जाता है। सरदार पटेल जिस समय भारत के गृह मंत्री थे, उस समय उनकी यह हार्दिक अभिलाषा थी कि दिल्ली में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई किसी क्षण भी उत्पन्न नहीं हो और इसके लिये वह बराबर प्रयत्नशील भी रहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले दो, तीन वर्षों से राजधानी में तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। अभी शायद एक डेढ़ साल भी व्यतीत नहीं हुआ कि जब पानी की इसी प्रकार की कठिनाई दिल्ली में उत्पन्न हुई थी और इस सदन को अपनी कारवाई स्थगित कर उस पर विचार करना पड़ा था। आज फिर उसी प्रकार की एक समस्या इस सदन में विचार के लिये प्रस्तुत है कि दिल्ली में बिजली की कमी के कारण काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। मैं समझता हूं कि यह चेतावनी है न केवल राजधानी के नागरिकों के लिये अपितु सारे देश के लिये।

आर्थिक हानि

इस बिजली की कठिनाई के कारण जो आर्थिक हानि दिल्ली निवासियों को उठानी पड़ी है उसके मोटे मोटे आंकड़े जो मेरे पास अपनी जानकारी के सूत्रों के आधार पर उपलब्ध हो सके हैं वह मैं आपको देना चाहता हूं। दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग को अब तक १० लाख रुपये की हानि इस बिजली की कमी के कारण हो चुकी है। कारपोरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स लेती है उसको बिजली केअभाव में १ लाख २० हजार रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। अभी पीछे एक समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ कि एअर कंडिशनर्स और रैफ्रीजरेटर्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं और जिसमें कि २०० वाल्ट्स पावर की बिजली प्रयुक्त होनी चाहिये, उसकी मात्रा कम होने के कारण १९० वाल्ट्स बिजली ही मिल सकी जिसके कारण उनका कहना है कि २९ जुलाई तक २०० यंत्र इस प्रकार के खराब हो चुके हैं और जिन पर कि ५० रुपये से लेकर १०० रुपये तक उनके ठीक करने पर खर्च करना पड़ेगा।

इसी तरह नजफगढ़ की एक बड़ी फैक्टरी के मालिकों ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि पावर फेल्योर से हमको करीब २००० रुपये प्रतिघंटे की हानि है। ३० जुलाई को उस कम्पनी के मालिकों ने यह वक्तव्य दिया कि इस समय तक ५० घंटे, की हानि हो चुकी है जिससे कि करीब १ लाख रुपये का नुकसान

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वह इस समय तक उठा चुके हैं।

इस प्रकार दिल्ली फैक्टरी ओनर्स असोसिएशन के प्रेसीडेंट श्री भास्कर ने भी अपना एक वक्तव्य दिया है। जो कोल्ड स्टोरेज दिल्ली में हैं विजली की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण उनमें लाखों रुपये के फल सड़ गये हैं। यह कुछ मोटे-मोटे आंकड़े हैं, जिनकी कि जानकारी उपलब्ध हो सकी है। लेकिन इनके अलावा और भी हानि लोगों को हुई है। फैक्टरी ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट ने कहा है कि इसने जो आर्डर्स ले रखे थे उनको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बिजली की सप्लाई समय पर उपलब्ध न हो सकने के कारण हम उनको पूरा नहीं कर सकते थे। मेरा अपना अनुमान है कि इन १५ दिनों में करीब १ या डेढ़ करोड़ रुपये की हानि दिल्ली शहर को आर्थिक दृष्टि से हुई।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की यह समस्या जो इस देश की राजधानी से सम्बन्ध रखती है और जिसके लिये विदेशों से स्पेयर पार्ट्स मंगाने के लिये लाइसेंस के लिये गवर्नमेंट को आवेदन पत्र दिया गया। अभी कल-परसों की बात है कि दिल्ली कारपोरेशन में इसकी चर्चा आई और एक सदस्य से कहा कि जब दिल्ली की एक प्राइवेट मिल को, जिसको इसी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स की जरूरत थी, पन्द्रह दिन में लाइसेंस मिल गया, तो यह क्या बात है कि इसके लिये लाइसेंस नहीं मिला। इसके उत्तर में कारपोरेशन के मेयर साहब ने कहा कि यह सवाल तो पार्लियामेंट में पूछने का है, आप कारपोरेशन में हमसे सवाल क्यों पूछते हैं ? मैं चाहता हूं कि विद्युत मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में— अगर उनको इस एक वर्ष की अवधि में जानकारी प्राप्त हो चुकी है— कृपया इस स्थिति का स्पष्टीकरण करें कि क्यों इस विषय में लाइसेंस मिलने में देर हुई, जिसके कारण दिल्ली के नागरिकों को इस प्रकार की हानि का सामना करना पड़ा।

अतिरिक्त कल-पुर्जे साथ खरीदें

इस विषय में एक प्रश्न यह भी सामने आता है कि जब इस प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें बाहर से मंगाई जाती हैं और एक छोटा सा पुर्ज़ा खराब होने की वजह से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है, तो क्यों नहीं मशीन खरीदते समय ही उसके लिये स्पेयर पार्ट्स और अधिक ले लिये जायें, ताकि अगर कभी ऐसी कठिनाई में फंसना पड़े, जैसा आज है तो उस समय उनका इस्तेमाल किया जा सके।

प्राय: यह देखा गया है कि ट्रांसफार्मर की आयु पैंतीस वर्ष के लगभग होती है। लेकिन यह ट्रांसफार्मर सात आठ वर्ष में ही खराब हो गया। क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि जब सात आठ वर्ष में ही यह ट्रांसफार्मर अपनी आयु समाप्त कर बैठा, तो जिनसे ये ट्रांसफार्मर खरीदे गये थे, क्या उनसे कोई गारण्टी ली गई थी ? यदि कोई गारण्टी ली गई थी, तो क्या सरकार के साथ इस प्रकार का धोखा तो नहीं हुआ कि नये ट्रांसफार्मर के नाम पर पुराने ट्रांसफार्मर खरीद लिये गये और उन पर देश का पैसा बर्बाद किया गया? ये तमाम बातें इस समस्या के सम्बन्ध में सामने आती हैं और मस्तिष्क में प्रश्न उत्पन्न करती हैं।

लेकिन मैं आप के द्वारा सदन को इस से भी बड़ी दुखभरी जानकारी देना चाहता हूं। अभी कल-परसों विद्युत् मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया कि पंजाब से हम को जो बिजली लेनी पड़ती है,उस के अतिरिक्त दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग यहां पर ४५,८०० किलोवाट बिजली तैयार करती है। लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो डीजल से चलने वाले

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जेनेरेटर हैं, उन को भी कुछ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है। उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक उनको भी लाइसेन्स नहीं मिल पाये हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि उन पुर्जों के अभाव में वे जेनेरेटर केवल तेरह हज़ार किलोवाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जब कि वह बीस हजार किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सिर्फ रोहतक रोड के ट्रांसफ़ार्मर्स की समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या दूसरे जेनेरेटरों के साथ भी है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसी तमाम स्थितियों का सामना करने के लिए एक सामान्य नीति बना कर उस के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं है।

विद्युत मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में सदन को यह आश्वासन दिया था कि कल से विजली बन्द रहने के घंटों में कभी होना शुरू हो जायगा, लेकिन उस के एक दिन बाद यानी ८ अगस्त को बिजली बन्द रहने के घंटों में वृद्धि हो गई। कल पटेलनगर में साढ़े चार घंटे बिजली बन्द रही और मालीवाड़ा में छः घंटे विजली बन्द रही। माननीय मंत्री सदन को आश्वासन देते हैं कि विजली बन्द होने के घंटों में कमी होती चली जायगी, लेकिन उनकी और बढ़ौतरी होती चली, जा रही है।

मैं आप के द्वारा सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि जिस समय भारत सरकार ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे, तो पंजाब सरकार ने कहा कि चूंकि वह ट्रांसफार्मर उन के ऐरिया में पड़ता है, इस लिए भारत सरकार द्वारा जांच कराये जाने पर हमारी मान-हानि होगी और इस लिए हम स्वयं इस सम्बन्ध में जांच करेंगे। पंजाब सरकार ने जांच का आश्वासन तो दिया, लेकिन उसने जो टर्म्ज़ आफ़ रेफ़रेंस तय किये हैं, उन में इतना तो है कि इस बात की जांच की जायगी किवह ट्रांसफार्मर कैसे जला, लेकिन उस के लिए जिम्मेदार कौन है, इसके सम्बन्ध में कोई मुद्दा उस में तय नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि इस की जिम्मेदारी किस की है, जिस की गलती की वजह से इतनी बड़ी हानि का सामना करना पड़ा।

केन्द्र राज्य संबंध

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि आखिर केन्द्रीय सरकार देहली राजधानी को भाखरा-नंगल की बिजली पर कब तक निर्भर रखेगी। जैसी भूमिकायें आज देश में तैयार होने लगी हैं, जिस प्रकार आज केन्द्र और राज्यों में खिंचाव शुरु हो गया है, उन को दृष्टि में रखते हुए भविष्य में किसी समय ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि पंजाब राज्य देहली को विजली देना बन्द कर दे। उस समय राजधानी के सामने नये सिरे से समस्या उत्पन्न होगी। क्यों न केन्द्रीय सरकार अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ऐसी व्यवस्था करे कि वह विजली के विषय में स्वावलम्बी स्थिति में हो जाये ?

जो यह घटना घटी है, उस के लिए सैंट्रल गवर्नमेंट यह कहती है कि कार्पोरेशन जिम्मेदार है और कार्पोरेशन कहती है कि पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आज आपस में जो यह ताल-मेल नहीं बैठ रहा है, यह अवस्था कब तक जारी रहेगी, आखिर कब तक एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने की कोशिश की जाती रहेगी ? इस लिए आवश्यकता इस बात की भी है कि एक हाई-पावर बोर्ड बनाया जाये, जो दिल्ली की

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विद्युत समस्या को अपने तौर पर हल करे और किसी पर उसको निर्भर न रहना पड़े।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रायः यह देखा गया है कि जब इस प्रकार की घटनायें होती हैं, तो जांच कमीशन बैठा दिये जाते हैं। जांच कमीशन महीनों तक जांच करते हैं और उस पर लाखों रुपये व्यय होते हैं। और अन्त में परिणाम यह होता है कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया"। कह दिया जाता है कि चपरासी का कुसूर था अथवा इंजीनियर अपने समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था, इसलिए ट्रांसफ़ार्मर जल गया। ढिलवां में हमारे पौने दो करोड़ रुपये के स्लीपर जल गये, लेकिन जांच के परिणामस्वरूप एक चपरासी को बरख़ास्त कर दिया गया। हम देखते हैं कि बड़े बड़े रेल के ऐक्सिडेंट होते हैं और उनके बारे में कह दिया जाता है कि सिग्नल ठीक नहीं दिया गया था। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट को आज यह तय करना चाहिए कि जो इस प्रकार की भयंकर दुर्घटनायें होती है, जो कि सारे देश के लिए चुनौती होती हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल इंजीनियरों और आफ़िसरों पर न डाली जाये बल्कि अब वह समय आ गया है कि मिनिस्टरों को भी इस जिम्मेदारी से मुक्त न किया जाय और उन पर भी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए और उनसे भी जवाब तलब किये जायें।❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

असम में फखरुद्दीन अली की संदिग्ध भूमिका

अध्यक्ष महोदय, असम में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध प्रवेश की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। अब से कुछ समय पूर्व भी मैंने सदन का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मंत्रालय के पास पूरी जानकारी नहीं थी और मंत्रालय ने इसके उत्तर में यही कहा कि उसकी जांच कराई जा रही है। पूरी जांच होने पर इस सदन को सूचित किया जायेगा।

अवैध प्रवेश की यह समस्या केवल असम प्रदेश की ही नहीं है अपितु उसके आस पास पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में भी इस प्रकार का एक संकट उपस्थित हो गया है जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये किसी भी समय विस्फोट का कारण बन सकता है। जब-जब इन प्रश्नों को उठाया जाता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ लोग उसको साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित मानते हैं तो कुछ किसी देश विशेष के प्रति विद्वेष की भावना से प्रेरित मानते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अपना इस प्रश्न को पहले भी उठाने का सम्बन्ध था और आज भी इस चर्चा को उठाने का सम्बन्ध है, केवल मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मैं इस चर्चा को उपस्थित कर रहा हूँ।

फखरुद्दीन अहमद का असत्य कथन

पाकिस्तान घुसपैठ के आंकड़ों के संबंध में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सरकार कुछ समय तक तो जांच ही कराती रही। यह पहला अवसर है कि जब कल राज्य सभा में गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को दृढ़ और स्पष्ट भाषा में कहा है कि ढाई और तीन लाख के मध्य में पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से असम में आ कर बस गये हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा में आ कर बस गये हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा के सम्बन्ध में भी कुछ दिन पूर्व वक्तव्य देते हुए उन्होंने यह बतलाया था कि लगभग ५० हजार पाकिस्तानी नागरिक त्रिपुरा के अंदर आ कर बस गये हैं। लेकिन मेरा अपना अनुमान इस प्रकार का है कि यह सरकारी आंकड़े पूरे सही नहीं हैं। मैं समझता हूं कि असम में जितनी मात्रा में पाकिस्तानी नागरिक आये हैं, वह संख्या इस की लगभग दुगनी या ढाई गुनी से भी ज्यादा है। इस के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से यह भी जानना चाहता हूं कि असम प्रदेश की सरकार और भारत सरकार इतनी देर तक इन तथ्यों को क्यों छिपाती रहीं ?

श्री फखरुद्दीन अहमद जोकि असम के वित्त मंत्री हैं, पिछले अपने सामान्य चुनावों में स्थान-स्थान पर यह कहते फिरे कि यह केवल एक नारा है जो असम राज्य को बदनाम करने के लिये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी नागरिक असम में इस तरीके से भारी मात्रा में प्रवेश कर गये हैं। लेकिन उन्होंने सामान्य चुनावों में ही नहीं अपितु जब असम राज्य का बजट प्रस्तुत हुआ उस समय भी उन्होंने असम राज्य की विधान सभा में इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि यह जो संख्या १९६१ की जनगणना में बढ़ी है उसके तीन कारण हैं। पहला कारण उन्होंने यह बतलाया कि हिन्दुओं की अपेक्षा

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुसलमानों के बच्चे अधिक उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारण असम के वित्त मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि जो मुसलमान सन् ५० के दंगे में असम छोड़ कर चले गये थे वे बाद में यहां आ कर बस गये। इस तरह भी १९६१ की जनगणना में उनकी संख्या बढ़ी। तीसरा कारण साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि असम के अंदर चाय बागान में मजदूरी बहुत आसानी से मिल जाती है। इसलिये बाहर से कुछ मजदूर आकर बस गये हैं। जिसके कि कारण यह जनगणना में कुछ वृद्धि हुई है। बिलकुल उन्हीं बातों को और उन्हीं तथ्यों को अब से कुछ समय पूर्व लोक-सभा में भी एक सदस्य ने दुहराया था और इसी प्रकार की बात को अभी ४,५ दिन पूर्व राज्य सभा में भी उनसे सहानुभूति रखने वाले एक सदस्य ने दुहराया था। लेकिन मैं इन बातों के सम्बन्ध में संक्षेप से उत्तर देते हुए अपनी चर्चा के क्रम को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं।

संख्या वृद्धि का रहस्य क्या है

जहां तक संतति या प्रजनन का संबंध है कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा उत्पन्न होते हैं और हिन्दुओं के कम होते हैं, इस सम्बन्ध में मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि इस सदन की परम्पराओं के अनुरूप भी वह बात नहीं रहेगी। परन्तु मैं उदाहरण के रूप में एक मोटी सी बात बतलाता हूं कि आज तक विश्व का रेकार्ड कहीं भी इस प्रकार का नहीं है कि जहां दस वर्ष में जनसंख्या बढ़ कर दुगनी हो गई हो, लेकिन असम में इस प्रकार की स्थिति है। पश्चिमी चमरिया वहां का एक स्थान है। सन् ५१ में उस क्षेत्र की आबादी २६७०० थी, लेकिन सन् १९६१ की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार वहां की आबादी ५२,९०० हो गई है। संख्या का दुगना बढ़ जाना मैं समझता हूं कि यह संतति उत्पत्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता अपितु इस में यह मालूम पड़ता है कि कोई रहस्य है जिससे इतनी वृद्धि हुई है।

दूसरी बात यह है कि वहां का जो पठारकांडी थाना है, अकेले उस थाने में ही जुलाई १९६१ में ५००० आदमियों ने एक साथ अपने नाम वोटर लिस्ट में लिखाये। इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह संतति उत्पत्ति का परिणाम है या इस के पीछे कोई रहस्यात्मक योजना है ? जहां तक इस संख्या वृद्धि के सम्बन्ध का आधार उन्होंने यह साम्प्रदायिक दंगे बतलाये तो इसके लिए मेरा कहना यह है कि इन साम्प्रदायिक दंगों से पहले पूर्वी बंगाल, और बारीसाल में हिन्दुओं के साथ बहुत कुछ लूटपाट हुई और हत्याकांड हुए थे। यह ठीक है कि उसके पश्चात् फरवरी सन् ५० में ही असम में दंगे हुए और कुछ लोग असम राज्य छोड़ कर बाहर चले गए लेकिन उस के ठीक बाद में नेहरू-लियाकत पैक्ट ८ अप्रैल सन् ५० को हुआ और इस ८ अप्रैल सन् ५० के नेहरू-लियाकत पैक्ट का परिणाम यह हुआ कि जो मुसलमान असम राज्य छोड़ कर बाहर चले गये थे वह धीरे-धीरे सन् ५० के अन्त तक अपने घरों में वापिस आ गये। ऐसी स्थिति में यह कहना कि सन् ५१ के अन्त में जो जनगणना हुई उस ५१ की जनगणना में वह नहीं थे और ६१ की जनगणना में अंकित हुए। मैं समझता हूं कि इस के पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ी बलवती बनाने के लिए पिछली तीन जनगणनाओं को भी यहां थोड़ा सा उद्धृत कर देना चाहता हूं।

असम राज्य में सन् १९३१ में जो जनगणना हुई उसमें सन् १९२१ की जनगणना की अपेक्षा १.६७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह सन् १९४१ में जो जनगणना हुई उस में सन् १९३१ की जनगणना की अपेक्षा १८.३९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् १९५१ के अन्दर जो जनगणना हुई उस में सन् १९४१ की जनगणना के मुकाबले १९.६२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब अगर इन सब का अनुपात निकाल लिया

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाय तो मेरा अपना अनुमान है कि १९.१९ प्रतिशत से अधिक यह वृद्धि कहीं भी जा कर नहीं बैठती। लेकिन १९६१ की जनगणना के सम्बन्ध में जो हमारे आंकड़ा विभाग और जनगणना विभाग के सुपरिंटेंडेंट हैं उन्होंने यह कहा कि किसी भी भाग में २१ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिये। इस हिसाब से तो सन् ५१ और ६१ के मध्य में उस राज्य में कुल वृद्धि जो संभव हो सकती है वह १८ लाख ५४ हजार और ४४७ की हो सकती है।

भारत विभाजन के बाद मार्च १९६२ तक जो परिवार वहां से उजड़ कर पाकिस्तान चले गये थे और दुबारा असम राज्य में आ कर बसे हैं, उनकी संख्या १ लाख २९ हजार है। अगर एक परिवार का औसत प्रति पांच व्यक्ति मान लिया जाय तो यह संख्या ६ लाख ४५ हजार से अधिक नहीं बैठती है। सन् १९५१ की जो जनगणना हुई थी उस समय इस ६ लाख ४५ हजार की जनसंख्या में २ लाख ७४,४५५ आदमी इसी प्रकार के थे जोकि इस समय अंकित किये जा चुके थे। अगर उस को घटा दिया जाय तो घटाने के पश्चात् यह संख्या केवल ३ लाख ७०,५४५ रह जाती है।

फखरुद्दीन अहमद से पूछा जाय

अब अगर यह संख्या वृद्धि मजदूरी आसानी से मिलने के कारण बतलाई जाती है तो मैं कहना चाहता हूं कि असम राज्य में कुछ स्वयं इतनी ईश की कृपा है कि भारत के बाहर के मजदूरों के लिये वहां पर कोई खपत की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर फखरुद्दीन अहमद की बात को मान भी लिया जाये और मैं इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहूं तो भी पिछले दस वर्षों में ५०००० से अधिक मजदूर असम राज्य में बाहर से नहीं आ सकते। इन सब आंकड़ों को जोड़ लिया जाय तो हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि १९५१ की जनगणना के आधार पर वहां की जनसंख्या ८८ लाख ३०७३२ थी। इस में २१ प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है उस को मिला कर यह संख्या १८ लाख ५४४४७ होती है। इसके बाद के सन् ५१ में जो परिवार वहां से उजड़ कर चले गये थे और लौट आये उनकी संख्या ३ लाख ७०५४५ है और ५०००० मजदूर बाहर से आकर मजदूरी में लग गये। इस तरह से कुल को अगर मिला लिया जाय तो यह तादाद जा कर १ करोड़, ११ लाख ५७२४ बैठती है। लेकिन सन् १९६१ में जो असम में जनगणना हुई है उस में यह सारे आंकड़े जो १ करोड़ १८ लाख ६००५९ बैठते हैं तो अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यह जो बाकी ७ लाख ५४३३५ व्यक्ति रह जाते हैं यह असम के अन्दर आ कर कौन बसे हैं, यही एक समस्या है जोकि सारे देश के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह बन कर खड़ी है ? यही वह बात है जिस पर इस संसद् को गम्भीरता के साथ निर्णय करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, जो युक्तियां असम राज्य के वित्त मंत्री मि. फखरुद्दीन अहमद ने दी हैं वह विधान सभा में दी हों सो बात नहीं है, सामान्य निर्वाचनों में स्थान-स्थान पर भाषण देते हुए उन्होंने यह बात कही हो, सो बात भी नहीं है बल्कि अभी तीन, चार दिन पहले जब वे दिल्ली आये थे तो यहां आ कर भी उन्होंने इन्हीं तथ्यों और युक्तियों को कानों-कानों तक पहुंचाने का यत्न किया कि आसाम में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जहां तक मैं समझ सका हूं, पाकिस्तान बनाते समय असम और बंगाल के सम्बन्ध में मिस्टर जिन्ना की जो योजना थी, उसी को पूर्ण करने के लिये यह योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

घुसपैठियों के साथ मानवीयता?

इस सदन में त्रिपुरा के सम्बन्ध में यह कहा गया कि वहां पर पचास हजार पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिस को हमारे गृहमंत्री ने स्वीकार भी किया। जब उन लोगों को वहां से हटाने की चर्चा आई, तो गृह मंत्री ने कहा, "एक साथ पचास हजार आदमियों को भला कैसे निकाला जा सकता है। थोड़ा मानवीय सहानुभूति से भी सोचना पड़ेगा।" मैं नहीं समझ पाया कि अगर किसी के घर में डाकू आ कर बस जाये और उनकी संख्या अधिक हो, तो उस समय क्या परिवार वाले लोग उन डाकुओं को निकालने के सम्बन्ध में मानवीय सहानुभूति की बात सोचेगें? या यह सोचेंगे कि अपने परिवार की रक्षा कैसे की जा सकती है? मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण को लेकर आते हैं उनके कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उनके सम्बन्ध में हम को दृढ़ता से कुछ निर्णय लेना चाहिए।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय बतायें कि जब पचास हजार पाकिस्तानी नागरिकों को त्रिपुरा से पाकिस्तान भेजने की बात हुई थी और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मिस्टर हिलाली, हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से आ कर मिले, तो उस समय प्रधान मंत्री और मिस्टर हिलाली के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद यह मानवीय सहानुभूति का नारा लगाया गया था।

असम मंत्रिमंडल में पंचमांगी

मैं एक और बात असम राज्य के कृषि मंत्री के बारे में भी कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आज हमारे गृह मंत्री महोदय इस बात को जरा स्पष्ट भाषा में सदन को बतायें कि क्या इस प्रकार के व्यक्ति असम राज्य के मंत्रि-मंडल में हैं, जो मिस्टर जिन्ना के सेक्रेटरी रह चुके थे। क्या इस प्रकार के व्यक्ति असम राज्य के मंत्रि-मंडल में हैं, जो १९५७ से पहले मुस्लिम लीग में थे ? क्या वहां पर इस प्रकार के व्यक्ति हैं, जिन पर देश-विरोधी कार्यवाही करने पर केस चलाया गया था ? अगर हैं, तो मुझे आप इन शब्दों को कहने की आज्ञा दीजिये कि असम के सम्बन्ध में हम आज वही भूल कर रहे हैं, जो शेख अब्दुल्ला को शरण दे कर हमने काश्मीर में की थी।

आज उसी का दुष्परिणाम यह हो रहा हैं कि १९६२ के पिछले सामान्य चुनावों में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने उन्हीं लोगों की ओर से इस प्रकार की मांग की गई कि हम को हमारी संख्या के आधार पर २८ सीटें दी जायें। उसी का परिणाम है कि धुबरी सबडिविजन, बारापेटा सबडिविजन और ग्वालपाड़ा में १९५७ में जितने पाकिस्तानी मनोवृत्ति के मुसलमान विजयी हो कर नहीं आये जितने कि अब आए हैं।

असम राज्य भारत का एक सीमावर्ती राज्य है, उसे एक प्रकार से भारत का मस्तक कहा जा सकता है। अगर उसको बचाना है, तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो असम, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा की सीमा को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध चाहे वे सरकारी हों या अर्द्ध-सरकारी, यह भयंकर देश-द्रोह का आरोप सावित हो जाता है कि इस में उन का हाथ है, तो फिर सरकार नजाकत से इस विषय में कोई निर्णय न ले कि उनको अपने पद से हटाया जा रहा है, उनको पदमुक्त किया जा रहा है।, बल्कि उनको वही दंड दिया जाना चाहिए, जो कि एक भयंकर देश-द्रोही को दिया जाता है, जिस से दूसरे लोगों की भी आंखे खुलें। इस के अतिरिक्त जनगणना में या मतदाता-सूची में जिन लोगों के नाम दर्ज हो गये हैं, उनके नामों को हटाया जाये। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो वह अपने देश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करेगी। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश का विकास

१९६८ में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन होने के कारण वहां का बजट लोक सभा में २ मई १९६८ को प्रस्तुत किया गया। शास्त्री जी ने बहस में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बल दिया। उन्होंने संक्षेप में उत्तर प्रदेश की दयनीय स्थिति का वर्णन कर सरकार से विशेष कदम उठाने की मांग की।

उपाध्यक्ष जी, मैं अपने कटौती प्रस्तावों को उपस्थित करते हुए जो सुझाव देना चाहता हूँ— वे उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों को दृष्टि में रख कर नहीं हैं, अपितु प्रान्त के विकास की दृष्टि से कुछ आवश्यक बातें कहना चाहता हूं। यह सही है कि पिछले २० वर्षों में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का आर्थिक दृष्टि से जैसा विकास होना चाहिए था वह न हो सका। इसके लिए जहाँ केन्द्र सरकार को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता कि उस को सभी राज्यों को समान दृष्टि से देखना चाहिए था और सभी राज्यों को आर्थिक संरक्षण समान रूप से देना चाहिये था, वहां उत्तर प्रदेश के उन नेताओं को भी उस दोष से मुक्त नहीं किया जा सकता जिन्होंने केन्द्र सरकार को विवश नहीं किया इस बात के लिये कि वह भी उत्तर प्रदेश को देश के अन्य राज्यों की भांति विकास के सुअवसर दे। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता में केन्द्र का कितना बड़ा हाथ रहा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पीछे जितने भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री होते रहे, दुर्भाग्य से उनका बनाना, हटाना, फिर बनाना, फिर हटाना इस प्रकार की जो केन्द्र की नीति रही, इसका उत्तर प्रदेश के आर्थिक भविष्य पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा। मैं चाहता हूं कि अब यह प्रवृत्ति किसी प्रकार से बन्द होनी चाहिए।

साम्प्रदायिक दंगे

जहां तक उत्तर प्रदेश में कुछ साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने की स्थिति है, उपाध्यक्ष जी, मैं इस के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन संकेत के रूप में केवल दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो यह कि थोड़ा सा ये साम्प्रदायिक झगड़े जहां-जहां हुए हैं, इन के मूल में जाकर देखें, प्रारम्भ कहां से हुई, सबसे पहले किस सम्प्रदाय के लोगों पर आघात हुआ या चोट पहुंचाई गई ? दूसरे कुछ दिनों से जब से चीन और पाकिस्तान का गठबन्धन हुआ है तब से कम्यूनिस्ट पार्टी का एक वर्ग इस प्रकार कुछ वर्गों के साथ, जो कम्युनिस्ट हैं, मिलकर एक वातावरण बना रहा है। आपको यह भी देखना है कि चाहे मजलिसे मुशविरात हो या नये सिरे से मुस्लिम लीग का उत्तर प्रदेश में गठन हो रहा हो, कुछ भी हो, यह जो नया गठजोड़ हो रहा है, कहीं इसके पीछे इनका हाथ तो नहीं है। कहीं यह वे लोग तो नहीं हैं जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय हैं। विशेष कर उत्तर प्रदेश के वे क्षेत्र जो दूसरे देशों से मिलते हैं, उनमें भी इस प्रकार की गतिविधियां बराबर बढ़ती जा रही हैं ?

बाढ़ का प्रकोप

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि आपको उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों की ओर विशेष

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ध्यान देना होगा जहां प्रतिवर्ष बाढ़ से बहुत ही भयंकर तबाही और बरबादी का मुंह देखना पड़ता है। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस संसद में करता हूं, उपाध्यक्ष जी वह क्षेत्र दिल्ली से ८ मील आगे चल कर शुरु होता है। गाज़ियाबाद और हापुड़ के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार के कई स्थान हैं। दिल्ली जो रात्रि में देखने में ऐसी लगती है मानो वहां दीपावली हो रही है, लेकिन वहां से केवल आठ दस मील बाद अन्धेरा है। मुरादनगर से बागपत जाने के लिये एक सड़क है, जो दो मील चल कर बन्द हो जाती है, चार महीने तक वह रास्ता बन्द रहता है, इतना पानी भरा रहता है कि स्त्री और पुरुषों को बड़ी कठिनाई से उस पानी में से निकल कर जाना पड़ता है।

कभी दिल्ली के नेता, जो इस देश की सरकार को चलाते हैं, दिल्ली की नाक के नीचे उन क्षेत्रों को भी तो जाकर देखें तो पता लगेगा कि वहां पर क्या स्थिति है। ऐसी ही स्थिति इस गंगा के खादर की है जो गंगा तक गंग नहर के पानी को ले जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर के पास एक नाला है, जो भड़ीना और दूसरे गांवों का जो बरसाती पानी है उसको गंगा में ले जाकर डालता है। पहले जब ब्रिटिश सरकार थी, गंगा में पानी डालने वाले इस नाले को वर्ष में एक आध बार साफ करा दिया करती थी। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात इस की आवश्यकता को नहीं समझा गया और इसका परिणाम यह होता है कि थोड़ा सा भी पानी जाता है तो उस सारे क्षेत्र में फैल जाता है और उनका काफी नुकसान कर देता है।

मेरठ से आगे चल कर मुरादाबाद जिला है। मैंने आज ही सिंचाई मंत्री डा. के. एल. राव और उप-मंत्री श्री सिद्धेश्वर प्रसाद के साथ बैठ कर इस गम्भीर समस्या पर विस्तार से विचार किया। नरौरा, जहां गंगा पर बांध बना है, वहाँ धीरे-धीरे रेत भरने से गंगा का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि थोड़ा सा भी पानी आता है तो मुरादाबाद जिले की पूरी तहसील हसनपुर को बरबाद कर देता है। एक फसल भी पूरी ऐसी नहीं होती जो उन लोगों को मिल पाती हो। उस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की स्थिति क्या है ? उस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में न तो कोई बड़ा अस्पताल है, न कोई गवर्नमेन्ट का स्कूल है और न कोई सड़क है। पिछले दिनों एक १५ मील की सड़क बनाने के बारे में वहां पर तय हुआ था। १० मील सड़क बनने के बाद, उस क्षेत्र में जो कांग्रेसी एम. एल. ए. थे, उन्होंने पांच मील उस सड़क को काट कर, जिधर उनका गांव पड़ता था, उधर उस सड़क को बनवा दिया। नतीजा यह हुआ वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ज्यों का त्यों तरसता रह गया। केन्द्र सरकार जिसके हाथ में ६ या ७ महीने के लिये उत्तर प्रदेश शासन की बागडोर है, इन सारी समस्याओं का समाधान यद्यपि नहीं कर सकती, लेकिन कुछ इस प्रकार की पगडन्डी अवश्य प्रारम्भ कर दे, जिससे उत्तर प्रदेश के इन पिछड़े हुए क्षेत्रों, विशेष कर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के साथ कुछ न्याय हो सके—यही बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता था।

शिक्षकों का न्यून वेतन

जहां तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष जी, कई बार इस सदन में इस प्रकार की चर्चा आई है कि सारे देश में सब से कम वेतन अगर प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को कहीं पर मिलता है, तो उत्तर प्रदेश केअन्दर मिलता है— जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। बहुत कुछ कहने के बाद १०० रु. मासिक वेतन की स्थिति वहां पर आई है, लेकिन इस कमर तोड़ महंगाई के जमाने में आप अनुमान लगाइये कि कोई व्यक्ति १०० रु. में पूरे परिवार का खर्च किस तरह से चला सकता है। ऐसी ही स्थिति माध्यमिक स्कूलों केअध्यापकों की भी है। मैं चाहता हूं कि इस बजट को पास करते समय जहां

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की दयनीय स्थिति पर विचार किया जाय, वहां इस राज्य की महिलाओं की शिक्षा पर, जिनका प्रतिशत प्रान्त में आज बहुत कम है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

राजनीतिक पीड़ितों की पैंशन

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वह है हमारे प्रान्त के राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन के सम्बन्ध में। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को पत्र लिखा था। आप को याद होगा, जिन बलिदानियों के प्रयत्नों से हमारा देश स्वतन्त्र हुआ , जिनकी कृपा से आज हम यहां पर बैठे हुए हैं—उन में से एक आदर्श बलिदानी थे अमर शहीद श्री रामप्रसाद विस्मिल। उन के परिवार की ओर १०-१५ साल तक तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद श्री बनारसी दास चतुर्वेदी के आग्रह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ४० रु. महावार की पैंशन बांधी, यह पेन्शन पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए है। अभी कुछ दिन पहले उनकी बहिन मुझे मिलीं, उन्होंने अपने परिवार की जो दयनीय स्थिति बतलाई वह इस तरह से है कि उनमें से तीन व्यक्ति अपंग हैं, जिनका पालन मुझे करना पड़ता है। उन्होंने कई आवेदन पत्र दिये, तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत थोड़ी कृपा कर के ४० रु. से उन पेन्शन को ४५ रु. कर दिया। उपाध्यक्ष जी, आप अनुमान लगाइये शहीदों के साथ अगर हम इस तरह का खिलवाड़ करेंगे तो आगे के लिए हम लोगों को किस तरह से देश की सेवा करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे ? मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर प्रश्न पर हम को विचार करना चाहिये।

अस्पताल व परिवहन व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सरकारी अस्पताल हैं, उनके सम्बन्ध में कई बार इस सदन में इस प्रकार की चर्चा आई थी कि लगभग ३५० अस्पताल उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो बिना डाक्टरों के चल रहे हैं, या कम्पाउण्डरों की कृपा पर चल रहे हैं। इन में विशेष कर महिलाओं के अस्पतालों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बजट को पास करते हुए इस बात पर विशेष रूप से विचार किया जाय।

उत्तर प्रदेश के परिवहन, सड़क आवागमन के सम्बन्ध में भी मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उन प्रदेशों की सड़कों को उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता मिलनी चाहिये, विशेष कर इस प्रकार के क्षेत्र जहां बाढ़ आ जाने से कई कई महीने तक, साल भर बराबर यातायात का कोई साधन नहीं रहता है। जैसा मैंने अभी बतलाया- मुरादनगर रावली होते हुए जो सड़क बागपत को जाती है, वहां के लिये तथा दूसरी सड़क धौलाना, सपनावत के लिये। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की बगल में समाना और जारचा के बीच में कुछ ग्रामीण लोगों ने अपने श्रमदान से अर्थवर्क कर दिया था, मिट्टी डाल दी थी, लेकिन अभी तक यह सड़क पक्की नहीं हो सकी। इस प्रकार की स्थिति वहां नहीं होनी चाहिये।

मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर से जाते हुये अपने एक मित्र का कुछ विशेष रूप से समर्थन करना चाहता हूं। मोदी नगर जो कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में है, उसके सम्बन्ध में मैंने माननीय श्रम मन्त्री, श्री हाथी को पत्र भी लिखा था कि वहां के औद्योगिक संघटन हैं, उनकी पूरी तौर से जांच होनी चाहिये और इस दृष्टि से जांच होनी चाहिये कि वहां के श्रमिकों को उनका जो वेतन है, ग्रेच्युटी है, एलाउन्स है, वह विधिवत् मिलता है या नहीं। अभी मोदी नगर में इसको लेकर बहुत बड़ा गोली कांड हो गया। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की नाक के नीचे तो इस तरह के औद्योगिक संगठन न रहें ताकि श्रमिकों के हितों का शोषण न हो सके। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश में व्यापक अराजकता और वामपंथी

१९६९ का वर्ष भारत के लिए बड़ा उपद्रवकारी रहा है। देश के विभिन्न भागों में एक के बाद एक करके उपद्रव एवं हिंसक घटनाएं हुईं। देश में व्यापक इस अराजक स्थिति पर चर्चा के लिए २६ नवम्बर १९६९ को लोक सभा में एक विशेष प्रस्ताव आया। शास्त्री जी ने अपने भाषणों में खुले रूप से इस सबके लिए साम्यवादी दल पर आरोप लगाया। इस पर काफी हगांमा हुआ पर शास्त्री जी का भाषण इतना सन्तुलित था कि सदन ने उसे बड़े ध्यान से सुना।

सभापति महोदय, कुछ राजनैतिक दलों द्वारा विदेशों से सहयोग लेकर देश में जो अराजकता, तोड़-फोड़ और हिंसा की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वह हमारे जनतंत्र और स्वतन्त्रता के लिए चुनौती बन गया है, आज मैं उस प्रश्न को इस सदन में उपस्थित करना चाहता हूं।

विवश मुख्य-मंत्री

जिस समय मैं इस प्रश्न पर चर्चा करने जा रहा हूं, आज से ठीक पांच दिन के बाद एक प्रमुख राज्य के मुख्य मंत्री और उनके साथी अपनी विवशता की सीमा लांघने पर उस राज्य में साठ जगह सत्याग्रह करने वाले हैं। यह स्वाभाविक ही है कि जब थानों और पुलिस पर हमला करके हथियार लूटे जा रहे हों, रक्षा सामग्री ले जाने वाली गाड़ियों को जंगल में खड़ा करके लूटा जा रहा हो, विदेशों से भी धन, हथियार और साहित्य भारी मात्रा में आ रहा हो, राजनैतिक हत्याओं का सैकड़ों की तादाद में तांता लग गया हो, पुलिस और दूसरी सरकारी सेवाओं में अपने ढंग की भरती आरम्भ हो गई हो, न्यायालयों में राष्ट्र-द्रोह और फौजदारी के अभियोग सरकारी स्तर पर वापिस हो रहे हों, संविधान की अवहेलना और सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया जा रहा हो, तो किसी राज्य का मुख्य मन्त्री विवशता की स्थिति में सत्याग्रह का सहारा ले, यह एक बड़ी गम्भीरता और सोचने योग्य बात है।

कुछ राज्यों में ऐसी भी स्थिति है कि कुछ राजनैतिक दलों ने अपनी स्वतंत्र अदालतें बना कर सजा और जुर्माने करने भी प्रारम्भ कर दिये हैं। मेरे हाथ में एक ऐसे ही आदेश की फोटो-कापी है, जिसमें पश्चिमी बंगाल के दीनाजपुर जिले के काफी गांव में इस तरह की एक अदालत में किसी व्यक्ति पर जुर्माना किया गया है।

ये घटनायें देश के सीमावर्ती राज्यों में प्रमुख रूप से हो रही हैं। इनके केन्द्र आन्ध्र, केरल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और असम जैसे सीमावर्ती राज्य तो हैं ही लेकिन मैं इन सब राज्यों के सम्बन्ध में विस्तार में न जाकर पहले अकेले पश्चिमी बंगाल के सम्बंध में कुछ घटनाओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पश्चिमी बंगाल में अराजकता

पश्चिमी बंगाल में अक्तूबर से पहले पिछले सात महीनों में ३७८ कत्ल और २०१ राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो चुकी हैं। अगस्त और सितम्बर के दो महीनों में राजनैतिक दलों में ६५

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपसी संघर्ष हुए, जिनमें ६७३ व्यक्ति घायल हुए। रवीन्द्र सरोवर कांड के अलावा अन्य मामलों में आठ महिलाओं की इज्जत लूटी गई। ३६ हाई स्कूलों के मुख्याध्यापकों को डरा धमका कर त्यागपत्र देने के और व्यवस्था का खुले आम उल्लंघन करके अस्पतालों के कर्मचारियों पर आक्रमण किये गये। पुलिस में २९२ मामलों में उदासीनता बरती। जिनमें २०२ मामले अकेले २४ परगना जिले के हैं। इन सात दुर्भाग्यपूर्ण महीनों में औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर ५५१ हड़तालें हुई। अगस्त तक ३६७ घेराव और ७३ कारखानों में तालाबन्दी हुई। ५ लाख ७४ हजार कर्मचारी हड़ताल और तालाबन्दी से प्रभावित हुए। ६१ लाख श्रम के घन्टे बरबाद हुए और १०१० इस प्रकार के अभियोग थे जो कचहरियों मे चल रहे थे लेकिन राज्य सरकार ने उनको वापस लिया।

इसी तरह से २१८ ऐसे गरीब और मध्यम श्रेणी के किसान थे जिनकी धरती पर बलात् कब्जा किया गया। यह घटनाएं जिनको मैं सुना रहा हूं पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, नदिया, २४ परगना, हुगली, बर्दवान, पुरुलिया, मिदनापुर और विशेषकर कलकत्ता में हुई। इसी प्रकार की घटनाएं आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में विशेष रूप से बनवासी क्षेत्र के अन्दर बढ़ रही हैं। उसके अतिरिक्त आन्ध्र के दूसरे जिलों में भी बराबर वह गतिविधियां बढ़ रही हैं।

[पश्चिमी बंगाल का नाम लेने पर श्री हीरेन मुकर्जी, श्री रंगा, श्री जयपाल सिंह आदि ने काफी व्यवधान किया, पर अध्यक्ष ने सबको शान्त कर शास्त्री जी को भाषण जारी रखने का निर्देश दिया।]

सभापति जी, मैंने प्रारम्भ में यह कहा था कि देश के सीमावर्ती राज्यों में विशेषकर इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। बंगाल के पश्चात् मैंने आन्ध्र की घटनाओं का कुछ उल्लेख किया था। इसकेपचात् तीसरा उल्लेख मैं उड़ीसा के सम्बन्ध में कर रहा था। उड़ीसा के उप-मुख्यमंत्री, श्री पवित्र मोहन प्रधान से अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ही मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि आन्ध्र और उड़ीसा की सीमा पर इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं भी होती हैं कि जीवित आदमियों को पेड़ पर लटका कर उसके शरीर के एक एक अंग को पृथक्-पृथक् काटा जाता है और सबके सामने इस प्रकार का प्रदर्शन होता है और कहते हैं देखो हमारा विरोध करने का क्या परिणाम सामने आता है।

राज्यों में राजद्रोह

अभी कुछ दिन पहले असम के वित्त मंत्री श्री त्रिपाठी ने २१ मार्च को राज्य विधानसभा में एक वक्तव्य दिया कि शिव सागर जिले में नागा विद्रोहियों के साथ मिल करके जो इस प्रकार के तत्व हैं वे किसी तरह से असम सरकार का तख्ता पलटने का यत्न कर रहे हैं। उन तत्वों ने अपने कार्यक्रम में अनेक बातें रखी हैं जैसे रेल के पुलों को उड़ाना, पाइप लाइन, पेट्रोल और हवाई अड्डों को नष्ट करना इत्यादि। इसी प्रकार की कुछ घटनाओं की आवृत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। बिहार की जो सीमा नेपाल से लगती है वहां पर भी इस तरह की घटनायें हुई हैं। पंजाब में रोपड़ के पास भी इसी प्रकार की घटनायें हुई हैं। केरल में भी ऐसी ही घटनायें हुई हैं।

मैं इन सब बातों के विस्तार में अधिक न जाकर प्रमुख रूप से इस बात पर आता हूं कि आखिर इन सब का सूत्र संचालन कहां से हो रहा है।..... (व्यवधान) — अबसे कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में ..... (व्यवधान)

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : यू. पी. का जिक्र नहीं किया कि जिला मुजफ्फर नगर में श्री जैन को बी. के.डी. वालों ने मार डाला.....(व्यवधान).....]

[श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : चोर की दाढ़ी में तिनका ..... (व्यवधान)]

चीन के निर्देश

सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि इन सबका सूत्र संचालन कहां से होता है, मैं उसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं। सदन के सदस्यों को ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में चीन में साम्यवादी पार्टी का ९ वां सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के सम्बन्ध में अपने दस्तावेज पेश किए कि किस देश में हमारा कार्यक्रम किस ढंग से चल रहा है। भारत के सम्बन्ध में भी, पार्टी के जो उपाध्यक्ष श्री लिन पियाओ हैं, उन्होंने अपने कुछ कार्यक्रम दिए। सारी बातें बताते हुए उन्होंने भारत सरकार पर एक आरोप लगाया कि भारत में इस समय जो सरकार चल रही है वह रूस, अमरीका और ब्रिटेन की दास हो चुकी है। हम इस प्रकार का वातावरण वहां उत्पन्न कर रहे हैं कि समय आने पर एक धक्के में उस सरकार को वहां से हटाया जायेगा। ये सारी योजनायें वहां पर बैठ कर बन रही हैं। उसी आधार पर भारत वर्ष में जो कुछ कार्यक्रम तैयार किए गए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं ;

१. सत्ता बन्दूक की नोक से बदली जा सकती है संविधान से नहीं। सत्ता वोट से नहीं, बुलेट से बदली जा सकती है।
२. किसानों, मजदूरों और छात्रों को सशस्त्र संघर्ष के लिए उभारा जाये।
३. कारखानों के अन्दर घुसकर तोड़-फोड़ की जाये और उत्पादन में बाधा उत्पन्न की जाये।
४. कानून और व्यवस्था को हाथ में लिया जाये। थानों और पुलिस पर हमले किये जायें, इत्यादि।

सेना में घुसपैठ की योजना

अखिल भारतीय गोदी कर्मचारी संघ के महामंत्री, श्री कुलकर्णी ने भी बम्बई में अभी इस तरह के तथ्य का उद्घाटन किया। उन्होंने लिखा था कि पेकिंग से इस प्रकार के निर्देश, उनके निर्देश का काम करने वाली पार्टियों को, आये हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं में, रक्षा प्रतिष्ठानों में और पुलिस के अन्दर भी हमारी पार्टी के लोग प्रवेश करें। उनका प्रकार यह होना चाहिए कि उनका रहस्य न खुले इसके लिए हमेशा अपने पास गीता की पुस्तक , कुरान या बाइबिल रखें जिससे उनका रूप धार्मिक रहे। अगर कहीं उनको अपनी मीटिंग करनी हो तो मन्दिर, मस्जिद जैसे स्थानों में करें। यानी इस प्रकार से अन्दर प्रवेश करके तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां की जायं और बाहर सशस्त्र विद्रोह किया जाये। यह गोदी कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी ने कहा था।

इसी सन्दर्भ में शायद गृह मंत्री श्री चव्हाण को याद होगा कि वे इस सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि चीनी दूतावास से केरल में कुछ स्थानों पर मनीआर्डर भेजे गये। केवल गृह मंत्री श्री चव्हाण ने ही स्वीकार किया हो, ऐसी बात नहीं है, केरल के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री नम्बूद्रीपाद ने स्वयं २६ मार्च को केरल विधान सभा में इस तरह का एक वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे यहां के वामपंथी साम्यवादी सदस्य श्री कुन्नीकल नारायणन हैं जिनको चीनी दूतावास से दूकान खोलने के लिए धन मिला। इस प्रकार से उन्होंने स्वीकार किया कि चीनी दूतावास से यहां पर आर्थिक सहायता आई। रायपुर में गृह राज्य मंत्री, श्री विद्याचरण शुक्ल ने भी इस बात को स्वीकार किया कि राजनीतिक पार्टियां विदेशों से धन

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेकर काम चलाती है।

पाकिस्तान से भी धन व अस्त्र

जब इस तरह के वक्तव्य गृहमंत्री श्री चव्हाण ने भी दिए हैं तब मैं चाहूंगा कि जब वे उत्तर दें तो इस बात को बतायें कि आपके गुप्तचर विभाग ने इस प्रकार के जो आंकड़े दिए हैं उनमें क्या कुछ इस प्रकार का धन है जो चीन से आता है। और यहां पर उसका प्रयोग राजनीतिक तोड़-फोड़ के कार्यों में किया जाता है।

पूर्वी पाकिस्तान के माध्यम से धन और हथियार दोनों आ रहे हैं। उधर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर नेपाल के अन्दर एक पार्टी है जिसका नाम है माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। जिसका भारतवर्ष की कुछ पार्टियों के साथ सम्बन्ध है। यहां पर ट्रेंनिग देने का काम, हिन्दी में लिट्रेचर छाप छाप करके वांटने का काम, धन वांटने का काम, इस प्रकार के कार्यक्रम वहां चल रहे हैं। ये सारी घटनायें उस समय और भी अधिक प्रकाश में आयीं जिस समय पहली मई, १९६९ को कलकत्ता में कनु सानयाल ने अपनी एक नयी पार्टी का उद्घाटन किया और उन्होंने मार्क्स-लेनिनवादी पार्टी को कार्यक्रम दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि माओ की नीतियों का अनुसरण करना हमारा प्रमुख रूप से ध्येय रहेगा। अन्डर ग्राउन्ड (भूमिगत) रह कर हम कार्य करेंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र क्रान्ति की तैयारी करेंगे, और हमारी पार्टी की आस्था चीन की पार्टी के साथ में रहेगी। सशस्त्र संघर्ष में आस्था रखने वाले ही इसके सदस्य होंगे क्रान्ति की परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाया जायेगा। इसी प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने दिये कि कृषक वर्ग में किस तरह से क्रांन्ति की जा सकती है। कैसे उनको सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार किया जा सकता है।

लेकिन मैं इन सारी बातों को कहने के बाद इस सरकार को दोषी ठहराना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि या तो अभी तक वह इन सारी विषमताओं की जो गम्भीरता है, या जो सशस्त्र क्रान्ति की तैयारी देश में चल रही हैं, उसकी गम्भीरता को अनुभव नहीं कर रही है। या फिर मेरा यह दोषारोपण है कि अगर सरकार गम्भीरता अनुभव कर रही है तो सरकार के अन्दर कुछ व्यक्ति इस प्रकार के हैं जिनके मन में इस प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए सौफ्ट कार्नर है। जो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को देश में चालू रहने देना चाहते हैं।

सरकार चुप क्यों ?

आखिरकार यह बात क्या है ? जब सरकार समझती है कि जनतंत्र के लिए चुनौती दी जा रही है, संविधान के लिए चुनौती दी जा रही है, जेलों को खुलवाकर कैदियों को वहां से निकाला जा रहा है। अन्दर घुसकर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति हमारे कारखानों की नष्ट की जा रही है, खेतों, खलिहानों पर वलात् कब्जे किये जा रहे हैं, राजनीतिक हत्यायें हो रही हैं, फिर सरकार चुप्पी साधे क्यों बैठी है। क्यों नहीं इस दिशा में कोई सक्रिय कदम उठाती है ?

कलकत्ते से "देशव्रती" नाम का एक पत्र निकलता है, उसमें स्पष्ट रूप से घोषणा की गयी कि हमारा राष्ट्रपति माओ त्से तुंग है, वी. वी. गिरी नहीं हो सकता है। तो इतनी सारी बातें होने के बाद अगर सरकार चुप्पी साधती है तो यह शुतुर्मुर्गी नीति है, जैसे वह विपत्ति को देख कर रेत में अपनी गर्दन छुपा लेता है। यह नीति इस देश में नहीं चलेगी।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे देश में एक वह भी समय था, गृह मंत्री, श्री चव्हाण को याद होगा, जब नन्दा जी ने एक बार इसी प्रकार की प्रवृतियों पर प्रतिबन्ध लगाया था। उस समय उन्होंने बताया कि कुछ लोग गुप्त रूप से इस प्रकार का षड्यन्त्र बना रहे थे,

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसलिए विवश हो कर यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन जब स्पष्ट रूप से षड्यंत्र सामने आ गया और खुल्लमखुल्ला नारे लगने लगे और खुलकर कनु सान्याल, चारु मजूमदार, जंगल सयाल और नागी रेड्डी ये सब दहाड़ रहे हैं, उन समय गृह मत्रालय यह सोचे कि सामाजिक स्तर पर हम उनका समाधान करेंगे, सरकारी स्तर पर समाधान नहीं करेंगे, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

आज सात पार्टियां हैं विशेष रूप से जो ऐसा काम कर रही हैं। पहले साम्यवादी पार्टी एक थी। १९६२ में बंट कर उसके दो टुकड़े हो गये— एक वाम पन्थी और दूसरी दक्षिण पंथी। फिर १९६७ में नक्सलाइट ग्रुप निकला। लेकिन अब तो अनेक नये गुट बन गये हैं—नागी रेड्डी ग्रुप, दक्षिण देश, लाल झंडा, कहीं खेत मजदूर, कहीं दक्षिण कम्युनिस्ट, कहीं मार्क्सवादी लेनिनवादी, मिथी गुट,— जो इस प्रकार के गुट हैं जो देश के अन्दर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको रोकना अत्यन्त आवश्यक है।

सप्तसूत्री सुझाव

इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को कुछ सुझाव दूं और मैं इन शब्दों में देना चाहता हूँ :

१. पहला मेरा सुझाव तो यह है कि देश द्रोह की बीमारी के ये कीड़े कहां कहां और किन कारणों से पनप रहे हैं, उन कारणों को दूर किया जाय। केवल यही नहीं कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जाय। जिन कारणों से यह बुराई पैदा हो रही है उन कारणों का भी समाधान सरकार और देश को मिलकर सोचना चाहिए।

२. दूसरा सुझाव यह है कि संविधान और जनतन्त्र के विरुद्ध जिन संगठनों ने योजनाबद्ध अभियान छेड़ रखे हैं उन्हें सख्ती के साथ दबाया जाय।

३. तीसरा सुझाव यह है कि हिंसा, तोड़-फोड़, अराजकता और हत्या जिनके कार्यक्रम का अंग हो और जिनका संचालन सूत्र भारत से बाहर बैठकर हिलता हो, उन राजनीतिक दलों को भारत में कार्य करने की अनुमति न दी जाय।

४. चौथा सुझाव यह है कि जो राज्य सरकारें इन प्रवृत्तियों को सरकारी प्रश्रय दे रही हैं वहां केन्द्र सरकार केवल मूक दर्शक बनी न देखती रहे। वहां की स्थिति भयंकर होने के पूर्व अपने अधिकारों का प्रयोग करे। इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता हो, तो सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए, लेकिन देश को अराजकता के मार्ग पर जाने से बचाना चाहिए।

५. पांचवां सुझाव यह है कि चीन और पाकिस्तान जो सीमाओं पर हमले की तैयारी के अतिरिक्त अन्दर भी गड़बड़ पैदा करने में लगे हैं उनसे राजनीतिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये जायें। आस्तीन के सांप पालना दिमागी दिवालियेपन का प्रमाण है।

६. छठा सुझाव यह है कि जनतन्त्र विरोधी साहित्य विशेषकर माओ और लिन पियाओ आदि के साहित्य को भारत में बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

७. सातवां सुझाव यह है कि साम्यवाद और साम्प्रदायवाद (कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म) का चीन और पाकिस्तान के समझौते के बाद भारत में जो नया गठबन्धन हुआ, उसके परिणामों से सावधान रहा जाय और उससे देश को बचाया जाय।

और अन्त में मेरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है, जिसको मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अपनी कुर्सी अथवा सत्ता में बने रहने के लिए कोई ऐसा कदम न उठाया जाय जो देश में इस प्रकार के साम्यवादी तत्वों को प्रोत्साहन दे। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पं. बंगाल में राष्ट्रपति शासन का स्वागत

पश्चिमी बंगाल की घटनाओं के कारण तथा वहां पर कुछ समय पूर्व राज्यपाल के साथ जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया था उससे तथा स्थान स्थान पर होने वाले हिंसा के ताण्डव ने जव सभी सीमाएं पार कर लीं तब वहां १९ मार्च १९६० को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इस पर ३० मार्च १९७० को लोकसभा में विचार के समय शास्त्री जी ने इसे देर से उठाया गया उचित कदम वताया।

सभापति जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं माना जाता। केन्द्रीय सरकार को जो निर्णय कई महीने पूर्व लेना चाहिए था, वह निर्णय उसने अव लिया। इस निर्णय के लिए मैं केन्द्रीय सरकार की सराहना करना चाहता हूं। वंगाल की घटनाओं से पूरे देश में चिन्ता फैली हुई थी। कारण स्वाभाविक था कि बंगाल की घटनाओं का प्रभाव केवल बंगाल पर ही नहीं होता। बंगाल पूर्वी भारत का द्वार है। इसलिए वंगाल में जो घटनाएं घट रही थीं उनसे असम भी प्रभावित हो रहा था तथा मनीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, नेफा आदि सभी क्षेत्रों में बंगाल की घटनाओं का प्रभाव होना स्वाभाविक था।

क्रान्तिकारियों के प्रदेश में देशद्रोह

पीछे बंगाल के अन्दर कुछ महीनों में हिंसा, कत्ल, अराजकता का जो तांडव नृत्य होता रहा उसने सारे देश में एक इस प्रकार की विषम स्थिति पैदा कर दी थी जिससे लोग सोचने लगे थे कि कौन सा समय आएगा जबकि केन्द्रीय सरकार मजबूत निर्णय लेगी।

न केवल हिंसा, अराजकता और कत्लों की घटनाओं ने इस देश को चिन्ता में डाल दिया था अपितु वास्तविकता यह है कि कुछ समय से यह सोचा जाने लगा था कि बंगाल में कुछ इस प्रकार के व्यक्ति और राजनीतिक दल भी हैं जो विदेशों के संकेतों पर चल रहे हैं और इस देश की स्वाधीनता को दूसरे देशों के हाथों में गिरवी रखना चाहते हैं। वंगाल का यह सौभाग्य था उसने स्वातन्त्र्य संग्राम में नेताओं की एक लम्बी श्रेणी पैदा की। विपिन चन्द्र पाल से लेकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जैसे नेताओं की सेवाओं पर पूरे देश को अभिमान था। यतीन्द्रनाथ दास तथा रासबिहारी बोस जैसे क्रान्तिकारी नेताओं को जिस बंगाल ने पैदा किया उसी बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घटीं।

पहला सबसे बड़ा बंगाल का दुर्भाग्य तो यह था कि बंगाल का विभाजन हुआ। दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि पिछले २२ वर्षों में बंगाल के अन्दर कुछ राजनीतिक महन्त इस तरह से अपनी गद्दियों पर जमकर बैठ गए कि उन्होंने बंगाल के अन्दर कोई विकास के काम नहीं होने दिए और उसी का दुष्परिणाम यह है कि आज वंगाल के अंदर हिंसा करने वालों, कत्ल करने वालों और अराजकता में विश्वास करने वालों को आगे आने का अवसर मिला। इसके लिए मैं मुख्य रूप से उन राजनीतिक महन्तों को दोषी ठहराना चाहता हूं जो कि पिछले २२ वर्षों में बंगाल के साथ अत्याचार करते रहे हैं।

तीसरा सबसे बड़ा जो बंगाल के साथ दुर्भाग्य हुआ जिसको मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार अगर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समझदारी से निर्णय लेती तो शायद उनको किसी तरह से सम्हाल सकती थी। राजनीतिक तुष्टीकरण में आ करके हमने बंगाल के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर को जिन परिस्थितियों में हटाया वह परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं थी। अगर श्री धर्मवीर राज्यपाल के पद केउपयुक्त नहीं थे तो फिर उनको मैसूर में राज्यपाल बनाने की क्या आवश्यकता थी। एक व्यक्ति जिसको प्रशासन का अनुभव था और जिसने बंगाल की परिस्थितियों को बड़ी मजबूती के साथ सम्हालना प्रारम्भ किया था उसे केन्द्र के कुछ नेताओं ने राजनीतिक तुष्टीकरण के चक्कर में आ करके वहां से हटाया और दूसरे स्थान पर राज्यपाल बनाया। यह भी बंगाल का दुर्भाग्य था।

माओत्से तुंग राष्ट्रपति

बंगाल के अंदर पिछले कुछ महीनों से जो विनाश चल रहा था और जिन परिस्थितियों ने देश को चिन्ता में डाल दिया था, मैं उन बातों की विशेष चर्चा नहीं करना चाहता। श्रीमती इला पालचौधरी कुछ समय पहले कह रही थीं कि वियतनाम और लाल सलाम के नारे वहां पर लगते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया के किसी देश में जिसमें जनतंत्रीय संविधान लागू हो, इस प्रकार की भी स्थिति हो सकती है कि वहां के कुछ राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक समाचार पत्र खुल्लम-खुल्ला इस बात की घोषणा करें कि हमारे राष्ट्रपति माओत्से तुंग हैं श्री वाराहगिरि वैंकटगिरि हमारे राष्ट्रपति नहीं हैं। और फिर उनको उस देश और राज्य की सरकारें स्वीकार करें ? अगर चीन के अन्दर कोई व्यक्ति इस प्रकार का हो, या कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक समाचार पत्र इस प्रकार का हो, जो वहां दबे शब्दों में भी इस बात को कह दे कि श्री वाराहगिरि वेंकटगिरि हमारे राष्ट्रपति हैं, माओत्से तुंग हमारे राष्ट्रपति नहीं हैं तो चीन की सरकार उसके साथ क्या व्यवहार करती ?

लेकिन भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसके अन्दर इस प्रकार की राज्य सरकारें भी हैं जो इस प्रकार के अराजकतावादी तत्वों और देशद्रोहियों को बर्दाश्त करती हैं। परिणाम यह है कि केवल इस तरह के नारे ही वहां नहीं लगे बल्कि वास्तविकता यह है कि कुछ महीने पहले हमारे गृह मंत्री श्री चव्हाण ने इस बात को सदन में भी स्वीकार किया था कि बंगाल के अंदर इस प्रकार के लोग हैं जो सशस्त्र क्रांति के नारे खुल्लम खुल्ला लगाते हैं, दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जाते हैं और पेंटिग्ज़ चिपकाई जाती हैं कि अपने अधिकारों के लिए हथियार हाथ में लेना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति वहां हो गई। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो बंगाल के अन्दर सशस्त्र सभायें और सशस्त्र जुलूस निकलने प्रारंभ हुए हैं, यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। जबकि वहां पर राष्ट्रपति शासन है तब यह चीजें और भी चिन्ता में डालने वाली हैं।

मार्क्सिस्टों के बम कारखाने

मैं मुख्य रूप से दो तीन बातें कहना चाहता हूं। एक तो मुझे इस बात का पता लगा कि बंगाल की सरकार यूनाइटेड फ्रंट के नाम पर चल रही थी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह मार्क्सिस्ट लोगों की सरकार थी। उन्होंने छात्रों के अन्दर भी अपने ढंग की सेनायें बनाईं और उनको सशस्त्र हिंसात्मक उपद्रवों के लिए उभाड़ा गया। दूसरी बात यह थी कि छोटी छोटी बम बनाने वाली फैक्टरियां न केवल कलकत्ता नगर में ही थीं बल्कि पूरे राज्य में ही इस प्रकार की फैक्ट्रियों का जाल बिछाया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस के अन्दर भी मार्क्सिस्टों ने कुछ इसी प्रकार के अपने समर्थकों की घुसपैठ कराई। पुलिस

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के अन्दर भी इस प्रकार के व्यक्ति रखे गए। कम से कम अब राष्ट्रपति शासन के अन्दर मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष व्यक्ति जाकर वहां जांच करे उसके बाद जो भी व्यक्ति या अधिकारी दोषी पाए जायं या पुलिस में जो घुसपैठ हुई हैं, उसका तत्काल समाधान होना चाहिए।

देशद्रोहियों के बारे में सोचने का समय

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जिन लोगों को जनतंत्र में विश्वास नहीं है या जिनको भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है—मैं इस सम्बन्ध में किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता। कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति जिसकी जनतंत्र में आस्था नहीं है, संविधान में जिनकी आस्था नहीं है, विदेशी ताल पर जिनके पैरों में थिरकन पैदा हो जाती है, भारतीय राजनीति में इस प्रकार के लोगों को कार्य करने दिया जाए या कार्य न करने दिया जायं—अब वह समय आ गया है जबकि हमको इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मेरी अपनी निजी राय में एक कदम यह भी है, अगर आप बंगाल की सामान्य जनता के साथ न्याय कराना चाहते हैं। ये नारा तो गरीबों का लगाते हैं कि हम गरीबों की भलाई कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी पार्टी के गरीब हैं वे तो गरीब हैं और जो सामान्य गरीब हैं वह गरीव नहीं हैं। क्योंकि वे इनकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बंगाल और पूर्वी भारत तथा देश के साथ न्याय करना है तो उसका एक ही उपाय है। हालांकि मैं जनतंत्र में राष्ट्रपति शासन का अधिक देर तक हामी नहीं हूं लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं और बंगाल उन्हीं अपवादों में से एक अपवाद है कि १९७२ तक वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू रहे और वहां पर कोई मजबूत गवर्नर भेजा जाए जिसको कि प्रशासन का पूरा अनुभव हो। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिमी बंगाल के अराजक तत्त्व

पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ३० जुलाई १९७० को वहां की विधान सभा को भी भंग कर दिया गया। पं. बंगाल में सुचारु शासन के लिए २५ अगस्त १९७० को लोक सभा में विचार किया गया। शास्त्री जी ने एक बार पुनः अराजक तत्त्वों को दृढ़ता पूर्वक दमन करने का सुझाव दिया।

सभापति जी, हमारे देश का यह सौभाग्य है कि बंगाल ने प्रायः हर क्षेत्र में भारत का नेतृत्व किया है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो और चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। बंगाल ने जहां साहित्य के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महान व्यक्ति को पैदा किया, कला के क्षेत्र में जहां नन्दलाल बसु जैसे महान व्यक्ति को पैदा किया, राजनीतिक क्षेत्र में बंगाल ने श्री सी. आर. दास, सुभाषचन्द्र बोस तथा डा. श्यामाप्रसाद मुकर्जी को पैदा किया और क्रान्तिकारियों के क्षेत्र में जहां बंगाल ने खुदीराम और रास विहारी जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया वहां आज बंगाल का दुर्भाग्य है कि चीनियों को भारत में लाने का कुश्रेय भी बंगाल के कुछ इने-गिने व्यक्ति ले रहे हैं ।

चीनी शस्त्र और चीनी नोट

यद्यपि उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है, संख्या में वे थोड़े हैं लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह है कि उन के हाथ में चीनी हथियार हैं और उनकी जेब में चीनी नोट हैं। उसी का परिणाम यह है कि आज वह बंगाल की जनता को भयभीत कर रहे हैं और सारे देश का वातावरण क्षुब्ध बना हुआ है। इन्होंने ही यह नारा लगाना प्रारम्भ किया है कि माओ-त्से-तुंग हमारे राष्ट्रपति हैं, श्री वी.वी. गिरि हमारे राष्ट्रपति नहीं हैं। जहां तक इनके निर्देशों का संबंध है, चीन से यह निर्देश प्राप्त करते हैं, साहित्य प्राप्त करते हैं और समय-समय पर अपनी नीतियों के सम्बन्ध में भी ये उसी ओर देखते हैं कि क्या संकेत वहां से आते हैं, स्थिति यहां तक विगड़ गई है कि आज बंगाल के अंदर स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा सुरक्षित नहीं है। आज बंगाल में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा सुरक्षित नहीं है। आज बंगाल में आशुतोष मुकर्जी की प्रतिमा सुरक्षित नहीं है। फिर गांधी और जवाहर लाल का कहना ही क्या है ?

अब तो इन्होंने यह नारा लगाना भी प्रारम्भ कर दिया है कि बंगाल के अंदर काली-पूजा जोकि एक विशिष्ट पूजा मानी जाती है, विजय दशमी का त्यौहार जो दुर्गा का एक प्रसिद्ध त्यौहार बंगाल के अंदर है, उसमें इनकी प्रतिमाएं न बना करके माओ-त्से-तुंग की प्रतिमाएं बनाई जायें। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में इस प्रकार का समाचार भी आया था कि १५ अगस्त को जब सारे देश में राष्ट्र स्वतन्त्रता-दिवस मना रहा था उस समय बंगाल के अंदर राष्ट्रीय ध्वज जलाये गए। अब इन सारी परिस्थितियों में भी अगर देश सावधान न हो, केन्द्रीय सरकार न चेते तो फिर कब चेतेगी ?

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर यही सारी घटनाएं चीन के अंदर हों तो क्या चीन की सरकार उनको इसी प्रकार बर्दाश्त करेगी जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार सहन कर रही है ? अभी कुछ

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिन पहले जब कनु सान्याल गिरफ्तार हुए थे तो उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़ी मात्रा में उनके साथ कुछ चीनी हथियार भी मिले थे। उसके बाद जो तलाशियां हुईं उनमें कई स्थानों पर इस प्रकार की सामग्रियां मिलीं कि जहां एक-एक स्थान पर ही इतनी सामग्री थी जिससे ४० हजार बमों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी समाचार मिलते रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में समय-समय पर हथियार आते रहते हैं। वह हथियार इन लोगों को दिए जाते हैं। केन्द्र की निष्क्रियता यहां तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री कई बार राज्य सभा और लोक सभा में भी और सार्वजनिक सभाओं में भी बार बार यह घोषणा कर चुकी हैं कि हम बड़ी सख्ती के साथ इनके दमन की तैयारियां कर रहे हैं। पर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वह घड़ी कब आएगी जब केन्द्रीय सरकार सख्ती के साथ उनके मन की तैयारी करेगी या केवल शब्दों में ही केन्द्रीय सरकार उनका दमन करना चाहती है ? क्षमा कीजिये, आज मैं केन्द्रीय सरकार की स्वार्थपरता पर खुला आरोप लगाना चाहता हूं। अपनी कुर्सियों पर बने रहने के लिए जो इस प्रकार के पैक्ट कर सकते हैं कम्युनिस्टों के साथ गठबन्धन, और अकालियों के साथ गठबंन्धन, तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि इन्होंने नक्सलाइट्स से भी आंतरिक रूप से कोई गठबंधन कर लिया हो। ऊपर से कहते हैं कि हम इस प्रकार सख्ती से इनको दबाएंगे लेकिन वह घड़ी कब आएगी ?

राजभवन को राजनीति में लपेटा

संसद और संसद से बाहर भी कई बार इस प्रकार की चर्चाएं की गई कि पश्चिमी बंगाल के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनको वहां से हटाया जाय। पश्चिम बंगाल की राजनैतिक स्थिति का सामना करने के लिये वे सक्षम नहीं हैं। लेकिन उनको कहा गया कि नहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वहां की राजनीतिक स्थिति का दृढ़ता के साथ सामना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन था, लेकिन उस समय राज्यपाल धवन नहीं थे बल्कि दूसरे व्यक्ति राज्यपाल थे जो कि इस समय मैसूर के राज्यपाल हैं, क्या उस समय भी दुर्गापुर के कारखाने में ५० करोड़ का नुकसान हुआ था ? उस समय भी क्या इसी प्रकार के चालीस हजार बम बनाने की सामग्री किसी एक स्थान पर मिली थी ? क्या उस समय भी इसी तरह से पूर्वी पाकिस्तान से चीनी हथियार और चीनी नोट आया करते थे भारत की राजनीति को विक्षुब्ध करने के लिये ? इस सिलसिले में मेरा श्री धवन के साथ कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं, परन्तु प्रश्न यह है कि कोई एक व्यक्ति सबसे ऊंचे आसन पर बैठकर उस राज्य में शान्ति और व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकता तो स्वाभाविक है कि केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार के व्यक्ति को वहां से हटा कर किसी मजबूत व्यक्ति को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आसन पर बिठाना चाहिये, जो बंगाल की विषम स्थिति का समाधान करे और बंगाल की स्थिति को सम्भाले।

वे विनाशकारी शक्तियां

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि सरकार की अकर्मण्यता का दूसरा दुष्परिणाम एक और होने वाला है। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा बंगाल में चाहे इस तरह के नक्सलाइट, माओइस्ट या मार्क्सिस्ट कोई भी क्यों न हों, उनकी संख्या बहुत नहीं है। लेकिन चूंकि उनके पास हथियार हैं उनके पास विदेशी पैसा है, उसका परिणाम यह है कि वह बंगाल की जनता को भयभीत किये हुए हैं। आगे चलकर उनका दुष्परिणाम यह होने वाला है कि अगर केन्द्रीय सरकार ने सख्ती के साथ कोई कदम

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न उठाया और दृढ़ता के साथ कोई निर्णय नहीं लिया—प्राइम मिनिस्टर वार-वार घोषणा करती रहीं कि वह सख्ती से निर्णय लेंगी, सख्त कदम उठायेंगी, लेकिन उठाया नहीं — तो परिणाम यह होगा कि पश्चिमी वंगाल में होने वाले निर्वाचनों के अन्दर भी इसी प्रकार की शक्तियां कामयाब होंगी जिन शक्तियों ने वंगाल को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है।

वंगाल के इस प्रकार की शक्तियों के हाथ में जाने का अभिप्राय यह है कि इस देश को भारत के समूचे पूर्वी भाग से हाथ धोना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के हाथ से निकलने का अभिप्राय यह है कि असम से भी हाथ धोना पड़ेगा, मणिपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागालैण्ड से भी हाथ धोना पड़ेगा। आप मुझ को क्षमा कीजिये, मुझे तो वह दिन भी याद आता है कि जव १९६२ में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तव इसी सरकार के प्रधान मंत्री ने एक दिन निराश होकर कहा था कि असम के लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है। जव असम के अन्दर चीनी सेना आ गई थी तव अगर उनके सोचने का ढंग यह हो सकता था तो मुझको ऐसा लगता है कि इस समय भी कहीं इनके सोचने के ढंग में वही दुर्वलता तो नहीं है। इस लिये पश्चिम वंगाल की स्थिति के सम्वन्ध में सावधानी के साथ, दृढ़ता के साथ और मन में दृढ़ होकर तत्काल इस प्रकार के कदम उठाने चाहिये जैसे दुर्गापुर के कारखाने की हड़ताल के सम्वन्ध में कल परसों इतना व्रड़ा विनाश होने के वाद सरकार ने कदम उठाया।

पुलिस में प्रवेश की जांच हो

इस के लिए मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है किपश्चिम वंगाल की संविद सरकार के अंदर जो पुलिस में नई भर्ती हुई है उस के लिये केन्द्रीय सरकार एक जांच समिति बनाये। जांच समिति देखे कि कहीं पुलिस के अंदर तो उन लोगों ने अपने आदमियों को प्रवेश नहीं करा दिया है। आखिर पुलिस तो देश की रक्षा के लिये होती है, लेकिन जव पुलिस रूपी रक्षक ही भक्षक हो जायेंगे तो वंगाल को वचायेगा कौन ? जैसा मैंने कहा अगर वंगाल नहीं वचेगा तो पूर्वी भारत को कौन वचायेगा ? इस लिए आप को फौरन निर्णय लेना चाहिये कि संविद् सरकार के अन्दर जो नई भर्तियां हुई हैं उनके सम्वन्ध में एक जांच कमिशन वना करके जो इस प्रकार के तत्वों का प्रवेश करा दिया गया है उनसे पश्चिमी वंगाल की पुलिस को शुद्ध किया जाए।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि पश्चिम वंगाल के अन्दर भूमि सुधार कानूनों के प्रति केन्द्रीय सरकार जो उपेक्षा वरतती रही है उसके सम्वन्ध में भी समय निर्धारित करना चाहिये। इस के लिये भी मैं केन्द्रीय सरकार पर दोषारोपण करना चाहता हूं। जव आप यह जानते हैं कि भूमि सुधार कानूनों को लेकर, उस को बहाना बना कर, पश्चिम वंगाल में हिंसा के वातावरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तव आप समय क्यों निर्धारित नहीं करते ? इस प्रकार की विधि या अधिनियम क्यों नहीं बनाते जिससे पश्चिम वंगाल में भूमि सुधार कानून लागू हो जायें और कहीं भी किसी को इस प्रकार से अंगुली उठाने का अवसर न मिले ?

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पश्चिमी बंगाल के अन्दर जो बेरोजगारी वढ़ती जा रही है, यों तो वह सारे देश के लिये ही चिन्ता का विषय है, पर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो विदेशी शक्तियां उससे लाभ उठाती हैं उसके लिये हमें गम्भीरता के साथ कोई निर्णय लेना चाहिये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चौथी बात आज पश्चिमी बंगाल को इस अनिश्चित स्थिति के कारण वहां के उद्योगों केअन्दर एक अनिश्चितता का वातावरण आ गया है। उद्योग धन्धे वहां से हटने लगे हैं और उद्योगों का विस्तार बन्द हो गया है। इसका प्रभाव सारे भारत पर तो होगा ही, लेकिन पश्चिमी बंगाल के आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव विशेष रूप से होगा। इस लिये मैं यह चाहता हूं कि इस विषय में हमें गम्भीरता से कुछ निर्णय लेने चाहिये ताकि पश्चिमी बंगाल की आर्थिक रीढ़ की हड्डी किसी प्रकार टेढ़ी न हो जाये।

विश्व विद्यालयों पर दृष्टि रखें

पांचवीं बात - मैं वहां की शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। क्योंकि इस बजट के अन्दर उस का विशेष प्रावधान किया गया है। शिक्षण संस्थाओं की स्थिति क्या है ? वहां किस प्रकार के युवकों का प्रवेश कराया जा रहा है। और वहां का वातावरण ऐसा विषाक्त बनाया जा रहा है कि विश्वविद्यालय महीनों बन्द रहते हैं। वहां आज यह वातावरण बनाया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों के छात्रों के अन्दर अपने पुराने संस्कारों के प्रति, अपने पुराने पूर्वजों के प्रति, पुराने नेताओं के प्रति जो श्रद्धा, सम्मान और विश्वास बना हुआ है, वह उनके मस्तिष्क से हटाया जाय, क्योंकि जब तक वह श्रद्धा बनी रहेगी तब तक माओत्से तुंग कैसे प्रवेश करेगा, तब तक चाउ-एन-लाई की भावना किस प्रकार से प्रवेश करेगी। इन शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहता हूं, जहां पढ़ने वाले युवक भावी भारत के निर्माता बनने वाले हैं। सौभाग्य से शिक्षा मंत्री यहां पर विद्यमान हैं। उनको इन शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में बढ़ी दृढ़ता से कुछ निर्णय लेने चाहिये। क्योंकि पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध केवल पश्चिमी बंगाल से नहीं है वह पूरे भारत से है।

पश्चिमी बंगाल के हिन्दी शिक्षक

अन्त में पश्चिमी बंगाल के हिन्दी शिक्षकों के सम्बन्ध में कह कर मैं अपनी बात समाप्त करुंगा। उन्होंने कुछ दिन पहले अनशन किया था और शिक्षा मंत्री को स्मरण होगा कि न केवल पश्चिमी बंगाल में बल्कि पूरे देश में हिन्दी शिक्षा के प्रचार के लिये केन्द्रीय सरकार अहिन्दी भाषी राज्यों को अनुदान देती है। इसी आधार पर पश्चिमी बंगाल के करीब ३०० अध्यापकों के लिये अनुदान दिया जाता है। पैसा सारा यहां से जाता है, लेकिन उस पैसे में कटौती हो जाती है। बेचारे जो अध्यापक हैं उनके ग्रेड भी नियत नहीं हो सके। हिन्दी के अध्यापकों ने हड़ताल की और उसके सम्बन्ध में मुझे तार दिया। मैंने शिक्षा मंत्री को उन तारों की प्रतिलिपि भेजी। उन्होंने मुझे लिखा किवह उसकी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब पैसा यहां से जाता है और आज बंगाल के अन्दर आप का शासन है, राष्ट्रपति का शासन है, तब आप पश्चिमी बंगाल के अन्दर हिन्दी अध्यापकों के ग्रेड क्यों मुकर्रर नहीं करते जिससे उन लोगों के सामने निराशा की स्थिति न रहे। इस प्रकार का रचनात्मक कदम आप उठायेंगे तो मेरा अनुमान है कि आप हिंसात्मक प्रवृत्तियों का सामना कर सकेंगे और पश्चिमी बंगाल के अध्यापकों के असन्तोष के लिये एक सन्तोषजनक समाधान दे सकेंगे। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिक्किम का भारत में विलय स्वागत योग्य

सिक्किम के भारत में विलय तथा उसके भारत का नया राज्य पर सिक्किम को भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व देने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक ७ दिसम्बर १९७४ को प्रस्तुत किया गया। राज्य सभा में शास्त्री जी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी और शेख अब्दुल्ला के सुल्तान बनने के सपनों को भी आड़े हाथ लिया।

उपसभापति जी, सिक्किम को भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में इस विधेयक का मैं स्वयं तथा अपने दल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत-सिक्किम की पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में कुछ बातें बतलाते हुए मैं अपनी चर्चा आगे बढ़ाना चाहता हूं।

१८१४ में नेपाल से संघर्ष के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेपाल के बीच में एक सन्धि हुई। १८१७ में उस समय सिक्किम भारत का संरक्षित भाग माना गया था। उसके बाद १८९० में तिब्बत सिक्किम सीमा के ऊपर चीन और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ, जिसमें सिक्किम को भारत का संरक्षित प्रदेश माना गया। १९०४ में उस वक्त तिब्बत और सिक्किम के बीच जो सीमांकन का कार्य हुआ था, उसमें यह बात स्वीकार की गई थी। मैं इस चीज को दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में कई मित्रों ने पीछे चर्चा की है।

ब्रिटिश सरकार के समय जो यहां पर प्रिन्सेज चैम्बर था उसमें भी सिक्किम महाराजा को उसी तरह का प्रतिनिधित्व मिला हुआ था जिस तरह से भारत के दूसरे रजवाड़ों को मिला हुआ था।

भारतीय संसद में सिक्किम का प्रतिनिधित्व

मैं अब १९४७ के बाद जो घटनाएं हुई हैं, उनकी विशेष रूप से चर्चा आरम्भ करूंगा। १९४७ के बाद सिक्किम और भारत के सम्बन्धों को जो स्नेहपूर्ण गांठ लगी, उसका प्रारम्भ १९५० को हुआ और सिक्किम के प्रशासक और भारत सरकार के बीच एक सन्धि हुई, जिसमें रक्षा, विदेश संचार इन तीन बातों को लेकर सन्धि की पुष्टि की गई। १९५४ में भारत के प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू और सिक्किम के तत्कालीन नामग्याल के बीच में सिक्किम के विकास के लिए एक समझौता हुआ। इसमें सात साल के लिए एक योजना बनी। यह सात साल की योजना १९५४ से प्रारम्भ होकर १९६८ तक चली और भारत सरकार ने अपने कोष से ३२ करोड़ रुपया सिक्किम के विकास के लिए दिया। इसके पश्चात् सिक्किम के विकास के लिए योजनाएं चलती रहीं। कभी ८ करोड़ रुपये की और कभी ९ करोड़ रुपये की और जब कभी दैवी विपत्ति आई तो उसके लिए भी करोड़ों रुपया भारत की ओर से जाता रहा।

६ मई, १९७३ को एक त्रिपक्षी समझौता हुआ, जो भारत और सिक्किम की सरकार के बीच में हुआ। लेकिन जो ऐतिहासिक प्रस्ताव सिक्किम की जनता के प्रतिनिधियों ने किया, जिसकी पृष्ठ भूमि पर हम इस विधेयक को चर्चा का विषय बना रहे हैं, वह निर्णय २० जून, १९७४ को हुआ था। जब सिक्किम के जन-प्रतिनिधियों ने सर्वसम्पत्ति से भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व के लिए अपना निर्णय किया।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय प्रतिनिधि का स्वागत

उपसभापति जी, मैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उन दिनों की याद इस समय दिलाना चाहूंगा, जिस समय हमारे देश में स्वाधीनता का आन्दोलन चल रहा था और देशी रियासतों में प्रजा-परिषद का आन्दोलन छिड़ा हुआ था। उस समय सिक्किम में भी इसी प्रकार के आन्दोलन की कुछ सुरसुराहट थी, लेकिन सिक्किम के अन्दर आन्दोलन उतना उग्र रूप धारण नहीं कर पाया, जितना भारतीय देशी रजवाड़ों के अन्दर था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् वह जो सुरसुराहट थी सिक्किम में उसने गर्मी का रूप धारण किया और वह गर्मी एक जन-विप्लव के रूप में, एक ज्वालामुखी के रूप में फूटी।

आज से दो वर्ष पहले वह घटना हुई जिसमें जनता का विद्रोह सिक्किम के चोग्याल के विरुद्ध उभरा और उस विद्रोह की परिणति इस रूप में हुई कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक को सिक्किम की जनता ने घेर लिया। उदाहरण के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं जिस गंगटोक की आबादी १४ हजार थी जिस समय यह ज्वालामुखी फूटा, वहां की जनता का विद्रोह हुआ, तो दो दिन के अन्दर वहां की १४ हजार की आबादी बढ़कर ४० हजार हो गई। यानी चारों ओर से इतने लोग एकत्रित होकर गंगटोक के अंदर आए और उन्होंने चोग्याल के विरुद्ध प्रदर्शन किया। उस समय उन्होंने भारत की सरकार से संरक्षण मांगा, शरण मांगी और सहायता की याचना की। उस समय भारत सरकार ने सिक्किम का प्रशासन अपने हाथ में लिया और फिर सिक्किम में अपने कुशल प्रशासक श्री वी.एस.दास को प्रशासक बना कर भेजा।

हमारे ये कुशल प्रशासक दास जिस समय गंगटोक के हवाई अड्डे पर सैनिक हैलीकोप्टर से उतरे उनके स्वागत में वे सभी व्यक्ति जो गंगटोक में एकत्रित थे, पहुंचे, और उन्होंने जिस उत्साह से, जिस तरह ढोल धमाके बजाकर उनका स्वागत किया, वह दृश्य जिन्होंने देखा होगा वे यह अच्छी तरह से समझ सकते होंगे कि सिक्किम की जनता का भारत की जनता के साथ कितना हार्दिक सम्बन्ध है। श्री दास के प्रशासन को सम्भालने के बाद जो लोग राजधानी गंगटोक में २६ हजार की संख्या में प्रदर्शन के लिए आ गये थे, वे धीरे-धीरे अपने घरों को लौटने लगे। भारत सरकार ने फिर यह निश्चय किया कि जनता की राय जानने के लिए निष्पक्ष चुनाव कराए जायं और उन निष्पक्ष चुनावों में जो जनता की लोकप्रिय संस्था थी, उसके हाथ में सिक्किम का शासन आया।

जब सिक्किम का शासन उसके हाथ में आया और सिक्किम के प्रशासक, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, अपना विधान बनाने लगे, तो फिर एक बार चोग्याल की कमर थपथपाई उन लोगों ने जिन्होंने काठमांडू के अन्दर आज कुछ विद्यार्थियों की कमर थपथपा रखी है। उन्होंने ही भारतीय राज दूतावास के ऊपर प्रदर्शन किया है। मेरा स्पष्ट संकेत चीनी प्रशासकों की ओर है। जब इन्होंने चोग्याल की कमर पर हाथ रखा और चोग्याल बिदकने लगे तो भारत सरकार ने तो नहीं चाहा, लेकिन वे यहां आए और भारत सरकार से उन्होंने राय ली और किसी प्रकार से वह प्रसंग चल गया।

चीन की ताल पर थिरकने वाले भारतीय

जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है—बाहर के देशों का इस प्रश्न पर क्या दृष्टिकोण है, उसकी चर्चा तो मैं इस समय नहीं करना चाहता। मुझे सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे घर में भी कुछ इस प्रकार के तत्व विद्यमान हैं जो आज चीन की ताल पर थिरक रहे हैं, इनका अपना कोई निर्णय नहीं है जिस प्रकार का चीन के सोचने का ढंग है, जिस तरह का चीन का निर्णय लेने का ढंग है, उसके आधार पर ही वे कदम उठाना चाहते हैं कभी वे कहते हैं कि भारत सिक्किम को हड़पना चाहता है, कभी वे कहते हैं कि भारत सिक्किम की बेबसी का लाभ उठाना चाहता है। मैं अपने उन मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर भारत सिक्किम की बेबसी का लाभ उठाना चाहता है—तो यह ऐतिहासिक सच्चाई है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा—ताशी, नामग्याल ने, जो चोग्याल से पहले सिक्किम के प्रशासक थे, स्वयं अपनी ओर से जवाहरलाल नेहरू को आफर भेजा था, प्रस्ताव किया था कि सिक्किम को भारतीय प्रशासन का अभिन्न अंग बना लिया जाय। लेकिन उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह कहा कि किसी राजा के कहने पर किसी स्टेट को अभिन्न अंग नहीं बनाया जा सकता, जब तक उस क्षेत्र की प्रजा उसके सम्बन्ध में निर्णय न ले। अगर उस क्षेत्र की प्रजा इसका समर्थन करेगी तो भारत सरकार इस बात पर विचार कर सकती है।

यह बात केवल सिक्किम के ऊपर ही लागू नहीं हुई, यह नेपाल के ऊपर भी लागू हुई। मैं इतिहास के उस पृष्ठ का आपको स्मरण करना चाहूंगा। सदन की माननीय सदस्या, श्रीमती प्रतिभा सिंह, जिन्होंने अभी भाषण दिया है, उनके पिता जी जब काठमांडू में भारत के राजदूत थे, उस समय नेपाली जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की चिन्गारी भड़की थी और श्री सी.पी.एन. सिंह ने बड़ी कुशलता और बुद्धिमत्ता के साथ उस सारी स्थिति को सम्भाला था। उसके बाद ही वह घटना घटी थी।

नेपाल के भारत में विलय का प्रस्ताव

उस समय के नेपाल के राजा महाराज त्रिभुवन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने इसी तरह का प्रस्ताव रखा था कि भारत और नेपाल के बीच दीवार हटनी चाहिए और दोनों की अभिन्नता स्थापित होनी चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय भी यह बात कही कि जब तक उस क्षेत्र की प्रजा की ओर से इस प्रकार का आमंत्रण नहीं आता और उस क्षेत्र की प्रजा इस तरह का प्रस्ताव नहीं करती, तब तक भारत सरकार इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकती।

अब सिक्किम जैसे क्षेत्र के लिये जो हमारे साथी यह कहते हैं कि भारत सिक्किम को हड़पना चाहता है या उस की बेबसी का लाभ उठाना चाहता है, मैं अपने उन मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि सिक्किम की आबादी तो कुल दो लाख की है और २,८१८ वर्ग मील का उसका क्षेत्रफल है, अगर हमारी हड़पने और बेबसी का लाभ उठाने की आदत होती तो साढ़े सात करोड़ का बंगला देश जिसको जीतने के बाद जब ढाका में जश्न मनाया जा रहा था और हमारे जो जनरल जगजीत सिंह उनके सामने जब पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर रही थीं तो उस समय अगर हम बेबसी का लाभ ही उठाना चाहते तो क्या हम बंगलादेश की बेबसी का लाभ नहीं उठा सकते थे। लेकिन हमारी सरकार की यह नीति कभी भी नहीं रही। भारत सरकार की नीति थी कि जब तक उस क्षेत्र की प्रजा ही यह निर्णय न ले कि हमारा यह फैसला है उस तरह का कोई कदम भी न उठाया जाय।

सिक्किम में नेपाली बहुमत

मुझे आश्चर्य इस बात का है कि सिक्किम का जो क्षेत्र है उसकी आबादी में जो वहां की मुख्य

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जातियां हैं भोटिया और लोपचा, उनकी आबादी तो कुल २५ प्रतिशत है और बाकी उसमें ७५ प्रतिशत नेपाली लोग हैं और कुछ छोटी-मोटी जातियां रह जाती हैं। लेकिन मुझे यह खुशी है कि भारतीय संसद में प्रतिनिधि लाने संबंधी यह निर्णय सिक्किम की संसद ने या सिक्किम की असेम्बली ने सर्वसम्मति से किया है और उसके अन्दर वह ७५ प्रतिशत नेपाली भी आकर शामिल हो जाते हैं। इस निर्णय पर किसी को किसी प्रकार का विरोध नहीं था। उन लोगों की इच्छा है कि भारत के साथ हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध और अच्छे हों और यह और भी अधिक गहरे होते चले जायें।

लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आज इस प्रकार का एक देश जो साम्यवाद की दुहाई देता है, समाजवाद की नयी-नयी व्याख्यायें करता है, आज उनमें वहां के चोग्याल के साथ एक नया मोह किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है। मेरा स्पष्ट संकेत चीन की ओर है कि उन्होंने किस तरह से सामंतशाही की पीठ थपथपाने का फैसला किया है। मैं इस बात को स्वीकार कर सकता था कि जब उन्होंने कंबोडिया में राजकुमार सिंहानुक की पीठ थपथपायी तो उसके पीछे कुछ अर्थ हो सकता था, लेकिन वह चोग्याल की पीठ थपथपायें और साथ ही साम्यवाद का नारा लगायें यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती।

मुझे खुशी है इस बात की कि १९६२ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक थी और उस समय सीपीआई और सीपीआईएम अलग-अलग नहीं थे। लेकिन पिछले भारत चीन संघर्ष के बाद देश में साम्यवादी पार्टी का जो रूप था, उसकी देश में बड़ी भर्त्सना हुई थी, लोगों में उनकी कितनी आलोचना हुई थी, उसको सारा देश जानता है और संसद भी जानती है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बात की कि भारतीय साम्यवादी पार्टी का एक ग्रुप जो अपने को सीपीआई कहता है, उन्होंने अपनी स्थिति को सम्हाल लिया है। उन्होंने सही ढंग से राजनीतिक स्तर पर भी निर्णय लेने का प्रयास किया है। लेकिन अभी हमारे सीपीआई (एम) के भाई उसी स्तर पर खड़े हैं, जो सोचने का ढंग उनका १९६२ में था वही आज भी है। भारतीय जनता उनकी कैसे आलोचना करेगी या कैसे उनका स्वागत करेगी यह तो जब जनता में वह जायेंगे तो उनको उसका पता लगेगा, लेकिन मैं अपनी सरकार से अवश्य कहना चाहता हूं और मेरा अपनी सरकार से कहना यह है कि जब सिक्किम को आप भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो सिक्किम के साथ भारत का तादात्म्य और घनिष्ट हो, सिक्किम के साथ अभिन्नता और बढ़े, इस के लिये आपको यह चाहिए कि भारत के लोग सिक्किम जायें और सिक्किम के लोग भारत आयें।

पर्यटन को बढ़ाया जाय

इस दृष्टि से आप कोई व्यवस्था करें और सिक्किम के अन्दर जो पर्यटन केन्द्र हों, उनको आप थोड़ी सी सहूलियत दीजिये, कुछ सस्ता बनाइये ताकि अधिकांश भारतीय वहां जाकर उन लोगों के साथ घुलें मिलें और सिक्किम के लोग भारत में आकर यहां के लोगों के साथ घुलें मिलें। जो सुझाव थोड़े दिन पहले मैंने अंडमान और निकोबार के संबंध में दिया था वही सुझाव मैं सिक्किम के बारे में देना चाहता हूं। लेकिन मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए अपनी एक आशंका भी सरकार के सामने प्रकट कर देना चाहता हूं और मेरी आशंका है कि जब सिक्किम को आप भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं तो आपको यह खुले हृदय से देना चाहिए। उसमें फिर किसी प्रकार की रोक लगाने की क्या आवश्यकता है कि इतने अंश में वह हमारा साथ दे सकते हैं और इतने अंश में वह हमारा साथ नहीं दे सकते। हम तो चाहते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें जहां और भारत के राज्यों का वर्णन

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है उसमें ही सिक्किम का वर्णन हो सकता है। कुछ रिजर्वेशन के साथ उनको आप यहां स्थान दें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसका परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम जो निकलने वाला है उसका प्रभाव कुछ और स्थानों पर भी आप को देखने को मिल सकता है।

आपको तो यह चाहिए था कि जब आपने उसको मिलाने का निर्णय किया है तो सिक्किम का कंचनजंगा, नेपाल का सरगमाथा और भारत का नन्दा देवी इन तीनों को मिलाकर आप एक त्रिवेणी गूथें और उस त्रिवेणी को गूंथ कर जिस मस्तक पर लगायें, उस मस्तक को कन्याकुमारी के चरणों में झुकायें इस प्रकार का आप एक तादात्म्य स्थापित करें इस प्रकार की स्थिति वहां होनी चाहिए। लेकिन यह जो आप सह-राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं, इससे देश में आशंका भी व्याप्त है। हो सकता है कि आप के मन में आशंका न हो, निर्णय लेते समय आप के मन में इस प्रकार का सन्देह न हो।

लेकिन उपसभापति जी, मेरा कहना यह है कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर के पहले शासक शेख अब्दुल्ला ने जिस तरह से भारत सरकार के साथ नये सिरे से अपनी बातचीत शुरू की है और जिस तरह से रोज वह बयान देते रहते हैं कि १९५३ से पहले की स्थिति में लौट कर भारत सरकार आये तब मैं यहां का वजीरे आजम बनने के लिये तैयार हूं, तब मेरा भारत सरकार से कोई समझौता हो सकता है। मैं सरदार स्वर्ण सिंह से, आपके माध्यम से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि सरदार साहब को क्या याद है कि भारत के पूर्व गृह मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने श्रीनगर की एक सार्वजनिक सभा में यह कहा था कि जम्मू-कश्मीर का विलय भारत में अंतिम है और इस चैप्टर को आगे नहीं खोला जा सकता है? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ये शब्द कहे थे कि जो जम्मू-काश्मीर में जनमत संग्रह की बात कहते हैं इसके दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो इसी प्रश्न पर मत संग्रह हो सकता है, दूसरा चुनाव के द्वारा जनमत संग्रह कराया जाए। अगर इस प्रश्न पर जनमत कराये जाते हैं तो जम्मू-कश्मीर के बारे में चार बार चुनाव हो चुके हैं और इसी प्रश्न पर जो जम्मू-कश्मीर के भारत विलय के अभिन्न समर्थक हैं उनको जनता ने चुनकर भेजा है। और जनमत संग्रह क्या होता है? श्री गुलजारी लाल नन्दा उसके बाद प्रधानमंत्री बने। उन्होंने यह कह दिया कि यह धारा बहुत कुछ घिस चुकी है और जो रह गई है वह भी धीरे-धीरे घिस रही है।

लेकिन सह-राज्य का दर्जा देने से सिक्किम के लोगों में एक आशंका है कि आपके इस निर्णय का जम्मू-काश्मीर के शेख अब्दुल्ला जैसे नेता भी अनुचित लाभ उठा सकते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरदार स्वर्ण सिंह जब इस चर्चा का उत्तर दें तो स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करें कि भारतीय संघ के किसी राज्य के ऊपर भी या जो भारत की चार-दीवारी है, जिस पर भारत की अखंड प्रभुसत्ता है, इस किस्म के जितने भी भाग हैं, इनमें कहीं भी किसी क्षेत्र को सह-राज्य का दर्जा देने की स्थिति कभी आयेगी नहीं। इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप इतना कहते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरे जैसे लोगों को और हमारे जैसे दलों को जो इस प्रश्न पर आप का खुले हृदय से समर्थन कर रहे हैं, उनको सन्तोष होगा कि यह केवल सिक्किम के लिए कंसेशन दिया जा रहा है, भारत के अन्दर कभी कोई इस प्रकार की आवाज नहीं उठ सकेगी। अगर आप इस प्रकार की बात नहीं कहते हैं तो लगेगा यही कि आपके कहीं न कहीं सोचने के ढंग में कमजोरी है, लच्चरपन है। वह लच्चरपन न रह जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरदार स्वर्ण सिंह उत्तर देते समय इस बात की घोषणा करें कि भारत का जो मानचित्र है इसके किसी राज्य में सह-राज्य का या ऐसोसिएट स्टेट की आवाज को नहीं उठाया जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अण्डमान निकोबार का नाम बदलना राष्ट्रीय भावना के अनुरूप

स्वतंत्रता संग्राम में अण्डमान द्वीप काला पानी के नाम से विख्यात था। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दृष्टि में जो खतरनाक स्वतंत्रता सेनानी समझे जाते थे और जिन्हें मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास दिया जाता था उन्हें यहां भेजा जाता था। पं. बंगाल के श्री द्विजेन्द्रलाल सेनगुप्त ने राज्य सभा में यह संविधान संशोधन रखा कि अण्डमान और निकोबार द्वीप के नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप रखे जायं। खेद की बात है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं किया। शास्त्री जी इस संशोधन के पक्ष में थे।

उपसभापति जी, महापुरुषों की परस्पर तुलना कोई उपयुक्त नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जब किसी एक विशेष महापुरुष की चर्चा होती है, तो इतिहास के पृष्ठों को आंखों से ओझल भी नहीं किया जा सकता।

नेता जी का पुण्य स्मरण

सौभाग्य से आज हम जब इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तब यहां अब से ठीक एक दिन पहले हम १५ अगस्त का अपना स्वाधीनता पर्व मना भी चुके हैं, यह वही पवित्र दिन है जिसका स्वप्न सबसे पहले नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने देखा था और जिसके लिए उन्होंने नारा लगाया था कि स्वाधीन भारत की घोषणा दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर की जायेगी, वहीं स्वाधीन भारत का ध्वज फहराया जाएगा। इतना तो सौभाग्य अवश्य है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो प्रारंभ के एक दो वर्षों में लाल किले से १५ अगस्त को राष्ट्र के नाम जो संदेश प्रसारित किया जाता था उसमें नेता जी सुभाषचन्द्र बोस का भी स्मरण किया गया। लेकिन फिर धीरे-धीरे नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को उस सुअवसर पर स्मरण नहीं किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जब इस देश के प्रधान मंत्री बने और एक बार उन्होंने १५ अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया तो उन्होंने भी नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को स्मरण किया और बड़े भरे हुए शब्दों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अच्छा हो हमारी प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम १५ अगस्त को संदेश प्रसारित करती हैं दिल्ली के लाल किले की प्राचीरसे अगर वह एक पंक्ति में नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को भी श्रद्धांजलि दे दिया करें। जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता का स्वप्न देखा था और जिसने लाल किले पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराने की कल्पना की थी। उस व्यक्ति को आज हम भूल जायें २७ वर्ष के बाद तो ऐसी कृतघ्नता उनके बलिदान या उनकी शहादत के ऊपर कोई दूसरी नहीं हो सकती।

कुछ दिन पहले मैं स्वयं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भ्रमण करने के लिये गया यही जानने के लिये कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस कहां-कहां गये थे और वहां जाकर उनसे संबंधित स्मृतियां क्या-क्या हैं। मैं ताइवान भी गया जहां उनकी विमान दुर्घटना हुई और उसमें उनकी दुखद मृत्यु की चर्चा भी की जाती है। इन सभी देशों का भ्रमण करते हुए सिंगापुर, बैंकाक, मलाया, वर्मा और ताइवान में जो कुछ विशेष

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रूप से देखा और जिसको मैंने वहां जानने का प्रयास किया, वहीं से मैंने अपनी चर्चा को भी प्रारम्भ किया कि दो महापुरुषों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिये, लेकिन इतिहास के पृष्ठों को आंखों से ओझल भी नहीं किया जा सकता।

मैंने जानने का प्रयत्न किया कि आजाद हिन्द फौज के लिए रास बिहारी बोस का भी वलिदान और उनका त्याग दोनों में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं थी। पर इन देशों में बसे हुए भारतीयों और इन देशों के मूल निवासियों ने नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को इतना अधिक प्यार क्यों दिया? रास बिहारी बोस को इतना अधिक प्यार क्यों नहीं दिया। उन्होंने बताया, यह मेरी अपनी जानकारी नहीं है जो मैं आपको वता रहा हूं। उनका कहना था कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस में और रास बिहारी बोस में एक मौलिक अन्तर था। रास विहारी बोस का कहना था कि अंग्रेज हिन्दुस्तान से अवश्य जाने चाहिये भले ही एक बार कुछ दिन के लिये भारत का शासनसूत्र जापान के हाथों में आ जाए। लेकिन नेता जी सुभाषचन्द्र बोस का कहना था कि अंग्रेज के जाने के बाद देश किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाना चाहिये। हमारे हाथ में ही भारत का शासन सूत्र रहना चाहिए। इसलिये भारतवासी जो इन देशों में बसे हुए थे या उन देशों के मूल निवासी थे वह उनको आजाद हिन्द फौज की कमान भी सौंपना चाहते थे और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को आजादी का सर्वोच्च नेता भी मानते थे।

लेकिन जब इस बात का निर्णय होने लगा टोकियो में और प्रवासी भारतीयों का शिष्ट मंडल टोकियो जाने लगा तो जिस स्थान पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें कुछ वर्ष पूर्व उसी स्थान पर इसी शिष्टमंडल का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जवकि वह यह बात कहने के लिये टोकियो जा रहा था कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को आजाद हिन्द फौज का सेनापति बनाया जाये। इस इतिहास की पृष्ठभूमि पर मैं संक्षेप से इसलिये प्रकाश डाल रहा हूं ताकि इन तथ्यों को हम अपनी आंख से कभी ओझल न करें।

हमने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की इस तथाकथित मृत्यु के सम्बन्ध में दो जांच कमीशन बैठाये। एक शाहनवाज आयोग और दूसरा खोसला आयोग। शाहनवाज आयोग तो ताईवान गया ही नहीं। लेकिन खोसला आयोग वहां गया जरूर, परन्तु उसका जाना न जाना एक जैसा ही रहा। अगर इसको ताईवान जाने की अनुमति भारत सरकार ने दे ही दी थी तो इसमें कौन सी नाक पर मक्खी बैठ रही थी जो ताईवान सरकार को भी एक पत्र लिख दिया जाता कि आप हमारे जांच आयोग के कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। उनका यह कहना था कि हमें कोई कठिनाई नहीं होगी, अगर भारत सरकार हमें लिखे। भले ही हमारे किसी देश से राजनीतिक संबंध नहीं हैं। लेकिन हम अपने देश को स्वतंत्र कराने वाले उस वीर सेनानी की गाथा से अपने देश की नई पीढ़ी को परिचित कराना चाहते हैं तो उस देश को दो पंक्तियां पत्र में इस प्रकार की लिखने में क्या आपत्ति थी? परिणाम यह हुआ कि लाखों रुपया जिस जांच आयोग पर व्यय किया गया वह जांच आयोग किसी प्रकार परिणाम पर पहुंच पायेगा, मुझे इसके अंदर संदेह दिखाई देता है।

अण्डमान में नेताजी का सम्मान

वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, जिन्होंने अपने इस आजादी के आन्दोलन के जमाने में मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार आदि छोटे-छोटे स्थानों पर भ्रमण किया और भ्रमण करके यहां भी इन्होंने स्वतंत्रता की अलख जगाई। कभी आपको अगर अंडमान जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप पायेंगे कि सुभाष बाबू का वहां के एयर पोर्ट के ऊपर ही वह बड़ा चित्र टंगा हुआ है। अंडमान के लोगों ने कितने उत्साह के साथ उनके अंडमान पहुंचने पर स्वागत किया था और उनसे जानना चाहा था कि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतवर्ष के इस स्वतंत्रता आन्दोलन में, हम जो इन छोटे-छोटे द्वीपों के निवासी हैं, किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। सुभाष चन्द्र बोस की यहां के भारतवर्ष के संबंध में अपनी कुछ कल्पनायें थीं, लेकिन यह जो अंडमान का द्वीप है, जहां पर हमारे शहीदों के खून से स्वतंत्रता का एक नया इतिहास, एक नया अध्याय लिखा गया, इसके संबंध में भी उनकी विशेष रूप से कुछ कल्पनायें थीं। सुभाष बाबू चाहते थे कि अंडमान-निकोबार के जो द्वीप हैं ये भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठों में लिखे हों। उनके नाम, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और वहां के निवासियों की आर्थिकस्थिति, सब पर गम्भीरता से आज विचार किया जाये।

द्वीप के निवासियों का ध्यान रखा जाय

मैं जब इन द्वीपों को देखने के लिए गया तो इसके बारे में मैं आपसे अपने दिल का दुःख भी प्रकट करना चाहता हूं। सौभाग्य से यहां पर हमारे उप गृह मंत्री उपस्थित हैं और हमारे विधि राज्य मंत्री भी यहां पर उपस्थित हैं। दोनों के सामने इस बात को प्रकट करना चाहता हूं कि कुल साढ़े पांच सौ द्वीप यहां हैं और इन साढ़े पांच सौ द्वीपों में से जिन पर जनता रहती है या जहां पर मनुष्य रहते हैं वे लगभग २७ द्वीप हैं। लेकिन ये द्वीप ऐसे हैं जहां पर हमारा अपना अधिकार है, वहां पर पीछे कुछ इस प्रकार की घटनायें घटीं, समाचार पत्रों में भी इस प्रकार के समाचार आये कि इंडोनेशिया की ओर से कुछ नावें आईं जिन्होंने हमारी समुद्री सीमा का अतिक्रमण किया और उस समय देश के अंदर चिन्ता फैल गई। लेकिन अब सौभाग्य की बात है कि हमारे विदेश मंत्री इंडोनेशिया होकर आये हैं और उन्होंने समुद्री सीमा समझौता किया है। आशा की जानी चाहिये कि इंडोनेशिया की ओर से कम से कम इस समुद्री क्षेत्र में आगे चल कर अतिक्रमण की ऐसी कोई घटना नहीं होगी जो भारत को भड़काने वाली या भारतीयों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का रोष उत्पन्न करने वाली हो।

एक बात जो मैं विशेष रूप से कह रहा था वह यह कि साढ़े पांच सौ द्वीपों में से २७ द्वीप इस प्रकार के हैं, जहां मनुष्य निवास कर रहे हैं, कहीं सैकड़ों की संख्या में हैं और कहीं हजारों की संख्या में हैं, परन्तु लाखों की संख्या कहीं है ही नहीं। सबसे बड़ा नगर पोर्ट ब्लेयर है जहां पर लोग निवास करते हैं वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति के माध्यम दो ही हैं, मछली और लकड़ी, वहां पर जहां वन समूह हैं वे लकड़ी काटते हैं और उन लकड़ियों को एकत्रित करके, चीर-फाड़ कर बाहर निर्यात करते हैं और उनसे कमाई करते हैं अथवा मछली पकड़ कर बेचते हैं। इन छोटे-छोटे अभागे द्वीपों का दुर्भाग्य यह भी है, बाहर से कुछ पैसे वाले वहां पहुंच गये हैं और उनमें बड़े-बड़े अपने कारखाने डालकर उन लोगों का पैसा हड़प कर अपने पेट में डाल रहे हैं। मेरा कहना है कि भारत सरकार इन द्वीपों के आर्थिक विकास की दृष्टि से इस बात को अवश्य ध्यान में रखे कि इन द्वीपों के अंदर जो भी चीज मछली के रूप में हो या लकड़ी के रूप में हो, जो भी वहां की वन संपदा हो या समुद्र सम्पदा, उसका आर्थिक लाभ वहां के मूल निवासी को पहुंचे। बाहर के लोग जाकर उनको ठगी न कर सकें, इस बात का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए।

मैं समझता हूं कि गृह उप मंत्री श्री मोहसिन इस बात पर विचार करते समय निश्चित रूप से इसके ऊपर ध्यान रखेंगे।

पर्यटन उद्योग की संभावनाएं.

अगली बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि यह जो अण्डमान-निकोबार के द्वीप हैं, ये हमारे देश में पर्यटन के लिये बहुत अच्छे केन्द्र हो सकते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से जितने सुन्दर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्थान अन्डमान-निकोवार के छोटे-छोटे द्वीप हैं, भारतवर्ष में वहुत कम स्थान हैं जहां समुद्री किनारा इतना सुन्दर हो। लेकिन वहां जाने के लिये पैसा वहुत व्यय करना पड़ता है। अगर भारत सरकार इन द्वीपों का विकास करना चाहती है तो मेरा कहना यह है कि चाहे समुद्री जहाज से हो, चाहे विमान से हो, ये दो ही साधन वहां पहुंचने के हैं उसमें सस्ते दामों पर यात्रायें करायें, जिससे अधिक से अधिक लोग उन द्वीपों के अन्दर जायें और वहां द्वीपों के निवासियों के साथ आत्मीयता का संपर्क स्थापित हो, वे भी यह अनुभव करें कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं। ऐसा न हो कि हमेशा नुमायशी टुकड़े की तरह वह अलग रखा रहे और उनका भारतवर्ष से किसी प्रकार से कोई संपर्क ही न हो सके।

वल्कि मैं तो एक विशेष वात यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह हमारे स्वाधीनता आन्दोलन के पुराने इतिहास से कुछ अपरिचित सी है। सन् १९४७ के वाद स्वाधीन भारत के अन्दर एक नई पीढ़ी ने आखें खोली हैं। अन्डमान में जो जेल वनी हुई है, इनमें हमारे देश के स्वाधीनता सेनानियों ने यातनायें सहीं, कष्ट सहे, कुछ लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, किस प्रकार से उनके कन्धों पर जुआ रख कर कोल्हू चलवाया गया। मेरा कहना है कि कम से कम और कुछ न हो तो नई पीढ़ी के वालकों को यह जेल अवश्य दिखाई जाये, जिससे उनको पता चले कि हमारी जो स्वाधीनता आई है, इस स्वाधीनता के पीछे कितने बड़े वलिदानों की पृष्ठभूमि में हमारे देश में स्वाधीन भारत का झण्डा लहराया। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की योजना अवश्य आनी चाहिये।

मैं अपने मित्र श्री द्विजेन्द्र लाल सेनगुप्ता के विधेयक से सहमत अवश्य हूं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन चाहता हूं। मेरा संशोधन यह है कि पोर्ट ब्लेयर नगर का नाम "शहीद नगर" रख दिया जाए। मैं तो हैरान हूं कि यह दिल्ली जो भारतवर्ष की राजधानी है, आज भी यहां पर विलिंगटन हौस्पिटल और इर्विन हौस्पिटल और कर्जन के नाम गुलामी के दिनों की यादगार वन कर गवर्नमेंट की नाक के नीचे मौजूद हैं। हम चर्चा कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर की कि वहां जाकर उसके नाम में परिवर्तन किया जाए। ऐसा लगता है कि हमारे अन्दर स्वाधीनता की जो लहर आनी चाहिये थी, जो उमंग उभरनी चाहिये थी वह २३ वर्ष में भी उभर नहीं पाई, अन्यथा गुलामी की यादगार के इन चिह्नों को बदल कर इनके नाम भारतीय नेताओं के नाम पर रखे जा सकते थे। मैं यहां पर दिल्ली की चर्चा करने लग गया, लेकिन हम अन्डमान-निकोवार की विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं।

पराधीनता की स्मृति से मुक्ति पायें

मेरी निजी राय यह है कि पोर्ट ब्लेयर नगर का नाम "शहीद नगर" रखा जाए, लेकिन द्वीप-समूहों का नाम "स्वराज्य द्वीप" रखा जाए। मैं अपने शब्दों से अलग नहीं हट रहा हूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि पोर्ट ब्लेयर जिसके अन्दर स्वाधीनता का इतिहास लिखा गया है, जहां वीर सावरकर ने काल-कोठरी में जीवन व्यतीत किया, जहां और दूसरे लोग गये, जहां जाकर हमारे स्वाधीनता आन्दोलन के सेनानियों ने वर्षों जेलों में जीवन व्यतीत किया, उस नगर का नाम "शहीद नगर" रखा जाए। पोर्ट ब्लेयर में हमारे देश की स्वाधीनता का स्वर्णिम इतिहास लिखा हुआ है। नई पीढ़ी यह पढ़ना चाहती है कि इस शहीद नगर में हमारे देश के शहीदों ने कैसे इतिहास की रचना की।

मैं यह भी चाहता हूं कि भारत सरकार अगर यह व्यवस्था कर सके कि नई पीढ़ी इस नगर की जेलों को जाकर देख सके तो बहुत अच्छा होगा ताकि उनको यह पता लग सके कि इस देश के स्वाधीनता के संघर्ष में लोगों ने कितनी यातनायें, कितनी कठिनाइयां और कष्ट सहे हैं। मैं अपनी ही वात कहता हूं,

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छोटे-छोटे बच्चों की बात क्या कहूं, जिस समय पोर्ट ब्लेयर के अन्दर मैं उस जेल को देखने के लिए गया, विशेष रूप से मैंने उस काल कोठरी को जाकर पूछा जिस कोठरी में स्वातंत्र्य वीर सावरकर को रखा गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि एक रोशनदान है। जहां से सिवाय नीले आकाश के कुछ नहीं देखा जा सकता था। दूसरी कुछ चीज नहीं दिखाई देती थी। इसी के अन्दर उस व्यक्ति ने अपने जीवन का चौथाई भाग व्यतीत किया था। उसको देख कर मेरे अन्दर श्रद्धा पैदा हुई और इच्छा हुई कि इस कोठरी के एक-एक चप्पे को झुक कर प्रणाम करूं। मैं उस स्थान को भी देखने गया जहां शहीदों को फांसी के फंदों पर लटकाया जाता था। आज तक वहां पर वह रस्सी ज्यों की त्यों लटकी हुई है, जहां पर इन लोगों ने देश के लिये बलिदान किए। मैंने वह कोल्हू भी देखा अन्डमान की जेल के अन्दर जहां स्वातंत्र्य वीरों के कंधों पर जुआ रख कर तेल निकलवाया जाता था। इन सबको देख कर हमारे देश की आजादी का इतिहास हमारे सामने सजीव होकर खड़ा हो जाता है। मैं तो यह भी कहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति के अन्दर जब श्रद्धा पैदा हो गई थी तो नई पीढ़ी जब इसको देखेगी तो उसमें भी निश्चित रूप से श्रद्धा पैदा होगी और इच्छा होगी कि इस प्रकार के बलिदानों, जिस पृष्ठभूमि में यह देश स्वाधीन हुआ है, इनको श्रद्धा के साथ नमन करूं।

सिंगापुर में नेताजी का स्मारक

तो मैं इस प्रस्ताव में इतना परिवर्तन चाहता हूं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम शहीद नगर रख दिया जाए और जितने द्वीप-समूह हैं उनका नाम स्वराज्य द्वीप रख दिया जाए। यहां एक अंतिम बात और कह कर बैठ जाऊंगा। मैंने भारत सरकार से भी, जब मैं सिंगापुर से लौट कर आया, तब इस बात को कहा और आज भी विशेष रूप से कहना चाहता हूं। नेता जी सुभाष बोस का सबसे अमर स्मारक कहीं था तो सिंगापुर के समुद्र के किनारे था। जहां सिंगापुर का सेक्रेटरिएट आज बनाया हुआ है। उसके सामने आजाद हिन्द फौज की कवायद वह कराते थे और मार्च पास्ट कराते थे। खड़े होकर नेता जी आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को आदेश दिया करते थे। स्वतंत्रता के बाद भी वह स्थान और वह स्मारक ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन लार्ड माउंटबेटन ने उसको गिरा दिया और मिस्मार कर दिया और आज तक उसको फिर से खड़ा नहीं किया जा सका। मैं वहां से दोनों चित्र भी लाया था जिस समय वह स्मारक बना हुआ था उसका चित्र भी लाया और गिराने के बाद स्मारक की जो स्थिति हुई उसका भी चित्र लाया था।

सिंगापुर में जो इस समय विदेश मंत्री हैं, सौभाग्य से वे भारत-मूलक हैं, उनका नाम है राज रत्नम; मैंने उनसे भी प्रश्न किया कि क्या नेता जी सुभाष बोस के स्मारक को फिर खड़ा करवाने में कोई दिक्कत है। इससे सिंगापुर और भारत में तादात्म्य स्थापित होने में बल मिलेगा। श्री राज रत्नम ने कहा कि भारत सरकार की ओर से हमें इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। यह सुनकर मुझे आघात लगा। मैं अपने गृह मंत्रालय से कहना चाहता हूं, श्री नीतिराज सिंह जी यहां बैठे हुए हैं उनसे भी कहना चाहता हूं। जहां स्वाधीनता का हमारा इतिहास लिखा हुआ है, जहां खड़े होकर नेता जी सुभाषचन्द बोस आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को आदेश दिया करते थे, वहां उस स्मारक को खड़ा करने में सिंगापुर सरकार को आपत्ति नहीं होगी अगर भारत सरकार फिर से इस प्रश्न को उठाये। मैं समझता हूं कि इससे भारत और सिंगापुर के बीच एक बहुत मजबूत कड़ी स्थापित हो सकेगी। इस प्रश्न को सिंगापुर सरकार के साथ निश्चित रूप से उठायें।

इन शब्दों के साथ हमारे मित्र श्री द्विजेन्द्र लाल सेनगुप्त ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, उसमें थोड़े संशोधन के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भाषावार प्रान्त रचना भारी भूल

श्री प्रकाशवीर शास्त्री भाषावार राज्यों के निर्माण के प्रारंभ से ही विरोधी रहे। पंजावी सूवे के वारे में प्रधानमंत्री के भाषण को दुर्भाग्य पूर्ण वताते हुए उनका मानना था कि भाषा की आड़ में, जातीय आधार पर—कम से कम पंजाव में तो—राज्य निर्माण की मांग चल रही है। शास्त्री जी ने सप्रमाण वताया कि सिख मुसलमानों की तरह शुरू से ही राज्य की मांग करते रहे हैं। भाषावार प्रान्त वनाने का निर्णय लेने पर शास्त्री जी ने २९ अगस्त १९६१ को अपने भाषण में इसका जोरदार शब्दों में विरोध किया तथा कहा कि इससे अन्य अनेक छोटे-छोटे राज्यों की मांग उठेगी। उनकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई।

अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष के इतिहास में सब से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह था जिस दिन भापावार प्रान्त वनाने का निर्णय किया गया, दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह था जिस दिन श्री रामूलू के देहावसान के बाद आन्ध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, तीसरा दुर्भाग्यपूर्ण दिन भारतवर्ष के इतिहास में वह था जब कि हम इतने बड़े आन्दोलनों में पहले तो दृढ़तापूर्वक यह कहते रहे कि गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, लेकिन फिर गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण किया। अब भी फिर जब कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन पूना में हुआ, उस समय हमारे देश के जो उच्च कोटि के कुछ नेता थे उन्होंने निर्णय लिया कि आज के पश्चात् भाषावार प्रान्त बनाने के अध्याय में अन्तिम रेखा खींची जा रही है, लेकिन फिर परिस्थितियों से विवश होकर कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिये नागा प्रदेश की घोषणा की। इन सारी वातों का दुष्परिणाम यह हुआ कि मास्टर तारा सिंह आज यह कहते हैं कि अगर नागा प्रदेश वन सकता है तो पंजावी सूबा क्यों नहीं वन सकता है।

पंजाबी सूवे की मांग साम्प्रदायिक

मैं अपने वक्तव्य को पुष्ट करने के लिए संक्षेप में दृढ़ भाषा में यह प्रारम्भ में कहना चाहता हूं कि मास्टर तारा सिंह का नारा पंजाबी सूबा बनाने के लिये केवल भाषायी नारा नहीं है, साम्प्रदायिक है। सन् १९४६ में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मिशन यहां पर आया था उस समय अकाली पार्टी की ओर से जो मेमोरैन्डम दिया गया था उसके शब्दों को पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं। अकाली पार्टी ने ब्रिटिश कैविनेट मिशन को जो कुछ लिख कर दिया, उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :-

> "स्वतंत्र सिख राज्य के लिए सिखों का दावा उतना ही ठीक है जितना कि मुसलमानों का। मुसलमानों के पाकिस्तान के दावे को तव तक स्वीकार न किया जाय जब तक सिखों के स्वतंत्र, संप्रभुता वाले राज्य की मांग स्वीकार न की जाय।"

रावलपिण्डी में १९४७ में हुई सर्वदलीय सम्मेलन में ज्ञानी करतार सिंह ने कहा था :

> 'सिखों को उत्तर भारत में अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

४ अगस्त १९४६ को प्रकाशित वक्तव्य में मास्टर तारासिंह ने कहा था-

"हम संयुक्त भारत में एक सिख राज्य चाहते हैं। इस प्रकार का राज्य सिख पंथ का होगा"

१९ जून १९४७ को अकाली पार्टी ने अमृतसर की एक सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की थी—

"सिखों की यह मांग है और वह इसे फिर दोहराते हैं कि पूर्वी पंजाब को सिख राज्य बनाया जाय।"

इन शब्दों को सुनाने का मेरा केवल मात्र अभिप्राय यह है कि जो लोग यहां आ कर पंजाबी सूबे की मांग को भाषायी मांग कहते हैं उनके मस्तिष्क से यह बात निकल जानी चाहिये।

सरदार पटेल की स्पष्टोक्ति

एक बात तो मैं विशेष रूप से भारत सरकार को कहना चाहता हूं, वह यह है कि जिस समय भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ५ मार्च, १९४९, को पंजाब विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देने गये थे, उस समय उन्हें वहां डाक्टरेट की आनरेरी डिग्री भी दी गयी। सरदार पटेल ने अपने भाषण में कहा कि मैं डाक्टरेट की डिग्री लेने नहीं आया हूं अपितु इस बहाने आप सब से दो शब्द कहने आया हूं। मैं आज गवर्नमेंट को उस पुस्तक में से जो कि गवर्नमेंट की ही पब्लिकेशन है और जिसमें सरदार पटेल का वह पूरा भाषण छपा है, कुछ शब्द पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ताकि उस व्यक्ति के शब्दों से सरकार अपना मार्ग साफ कर सके, जिसमें सन् १९४९ में पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में ये शब्द कहे थे :

"विभाजन का जख्म हिन्दुस्तान के शरीर पर बहुत गहरा लगा। अब हालत यह है कि जख्म से खून आना तो बन्द हो गया है लेकिन जख्म ठीक नहीं हुआ। पहला काम यह होना चाहिए कि नया खून न निकले फिर आहिस्ता-आहिस्ता जख्म ठीक हो जायेगा। पर हैरानी है कि मास्टर तारासिंह उस जख्म पर ठोकर लगा रहे हैं, इससे तो जख्म में फिर से खून बहने लग जायेगा।"

सरदार पटेल ने अपने भाषण में उन सिखों से जो पंजाब का पृथक् राज्य चाहते थे और जिन की ओर से मास्टर तारा सिंह यह मांग कर रहे थे, कहा था :

"मैं पूछता हूं कि सिख आखिर कहां से आये ? वह पहले कौन थे और वह हम से क्यों अलग होना चाहते हैं ? हमारी कमजोरी में भी आपने बहादुरी से काम किया। बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तलवार का जमाना नहीं है, अब कहीं दुनिया में तलवार नहीं चलती। हमारी फौज में जितने आफीसर हैं उन में से सब से ज्यादा आपकी कौम के हैं। हम ने जानबूझ कर उन्हें रखा है। छोटी सी कौम के हाथ में हम ने अपनी तलवार दे दी, क्योंकि आपकी तलवार पर हमें पूरा भरोसा है। आज के जमाने में कोई कौम यह दावा नहीं कर सकती कि वही मार्शल है। वह दिन चले गये जब इस तरह की बातें सोची जाती थीं।"

लेकिन जो विशेष बात मैं आपको सुनाना चाहता था वह यह है कि सरदार पटेल ने अपने भाषण में पंजाब के सिखों से अपील की थी कि वे मास्टर तारासिंह को समझाएं कि वह इस प्रकार का कदम न उठायें। अन्त में उन्होंने एक बात अपनी गद्दी के उत्तराधिकारी के लिए कही थी। उस के उन शब्दों को मैं

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यहां जानबूझ कर कोट करना चाहता हूं।

सरदार पटेल ने मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बहुत दुःख प्रकट किया था। मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तारी पर सरदार पटेल ने कहा :

"मैंने अपने हाथ से मास्टर तारा सिंह को जेल भेजा है, जिसका मुझे बहुत दुःख हुआ। लेकिन मेरी जगह पर जो कोई भी आयेगा वह भी यही करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो मुल्क-तबाह हो जायेगा।"

ये सरदार पटेल के अपने शब्द हैं जो उन्होंने सन् १९४९ में कहे थे। मैं माननीय गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भी यहां पर सरदार पटेल की गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं, अतः इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्व को निभायें।

मंत्री साम्प्रदायिकता से ऊपर उठें

उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे आज्ञा दीजिये कि इन शब्दों को कहूं कि पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों ने भी सावधानी से अपना काम नहीं किया कि जैसे एक बार पहले पंजाब की परिस्थिति को संभालने के लिए मास्टर तारासिंह को यथासमय गिरफतार किया था, उसी तरह जब मास्टर जी ने ऐलान किया था कि १५ अगस्त से मेरा अनशन शुरु होने जा रहा है, उस समय उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था।

अभी चौधरी रणवीर सिंह ने कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने गुरुद्वारा के इलैक्शनों में भाग लिया। मैं नहीं समझता कि ऐसा कर के उन्होंने कोई बुद्धिमत्ता की बात की। पंजाब के जिम्मेवार मिनिस्टरों ने गुरुद्वारों के इलैक्शनों में हाथ बंटाया। उन्हें इनसे दूर रहना चाहिये था। यह समझदारी का काम नहीं हुआ।

पंजाब के मुख्य मंत्री का यह कर्तव्य था कि जैसे ही मास्टर तारा सिंह ने अनशन का ऐलान किया था, उनको पंजाब की स्थिति को संभालने के लिए मास्टर तारासिंह को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कल प्रधान मंत्री जी हिन्दुस्तान छोड़ कर विदेश जा रहे हैं। अगर कल शाम तक मास्टर तारासिंह का अनशन समाप्त न हुआ तो उन के दिल में इस का दुःख रहेगा और वे इस दुःख को लेकर बाहर जायेंगे। पर इस की जिम्मेवारी से पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार प्रताप सिंह कैरों नहीं बच सकते। जिस समय मास्टर तारा सिंह ने अनशन का ऐलान किया था अगर उसी समय उन को अरेस्ट कर लिया जाता तो आज देश में यह स्थिति पैदा नहीं हो सकती थी, इस प्रकार का दूषित वातावरण नहीं हो सकता था।

एक बात और मैं अपने प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं। कल यहां के कुछ हिन्दू नेता मास्टर तारा सिंह से मिलने गये थे और उनसे कहा कि हम आप से हिन्दुओं की ओर से आग्रह करते हैं कि आप अपना अनशन त्याग दें ताकि देश में हिन्दू और सिखों में तनाव का वातावरण पैदा न हो। कल उस समय जो कुछ मास्टर तारा सिंह ने उन नेताओं से कहा वह आज समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने एक बात तो यह कही कि मेरे अनशन को तोड़ने का एक बहुत बड़ा आधार तो यह हो सकता है कि पंजाब में राष्ट्रपति का शासन हो जाये। उन्होंने कहा कि यह जो मिनिस्ट्री है यह परेशानी पैदा करती रही है और कहीं कहीं पर छेड़छाड़ बनाये रहती है। मैं नहीं समझता कि मास्टर तारा सिंह के इस कथन में

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्तमान परिस्थितियों में कहां तक गम्भीरता है। एक समय ऐसा था जब कि मैंने स्वयं इस प्रकार की मांग की थी, लेकिन आज की परिस्थितियां कह रही हैं कि यह ऐसा समय नहीं है जब कि पंजाब की गवर्नमेंट को जरा सा भी हिलाया जाये। इस समय तो पंजाब की गवर्नमेंट को ज्यों का त्यों रखना चाहिये।

लेकिन, उपाध्यक्ष जी, एक बात तो मास्टर तारा सिंह ने उन हिन्दू लीडरों से कही वह यह थी कि आज गवर्नमेंट हिन्दुओं के हाथ में खेल रही है।

सिखों का प्रतिनिधित्व

आप हाई पावर कमीशन बनाने जा रहे हैं, बनायें और पूरी जांच दोनों ओर करें। मुझे शायद इन शब्दों को दोहराने की जरूरत आज न होती, लेकिन उधर से जो चैलेंज फेंका गया है, इसलिये मुझे ये शब्द आप को सुनाने पड़ रहे हैं कि पंजाब में सिखों की संख्या केवल ३० प्रतिशत है, पर आप देखें कि उसको देखते हुए उनको कितना अधिक प्रतिनिधित्व वहां हर क्षेत्र में मिला हुआ है।

मुझे पता नहीं कि इस से और कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व मास्टर तारासिंह चाहते हैं। मेरे पास आंकड़ें हैं लेकिन इन को विस्तार से सुनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कुछ मोटी मोटी बातें मैं आप को बताना चाहता हूं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर सिख, पंजाब असेम्बली के स्पीकर सिख, चेयरमैन पंजाब काउंसिल सिख, चेयरमैन पब्लिक सरविस कमिशन सिख, जो दो मिनिस्टर पंजाब का प्रतिनिधित्व सैन्ट्रल गवर्नमेंट में करते हैं वे दोनों सिख, और हमारे डिप्टी स्पीकर साहब सिख। इसके अलावा पंजाब केआई. जी. पुलिस सिख, डी. आई. जी., सी. आई. डी. सिख।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा प्रधान मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आज पंजाब की जनता में एक क्षोभ व्याप्त है कि क्या कारण है जब पंजाब का प्रतिनिधित्व सेंटर में दो सिख मंत्री कर रहे हैं, जिन में एक कैबिनेट रैंक के हैं और दूसरे डिप्टी मिनिस्टर हैं, तो वे आज तक क्यों मौन बैठे हैं? पंजाब की जनता में इस बात का सन्देह फैला हुआ है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी अपने भाषण में इस का भी स्पष्टीकरण करें।

भूलों की पुनरावृत्ति न की जाय

एक बात और कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। विशेषतः मैं प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस समय जब कि वातावरण इस प्रकार का विषाक्त हो गया है कुछ लोग अपनी अहमियत और महत्व दिखाने में लगे हैं। और वे एक विशेष प्रकार का पार्ट अदा कर रहे हैं। आप के पास ऐसे लोग भी आये होंगे जो कहते हैं कि हम हिन्दी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हम हरियाणा के प्रतिनिधि हैं। और साथ ही यह भी कहते हैं कि मास्टर तारासिंह की डिमांड ठीक है और रीजनल कमेटीज को सब-लेजिस्लेटर्स के अधिकार दे दिये जायें। ये वही लोग हैं जिन्होंने कल परसों हरियाणा प्रान्त का नारा लगाया था और बाद में जिन्होंने दिल्ली प्रान्त के एक नेता के साथ मिल कर महा दिल्ली प्रान्त बनाने का नारा लगाया था। ये तथाकथित नेता हरियाणा का, गुड़गांव का, करनाल का, रोहतक का या हिसार और महेन्द्रगढ़ का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन एक हल्का वातावरण पैदा करते हैं।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अतः एक और भी बात कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और वह यह है कि आप एक बात गम्भीरता के साथ सोच लीजिए। मास्टर तारा सिंह ने अनशन किया है उनके अनशन के सम्बन्ध में मेरी हार्दिक अभिलाषा भी है कि उनका देहावसान किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। परमात्मा उनको दीर्घायु प्रदान करे। हमारे प्रधान मंत्री जी भी ऐसा उचित वातावरण पैदा करें कि जिससे उनका अनशन समाप्त हो जाए। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि मास्टर तारासिंह का अनशन छुड़ाने का वातावरण बनाते समय अगर दुर्भाग्य से कहीं स्वामी रामेश्वरानन्द जी या योगिराज सूर्यदेव का देहवसान हो गया तो बड़ा अनिष्ट हो जायेगा, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते कि स्वामीजी के पीछे देश का कितना बड़ा बहुमत है। दिल्ली के बगल के जो इलाके हैं, उनके बहुत से नौजवान हर घर में से एक या दो मिलिटरी में काम करते हैं। जब से उनके कानों में यह खबर पड़ी है कि स्वामी जी पंजाब की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए हैं, तब से उनके मनों में उथल-पुथल पैदा हो गयी है। आपका यह कर्तव्य है कि दोनों ओर समदृष्टि से सोचें। अंत में यह कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं कि अच्छा हो अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए।

आपने बहुत बड़ी भूल उस समय की जब भाषावार प्रान्त बनाने का निर्णय लिया। आज समय है कि उस भूल को आप सुधार लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अकाली आन्दोलन अपने प्रकार का कोई अन्तिम आन्दोलन नहीं है, अगर इसमें कुछ भी सफलता उन्हें हो जाती है, अगर इसमें आपकी ओर से कुछ भी ढिलाई हो जाती है, तो कल विदर्भ तैयार है, मिथिलावालों का आन्दोलन तैयार है, झारखंड वालों का आन्दोलन तैयार है और भी न जाने कितने तैयार हैं। अगर इन सारी बातों को रोकना है तो वह एक ही प्रकार हो सकता है कि देश में संघीय शासन की स्थापना की जाए, देश को चार छः क्षेत्रों में बांट दिया जाए और प्रान्तों की चारदीवारी को समाप्त किया जाए। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भाषाई राज्यों से देश के छिन्न भिन्न होने का खतरा

सरकार ने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए १९६२ को १४ वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। शास्त्री जी ने इस संशोधन विधेयक का इस आधार पर विरोध किया कि इससे भारत में परस्पर विरोध बढ़ेगा तथा एकात्मक शासन स्थापित नहीं किया जा सकेगा जोकि देश के लिए आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सदन में उपस्थित होते समय, जिस रूप में वह यहां रखा गया है उस में हमारे देश के वे भू-भाग भी सम्मिलित हैं जो अब तक दूसरे शासन के अन्तर्गत थे, जैसे गोआ, पांडिचेरी आदि इस दृष्टि से तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन जहां तक छोटे छोटे राज्यों के निर्माण को स्थिति है, उस के सम्बन्ध में मेरा अपना विरोध है। मैं इस विश्वास का हूं कि हमारे देश में जब तक संघीय शासन प्रणाली अर्थात् यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट, नहीं होगी, तब तक हम अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। इस प्रकार छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण और छोटे-छोटे राज्यों को बना कर देश में अनेकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना भारत की एकता और भारत की मजबूती के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करना है।

परस्पर आत्मीयता का अभाव

मुझे इस विल में यह देख कर आश्चर्य हुआ कि जिन प्रदेशों को आप अलग स्वायत्त शासन देने जा रहे हैं उन में मणिपुर और त्रिपुरा के राज्य भी हैं। आप राजस्थान को इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को तो मिलाकर एक प्रदेश बना सकते हैं, लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा इन दोनों को आपको पृथक् राज्य बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई, इसके पीछे स्पष्ट ही यह स्थिति है कि हमारे मनों में उतनी शुद्धता और देश के प्रति उतनी आत्मीयता नहीं जगी है कि हम एक दूसरे के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर रह सकें।

इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन है कि यदि हम चाहें कि हम अपने देश में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करें, वहां साथ ही साथ मैं एक दूसरी बात भी निवेदन करना चाहता हूं। अभी इस विधेयक में दिल्ली राज्य की भी चर्चा हुई। पहले दिल्ली में विधान सभा रह चुकी है, और बाद में दिल्ली प्रदेश की विधान सभा को भंग करके केन्द्र के अन्तर्गत दिल्ली को लाया गया। यह भी कहा गया कि जब से ऐसा किया गया है तब से दिल्ली के शासन में बहुत सी बुराइयां बढ़ गई हैं और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बिना रिश्वत का सहारा लिए कोई कार्य नहीं होता। मैं यह मानता हूं कि बुराइयां बढ़ीं हैं, लेकिन मैं इस बात को इस रूप में मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जब दिल्ली विधान सभा थी तो यहां घी और दूध की नदियां बहती थीं और जब से दिल्ली केन्द्रीय सरकार के हाथों में आयी है तब से बुराइयां बढ़ी हैं। यह ठीक है दिल्ली में बुराइयां बढ़ी हैं, लेकिन उनका समाधान दिल्ली को पृथक राज्य बनाने से हो जायगा, इससे मैं सहमत नहीं हूं।

साथ ही साथ मैं एक और भी निवेदन करना चाहता हूं, वह यह कि कहीं दिल्ली प्रान्त केनारे के

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पीछे वह पुरानी महा दिल्ली की भावना तो नहीं है कि जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ भागों को सम्मिलित करने की योजना थी। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि यह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कोई दूसरी भावना लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इन प्रदेशों का निर्माण करना चाहती है, तो आप मुझे इन शब्दों को कहने की आज्ञा दें, और गृह मंत्री जी अपना उत्तर देते समय इस बात का स्पष्टीकरण करें, कि कहीं उनके मस्तिष्क में दिल्ली के विषय में वैसी दुर्बलता तो नहीं है जैसी महाराष्ट्र और गुजरात के सम्बन्ध में थी। पहले केन्द्रीय सरकार गुजरात और महाराष्ट्र की मांग का विरोध करती रही, और वहां तीन वर्ष तक खून खच्चर होता रहा और आपस में लड़ाई होती रही, उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने अपने घुटने टेक दिये। अगर दिल्ली के बारे में भी वह इसी प्रकार की स्थिति में आने के लिये उद्यत हो, तो मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में दिल्ली को भी सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन यदि उनका ऐसा विचार नहीं है और वे दृढ़ता से अपने निर्णय पर डटना चाहते हैं, तो मेरा अपना विश्वास है कि दिल्ली को पृथक् राज्य नहीं बनाना चाहिए।

राज्यों में विवाद

एक और बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वह यह है कि जब हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो हमें अपने देश में प्रान्तों के निर्माण की पृष्ठ भूमि पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस समय हमारे देश में पृथक् राज्य बनाने की सम्भावना संविधान सभा में स्वीकृत हुई थी उस समय भी यह चर्चा आयी थी। और आज भी मैं इस बात को बलवती भाषा में कहना चाहता हूं कि अभी भी जितने राज्य बने हुए हैं उनमें पृथकता की मनोवृत्ति कभी तेल की रायल्टी के रूप में और कभी अलग शासन के प्रश्न को लेकर सामने आने लगी है।

यह जो राज्यों में पृथकतावादी मनोवृत्ति बढ़ रही है, अगर इस पर अधिकार प्राप्त करना है तो हम को इसके लिये गांधी से सीख लेनी चाहिये। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि जब भी उनसे कोई भूल हो जाती थी तो वे उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेते थे। हमारे शासन ने उस दिन बड़ी भारी भूल की थी जिस दिन उसने भाषावार प्रान्तों के सिद्धान्त को मान कर इस पृथकता की नीति को जन्म दिया। आज अगर शासन की सचमुच में गांधी जी में आस्था है तो उसको अपनी भूल के लिए पश्चात्ताप करना चाहिये और छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर देश में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए और उसके लिये आवश्यक है कि इस प्रकार के विधेयकों को जो छोटे-छोटे राज्य बना कर देश को बांटना चाहते हैं, यह सदन स्वीकार न करे। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाबी सूबे की मांग घातक

पंजाबी सूबे की मांग और इसके विरोध में पंजाब तथा दिल्ली में काफी संघर्ष पूर्ण स्थिति हो गई। पंजाब की प्रतिक्रिया स्वरूप दिल्ली में भी हिन्दू-सिख संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। इसी गंभीर स्थिति पर लोक सभा में १५ मार्च १९६६ को प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए शास्त्री जी ने कहा कि यह विवाद भाइयों का विवाद है। अतः दोनों को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। भाई-भाई के ऊपर तलवार खीचें यह अत्यधिक दुर्भाग्य की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के विभाजन की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, पंजाब की एकता न टूटे जो कि १९६६ में उत्पन्न हुई है।

पंजाब की एकता

जब से हमारे देश का विभाजन हुआ है तब से ही यह समस्या किसी न किसी नाम से बराबर उठती रही है। कभी इस समस्या के समाधान में सरदार पटेल को अपनी शक्ति लगानी पड़ी और कभी श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री को अपने मस्तिष्क का उपयोग करना पड़ा। आज यह समस्या जिस रूप में उपस्थित है अर्थात् पंजाबी सूबा बनना चाहिए या नहीं ? इस के औचित्य या अनौचित्य पर मैं विचार नहीं करना चाहता, हालांकि सदन के अधिकांश सदस्य मेरे विचारों से परिचित हैं। प्रारम्भ से इस विचार का रहा हूं कि विभाजन के बाद जो पंजाब बहुत छोटा रह गया है, इस कटे हुए पंजाब का और विभाजन नहीं होना चाहिए। यद्यपि पंजाब सरकार से मेरी यह भी शिकायत है कि उस ने हरियाणा के साथ डेवेलपमैंट के सम्बन्ध में और भाषा के प्रश्न पर सौतेली मां का बर्ताव किया है। इतना सब होने पर भी मैं इस विचार का रहा हूं कि पंजाब की एकता को किसी कीमत पर न टूटने दिया जाय।

अभी श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर एक जलूस की चर्चा कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अमृतसर कांग्रेस के समय जब महापंजाब और पंजाबी सूबे के समर्थकों के जलूस निकले, तो पुलिस ने दोनों जलूसों के रास्ते बड़ी सावधानी से अलग अलग कर दिये थे। लेकिन एक चौराहा ऐसा था, जहां से दोनों जलूसों को साथ-साथ पास होना था। जालंधर से जो अखबार निकलता है उसने एक घटना दी। मकान की छत पर खड़ी एक बहन दोनों जलूसों को देख रही थी।

उस बहन ने लिखा कि डेढ़ बजे आ कर जब दोनों जलूस बराबर जा रहे थे तब किसी बात पर आपस में गरमा गरमी हो गई। उधर से कृपाणें खिंच गई और इधर से भाले निकल आये। लेकिन फिर भी पुलिस और मिलिटरी की सावधानी से यह दंगा होते होते रुक गया। वह बहन लिखती है कि दोनों जलूस मेरे सामने थे। अकालियों के जलूस में भी मेरे दो भाई जा रहे थे और जो महा पंजाब समिति का जलूस था उस में भी मेरे तीन भाई जा रहे थे।

काश! परमात्मा न करे, कहीं दोनों जलूस जोश में आ कर टकरा जाते, भाले और कृपाण आपस में

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लड़ पड़तीं तो दुनिया कहती कि सिख और हिन्दू आपस में लड़ गये। लेकिन सच्चाई यह थी कि एक मां के पेट से पैदा दो सगे भाई आपस में लड़ कर खत्म हो जाते। जोश में आ कर हो सकता है कि एक केशधारी दूसरे विना केशधारी पर हाथ छोड़ता और बिना केशधारी केश वाले पर हाथ छोड़ता। लेकिन जब अपने घर में जा कर माथे पर पसीना पोंछ कर दोनों सोचते कि किस ने किस के ऊपर हाथ छोड़ा, तो अन्दर से आवाज आती कि एक ने अपनी बुआ को विधवा बना दिया और दूसरे ने अपनी भतीजी को विधवा बना दिया।

हिन्दू सिख एक हैं

पंजाव में सिख और हिन्दू मांस और खाल की तरह जुड़े हुए हैं, हिन्दू और सिख दोनों एक वृक्ष की दो शाख हैं। गुरुद्वारों में जहां सिख जाते हैं उसी प्रकार से हिन्दू भी प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। दोनों मन्दिरों में भी जाते हैं। हरिद्वार के कुम्भ मेले में जहां हिन्दू आते हैं वहां सिख भी गंगा स्नान के लिये उसी श्रद्धा से आते हैं, लेकिन बुरा हो जाये इन राजनीतिज्ञों का जिन्होंने एक बाप दादे की औलाद को, एक मां की सन्तान को दो टुकड़ों में वांट दिया। ऐसी स्थिति हर समय पंजाव के अन्दर है।

ठीक कहा ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी ने कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय के खिलाफ पंजाव में रोष है, लेकिन पंजाव में रोष होने के बावजूद भी, प्रदर्शनों और हड़तालों के बावजूद भी, आज तक पंजाव के हिन्दुओं और सिखों में टेंशन नहीं है। मैंने अभी अपनी आंखों से जालंधर, लुधियाना और अमृसर में देखा कि उपद्रवों के बाद भी लोगों में हिन्दू-सिख, तनाव नहीं है।

कल दिल्ली में जो आन्दोलन हुआ है मैं चाहता हूं कि वह हिन्दू और सिख वैमनस्य का रूप न ले। इसलिए श्री गुलजारीलाल नन्दा इस सारे कांड की निष्पक्ष जांच करायें। आया इस कांड के पीछे राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए जनसंघ और अकाली दल के नेता थे या नहीं ? अगर जांच के बाद ऐसी बात निकलती है तो मैं कहता हूं कि दोनों को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिये, चाहे वह जनसंघ के हों या अकाली दल के हों। लेकिन यदि इन दोनों में से कोई नहीं है और कोई गुंडा एलीमेंट है जिसने परिस्थिति का लाभ उठाया है या कुछ उन राजनीतिक स्वार्थ वालों ने जो कि दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार का लाभ उठाते हैं, इस हवा का लाभ उठाया है, तो भी इस बात की जानकारी दिल्ली को और सारे देश को होनी चाहिये। ताकि इस परिस्थिति से कोई कड़वाहट या नई मनोवृत्ति न बढ़ने पाये। ऐसी बात निश्चित रूप से होनी चाहिये।

सारे सिख विभाजन के समर्थक नहीं

मैं पंजाव से थोड़ा बहुत परिचय रखता हूं। मैं पंजाब का इस सदन में चार साल तक प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूं, पंजाब के साथ मेरे सांस्कृतिक और पारिवारिक सम्बन्ध हैं। इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि वातावरण चाहे जो बना हो लेकिन विभाजन के समर्थन में आज सारे पंजाब के सिख नहीं हैं, मैं अपने सगे साथियों से भी कहता हूं कि आप इस प्रश्न को लेकर सारे सिखों को दोषी मत ठहरायें। नामधारी सिख इसके साथ नहीं, मजहबी सिख इसके साथ नहीं, रैदासिये सिख इसके साथ नहीं और कांग्रेस में भी ज्ञानी गुरुमुख सिंह और सरदार इकबालसिंह जैसे राष्ट्रीय व्यक्ति इस मांग के साथ नहीं थे। मुझे नहीं पता अगर अव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय के बाद उनके मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं सच कहता हूं कि इन दो व्यक्तियों के सिवा एक और व्यक्ति ने मुझसे चर्चा की जो कि सदा से कांग्रेसी रहा है और कांग्रेस के अन्दर रहा है।

[श्री गु. सि. मुसाफिर : कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो फैसला किया है मैं १०० फीसदी उसके साथ हूं और उसका समर्थक हूं।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं स्वयं कह रहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्णय होने के वाद ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी के और सरदार इकबाल सिंह जी के विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ हो तो मुझे पता नहीं। क्योंकि मैंने समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि कांग्रेस के महासचिव श्री टी. मण्यन ने पंजाब के कांग्रेसियों को लिखा है कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले का स्वागत करें। अगर इस प्रकार के निर्णय से गुरुमुख सिंह जी के विचारों में परिवर्तन हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मेरा कहना यह है कि अकालियों की इस मांग को लेकर अकालियों का एक विशेष गुट मास्टर तारासिंह समर्थक है जो पंजाब रीजन में हिन्दी के साइन वोर्ड पोत रहा है, जो डाइरेक्ट ऐक्शन की धमकी दे रहा है, जिसने पंजाब के बाद दिल्ली में भी डायरेक्ट ऐक्शन की धमकी दी, उसको दोषी ठहराया जाये।

पारिवारिक सम्वन्धों में दरार न पड़े

दो दिन पहले मैं अमृतसर में था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सन्त फतेहसिंह के तीन चार सहयोगी एक स्थान पर मुझसे मिले और उन्होंने निश्चित रूप से यह शब्द कहे कि हम पंजावी सूबे के समर्थक हैं और आप पंजाबी सूबे के समर्थक नहीं हैं। आप इसके विरोध में आन्दोलन करें और हम समर्थन में आन्दोलन करें, लेकिन हमारे इन आन्दोलनों में हिन्दू सिखों के पारिवारिक सम्वन्धों में किसी किस्म की दरार नहीं पड़नी चाहिये। जब उन्होंने यह शब्द कहे तो मुझे पता लगा कि सारे अकाली आज इस प्रकार के नहीं हैं जिनके सोचने का ढंग यह हो।

अव मैं एक प्रश्न सरकार से करना चाहता हूं या ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी से पूछना चाहता हूं। अगर जनसंघ के कार्यकर्ताओं की उपद्रव कराने की मनोवृत्ति थी, अगर किसी के मन में इस प्रकार का विचार था, तो दो दिन पहले इसी चांदनी चौक के बगल में गांधी मैदान में दो दिन तक वरावर उनका उत्सव होता रहा, जिसमें मैंने सुना है ५० हजार की तादाद में लोग सम्मिलित होते थे। अगर उनकी उपद्रव की मनोवृत्ति थी तो उस समय ही वह उनको भड़का सकते थे। दूसरी सब से बड़ी चीज यह कि यह जो कांड कल हुआ वह चांदनी चौक में क्यों हुआ जब कि दिल्ली के कई मोहल्लों में, कई कालोनियों में, जनसंघ का प्रभाव है और वह चाहते तो वहां यह सारी बातें आसानी से हो सकती थीं। यह प्रश्न मेरे मस्तिष्क में भी है और दिल्ली वालों के मन में भी है जिसका जवाब मिलना चाहिये ?

अव मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए तीन बातें विशेष रूप से कहना चाहूंगा। जो परिस्थिति आज दिल्ली में हो रही है उसके सम्वन्ध में एक भाई ने यह पूछा कि दिल्ली में तो पंजाबी सूबा नहीं वन रहा है, पंजाबी सूबा पंजाब के अन्दर बन रहा है, दिल्ली में यह नाराजगी क्यों पैदा हुई ? मैं अपने मित्र को जबाव देने के लिये कहना चाहता हूं कि आज की दिल्ली वह दिल्ली नहीं है जो १९४७ के पहले की दिल्ली थी। आज दिल्ली में ७५ फीसदी पंजाबी बैठे हुए हैं जो बंटवारे के बाद आये हैं। उनके रिश्तेदारों के खून का छींटा जब वहां गिरता है तब उनके दिल में तड़प होना स्वाभाविक है, अगर उनके

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रिश्तेदारों की दुकानें वहां जलती हैं तो उनकी आह निकलना स्वाभाविक है। अगर दिल्ली में रोष है तो दिल्ली के ढांचे पर सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में कौन सी बात ऐसी है जिससे इस प्रकार की नौबत आई है। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली और पंजाब के बाद सारा देश एक ही स्थिति पर आकर सोचता है।

पूजा स्थलों से राजनीति

दूसरी बात मैं नन्दा जी के द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा, इस आन्दोलन या इस आन्दोलन के पहले की स्थिति का निश्चय तो हम बाद में करेंगे, आज तो यह सोचें कि क्या मन्दिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरजाघरों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिये भी प्रयोग किया जाना चाहिये ? आज यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि राजनीतिक आन्दोलन पूजा के स्थानों पर बैठ कर चलाया जाये। क्या सरकार यह समझती है कि वह कोई दूसरा देश है और वह उसकी सीमा के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकती। वहां पर बैठ कर देशद्रोह की प्रवृत्तियां चलती हैं।

इस वास्ते सरकार को आज निर्णय लेना पड़ेगा कि इस प्रकार के आन्दोलन गुरुद्वारों, मन्दिरों में न किये जायें। मैं कहता हूं कि सरकार यह निर्णय समान रूप से सब जगह लागू करने की कोशिश करे। अगर आर्य समाज के अन्दर बैठ कर राष्ट्रदोह के आन्दोलन चलाते हैं तो उसकी भी निन्दा की जानी चाहिये और उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिये। मन्दिरों या गुरुद्वारों में बैठ कर जो राजनीतिक आन्दोलन चलाये जा रहे हैं और देशद्रोह की प्रवृत्तियां पैदा की जा रही हैं सरकार को उस पर दृढ़ता से कोई निर्णय लेना चाहिये, वर्ना यह चीज आगे चल कर भयंकर रूप लेगी। दिल्ली में जो हवा आई, आया वह पंजाब की हवा का प्रभाव था या नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी, गृह मंत्री श्री गुलज़ारी लाल नन्दा और श्री यशवन्तराव चव्हाण के पास जो व्यक्ति बेंच पर बैठे हुए हैं उनसे और पूरी कैबिनेट से कहता हूं कि वह इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप आज इस समस्या का समाधान सोचिये और खुल कर हल निकालिये। ऐसा हल निकले जिससे केवल पंजाब की रक्षा न हो बल्कि पूरे देश की रक्षा हो। पंजाब की नहीं, इस हवा का प्रभाव दिल्ली पर, हरियाणा पर, राजस्थान पर नहीं, पूरे देश पर पड़ने वाला है। इन स्थितियों से देश को बचाइये। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाबी सूबे का आधार भाषा नहीं पंथ

पंजाब सूबे की सिखों की मांग के आगे झुक कर गृहमंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने पंजाब के पुनर्गठन-पंजाबी सूबे का निर्माण-की घोषणा कर दी। गृह मंत्री की इस घोषणा पर विचार के लिए शास्त्री जी ने १२ मई १९६६ को लोक सभा में पुनर्विचार का निम्न प्रस्ताव रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा पंजाब के वर्तमान राज्य के पुनर्गठन के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा १८ अप्रैल, १९६६ को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करे।

भारत सरकार की अदूरदर्शिता

उपाध्यक्ष जी, पंजाव का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भारत सरकार की अदूरदर्शिता और एक घुटने टेक नीति का परिणाम है जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा।

पाकिस्तान वनने के बाद पंजाब वैसे ही दोआब रह गया था। रावी, झेलम और चिनाव तो पाकिस्तान में चली गईं। इधर तो केवल सतलुज और ब्यास ही रह गई थीं। पर अभागे पंजाब को अभी और एक बंटवारे का घाव लगना बाकी था। यह वहां किसी को पता नहीं था। भारत सरकार ने पंजाबी सूबा मान कर जहां दिल्ली की नाक के नीचे एक दूसरा नागालैण्ड खड़ा कर दिया, वहां अकालियों के चक्कर में आकार हिन्दू और सिखों के बीच कड़वाहट का एक ऐसा वीज वो दिया है जिसे अभी यदि सावधानी से न संभाला गया तो पता नहीं आगे इस वृक्ष में से कैसी शाखा प्रशाखाएं फूटें।

मैं प्रारम्भ से ही सिखों को हिन्दुओं से पृथक नहीं मानता। दोनों एक वाप-दादों की औलाद हैं और दोनों की नसों में एक ही खून है। अकाली जो सिखों से पृथक हिन्दुओं को कहते हैं उन के साथ सब सिख नहीं हैं और न ही पंजाब के इस विभाजन का दोष सारे सिखों पर रखा जा सकता है। नामधारी सिख, मजहबी, रैदासिये और जो अब कामराज के डर से बदल गये कल तक वह कांग्रेसी भी पंजाब के विभाजन के विरुद्ध थे।

पंजावी सूबे की यह मांग सब से पहले १९४२ में उठी जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था। उस समय कुछ अकाली नेताओं ने सोचा कि जब मुसलमान नाम पर पाकिस्तान हो सकता है तब सिख नाम पर सिखिस्तान क्यों नहीं हो सकता है ? उस के वाद १९४५ की शिमला कांफ्रेंस में मास्टर तारासिंह ने कहा कि यदि जिन्ना सिख राज्य मान लें तो हम पाकिस्तान मान लेंगे। हम लोग भी पाकिस्तान की उन की मांग को स्वीकार कर लेगें। ब्रिटिश कैबिनट मिशन के सामने १९४६ में भी इस तरह की मांग उनकी ओर से आई। इस तरह से यह साम्प्रदायिक मांग कभी सिखिस्तान, कभी खालिस्तान, कभी आजाद पंजाब के रूप में और अव पंजावी सूबे के नाम पर उठी है। सन् १९४७ में जब देश का वंटवारा हो गया तो फिर मास्टर तारा सिंह ने एक नया नारा लगाया कि हिन्दुओं को हिन्दुस्तान मिल गया और मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया पर हमें क्या मिला ? देश के बंटवारे का घाव इतना गहरा था जो किसी का ध्यान उस समय उधर नहीं गया। लेकिन बाद में फिर जब पानी सिर को लांघने लगा तो सरदार पटेल ने

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मास्टर तारासिंह को जेल में भेज दिया। अम्बाला में जब पंजाब विश्वविद्यालय का लाहौर से उजड़ कर पंजाब युनिवर्सिटी का आफिस आया तो पहला दीक्षान्त भाषण देने के लिए सरदास पटेल वहां पर गये। उनके उस भाषण को भारत सरकार ने पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया है।

उस में सरदार पटेल ने कहा कि मैंने मास्टर तारासिंह को क्यों जेल में डाला। सरदार कहने लगे कि देश के विभाजन का सब से गहरा घाव पंजाब को लगा है। मैं उस घाव को मरहम लगा कर भरना चाहता हूं लेकिन मास्टर तारा सिंह और उनके साथी बारबार ठोकर मारकर उस घाव से खून निकाल रहे हैं। इसीलिए मजबूर होकर मुझे मास्टर तारा सिंह को जेल में भेजना पड़ा। लेकिन सरदार पटेल ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मेरी गद्दी पर जो भी आकर बैठेगा उस को इसी प्रकार के कदम इस तरह के लोगों के संबंध में उठाने पड़ेंगे।

दुख है कि सरदार पटेल के बाद जिस गद्दी पर श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति बैठे थे आज उस गद्दी पर श्री गुलजारीलाल नन्दा बैठे हैं, जिनकी कि नाक इतनी मोम की है जो कांग्रेस के अन्दर और बाहर बैठे अकालियों ने मोड़ दी। भाषा की आड़ में वह मजहबी राज्य मान बैठे। उन्होंने भाषा की आड़ में मजहबी राज्य श्री गुलजारी लाल नन्दा के श्रीमुख से कहलवा लिया।

स्वतन्त्रता से पूर्व के सिखिस्तान या खालिस्तान की बात छोड़ भी दें स्वतन्त्र होने के बाद यह मांग केवल भाषा की न रह कर एक पंथ की मांग थी। उस के लिए भी मैं कुछ प्रमाण उपस्थित करना चाहता हूं। मेरे साथ में संत फतेहसिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पीछे तीन मुलाकतें हुई थीं उनका यह विवरण है जो पीछे इसी सदन के पटल पर रखा गया था। इसमें पहली मार्च की जो उनकी मुलाकात है एक मार्च १९६१ की उस के पृष्ठ ६ पर एक बात लिखी हुई है। संत फतेहसिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहा कि श्री मुरारजी देसाई स्थान-स्थान पर यह कहते हैं कि यह मांग भाषा की नहीं है बल्कि मजहब की है। उस में श्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं भी जानता हूं कि अकाली जो चाहते हैं वह भाषा पर आधारित प्रदेश नहीं वरन् पंथ प्रदेश चाहते हैं। मास्टर तारासिंह जब उनसे भावनगर में मिले थे जब उन्होंने यह बताया था कि वह अपने पंथ के लिए यह प्रदेश बनाना चाहते हैं। भाषा तो केवल एक गौण विषय है। श्री जवाहरलाल नेहरू को मास्टर तारासिंह ने १९६१ के अन्दर यह बात कही जिसका कि उन्होंने उसके अन्दर उल्लेख किया है।

तारासिंह सिख राज्य के लिए सक्रिय

मास्टर तारासिंह स्थान स्थान पर इस बात को कहते रहे। अभी पिछले साल २४ अगस्त १९६५ को पाकिस्तान के साथ संघर्ष शुरू होने से कुछ दिन पूर्व मास्टर तारासिंह लाहौर गये। वहां कराची से प्रकाशित डान अखबार के मुख्य पृष्ठ पर उनका जो स्वागत वहां के मुसलमानों ने किया उस का एक फोटो दिया हुआ है। उस में भी, उन्होंने वहां लाहौर में जाकर यही कहा कि हम एक इस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं जिसमें हिन्दुओं का प्रभुत्व न हो और हमारी ही एक बहुत बड़ी संख्या हो। कुछ बातें उस में उन्होंने और भी कहीं। लाहौर में जाकर उन्होंने हमारे लोक सभा के अध्यक्ष तक के ऊपर कीचड़ उछाली और यह कहा कि संविधान सभा में जो हमारे सिक्खों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे सरदार हुक्म सिंह और भूपेन्द्र सिंह मान उन्होंने भारतीय संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। वह उस से सहमत नहीं थे।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भला मास्टर तारासिंह को इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं था कि जो व्यक्ति भारतीय संविधान में विश्वास न रखता हो या भारतीय संविधान की शपथ न ले, भला वह इस देश की लोक सभा का अध्यक्ष किस प्रकार बन सकता है, लेकिन यह बात उन्होंने वहां जाकर कही। पर इससे भी एक बड़ी बात जिससे कि उनके मन का पता लगता है वह मैं आप के सामने कहना चाहता हूं . . .

[**श्री कपूर सिंह (लुधियाना):** सभापति महोदय, मैं आप की इजाजत से कुछ कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय : अभी नहीं जब आपकी बारी आयेगी तब आप कह लीजियेगा।

श्री कपूर सिंह : मेरी बारी नहीं आयेगी इसलिए मैं आप की इजाजत से कहना चाहता हूं कि यह जो कह रहे हैं कि अकाली सिक्खों ने संविधान पर दस्तखत नहीं किये थे यह बात गलत है तो मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि वह गलत कह रहे हैं। अकाली सिक्खों ने संविधान के ऊपर दस्तखत नहीं किये थे यह बात ठीक है। यह बात मैंने इसलिए कही किजो वाक्यात हैं उन्हें वह ठीक बतलायें बाकी जो उनके मन में आये वह कहें।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी अगर श्री कूपर सिंह मेरी बात को पूरा सुन लेते तो शायद मुझ से सहमत होते। मैं तो कह ही रहा हूं कि मास्टर तारासिंह का वक्तव्य है जोकि सही नहीं हो सकता क्योंकि संविधान पर हस्ताक्षर .....

[**श्री कपूर सिंह** .... यह सही है मैं यही कर रहा हूं।]

भाषा की नहीं पंथ की मांग है

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अगर सही है तो मैं समझता हूं कि इस से बड़ी देश के लिए दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती जो आप कह रहे हैं। इसलिए जो बात मैं कह रहा था वह मांग भाषा की न होकर पंथ की है। इसका मैं एक और प्रमाण उपस्थित करना चाहता हूं। मास्टर तारासिंह का प्रभात अख़बार जो जालन्धर से निकलता है उसमें छपा हुआ लेख भी इसी बात का प्रमाण है। उसका एक उद्धरण है। जब भारत और पाकिस्तान का संघर्ष समाप्त हो गया तो पहली अक्तूबर १९६५ को उसके अंक में उन्होंने एक लेख लिखा। उनके अपने शब्द पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :-

> "जब कश्मीर का युद्ध चल रहा था तब मैं सोच रहा था कि उसका परिणाम क्या होगा ? मैंने यह कहा भी था कि यदि पाकिस्तान जीत जाये उसकी सेनाएं हमारे इलाके में से गुजर भी जायें तो हमें कुचला समझो। यदि हिन्दुस्तान जीत जाये तो हिन्दू अहंकार और हिन्दू शक्ति इतनी बढ़ जायगी कि हमें थोड़े ही दिनों में हड़प कर लेगी और हम यही चाहते थे कि किसी की जीत के बिना ही बीच में संधि हो जाये फिर हम सोचेंगे और अपना स्वतन्त्र पैंतरा बनाने का समय हमें मिल जायेगा। वाह गुरु की कृपा से अब यह अवसर हमें मिला है और अब हमें तत्काल सोचना होगा कि हम किसी तरीके से अपनी कोई ऐसी स्वतंत्र स्थिति बना लें जिससे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों को हमारे तुष्टीकरण की इच्छा बनी रहे।"

यह है वह दृष्टिकोण जिसके कि आधार पर पंजाबी सूबे की मांग अकालियों की ओर से उठी। आखिरकार श्री नेहरू, सरदार पटेल, गोविन्द वल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री क्यों इससे सहमत नहीं थे ? क्योंकि वह अच्छे तरीके से जानते थे कि यह मांग भाषा की नहीं है यह भाषा के पीछे छिपी एक

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्प्रदायिक मांग है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पंजाबी सूबे की मांग स्वीकार की उसकी बात तो मुझे समझ में आ सकती है क्योंकि कांग्रेस संगठन का सब से बड़ा अध्यक्ष ही वह है जो उत्तर और दक्षिण की दो आंखों से भारत को देखता है। राज्य सभा में श्री कामराज के भाषण की चर्चा करते हुए मद्रास के एक सदस्य ने उनके चुनाव अभियान के एक भाषण की चर्चा करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण के ऊपर हमेशा से उत्तर के लोग अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते रहे हैं।

पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। श्री कामराज पंजाबी सूबे को मानें वह बात तो समझ में आ सकती है। उत्तर के किसी तरह से टुकड़े हों इससे तो शायद उनको संतोष हो सकता है। पर श्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री जो इस देश की प्रधान मंत्री हैं और जिन्होंने इस बात की प्रधान मंत्री बनते ही घोषणा की थी, कि हमारे पिता जो काम अधूरा छोड़ कर गये हैं मैं उस काम को पूरा करूंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके मंत्रिमंडल में जिस समय पंजाब के विभाजन का प्रस्ताव पास हो रहा था तो उन्होंने मंत्रिपरिषद् में कैसे वह प्रस्ताव पास हो जाने दिया ? क्या पटेल, नेहरू, पन्त और शास्त्री जी के उत्तराधिकारियों में कोई वहां ऐसा नहीं था जो लाजपतराय और भगतसिंह के पंजाब को टुकड़े-टुकड़े होने से बचा लेता ? क्या कोई भी ऐसा उस समय मौजूद नहीं था जो हिम्मत के साथ खड़ा होकर कहता कि मैं लाला लाजपतराय और शहीद भगतसिंह के पंजाब का विभाजन स्वीकार नहीं करूंगा ?

देश के इतिहास में काला दिन

पंजाब के और देश के इतिहास में २३ सितम्बर १९६५ वह काला दिन माना जायगा जब नन्दा जी ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई बन्द हुए १२ घंटे भी नहीं हुए थे, संसदीय समिति और कैबिनेट सब-कमेटी बनाने की घोषणा कर दी। संसदीय समिति की घोषणा इतनी आतुरता से श्री गुलजारीलाल नन्दा ने की जो उसके अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, इसकी पूरी व्याख्या भी वह नहीं कर सके। संसदीय समिति के सदस्यों का जिस रहस्यात्मक ढंग से चुनाव हुआ, वह भी इस संसद् के इतिहास में एक नई घटना रहेगी, जिसका इतिहास आगे चल कर लिखा जायगा कि किस प्रकार से वह समिति बनी थी। इससे जो हानि हुई है, उसके परिणाम पंजाब नहीं पूरे देश को भुगतने पड़ेंगे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जब कि विभाजन की घोषणा ही हुई है और शाह कमीशन ने रेखा भी नहीं खींची है, उसी का परिणाम यह हो रहा है कि पंजाब के व्यापारी वर्ग ने गाजियाबाद, सोनीपत और फरीदाबाद में इधर आकर जमीनें खरीदनी शुरु कर दी हैं। जब से पंजाब के विभाजन की घोषणा हुई है पंजाब में जमीनों का भाव गिर गया है और दिल्ली में १५ से ३० प्रतिशत तब जमीनों के भाव ऊंचे चले गये हैं। आप रिजर्व बैंक से पूछिये कि इस प्रस्ताव की घोषणा के बाद पंजाब के कितने बैंकों से लोगों ने अपना हिसाब इधर ट्रांस्फर कराया है या दूसरी ओर भेजा है।

जहां तक व्यापार की स्थिति है, जो लोग अपने कारखानों को बढ़ाना चाहते थे उन्होंने अपने कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया है। जिन्होंने अपने कारखानों के लिए मशीनों को मंगवा लिया था, उन्होंने उसको पोर्ट पर ही रोक कर पंजाब भिजवाने की बजाय गाजियाबाद और फरीदाबाद पहुंचवा दिया है। यह स्थिति केवल हिन्दू व्यापारियों की नहीं है, बल्कि सिख व्यापारियों की भी है, वे भी इससे परेशान हैं और अपने कारखानों को वहां पर नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तीन जिलों में गुरदासपुर, अमृतसर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और फीरोजपुर में एक तरह से व्यापार वैसे ही ठप्प हो गया था। बाकी के छः जिलों में व्यापार की स्थिति ऐसी ही हो गई है। आप पूछेंगे कि आखिर इन इण्डस्ट्री चलाने वालों को डर क्या है ?

उनका एक मात्र डर यह है कि आपकी इस नीति और दुर्बल ढंग से आप पंजाब के लोगों में केन्द्रीय सरकार पर से विश्वास उठ गया है और वह नहीं समझते कि यह केन्द्रीय सरकार आपत्ति के समय हमारी रक्षा कर सकेगी।

पंजाब के विभाजन का आधार भाषा न हो कर मजहब रहा है। १९६१ की जनगणना के आंकड़ों को आज मानने से मास्टर तारासिंह, संत फतहसिंह और अकाली लोग इन्कार करने लगे हैं और कहते हैं कि ये भाषाई आंकड़े साम्प्रदायिक हैं। यदि इन आंकड़ों के पीछे तथ्य नहीं है तो मैं इन लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के आंकड़े भी झूठे हैं ? क्या एस. आर. कमीशन की रिपोर्ट झूठी है ? अगर जनगणना के आंकड़े झूठे हैं तो इन दोनों प्रमाणों के बारें में वे क्या कहेंगे। एस. आर. कमीशन की रिपोर्ट में, जो सीमा निर्धारण आयोग था, पैरा ५३२ के शब्द आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि जालन्धर डिवीजन के छः जिलों में १९५० से १९५५ तक जो छात्र पंजाब विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठे, उनमें ६२.२ प्रतिशत छात्रों ने हिन्दी ली और ३७.८ छात्रों ने पंजाबी ली। एस. आर. कमीशन ने उसी में लिखा है कि १९५१ से १९५५ तक पंजाव विश्वविद्यालय की मैट्रीकुलेशन परीक्षाओं में १,३७,५८८ बच्चे बैठे। इन्हें इतिहास और भूगोल के पर्चों के हिन्दी या पंजावी के माध्यम से उत्तर देने की छूट थी। कमीशन लिखता है कि उनमें से ७३.३ प्रतिशत छात्रों ने हिन्दी में उत्तर दिये और २६.५ प्रतिशत छात्रों ने पंजाबी में उत्तर दिये। अब मैं पूछना चाहता हूं संत फतह सिंह, मास्टर तारा सिंह और उनके समर्थकों से कि क्या विश्वविद्यालय के आंकड़े भी झूठे माने जायेंगे। अब रह जाती है सन् १९६१ की जन-गणना। इसके लिये वह कहते हैं कि लोगों ने दबाव में आकर, साम्प्रदायिक बहाव में आकर अपने को हिन्दी भाषी लिखाया है। इस के भी आप दो उदाहरण सुनिये। मैं जालन्धर और गुरदासपुर के आंकड़े देना चाहता हूं .....

[**श्री कपूर सिंह :** वे भ्रम फैला रहे हैं (व्यवधान)

सभापति : मैं उनको अनुमति दूंगा कि वे अपनी बारी आने पर बोलें। कृपया बैठ जाइए।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इनको बोलने का अवसर मिलेगा, फिर पता नहीं क्यों इनको इतनी मिर्चें लग रही हैं।

मातृभाषा का प्रश्न

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति महोदय, १९६१के आंकड़ों के सम्बन्ध में मैं कह रहा था, जिसके लिये संत फतह सिंह, मास्टर तारासिंह और उनके समर्थकों को आपत्ति है।

जालन्धर जिले में हिन्दुओं की संख्या ६,६२,६३१ है और इस जिले में जिन लोगों ने अपनी मातृभाषा हिन्दी लिखाई है, उनकी संख्या ४,६९,१५८ है, यानी हिन्दुओं में से १,९३,४७३ हिन्दू वे हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी लिखवाई है, जिसके लिये कि वे कहते हैं कि भाषा के खाने में गलत लिखवाया है।

गुरदासपुर जिले में कुल जनसंख्या में हिन्दुओं की आबादी ४,९४,६७५ है, इनमें से जिन लोगों ने हिन्दी लिखवाई है, उनकी संख्या ४,८३,७९१ है, यहां भी दस हजार से ऊपर वे आदमी हैं जिन्होंने अपनी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मातृभाषा पंजाब लिखाई है। इस के बाद भी वह किस तरह से कह सकते हैं कि वहां पर लोगों ने बहाव में आकर अपनी भाषा को गलत लिखवाया है।

किसी की मातृभाषा क्या है ? सभापति जी, इसका निर्णय वह खुद करेगा या मातृभाषा के चुनाव का अधिकार वह किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा। अगर इस पर भी अकालियों को, मास्टर तारासिंह और संत फतह सिंह को आपत्ति है तो मैं भारत सरकार से कहूंगा कि यदि १९६१ के भाषा के आकड़ों को वे प्रमाणित नहीं मानते तो श्री गुलजारी लाल नन्दा एक और हिम्मत वाला कदम उठायें। हिम्मत वाला कदम उठाकर यह कहें कि अगर १९६१ के भाषा के आंकड़े प्रामाणिक नहीं हैं तो भाषा के नये आंकड़े पंजाव के अन्दर एकत्रित किये जायें। उसके आधार पर पंजाव का विभाजन किया जाये। अगर वह भी वे स्वीकार नहीं करते तो एक तीसरा विकल्प यह है कि जहां १८-१९ साल से पंजाब का विभाजन न होने से सव आराम से रहते आये हैं, वह चार साल के बाद १९७१ में आंकड़े ले लिये जायें और उसके बाद पंजाब का विभाजन कर दिया जाये। आखिर कोई स्पष्ट नीति तो मानी जाय, न्याय तो माना जाये। चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। अगर इसी तरह से अकालियों को सन्तुष्ट करने के लिए भारत सरकार लगी रहे तो यह वात भला किस प्रकार से सहन हो सकती है।

पंजावी सूवा बनने से मिला क्या ?

एक और बात कहना चाहता हूं कि आखिर इस में इनको खतरा क्या है ? खतरा सव से बड़ा यह है कि भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा बनाने की बात को कह तो यह वैठे पर अव खतरा यह है कि उनके साथियों ने ही उनके कपड़े खींचने शुरू कर दिये हैं। पंजाबी सूबा लेने के बाद तुमको मिला क्या ? जिस पंजावी सूबे के लिये इतनी लड़ाई लड़ी, तुम्हारे हाथ में आया क्या ? भाषा के आधार पर जब पंजाव का विभाजन होगा तो खरड़ तहसील न होने से चंडीगढ़ तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ऊना के न रहने से भाकड़ा तुम्हारे पास नहीं रहेगा और भी कई बातें इसी प्रकार की होंगी।

अकालियों ने भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा माना तो पर पंजावी भाषा के साथ भी न्याय नहीं किया। पहले पंजाबी १९ जिलों में पढ़ाई जाती थी, अब सिर्फ ९ जिलों में चलेगी। हिमाचल और हरियाणा को तो इससे मुक्ति मिल गई, पंजाबी को आखिर इन्होंने क्या दिया ? और अगर पंथ की हिफजात के लिये यह किया, जैसा कि मास्टर तारासिंह और उनके समर्थकों का कहना है, तो उन्होंने पंथ के लिये ही क्या किया ? सिवाय इसके हिन्दुओं और सिखों में भेद डाल दिया। जहां कभी गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज ने कहा था कि.....

'जगे धर्म हिन्दू सकल भंड भाजे।'

लेकिन मास्टर तारासिंह और उनके समर्थकों का कहना है कि सिख हिन्दुओं से अलग हैं। आज इस नीति के परिणामस्वरूप जो कभी सिख पंथ को हिन्दू धर्म की शाखा मानते थे उनको मास्टर तारासिंह की इस नीति से सिख पंथ के विस्तार में बहुत अधिक हानि पहुंची है। आखिर उन्होंने पंजाबी सूबा बना कर ले क्या लिया ?

लिपि में विकल्प हो

एक बात और रह जाती है और वह यह कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी ही रखी जाये। मैं

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूछता हूं उन लोगों से किअगर लिपि केवल गुरुमुखी रखने से उनको कोई बड़ी भारी सुविधा है या इसमें पंथ की सुरक्षा देखते हैं, तो लाहौर में जो पंजाबी चलती है, वहां पर वह गुरुमुखी लिपि में चलती है ? सन् १९४७ से पहले जो पंजाब में लिपि चलती थी क्या वह गुरुमुखी लिपि ही पंजाबी के लिये चलती थी ? देवनागरी लिपि को भी अगर गुरुमुखी लिपि के साथ-साथ पंजाबी की लिपि मान लिया जाये तो क्या पंजाबी भाषा समाप्त हो जायेगी ? आज मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होने से क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, पंजाबी उर्दू, लिपि में भी तो लिखी जाती है .....

[**श्री गु.सिं. मुसाफिर (अमृतसर)**: क्या प्रकाशवीर शास्त्री जी मानेंगे कि हिन्दी को देवनागरी में छोड़ कर उर्दू में लिखा जाय ?]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हिन्दी की अपनी निजी लिपि देवनागरी सुरक्षित रहते हुए, अगर किसी दूसरी लिपि में हिन्दी उतनी ही शुद्ध लिखी जा सकती है तो मुझे वैकल्पिक लिपि वह स्वीकार है। लिपि के लिये मैं कठोर नहीं हूं। मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी को रखते हुए आप देवनागरी को पंजाबी की वैकल्पिक लिपि मानिये। जिस आधार पर आज पंजाबी सूवा बनने जा रहा है और जो वहां पर आज देवनागरी लिपि के माध्यम से काम करते हैं, उनको किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई न हो। जहां तक भाषा का प्रश्न है, मैं बड़े अदब से नन्दा जी से कहना चाहता हूं जिस तरह से आसाम के सम्बन्ध में बंगाली भाषा-भाषियों के लिये आप ने कानून बनाया है, पंजाब के लिये भी वही नीति मजबूती से अपनाइये।

चण्डीगढ़ दोनों की राजधानी रहे

मैं चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। राजधानी का प्रश्न ऐसा है, जिस पर पंजाब वालों के मस्तिष्क में आज क्षोभ फैला हुआ है। मुझे पंजाब के विभाजन का दुख है। पंजाब के विभाजन का न मैं पहले समर्थक था और न अब समर्थन करता हूं। लेकिन सभापति महोदय! समुद्र मन्थन से जहां विष निकला था, वहां अमृत भी निकला था, हरियाणा वाले जो १८५७ से अंग्रेजों के अभिशाप से ग्रस्त थे, इनको इससे अब सांस लेने का मौका खुली हवा में मिला है।

लेकिन अब उनकी राजधानियों का प्रश्न रह जाता है। क्या श्री गुलजारी लाल नन्दा इस बात को पसन्द करेंगे कि आज के अर्थ संकट के युग में जब एक एक पैसे की मांग करने के लिये श्री अशोक मेहता विदेशों में घूमते फिर रहे हैं, देश में करोड़ों रुपये खर्च करके नई राजधानी खड़ी की जाये ? बुद्धिमत्ता तो इसी में होगी कि पंजाब के अन्दर जो राजधानियां रह चुकी हैं उनको ही दोनों की राजधानी बनाया जाये और नई राजधानी बना कर इस गरीब देश का पैसा खराब न किया जाय। इसका तरीका यह है कि अगर खरड़ तहसील हरियाणा में आती है तो चंडीगढ़ को हरियाणा की राजधानी बनाया जाय और पंजाब की राजधानी पटियाला को बनाया जाय। पटियाला पेप्सू की राजधानी रह भी चुकी है। वहां सेक्रेटरियट भी बनी बनाई है, इसलिये कोई दिक्कत भी नहीं होगी।

रह जाती है भाखड़ा बांध की बात, जिसके ऊपर किसी को आपत्ति हो सकती है। भाखड़ा बांध के

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि चूंकि उना तहसील में हिन्दी भाषा भाषियों की संख्या जायदा है इसलिये उना तहसील हरियाणा में आयेगी अवश्य। भाखड़ा बांध से पंजाब वालों को खतरा है कि अगर वह हरियाणा में आ गया तो पता नहीं बाद में हरियाणा वाले पूरी बिजली और पानी पंजाब को दें या न दें। इसके लिये पहली चीज तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्यतः भाखड़ा बांध बनाया ही गया था हरियाणा के लिये। पंजाब के इस हिस्से का विकास करने के लिये कि किसी तरह से नहरें या बिजली वहां भी जायें और हरियाणा भी दूसरे हिस्से की तरह से विकसित हो, यह बांध बनाया गया था। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया भाखड़ा बांध में लगा हुआ है। केन्द्रीय सरकार एक काम करे कि केन्द्र की देख-रेख में भाखड़ा बांध के लिए एक संयुक्त बोर्ड बना दिया जाये ताकि किसी क्षेत्र के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो और सब को बराबर पानी और बिजली मिलती रहे।

देश को पांच भागों में विभक्त करें

अब मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। एकतो यह कि मेरे विचारों से यह सदन परिचित है। मैं एक विधेयक भी लाकर अपनी विचारधारा को इस सदन में व्यक्त कर चुका हूं कि मैं भाषावार राज्यों के निर्माण से कभी सहमत नहीं हूं। सरकार ने भाषावार प्रान्तों का निर्माण कर के इस देश को खंड खंड करने का बीज बोया है। अगर इस देश को खंड-खंड होने से बचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि भाषावार राज्यों की सीमायें समाप्त कर के सारे देश को पांच भागों में विभक्त कर के एक मजबूत केन्द्रीय शासन की स्थापना की जाये। यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट इस देश में होना चाहिये। पहले से मैं इस विचार का समर्थक रहा हूं।

भारत सरकार की इस नीति का परिणाम यह हुआ है जो उसने आज पंजाब के सम्बन्ध में घुटने टेके। अभी पंजाब की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि नाग और विदर्भ के आन्दोलन में फिर से जान आ गई। डा. अणे यहां बैठे हुए हैं, वे इस बात को जानते हैं। काश्मीर के एक जिम्मेदार आदमी ने कहना शुरू कर दिया कि एक डोगरा राज्य की स्थापना कर दी जाये और महा हिमाचल का निर्माण करना चाहिये। क्या इस मांग के उठाने का अर्थ यह है कि हम पाकिस्तान को फिर एक बार बल दें और आज कश्मीर राज्य के अन्दर जो पाकिस्तानी तत्व घूमते फिर रहे हैं और जिनको वहां प्रश्रय मिल रहा है उनको आगे बढ़ने का मौका दें और यह सारी बातें वहां होती रहें। अभी समय है कि अब भारत सरकार चेते और अपनी भूलें सुधार कर इस देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटने से बचाये।

प्रारम्भ में राष्ट्रपति शासन हो

पंजाब के सम्बन्ध में एक बात और कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा, और यह कि पंजाब के अन्दर आज जिस तरीके से विभाजन हुआ है वह क्या है। कांग्रेस, भारत सरकार, पंजाब के चीफ मिनिस्टर और वहां के होम मिनिस्टर बराबर यह कहते रहे कि पंजाब का विभाजन नहीं होगा, पंजाब का विभाजन नहीं होगा। पंजाब के हिन्दू और सिख निश्चिंत हो कर बैठे रहे, दोनों एक हो कर पाकिस्तानी संघर्ष का मुकाबला करते रहे। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के आ जाने से अचानक

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब के लोगों के कानों में जा कर पहली बार जब यह खबर पड़ी जो सर्वदा उनकी भावनाओं और विचारों के प्रतिकूल थी। उसी के कारण पंजाब के अन्दर एक रोष फैल गया। उस रोष के बाद जो घटना हुई उससे यह सदन और यह देश परिचित है। मैं कहना चाहता हूं कि पंजावी सूबा बनाने की जो गलती सरकार ने की है उसको सम्भालने का अब एक ही तरीका है, और वह यह है कि जब तक अकालियों द्वारा पैदा किया हुआ यह विष पंजाब के वातावरण से धुल नहीं जाता, जव तक पंजाब में उठी यह गन्दगी नीचे नहीं बैठ जाती, जब तक पंजाब का वातावरण स्वच्छ नहीं हो जाता, तब तक केन्द्रीय सरकार पंजाव के अन्दर मजबूती के साथ राष्ट्रपति का शासन रखे। और जब दोनों ओर से हृदयों में सद्भावना का वातावरण बन जाये तब पंजाब के अन्दर विधिवत् नई सरकार का निर्माण किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि जिन भावनाओं के साथ मैंने इस प्रस्ताव को रखा है उस की पवित्रता और गम्भीरता का ध्यान रखते हुए सदन इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा।❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब के विभाजन का सूत्रपात

श्रीप्रकाशवीर शास्त्री के पंजाब के पुनर्गठन के विरुद्ध पुनर्विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद अनेक सांसदों ने विचार रखे तथा गृहमंत्री श्री नंदा ने इसका जबाव दिया। शास्त्री जी ने १४ मई १९६६ को अपने प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते हुए प्रमाण देकर बताया कि कांग्रेस पहले पंजाब के विभाजन के विरुद्ध थी परन्तु कांग्रेस कार्यसमिति के विभाजन को मानने के प्रस्ताव से सारा खेल ही उलट गया।

उपाध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री महोदय ने मेरे प्रस्ताव पर अपना भाषण देते हुए, यहीं से अपने भाषण को प्रारम्भ किया कि मैंने उनको एकचिट लिख कर भेजी थी, जिसमें निवेदन किया था कि आज आप अपना भाषण हिन्दी में दें तो अच्छा होगा। गृह मंत्री जी ने इस बात को इतना महत्वपूर्ण समझा कि अपने भाषण का प्रारम्भ यहीं से किया। लेकिन मैंने उनको ऐसा लिखा तो कोई अपराध नहीं किया। इसका कारण यह था कि श्री जवाहरलाल नेहरू की हमेशा यह आदत रही कि जब भी कोई इस प्रकार की चर्चा होती थी, कि जिसमें अधिकांश सदस्य हिन्दी में बोलते थे .....

[**उपाध्यक्ष महोदय :** आपका जवाब क्या है, वह बोल दीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह बिल्कुल उचित बात है।]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उसका उत्तर वह हिन्दी में देते थे, लेकिन कुछ सदस्यों के लिए जो हिन्दी नहीं समझते थे, वे बाद में अंग्रेजी में भी बोलते थे। मैं समझता था कि श्री नन्दा उसी पद्धति का अनुसरण करेंगे।

सरकार की दृष्टि में संसद महत्वहीन

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने और विशेषकर गृह मंत्री जी ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि अब तो सरकार निर्णय कर ही चुकी है। अब इस समस्या को सदन में उठाने का विशेष अभिप्राय क्या है ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार पर दोष लगाना चाहता हूं। पहले भी इस प्रकार पंजाब के विभाजन का प्रश्न आया था। जब एक बार संत फतह सिंह और एक बार मास्टर तारा सिंह ने अनशन किया था। उस समय भी देश के सामने विषम स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन उस समय की सरकार पार्लियामेंट को इतना महत्व देती थी कि सरकार अपना निर्णय पार्लियामेंन्ट के सदस्यों की राय जानने के बाद घोषित करती थी। उस पर दो बार चर्चायें यहां हुई और सरकार ने अपना विचार संसद के माध्यम से देश को दिया।

लेकिन आज की सरकार संसद को इतना महत्वहीन समझ बैठी है कि पंजाब के मामले पर जो पिछले १८ साल से बराबर यही कहती रही थी, कि उस का विभाजन नहीं होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने और कैबिनेट ने अलग बैठकर निर्णय कर लिया और पार्लियामेंट को विश्वास में लेना उचित या आवश्यक नहीं समझा। जब सीमा रेखा खींचने लगी उस के पहले भी सरकार ने पार्लियामेंट को विश्वास में लेना आवश्यक नहीं समझा। मैंने इस प्रस्ताव को उपस्थित कर देश के इतिहास में एक अध्याय जोड़ना

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चाहा था कि सरकार अपनी भूल को कम से कम अब तो सुधारे। पहले जिस पार्लियामेंन्ट को विश्वास में लिये बिना इतने बड़े निर्णय नहीं लिये जाते थे, अब इस मामले पर उसके प्रतिनिधियों की राय भी नहीं ली गई।

सरकार इस प्रस्ताव के माध्यम से इस भूल को सुधारेगी। इस आधार पर मैंने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया था। साथ ही साथ यह भी चाहा था कि इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार जो अब तक असावधानी करती चली आई है आगे तो असावधानी नहीं करेगी।

पं. नेहरू पंजाब विभाजन के विरुद्ध थे

जब श्री गुलजारी लाल नन्दा ने यह बातं कही कि उस समय के जो नेता थे, उस समय की क्या परिस्थितियां थी ? जिस पर वे पंजाब के विभाजन का विरोध करते थे। आज वे नेता होते तो क्या निर्णय लेते, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं श्री नन्दा से पूछता हूं और ज्ञानी जी से भी जो अपनी निजी वाकिफयत के आधार पर कहते हैं कि श्री जवाहरलाल नेहरू कभी पंजाव के विभाजन के विरोधी नहीं थे। शायद यह उनकी निजी जानकारी है। लेकिन मेरे हाथ में वह तथ्य हैं जो संत फतह सिंह के साथ तीन बार श्री जवाहरलाल नेहरू की बात हुई, और तीनों बार की वार्ता का विवरण जो उन्होंने सभा की मेज पर रखा। इस में कदम-कदम पर श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो शब्द कहे हैं मैं उन्हीं शब्दों को उन्हीं की भाषा में पढ़ कर सुनाता हूं।

प्रधान मंत्री जी ने संत जी को कहा :

> "दूसरी जगहों पर जहां भी भाषाई सूत्र का अनुसरण किया गया था, जैसा कि आंध्र और गुजरात तथा महाराष्ट्र में, अल्पसंख्यकों का कोई प्रश्न ही नहीं था। यह एक सर्व सम्मत मांग थी। दूसरी तरफ, पंजाब में हालत बिल्कुल भिन्न हैं और वैसी कोई सर्वसम्मति नहीं। यदि पंजाब में विभाजन किया जाए तो वहां शांति और स्थायित्व नहीं रहेगा और आर्थिक प्रगति नहीं हो सकेगी।"

इसके बाद १ मार्च १९६१ को हुई संत फतहसिंह और श्री नेहरू की मुलाकात में श्री नेहरू ने स्पष्ट कहा था :

> "पंजाब का विभाजन केवल पंजाब केलिए ही नहीं, बल्कि सिखों और हिन्दुओं के लिए भी हानिकारक होगा और वास्तव में यह सम्पूर्ण भारत के लिए हानिकारक होगा। यदि ऐसी सभी मांगे पूरी की जायें तो भारत टुकड़ों-टुकड़ों में बंट जाएगा और किसी भी प्रकार की तरक्की सम्भव नहीं हो सकेगी।"

इसके साथ ही मेरे पास श्री नेहरू का एक पत्र भी है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब विभाजन की मांग को हम कभी स्वीकार नहीं करते।

राजनीतिक नेताओं के अतिरिक्त भी भारत सरकार ने जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, तब उस के सामने भी पंजाब के विभाजन का प्रश्न उठाया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया था अपनी रिपोर्ट केअनुच्छेद ५४० में उसने जो कुछ कहा था उसकी तीन चार पंक्तियां मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। उस ने कहा था :

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"प्रस्ताविक राज्यं से भाषा सम्बन्धी समस्या और साम्प्रदायिक समस्या का समाधान तो होगा नहीं और वह आन्तरिक तनाव जो साम्प्रदायिक दलों में है और भाषायी क्षेत्रीय दलों में नहीं दूर होने के बजाय वर्तमान भावनायें और बिगड़ जायेंगी।"

यह किसी राजनीतिक नेता की राय नहीं है बल्कि इस सरकार के द्वारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसकी राय है।

मुख्य और गृहमंत्री भी विभाजन के विरुद्ध थे

इसके अतिरिक्त जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूं और जिस से आज पंजाब और सारे देश को खेद है, वह यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्णय होने से पहले पंजाब के मुख्य मंत्री और पंजाब के गृह-मंत्री बराबर पंजाब में घूम-घूम कर स्थान-स्थान पर यह कह रहे थे कि पंजाब का विभाजन नहीं होगा। कांग्रेस का इस मामले में स्पष्ट मत है कि पंजाब के टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं। इस निर्णय के बाद पंजाब के अन्दर कुछ हत्यायें हुई। मैं कभी हिंसा का समर्थक नहीं रहा हूं। और न अब हूं। पानीपत के अन्दर जिनकी ओर से भी वे घटनायें हुई हैं और तीन आदमियों को दुकान में बन्द कर के जलाया गया, इसकी मैं घोर निन्दा कर चुका हूं और अब भी करता हूं। लेकिन क्या श्री नन्दा इस बात को बतायेंगे किउन तीन आदमियों के अतिरिक्त जो ग्यारह आदमी और पंजाब के अन्दर मरे क्या वे बिना मां बाप के थे ? और क्या आप उनको किसी तरह का कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते थे ? क्या आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं था ? इन चौदह व्यक्तियों की हत्याओं का दोष भारत सरकार और पंजाब के मुख्य मंत्री और वहां के गृह मंत्री पर है। वहां के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री बराबर यह कहते फिरते रहे—"पंजाब का विभाजन नहीं होगा।" अगर विभाजन करना था तो पंजाब की सरकार का यह कर्तव्य भी था कि वह पंजाब के लोगों का मन इसके लिए पहले तैयार करती ताकि इस प्रकार से एक दम आग न भड़कती और एकदम से इस प्रकार अपने भाग्य के सम्बन्ध में दूसरी खबर सुन कर उन में किसी प्रकार का तनाव न आता या किसी प्रकार का रोष न बढ़ता।

राष्ट्रीय एकता की उपेक्षा

मैंने एक सुझाव रखा था कि भारतवर्ष को पांच भागों में विभक्त करके एक केन्द्रीय सरकार यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट जिस को कहते हैं वह यहां स्थापित की जाए, एक मजबूत सरकार कायम की जाए। इस तरह की मजबूत सरकार अगर बन जाए तो वह सारे देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है। श्री नन्दा ने इस के जवाब में कहा है कि कभी आगे चल कर इस प्रकार का समय आएगा तो शायद इस पर विचार हो सकता है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उनकी सरकार ने भाषावार प्रान्त बनाने के बाद क्या इस बात का प्रायश्चित क्षेत्रीय परिषदें बना कर नहीं किया ? पंत जी ने जो सारे देश को पांच भागों में विभक्त किया तो क्या वह धीरे-धीरे इसी रास्ते पर आना नहीं चाहते थे कि चार पांच राज्यों का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक हो जाए, न्यायपालिका एक हो जाए और इस प्रकार से चार पांच क्षेत्रों में जितनी अधिक से अधिक एकता हो सके वह स्थापित की जाए।

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार चीफ मिनिस्टर्स के चक्कर में आ कर इतनी झुकती और दबती जा रही है कि इस प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय जो राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखने के लिए

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जरूरी है, उसकी बराबर उपेक्षा कर रही है।

इस सब को कहने का मेरा एक बहुत बड़ा कारण यह है कि कम से कम इतिहास इस बात को न लिखे कि जब देश छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटता जा रहा था और देश के अन्दर खंड-खंड होने की प्रवृत्ति का उदय हो रहा था, उस समय हिन्दुस्तान में इस प्रकार का चिन्तन ही समाप्त हो गया था। सरकार को इसके बारे में सावधान करने वाले व्यक्ति देश के अन्दर नहीं रहे थे।

देवनागरी की मान्यता यथावत् रहे

अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं एक और आवश्यक बात कहना चाहता हूं। ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी मुसाफिर ने इसकी चर्चा की है। आपने भी शायद इसकी चर्चा की है। विद्यालंकार जी भी इसकी चर्चा करते थे। मैं स्पष्ट भाषा में कहता हूं कि मैंने जब उस दिन आपको उत्तर दिया था तो वह दबी हुई भाषा में नहीं दिया था। मैं मजबूती के साथ उसको दोहराता हूं, मैं कभी इस बात का पक्षपाती नहीं रहा कि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी न रहे या पंजाब में या अन्यत्र गुरुमुखी लिपि को समाप्त कर दिया जाए। मेरा कहना यह है कि पंजाब के अन्दर अगर कोई आदमी देवनागरी लिपि में भी लिखकर एप्लीकेशन दे या उसके माध्यम से काम करना चाहे तो तथाकथित पंजाबी सूबे की सरकार उसको ऐसा करने की स्वतंत्रता दे। उस पर यह बन्धन नहीं होना चाहिए कि वह उस में काम न कर सके। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज भी अगर उत्तर प्रदेश में कोई उर्दू में लिखकर एप्लीकेशन कचहरियों में देता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी प्रकार का कोई उसपर प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। अगर उत्तर प्रदेश में यह स्थिति हो सकती है तो पंजाब में भी वह स्थिति रहनी चाहिये। यह मेरा स्पष्ट अभिप्राय था। इसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं.....

[**श्री अ. ना. विद्यालंकार :** बंगला, गुजराती आदि के लिए भी क्या आप इसको मानते हैं ?]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हमारे विद्यालंकार जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। यह मेरा निर्णय नहीं है। यह मुख्य मंत्रियों का सर्वसम्मत निर्णय है जिसको श्री जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था कि हर प्रान्त के अन्दर एक वैकल्पिक लिपि देवनागरी के रूप में स्वीकार कर ली जाए। बंगाली की अपनी लिपि सुरक्षित रहते हुए अगर देवनागरी में भी कोई बंगला को लिखना चाहे तो उसकी उसे स्वतंन्त्रता होनी चाहिये। यह निर्णय मुख्य मंत्री सर्वसम्मति से कर चुके हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

भाषा सम्बंधी आंकड़े सांप्रदायिक आधार पर नहीं

अन्त में दो बातें मैं कहना चाहता हूं। नन्दा जी ने या किसी सदस्य ने अगर मेरे तर्क का उत्तर दिया होता तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती कि अगर १९६१ के आंकड़ों को आप झूठ मानते हैं और यह कहते हैं कि ये आंकड़े साम्प्रदायिक बहाव में आकर तैयार हुए तो आप बतायें कि जालंधर के अन्दर छः लाख हिन्दू जो रहते थे उन में से चार लाख ने ही हिन्दी क्यों लिखवाई ? दो लाख आदमियों ने क्यों अपनी भाषा पंजाबी लिखवाई ? सारे पंजाब के आंकड़े मेरे मित्र सिद्धान्ती जी ने दिये हैं कि सोलह लाख हिन्दुओं ने अपनी भाषा पंजाबी लिखाई। तब किस आधार पर आप कहते हैं कि साम्प्रदायिकता के प्रवाह में आकर भाषा लिखाई गई ?

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९६१ के आंकड़ों को आप छोड़ दें। पंजाब विश्वविद्यालय केआंकड़ों को आप लें। वहां पर ६२ प्रतिशत बच्चे हिन्दी के माध्यम से बैठे। मैट्रिकुलेशन परीक्षाओं में ७३ प्रतिशत ने हिन्दी माध्यम को स्वीकार किया। जब ऐसी स्थिति है तो फिर जन गणना के आधार पर कैसे आप कहते हैं कि पंजाब के अन्दर हिन्दी का कोई क्षेत्र नहीं है। या इसका कोई भविष्य नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पंजाब में जहां हिन्दी कभी राष्ट्रीयता का संदेश लेकर गई थी विभाजन से पूर्व, आज इस सरकार की गलत नीतियों के कारण उसी हिन्दी को पंजाब के अन्दर एक साम्प्रदायिक रूप दिया जा रहा है। जो एक राष्ट्रीय आन्दोलन की सहायक बन कर गई थी उसी हिन्दी के बारे में सरकार की गलत नीतियों के कारण आज उसकी यह दुर्गति होती चली जा रही है।

धर्मस्थलों से राजनीतिक आन्दोलन न चले

मैं चाहता हूं कि आगे के लिए आप सही निर्णय लें। मास्टर तारा सिंह से आपने अनुरोध किया है कि वह बनने वाले पंजाबी सूबे के वातावरण को न बिगाड़ें। मैं चाहता हूं कि इसके साथ-साथ एक और निश्चय भी केन्द्रीय सरकार दृढ़ता से ले पंजाब से ही नहीं वरन् सारे हिन्दुस्तान से सम्बन्धित वह निर्णय लिया जाए। निर्णय यह लिया जाय कि कोई भी राजनीतिक आन्दोलन धर्म स्थानों में बैठकर नहीं चलाया जा सकेगा। क्या धर्म स्थान कोई दूसरे देश हैं कि वहां पुलिस नहीं जा सकती है। या सी. आई. डी. नहीं जा सकती है। अगर आपने ऐसा निर्णय नहीं लिया तो इसका परिणाम यह होगा कि कल को जितने भी तस्कर व्यापारी हैं वे सब धर्म स्थानों में जाकर शरण लेंगे, और वहां बैठकर गवर्नमेंट के खिलाफ या देश के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़कायेंगे।

सरकार ने अगर इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है तो मैं चाहता हूं किआगे के लिए तो कम से कम वह इस बात पर निर्णय ले कि धर्मस्थानों का राजनीतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

श्री नन्दा ने अगर इन बातों पर विचार नहीं किया है अभी तक तो अब करें ताकि आगे चल कर इस बात का सुधार किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि वह इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश को पांच प्रशासनिक क्षेत्रों में विभक्त किया जाय

शास्त्री जी ने न केवल भाषाई राज्यों का विरोध किया अपितु इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णय को निरस्त करने के लिए ३ सितम्बर १९६५ को एक संविधान संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद १,२,३ और ४ आदि में संशोधन करना था तथा देश को राज्यों में बांटने के बजाय पांच भागों में विभाजित कर प्रशासन तंत्र चलाना था।

उपाध्यक्ष महोदय, "मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले अपने संविधान (संशोधन) विधेयक १९६५ को प्रस्तुत करता हूं।"

इस विधेयक को उपस्थित करते समय मैं इस की पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं। भारत सरकार ने स्वतंत्रता से पहले, हमारी सत्तारूढ़ पार्टी ने, जो कुछ आश्वासन इस देश को दिये थे, विशेषकर, उस समय जबकि उन्होंने यह कहा था कि स्वतंत्र होने के बाद हम देश में भाषावार प्रान्तों का निर्माण करेंगे, उस समय उसमें फंस कर वह निर्णय इस प्रकार का ले तो बैठे लेकिन इन निर्णयों का जो दुष्परिणाम हुआ और एक भाषा वाले प्रान्त ने दूसरे भाषा वालों को जिस दृष्टि से देखना आरम्भ किया, उस भूल को सरकार ने बाद में स्वीकार किया और उस भूल का प्रायश्चित करने के लिए भारत सरकार ने दूसरा मार्ग निकाला और वह यह कि सारे देश को पांच भागों में विभक्त कर दिया जाय और पांच जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उन के कुछ अधिकार बढ़ाने की बात सोची और इसका निर्णय किया ....

शास्त्री जी द्वारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के बाद संसद का सत्रावसान हो जाने के कारण इस पर अगली बहस ५ नवम्बर १९६५ को हुई। श्री हरीशचन्द्र माथुर, श्री जी. एन. दीक्षित, श्री काशीराम गुप्ता आदि ने विधेयक का समर्थन किया। परन्तु जैसा स्पष्ट था सरकार ने इसका न केवल विरोध किया अपितु जनमत जानने के लिए इस विधेयक पर पुनः विचार की मांग की।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का लिखा पढ़ा जवाब सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि सरकार को जिस गम्मीरता से इस विधेयक को लेना चाहिए था और इस विधेयक के मूल में जाकर जिस गम्मीरता से इसका उत्तर देना चाहिए था वह दोनों बातें ही उपमंत्री महोदय के उत्तर में प्रकट नहीं हुई। पिछली बार भी और इस बार भी सब मिला कर इस विधेयक की बहस में १८ सदस्यों ने भाग लिया और १८ सदस्यों में से १४ सदस्य वे हैं जिन्होंने पूर्णतया इस विधेयक का समर्थन किया और बाकी के जो चार सदस्य हैं उन में दो इस प्रकार के हैं जिन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिए भेजा जाये। अगर सरकार इस तथ्य को स्वीकार कर लेती कि इस गम्मीर प्रश्न पर देश की राय जानी जाय जैसे कि इस सदन के वृद्धत्तम सदस्य बापू जी अणे ने एक प्रस्ताव भी आपको दिया है कि इस विधेयक के साथ उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय तो मैं समझता हूं कि मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती।

दूसरी एक सब से बड़ी बात यह है कि इस विधेयक को उपस्थित करने की पृष्ठभूमि क्या है ? क्यों मैंने इस विधेयक को उपस्थित किया ? मैंने पहले भी बतलाया था और मैं फिर उसे दोहराना चाहता हूं

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि गोवा महाराष्ट्र में मिले यहां मैसूर में, इस प्रश्न को लेकर देश में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। जिस समय यह विचार कि गोवा की वर्तमान सरकार त्यागपत्र दे दे ताकि गोवा में चुनाव कराया जाय, इसी प्रश्न को लेकर उठा उसके दूसरे ही दिन मैसूर मंत्रिमंडल की ओर से केन्द्रीय सरकार के सामने एक धमकी आई। बंगलौर में जो कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था उसके सामने भी एक समस्या उत्पन्न हो गई। ज्यों-त्यों कर के उस प्रश्न को टाला गया या उस प्रश्न को दबा दिया गया। लेकिन उस प्रश्न से समस्या का समाधान नहीं हुआ।

इस प्रकार का प्रश्न केवल गोवा को महाराष्ट्र या मैसूर में मिलाने की ही बात नहीं, बेलगांव महाराष्ट्र में रहेगा या मैसूर में रहेगा, कृष्णा गोदावरी जल का क्या होगा, यह और अन्य भी बहुत से इस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि उठते हैं और वे उठ कर देश के मस्तिष्क को क्षुब्ध करते हैं। इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर जब हम यह सवाल उठाते हैं कि गोवा महाराष्ट्र में रहेगा या मैसूर में रहेगा तो क्या महाराष्ट्र भारत में नहीं है या मैसूर भारत में नहीं है ? अगर दोनों भारत के ही अंग हैं तो इस एक प्रश्न को लेकर यह वादविवाद क्यों देश में हो रहा है ? इसी पृष्ठभूमि में मैंने इस विधेयक को उपस्थित किया था। जिस समय भाषावार प्रान्तों के निर्माण की स्थिति देश में आई उस समय राजनीति के दूरदर्शक चिन्तक स्वर्गीय सरदार पटेल ने यह कहा था कि अगर हम ने गलती से इस प्रकार का वायदा कर भी लिया तो आज देश के सामने और भी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं पहले उन्हें लिया जाय। इस समस्या को हमें अभी नहीं उठाना चाहिए। अलबत्ता कभी देश की स्थिति जब बिलकुल शान्त होगी तो उस समय शान्त वातावरण में इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

लेकिन श्री पोट्टी रामुलू के देहावसान ने और हमारे नेतागण की उस समय की दुर्बलता ने उस अध्याय को खोल दिया। उस का परिणाम क्या निकला वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी भी उसका ही एक और दुष्परिणाम देखने में आ रहा है। पंजाब का वातावरण हम को अच्छे प्रकार से बताता है कि जो पंजाब के हिन्दू और सिक्ख दोनों मिल कर पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे थे आज सरकार की उस पंजाबी सूबा समिति की घोषणा की भूल का परिणाम यह हुआ कि पंजाब के हिन्दू और सिक्ख दोनों पाकिस्तान से लड़ने के बजाय अब अपने-अपने मैमोरैंडम तैयार करने में लगे हुए हैं। समिति के सामने अपने-अपने ज्ञापन देने की होड़ लग रही है। जिस की शक्ति देश के निर्माण और उसकी रक्षा के लिए लगनी चाहिए आज सरकार की गलत और दूरदर्शी नीतियों के कारण उन का मन उधर से हट कर इस दिशा में अगर लग गया तो देश के लिए अनिष्टकर होगा। ऐसी गलतियां सरकार करती है जिससे विवश होकर इस प्रकार का विधेयक लाना पड़ा।

दूसरी बड़ी चीज यह है कि जब मैं इस विधेयक को उपस्थित कर रहा था तो उस दिन भी कहा था, लेकिन आज उस को थोड़े विस्तार से और कहना चाहता हूं कि केन्द्र के मंत्रिमंडल की एक सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि जिस विभाग को जो मंत्री संम्हालता है उस के पास और ऐसा विभाग होगा कि वह अपने प्रांत का औद्योगिक विकास कर सके तो वह केवल अपने प्रान्त के विकास की दृष्टि से योजना बनायेगा। जरूरत तो इस बात की है कि वह सम्पूर्ण भारत वर्ष के विकास की दृष्टि से योजना बनावें। किस प्रान्त में इंडस्ट्रीज कितनी हैं, किस प्रान्त का डेबलपमेंट कितना हुआ है ? क्या यह सारा देश एक नहीं है ? अगर यह सारा देश एक है तो फिर सारे देश को एक ईकाई मान कर विकास कार्यक्रम क्यों नहीं

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बनाया जाता ? या सारे देश को एक ईकाई मान कर देश की राय बढ़ाने का यत्न क्यों नहीं किया जाता ? आज यह स्थिति है कि पंजाब में गेहूं और चने का भाव कुछ और है, दिल्ली में आकर वह बढ़ जाता है और यहां से १२ मील गाजियाबाद में चले जाइये तो वहां डेढ़ गुना और दुगना हो जाता है। यह सरकार जब समाजवादी समाज रचना का नारा लगाती है तो फिर क्यों नहीं निर्णय करती कि देश में जब गेहूं बिकेगा तो समान भाव पर बिकेगा ? रोटी खायेंगे तो सब खायेंगे, भूखे मरेंगे तो सब मरेंगे। यह क्या चीज़ है कि एक प्रान्तीय सरकार ४० रुपये क्विंटल के हिसाब से चना खरीदे लेकिन वही प्रान्तीय सरकार जब वह चना कलकत्ते को दे तो ९० रुपये क्विंटल के हिसाब से दे। अब इस स्थिति में अनुमान लगायें कि अब व्यापारी नफा कमाता है तो वह दोषी है, लेकिन एक सरकार दूसरी सरकार से मुनाफा कमाती है तो उस पर कोई आपत्ति करने वाला नहीं है। क्या पंजाब या बंगाल एक ही देश के हिस्से नहीं हैं ? आख़िर एक सरकार दूसरी सरकार के साथ इस तरह क्यों करती है ? और इस बुरी तरह मुनाफा क्यों कमाती है ?

इस स्थिति में मैं चाहता हूं कियह विधेयक जितना गम्भीर है, सरकार इस को उतनी गम्भीरता से ले। अच्छा हो कि उपमंत्री, श्री जगन्नाथ राव, माननीय सदस्य बापूजी अणे, के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित कर दिया जाये। मैं इस विधेयक का प्रस्तावक होने के नाते इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से सरकार को देश का मन जानने का अवसर भी मिलेगा और यह भी भान हो जायेगा कि सरकार ने इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ गम्भीरता से निर्णय लिया है।

लेकिन अगर सरकार इतना भी नहीं करती और इस में गम्भीरता नहीं दिखाती, तो मैं कम से कम अपनी ओर से यहां इतना जरूर कहूंगा कि मैं इस विधेयक को प्रैस न करूं जिससे यह रिजेक्ट हो जाये। इसकी अपेक्षा तो मैं इस विधेयक को वापस लेना अधिक पसन्द करूंगा। ताकि छः महीने बाद यह विधेयक फिर दोबारा इस सदन में आये और सरकार को अपनी भूल का प्रायश्चित करने और यह सोचने का अवसर मिले कि यदि इस रूप में नहीं, तो इससे मिलते जुलते किसी दूसरे रूप में देश की एकता को कैसे सुदृढ़ बनाये रखा जा सकता है ?

मैं उम्मीद करूंगा कि उपमंत्री महोदय बापूजी अणे के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये।

जनमत लेने पर संशोधन स्वीकृत नहीं हो सका। ❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और अन्त में.....

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संसद में अन्तिम भाषण

विश्वविद्यालयों में अनुशासन पर बल

शास्त्री जी 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना से तथा परोपकार को जीवन का लक्ष्य बनाकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उतरे थे। इन दोनों क्षेत्रों में वह पूरी निष्ठा और उत्तरदायित्व से काम करते थे। संसद की बैठकों में उनकी उपस्थिति आदर्श थी। उनकी तरह के सक्रिय सदस्य अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। उन्होंने देश की सभी समस्याओं पर अपने विचार बड़ी निर्भीकता और सारगर्भिता के साथ प्रस्तुत किये। १७ नवम्बर १९७७ को राज्य सभा में सार्वजनिक अविलम्ब हित के विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में बढ़ती अनुशासन हीनता पर चिन्ता प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव रखा गया था। शास्त्री जी ने इस सम्बन्ध में अपने विचार रखे। यह मृत्यु से पांच दिन पूर्व राज्य सभा में दिया गया उनका अन्तिम भाषण है। २४ नवम्बर को भी सदन की कार्रवाई के अनुसार उनका भाषण होना था, पर २३ नवम्बर को काल ने एक रेल दुर्घटना के माध्यम से उनको हम से छीन लिया।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्वविद्यालयों में अनुशासन हीनता

उपसभापति जी, हमारे विश्वविद्यालय विद्या के मन्दिर हैं और इनमें नये भारत का निर्माण हो रहा है। जनता पार्टी, कांग्रेस, सी.पी.एम., और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के बच्चे भी इन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। इस तरह से विश्वविद्यालयों में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है। अगर कोई भी दल, कोई भी संगठन विश्वविद्यालय के आन्तरिक वातावरण को विक्षुब्ध करने का प्रयास करता है तो संसद के सभी वर्गों के सदस्यों को चाहिये कि वे सम्मिलित रूप से इसकी निन्दा करें जिससे हमारे विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित होने से बच सके। जब इसको दलीय प्रश्न बनाया जाता है तो विश्वविद्यालयों के अन्दर आन्तरिक अशान्ति पैदा होती है। कल इसी से सम्बन्धित एक प्रश्न था जिसमें यह पूछा गया था कि देश में छात्रों में असन्तोष क्यों बढ़ रहा है? इसका उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अन्य कारणों के अलावा राजनैतिक कारणों से भी विश्वविद्यालयों में छात्र असन्तोष बढ़ रहा है। यह बात शिक्षा मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कही है।

उन्होंने जिन विश्वविद्यालयों में असन्तोष की चर्चा की है उनमें कई स्थानों की स्थिति को गम्भीर बताया है। जिन राज्यों की स्थिति गम्भीर बताई है वे हैं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय की घटनाओं को उन्होंने सामान्य बताया है जिनमें असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली आते हैं। इन विश्वविद्यालयों को उन्होंने सामान्य घटना वालों में रखा है। जब दिल्ली के दो विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता की इन घटनाओं को उन्होंने सामान्य बताया है तो पता नहीं उन राज्यों में क्या स्थिति होगी जिनमें गम्भीर गड़बड़ी है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यहां पर अनुशासनहीनता की किस प्रकार की स्थिति हो रही होगी।

मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं और इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को बधाई देना चाहता हूं कि जब वे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का उद्घाटन करने के लिए वहां गये थे। उन्होंने जिस साहस के साथ दो बातें कही हैं वे ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो यह थी कि विद्यार्थियों ने कुलपति को नीचे बैठाया हुआ था और छात्र संघ के अधिकारी और पदाधिकारी ऊपर बैठे हुए थे। श्री मोरारजी भाई ने कहा कि अगर मैं इस विश्वविद्यालय का कुलपति होता तो इस फंक्शन में आना भी पसन्द न करता। जिस तरह से कुलपति के साथ व्यवहार किया गया है और जिस तरह से उनको नीचे बैठाया गया है, यह उचित नहीं है। दूसरी बात श्री मोरारजी भाई ने यह कही कि आप लोग देश में भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन इन यूनियनों का इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास पैसा कहां से आता है? ये बातें श्री मोरारजी भाई ने यूनियन का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में कही।

मैं चाहता हूं कि इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। जिस तरह से प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने दिल्ली विश्वविद्यालय यूनियन के अधिकारियों और विद्यार्थियों को खरी और कड़ी भाषा में चेतावनी दी उसी तरह से आज शिक्षा मंत्री स्पष्ट बात को कहने में क्यों घबराते हैं और यह बात क्यों कहते हैं कि विश्वविद्यालय की परम्परा के आधार पर कोई कार्यवाही की जाएगी। उनको स्पष्ट भाषा में कहना चाहिए कि विद्यार्थियों के दबाव में आकर किसी भी विश्वविद्यालय के अध्यापक या कुलपति के विपरीत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ये दोनों विश्वविद्यालय केन्द्रीय स्तर के विश्वविद्यालय हैं और

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन पर देश को अभिमान है। ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें देश के चुने हुए शिक्षा विशेषज्ञ कार्य करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय सारे भारत के विश्वविद्यालयों के लिए अब तक एक आदर्श बना हुआ था। आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी इस प्रकार की घाटनाएं नहीं हुईं। समय पर परीक्षाएं हुईं और समय पर परिणाम घोषित हुए। सारी फैकल्टी अब तक व्यवस्थित ढंग से चलती रही। अब स्वतंत्र होने के बाद और जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई जैसे सख्त व्यक्ति के सरकार में आने के बाद आज यह सब क्या हो रहा है? यह दिल्ली विश्वविद्यालय गड़बड़ी और शरारत का अड्डा क्यों बन गया है? जहां तक प्राइमाफेसी केस का सवाल है, वहां पर चांसलर और विजिटर के तीन प्रतिनिधि हैं। इनके नाम हैं—श्री प्रेम कृपाल जो पहले शिक्षा मंत्रालय के सचिव थे, दूसरे हैं श्री रंधावा जो एक आई.ए.एस. अधिकारी थे और तीसरे हैं श्री किदवई जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं। ये लोग चांसलर और विजिटर के प्रतिनिधि हैं। इनके माध्यम से आप प्रारम्भिक जानकारी ले सकते हैं और अगर कोई केस बनता हो तो आप आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के कार्यालयों को ताला लगाकर बन्द कर दिया, यह बहुत चिन्ता का विषय है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी अगर चाहते तो पुलिस को बुलाकर ताले तुड़वा सकते थे। आज हमारे विश्वविद्यालयों का वातावरण दिन प्रति दिन बिगड़ता जा रहा है। कुलपति के कार्यालय पर ताला, उप-कुलपति के कार्यालय पर ताला और हैड आफ दी डिपार्टमेंट के कार्यालय पर ताला, यह क्या हालत हो रही है? क्या इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में नये भारत का निर्माण हो सकता है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री को दृढ़ता के साथ घोषणा करनी चाहिए कि चाहे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का सवाल हो या भारत के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय का सवाल हो, अगर विद्यार्थी इस प्रकार से गड़बड़ी करेंगे तो उनके आगे झुक कर युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन और शिक्षा मंत्रालय किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकता है। जो उचित निर्णय होगा, वही किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री संसद के माध्यम से आज इस प्रकार की घोषणा करें। दूसरी बात यह है कि जो यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं इनका एक ऐतिहासिक चरित्र रहा है। उसके ऊपर देश को अभिमान रहा है। इनके ऐतिहासिक चरित्र की रक्षा हो सके, इसके लिए तथा अनुशासनहीनता को रोकने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, इस बारे में सारे देश को बताया जाना चाहिए।❑

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महर्षि-पाणिनि-प्रज्ञा-अनुसन्धान
तिथी.....
पु०सं०.....
भारती पुस्तकालय

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.